वित्तीय एवं बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में मैनुअल

मार्च 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित संचालन समिति की सिफारिशों पर इस 'वित्तीय एवं बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध मे मैनुअल' को तैयार किया है । इस संदर्भ में मैनुअल का उद्देश्य विविध क्षेत्रों, यथा, मौद्रिक सांख्यिकी, बैंकिंग सांख्यिकी, बाह्य क्षेत्र सांख्यिकी, राजकोषीय सांख्यिकी, आदि को सम्मिलित करते हुए आरबीआई द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय संकेतकों के संकलन के लिए क्रमबद्ध रूपरेखा प्रदान करना है । इस मैनुअल में बैंक में एकीकृत और एकसमान दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए संकलित किये गये प्रारंभिक आँकड़ों पर अधिक ध्यान दिया गया है । यह उम्मीद की जाती है कि यह प्रलेख इस विषय के संबंध में सांख्यिकीय संकेतकों के मापन के संबंध में अवधारणामूलक मुद्दों को भलीभाँति समझने में सुविधा प्रदान करेगा ।

बैंक और नाबार्ड के विभिन्न विभागों ने इस मैनुअल के लिए मूलभूत निविष्टियाँ प्रदान की हैं । इस बृहदाकार कार्य के संकलन के लिए सचिवीय सहायता बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण प्रभाग, सांविकंसेवि, द्वारा प्रदान की गयी। श्री राधेश्याम, परामर्शदाता के अधीन प्रभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास प्रशंसनीय हैं । डॉ. अभिमान दास, सहायक परामर्शदाता, सुश्री मंजूषा सेनापति, अनुसंधान अधिकारी और श्री जॉयस जॉन, अनुसंधान अधिकारी के कार्य विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं । डॉ. के.एस रामचंद्र राव, प्रधान परामर्शदाता ने इस प्रकाशन के लिए पूरी टीम को समग्र मार्गदर्शन प्रदान किया ।

राकेश मोहन
उप गवर्नर

1 जून 2007

विषय-सूची

मद		पृष्ठ सं.
	भाग-I - वित्तीय सांख्यिकी	
I.	**मौद्रिक सांख्यिकी**	3
	अवधारणा और परिभाषा	4
	व्याप्ति	8
II.	**बैंकिंग सांख्यिकी**	21
	वाणिज्यिक बैंक	21
	सांविधिक विवरणियाँ (धारा 42(2) आँकड़े , तुलनपत्र, आदि)	23
	विशेष विवरणियाँ	31
	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1	33
	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 2	33
	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 4	44
	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 5	48
	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 6	50
	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 7	52
	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी	54
	शाखा बैंकिंग सांख्यिकी	66
	अन्य बैंकिंग सांख्यिकी	71
	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र सांख्यिकी	71
	पर्यवेक्षकीय सांख्यिकी	83
	ब्याज दर और ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन के संबंध में सांख्यिकी	91
	ब्याज दरों के संबंध में आँकड़े	91
	ऋण का क्षेत्रीय अभिनियोजन	93
	सहकारी बैंक	94
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	99
	शहरी सहकारी बैंक	101
III.	**निधि प्रवाह खाता संकलन**	220
	भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय वर्गीकरण	221
	लिखतें	223
	आँकड़ों के स्रोत	224
	संकलन की कार्यप्रणाली	226
	भाग-II -वित्तेतर सांख्यिकी	
IV.	**कंपनी वित्त सांख्यिकी**	253
	क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ	253
	स्रोत और प्रणालियाँ	255
	गुणवत्ता मानक	256

मद		पृष्ठ सं.
V.	**बाह्य क्षेत्र सांख्यिकी**	259
	भुगतान संतुलन	259
	बाह्य कर्ज	265
	विदेशी निवेश अंतर्वाह	267
	एनआरआइ जमाराशियाँ	269
	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	270
	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ	281
	रीर, नीर	284
	विदेशी मुद्रा बाजार में कुल कारोबार	288
	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री	289
VI.	**गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ**	295
	पंजीयन	297
	पर्यवेक्षण	299
	नीतिगत गतिविधियाँ	299
VII.	**सरकारी प्रतिभूति बाजार के संबंध में सांख्यिकी**	310
	चलनिधि समायोजन सुविधा - रेपो और रिवर्स रेपो	313
	खजाना बिल	315
	सरकारी प्रतिभूति	316
VIII.	**राजकोषीय क्षेत्र सांख्यिकी**	331
	संयुक्त वित्त	332
	राज्य सरकार वित्त	332
IX.	मौसमी कारकों का अनुमान	349
	कार्यप्रणाली	350
	पूर्वानुमान	355
अनुबंध 2.1	तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा टिप्पणियाँ	104
अनुबंध 2.2	'स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया' प्रकाशन की प्रमुख विषय-सूची	115
अनुबंध 2.3	बीएसआर 1ए और 1 बी में प्रयुक्त कूटों की सूची	117
अनुबंध 2.4	कार्यकलाप/व्यवसाय का वर्गीकरण	123
अनुबंध 2.5	आइएसओ मुद्रा कूट	155
अनुबंध 2.6	सीबीएस और एलबीएस के संकलन की कार्यप्रणाली	158
अनुबंध 2.7	आइएसओ देश कूट के अनुसार देश के संबंध में जानकारी	162
अनुबंध 2.8	अंतरराष्ट्रीय संगठन क्षेत्र कूटों के साथ	167
अनुबंध 2.9	आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारी	171
अनुबंध 2.10	आइबीएस के अंतर्गत डेरिवेटिवों की रिपोर्टिंग	180
अनुबंध 2.11	प्रोफार्मा I और II	184
अनुबंध 2.12	भारतीय रिज़र्व बैंक प्रकाशनों में प्रकाशित पर्यवेक्षकीय आँकड़े	200

मद		पृष्ठ सं.
अनुबंध 2.13	भाग I-सहकारी ऋण और सहकारी ऋणेतर समितियाँ	201
अनुबंध 2.14	आरआरबी के संबंध में सांख्यिकी के प्रकाशन की विषय-सूची	213
अनुबंध 2.15	शहरी सहकारी बैंक : विवरणियों का वर्णन, आवधिकता और प्रस्तुती करण की नियत तिथि	215
अनुबंध 3.1	सहकारी ऋणेतर समितियों की सूची	248
अनुबंध 3.2	ओएफआइ क्षेत्र में शामिल संस्थाओं की सूची	249
अनुबंध 3.3	अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सूची	250
अनुबंध 4.1	वार्षिक अध्ययन और तदर्थ प्रकाशन	257
अनुबंध 4.2	कंपनी लेखों के संबंध में आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की विविध मदों के परिभाषात्मक पहलू	258
अनुबंध 5.1	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति : आईएमएफ द्वारा एसडीडीएस के अंतर्गत निर्धारित फार्मैट	292
अनुबंध 6.1	31 जनवरी 2007 को डीएनबीएस द्वारा प्राप्त की जा रही विवरणियों के ब्यौरे	309
अनुबंध 7.1	चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी	319
अनुबंध 7.2	भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी	321
अनुबंध 7.3	केंद्र सरकार के बाजार उधार के ब्यौरे	323
अनुबंध 7.4	सरकारी प्रतिभूति बाजार का कुल कारोबार	325
अनुबंध 7.5	शब्दावली	328
अनुबंध 8.1	बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-2007	335
अनुबंध 8.2	राज्य सरकारों के बजट परिचालन - मुख्य शीर्ष	343
अनुबंध 8.3	व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	344

बॉक्सों की सूची

2.1	शहरी सहकारी बैंकों के ग्रेडेशन के लिए मानदंड	102
6.1	एनबीएफसी के विनियम का विहगावलोकन	296
6.2	एनबीएफसी के लिए विनियामक मानदंड और निदेश	300

पाठ सारणियों की सूची

1.1	मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों का माप	4
1.2	मुद्रा स्टॉक माप : संकलन की कार्यप्रणाली का विकास	8
2.1	बीएसआर-4 विवरणी के अंतर्गत क्षेत्र की व्याप्ति	47
3.1	एफओएफ खातों के संकलन के लिए आँकड़ों का स्रोत	224
5.2	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन	273
5.3	छह मुद्रा शृंखला के लिए भारांक पैटर्न	287
6.1	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रकार (आरबीआइ द्वारा नियंत्रित)	298
7.1	संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा योजना के लक्षण	314
7.2	खजाना बिल - विकास का कालानुक्रम	316

संक्षेपाक्षरों की सूची

एसीएफ	ऑटो कॉरिलेशन फंक्शन
एडी	प्राधिकृत व्यापारी
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीआर	अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद
एएफएस	वार्षिक वित्तीय विवरण
एजीएम	वार्षिक आम सभा
एआइआरसीएससी	अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति
एओ	एडिटिव आउटलायर्स
एआर	ऑटो रिग्रेशन
एआरआइएमए	ऑटो रिग्रेसिव इंटेग्रेटेड मूविंग एवरेज
एएफएस	विक्रय के लिए उपलब्ध
एएसएसओसीएचएएम	एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
एटीएम	एसिन्क्रोनस ट्रांसफर मोड
एटीएम	ऑटोमेटेड टेलर मशीन
बीआइएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीओआइ	बैंक ऑफ इंडिया
बीओपी	भुगतान संतुलन
बीपीएम5	भुगतान संतुलन मैनुअल, 5वाँ संस्करण
बीपीएसडी	भुगतान संतुलन प्रभाग, सांविकंसेवि, भारिबैंक
बीएससीएस	बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन
बीएसआर	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ
सीएडी	पूँजीगत लेखा घाटा
सीएजी	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीबीएस	समेकित बैंकिंग सांख्यिकी
सीसी	कैश क्रेडिट
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीडी रेशियो	ऋण जमा अनुपात
सीडीबीएस	बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में निदेश समिति
सीएफ	कंपनी वित्त
सीएफआरए	संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा
सीजीआरए	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा
सीआइआइ	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीओ	पूँजीगत परिव्यय
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआइ-आइडब्लू	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआर	पूँजीगत प्राप्तियाँ
सीआरएआर	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसआइआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीएपी	विकास कार्य योजना
डीबीओडी	बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
डीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
डीसीए	कंपनी कार्य विभाग (अब कंपनी कार्य मंत्रालय, एमसीए), भारत सरकार, के रूप में ज्ञात
डीसीबी	मांग वसूली और शेष
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीसीएम	मुद्रा प्रबंध विभाग, भारिबैंक
डीडी	मांग ड्राफ्ट
डीडीएस	आँकड़ा प्रसार सांख्यिकी
डीइआइओ	बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
डीइएसएसीएस	सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारिबैंक
डीजीबीए	सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारिबैंक
डीजीसीआइएंडएस	वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय
डीआइ	प्रत्यक्ष निवेश
डीआइसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआइडी	आंतरिक कर्ज का उन्मोचन
डीएमए	विभागीकृत मंत्रालय लेखा
डीआरआइ	विभेदक ब्याज दर योजना
डीएसबीबी	डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स बुलेटिन बोर्ड
डीवीपी	सुपुर्दगी बनाम भुगतान
इसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
इसीबी	युरोपियन केंद्रीय बैंक
इसीजीसी	निर्यात ऋण गारंटी निगम
इसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन योजना
इडीएमयु	बाह्य कर्ज प्रबंधन इकाई
इइए	विदेशी मुद्रा समकरण खाता
इइसी	युरोपियन आर्थिक समुदाय
इइएफसी	विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा
इएफआर	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
इपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
इयूआर	यूरो
एक्जिम बैंक	भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफसीए	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एफसीएनआर(बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता
एफसीएनआरए	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता
एफसीएनआरडी	विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय जमाराशि

एफडीआइ	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
फेमा	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफआइ	वित्तीय संस्था
एफआइसीसीआइ	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ
एफआइआइ	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफआइएमएमडीए	निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ
एफआइएसआइएम	अप्रत्यक्ष रूप से मापित विदेशी मध्यस्थता सेवाएँ
एफएलएएस	विदेशी देयता और आस्ति सर्वेक्षण
एफओएफ	निधि प्रवाह
एफपीआइ	विदेशी संविभाग निवेश
एफआरए	वायदा दर करार
एफआरबीएम	राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध
एफआरएन	अस्थिर दर वाले नोट
एफएसएस	कृषक सेवा समितियाँ
एफडब्लूजी	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में प्रथम कार्यकारी दल
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार रसीदें
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीएफएस	सरकार की वित्त सांख्यिकी
जीआइसी	साधारण बीमा निगम
जीएलएस	जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वेयर्स
जीएनआइइ	सरकार जिसे अन्यत्र शामिल नहीं किया गया है
जीओआइ	भारत सरकार
जीपीडी	सकल प्राथमिक घाटा
जी-सिक	सरकारी प्रतिभूति
एचडीएफसी	आवास विकास वित्त निगम
एचएफटी	व्यापार के लिए धारित
एचआइसीपी	हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेज
एचओ	प्रधान कार्यालय
एचयुडीसीओ	आवास और शहरी विकास निगम
आइबीआरडी	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
आइडीडी	औद्योगिक विकास विभाग
आइएफएडी	अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि
आइएफसी	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
आइएफसी(डब्लू)	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन)
आइएफसीआइ	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
आइएफआर	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि लेखा
आइएफएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी
आइजीएलएस	इटरेटिव जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वेयर्स
आइआइबीआइ	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक

आइआइपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आइआइपी/आइएनआइपी	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति
आइएमडी	इंडिया मिलेनियम डिपाजिट्स
आइएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आइएन	भारत
आइएनआर	भारतीय रुपया
आइओटीटी	इनपुट-आउटपुट लेनदेन सारणी
आइपी	ब्याज भुगतान
आइआरबीआइ	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
आइएसडीए	अंतरराष्ट्रीय स्वाप्स और डेरिवेटिव एसोसिएशन
आइएसआइसी	अंतरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण
आइएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन
आइटीआरएस	अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली
आइडब्लूजीइडीएस	बाह्य ऋण सांख्यिकी के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कार्य दल
केवीआइसी	खादी और ग्रामोद्योग निगम
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलएएमपीएस	बड़े आकार वाली आदिवासी बहु उद्देशीय समिति
एलएएस	राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम
एलडीबी	भूमि विकास बैंक
एलबीएस	स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी
एलइआरएमएस	उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली
एलआइसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलएस	लेवल शिफ्ट
एलटी	दीर्घावधि
एलटीओ	दीर्घावधि परिचालन
एम1	संकुचित मुद्रा
एम3	व्यापक मुद्रा
एमए	चल औसत
एमसीए	कंपनी कार्य मंत्रालय
एमआइजीए	बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी
एमआइएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमएमएसई	मिनिमम मीन स्क्वेयर्ड एरर्स
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओएफ	मास्टर ऑफिस फाइल
एमआरएम	अनुश्रवण एवं समीक्षा तंत्र
एमएसएस	बाजार स्थिरीकरण योजना
एमटी	डाक अंतरण
एमटीएम	मार्क टू मार्केट
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसी (एलटीओ)	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन)

एनएआइओ	कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है
एनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
नैस्कॉम	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज
एनबीसी	गैर बैंकिंग कंपनियाँ
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
एनइसी	अन्यत्र वर्गीकृत नहीं
एनईईआर	नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
एनएफए	निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
एनएफडी	निवल राजकोषीय घाटा
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआइसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआइएफ	नोट निर्गम सुविधा
एनएनएमएल	निवल गैर मौद्रिक देयताएँ
एनपीए	अनर्जक आस्तियाँ
एनपीडी	निवल प्राथमिक घाटा
एनपीआरबी	निवल प्राथमिक राजस्व शेष
एनपीवी	निवल वर्तमान मूल्य
एनआर(ई)आरए	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता
एनआर (एनआर) आरए	अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता
एनआरई	अनिवासी बाह्य
एनआरजी	अनिवासी सरकार
एनआरआइ	अनिवासी भारतीय
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
एनएसएसएफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
ओडी	ओवरड्राफ्ट
ओडीए	आधिकारिक विकास सहायता
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओईसीओ	आर्थिक सहयोग संगठन
ओएफआइ	अन्य वित्तीय संस्थाएँ
ओएलटीएएस	ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली
ओएमओ	खुला बाजार परिचालन
ओएससीबी	अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक
पीएसीएफ	पार्शियल ऑटो कॉरिलेशन फंक्शन
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीडी	प्राथमिक घाटा
पीडीएआइ	प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीडीओ	लोक ऋण कार्यालय
पीडीओ-एनडीएस	लोक ऋण कार्यालय-तयशुदा लेनदेन प्रणाली

पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीईएस	लोक उद्यम सर्वेक्षण
पीएफ	भविष्य निधि
पीआइओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीएनबी	पंजाब नेशनल बैंक
पीओ	प्रिंसिपल कार्यालय
पीआरबी	प्राथमिक राजस्व शेष
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
पीयूसी	चुकता पूँजी
क्यूआरआर	त्वरित समीक्षा रिपोर्ट
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरडी	राजस्व घाटा
आरडीबीएमएस	सापेक्षिक डाटाबेस प्रणाली
आरई	राजस्व व्यय
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरएफसी	निवासी विदेशी मुद्रा
आरआइबी	रिसर्जेंट इंडिया बांड
आरआइडीएफ	ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि
आरएलए	ऋणों और अग्रिमों की वसूली
आरएलसी	केंद्र को ऋणों की चुकौती
आरएमबी	रेन्मिन्बी (चीनी)
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरओसी	कंपनी निबंधक
आरपीए	रुपया भुगतान क्षेत्र
आरपीसीडी	ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
आरआर	राजस्व प्राप्तियाँ
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीपी	आरक्षित अंश स्थिति
आरयूएफ	परिक्रामी हामीदारी सुविधा
आरडब्लूए	जोखिम भारित आस्ति
एसएएम	सोशल एकाउंटिंग मैट्रिक्स
एसएएस	सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली
एसबीआइ	भारतीय स्टेट बैंक
एससी	अनुसूचित जाति
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	राज्य सहकारी बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एससीएस	साइज क्लास स्ट्राटा

एसडीडीएस	विशेष आँकड़ा प्रसार मानक
एसडीआर	विशेष आहरण अधिकार
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईबी	राज्य बिजली बोर्ड
एसएफसी	राज्य वित्तीय निगम
एसजीएल	सहायक सामान्य खाता-बही
एसजीएसवाइ	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआइडीसी	राज्य औद्योगिक विकास निगम
एसआइ-एसपीए	सिस्टम्स इम्प्रूवमेंट स्कीम अंडर स्पेशल प्रोजेक्ट एग्रिकल्चर
एसजेएसआरवाइ	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएलआरएस	सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना
एसएमजी	स्थायी अनुश्रवण दल
एसएनए	राष्ट्रीय लेखा प्रणाली
एसआरडब्लूटीओ	सड़क और जल परिवहन छोटे परिचालक
एसएसआइ	लघु उद्योग
एसएसएसबीई	लघु सेवा और कारोबारी उद्यम
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसडब्लूजी	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में द्वितीय कार्य दल
टीबीएस	खजाना बिल
टीसी	अस्थायी परिवर्तन
टीटी	तार अंतरण
युबीबी	यूनिफार्म बैलेंस बुक
युबीडी	शहरी बैंक विभाग
युसीबी	शहरी सहकारी बैंक
युसीएन	एकसमान कूट संख्या
यूएस	युनाइटेड स्टेट्स
यूएसडी	अमरीकी डालर
युटीआइ	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
वीसी	वेंचर कैपिटल
डब्लूजीएमएस	मुद्रा आपूर्ति संबंधी कार्यकारी दल : एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन
डब्लूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
डब्लूएसएस	वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट
वाईटीएम	परिपक्वता आय
जेडओ	आंचलिक कार्यालय

भूमिका

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, ने वर्ष 2005 में डॉ. एस. रे, डीजीएंडसीईओ, की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन विविध सांख्यिकीय संकेतकों/ अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को शामिल करने वाली सांख्यिकी के संबंध में मैनुअल तैयार करने के लिए किया था । इन मैनुअलों से यह उम्मीद की जाती है कि ये सांख्यिकीय संकेतकों/ सांख्यिकी की क्रमबद्ध रूपरेखा से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी को शामिल करेंगे जिससे यह एक व्यापक संदर्भ ग्रंथ बन जायेगा । ऐसे प्रलेख निर्धारित सांख्यिकीय मानकों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे और उपयोगकर्ताओं द्वारा सांख्यिकीय संकेतकों को बेहतर ढंग से समझे जाने को सुसाध्य बनायेंगे । **वित्तीय एवं बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में मैनुअल** तैयार करने का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को सौंपा गया था ।

व्यापक दिशानिर्देश के रूप में समिति ने यह निश्चय किया कि ''वित्तीय एवं बैंकिंग सांख्यिकी संबंधी मैनुअल में भारत में सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेनों के संबंध में विद्यमान स्रोत, परिभाषाएँ, अंगीकृत कार्यप्रणाली, आदि अंतर्विष्ट होंगे । कार्यप्रणाली में सांख्यिकी की एक संक्षिप्त कार्य-प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाना चाहिए । इस मैनुअल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस मैनुअल का प्रयोग करेगा''। तथापि, भारत में सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेनों का प्रलेखन एक मैनुअल के रूप में करना, जैसी कि समिति द्वारा परिकल्पना की गयी थी, एक भयावह कार्य है । आरबीआई सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेनों के लिए प्राथमिक स्रोत नहीं है । आरबीआई द्वारा प्रसारित अनेक प्रकार के आँकड़े वस्तुतः अन्य स्रोतों पर आधारित होते हैं । उदाहरण के लिए, आरबीआई द्वारा कीमतों के संबंध में नियमित रूप से प्रकाशित सांख्यिकी मंत्रालय में संबंधित विभाग द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित होती है । आरबीआइ द्वारा संगृहीत विस्तृत आँकड़ों का उपयोग सांविधिक/नियंत्रण प्रयोजनों के लिए किया जाता है और इसे जनता के बीच प्रसारित नहीं किया जाता है । इसलिए बैंक ने यह निर्णय लिया कि वह केवल प्राथमिक आँकड़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के आँकड़े शामिल होंगे, जिन्हें आरबीआई/ नाबार्ड के विविध प्रकाशनों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है । अन्य वित्तीय संस्थाओं की सांख्यिकी, जिनमें बीमा और म्युचुअल फंड शामिल हैं, को यहाँ शामिल नहीं किया गया है । दिसंबर 2005 तक की गतिविधियों को मैनुअल में शामिल किया गया है । मैनुअल दो भागों में, वित्तीय सांख्यिकी और गैर वित्तीय सांख्यिकी के लिए अलग-अलग, प्रस्तुत किया गया है और इसमें विविध क्षेत्रों, यथा, मौद्रिक सांख्यिकी, बैंकिंग सांख्यिकी, बाह्य क्षेत्र सांख्यिकी, राजकोषीय क्षेत्र सांख्यिकी, आदि को सम्मिलित किया गया है । चूँकि प्रसारित आँकड़े विविध स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अतः एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया ।

सभी मैनुअलों में एकसमान रूप से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया गया है :

1. **परिचय** - ऐतिहासिक परिदृश्य/संबंधित क्षेत्र के संबंध में सांख्यिकीय प्रणाली का विकास, प्रयोजन, परिवर्तनशील आयाम, आदि ।
2. **क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ** - क्षेत्र का महत्व, मापन संबंधी आवश्यकता और संकेतक ।
3. **अवधारणा, परिभाषा और वर्गीकरण** - संकेतकों/सांख्यिकी के संकलन के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संसाधनों द्वारा उपर्युक्त के संबंध में अपनाये गये सांख्यिकीय मानक; तदनुकूल अंतरराष्ट्रीय मानक/यूएन

सिफारिशें और मानक, यदि ऊपर निर्दिष्ट मानकों से भिन्न हों, तो देश में अन्य संगठनों द्वारा प्रयोग किये जा रहे मानक; इस पर टिप्पणी कि जिन मानकों का प्रयोग किया जा रहा है, वे अंतरराष्ट्रीय मानकों से किस प्रकार तुलनीय हैं; किन कारणों से अंतरराष्ट्रीय मानकों से भिन्न मानकों को या अन्य राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाये गये मानकों को अपनाया जाना आवश्यक हुआ ।

4. **स्रोत और प्रणाली** - आँकड़ों के स्रोत, आँकड़ों के संग्रहण और संकलन में शामिल एजेंसियों से संबंधित ब्यौरे, संगठन-ढाँचा, उत्तरदायित्व सौंपना और आधारभूत संरचना का प्रकार, नमूना चयन कार्यप्रणाली, आँकड़ा संग्रहण की आवृत्ति और पद्धति, जीआइएस, इंटरनेट, आदि, जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का आँकड़ा संग्रहण में उपयोग करना या उपयोग करने की संभावना, अधिनियम का शीर्षक, यदि आँकड़ा संग्रहण किसी अधिनियम और उसमें किये गये सामर्थ्यकारी उपबंधों के प्रशासन से समर्थित है या उसका उपोत्पाद है, चूककर्ताओं के लिए दंड, आदि।

5. **गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना** - अधिकथित सांख्यिकीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था।

आरबीआई के अनेक विभाग, यथा, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविकंसेवि), आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीइएपी), आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग (आइडीएमडी), बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआइओ), ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (ग्राआऋवि), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), शहरी बैंक विभाग (यूबीडी) और मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) तथा नाबार्ड को मैनुअल के लिए मूलभूत सामग्री देने हेतु शामिल किया गया था । सांख्यिकीय विश्लेषण प्रभाग, सांविकंसेवि, आरबीआई ने मैनुअल को तैयार करने और उसके समेकन के लिए सचिवालय सहायता प्रदान की ।

भाग I - वित्तीय सांख्यिकी

1. मौद्रिक सांख्यिकी

1.1 परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक की सुदीर्घ परंपरा रही है कि वह 1935 से ही मौद्रिक सांख्यिकी के संकलन और प्रसार का कार्य करता आ रहा है । भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर हो रहे परिवर्तनों और मौद्रिक क्षेत्र की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर कार्यकारी दलों का गठन किया जाता रहा है, जो कुल मौद्रिक जमाराशियों की समीक्षा करता है और उनका परिष्करण करता है ।अब तक ऐसे तीन कार्यकारी दल गठित किये गये हैं, यथा, मुद्रा आपूर्ति के संबंध में प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961), द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977) और ''मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल :एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन'' (डब्लूजीएमएस) (अध्यक्ष : डॉ. वाई.वी.रेड्डी) (1998) । इस समय मौद्रिक सांख्यिकी का संकलन एक तुलनपत्र ढाँचे पर किया जाता है, जिसके आँकड़े बैंकिंग क्षेत्र और डाक-अधिकारियों से लिये जाते हैं । कुल मौद्रिक जमाराशियों के पीछे जो औचित्य और आधार है, उससे जनता को विविध रिपोर्टों के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है, खासकर विभिन्न कार्यकारी दलों की रिपोर्टों के माध्यम से । कुल मौद्रिक जमाराशियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकांश प्रमुख प्रकाशनों में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं, जैसेकि बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आरबीआई बुलेटिन, वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट आदि।

'मुद्रा' की कोई अन्यतम परिभाषा नहीं है, चाहे आर्थिक सिद्धांत में अवधारणा के रूप में या व्यावहारिक माप के रूप में । मुद्रा भुगतान का साधन होती है और इस प्रकार वह विनिमय की सुविधा में स्नेहन का कार्य करती है । मुद्रा मूल्य के भंडारण और लेखे की इकाई के रूप में भी कार्य करती है । तथापि, वास्तविक जगत में मुद्रा मूर्त पारिश्रमिक के साथ-साथ मौद्रिक सेवाएँ भी प्रदान करती है । यही कारण है कि मुद्रा का संबंध उन कार्यकलापों से होता है, जिनका अनुसरण आर्थिक इकाइयाँ किया करती हैं ।इसलिए नीतिगत प्रयोजनों के लिए मुद्रा की परिभाषा अर्थसुलभ

वित्तीय आस्तियों के समुच्चय के रूप में दी जा सकती है, जिसके स्टॉक में घट-बढ़ का प्रभाव सकल आर्थिक कार्यकलाप पर हो सकता है । सांख्यिकीय अवधारणा के रूप में, मुद्रा में वित्तीय मध्यवर्तियों या अन्य जारीकर्ताओं के किसी खास समुच्चय की कतिपय चलनिधि देयताएँ शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार, अन्य देशों की ही तरह, भारत में मौद्रिक और चलनिधि मापन शृंखला का संकलन किया जाता है।

1.2. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

भारत में विविध प्रकार के मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों का संकलन किया जाता है और उनकी परिभाषाएँ सारणी 1.1 में दी गयी हैं ।

मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों के विविध घटकों को नीचे पुनः निर्दिष्ट किया गया है :

'संचलन में मुद्रा' में शामिल होते हैं संचलन में नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के । भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र में रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों में अक्तूबर, 1969 से जारी दस रुपया सिक्के, नवंबर 1982 से जारी दो रुपया सिक्के और नवंबर 1985 से जारी पाँच रुपया सिक्के शामिल होते हैं । जनता के पास मुद्रा का निर्धारण संचलन में कुल मुद्रा में से बैंकों के पास नकदी को घटाकर, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिपोर्ट की जाती है , किया जाता है।

सारणी 1.1 : मौद्रिक एवं चलनिधि समुच्चयों की माप

आरक्षित मुद्रा	=	संचलन में मुद्रा + आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियाँ + आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ = सरकार को निवल आरबीआई ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण + बैंकों पर आरबीआई के दावे + आरबीआई की निवल विदेशी आस्तियाँ + जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ-आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ
$एम_1$	=	जनता के पास मुद्रा + बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा+आरबीआई के पास 'अन्य' जमा
$एम_2$	=	$एम_1$ + डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाराशियाँ
$एम_3$	=	$एम_1$ + बैंकिंग प्रणाली के पास मीयादी जमाराशियाँ = सरकार को निवल बैंक ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण + बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ + जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ-बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ
$एम_4$	=	$एम_3$ + डाकघर बचत बैंकों के पास सभी जमाराशियाँ (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोड़कर)
$एनएम_1$	=	जनता के पास मुद्रा + बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाराशियाँ + आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ
$एनएम_3$	=	$एनएम_1$ + निवासियों की अल्पावधि मीयादी जमाराशियाँ (एक वर्ष की संविदागत परिपक्वता तक और उसे शामिल करते हुए)
$एनएम_3$	=	$एनएम_2$ + निवासियों की दीर्घावधि मीयादी जमाराशियाँ+वित्तीय संस्थाओं से मांग/ मीयादी निधीयन
$एल_1$	=	$एनएम_3$ + डाकघर बचत बैंकों के पास सभी जमाराशियाँ (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोड़कर)
$एल_2$	=	$एल_1$ + मीयादी उधार देने वाली संस्थाओं और पुनर्वित्त संस्थाओं(एफआई) के पास मीयादी जमाराशियाँ + एफआई द्वारा लिये गये उधार + एफआई द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाणपत्र
$एल_3$	=	$एल_2$ + गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता जमाराशि
सरकार को निवल बैंक ऋण	=	सरकार को निवल आरबीआई ऋण (अर्थात् केंद्र को निवल आरबीआई ऋण + राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण) + सरकार को अन्य बैंकों का ऋण
वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	=	वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण
बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियाँ	=	आरबीआई की निवल विदेशी आस्तियाँ + अन्य बैंकों की विदेशी आस्तियाँ
बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	=	आरबीआई की निवल गैर मौद्रिक देयताएँ + अन्य बैंकों की निवल गैर मौद्रिक देयताएँ

'रिज़र्व बैंक में बैंकों की जमाराशियों' में रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में बैंकों की जमाराशियों को शामिल किया जाता है, जो मुख्यतः आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने और समाशोधन संबंधी समायोजनों के लिए कार्यकारी निधियों के रूप में होती हैं। मौद्रिक संकलन के प्रयोजनार्थ रिज़र्व बैंक में 'अन्य' जमाराशियों में विदेशी केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त जमाराशियाँ और आईएमएफ खाता सं.1 को घटाकर प्राप्त फुटकर जमाराशियाँ शामिल होती हैं ।

'सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण' में शामिल होते हैं रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण । इसमें सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट, रिज़र्व बैंक में धारित सरकारी प्रतिभूतियाँ, और रिज़र्व बैंक में धारित रुपया सिक्के घटाकर रिज़र्व बैंक में संबंधित सरकारों की जमाराशियाँ शामिल होती हैं । बैंकों पर रिज़र्व बैंक के दावों में शामिल होते हैं नाबार्ड सहित बैंकों को दिये गये ऋण। नये मौद्रिक समुच्चयों के मामले में नाबार्ड को रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये पुनर्वित्त को, जो पूर्व में बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दावों के भाग के रूप में होता था, वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण के भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

'वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक का ऋण' वित्तीय संस्थाओं के बांडों/शेयरों में निवेश, उनको दिये गये ऋण और खरीदे और भुनाये गये आंतरिक बिलों के धारण का द्योतक होता है । 'जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताओं' में शामिल होते हैं रुपया सिक्के और छोटे सिक्के।

रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में इसकी विदेशी मुद्रा आस्तियाँ और स्वर्ण के धारण शामिल होते हैं । रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग की आरक्षित स्वर्ण निधि का मूल्य अक्तूबर 5, 1956 तक प्रति तोला 21.24 रुपये के हिसाब से लगाया जाता था; उसके बाद यह जनवरी 31, 1969 तक प्रति तोला 62.50 रुपये और अक्तूबर 16, 1990 तक प्रति तोला 98.44 रुपये (प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपये) लगाया जाता था । अक्तूबर 17, 1990 से स्वर्ण का मूल्य माह के अंत में लंदन में उस माह के लिए उद्धृत दैनिक औसत मूल्य के 90 प्रतिशत पर लगाया जाता है । रुपये में सममूल्य राशि का निर्धारण महीने के अंतिम कारोबार दिवस को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। वसूल नहीं हुए लाभों/हानियों का समायोजन करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्युएशन एकाउंट (सीजीआरए) में किया जाता है। रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में अक्तूबर 17, 1990 से प्रभावी स्वर्ण के मूल्य में अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के आधार पर इसके पुनर्मूल्यन के कारण हुई मूल्यवृद्धि के प्रभाव को हिसाब में लिया जाता है । ऐसी मूल्यवृद्धि का तदनुरूपी प्रभाव रिज़र्व बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताओं पर होता है ।

'रिज़र्व बैंक की अन्य देयताओं' में शामिल होती हैं रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधियाँ और प्रावधान, जैसेकि एक्सचेंज इक्वैलाइजेशन एकाउंट (ईईए), करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्युएशन एकाउंट (सीजीआरए), कंटिंजेंसी रिज़र्व, ऐसेट डेवलपमेंट रिज़र्व । आरक्षित निधियाँ, यथा, कंटिंजेंसी रिज़र्व, ऐसेट डेवलपमेंट रिज़र्व, सीजीआरए और ईईए, जो 'अन्य देयताओं' में प्रदर्शित होते हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा सुस्पष्ट तुलनपत्र शीर्ष के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा धारित 6.500 करोड़ रुपये की 'आरक्षित निधि' के अतिरिक्त हैं । विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और/या स्वर्ण के मूल्य में घट-बढ़ के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्य में लाभ/हानि का हिसाब लाभ-हानि लेखा में नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें सीजीआरए के रूप में नामित तुलनपत्र शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाता है । शेष द्योतक होता है- विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन पर संचित निवल लाभ का । सीजीआरए को पूर्व में एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिज़र्व (ईएफआर) के रूप में जाना जाता

था। ईईए में शेष द्योतक होता है वायदा प्रतिबद्धताओं के कारण हुई विनिमय हानि के लिए किये गये प्रावधानन का । आकस्मिकता आरक्षित निधि उस राशि का द्योतक होती है, जो वर्षानुवर्षी आधार पर अप्रत्याशित एवं अदृष्ट आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखी जाती है । इन आकस्मिकताओं में प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर नीति संबंधी बाध्यताओं से उत्पन्न विनिमय गारंटी और जोखिम शामिल होते हैं । आंतरिक पूँजीगत व्यय को पूरा करने और अनुषंगी तथा सहायक संस्थाओं में निवेश करने के लिए एक अतिरिक्त विनिर्दिष्ट राशि का प्रावधान किया जाता है और उसे ऐसेट डेवलपमेंट रिज़र्व में जमा कर दिया जाता है ।

'रिज़र्व बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ' (एनएनएमएल) वे देयताएँ होती हैं, जिनका कोई मौद्रिक प्रभाव नहीं होता है । इनमें शामिल मदें, रिज़र्व बैंक की चुकता पूँजी और आरक्षित निधि, राष्ट्रीय निधियों (एनआइसी-एलटीओ निधि और एनएचसी-एलटीओ निधि) में अंशदान, भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि, देय बिल, भारतीय रिज़र्व बैंक में अनिवार्य जमा, अन्य जमाराशियों के अंतर्गत अस्थायी रूप से धारित भारतीय रिज़र्व बैंक के लाभ, अन्य जमाराशियों के अंतर्गत राज्य सरकार ऋण खाते में धारित राशि, आईएमएफ कोटा अभिदान और भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य भुगतान और अन्य देयताएँ होती हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल अन्य आस्तियों को घटाकर निकाली जाती हैं। इसी प्रकार बैंकों के एनएनएमएल में शामिल मदें, उनकी पूँजी, आरक्षित निधि, प्रावधानन, आदि होती हैं। बैंकिंग क्षेत्र के एनएनएमएल में रिज़र्व बैंक का एनएनएमएल और अन्य बैंकों का एनएनएमएल शामिल होते हैं।

'जनता के पास मुद्रा' संचलन में मुद्रा घटाव बैंकों द्वारा धारित नकदी होती है । 'मांग जमा' में वे सभी देयताएँ शामिल होती हैं, जो मांग पर देय होती हैं और उनमें चालू जमाराशियाँ, बचत बैंक जमाराशियों का मांग देयताओं वाला भाग, साख-पत्र/गारंटियों की जमानत पर धारित मार्जिन, अतिदेय सावधि जमा में शेष, नकदी प्रमाणपत्र और संचयी/आवर्ती जमाराशियाँ, बकाया तार अंतरण (टीटी), डाक अंतरण (एमटी), मांग ड्राफ्ट (डीडी), दावा नहीं की गयी जमाराशियाँ, कैश क्रेडिट खाते में जमाशेष और मांग पर देय अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित जमाराशियाँ शामिल होती हैं । बैंकिंग प्रणाली के बाहर से मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को अन्य के प्रति देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

'मीयादी जमाराशियाँ' वे जमाराशियाँ होती हैं, जो मांग से अन्यथा पर देय होती हैं और इनमें सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, संचयी और आवर्ती जमा, बचत बैंक जमाराशि का मीयादी देयताओं वाला भाग, स्टाफ प्रतिभूति जमा, साख-पत्र की जमानत पर धारित मार्जिन मनी, यदि मांग पर देय नहीं हो, इंडिया मिलेनियम डिपोजिट और गोल्ड डिपोजिट शामिल होते हैं ।

'सरकार को निवल बैंक ऋण' में शामिल होते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय रिज़र्व बैंक का निवल ऋण और केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के निवेश । 'वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण' में शामिल होते हैं वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के ऋण । वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों के ऋण में शामिल होते हैं वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों के ऋण और अग्रिम (जिनमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का खाद्य ऋण शामिल है) और 'अन्य अनुमोदित' प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश ।

आदिवर्णिक शब्दों एनएम$_1$, एनएम$_2$ और एनएम$_3$ का प्रयोग नयी कुल मौद्रिक जमाराशियों में वर्तमान कुल मौद्रिक जमाराशियों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है [जैसाकि मुद्रा आपूर्ति से संबंधित कार्यकारी दल :एनैलिटिक्स एंड मेथेडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन

(डब्लूजीएमएस)(अध्यक्ष : डॉ.वाई.वी. रेड्डी), जून 1998 द्वारा प्रस्ताव किया गया] । एनएम$_2$ और एनएम$_3$ रेजिडेंसी अवधारणा पर आधारित हैं और इसलिए वे सीधे-सीधे एफसीएनआर(बी) जमा के रूप में अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय सावधि जमाराशियों, रिसर्जेंट इंडिया बांड्स (आरआईबी) और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (आईएमडी) की गणना नहीं करते हैं । रेजिडेंसी अनिवार्य रूप से उस देश से संबंधित होती है, जिसमें धारक का आर्थिक हित केंद्रित होता है । शेष दुनिया में अनिवासियों द्वारा धारित करेंसी और जमाराशियाँ अंतरराष्ट्रीय पूँजी प्रवाह जैसे भुगतान संतुलन संबंधी विचारों से संबंधित होंगी, न कि मौद्रिक आस्तियों के लिए घरेलू मांग या घरेलू लेनदेनों में मुद्रा के उपयोग से। जबकि रेजिडेंसी द्वारा जमा देयताओं को वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता है, सभी कोटियों के अनिवासी जमा को घरेलू कुल मौद्रिक जमाराशियों से अलग करना युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि अनिवासी रुपया जमाराशियाँ अनिवार्य रूप से घरेलू वित्तीय प्रणाली में एकीकृत होती हैं । इसलिए, केवल अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियों को जमा संबंधी देयताओं में शामिल नहीं किया जाता है और उन्हें बाह्य देयताओं के रूप में माना जाता है । तदनुसार, अनिवासी जमाराशियों की विविध कोटियों में से एफसीएनआर(बी), रिसर्जेंट इंडिया बांड्स (आरआईबी) और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (आईएमडी) को बाह्य देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें घरेलू मुद्रा स्टॉक में शामिल नहीं किया गया । नये मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों के अन्य प्रमुख लक्षण निम्नवत् हैं :

1. कुल मौद्रिक राशियों के चार परिमापों का और चलनिधि समुच्चयों के तीन परिमापों का संकलन, जो व्यापक वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण के अतिरिक्त है। एनएम$_0$ अनिवार्य रूप से मौद्रिक आधार होता है, जिसका संकलन मुख्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र से किया जाता है ; एनएम$_1$ परिशुद्ध रूप से बैंकिंग क्षेत्र की ब्याज रहित मौद्रिक देयताओं को प्रतिबिंबित करता है; एनएम$_2$ में करेंसी और चालू जमा के अतिरिक्त बचत और अल्पावधि जमाराशियाँ शामिल होती हैं, जो कंपनियों के लेनदेन शेषों को प्रतिबिंबित करती है । एनएम$_3$ को पुनः परिभाषित किया गया, ताकि वह एनएम$_2$ के अतिरिक्त कॉल फंडिंग को प्रतिबिंबित करे, जिसे बैंकिंग प्रणाली अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करती है ।

2. बैंक ऋण को मौद्रिक अर्थशास्त्र में अक्सर विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण चर वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, जो सीधे ढंग से उपभोग और पूँजी निर्माण को प्रभावित करता है । इसलिए इसे अक्सर मुद्रा आपूर्ति की तुलना में संपदा-क्षेत्र कार्यकलाप के अधिक लाभदायक संकेतक के रूप में माना जाता है । भारत में, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में से एक को आधिकारिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है । जबकि सरकार को बैंकिंग क्षेत्र से ऋण की स्पष्ट रूप से पहचान की जाती है, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में केवल ऋण के रूप में अग्रिम, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, खरीदे और भुनाये गये बिल और सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल होते हैं। तथापि, हाल के वर्षों में वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतियों में, यथा, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा जारी किये गये शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करते रहे हैं, जो परंपरागत ऋण समुच्चयों में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं । बैंक ऋण की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें ऐसे निवेशों को शामिल किया गया है ।

3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों (एनएफए) में आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा

आस्तियाँ और बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ शामिल होती हैं । बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में i) अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियों, जिन्हें वर्तमान में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि इनमें एफसीएनआर(बी) जमाराशियाँ शामिल होती हैं, और ii) समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार को घटाकर उनके विदेशी मुद्रा आस्तियों के धारण समाविष्ट होते हैं ।

4. नयी कुल मौद्रिक राशियों, एनएम$_3$ में पूँजीगत लेखा में शामिल होते हैं चुकता पूँजी और आरक्षित निधियाँ। 'अन्य मदें (निवल)' अवशिष्ट होती हैं, जो मौद्रिक और बैंकिंग लेखों के घटकों और स्रोतों का संतुलन करती हैं और इसमें अन्य मांग और मीयादी देयताएँ, निवल अंतर-बैंक देयताएँ, आदि शामिल होती हैं, जो लागू हों।

1.3 व्याप्ति

इस समय कुल मौद्रिक राशियों का संकलन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और डाकघरों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। सहकारी बैंकों की व्याप्ति कालान्तर में बढ़ी है (सारणी 1.2)। जहाँ तक सहकारी बैंकों का संबंध है, फरवरी 1970 तक के आँकड़ों में शामिल हैं राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त आँकड़े, जबकि मार्च 1970 और उसके बाद के आँकड़ों में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों के आँकड़े शामिल हैं।

1.3.1 संकलन में परिवर्तन

बचत जमाराशियों को इसके दो घटकों में प्रभाजन - मांग और मीयादी - के निरूपण में एक परिवर्तन मार्च 1978 में किया गया । बचत खातों को मांग और मीयादी हिस्सों में इस बात पर निर्भर करते हुए विभाजित किया जाता है कि क्या ऐसी जमाराशियों पर वास्तव में ब्याज का भुगतान किया जाता है । बैंकों को इस प्रकार के वर्गीकरण की रिपोर्ट सितंबर 30 और मार्च 31 को कारोबार की समाप्ति पर मौजूद स्थिति के आधार पर करनी होती है। जबकि इसके पूर्व ऐसी रिपोर्ट जून-अंत और दिसंबर-अंत में करनी होती थी।

भारत में कुल मौद्रिक राशियों के संकलन की कार्यप्रणाली के विकास को संक्षिप्त रूप में नीचे सारणी में (सारणी 1.2) दर्शाया गया है।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
घटक (सी)			
सी.I. जनता के पास मुद्रा (सी.I.1+सी.I.2-सी.I.3-सी.I.4-सी.I.5)	*सी.I. जनता के पास मुद्रा (सी.I.1+सी.I.2-सी.I.3-सी.I.4)*	*सी.I. जनता के पास मुद्रा (सी.I.1+सी.I.2-सी.I.3)*	
सी.I.1 संचलन में नोट	सी.I.1 संचलन में नोट	सी.I.1 संचलन में नोट	
सी.I.2 रुपये के सिक्कों और छोटे सिक्कों का संचलन, अर्थात् जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	सी.I.2 रुपये के सिक्कों और छोटे सिक्कों का संचलन, अर्थात् जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	सी.I.2 रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों का संचलन, अर्थात् जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	इसमें रुपया सिक्के और छोटे सिक्के समाविष्ट होते हैं । अक्तूबर 1969 से जारी दस रुपये के सिक्के, नवंबर

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
			1982 से जारी दो-रुपये के सिक्के और नवंबर 1985 से जारी पाँच रुपये के सिक्के रुपया सिक्कों के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं। पाकिस्तान से लौटे भारतीय नोटों को घटाकर।
सी.I.3 पाकिस्तान द्वारा लौटायी गयी मुद्रा	सी.I.3 पाकिस्तान द्वारा लौटायी गयी मुद्रा		
सी.I.4 बैंकों, अर्थात् वाणिज्यिक बैंक और राज्य सहकारी बैंकों के पास हाथ में नकदी	सी.I.4 बैंकिंग प्रणाली अर्थात् वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंकों के पास हाथ में नकदी	सी.I.3 बैंकिंग प्रणाली के पास हाथ में नकदी	एफडब्लूजी ने केवल वाणिज्यिक और राज्य सहकारी बैंकों पर विचार किया जबकि एसडब्लूजी ने इसकी व्याप्ति मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों तक विस्तारित की, जिसमें शहरी सहकारी बैंक और वेतन अर्जक समितियाँ होती हैं।
सी.I.5 कोषागारों में रखे केंद्र और राज्य सरकारों के जमाशेष			अगस्त 1967 से कोषागारों में रखे जमाशेषों को उनकी अत्यल्प राशि को ध्यान में रखते हुए माप में शामिल नहीं किया गया।
सी.II. बैंकों के पास सकल जमाराशियाँ (सी.II.1+सी.II.2)	*सी.II. बैंकिंग प्रणाली के पास सकल जमाराशियाँ (सी.II.1+सी.II.2)*	*सी.II. बैंकिंग प्रणाली के पास निवासियों द्वारा रखी गयी सकल जमाराशियाँ (सी.II.1+सी.II.2-सी.II.2.2.1-सी.II.2.3.1)*	मध्यवर्ती और शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किये जाने से एसडब्लूजी ने बैंकिंग प्रणाली के पास अंतर-बैंक जमाराशियों को निवल गैर-मौद्रिक देयताओं (अर्थात् अन्य मदें (निवल)) के भाग के रूप में माना जैसाकि मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस): एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन द्वारा परिभाषित किया गया था। डब्लूजीएमएस ने सिफारिश की कि सकल जमाराशियों को निवासी आधार पर होना चाहिए, जिसके द्वारा अनिवासियों द्वारा धारित प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियाँ, उदाहरणार्थ एफसीएनआर(बी) जमाराशियाँ मुद्रा आपूर्ति में शामिल नहीं की जाती हैं।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
सी.II.1 बैंकों के पास मांग जमाराशि (जिसमें राज्य सहकारी बैंकों के पास अंतर-बैंक मांग जमाराशि शामिल है)	सी.II.1 बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाराशियाँ	सी.II.1 बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाराशियाँ	
सी.II.2 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ (जिसमें राज्य सहकारी बैंकों के पास अंतर-बैंक मीयादी जमाराशि शामिल है)	सी.II.2 बैंकिंग प्रणाली के पास मीयादी जमाराशि	सी.II.2 बैंकिंग प्रणाली के पास निवासियों द्वारा रखी गयी मीयादी जमाराशियाँ (सी.II.2.1 +सी.II.2.2+ सी.II.2.3) सी.II.2.1 जमा प्रमाणपत्र (सीडी) सी.II.2.2 अल्पावधि[1] मीयादी जमाराशियाँ सी.II.2.2.1 विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय अल्पावधि[1] मीयादी जमाराशियाँ, जो अनिवासियों द्वारा रखी गयी हैं सी.II.2.3 दीर्घावधि[2] मीयादी जमाराशियाँ सी.II.2.3.1 विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय दीर्घावधि[2] मीयादी जमाराशियाँ, जो अनिवासियों द्वारा रखी गयी हैं सी.II.3 बचत खाते सी.II.3.1 बचत खातों का मीयादी देयताओं वाला हिस्सा	डब्लूजीएमएस ने एक वर्ष पर विभाजित परिपक्वता संरचना के आधार पर मीयादी जमाराशियों का सीडी और अन्य मीयादी जमाराशियों में विश्लेषित विवरण दिये जाने की सिफारिश की।
सी.III भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ (सी.III.1-सी.III.2)	*सी.III भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ (सी.III.1-सी.III.2-सी.III.3-सी.III.4-सी.III.5)*	*सी.III भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ (सी.III.1-सी.III.2-सी.III.3-सी.III.4-सी.III.5)*	
सी.III.1 भा.रि.बैंक के पास अन्य जमाराशियाँ	सी.III.1 भा.रि.बैंक के पास अन्य जमाराशियाँ	सी.III.1 भा.रि.बैंक के पास अन्य जमाराशियाँ	
सी.III.2 भा.रि.बैंक के पास खाता सं.1* में आईएमएफ जमाराशियाँ	सी.III.2 भा.रि.बैंक के पास खाता सं.1* में आईएमएफ जमाराशियाँ	सी.III.2 भा.रि.बैंक के पास खाता सं.1* में आईएमएफ जमाराशियाँ	
	सी.III.3 भा.रि.बैंक कर्मचारी पेंशन/भविष्य/ सहकारी गारंटी निधियाँ	सी.III.3 भा.रि.बैंक कर्मचारी पेंशन/भविष्य/सहकारी गारंटी निधियाँ	रिज़र्व बैंक कर्मचारी पेंशन/भविष्य/ और सहकारी गारंटी निधियों के अंतर्गत जमाशेषों को जनवरी 1964 से मुद्रा आपूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है ।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	सी.III.4 भा.रि.बैंक के पास अनिवार्य जमा	सी.III.4 भा.रि.बैंक के पास अनिवार्य जमा	अतिरिक्त परिलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम 1974 और अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम के अंतर्गत जमाशेषों को क्रमशः 16 अगस्त 1974 और 13 दिसंबर 1974 से मुद्रा आपूर्ति में शामिल नहीं किया गया।
	सी.III.5 भा.रि.बैंक के लाभ, जिन्हें अस्थायी रूप से अन्य जमाराशियों के अंतर्गत रखा जाता है और आबंटन होने तक राज्य सरकार के ऋणों में अभिदान	सी.III.5 भा.रि.बैंक के लाभ, जिन्हें अस्थायी रूप से अन्य जमाराशियों के अंतर्गत रखा जाता है और आबंटन होने तक राज्य सरकार के ऋणों में अभिदान	
	सी.IV डाकघर की कुल जमाराशियाँ सी.IV.1 डाकघर की बचत जमाराशियाँ	सी.IV डाकघर की कुल जमाराशियाँ सी.IV.1 डाकघर की बचत जमाराशियाँ	डाकघर की जमाराशियों को एसडब्लूजी द्वारा मौद्रिक समुच्चयों में शामिल किया गया । डब्लूजीएमएस ने सिफारिश की कि इन्हें चलनिधि समुच्चयों का भाग होना चाहिए ।
		सी.V अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंकेतर स्रोतों (पीडी को छोड़कर) से मांग/मीयादी मुद्रा उधार	उधार द्योतक होते हैं बैंकिंग प्रणाली के बाहर से प्राप्त मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि के, लेकिन इसमें भा.रि.बैंक और वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वित्त शामिल नहीं होते हैं।
सी.IV जनता के पास मुद्रा आपूर्ति (=सी.I+सी.II.1+ सी.III)	सी.V संकुचित मुद्रा ($एम_1$) (=सी.I+सी.II.1+ सी.III)	सी.VI संकुचित मुद्रा ($एम_1$) (=सी.I+सी.II.1+ सी.III)	एम 1 शृंखला में एक भंग है, जो बचत खातों के मांग और मीयादी घटकों के पुनः वर्गीकरण के चलते हुआ है, देखें, परिपत्र डीबीओडी.सं.आरईएफ. बीसी.127/सी.96(आरईटी) - 77 दिनांक 15 अक्तूबर 1977

*** आईएमएफ खाता सं.1**

आईएमएफ किसी सदस्य के साथ अपना वित्तीय लेनदेन राजकोषीय अभिकरण और सदस्य द्वारा नामित निक्षेपागार के माध्यम से संचालित करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को अपने केंद्रीय बैंक को निक्षेपागार के रूप में नामित करना होता है, जो सदस्य की मुद्रा को आईएमएफ द्वारा धारित रखने का काम करता है , अथवा यदि इसका कोई केंद्रीय बैंक नहीं हो, तो किसी मौद्रिक अभिकरण या वाणिज्यिक बैंक को नामित करना होता है, जो आईएमएफ को स्वीकार्य हो। अधिकांश सदस्यों ने अपने-अपने केंद्रीय बैंकों को निक्षेपागार और वित्तीय अभिकरण, दोनों ही रूपों में नामित किया है । निक्षेपागार बिना किसी सेवा शुल्क या कमीशन के दो खाते रखता है, जिनका उपयोग सदस्य की मुद्रा को आईएमएफ द्वारा धारित रखने को अभिलिखित करने के लिए किया जाता है। ये खाते हैं आईएमएफ खाता सं.1 और खाता सं.2। खाता सं.1 का उपयोग आईएमएफ लेनदेनों के लिए किया जाता है, जिनमें अभिदान भुगतान, क्रय और पुनर्क्रय और आईएमएफ द्वारा उधार लिये गये संसाधनों के पुनर्भुगतान शामिल होते हैं ।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	सी.VI.एम$_2$ (=सी.V+सी.IV.1)	सी.VII.एम$_2$ (=सी.VI+सी.II.2.1+सी.II.2.2-सी.II.2.2.1 +सी.II.3.1)	
सी.V. सकल मौद्रिक संसाधन (=सी.IV+सी.II.2)	सी.VII व्यापक मुद्रा (एम$_3$) (=सी.V+सी.II.2)	सी.VIII व्यापक मुद्रा (एम$_3$) (=सी.VII+सी.II.2.3-सी.II.2.3.1+सी.V)	एफडब्लूजी द्वारा प्रस्तावित सकल मौद्रिक संसाधनों के संबंध में आँकड़े पहली बार बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1964-65 में और मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट 1967-68 में प्रकाशित किये गये।
	सी.VIII.एम$_4$(=सी.IV+सी.VII.)		
		सी.IX.एल$_1$(=सी.IV+सीVIII)	
		सी.X. वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाराशियाँ सी.XI. वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र सी.XII. वित्तीय संस्थाओं द्वारा मीयादी उधार सी.XIII. एल$_2$ (=सी.IX+सी.X+सी.XI+सी.XII)	इसमें आइडीबीआइ, आइसीआइसीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, एक्जिम बैंक, टीएफसीआइ, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी शामिल हैं।
		सी.XIV. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जनता से जमाराशियाँ	इसमें वे एनबीएफसी शामिल हैं, जिनके पास जनता की जमाराशि 20 करोड़ रुपये या अधिक हो।
		सी.XV.एल$_3$(=सी.XIII+सी.XIV)	
स्रोत(एस)			
एस I. सरकारी क्षेत्र को निवल बैंक ऋण (=एस I.1+एस I.2)	*एस I. सरकारी क्षेत्र को निवल बैंक ऋण (=एस I.1+एस I.2)*	*एस I. सरकार को निवल बैंक ऋण (=एस I.1+एस I.2)*	
एस I.1 सरकारी क्षेत्र को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1+एस I.1.2+एस I.1.3+ एस I.1.4+एस I.1.5+ एस I.1.6+ एस I.1.7+ एस I.1.8)	एस I.1 सरकारी क्षेत्र को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1+एस I.1.2)	सरकारी क्षेत्र को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1 +एस I.1.2)	
	एस I.1.1 केंद्र सरकार को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1.1+ एस I.1.1.2 + एस I.1.1.3 +	एस I.1.1 केंद्र सरकार को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1.1+ एस	

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	एस I.1.1.4+ एस I.1.1.5 - एस I.1.1.6)	I.1.1.2+एसI.1.1.3+एसI.1.1.4+ एस I.1.1.5- एस I.1.1.6)	
एस I.1.1 केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	एस I.1.1.1 केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	एस I.1.1.1 केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	
एस I.1.2 खरीदे और भुनाये गये बिल	एस I.1.1.2 खरीदे और भुनाये गये बिल	एस I.1.1.2 खरीदे और भुनाये गये बिल	
एस I.1.3 खजाना बिलों में निवेश	एस I.1.1.3 खजाना बिलों में निवेश	एस I.1.1.3 अल्पावधि[1] केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में निवेश	
एस I.1.4 भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	एस I.1.1.4 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	एस I.1.1.4 दीर्घावधि[2] केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में निवेश	
एस I.1.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया सिक्के	एस I.1.1.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया सिक्के	एस I.1.1.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया सिक्के	
एस I.1.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशि	एस I.1.1.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशि	एस I.1.1.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशि	
	एस I.1.2 राज्य सरकार को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.2.1 - एस I.2.2)	एस I.1.2 राज्य सरकार को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.2.1 - एस I.1.2.2)	
एस I.1.7 राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	एस I.1.2.1 राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	एस I.1.2.1 राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	
एस I.1.8 राज्य सरकारों की जमाराशियाँ	एस I.1.2.2 राज्य सरकारों की जमाराशियाँ	एस I.1.2.2 राज्य सरकारों की जमाराशियाँ	
एस I.2. सरकार को अन्य बैंकों का ऋण (एस I.2.1+एस I.2.2)	एस I.2. सरकार को अन्य बैंकों का ऋण (=एस I.2.1)	एस I.2. बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (एस I.2.1+एस I.2.2)	
एस I.2.1 सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य बैंकों के निवेश	एस I.2.1 सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य बैंकों के निवेश	एस I.2.1 अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकिंग प्रणाली द्वारा निवेश एस I.2.2 दीर्घावधि[2] सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकिंग प्रणाली द्वारा निवेश	खजाना बिलों का मूल्यन रखाव लागत पर किया जाना है

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
एस I.2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ, जिन्हें कोषागारों में जमाशेषों के लिए समायोजित किया गया			जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताओं को अक्तूबर 1962 में मुद्रा स्टॉक के स्वतंत्र स्रोत के रूप में निकाला गया।
एस.II निजी क्षेत्र को कुल बैंक ऋण (एस.II.1+एस.II.2)	एस.II वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल बैंक ऋण (एस.II.1+ एस.II.2)	एस.II वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (एस.II.1+एस.II.2)	'निजी क्षेत्र' नाम बदलकर 1970 में 'वाणिज्यिक क्षेत्र' कर दिया गया, क्योंकि बैंक ऋण में सरकारी क्षेत्र में भी वाणिज्यिक/ विनिर्माण उद्यमों को दिया गया ऋण शामिल किया जाता था।
एस.II.1 निजी क्षेत्र को आरबीआइ ऋण (एस.II.1.1+ एस.II.1.2)	एस.II.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआइ ऋण (एस.II.1.1+ एस.II.1.2+एस.II.1.3)	एस.II.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआइ ऋण (एस.II.1.1+ एस.II.1.2+एस.II.1.3)	
एस.II.1.1 वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों, सहकारी क्षेत्र के साधारण डिबेंचरों, केंद्रीय भूमि बंधक बैंक (सीएलएमबी) डिबेंचरों, आदि में आरबीआइ के निवेश	एस.II.1.1 वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों, सहकारी क्षेत्र के साधारण डिबेंचरों, केंद्रीय भूमि बंधक बैंक (सीएलएमबी) डिबेंचरों, आदि में आरबीआइ के निवेश	एस.II.1.1 वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों, सहकारी क्षेत्र के साधारण डिबेंचरों, केंद्रीय भूमि बंधक बैंक (सीएलएमबी) डिबेंचरों, आदि में आरबीआइ के निवेश	
एस.II.1.2 वित्तीय संस्थाओं को ऋण	एस.II.1.2 वित्तीय संस्थाओं को ऋण	एस.II.1.2 वित्तीय संस्थाओं को ऋण	12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक की कुछ आस्तियाँ और देयताएँ नाबार्ड को अंतरित कर दी गईं, जिससे यह आवश्यक हो गया कि उस तिथि से मुद्रा स्टॉक के स्रोत पक्ष के संबंध में सकल राशियों का पुनः वर्गीकरण किया जाये । डब्लूजीएमएस ने सिफारिश की कि नाबार्ड को आरबीआइ का पुनर्वित्त वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाये, जबकि अब तक इसे बैंकों पर दावे के रूप में माना जाता था ।
	एस.II.1.3 आंतरिक बिल (बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत)	एस.II.1.3 आंतरिक बिल (बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत)	बिल पुनर्भुनाई योजना आरंभ किये जाने से वाणिज्यिक बैंकों ने आंतरिक बिलों को आरबीआइ में भुनाना।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
			आरंभ किया, और इन्हें जून 1971 से वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआइ ऋण में शामिल किया गया ।
एस.II.2 निजी क्षेत्र को अन्य बैंकों का निवल ऋण (एस.II.2.1+ एस.II.2.2-एस.II.2.3- एस.II.2.4- एस.II.2.5)	एस.II.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों का निवल ऋण (एस.II.2.1+ एस.II.2.2)	एस.II.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकिंग प्रणाली द्वारा ऋण (एस.II.2.1+ एस.II.2.2+एस.II.2.3+एस.II.2.4)	
एस.II.2.1 बैंक ऋण	एस.II.2.1 बैंक ऋण	एस.II.2.1 बैंक ऋण	इसमें एससीबी, आरआरबी के ऋण, कैश क्रेडिट ओर ओवरड्राफ्ट तथा खरीदे एवं भुनाये गये आंतरिक एवं विदेशी बिल शामिल हैं।
एस.II.2.2 अन्य निवेश	एस.II.2.2 अन्य निवेश	एस.II.2.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	
		एस.II.2.3 अन्य निवेश	उन प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है, जो सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने के लिए अनुमोदित नहीं हैं, जैसेकि वाणिज्यिक पत्र, यूटीआई और म्युचुअल फंडों की यूनिटें तथा सरकारी और निजी बैंकेतर क्षेत्र के शेयर/डिबेंचर/बांड।
एस.II.2.3 निवल अंतर-बैंक देयताएँ			चूँकि मुद्रा आपूर्ति में मध्यवर्ती और प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए आँकड़े शामिल नहीं किये गये, एफडब्लूजी ने बैंक ऋण को निवल अंतर-बैंक देयताओं के लिए समायोजित किया था । तथापि, इनको एसडब्लूजी द्वारा सहकारी क्षेत्र की पूरी व्याप्ति में विस्तार पर निवल गैर -मौद्रिक देयताओं के भाग के रूप में माना गया।
एस.II.2.4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण			एफडब्लूजी ने उन चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं से, जो आरबीआइ से पुनर्वित्त प्राप्त करती थीं,ऋण पर बैंक ऋण को समायोजित किया था, जिसे वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआइ

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
			ऋण के रूप में गिना जाता था । एसडब्लूजी ने इस समायोजन को बंद कर दिया, क्योंकि यह तर्क दिया गया कि ये वित्तीय संस्थाएँ आरबीआइ से भिन्न स्रोतों के पास भी निधियों के लिए काफी पहुँच रखती थीं।
		एस.II.2.4 प्राथमिक व्यापारियों को निवल उधार दिया जाना	वर्तमान रिपोर्टिंग फार्मेट के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राथमिक व्यापारियों को निवल उधार दिया जाना, जो प्राथमिक व्यापारियों से उनके मांग उधार को घटाकर होता है, निवल अंतर-बैंक आस्तियों का भाग होते हैं । तथापि, चूँकि मौद्रिक आपूर्ति में बैंकिंग क्षेत्र प्राथमिक व्यापारियों को शामिल नहीं करता है, इसे डब्लूजीएमएस द्वारा बैंकिंग प्रणाली से ऋण के भाग के रूप में शामिल किया गया।
एस.II.2.5 बैंकों द्वारा धारित मीयादी जमाराशियाँ (जिनमें राज्य सहकारी बैंकों द्वारा धारित अंतर बैंक मीयादी जमाराशियाँ शामिल हैं)			यह समायोजन करना आवश्यक समझा गया, क्योंकि एफडब्लूजी की चिंता एम1 को लेकर थी ।निवल आधार पर वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण से संबंधित आँकड़े मार्च 1974 से सकल आधार पर बदल दिये गये, चूँकि (i) मीयादी जमाराशियों का उपयोग न केवल वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण का वित्तपोषण करने के लिए किया जाता है, वरन् सरकार को उधार देने के लिए भी किया जाता है और (ii) ये उन वाणिज्यिक उद्यमों के स्वामित्व में नहीं होते हैं, जो अधिकतर बैंकों से उधार लेते हैं।
एस.III बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एसIII.1+ एसIII.2)	एस.III बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एसIII.1+ एसIII.2)	एस.III बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एसIII.1+ एसIII.2)	
एस.III.1 आरबीआइ की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (स.III.1.1+ एस.III.1.2+ एस.III.1.3- एस.III.1.4- एस.III.1.5)	एस.III.1 आरबीआइ की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (स.III.1.1+ एस.III.1.2+ एस.III.1.3- एस.III.1.4- एस.III.1.5)	एस.III.1 आरबीआइ की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (स.III.1.1+ एस.III.1.2- एस.III.1.3+ एस.III.1.4)	

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
एस.III.1.1 सोने के सिक्के और बुलियन	एस.III.1.1 सोने के सिक्के और बुलियन	एस.III.1,1 सोने के सिक्के और बुलियन	इसमें 17 अक्तूबर 1990 से अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के चलते पुनर्मूल्यन किये जाने से सोने का मूल्यन किया जाना शामिल है। ऐसे पुनर्मूल्यन का तदनुकूल प्रभाव रिज़र्व बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताओं (पूँजी लेखा) पर पड़ता है ।
		एस.III.1.2 आरबीआइ की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एस. III. 1.2.1 + एस. III.1.2.2)	जुलाई 1996 से विदेशी मुद्रा आस्तियों का मूल्य प्रत्येक सप्ताह के अंत में प्रचलित विनिमय दर के आधार पर लगाया जा रहा है । ऐसे पुनर्मूल्यन का तदनुकूल प्रभाव रिज़र्व बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताओं (पूँजी लेखा) पर पड़ता है ।
एस.III.1.2 विदेशी प्रतिभूतियाँ	एस.III.1.2 विदेशी प्रतिभूतियाँ	एस.III.1.2 विदेशी प्रतिभूतियाँ	एसडब्ल्यूजी द्वारा आइबीआरडी के शेयरों जैसी कुछ विदेशी प्रतिभूतियाँ, जो सरकार पर रिज़र्व बैंक के दावों का भाग थीं, उसकी विदेशी आस्तियों के भाग के रुप में पुनर्वर्गीकृत की गईं।
एस.III.1.3 विदेश में धारित जमाशेष	एस.III.1.3 विदेश में धारित जमाशेष	एस.III.1.2.2 विदेश में धारित जमाशेष	
एस.III.1.4 आइएमएफ खाता सं.1	एस.III.1.4 आइएमएफ खाता सं.1	एस.III.1.3 आइएमएफ खाता सं.1	
एस.III.1.5 आरबीआइ की अन्य जमाराशियों के अंतर्गत धारित, यदि हो, खाड़ी के देशों से आहरित विशेष मुद्रा	एस.III1.5 रुपयों में कोटा अभिदान	एस.III.4 रुपयों में कोटा अभिदान	
एस.III.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	एस.III.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (प्राधिकृत व्यापारियों के जमाशेष)	एस.III.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एस.III.2.1-एस.III.2.2-एस.III.2.3)	
		एस.III.2.1 बैंकिंग प्रणाली की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	इसमें विदेश में धारित जमाशेष (अर्थात्, नोस्त्रो खातों का नकदी घटक, आदि) और पात्र विदेशी प्रतिभूतियों एवं बांडों में निवेश शामिल है।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
		एस.III.2.2 बैंकिंग प्रणाली का समुद्रपार उधार	
		एस.III.2.3 बैंकिंग प्रणाली के पास अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियाँ (सी.II.2.2.1+ सी.II.2.3.1)	
	एस.IV जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	एस.IV जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	समायोजन के लिए लंबित पाकिस्तान से लौटायी गयी भारतीय मुद्रा को घटाकर।
एस.IV बैंकिंग प्रणाली की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (एस.IV.1+ एस.IV.2)	एस.V बैंकिंग प्रणाली की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (एस.V.1+ एस.V.2)	एस.V बैंकिंग क्षेत्र का पूँजीगत लेखा (एस.V.1+ एस.VI.2)	डब्लूजीएमएस ने बैंकिंग क्षेत्र की गैर मौद्रिक देयताओं को पूँजीगत लेखा और अन्य मदों (निवल) में विभाजित कर दिया है।
एस.IV.1 आरबीआइ की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (एस.IV.1.1+ एस.IV.1.2+ एस.IV.1.3+ एस.IV.1.4+ एस.IV.1.5-एस.IV.1.6+ एस.IV.1.7)	एस.V.1 आरबीआइ की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (एस.V.1.1+ एस.V.1.2+ एस.V.1.3+ एस.V.1.4+ एस.V.1.5+ एस.V.1.6+ एस.V.1.7+ एस.V.1.8-एस.V.1.9)	एस.V.1 आरबीआइ का पूँजीगत लेखा (एस.V.1.1+ एस.V.1.2+ एस.V.1.3+ एस.V.1.4+ एस.V.1.5+ एस.V.1.6)	
एस.IV.1.1 चुकता पूँजी	एस.V.1.1 चुकता पूँजी	एस.V.1.1 चुकता पूँजी	
एस.IV.1.2 आरक्षित निधियाँ	एस. V.1.2 आरक्षित निधियाँ	एस.V.1.2 आरक्षित निधियाँ	
एस.IV.1.3 राष्ट्रीय कोष में अंशदान	एस.V.1.3 राष्ट्रीय कोष में अंशदान	एस.V.1.3 आकस्मिकता आरक्षित निधि	
एस.IV.1.4 देय बिल	एस.V.1.4 आरबीआइ कर्मचारी पेंशन/भविष्य/गारंटी निधि	एस.V.1.4 विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि/ करेंसी और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा	
एस.IV.1.5 अन्य देयताएँ	एस.III1.5 रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य जमा	एस.V.1.5 विदेशी मुद्रा समकरण खाता	
एस.IV.1.6 बैंकिंग विभाग में स्वर्ण को घटाकर अन्य आस्तियाँ	एस.V.1.6 देय बिल	एस.V.1.6 राष्ट्रीय कोष में अंशदान	
एस.IV.1.7 समायोजन के लिए लंबित पाकिस्तान से लौटायी गयी भारतीय मुद्रा	एस.V.1.7 अन्य देयताएँ		

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(समाप्त)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अध्युक्ति
1	2	3	4
	एस.V.1.8 आइएमएफ कोटा अभिदान और रुपयों में अन्य भुगतान, जो आइएमएफ खाता सं.1 में शामिल है एस.V.1.9 बैंकिंग विभाग में स्वर्ण को घटाकर अन्य आस्तियाँ		
		एस.V.2 बैंकिंग प्रणाली का पूँजीगत लेखा (एस.V.2.1 +एस.V.2.2) एस.V.2.1 चुकता पूँजी एस.V.2.2 आरक्षित निधियाँ	
एस.IV.2 अन्य बैंकों की गैर-अभिज्ञेय निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (अवशिष्ट)	एस.V.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (अवशिष्ट)	एस.VI बैंकिंग क्षेत्र की अन्य मदें (निवल) (एस.VI.1+ एस.VI.2) एस.VI.1 आरबीआइ की अन्य मदें (निवल)(एस.VI.1.1+ एस.VI.1.2 + एस.VI.1.3+ एस.VI.1.4-एस.VI.1.5-एस.VI.1.6-एस.VI.1.7+ एस.VI.1.8-एस.VI.1.9) एस.VI.1.1 आरबीआइ कर्मचारी पेंशन/ भविष्य/ गारंटी निधि एस.VI.1.2 आरबीआइ के पास अनिवार्य जमा की राशि एस.VI.1.3 देय बिल एस.VI.1.4 अन्य देयताएँ एस.VI.1.5 आकस्मिकता आरक्षित निधि एस.VI.1.6 विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि/ मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता एस.VI.1.7 विदेशी मुद्रा समकरण खाता एस.VI.1.8 आइएमएफ कोटा अभिदान और रुपयों में अन्य भुगतान, जिन्हें आइएमएफ खाता सं.1 में शामिल किया गया एस.VI.1.9 बैंकिंग विभाग में स्वर्ण को घटाकर अन्य आस्तियाँ एस.VI.2 बैंकिंग क्षेत्र की अन्य मदें (निवल) (अवशिष्ट)	आकस्मिकता आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि और विदेशी मुद्रा समकरण खाता को छोड़ दिया जाता है, जो अब पूँजीगत लेखा के भाग होते हैं और इसलिए समायोजित किये जाते हैं।

1. एक वर्ष या उससे कम संविदागत परिपक्वता की
2. एक वर्ष से अधिक संविदागत परिपक्वता की

स्रोत: रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई : एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन (अध्यक्ष:डॉ.वाई.वी.रेड्डी)(1998), भारतीय रिज़र्व बैंक।

संदर्भ

'भारत में मुद्रा आपूर्ति : अवधारणा, संकलन और विश्लेषण' के संबंध में द्वितीय कार्यकारी दल (अध्यक्ष : एम.एल.घोष) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई, 1977।

'मुद्रा आपूर्ति:एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलाजी ऑफ कंपाइलेशन' के संबंध में कार्यकारी दल (अध्यक्ष:वाई.वी.रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई, जून 1998 ।

2. बैंकिंग सांख्यिकी

भारत में बैंकिंग प्रणाली में समाविष्ट हैं वाणिज्यिक और सहकारी बैंक, जिनमें से वाणिज्यिक बैंक बैंकिंग प्रणाली की 90 प्रतिशत से अधिक आस्तियों के लिए जवाबदेह हैं । कुछ विदेशी बैंकों और भारतीय निजी बैंकों के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों में समाविष्ट हैं राष्ट्रीयकृत बैंक (अधिकांश इक्विटी धारण सरकार के पास), भारतीय स्टेट बैंक (अधिकांश शेयर भारतीय रिज़र्व बैंक के पास) और भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक (अधिकांश शेयर भारतीय स्टेट बैंक के पास) । ये बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भारत में सरकारी क्षेत्र (राज्य के स्वामित्व में) की बैंकिंग प्रणाली का संघटन करते हैं । सहकारी संस्थाओं सहित भारतीय बैंकिंग की एक आरेखी संरचना चित्र 2.1 में प्रस्तुत की गयी है। भारत में बैंकिंग सांख्यिकी का संकलन और प्रसार प्रमुख रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है । चूँकि आँकड़ा संग्रहण तंत्र और उसके प्रसार के मानक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के लिए बदलते रहते हैं, इसलिए यह अध्याय वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए प्रासंगिक ब्यौरे अलग से प्रस्तुत करता है । तथापि, कुछ अधिव्याप्त जानकारी होती है, जो वाणिज्यिक और सहकारी, दोनों ही प्रकार के बैंकों से संगृहीत की जाती है । तदनुसार, खंड 2.1 में वाणिज्यिक बैंक से संबंधित जानकारी दी गयी है, जबकि सहकारी बैंकों से संबंधित जानकारी खंड 2.2 में दी गयी है ।

2.1. वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में बैंकिंग सांख्यिकी

केंद्रीय बैंकिंग कार्यकलापों और देश की बैंकिंग प्रणाली के समग्र आर्थिक परिदृश्य के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक विविध प्रकार की सांविधिक और नियंत्रण (गैर-सांविधिक) विवरणियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली के संबंध में पर्याप्त जानकारी एकत्र करता है । नियंत्रण विवरणियों में बैंकिंग से संबंधित जानकारी के विविध पहलू, यथा, जमा और ऋण के क्षेत्रवार वितरण,

चित्र 2.1 : भारतीय बैंकिंग की संरचना

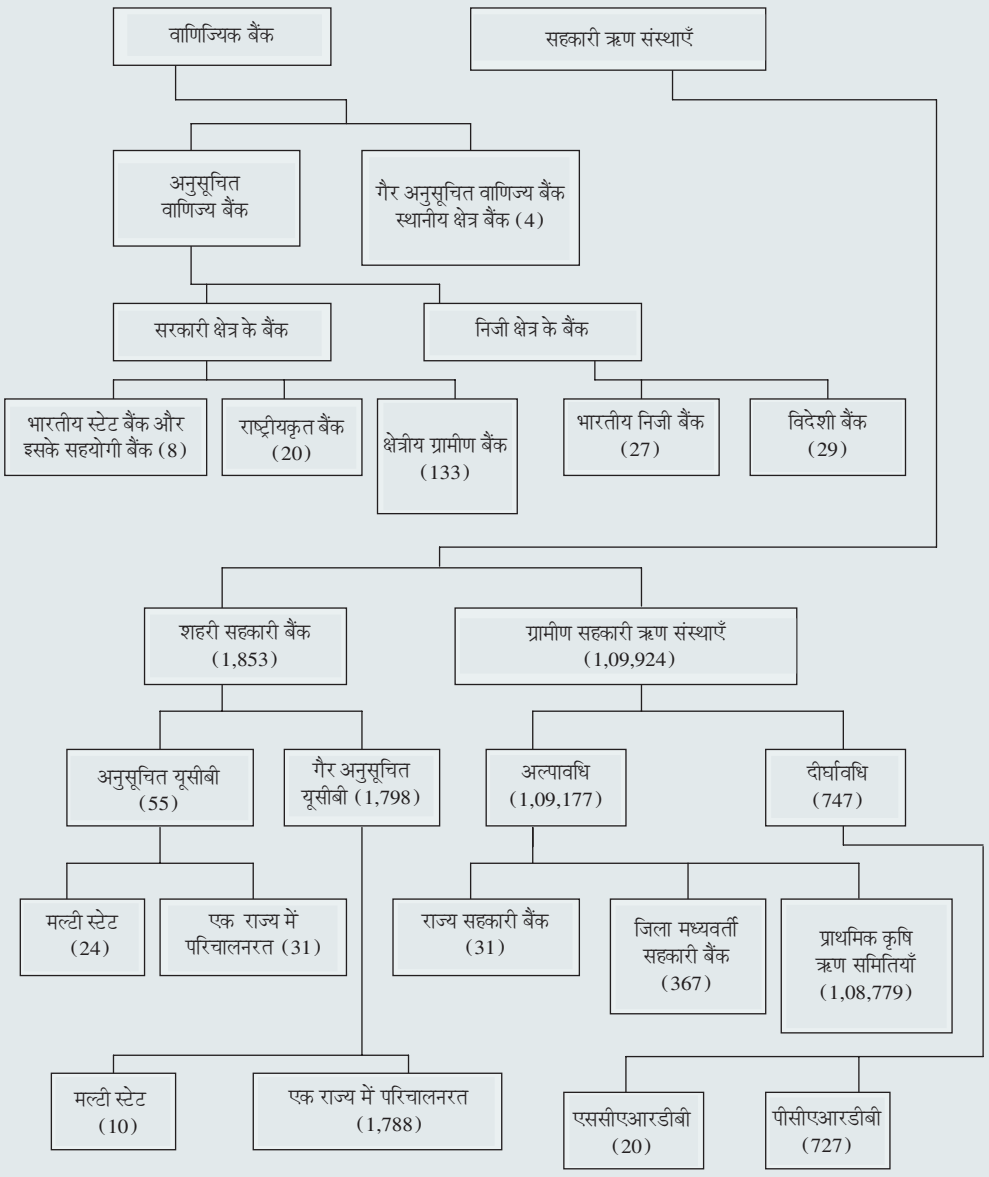

एससीएआरडी : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
यूसीबी : शहरी सहकारी बैंक
पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आँकड़े अंत-मार्च 2006 को संस्थाओं की संख्या बताते हैं । तथापि, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए यह संख्या अंत-मार्च 2005 की है ।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, आदि शामिल होते हैं । प्रत्येक पहलू को पुनः इसकी अलग सांख्यिकीय प्रणाली द्वारा परिभाषित किया जाता है । इस पृष्ठभूमि में सांविधिक विवरणियों और नियंत्रण या विशेष विवरणियों पर आधारित जानकारी अलग से प्रस्तुत की जाती है ।

2.1.1. सांविधिक विवरणियों पर आधारित सांख्यिकी

भारतीय रिज़र्व बैंक में विविध सांविधिक विवरणियों के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग मुख्यतः मौद्रिक नीति के निर्माण और नियामक निर्धारणों में किया जाता है । तथापि, केवल कुछ विवरणियों पर आधारित जानकारी जनता में प्रसारित की जाती है । उनमें से, बैंकों द्वारा दो विवरणियों/रिपोर्टों पर सांविधिक रूप से फाइल की गयी सांख्यिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, यथा, फार्म ए/बी और बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट (तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा) । इन पर नीचे चर्चा की गयी है ।

2.1.1.1. भारत में सभी अनुसूचित बैंकों के कारोबार

सांविधिक फार्म ए/बी विवरणियों पर आधारित एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ बुलेटिन) द्वारा प्रसारित किया जाता है, को ''भारत में सभी अनुसूचित बैंकों के कारोबार'' शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है । प्रत्येक अनुसूचित बैंक (वाणिज्यिक और सहकारी बैंक) को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एक पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें इसे भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अनुसार रिपोर्टिंग शुक्रवार को कारोबार समाप्ति पर भारत में अपनी आस्तियों और देयताओं की प्रमुख मदों को दर्शाना होता है । अनुसूचित बैंकों को प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार के अनुसार, यदि वह रिपोर्टिंग शुक्रवार नहीं है, एक विशेष विवरणी भी प्रस्तुत करनी होती है । यह विवरणी एक विहित प्रपत्र में, यथा, फार्म ए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए और फार्म बी अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए, प्रस्तुत की जाती है। अनंतिम आँकड़े संदर्भ तिथि के 7 दिनों के भीतर और अंतिम आँकड़े 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने होते हैं। प्रपत्र ए का फार्मेट ''मुद्रा आपूर्ति:एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलाजी ऑफ कंपाइलेशन'' के संबंध में कार्यकारी दल (अध्यक्ष:वाई.वी.रेड्डी) की सिफारिशों के आधार पर अक्तूबर 1998 में संशोधित किया गया था । वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण और अविनियमन के कारण जो आँकड़ा-अंतराल बन गया था, उसे भरने के प्रयास में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रेड्डी समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 9 अक्तूबर 1998 से इन विवरणियों की रिपोर्ट धारा 42(2) के अंतर्गत संशोधित फार्मेट में करें । संशोधित फार्मेट में शामिल है फार्म 'ए' का ज्ञापन (चुकता पूँजी, आरक्षित निधियाँ, आदि), अनुबंध 'ए' (विदेशी मुद्रा देयताओं और आस्तियों के ब्यौरे) और अनुबंध 'बी' (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के ब्यौरे)।

धारा 42(2) के अंतर्गत प्रस्तुत अनंतिम आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रकाशित किये जाते हैं तथा इन्हें आरबीआइ बुलेटिन के साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (डब्लूएसएस) में भी प्रकाशित किया जाता है । धारा 42(2) के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी के अंतिम आँकड़े प्रत्येक महीने आरबीआइ बुलेटिन में दो सारणियों, यथा, i) सभी अनुसूचित बैंक-भारत में कारोबार और ii) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक-भारत में कारोबार, में प्रकाशित किये जाते हैं ।

2.1.1.1.2. आँकड़ों के मापन की आवश्यकता

धारा 42(2) के अंतर्गत आँकड़े प्रमुख रूप से भारत में परिचालनरत अनुसूचित बैंकों द्वारा सांविधिक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के अनुपालन का अनुश्रवण करने और मुद्रा आपूर्ति संबंधी संकलन के लिए भी संगृहीत किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त इन आँकड़ों का उपयोग भारत में समग्र बैंकिंग कारोबार का अनुश्रवण करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण संकेतकों, यथा, सकल जमाराशि, बैंक ऋण, निवेश, आदि, की प्रवृत्ति शामिल होती है । इन आँकड़ों को आरबीआइ के दो सांविधिक प्रकाशनों, यथा, (i) आरबीआइ की वार्षिक रिपोर्ट और (ii) भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति के संबंध में रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है ।

2.1.1.1.3. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिज़र्व बैंक के पास एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें (i) इसकी मांग और मीयादी देयताओं की राशि और भारत में बैंकों से लिये गये उधार की राशि, जिन्हें मांग और मीयादी देयताओं में वर्गीकृत किया गया हो, (ii) इसके द्वारा भारत में धारित वैध मुद्रा नोटों और सिक्कों की कुल राशि, (iii) इसके द्वारा अन्य बैंकों के पास चालू खाता में रखे गये जमाशेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि, (iv) केंद्र और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश (बही मूल्य पर), जिसमें खजाना बिल और कोषागार जमा रसीदें शामिल हैं, (v) भारत में अग्रिमों की राशि, (vi) देशी बिल, जो भारत में खरीदे और भुनाये गये हों और विदेशी बिल, जिन्हें प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को खरीदा और भुनाया गया हो, दर्शाया जाता है और ऐसी प्रत्येक विवरणी उस तिथि से सात दिनों के भीतर भेजी जानी होती है, जिससे वह संबंधित होती है ।

प्रभावी रूप से फार्म 'ए' और फार्म 'बी' में कोई अंतर नहीं होता है, सिवाय एक मद, यथा, 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं' के अंतर्गत 'मांग और मीयादी देयताएँ' के, जिसके लिए सहकारी बैंकों के मामले में (अर्थात् फार्म 'बी' में) मांग देयताओं और मीयादी देयताओं के अलग-अलग विवरण दिये जाते हैं ।

बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं और भारत में अन्य के प्रति देयताओं की परिभाषा/ वर्गीकरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिये गये हैं ।

I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएँ
   - क) बैंकों से मांग और मीयादी जमा
   - ख) बैंकों से उधार (इसमें अंतर-बैंक उधार और अंतर-बैंक मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमा राशि, जो 14 दिनों से अनधिक के लिए हों, शामिल है) ।
   - ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएँ ।

II. भारत में अन्य के प्रति देयताएँ
   - क) कुल जमाराशियाँ (बैंकों से भिन्न)
     - i) मांग
     - ii) मीयादी
   - ख) उधार (उधार द्योतक होता है 'बैंकिंग प्रणाली' के बाहर से लिये गये कुल उधार का । इस मद में एलआइसी, यूटीआइ, आदि से प्राप्त मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल की जाती है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, एक्जिम बैंक, आदि से उधार को शामिल नहीं किया जाता है) ।
   - ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएँ ।

मांग जमाराशियों में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

(i) चालू जमाराशियाँ

(ii) बचत बैंक जमा का मांग देयताओं वाला हिस्सा

(iii) साख-पत्र/गारंटियों की जमानत पर धारित मार्जिन

(iv) अतिदेय सावधि जमा में शेष

(v) नकदी प्रमाणपत्र

(vi) संचयी/आवर्ती जमा

(vii) बकाया तार और डाक अंतरण

(viii) मांग ड्राफ्ट

(ix) दावा नहीं की गयी जमाराशि

(x) कैश क्रेडिट खाते में जमाशेष

(xi) मांग पर देय अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित जमाराशि

मीयादी जमा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

(i) सावधि जमा

(ii) नकदी प्रमाणपत्र

(iii) संचयी और आवर्ती जमा

(iv) बचत बैंक खाते का मीयादी देयताओं वाला भाग

(v) स्टाफ प्रतिभूति जमा

(vi) साख-पत्र की जमानत पर धारित मार्जिन, यदि मांग पर देय नहीं हो

(vii) अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित सावधि जमा

(viii) एलआइसी, यूटीआइ, आदि से प्राप्त राशि, जो 14 दिनों या से अधिक की सूचना पर प्रतिदेय हो।

अन्य मांग और मीयादी देयताओं में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

(i) जमाराशियों पर प्रोद्भूत ब्याज

(ii) देय बिल

(iii) अदत्त लाभांश

(iv) उचंत खाता शेष, जो अन्य बैंकों या जनता को देय राशि के द्योतक होते हैं

(v) बैंकों से भिन्न अन्य वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये सहभागिता प्रमाणपत्र

(vi) 'बैंकिंग प्रणाली' को देय अन्य राशि, जो जमा या उधार के स्वरूप की नहीं है । (ऐसी देयताएँ उन मदों के कारण हो सकती हैं, यथा (क) अन्य बैंकों की ओर से बिलों की वसूली (ख) अन्य बैंकों को देय ब्याज, इत्यादि । जब कभी समस्त 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' से 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं को अलग करना संभव नहीं होता है, तब समूचे 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' को 'अन्य' के प्रति देयताओं के रूप में माना जाता है) ।

III. बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियाँ

बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

क. बैंकिंग प्रणाली के पास चालू खाता में जमाशेष

ख. अन्य बैंकों के पास अन्य खातों में जमाशेष

ग. *मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि* : यह उन निधियों का द्योतक होता है, जो 'बैंकिंग प्रणाली' को ऐसे ऋणों या जमाराशियों के रूप में उपलब्ध करायी जाती हैं, जो मांग या 14 दिनों या कम की अल्प सूचना पर प्रतिदेय हो।

घ. *बैंकों को अग्रिम, अर्थात् बैंकों से प्राप्य:* यह 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराये गये 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' से भिन्न ऋणों का द्योतक होता है। इसमें खरीदे गये सहभागिता प्रमाणपत्र को भी शामिल किया जाता है।

ङ. *अन्य आस्तियाँ* : कोई अन्य राशि, जो 'बैंकिंग प्रणाली' से प्राप्य हो, जिसे उपर्युक्त तीन मदों में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है । उदाहरण के लिए अन्तर-बैंक प्रेषण सुविधा योजना के मामले में आज की तिथि में किसी बैंक की अन्य बैंकों के पास रखी कुल

राशि (मार्गस्थ या अन्य खाते में) को यहाँ दर्शाया जाता है, क्योंकि ऐसी रकम को 'जमाशेष' या 'मांग मुद्रा', या 'अग्रिमों' के रूप में नहीं माना जा सकता ।

IV. भारत में नकदी (अर्थात् हाथ में नकदी)

हाथ में नकदी तिजोरी धन के रूप में बैंकों द्वारा धारित नोटों और सिक्कों का द्योतक होती है । इसमें विदेशी मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है ।

V. भारत में निवेश

निवेश (अ) सरकारी प्रतिभूतियों और (आ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में कुल निवेश को इंगित करते हैं ।

अ. *सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश*

(i) केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ, जिनमें खजाना बिल शामिल हैं

(ii) कोषागार जमा रसीदें

(iii) कोषागार बचत जमा प्रमाणपत्र

(iv) डाकघर की देयताएँ, यथा, राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आदि

(v) बी.आर.ऐक्ट, 1949 की धारा 11(2) के अंतर्गत विदेशी अनुसूचित बैंकों द्वारा जमा की गयी सरकारी प्रतिभूतियाँ ।

आ. *अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश :*

(i) राज्य से संबद्ध निकायों, यथा, बिजली बोर्ड, आवास बोर्ड की प्रतिभूतियाँ और निगम बांड

(ii) भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर

(iii) यूटीआइ की यूनिटें

(iv) आरआरबी, आदि के शेयर, जिन्हें बी.आर.एक्ट, 1949 की धारा 5(क) के अंतर्गत अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है।

VI. भारत में बैंक ऋण (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)

भारत में बैंक ऋण तीन मदों, यथा, (क) ऋण, कैश क्रेडिट एवं ओवरड्राफ्ट, (ख) देशी बिल - खरीदे और भुनाये गये और (ग) विदेशी बिल - खरीदे और भुनाये गये, का जोड़ है। भारतीय रिज़र्व बैंक, आइडीबीआइ और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिलों (देशी और विदेशी) को इस शीर्ष में शामिल नहीं किया जाता है ।

क) *ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट*

(i) मांग ऋण

(ii) मीयादी ऋण

(iii) कैश क्रेडिट

(iv) ओवरड्राफ्ट

(v) पैकिंग ऋण, आदि, जो घटकों (बैंकों से भिन्न) को दिये जाते हैं

(vi) किसी अन्य प्रकार की ऋण सुविधा, जो खरीदे और भुनाये गये बिल से भिन्न हो

ख) *देशी बिल - खरीदे और भुनाये गये*

भारत में आहरित और देय देशी बिल, जिनमें खरीदे गये मांग ड्राफ्ट और चेक शामिल हैं । खरीदे और भुनाये गये बिलों के लिए अलग-अलग विश्लेषित विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

ग) *विदेशी बिल - खरीदे और भुनाये गये*

विदेशी बिलों में वे सभी प्रकार के निर्यात और आयात बिल शामिल होते हैं, जिन्हें भारत में खरीदा और भुनाया जाता है और इनमें विदेशी मुद्रा में आहरित

चेक, मांग ड्राफ्ट जिन्हें भारत में बैंकों के कार्यालय में अदा किया जाता है, शामिल होते हैं । खरीदे और भुनाये गये बिलों के लिए अलग-अलग विश्लेषित विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं ।

कोर विवरणी के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण मदों की रिपोर्ट की जाती है । इनमें शामिल होते हैं : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के प्रयोजनार्थ निवल मांग और मीयादी देयताएँ = बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयताएँ + भारत में अन्य के प्रति देयताएँ, अर्थात् (I-III) + II, यदि (I-III) धन अंक हो या केवल II, यदि (I-III) ऋण अंक हो , (ख) अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखने के लिए अपेक्षित न्यूनतम जमा की राशि और (ग) बचत बैंक खाते के अंतर्गत देयताएँ -जिन्हें पुनः मांग देयताओं और मीयादी देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

इन मदों के अतिरिक्त, फार्म 'ए' में शामिल होते हैं ज्ञापन, अनुबंध ए और अनुबंध बी। इन अतिरिक्त आँकड़ों को रिपोर्ट किया जाना मुद्रा आपूर्ति:एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन, 1998 के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार 9 अक्तूबर 1998 से आरंभ किया गया ।

VII. ज्ञापन में निम्नलिखित के संबंध में आँकड़ों की रिपोर्ट की जाती है :

क. चुकता पूँजी

ख. आरक्षित निधियाँ (मुक्त और सांविधिक आरक्षित निधियाँ, जो अंतिम तुलन पत्र के अनुसार होती हैं और अगले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के जारी किये जाने तक प्रत्येक पखवाड़े में इसकी रिपोर्ट की जाती है) ।

ग. मीयादी जमा, जिसमें बचत बैंक खाते का मीयादी देयताओं वाला भाग दिया जाता है (जिसे अल्पावधि और दीर्घावधि में विखंडित किया जाता है) ।

घ. जमा प्रमाणपत्र ।

ङ. निवल मांग और मीयादी देयताएँ

च. सीआरआर की वर्तमान दर के अनुसार बनाये रखी जाने वाली जमाराशि

छ. कोई अन्य देयता, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) और 42 (1ए) के अंतर्गत सीआरआर रखना अपेक्षित होता है।

ज. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) और 42(1ए) के अंतर्गत बनाये रखने के लिए अपेक्षित कुल सीआरआर ।

फार्म ए के अनुबंध ए में बही मूल्य पर और पुनर्मूल्यन के बाद मूल्य पर विदेशी मुद्रा में बकाया देयताओं और आस्तियों के ब्यौरे ब्याज सहित दिये जाते हैं, जैसाकि नीचे बताया गया है :

देयताएँ :

भारत में अन्य के प्रति देयताएँ

I. अनिवासी जमा

I.1 अनिवासी बाह्य रुपया खाता (एनआरई)

I.2 अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया खाता (एनआरएनआर)

I.3 विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक योजना [एफसीएनआर(बी)](I.3.1+I.3.2)

I.3.1 अल्पावधि

I.3.2 दीर्घावधि

I.4 अन्य

II. अन्य जमा/योजनाएँ

II.1 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता

II.2 निवासी विदेशी मुद्रा खाता

II.3 भारतीय निर्यातकों द्वारा एस्क्रो[1] खाता

[1] एस्क्रो खाता : एक न्यासी खाता, जो उधारकर्ता के नाम में रखा जाता है और करों, बीमा, आदि जैसे दायित्वों का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

II.4 पोतलदानपूर्व ऋण खाते के लिए विदेशी ऋण की व्यवस्था और बिलों की समुद्रपार पुनर्भुनाई

II.5 एसीयू (अमरीकी डालर) खाते में जमाशेष

II.6 अन्य

III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विदेशी मुद्रा देयताएँ

III.1 अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ

III.2 अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा उधार

IV. समुद्रपार उधारों में सभी नोस्त्रो[2] खातों में कुल अधि आहरण शामिल होते हैं और उनका समायोजन अन्य नोस्त्रो खातों में जमाशेष के लिए नहीं किया जाना चाहिए । इसमें विदेशी बाजार या प्रधान कार्यालय (विदेशी बैंकों के मामले में) से लिये गये कोई अन्य उधार शामिल होते हैं।

आस्तियाँ:

V. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियाँ

V.1 विदेशी मुद्रा में उधार देना

V.2 अन्य

VI. भारत में अन्य के पास आस्तियाँ

VI.1 भारत में विदेशी मुद्रा में बैंक ऋण

VI.2 अन्य

VII. समुद्रपार विदेशी मुद्रा आस्तियाँ : इनमें विदेशों में धारित जमाशेष, अर्थात् (i) नोस्त्रो खाते का नकदी घटक, एसीयू (अमरीकी डालर) खाते में नामे शेष और एसीयू देशों के वाणिज्यिक बैंकों में जमाशेष, (ii) अल्पावधि विदेशी जमाराशियाँ और पात्र प्रतिभूतियों में निवेश, (iii) विदेशी मुद्रा बाजार लिखत, जिसमें खजाना बिल शामिल हैं और (iv) विदेशी शेयर और बांड शामिल होते हैं ।

विविध योजनाओं के अंतर्गत विदेशी मुद्राओं में देयताओं का पुनर्मूल्यन एफईडीएआई सांकेतिक दरों पर किया जाता है । जहाँ तक ब्याज का संबंध है, बैंक सभी देयताओं के संबंध में प्रोद्भूत ब्याज की रिपोर्ट करते हैं।

VIII. विभेदक/शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन अन्य के प्रति बाह्य देयताएँ (I+II)

IX. सीआरआर निर्धारण (IV) के पूर्णतया अधीन बाह्य देयताएँ

X. निवल अंतर-बैंक देयताएँ (फार्म ए का I-III)

XI. शून्य निर्धारण के क्षेत्र के अंदर आने वाली कोई अन्य देयताएँ

XII. शून्य सीआरआर निर्धारण (VIII+X+XI) के अधीन देयताएँ

फार्म ए के अनुबंध बी में निम्नलिखित की रिपोर्ट उनके बही मूल्य पर और पुनर्मूल्यन के बाद के मूल्य पर की जाती है :

अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल होते हैं, जिन्हें अल्पावधि (एक वर्ष या कम की संविदागत परिपक्वता वाली) और दीर्घावधि (एक वर्ष से अधिक संविदागत परिपक्वता वाली) में विखंडित किया जाता है।

गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश में वाणिज्यिक पत्र, यूटीआई और अन्य म्युचुअल फंडों की यूनिटें, शेयर और डिबेंचर शामिल होते हैं।

बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेश का पुनर्मूल्यन तिमाही आधार पर करना होता है । जहाँ तक गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के पुनर्मूल्यांकन का संबंध है, उनकी रिपोर्ट तब की जाती है, जैसे और

[2] नोस्त्रो खाता : ऐसा खाता होता है, जिसे एक बैंक विदेश में किसी बैंक के पास रखता है , जो सामान्यतः विदेश की मुद्रा में होता है ।

जब बैंक वर्तमान प्रथा/अनुदेशों के अनुसार अपने निवेशों का पुनर्मूल्यन करते हैं ।

2.1.1.1.4. स्रोत और प्रणालियाँ

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से आँकड़े फार्म ए में भिन्न-भिन्न बैंक समूहों के सभी बैंकों से प्राप्त किये जाते हैं, यथा, (क) भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंक, (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक, (ग) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक, (घ) विदेशी बैंक और (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । अनुसूचित सहकारी बैंकों से आँकड़े फार्म बी के फार्मेट में उन सभी बैंकों से लिये जाते हैं, जो दो कोटियों, यथा, (क) अनुसूचित राज्य सहकारी संस्थाओँ और (ख) अनुसूचित शहरी सहकारी संस्थाओँ के अंतर्गत आते हैं ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक (आरआरबी से भिन्न) फार्म 'ए' विवरणी ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं । क्षेत्रीय गामीण बैंकों के लिए आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (ग्राआऋवि) द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के आँकड़े अंतिम फार्म 'बी' में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्रमशः ग्राआऋवि और शहरी बैंक विभाग (श.बैं.वि.) में प्राप्त किये जाते हैं । इन आँकड़ों को वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित आँकड़ों के साथ मिला दिया जाता है और सभी अनुसूचित बैंकों के लिए समेकित विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक के सांविकंसेवि द्वारा तैयार किये जाते हैं ।

2.1.1.1.5. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

इन आँकड़ों को अंतिम रूप देने के पूर्व निम्नलिखित आँकड़ा-जाँच की जाती है :

(i) किसी खास पखवाड़े के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के मामले में प्रत्येक बैंक के संबंध में एक भूल रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें विवरणी की उन सभी मदों को सूचीबद्ध किया जाता है, जिनमें पिछले रिपोर्टिंग पखवाड़े के स्तर से या तो 20% से अधिक की घट-बढ़ होती है या 5 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर होता है । इस सूची की जाँच फार्म 'ए' विवरणी की हार्ड कॉपी से की जाती है और पंचिंग में यदि भूल पायी गयी, तो उसे सुधारा जाता है ।

(ii) वाणिज्यिक बैंकों के मामले में प्रत्येक बैंक के संबंध में किसी खास पखवाड़े के लिए एक भूल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें विवरणी की उन सभी मदों को सूचीबद्ध किया जाता है, जिनमें पिछले रिपोर्टिंग पखवाड़े के स्तर से या तो 20% से अधिक की घट-बढ़ होती है या 50 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर होता है। अपेक्षित होने पर संबंधित बैंकों से स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया जाता है और भूल सुधार किये जाते हैं।

(iii) इन विवरणियों की विधिवत् जाँच सांख्यिकीय संगति के लिए भी की जाती है, जिसके लिए 3-सिगमा/5-सिगमा रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।

(iv) अंत में, अनंतिम आंकड़ों से बैंक समूह स्तर के समुच्चयों की जाँच की जाती है।

2.1.1.2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वार्षिक रिपोर्टें

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों में आँकड़ा संबंधी मदों की रिपोर्टिंग करने की वर्तमान संरचना 1992-93 से बैंकों के वार्षिक लेखों के संबंध में घोष समिति रिपोर्ट (1985) की सिफारिशों के अनुसार है । मूल मदों को प्रारंभ में विविध ब्लॉकों (जिन्हें 'अनुसूची' कहते हैं) में वर्गीकृत किया जाता है और आँकड़ों की रिपोर्टिंग सांविधिक रूप से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत की जाती है । विस्तृत बैंकवार आँकड़े, जो वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित होते हैं, 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ' में

प्रकाशित किये जाते हैं । वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा की अनसूचियों में प्रत्येक मद की अलग-अलग परिभाषा अनुबंध 2.1 में दी गयी है । इस प्रकाशन की सारणीवार प्रमुख विषय-वस्तु अनुबंध 2.2 में प्रस्तुत की गयी है । 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ' में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट जानकारी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों की परिभाषाएँ/अवधारणाएँ निम्नानुसार हैं :

क) (i) नकदी - जमा अनुपात में *नकदी* में शामिल होती है हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष ।

(ii) निवेश - जमा अनुपात में *निवेश* गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सहित कुल निवेश का द्योतक होता है ।

(iii) *निवल ब्याज मार्जिन* को कुल अर्जित ब्याज घटाव कुल अदा ब्याज के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

(iv) *मध्यस्थता लागत* को कुल परिचालन व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

(v) *वेतन बिलों* को कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए किये गये प्रावधान के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

(vi) *परिचालन लाभ* को कुल आमदनी घटाव कुल खर्च के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रावधान और आकस्मिकताएँ शामिल नहीं होती हैं, और

(vii) *भार* को कुल ब्याजेतर व्यय घटाव कुल ब्याजेतर आय के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

ख) पूँजी, आरक्षित निधियाँ, जमाराशियाँ,उधार, अग्रिम, निवेश और आस्तियों/देयताओं जैसी मदें, जिनका उपयोग विविध वित्तीय अर्जनों/व्ययों के अनुपातों की गणना करने के लिए किया जाता है, दो प्रासंगिक वर्षों का औसत होती हैं।

ग) (i) नकदी - जमा अनुपात = (हाथ में नकदी +भा.रि.बैंक में जमाशेष)/जमाराशियाँ ।

(ii) कुल अग्रिमों में प्रतिभूत अग्रिमों का अनुपात = (मूर्त आस्तियों की जमानत पर अग्रिम + बैंक या सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित अग्रिम)/अग्रिम ।

(iii) कुल आस्तियों में ब्याज-आय का अनुपात = अर्जित ब्याज/कुल आस्तियाँ ।

(iv) कुल आस्तियों में निवल ब्याज मार्जिन का अनुपात = (अर्जित ब्याज - अदा किया गया ब्याज)/कुल आस्तियाँ ।

(v) कुल आस्तियों में ब्याजेतर आय का अनुपात = अन्य आय/कुल आस्तियाँ ।

(vi) कुल आस्तियों में मध्यस्थता लागत का अनुपात = परिचालन व्यय/कुल आस्तियाँ।

(vii) मध्यस्थता लागत (परिचालन व्यय) में वेतन बिल का अनुपात = वेतन बिल/परिचालन व्यय ।

(viii) कुल व्यय में वेतन बिल का अनुपात = वेतन बिल/कुल व्यय ।

(ix) कुल आय में वेतन बिल का अनुपात = वेतन बिल/कुल आय ।

(x) कुल आस्तियों में भार का अनुपात = (परिचालन व्यय - अन्य आय)/कुल आस्तियाँ ।

(xi) ब्याज आय में भार का अनुपात = (परिचालन व्यय - अन्य आय)/ब्याज आय।

(xii) कुल आस्तियों में परिचालन लाभ का अनुपात = परिचालन लाभ/कुल आस्तियाँ ।

(xiii) किसी बैंक समूह के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ उस समूह में अलग-अलग

बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ के भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसमें भार तदनुरूपी बैंक समूह के सभी बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उस बैंक की कुल आस्तियों का समानुपाती होता है ।

(xiv) इक्विटी पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/(पूँजी + आरक्षित निधियाँ और अधिशेष) ।

(xv) जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर दिया गया ब्याज/जमाराशियाँ ।

(xvi) उधारों की लागत = भा.रि.बैंक और अन्य से उधार पर दिया गया ब्याज/उधार ।

(xvii) निधियों की लागत = जमाराशियों और उधारों पर दिया गया कुल ब्याज/(जमाराशियाँ+उधार) ।

(xviii) अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज/अग्रिम ।

(xix) निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेशों पर अर्जित ब्याज/निवेश ।

(xx) निधियों की लागत में समायोजित अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर प्रतिलाभ - निधियों की लागत ।

(xxi) निधियों की लागत में समायोजित निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेशों पर प्रतिलाभ - निधियों की लागत ।

2.1.1.2.1. स्रोत और प्रणालियाँ

तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा के आँकड़े, जो 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ' में प्रकाशित किये जाते हैं, वे बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों से लिये जाते हैं। तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा लेखापरीक्षित जानकारी पर आधारित होते हैं और इस प्रकार आँकड़ों की गुणवता स्वतः सुनिश्चित हो जाती है । आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण की सांविधिक समय-सीमा संदर्भ तिथि, अर्थात् 30 जून से 3 महीनों की होती है ।

2.1.1.2.2. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :

(i) वार्षिक रिपोर्टें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त की जाती हैं।

(ii) अपेक्षित फील्ड में डाटा प्रविष्टि की जाती है और संबंधित सारणियों के लिए अपेक्षित गणना की जाती है ।

(iii) यदि कोई विसंगति पायी जाती है , तो आँकड़ों की पुनः जाँच मूल स्रोत, अर्थात् बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों से की जाती है ।

(iv) संगति परीक्षण के लिए विविध सारणियों का प्रतिपरीक्षण किया जाता है ।

(v) आँकड़ों का पुनः मिलान पिछले वर्ष की रिपोर्ट के आँकड़ों से किया जाता है ।

2.1.2. विशेष विवरणियों पर आधारित सांख्यिकी

2.1.2.1. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) प्रणाली

बीएसआर प्रणाली बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित समिति की सिफारिशों के अनुसरण में दिसंबर 1972 से आरंभ की गयी, जिसमें इसके पूर्व यूनिफॉर्म बैलेंस बुक (यूबीबी) के नाम से ज्ञात डेटा रिपोर्टिंग प्रणाली से अनुकूलन किया गया । यूनिफॉर्म बैलेंस बुक प्रणाली की डिजाइन बैंक ऋण के क्षेत्रीय और आंचलिक प्रवाह का विस्तृत एवं अद्यतन चित्र उपस्थित करने के लिए बनायी गयी थी और इसे दिसंबर 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना के संदर्भ में लागू किया गया था । इसके दो उद्देश्य थे - सूचना का स्थिर गति से प्रवाह और शाखाओं की रिपोर्टिंग के बोझ को कम

करना । यूबीबी प्रोफार्मा प्रत्येक बैंक कार्यालय द्वारा प्रत्येक महीने प्रस्तुत किया जाना होता था और उसमें खाते के प्रकार , उधारकर्ता के प्रकार, पेशा, प्रयोजन, प्रतिभूति और लगाये गये ब्याज की दर के हिसाब से स्वीकृत ऋण सीमा और बकाया अग्रिमों के संबध में खातावार सूचना दी जाती थी । इसे नीतिगत और सूचना संबंधी प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक समझा जाता था । तथापि, यूनिफॉर्म बैलेंस बुक प्रणाली के प्रति प्रतिक्रिया और उसके माध्यम से प्राप्त आँकड़ों की परिशुद्धता को अपर्याप्त समझा जाता था । कुछ सर्वेक्षणों के बाद यह देखा गया कि शाखाओं की प्रतिक्रिया काफी उत्साहहीन है और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है । इसके अतिरिक्त, यूबीबी प्रायोगिक चरण से आगे भी नहीं गया था।

इस बीच प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने से और ऋण-पैटर्न को विविधीकृत करने की नयी नीति को निश्चित रूप दिये जाने से, ऋण विनियोजन के विविध पहलुओं के संबंध में जानकारी देने की मांग बढ़ती जा रही थी । उचित रूप से व्यापक जानकारी न्यूनतम समय सीमा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकिंग संबंधी आँकड़ों की क्रमबद्ध रिपोर्टिंग का सुनिश्चित प्रयास किया जाना आवश्यक हो गया था । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1972 में श्री ए.रमण, निदेशक, ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में 'बैंकिंग सांख्यिकी पर समिति' का गठन किया, जिसके सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों और वाणिज्यिक बैंकों से लिये गये थे । इसका कार्य था बैंकों द्वारा आँकड़ों की सांख्यिकीय रिपोर्टिंग के विविध पहलुओं की जाँच-पड़ताल करना और युक्तियुक्त कदम उठाये जाने का सुझाव देना ।

समिति ने अगस्त 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति द्वारा परिकल्पित सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रणाली का समग्र पैटर्न , जिसे मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) के रूप में नामित किया गया था और जो अपेक्षित आँकड़े स्थिर गति से प्रदान करने के लिए परिकल्पित की गयी थी, निम्नानुसार था :

1. बीएसआर 1 - अग्रिमों से संबंधित विवरणी - छमाही - जून और दिसंबर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार - सभी शाखाओं से - दो भागों में - भाग ए उन खातों के लिए, जिनकी ऋण सीमा 10000 रुपये से ऊपर हो और भाग बी उन खातों के लिए, जिनकी ऋण सीमा 10000 रुपये और उससे कम हो ।
2. बीएसआर 2 - जमाराशियों की विवरणी - छमाही - जून और दिसंबर के अंतिम शुक्रवार को - सभी शाखाओं से ।
3. बीएसआर 3 - चुनिंदा अस्थिर भाव वाली वस्तुओं की जमानत पर दिये गये अग्रिमों की विवरणी - मासिक - प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को - प्रधान कार्यालयों से ।
4. बीएसआर 4 - बैंक जमाराशियों के स्वामित्व से संबंधित विवरणी - दो वर्षों में एक बार - मार्च के अंतिम शुक्रवार को - सभी शाखाओं से (प्रधान कार्यालयों से वर्तमान वार्षिक सर्वेक्षणों के स्थान पर) ।
5. बीएसआर 5 - बैंक निवेशों के संबंध में विवरणी - वार्षिक - मार्च के अंतिम दिन - प्रधान कार्यालयों से (बैंक निवेशों के सर्वेक्षण की ही तरह)।

इसके अतिरिक्त, यह सिफारिश की गयी कि सर्वे ऑफ डेबिट्स टू डिपॉजिट्स, जो वार्षिक रूप से किया जाता था, उसे तीन वर्षों में एक बार किया जाये।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समिति की सिफारिशों को मान लिया और तदनुसार कार्यान्वयन की निम्नलिखित कार्रवाई की गयी:

1. एक ''बैंकिंग सांख्यिकी निदेश समिति (सीडीबीएस)'' भारतीय रिज़र्व बैंक में गठित की गयी,जिसे मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों का समग्र प्रभार दिया गया । इसके सदस्य भारतीय

रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से लिये गये अधिकारी और विविध बैंकों के अधिकारी थे ।

2. यूबीबी विवरणियाँ जुलाई 1972 के महीने से बंद कर दी गयी ।

3. बीएसआर प्रणाली, बीएसआर 1, 2 और 3 के साथ दिसंबर 1972 से कार्यान्वित की गयी ।

4. बीएसआर 4 विवरणी मार्च 1976 से कार्यान्वित की गयी, जो सभी शाखाओं से संगृहीत की जाती थी । मार्च 1976 सर्वेक्षण से स्वामित्व वर्गीकरण में भी परिवर्तन किया गया । बीएसआर 4 नमूना आधार पर 1978 और 1980 के लिए और जनगणना आधार पर 1982 सर्वेक्षण के लिए संगृहीत किया गया। 1984 से इसे द्विवार्षिक नमूना सर्वेक्षण बना दिया गया।

5. बीएसआर 5 विवरणी मार्च 1973 से आरंभ हुई।

6. डेबिट्स टू डिपॉजिट्स खाते का सर्वेक्षण, जो 1971-72 तक वार्षिक आधार पर किया जाता था, अगली बार 1974-75 से जनगणना आधार पर किया गया और इसे द्विवार्षिक नमूना सर्वेक्षण के रूप में 1985-86 से बीएसआर 6 के रूप में पुनर्नामित किया गया । वर्ष 2000 से यह सर्वेक्षण पंचवार्षिक कर दिया गया है ।

7. बीएसआर 7 विवरणी मूल रूप से अगस्त 1974 से सकल बैंक ऋण और सकल जमाराशियों के संबंध में शाखावार जानकारी एकत्र करने के लिए मासिक विवरणी के रूप में लागू की गयी थी। विवरणी की आवधिकता मार्च 1984 में समाप्त तिमाही से तिमाही रूप में बदल दी गयी।

8. बैंकों की संविभाग प्रबंधन योजना से संबंधित बीएसआर 8, जो पाक्षिक आधार पर प्राप्त की जाती है, 1992 में लागू की गयी। इस विवरणी को सीडीबीएस की सिफारिशों के अनुसरण में 1999 से बंद कर दिया गया।

2.1.2.1.1. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1 और 2

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) 1 और 2 बीएसआर प्रणाली का प्रमुख भाग बनती है । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋण के संबंध में व्यापक आँकड़े और बैंकों के कर्मचारियों की संख्या के संबंध में जानकारी इस समय वार्षिक सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) 1 और 2 के माध्यम से एकत्र की जाती है, जिनकी संदर्भ तिथि 31 मार्च है, और इन्हें भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों से प्राप्त किया जाता है ।

1972 से 1990 तक ये सर्वेक्षण छमाही अधार पर जून और दिसंबर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार किये जाते थे । वर्ष 1990 से ये सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर किये जाते हैं और इनकी संदर्भ तिथि होती है 31 मार्च । बीएसआर 1 और 2 विवरणियाँ भरने में मार्गदर्शन के लिए रिज़र्व बैंक ने सितंबर 1972 में पहली अनुदेश पुस्तिका का प्रकाशन किया । बीएसआर प्रणाली में सुधार के परिणामस्वरूप इस पुस्तिका को समय-समय पर संशोधित किया गया । पिछले दो वर्षों में बैंकिंग परिदृश्य की गतिविधियों के अनुसरण में और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी) , 1998 के अनुरूप, जो स्वयं अंतरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण 1990 पर आधारित है, पेशा / क्रियाकलाप के वर्गीकरण के लिए एक समान कोडिंग प्रणाली बनाये रखने के लिए मार्च 2002 सर्वेक्षण से कुछ संशोधन लागू किये गये । नवीनतम संस्करण, जो इसका छठा संस्करण है, में प्रणाली में इन संशोधनों को समाविष्ट किया गया है । जैसाकि भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि आँकड़ों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से तुलनीय बनाये रखने के लिए एक समान वर्गीकरण प्रणाली का अंगीकार किया जाये, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सांख्यिकी के लिए कूटलेखन प्रणाली के संबंध में एक अनौपचारिक दल को नियुक्त किया है, जो बैंकों में बीएसआर और तत्समान सूचना प्रणाली के लिए एनआइसी 1998 की साध्यता और अनुकूलनशीलता

की जाँच-पड़ताल करेगा । बीएसआर में नयी कार्यकलाप कूटलेखन प्रणाली इस अनौपचारिक दल की सिफारिशों पर आधारित है ।

बीएसआर 1 का संबंध सकल बैंक ऋण से होता है और इसमें मीयादी ऋण, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, खरीदे और भुनाये गये बिल, न्यू बिल मार्केट स्कीम के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिल और बैंकों से प्राप्त राशियाँ भी समाविष्ट होती हैं, जबकि बैंक ऋण के आँकड़ों में, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत दी गयी विवरणी पर आधारित होते हैं, बैंकों से प्राप्त राशि और न्यू बिल मार्केट स्कीम के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं होते हैं । बीएसआर-1 विवरणी को दो भागों में बाँटा जाता है - भाग ए और भाग बी (जिसे बीएसआर 1ए और 1बी नाम दिया जाता है)। बीएसआर 1ए में शामिल किये जाने के लिए 1972 में इसे लागू किये जाने के समय किसी खाते में ऋण की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गयी थी । वर्ष 1984 में ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गयी और मार्च 1999 सर्वेक्षण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भिन्न अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए बीएसआर 1ए विवरणी हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये कर दी गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में बीएसआर 1ए में खातों का वर्गीकरण करने के लिए ऋण की अधिकतम सीमा मार्च 2002 और उसके बाद से 2 लाख रुपये की गयी । बीएसआर 1ए में प्रत्येक उधार खाते के संबंध में जानकारी विविध लक्षणों के आधार पर एकत्र की जाती है, यथा, ऋण के उपयोग का स्थान (जिला और आबादी समूह), खाते का प्रकार, संगठन का प्रकार, पेशागत कोटि, उधार खाते का स्वरूप, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि । बीएसआर 1बी में उन खातों के संबंध में, जिनकी अलग-अलग ऋण सीमा 2 लाख रुपये तक होती है (जिन्हें लघु उधार खाता नाम दिया जाता है), व्यापक पेशागत कोटियों के लिए जानकारी समेकित रूप में प्राप्त की जाती है । बीएसआर 1बी विवरणी का दो अलग-अलग ऋण सीमा आकार समूह होता है, अर्थात्, '25,000 रुपये तक' और '25,000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक' । लघु उधार खातों के संबंध में जानकारी बीएसआर 1बी विवरणी में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) से प्राप्त की जाती है ।

बीएसआर 2 में प्रत्येक बैंक कार्यालय जमाराशियों के संबंध में जानकारी उनके चालू, बचत और मीयादी जमाराशियों के अलग-अलग विवरण के साथ देता है । महिलाओं के जमा खातों के संबंध में अलग से जानकारी दी जाती है । भिन्न-भिन्न परिपक्वता अवधियों वाली मीयादी जमाराशियों की जानकारी भी इस विवरणी में दी जाती है । इसके अतिरिक्त बीएसआर 2 स्टाफ की संख्या, जिसका वर्गीकरण लिंग और कोटि (अर्थात्, अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी) के अनुसार अलग-अलग बैंक कार्यालयों में विवरणी की संदर्भ तिथि के अनुसार दिया जाता है, के संबंध में जानकारी देता है । जमाराशियों में अंतर-बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया जाता है । चालू जमाराशियों में (i) जमाराशियाँ, जो मांग पर (बचत खाते से भिन्न) या 14 दिनों से कम की सूचना पर आहरण के अधीन होती हैं, या मीयादी जमाराशियाँ, जिनकी परिपक्वता अवधि 7 दिनों से कम होती है (ii) मांग जमाराशियाँ, जो 14 दिनों के भीतर आहरण योग्य होती हैं; (iii) दावा नहीं की गयी जमाराशियाँ; (iv) अतिदेय सावधि जमा; (v) कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट खातों में जमाशेष तथा (vi) आकस्मिकता असमायोजित खाता, यदि वे जमाराशियों के स्वरूप के हों, समाविष्ट होती हैं।, बचत जमाराशियाँ वे जमाराशियाँ होती हैं, जो बैंकों द्वारा उनके बचत बैंक जमा नियमों के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं । मीयादी जमाराशियाँ वे जमाराशियाँ होती हैं, जिनकी नियत परिपक्वता कम से कम 7 दिनों की और उससे अधिक या कम से कम 14 दिनों की नोटिस के अधीन होती है । इनमें (क) 14 दिनों की नोटिस के बाद देय जमाराशि; (ख) नकदी

प्रमाणपत्र; (ग) संचयी या आवर्ती जमा; (घ) कुरी या चिट जमाराशि और (ङ) मीयादी जमाराशियों के स्वरूप की विशेष जमाराशियाँ शामिल होती हैं । वैचारिक रूप से बीएसआर 2 में जमाराशि के आँकड़े और धारा 42(2) विवरणी में सकल जमाराशियाँ एकसमान होती हैं । तथापि, इन जमाराशियों में रिसर्जेंट इंडिया बांड्स (आरआइबी) और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (आइएमडी) की आगम राशि शामिल नहीं होती है । बीएसआर 2 में बैंक शाखाएँ मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण भी दिखाती हैं, जो व्यापक ब्याज दर सीमा और जमाराशियों के आकार के अनुसार किया जाता है । मीयादी जमाराशियों की अवशिष्ट परिपक्वता के संबंध में, जो मार्च 2003 में लागू की गयी थी, आँकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कंप्यूटरीकृत शाखाओं के संबंध में इस विवरणी के भाग V के माध्यम से संगृहीत किये जाते हैं।

2.1.2.1.1.1. आँकड़ों का प्रसार

बीएसआर 1 और बीएसआर 2 जानकारी का प्रसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित विविध प्रकाशनों के माध्यम से किया जाता है । मुख्य प्रकाशन होते हैं 'बैंकिंग सांख्यिकी-मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ' के विविध खंड, जिनका नाम बदलकर खंड 29, मार्च 2000 में 'भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ' कर दिया गया । यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी वर्ष 1996 से उपलब्ध है । वार्षिक प्रकाशन भी वर्ष 2002 से सीडी रोम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें आँकड़े एक्सेल सारणी में दिये जाते हैं । सीडी रोम पर एक विशेष प्रकाशन, जिसका शीर्षक है 'बैंकिंग सांख्यिकी : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ 1 और 2, खंड 1 से 31 : 1972 से 2002' प्रदर्शित किया गया, जिसमें एक ही स्थान पर पीडीएफ फार्मेट में तीन दशकों के आँकड़े , जो विविध खंडों में प्रकाशित किये गये थे, प्रस्तुत किये गये हैं । यह प्रकाशन भी भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है । इस प्रकाशन में भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विविध लक्षणों/मानदंडों पर ऋण और जमा के वितरण को प्रस्तुत किया गया है।

ऋण और जमा के संबंध में आँकड़े विविध लक्षणों पर सकल आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं ।

1. बैंक समूहवार - भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक (निजी क्षेत्र के बैंक)
   - ➢ राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनमें 2005 से आइडीबीआइ लि. शामिल है ।
2. स्थानिक वितरण - क्षेत्र, राज्य और जिला
   - ➢ ऋण से संबंधित आँकड़े स्वीकृति-स्थल के अनुसार और उपयोग-स्थल के अनुसार भी प्रस्तुत किये जाते हैं । ब्यौरे बीएसआर खंडों में दिये गये हैं ।
   - ➢ बीएसआर 1ए विवरणी जिला और उस स्थान के आबादी समूह की पहचान करती है, जहाँ ऋण का उपयोग किया जाता है। तथापि, बीएसआर 1बी विवरणी में ऐसी जानकारी एकत्र नहीं की जाती है । यह मान लिया जाता है कि इन खातों के संबंध में ऋण का उपयोग उसी स्थान पर किया जाता है, जहाँ इसे स्वीकृत किया जाता है।
3. आबादी समूह - ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी, मेट्रोपालिटन
   - ➢ ऋण के संबंध में आँकड़े ऋण स्वीकृति स्थल और ऋण उपयोग स्थल के अनुसार प्रस्तुत किये जाते हैं ।
4. ऋण-संबंधी आँकड़े विविध मानदंडों के आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं
   - ➢ पेशा - बीएसआर 1ए और 1बी के लिए उपलब्ध । ऋण संबंधी आँकड़े उधारकर्ता के पेशे के अनुसार प्रस्तुत किये जाते हैं।

- आँकड़ों को क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के आधार पर मिलाया जाता है ।

➢ ऋण सीमा का आकार - बीएसआर 1ए और बीएसआर 1बी, दोनों में शामिल किया जाता है ।

➢ ब्याज दर सीमा - केवल बीएसआर 1 के आँकड़े पर आधारित, जिसे 'ऋणों और अग्रिमों' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें बिल शामिल नहीं हैं ।

➢ खातों का प्रकार - केवल बीएसआर 1ए पर आधारित आँकड़े । क्रेडिट कार्डों की जमानत पर लिये गये ऋणों के आँकड़े मांग ऋण में शामिल किये जाते हैं । देशी बिलों में व्यापारिक और अन्य बिल, दोनों ही शामिल होते हैं ।

➢ संगठन - उधार खाते के धारक की संगठनात्मक कोटि केवल बीएसआर 1ए पर आधारित होती है ।

➢ लघु उद्योगों के संबंध में आँकड़े बीएसआर 1ए और बीएसआर 1बी विवरणियों, दोनों पर आधारित होते हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- 'कारीगर और ग्रामीण एवं अत्यंत लघु उद्योग', जिसमें कारीगर/शिल्पी, ग्राम/कुटीर उद्योग और अत्यंत लघु उद्योग समाविष्ट हैं ।
- अन्य लघु उद्योग।

5. जमाराशियों से संबंधित आँकड़ों का वितरण विविध लक्षणों के आधार किया जाता है

➢ जमा का प्रकार - चालू, बचत, मीयादी

➢ व्यापक स्वामित्व पैटर्न - आँकड़े व्यक्तियों (पुरुष एवं महिला) और अन्य (अंतर-बैंक को छोड़कर) के संबंध में प्रकाशित किये जाते हैं ।

➢ परिपक्वता की मूल अवधि

➢ परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि का प्रतिशत वितरण

➢ ब्याज दर समूह का प्रतिशत वितरण

➢ जमाराशियों के आकार का प्रतिशत वितरण

6. बैंकों में रोजगार - कुल और महिला (अधिकारी, लिपिक, अधीनस्थ)

बीएसआर आँकड़ों की काफी और बहुविध उपयोगिता होती है । इसकी जानकारी का उपयोग न केवल भारतीय रिज़र्व बैंक में नीति-निर्माण के लिए किया जाता है, वरन् इसका उपयोग संसद सदस्यों द्वारा पूछे गये विविध प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी किया जाता है । ये आँकड़े केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों और विभागों, यथा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, को दिये जाते हैं । राज्य सरकारों को भी इन आँकड़ों की जरूरत अपने-अपने राज्यों की प्रगति और आर्थिक विकास का अनुश्रवण करने के लिए और राज्य स्तरीय प्रकाशनों के लिए होती है । इन आँकड़ों का उपयोग व्यापक रूप से व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा भी शोध संबंधी प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

2.1.2.1.1.2.अवधारणा, परिभाषा और वर्गीकरण

बीएसआर 1 : बीएसआर 1 विवरणी का संबंध बैंक ऋण से होता है । किसी बैंक की प्रत्येक शाखा/कार्यालय को यह विवरणी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत करनी होती है । यदि 31 मार्च को अवकाश हो, तो ये आँकड़े उसके ठीक एक दिन पहले तक के होते हैं ।

इस विवरणी में रिपोर्ट किये गये बैंक ऋण में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

(क) ऋण, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट

(ख) खरीदे और भुनाये गये देशी बिल

(ग) खरीदे ओर भुनाये गये विदेशी बिल

बीएसआर 1 में रिपोर्ट की गयी उपर्युक्त मदें निम्नलिखित को हिसाब में लेती हैं -

(क) बैंकों से प्राप्य राशि, जो बैंकों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों का द्योतक होती है (जिसमें जोखिम बँटाई के बिना सहभागिता शामिल है)।

(ख) वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिल

(ग) क्रेडिट कार्डों के माध्यम से दिये गये अग्रिम

(घ) अशोध्य ऋण (बट्टे खाते नहीं डाले गये) और प्रतिवादित बिल

(ङ) जोख़िम बँटाई के साथ अंतर-बैंक सहभागिता

तथापि, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल नहीं की जाती है ।

तुलना करने पर बीएसआर 1 विवरणी में रिपोर्ट किये गये ऋण में समाविष्ट होते हैं (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत पाक्षिक विवरणी के अर्थान्तर्गत 'बैंकों से प्राप्य राशि' सहित ऋण और (ii) वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिल।

बीएसआर 1 के दो भाग होते हैं । विवरणी के भाग ए (बीएसआर 1ए) का संबंध उन खातों से होता है, जिनकी अलग-अलग ऋण सीमा 2,00,000 रुपये से अधिक होती है । इनमें से प्रत्येक खाते के संबंध में विवरण अलग से एकत्र किये जाते हैं । बीएसआर 1ए में खाते का विवरण, यथा, पार्टी का नाम, उधार देने वाले बैंक कार्यालय द्वारा पहचान के लिए दी गयी खाता संख्या, जिला और उस स्थान का आबादी समूह कूट, जहाँ ऋण का उपयोग किया जाना है, खाते का प्रकार, संगठन, पेशा, उधार खाते का स्वरूप, उधार खाते का आस्ति वर्गीकरण, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि, ऐसे प्रत्येक खाते के लिए अलग से रिकार्ड किये जाते हैं, जिसकी ऋण सीमा 2,00,000 रुपये से अधिक होती है।

बीएसआर विवरणी के भाग बी (बीएसआर 1बी) में खातावार जानकारी नहीं एकत्र की जाती है । इसमें 2,00,000 रुपये और उससे कम की अलग-अलग ऋण सीमा वाले खातों के व्यवसायवार कुल जोड़ के संबंध में समेकित जानकारी माँगी जाती है । यह जानकारी उन ऋणों के लिए अलग से दी जाती है, जिनकी अलग-अलग ऋण सीमा 25,000 रुपये या उससे कम और 25,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक होती है ।

प्रत्येक वैयक्तिक खाते के लिए 2,00,000 रुपये की अधिकतम सीमा का संबंध विवरणी की तिथि को प्रवृत्त ऋण सीमा से होता है, न कि खाते में बकाया राशि से । यदि कोई विनिर्दिष्ट ऋण सीमा स्वीकृत नहीं की जाती है, तो बकाया राशि को ही ऋण सीमा के रूप में माना जाता है ।

बीएसआर 1 (भाग ए और भाग बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग खातावार की जाती है न कि पार्टीवार । प्रत्येक खाते की ऋण सीमा का आकार ही वह कारक होता है, जो यह निश्चय करता है कि इसे बीएसआर 1ए में अलग से रिपोर्ट किया जाये या उसी व्यवसायगत कोटि के अन्य खातों के साथ बीएसआर 1बी में समेकित कर दिया जाये।

क. एकसमान शाखा कूट : भारतीय रिज़र्व बैंक के सांविकंसेवि द्वारा प्रत्येक शाखा/कार्यालय को आवंटित किये गये एकसमान शाखा कूट का उपयोग किसी शाखा की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है । इस समय शाखा कूट के दो भाग होते हैं, यथा, भाग I और भाग II और प्रत्येक भाग में सात अंक होते हैं ।

बीएसआर 1ए विवरणी में संगृहीत किसी खाते की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :

ख. *ऋण के उपयोग का स्थान :* ऋण के उपयोग के स्थान के संबंध में जानकारी दो शीर्षकों, यथा, जिला और आबादी समूह, के अंतर्गत एकत्र की जा रही है ।

(i) *जिला :* जिला कूट उस जिले को इंगित करता है, जहाँ उधारकर्ता द्वारा वास्तविक ऋण का उपयोग किया गया है या किया जायेगा।

(i) *आबादी समूह :* यह कूट ऋण के उपयोग के स्थान पर आबादी समूह की स्थिति बताता है । संबंधित कूट अनुबंध 2.3 (सूची 'ए') में दिये गये हैं । इन स्तंभों में दी गयी जानकारी राज्य और जिला/आबादी समूहवार ऋण प्रवाह को अभिनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है । किसी शाखा/कार्यालय द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग हमेशा उसी जिले/आबादी समूह और राज्य में नहीं किया जाता, जहाँ शाखा/कार्यालय स्थित है। अनेक प्रमुख शहरी और मेट्रोपालिटन शाखा में दिये गये ऋण का उपयोग अन्यत्र किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि किसी कंपनी को, जिसका प्रधान कार्यालय मुम्बई में है, पेण (रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र) में स्थित इसके कारखाने में उपयोग के लिए कोई अग्रिम दिया जाता है, तो युक्तियुक्त जिला कूट रायगढ़ होगा और चूँकि पेण की आबादी 10,000 और 1,00,000 के बीच है, इसलिए खाते के लिए अर्धशहरी क्षेत्र के लिए युक्तियुक्त आबादी समूह कूट 2 का उपयोग किया जाता है ।

हमेशा यह संभव नहीं हो सकता है कि उस जिले और आबादी समूह को इंगित किया जाये, जहाँ कतिपय अग्रिमों का उपयोग किया जाता है ; उदाहरण के लिए , किसी सरकारी निगम (जैसेकि भारतीय खाद्य निगम) या सांविधिक निकाय (जैसेकि बिजली बोर्ड) या निजी स्वामित्व वाली कंपनी को, जिनका परिचालन एक से अधिक जिले, आबादी समूह या राज्य में होता है, दिये गये अग्रिम । ऐसे मामलों में उस जिला और आबादी समूह के कूट को रिकार्ड किया जाता है, जहाँ अग्रिम के अधिकांश हिस्से का उपयोग किया जाता है । यदि इन पहलुओं की पहचान कर पाना कठिन हो, तो जिस स्थान पर शाखा स्थित है, उसके संबंध में जानकारी का उपयोग किया जाता है ।

ग. *खाते का प्रकार :* विविध प्रकार के खातों को आबंटित की गयी कूट संख्या अनुबंध 2.3 (सूची 'बी') में दी गयी है । किसी शाखा/कार्यालय की बहियों में सभी खातों को एक या दूसरे प्रकार में युक्तियुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाता है । यदि किसी पार्टी को भिन्न-भिन्न प्रकार के खातों के अंतर्गत उधार की सुविधा दी जाती है, तो प्रत्येक खाते को अलग से सूचीबद्ध किया जाता है । ऐसे खातों को एक साथ नहीं मिलाया जाता है । किसी प्रकार की सुविधा, यथा, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या मांग ऋणों के अंतर्गत पोतलदानपूर्व वित्त को पैकिंग क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य पार्टी के बिलों की पुनर्भुनाई के जरिये दिये ग़ये अग्रिमों की रिपोर्ट 'भुनाये गये बिलों' के रूप में युक्तियुक्त व्यवसाय कोटि के साथ की जाती है ।

घ. *संगठन का प्रकार :* उधारकर्ता के संगठन के प्रकार से संबंधित कूट संख्या भी रिकार्ड की जाती है। अनुबंध 2.3 (सूची 'सी') में भिन्न-भिन्न प्रकार के संगठनों को आबंटित कूट संख्या दी जाती है । संगठन कूट दो अंकों का होता है। सूची में स्वयं प्रत्येक कोटि के संगठन का संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया जाता है । कुछ और स्पष्टीकरण नीचे दिये गये हैं :

भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत सरकारी कंपनियों को ऐसी कंपनियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी प्रदत्त पूँजी का कम-से-कम 51 प्रतिशत हिस्सा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अकेले या संयुक्त रूप में रखा गया हो।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सांविधिक निगमों और उन कंपनियों को, जो सरकारी कंपनियों की सहयोगी होती हैं, भी सरकारी कंपनियों के रूप में माना जाता है। यदि किसी कंपनी का स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास 50:50 आधार पर हो, तो उसे इस विवरणी के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उपक्रम के रूप में माना जाता है । किसी राज्य सरकार या इसके विभागों को स्वीकृत ऋण, उदाहरणार्थ खाद्यान्न खरीद परिचालनों के लिए, कूट 'राज्य सरकार' (कूट 12) के रूप में कूटबद्ध किया जाता है ।

तथापि, सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न खरीद परिचालनों के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए भी दिये गये अग्रिमों का कूट 'को-ऑपरेटिव्स' (कूट 20) के रूप में लिखा जाता है । सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को संगठन कूट 20 दिया जाता है । सहकारी संस्थाओं के कार्यकलाप प्रासंगिक नहीं होते हैं। इस प्रकार, संगठन कूट 20 में सहकारी विपणन और अन्य संघ, सहकारी गृह निर्माण समितियाँ, सहकारी खुदरा बिक्री भंडार, आदि शामिल होते हैं । जहाँ सहकारी संस्था किसी सरकारी निकाय द्वारा प्रायोजित होती है, वहाँ भी सही संगठन कूट 20 होता है, न कि 14 । सहकारी समिति के कार्यकलाप (खेती, प्रसंस्करण, विपणन, व्यापार, गृह-निर्माण, आदि) अलग स्तंभ में दिये जाते हैं ।

सरकारी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का वर्गीकरण निजी कंपनी क्षेत्र (कूट 31 और 32) के रूप में किया जाता है और अन्य निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, यथा, सहभागिता, स्वामित्व प्रतिष्ठान, संयुक्त परिवार, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ संघ, क्लब, न्यास और समूहों, आदि को निजी क्षेत्र-अन्य के रूप में लिया जाता है (कूट 33, 34 और 35)। लाभरहित संस्थाओं, जो कारोबार में सहायक होती हैं, और निजी रूप से धन-प्रदत्त अर्ध कंपनी संस्थाओं को निजी कंपनी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । व्यक्तियों को दिये गये ऋण, या तो एकल या संयुक्त रूप से एक या अधिक व्यक्तियों के साथ, को कूट संख्या 41 (व्यक्ति-पुरुष) या 42 (व्यक्ति-महिला) आबंटित की जाती है, जो एकल/ प्रथम खाताधारक के लिंग पर निर्भर करती है ।

(ङ) *उधार खाते का स्वरूप :* उधार खाते का स्वरूप प्रत्येक वैयक्तिक खाते के सामने रिकार्ड किया जाता है । उधार खाते के स्वरूप से संबंधित कूट अनुबंध 2.3 (सूची 'डी') में दिये गये हैं। अत्यंत लघु उद्योगों को ग्राम और कुटीर उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । उद्योग को दिये गये ऋणों के लिए उधार खाते का स्वरूप 1 या 2 या 3 हो सकता है और अन्य सभी ऋणों के लिए यह 3 होता है ।

(च) *उधार खाते का आस्ति वर्गीकरण :* 2,00,000 रुपये की ऋण सीमा वाले प्रत्येक खाते के आस्ति वर्गीकरण के संबंध में जानकारी की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग/बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को रिपोर्ट किये जाने के लिए किसी उधार खाते को दिये गये आस्ति वर्गीकरण कूट के अनुसार की जाती है । संबंधित कूट अनुबंध 2.3 (सूची 'ई') में दी गयी है । खातों का वर्गीकरण 'मानक', 'अवमानक', 'संदिग्ध' और 'हानि' आस्तियों के रूप में किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है, जब इस स्तंभ के अंतर्गत रिपोर्ट की जाती है । आस्ति वर्गीकरण के संबंध में जानकारी आंतरिक संगति के लिए एकत्र की जाती है और इन आँकड़ों का प्रसार नहीं किया जाता है।

(छ) *कार्यकलाप/व्यवसाय :* इस स्तंभ में दी गयी जानकारी क्षेत्रवार ऋण प्रवाह को प्रदर्शित करती है। अनुबंध 2.3 (सूची 'एफ') में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवसाय या कार्यकलापों के 5 अंकीय कूट संख्याओं का सारांश प्रस्तुत किया जाता है । ब्योरे अनुबंध 2.4 में प्रस्तुत किये जाते हैं । प्रत्येक खाते के लिए उधारकर्ता के व्यवसाय या कार्यकलाप के लिए युक्तियुक्त कूट संख्या इस स्तंभ में बतायी जाती है । यदि उधारकर्ता एक से अधिक प्रकार के कार्यकलाप में लगा हो और यदि बैंक द्वारा भिन्न-भिन्न कार्यकलापों के लिए अलग-अलग सीमाएँ/उप-सीमाएँ स्वीकृत की जाती हैं, तो प्रत्येक कार्यकलाप के लिए ऋण सीमा और बकाया राशि को अलग किया जाता है और उसकी अलग से रिपोर्ट की जाती है । उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी सूती कपड़ों और रसायनों के निर्माण कार्य में लगी है और उसे बैंक द्वारा ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है, तो दोनों इकाइयों के लिए ऋण सीमा और बकाया राशि की रिपोर्ट अलग से की जाती है, यदि अलग-अलग ऋण सीमाएँ स्वीकृत की गयी हों । तथापि, यदि अलग-अलग ऋण सीमाएँ स्वीकृत नहीं की जाती हैं, तो उधारकर्ता के प्रमुख कार्यकलाप को वर्गीकरण के आधार के रूप में लिया जाता है । अधिकांश मामलों में व्यवसाय कूट का निर्धारण उधारकर्ता के कार्यकलाप के आधार पर किया जा सकता है। तथापि, उपभोग और वैयक्तिक ऋण के मामले में, यथा, आवास ऋण, शिक्षा ऋण, आदि, उपभोक्ता का कार्यकलाप स्वयं ही व्यवसाय कूट का निर्धारण नहीं कर सकता है । उदाहरण के लिए, वैयक्तिक ऋणों (कूट 94003, 94004, 94006, 94007, 94008 और 94009), आवास ऋणों (कूट 94001 और 94002), शिक्षा ऋण (कूट 94005), आदि, के मामले में । तथापि, उधारकर्ता के कार्यकलाप के आधार पर व्यवसाय कूट का निर्धारण करना उचित नहीं है । ऐसे मामलों में, जिस प्रयोजन के लिए ऋण दिया जाता है (चाहे शिक्षा, आवास या उपभोग के लिए हो) वही सही व्यवसाय कूट के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश होता है ।

(ज) *ब्याज दर*

किसी खाते के संबंध में लगाये गये ब्याज की दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष) की रिपोर्ट दो दशमलव अंकों तक की जाती है और इसमें ब्याज कर को शामिल नहीं किया जाता है।

i) जहाँ अग्रिमों पर ब्याज की खंड दर लगायी जाती है, वहाँ अग्रिम के सबसे बड़े हिस्से के लिए तदनुरूपी दर रिकार्ड की जानी चाहिए । यदि दो प्रकार की दरें लगायी जाती हैं, तो बकाया राशि के बड़े हिस्से पर लागू दर की रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

ii) देशी और विदेशी खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में, ब्याज दर स्तंभ को नहीं भरा जाता है ।

i. *ऋण सीमा :* विवरणी की तिथि को प्रवृत्त स्वीकृत ऋण सीमा को ऋण सीमा के रूप में माना जाता है। एजेंटों/प्रबंधकों और सक्षम अधिकारियों द्वारा अल्प अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्वीकृत किसी अतिरिक्त ऋण सीमा को शामिल किया जाता है, यदि वे रिपोर्टिंग के समय प्रवृत्त हों । 'आहरण सीमा', जिसे दृष्टिबंधक या गिरवी रखे गये स्टॉक के मूल्य से और निर्धारित मार्जिन जोड़ा जाता है, को ऋण सीमा के रूप में लिया जाता है ।

मीयादी ऋणों के संबंध में ऋण सीमाओं को रिकार्ड करते समय यह केवल परिचालन सीमा को दर्शाती है, अर्थात् स्वीकृत सीमा घटाव अदा किया गया मूलधन। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी को 25 लाख रुपये का मीयादी ऋण कुछ संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसे दस बराबर छमाही किस्तों में अदा किया जाना है । मान लिया कि कंपनी ने 5 लाख रुपये (अर्थात्, 2.5 लाख रुपये की दो छमाही किस्तें) अदा कर दिये हैं। इसलिए इस स्तंभ के अंतर्गत केवल सक्रिय ऋण सीमा, अर्थात् 20 लाख रुपये को दर्शाया जायेगा, न कि 25 लाख रुपये को । यदि किसी खाते की सक्रिय ऋण सीमा घटकर 2,00,000 रुपये या उससे कम रह जाती है, तो इसकी रिपोर्ट बीएसआर 1बी में समेकित ढंग से की जायेगी ।

अन्य ऋणों के मामले में, जिन्हें पूरा का पूरा आहरित नहीं किया गया है, स्वीकृत सीमा बतायी जाती है । अदत्त या अतिदेय किस्तों के लिए ऋण सीमा समायोजित नहीं की जाती है। यदि किसी उधारकर्ता को एक से अधिक खातों के लिए संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है, तो सीमा को बकाया राशि के अनुपात में विभक्त किया जाता है और संबंधित खातों के सामने दर्शाया जाता है । जहाँ कोई विनिर्दिष्ट ऋण सीमा स्वीकृत नहीं की जाती है, वहाँ बकाया राशि को ऋण सीमा माना जाता है ।

(ञ) *बकाया राशि :* प्रत्येक खाते में रिपोर्टिंग तिथि को कारोबार समाप्ति पर बकाया वास्तविक राशि (नामे), जिसे निकटतम हजार रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है, की रिपोर्ट की जाती है । यदि खाते में जमाशेष हो, तो बकाया राशि की रिपोर्ट 'शून्य' के रूप में की जाती है । जमाशेष की वास्तविक राशि की रिपोर्ट नहीं की जाती है ।

भिन्न-भिन्न लक्षणों के आधार पर मिलाये गये खातों के संबंध में बीएसआर 1बी विवरणी में एकत्र जानकारी निम्नानुसार होती है :

बीएसआर 1बी विवरणी में 2,00,000 रुपये या उससे कम की ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में जानकारी समेकित रूप में संगृहीत की जाती है । इन खातों को पुनः दो ऋण सीमा आकार समूह, उदाहरणार्थ, '25,000 रुपये या कम' और '25,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक', में वर्गीकृत किया जाता है । खातों का समूहन फार्मैट में विनिर्दिष्ट व्यवसाय कोटियों के अनुसार किया जाता है । खातों की संख्या, ऋण सीमा और बकाया राशि को इनमें से प्रत्येक व्यवसाय कोटि के लिए जोड़ा जाता है और दो ऋण सीमा आकार समूहों के लिए अलग से दिया जाता है । बीएसआर 1बी में प्रत्येक व्यवसाय का उल्लेख आइटम कोड के रूप में किया जाता है । विविध व्यवसायगत कोटियों को वर्गीकृत करने के लिए बीएसआर 1बी के फार्मैट में आइटम कोड संख्याओं को 2 अंक वाले कूट आबंटित किये गये हैं । पुस्तिका* में दी गयी एक सारणी बीएसआर 1ए व्यवसाय कूट (5 अंक) और बीएसआर 1बी आइटम कोड के बीच संबंध को दर्शाती है ।

बीएसआर 1बी में रिपोर्ट किये गये उधार खातों के आस्ति वर्गीकरण को सभी व्यवसाय कोटियों के लिए समेकित किया जाता है और आइटम कोड 81 से 84 तक के सामने प्रत्येक आकार समूह, यथा, '25000 रुपये या कम' और '25000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये

* बीएसआर 1 और 2 के संबंध में अनुदेश पुस्तिका मार्च 2002

तक' के लिए अलग-अलग रिकार्ड किया जाता है । आस्ति वर्गीकरण के संबंध में जानकारी आंतरिक संगति के लिए एकत्र की जाती है और इस आँकड़े का प्रसार नहीं किया जाता है।

बीएसआर 1बी में रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों के उधार खातों के संबंध में लिंग-वर्गीकरण से संबंधित जानकारी को आइटम कोड 86 और 87 के सामने प्रत्येक आकार समूह के लिए अलग-अलग समेकित किया जाता है । लिंग वर्गीकरण के संबंध में जानकारी सभी शाखाओं द्वारा एकसमान रूप से रिपोर्ट नहीं की जाती है और इसीलिए केवल प्रतिशत वितरण का प्रसार किया जाता है ।

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ (बीएसआर) 2 - जमाखातों का प्रकार

यह विवरणी जमाराशियों से संबंधित होती है । भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएँ/कार्यालय प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या, खातों की संख्या और जमाराशियों के प्रकार के अनुसार बकाया राशि और परिपक्वता, व्यापक ब्याज दर सीमा और जमाराशि के आकार के अनुसार मीयादी जमा के वर्गीकरण के संबंध में जानकारी देते हैं । सभी प्रशासनिक कार्यालय, आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ/कार्यालय, जिनके पास कोई जमाराशि नहीं होती है, यथा, प्रशिक्षण महाविद्यालय, अग्रणी बैंक कार्यालय, सेवा शाखाएँ, आदि इस विवरणी में रोजगार के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं, भले ही उनके पास जमाराशियाँ न हों।

क. *रोजगार संबंधी ब्यौरे*

विवरणी की तिथि को शाखा/कार्यालय के सभी स्थायी और अस्थायी पूर्णकालिक स्टाफ को शामिल किया जाता है । यह शाखा की वास्तविक कर्मचारी संख्या से संबंधित होता है, न कि स्वीकृत संख्या से। अंशकालिक और अनियत कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है । कोटिवार स्टाफ-स्थिति को रोजगार संबंधी ब्यौरे के खंड में संगृहीत किया जाता है । महिला कर्मचारियों की कोटिवार संख्या भी आइटम कोड 101 के सामने रिपोर्ट की जाती है ।

ख. *भाग I : जमाराशियों का वर्गीकरण उनके प्रकार के अनुसार*

विवरणी के इस भाग के माध्यम से प्रत्येक कार्यालय से उनकी जमाराशियों के संबंध में, जिन्हें उनके प्रकार, यथा, चालू, बचत और मीयादी जमाराशियाँ, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है । खाताधारक के लिंग के संबंध में अतिरिक्त जानकारी भी विवरणी के इस भाग में संगृहीत की जाती है । भिन्न-भिन्न प्रकार की जमाराशियों के संबंध में दो व्यापक स्वामित्व कोटियों, अर्थात् 1) व्यक्ति और 2) अन्य के अंतर्गत जानकारी संगृहीत की जाती है। व्यक्तियों में हिन्दू अविभक्त परिवार शामिल होते हैं। अनिवासी व्यक्तियों, किसानों, कारोबारियों, व्यापारियों, पेशेवर लोगों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, मजदूरी एवं वेतन अर्जकों, आदि जैसी कोटियों के संबंध में आँकड़े इस कोटि के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाते हैं । 'व्यक्ति' कोटि के अंतर्गत संयुक्त खातों के मामले में प्रथम खाताधारक का लिंग ही 'महिला' कोटि के अंतर्गत खाते का वर्गीकरण करने के लिए निर्णायक कारक होता है । अंतर-बैंक जमाराशियों को कुल जमाराशियों में शामिल नहीं किया जाता है । तीन प्रकार के जमा खातों की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी जाती है :

(1) विवरणी के इस भाग में रिपोर्ट की गयी जमाराशि का क्षेत्र-विस्तार वही होता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन प्रस्तुत पाक्षिक विवरणी में रिपोर्ट की गयी

जमाराशियों का होता है । जमाराशियों पर प्रोद्भूत और देय ब्याज को 'अन्य देयताओं' के रूप में माना जाना चाहिए और बीएसआर 2 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) बचत जमा का अर्थ होगा मांग जमा का एक रूप, जो एक जमा खाता होता है, चाहे उसे ''बचत खाता'', ''बचत बैंक खाता'', ''बचत जमा खाता'' या अन्य खाते के नाम से पुकारा जाये, जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा उनके बचत खाता नियमों के अंतर्गत अनुमत आहरणों की संख्या और आहरण की राशि पर भी प्रतिबंधों के अधीन होता है और इसमें विशेष बचत राशियाँ शामिल होंगी ।

(3) मीयादी जमा का अर्थ होगा कोई ऐसी जमाराशि, जो बैंक द्वारा एक नियत अवधि के लिए प्राप्त की जाती है और जो उक्त नियत अवधि के समाप्त होने पर ही आहरण योग्य होती है । इस समय मीयादी जमाराशियाँ ऐसी जमाराशियाँ होती हैं, जो कम से कम किसी विनिर्दिष्ट अवधि (जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है) की नियत परिपक्वता के लिए होती है । इनमें (क) अंतर-बैंक जमाराशियों सहित 14 दिनों की नोटिस के बाद देय जमाराशियाँ, (ख) नकदी प्रमाणपत्र, (ग) संचयी, आवर्ती, वार्षिकी या पुनर्निवेश जमाराशियाँ, (घ) कुरी* और चिट जमाराशियाँ, (ङ) जमा प्रमाणपत्र, (च) मीयादी जमा के स्वरूप की अनिवासी जमाराशियाँ और (छ) मीयादी जमा के स्वरूप की कोई अन्य विशेष जमाराशियाँ शामिल होंगी। इन जमाराशियों पर प्रोद्भूत और देय ब्याज 'अन्य देयताएँ' माने जाते हैं और इसलिए विवरणी के इस भाग में शामिल नहीं किये जाते हैं ।

* कुरी या चिट का अर्थ होता है ऐसा लेनदेन, जिसके द्वारा फोरमैन अनेक अभिदाताओं के साथ करार करता है । प्रत्येक अभिदाता कुछ निश्चित राशि कुछ निश्चत अवधि के लिए जमा करेगा । प्रत्येक अभिदाता अपनी बारी आने पर एक इनामी राशि पाने का हकदार होगा ।

(4) चालू खाता का अर्थ होगा मांग जमा का एक रूप, जिसमें से कितनी ही बार आहरण की अनुमति खाते में शेष के रहने या किसी खास सहमत राशि तक के लिए दी जाती है और इसमें उन जमा खातों को भी शामिल किया जायेगा, जो न तो बचत जमा और न ही मीयादी जमा खाता हैं ; इस समय चालू खाता में (क) मांग पर आहरण के अधीन जमा (बचत जमा से भिन्न) या किसी विनिर्दिष्ट अवधि (जो समय-समय पर संशोधित की जाये) से कम परिपक्वता की जमाराशि, अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि (जिसे समय - समय पर संशोधित किया जाता है) से कम सूचना की जमाराशि, (ख) मांग जमा, जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि (जो समय-समय पर संशोधित की जाये) तक आहरण योग्य होता है , (ग) दावा नहीं की गयी जमाराशियाँ, (घ) अतिदेय सावधि जमाराशियाँ, (ङ) कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट खातों में जमाशेष और (च) आकस्मिकता असमायोजित खाते, यदि जमा के स्वरूप के हों, समाविष्ट होते हैं । यह नोट किया जाना चाहिए कि बैंकों, यूटीआई, एलआइसी, आदि से 14 दिनों से अनधिक अवधि के लिए प्राप्त मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियाँ उधार के रूप में मानी जाती हैं और इस विवरणी में शामिल नहीं की जाती हैं ।

(5) स्टाफ प्रतिभूति जमा, मार्जिन जमा और स्टाफ भविष्य निधि जमा को चालू या सावधि जमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए , जो ऐसी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान पर निर्भर करेगा।

ग. *भाग II : परिपक्वता के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण*

विवरणी की तिथि को मीयादी जमा की बकाया राशियों, जिनका वर्गीकरण परिपक्वता की उस मूल अवधि

के अनुसार किया जाता है, जिसके लिए जमाकर्ताओं द्वारा शाखा में जमाराशियाँ रखी गयी हैं, के संबंध में जानकारी इस भाग में संगृहीत की जाती है।

घ. *भाग III : ब्याज दर सीमा के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण*

भाग III में, मीयादी जमा की बकाया राशियों का वर्गीकरण उस ब्याज दर के अनुसार किया जाता है, जिसके लिए जमाकर्ताओं द्वारा शाखा में जमाराशियाँ रखी गयी हैं और संदर्भ अवधि में बकाया हैं । इन जमाराशियों का भिन्न-भिन्न ब्याज दर सीमाओं के अंतर्गत समूहन किया जाता है ।

ङ *भाग IV : आकार के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण*

भाग IV में, मीयादी जमा की बकाया राशियों का वर्गीकरण उन जमाराशियों के आकार के अनुसार किया जाता है, जो जमाकर्ताओं द्वारा शाखा में रखी जाती हैं और संदर्भ अवधि में बकाया हैं। इन जमाराशियों का मूल जमाराशि के भिन्न-भिन्न आकारों के अंतर्गत समूहन किया जाता है ।

च. *भाग - V : अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)*

विवरणी की तिथि को मीयादी जमा की बकाया राशि, जिसका वर्गीकरण परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के अनुसार कया जाता है, के संबंध में जानकारी इस भाग में संगृहीत की जाती है ।

2.1.2.1.1.3. स्रोत और प्रणालियाँ

बीएसआर 1 एवं 2 विवरणियों के संबंध में आँकड़े भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रत्येक शाखा/कार्यालय से संगृहीत किये जाते हैं, चूँकि सर्वेक्षण जनगणना आधार पर किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग का बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग बीएसआर 1 और 2 आँकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रसार के लिए नोडल कार्यालय होता है । अधिकांश बैंकों द्वारा, सिवाय कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के, आँकड़े सॉफ्ट रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं । कुछ बैंकों, खासकर कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के कुछ नए बैंकों, ने अपने एमआईएस के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया है, जिसके माध्यम से बीएसआर 1 और 2 के आँकड़े सीधे तैयार किये जाते हैं । बैंकों से आँकड़े निम्नलिखित मोड में प्राप्त किये जाते हैं : कागजी विवरणी (अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से), फ्लॉपी, सीडी और ई-मेल। अधिक से अधिक बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण किये जाने और एकीकृत सॉफ्टवेयर कार्यान्वित करने तथा इंटरनेट का उपयोग बढ़ाये जाने से आँकड़े ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं ।

2.1.2.1.2 मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी -4 : जमाराशियों के स्वामित्व का सर्वेक्षण

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-4: मार्च 31 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों के स्वामित्व का सर्वेक्षण बीएसआर प्रणाली के अंतर्गत एक वार्षिक विवरणी है, जो नमूना शाखाओं से प्राप्त की जाती है, जिसका चयन वैज्ञानिक रूप से संदर्भाधीन वर्ष के लिए किया जाता है । बीएसआर-4 का आशय होता है समूहन के भिन्न-भिन्न स्तरों पर जमाराशियों के विन्यास और स्वामित्व पैटर्न के संबंध में अनुमान लगाने के उद्देश्य से जमाराशियों के विन्यास और स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करना । 1972 तक जमाराशियों के स्वामित्व का वार्षिक सर्वेक्षण इसलिए किया जाता था, ताकि बैंकों के प्रधान कार्यालय

से आँकड़े प्राप्त किये जायें । इसके स्थान पर मार्च 1976 से बीएसआर 4 विवरणी लागू की गयी, जो सभी शाखाओं से प्राप्त की जाती थी । स्वामित्व वर्गीकरण में भी मार्च 1976 सर्वेक्षण से पवितर्न किया गया । बीएसआर 4 नमूना आधार पर 1978 और 1980 के लिए और जनगणना आधार पर 1982 के लिए संगृहीत किया गया । 1984 से इसे द्विवार्षिक नमूना सर्वेक्षण बना दिया गया। यह सर्वेक्षण 1990 से वार्षिक कर दिया गया है ।

2.1.2.1.2.1 क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

इस सर्वेक्षण के माध्यम से किये गये अनुमान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के पास रखी जमाराशियों की प्रोफाइल में परिवर्तन और विन्यास एवं स्वामित्व पैटर्न में संरचनात्मक बदलाव के संबंध में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं । इनका उपयोग राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह लेखा, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत, आदि के संकलन में किया जाता है । सर्वेक्षण परिणामों के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं, सीएसओ, आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक और अन्य, उदाहरणार्थ, अनुसंधानकर्ता और अन्य ।

बीएसआर 4 सर्वेक्षण के परिणामों की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए एक लेख वर्ष में एक बार आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है । अन्य विविध प्रकाशनों में भी बीएसआर 4 सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।

2.1.2.1.2.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

मार्च 2005 के सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त नमूना डिजाइन: इस सर्वेक्षण के लिए बैंकों की शाखाओं का चयन करने के लिए एक स्तरित नमूना चयन डिजाइन का प्रयोग किया गया था । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, उस केंद्र का आबादी समूह, जहाँ बैंक शाखा स्थित थी और बैंक समूह के आधार पर देश के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) को 379 मूल स्तरों में वर्गीकृत किया गया । आबादी समूह हैं (i) ग्रामीण; (ii) अर्ध शहरी; (iii) शहरी और मेट्रोपालिटन समूह, जिन्हें पुनः दो समूहों में उप-विभाजित किया गया (iv) चार प्रमुख मेट्रोपोलिटन केंद्र (यथा, मुम्बई, दिल्ली, चेन्नै और कोलकाता) और (v) अन्य मेट्रोपालिटन केंद्र । पाँच बैंक समूह, यथा, (i) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक; (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक; (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; (iv) अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक और (v) विदेशी बैंक, को इस प्रयोजन के लिए चुना गया । यदि किसी मूल स्तर में शाखाओं की संख्या 7 या उससे कम थी, तो निश्चय के साथ उस स्तर में सभी शाखाओं को चुना गया । अपवाद के रूप में लक्षद्वीप में परिचालनरत सभी 9 शाखाओं को नमूने में शामिल किया गया, ताकि इस संघ राज्य क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये । शेष बचे मूल स्तर में प्रत्येक स्तर को पुनः 2 या 3 उप-स्तर में स्तरित किया गया, जिसके लिए स्तर में शाखाओं की कुल जमाराशियों में सीमा और जमा खातों की संख्या को ध्यान में रखा गया था। इसके प्रयोजनार्थ, प्रत्येक मूल स्तर के लिए प्रारंभिक मूल्यों का निर्धारण उक्त दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया गया ।

ऐसे मूल स्तर में, आकार श्रेणी स्तर (एससीएस) का निर्माण जमाराशियों के अवरोही क्रम में किया गया । जिन शाखाओं की सकल जमाराशि प्रारंभिक मूल्य-I से अधिक थी, उन्हें एससीएस-I में शामिल किया गया । एससीएस-II में उन शाखाओं को शामिल किया गया, जिनकी सकल जमाराशि प्रारंभिक मूल्य-I और प्रारंभिक मूल्य-II के बीच थी तथा एससीएस-III में वे सभी शाखाएं शामिल थीं, जिनकी कुल जमाराशि प्रारंभिक मूल्य II तक थी। इस प्रकार 912 आकार श्रेणी स्तर (अंतिम स्तर) का निर्माण किया गया ।

एससीएस-I के अंतर्गत शाखाओं को निश्चितता के साथ नमूने में शामिल किया गया । प्रत्येक मूल स्तर के एससीएस-II और एससीएस-III में नमूना शाखाओं का चयन वृत्ताकार क्रमबद्ध नमूना चयन द्वारा, एससीएस में शाखाओं को उनकी कुल जमाराशियों के अवरोही क्रम से व्यवस्थित करने के बाद किया गया, लेकिन शर्त यह थी कि प्रत्येक एससीएस से कम से कम 2 शाखाओं को चुना जाये। एससीएस-II के मामले में लगभग 20 से 50 प्रतिशत शाखाओं के नमूना आकार में परिवर्तन होता था (जो एससीएस के कुल आकार पर निर्भर था) । यदि यूनिटों (शाखाओं) की संख्या 200 से अधिक होती थी, तो 15 प्रतिशत शाखाओं को नमूना चयन इकाई के रूप में लिया जाता था । एससीएस-III के मामले में 10 प्रतिशत नमूने को चुना गया।

उक्त क्रियाविधि के आधार पर मार्च 2005 सर्वेक्षण के लिए 9,933 शाखाओं को चुना गया। कुल मिलाकर, 2,292 बैंक शाखाओं को निश्चितता के साथ चुना गया । शेष बची 63,778 बैंक शाखाओं में से 7,641 शाखाओं का चयन उप-स्तर एससीएस-II और एससीएस-III से उक्त नमूना चयन डिजाइन का प्रयोग करते हुए किया गया ।

जमाराशियों का वर्गीकरण चालू जमाराशि, बचत जमाराशि और मीयादी जमाराशि-जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और अन्य मीयादी जमाराशियों में किया जाता है, जबकि प्रमख आर्थिक क्षेत्र, जिसके अनुसार स्वामित्व का वर्गीकरण किया जाता है, सरकारी क्षेत्र, निजी कंपनी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र होते हैं। विस्तृत परिभाषाएँ, जैसाकि बीएसआर 4 विवरणी, मार्च 2005 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गयी हैं, निम्नलिखित हैं :

चालू जमाराशि में समाविष्ट होते हैं : (क) मांग पर आहरण के अधीन (बचत जमाराशि से भिन्न) या 15 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि (15 लाख रुपये और उससे अधिक के मामले में 7 दिन) वाली जमाराशि, (ख) मांग जमा, जो अधिक से अधिक 14 दिनों तक आहरणयोग्य हो, (ग) दावा नहीं की गयी जमाराशि, (घ) अतिदेय मीयादी जमा, (ङ) कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट खातों में जमाशेष और (च) आकस्मिकता असमायोजित खाते, यदि जमाराशि के स्वरूप के हों । 14 दिनों से अनधिक अवधि के लिए मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय अंतर-बैंक जमाराशि को अंतर-बैंक उधार के रूप में माना जाता है और इस विवरणी में शामिल नहीं किया जाता है । चालू खाते में अंतर-बैंक जमाराशियों को शामिल किया जाता है । बचत जमाराशियाँ वे जमाराशियाँ होती हैं, जो बैंकों द्वारा उनके बचत बैंक जमा नियमों के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं और इनमें विशेष बचत योजना के अंतर्गत जमाराशि शामिल होती है। मीयादी जमाराशियाँ वे जमाराशियाँ होती हैं, जो कम से कम 15 दिनों की परिपक्वता अवधि के लिए जमा की जाती हैं (15 लाख रुपये और उससे अधिक के लिए 7 दिन) । इनमें (क) 14 दिनों की नोटिस के बाद देय अंतर-बैंक जमाराशि सहित जमाराशियाँ, (ख) नकदी प्रमाणपत्र, (ग) संचयी या आवर्ती जमा, (घ) कुरी या चिट जमा और (ङ) विशेष जमा और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) भी शामिल होते हैं। इन जमाराशियों पर प्रोद्भूत लेकिन अदा नहीं किया गया ब्याज अन्य देयताओं के रूप में माना जाता है और इसलिए इस विवरणी में शामिल नहीं किया जाता है। जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के आँकड़े अलग से मीयादी जमा में शामिल किये जाते हैं । कोई भी जमाराशि, जिसे धारा 42(2) के अंतर्गत पाक्षिक/विशेष विवरणी के प्रयोजनार्थ 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' के रूप में माना जाता है, इस विवरणी में रिपोर्ट नहीं की जाती है।

इस विवरणी में वर्गीकृत क्षेत्रों की व्याप्ति सारणी 2.1 में प्रस्तुत की गयी है ।

सारणी 2.1 : बीएसआर - 4 विवरणी के अंतर्गत क्षेत्र की व्याप्ति		
प्रमुख क्षेत्र	**उपक्षेत्र**	**ब्यौरे/दृष्टांत**
1 सरकारी क्षेत्र	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार के विभाग, विभागीय उपक्रम, यथा, रेलवे, डाक एवं तार
	राज्य सरकारें	राज्य सरकार के विभाग, विभागीय उपक्रम, यथा, सड़क परिवहन उपक्रम, आदि
	स्थानीय प्राधिकरण	नगरपालिकाएँ, पंचायती राज संस्थाएँ, पत्तन न्यास
	अर्ध सरकारी निकाय	आवास बोर्ड, एसईबी, आइसीएआर, आइसीएसएसआर
	गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एसटीसी, एफसीआई, राज्य भांडागार निगम
	अन्य	
2 निजी कंपनी क्षेत्र	वित्तीय कंपनियाँ	
	आवास वित्त कंपनियाँ	एचडीएफसी, दीवान हाउसिंग फाइनैंस, आदि
	ऑटो फाइनैंस कंपनियाँ	बजाज ऑटो फाइनैंस, अशोक लेलैंड फाइनैंस, आदि
	म्युचुअल फंड - निजी क्षेत्र	कोठारी पायनियर, एपल म्युचुअल फंड, आदि
	वित्तीय सेवा कंपनियाँ	निर्गम प्रबंधन, संविभाग प्रबंधन कंपनियाँ, यथा, डीएसपी फाइनैंशियल कंसल्टैंट्स, आदि
	अन्य वित्तीय कंपनियाँ	पट्टादायी कंपनियाँ, किराया खरीद, आदि
	गैर वित्तीय कंपनियाँ	गैर सरकारी कंपनियाँ, वैसी कंपनियाँ, जिनका प्रबंधन सरकार के पास है (लेकिन जिनका स्वामित्व सरकार के पास नहीं है) और जो विनिर्माण, व्यापार, आदि कार्यकलापों में लगी हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं
	ऋणेतर सहकारी संस्थाएँ	विपणन, आवास, औद्योगिक, आदि सहकारी समितियाँ
	अन्य, जिनमें अर्ध कंपनी संस्थाएँ, यथा, बड़ी शिक्षण संस्थाएँ, जिन्हें निजी तौर पर निधियाँ दी जाती हैं, शामिल हैं।	निर्लाभ संस्थाएँ, शिक्षण संस्थाएँ, जिन्हें निजी तौर पर निधियाँ दी जाती हैं, यथा, सीआइआइ, एफआइसीसीआइ, आदि
3 वित्तीय क्षेत्र	बैंक	भारतीय वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ, जैसेकि पीएसीएस
	अन्य वित्तीय संस्थाएँ	
	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	
	म्युचुअल फंड	वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी
	बीमा कंपनियाँ	इनमें जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा, दोनों प्रकार की कंपनियाँ शामिल हैं
	मीयादी उधारदात्री संस्थाएँ	उदाहरणार्थ आइएफसीआइ, एसएफसी, एनएचबी
	भविष्य निधि संस्थाएँ	भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधियों के न्यासी, बैंक की कर्मचारी भविष्य निधि
	अन्य	

सारणी 2.1 : बीएसआर - 4 विवरणी के अंतर्गत क्षेत्र की व्याप्ति *(समाप्त)*

प्रमुख क्षेत्र	उपक्षेत्र	ब्यौरे/दृष्टांत
4 घरेलू क्षेत्र	व्यक्ति - – किसान – कारोबार, व्यापारी, व्यवसायी और स्वनियोजित – मजदूरी व वेतन अर्जक, सर्राफ, साहूकार, आदि – अन्य न्यास, एसोसिएशन, क्लब	इसमें हिन्दू अविभक्त परिवार और व्यक्तियों के संयुक्त खाते शामिल हैं
	स्वामित्व प्रतिष्ठान और भागीदारी प्रतिष्ठान	
	शिक्षण संस्थाएँ	
	धार्मिक संस्थाएँ	
	अन्य	
5 विदेशी क्षेत्र	विदेशी वाणिज्य दूतावास, राजदूतावास, व्यापारिक मिशन, सूचना सेवाएँ, आदि	
	अनिवासी	व्यक्ति और समुद्रपार कंपनियाँ, फर्में, समितियाँ, ओसीबी, ट्रस्ट, आदि, भी, जिन पर एनआरआई या पीआईओ का कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व है
	अन्य	इसमें अनिवासी बैंक भी शामिल हैं

2.1.2.1.2.3. स्रोत और प्रणालियाँ

सर्वेक्षण के लिए मूलभूत आँकड़े उन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें सर्वेक्षण के लिए नमूने में चुना जाता है । बीएसआर 4 विवरणी के लिए फार्मैट के साथ-साथ विवरणी भरने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बैंकों के रिपोर्टिंग और नियंत्रक कार्यालयों को दिये जाते हैं । बैंकों के प्रधान/नियंत्रक कार्यालय विवरणी (हार्ड कॉपी) सॉफ्ट कॉपी में आँकड़ों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं । तथापि, जो बैंक या उनकी शाखाएँ अपनी कंप्यूटर प्रणालियों से सीधे आँकड़े निकाल सकते हैं, उन्हें फाइल स्ट्रक्चर दिया जाता है, ताकि वे हमारे डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग किये बिना आँकड़े प्रस्तुत कर सकें । पुनः, कतिपय कारणों से जो बैंक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनुमति दी जाती है कि वे आँकड़ों को या तो किसी भी स्वीकार्य रूप में भेजें या केवल हार्ड कॉपी प्रस्तुत करें । इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में संसाधित किया जाता है, जिसके लिए वह अपने यहाँ विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है । आँकड़ों का संपादन परिशुद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से किया जाता है, ताकि उनकी संगति, वैधता और सत्यता की जाँच की जा सके और जहाँ जरूरी होता है, वहाँ आवश्यक सुधार किये जाते हैं ।

2.1.2.1.3. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-5 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों का सर्वेक्षण

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों का सर्वेक्षण, जो बीएसआर-5 के माध्यम से किया जाता है, भारत और विदेश में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के निवेशों की स्थिति का प्रत्येक

वर्ष मार्च के अंत में विश्लेषण करता है । निवेश संविभाग में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश, निजी क्षेत्र की कंपनियों, वित्तीय कंपनियों, बैंकों में निवेश जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत निवेशों के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किये गये हों; अन्य घरेलू प्रतिभूतियां और निवेश; विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य विदेशी निवेश शामिल होते हैं । निवेशों का विश्लेषण बैंक समूहों, यथा, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक (एसबीआई एंड एसोसिएट्स), राष्ट्रीयकृत बैंकों, अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (ओएससीबी) और विदेशी बैंकों के अनुसार और लिखतों, परिपक्वता, ब्याज दर (कूपन) और राज्यों के अनुसार किया जाता है । बीएसआर-5 विवरणी मार्च 1973 से आरंभ की गयी और इसने बैंक निवेशों के पूर्व के सर्वेक्षणों को प्रतिस्थापित किया। राज्यवार निवेशों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रोफार्मा भी संशोधित सर्वेक्षण में लागू किया गया ।

2.1.2.1.3.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

सर्वेक्षण के परिणामों से एससीबी के निवेश पैटर्न में हुए परिवर्तनों का पता चलता है और इस प्रकार वे बैंकों के निवेशों के संबंध में उनके प्रकार, परिपक्वता प्रोफाइल, ब्याज/कूपन दरों के अनुसार और राज्यों के अनुसार महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं । ऐसी जानकारी नीति-निर्माताओं, विश्लेषकों, बैंकरों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है ।

बीएसआर-5 सर्वेक्षण के परिणामों की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए एक लेख वर्ष में एक बार आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है । अन्य विविध प्रकाशनों में भी बीएसआर-5 सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

2.1.2.1.3.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

बीएसआर सर्वेक्षण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शामिल किया जाता है और बैंकों के प्रधान कार्यालय विवरणी प्रस्तुत करते हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी एससीबी के कुल निवेशों में उनके न्यून हिस्से (मार्च 2005 के अंत में लगभग 2.8 प्रतिशत) के कारण शामिल नहीं किया जाता है । इस विवरणी में बैंकों के केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, केंद्र और राज्य सरकार प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत निवेश के प्रयोजनार्थ अनुमोदित हों; अन्य घरेलू प्रतिभूतियों; विदेशी प्रतिभूतियों और अन्य विदेशी निवेशों में निवेश के संबंध में जानकारी माँगी जाती है । प्रत्येक कोटि के संबंध में बैंक अपने निवेशों की रिपोर्ट उनके अंकित मूल्य, बही मूल्य और जहाँ लागू हो, बाजार मूल्य और बाजार दर के अनुसार करते हैं । शेयरों, डिबेंचरों में निवेश के ब्यौरे उद्धृत और अनुद्धृत लिखतों के लिए अलग से माँगे जाते हैं । सर्वेक्षण में शामिल की गयी प्रतिभूतियों और अन्य निवेशों की पूरी सूची विवरणी में दी जाती है । इस सूची को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है । सर्वेक्षण के लिए उपयोग की गयी अवधारणाएँ व्यापक रूप से निवेश संविभागों, जैसाकि एससीबी पर लागू होते हैं, के मूल्यन, वर्गीकरण और परिचालन के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों/अनुदेश से संबंधित होती हैं ।

2.1.2.1.3.3. स्रोत और प्रणालियाँ

बीएसआर-5 में आँकड़ों की आपूर्ति के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रधान कार्यालय मूलभूत स्रोत होते हैं । विवरणी का फार्मैट, विवरणी को भरे जाने के दिशानिर्देशों के साथ बैंकों के प्रधान कार्यालयों को मुहैया कराये जाते हैं, जो भरी हुई विवरणियाँ केंद्रीय कार्यालय, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं । बैंकों के प्रधान कार्यालय कागज पर विवरणी सॉफ्ट रूप में आँकड़ों के साथ प्रस्तुत करते हैं । इस प्रयोजन के लिए विकसित सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री के लिए बैंकों को दिया जाता है । इसके अतिरिक्त जो बैंक कतिपय कारणों से डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर पाते उन्हें आँकड़े या तो किसी स्वीकार्य रूप में या केवल हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति दी

जाती है। बैंक 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपने वार्षिक लेखों/तुलन पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करते हैं।

विवरणी की प्रारंभिक संवीक्षा 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक लेखे के साथ की जाती है, ताकि आँकड़ा-मिलान के दो सेट सुनिश्चित हों और उनके समाधान के बाद आँकड़ों का संसाधन सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में किया जाता है । आँकड़ा संसाधन के पूर्व बैंकों से स्पष्टीकरण माँगने के लिए आवश्यक पत्र भेजे जाते हैं । आँकड़ों का संपादन परिशुद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से किया जाता है, ताकि उनकी संगति, वैधता और सत्यता की जाँच की जा सके और जहाँ जरूरी होता है, वहाँ आवश्यक सुधार किये जाते हैं।

2.1.2.1.4. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-6 : जमा खातों में नामे का सर्वेक्षण

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-6, जिसका प्रचार अनुसूचित वाणिज्य बैंक में जमा खातों में नामे का सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है, बीएसआर प्रणाली के अंतर्गत पंचवार्षिक विवरणी होती है । यह विवरणी उन शाखाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें संदर्भाधीन वर्ष के लिए नमूने में चुना जाता है। बीएसआर-6 का आशय होता है जमाखातों मे नामे के मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ताकि जमाराशियों के पण्यावर्त की दर का हिसाब लगाया जाये, जो पूरे देश के लिए आर्थिक कार्यकलाप का महत्वपूर्ण माप होती है । जमा खातों के नामे का सर्वेक्षण (फार्म टी-1), जो 1971-72 तक वार्षिक रूप से किया जाता था, अगली बार 1974-75 में जनगणना आधार पर किया गया और 1985-86 से बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में निदेश के लिए गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार द्विवार्षिक नमूना सर्वेक्षण के रूप में बीएसआर- 6 विवरणी के रूप में पुनः नामित किया गया । बाद में इस सर्वेक्षण को वर्ष 2000 से पंचवार्षिक बना दिया गया है । बीएसआर-6 सर्वेक्षण में उन्हीं शाखाओं को शामिल किया जाता है, जो उस वर्ष के बीएसआर-4 सर्वेक्षण के लिए चुनी गयी हैं, जिसमें बीएसआर-6 सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

2.1.2.1.4.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

बैंकों के जमा खातों में नामे जमाकर्ताओं द्वारा किये गये चेक से या नकद रूप में किये गये आहरणों का द्योतक होता है । किसी निश्चित अवधि में किये गये ऐसे कुल आहरणों की तुलना ऐसे खातों में जमाकर्ताओं द्वारा रखे गये औसत शेष से करने से यह पता चलता है कि जमाकर्ता भुगतान करने के लिए अपने बैंक खाते की रकम का किस सीमा तक उपयोग करता है और इस प्रकार यह जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है । सर्वेक्षण के परिणामों के प्रमुख उपयोगकर्ता होते हैं सरकारी विभाग/संगठन, भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक और अन्य, उदाहरणार्थ अनुसंधानकर्ता और अन्य । नकद नामे (जिनमें एटीएम के माध्यम से नामे शामिल है) के संबंध में जानकारी भी वर्ष 2004-05 के लिए सर्वेक्षण में संगृहीत की जा रही है और यह उम्मीद है कि यह नीति संबधी प्रयोजनों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए आँकड़े का उपयोगी स्रोत होगी ।

बीएसआर-6 सर्वेक्षण के परिणामों की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए एक लेख वर्ष में एक बार आबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है । अन्य विविध प्रकाशनों में भी बीएसआर-6 सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं ।

2.1.2.1.4.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

जो आँकड़े शामिल किये जाते हैं, वे चालू और बचत जमा खातों में तिमाही बकाया शेष के और कैश क्रेडिट एवं ओवरड्राफ्ट खातों में अनुमोदित ऋण सीमाओं तथा कुल नामे (तिमाहीवार) एवं उपर्युक्त प्रकार के खातों में नकदी नामे (तिमाहीवार) के होते हैं। बकाया शेष/अनुमोदित ऋण सीमाएँ जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार होती हैं और मार्च तिमाही के मामले में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

होती हैं । विस्तृत परिभाषाएँ बीएसआर-6 विवरणी से संलग्न दिशानिर्देशों में दी गयी हैं । बीएसआर-6 में 2004-05 विवरणी के लिए प्रयोग की गयी परिभाषाएँ/ अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं:

बैंकों (चाहे वाणिज्यिक, सहकारी, अनुसूचित या गैर अनुसूचित हों) की अंतर-बैंक जमाराशियाँ/क्रेडिट खाते रिपोर्ट किये गये आँकड़ों में बिलकुल शामिल नहीं किये जाते हैं । कुल नामे (आहरण), जो चालू जमा खातों, बचत जमा खातों, कैश क्रेडिट खातों और ओवरड्राफ्ट खातों में अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च तिमाहियों में दिये जाते हैं, उनकी रिपोर्ट की जाती है । सभी प्रकार से किये गये आहरणों की रिपोर्ट की जाती है । इनमें वे सभी आहरण शामिल होते हैं, जो चेकों के माध्यम से, नकद किये जाते हैं और इनमें ईसीएस, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सरणियों से किये गये आहरण भी शामिल होते हैं । एटीएम से किये गये आहरण उन सभी आहरणों का उप-सेट होते हैं, जो इस भाग में कुल आहरणों में रिपोर्ट किये जाते हैं । बचत और चालू जमा में जमाकर्ताओं को देय ब्याज की राशि शामिल की जाती है । चालू खातों में कैश क्रेडिट खातों के जमाशेष, मांग और 15 दिनों से कम की अवधि की सूचना पर प्रतिदेय राशि (15 लाख रुपये से अधिक की जमाराशि के लिए 7 दिन) , दावा नहीं की गयी जमाराशियाँ और परिपक्व हो गयी लेकिन अदा नहीं की गयी सावधि जमाराशि शामिल होती है। आकस्मिकता और असमायोजित खाते, यदि वे जमाराशियों के स्वरूप के हों, को भी चालू जमाराशियों में शामिल किया जाता है । मार्जिन जमा, स्टाफ भविष्य निधि और प्रतिभूति जमा तथा इन पर देय ब्याज को प्रस्तुत किये गये आँकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है । कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के संबंध में अनुमोदित सीमाएं प्रभावी सीमा (आहरण अधिकार) को निर्दिष्ट करती हैं, जो अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 31 मार्च की स्थिति के अनुसार होती हैं, भले ही ऐसी सीमाओं का उपयोग नहीं किया गया हो । निर्बंध ओवरड्राफ्टों के मामले में पूर्ण स्वीकृत सीमाओं को लिया जाता है । जैसाकि ऊपर बताया गया है, जब कभी यह सर्वेक्षण किया जाता है, तब सर्वेक्षण के लिए बीएसआर 4 में वर्णित नमूना चयन योजना का अनुसरण करते हुए सर्वेक्षण के लिए नमूना शाखाओं का चयन किया जाता है ।

2.1.2.1.4.3. स्रोत और प्रणालियाँ

सर्वेक्षण के लिए मूलभूत आँकडे उन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राप्त किये जाते है, जिन्हें सर्वेक्षण के लिए नमूने में चुना जाता है । बीएसआर-6 विवरणी के फार्मैट के साथ-साथ विवरणी भरने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत चुनी गयी सभी शाखाओं को उनके प्रधान/नियंत्रक कार्यालयों के माध्यम से किसी खास वर्ष के सर्वेक्षण के लिए दिया जाता है। विवरणी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने वाले आँकड़े शाखाओं द्वारा अपनी कंप्यूटर प्रणालियों से निकाले जाते हैं । बैंकों के प्रधान/ नियंत्रक कार्यालय कागज पर विवरणी के साथ सॉफ्ट कॉपी में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं । डाटा एंट्री के प्रयोजनार्थ फॉक्सप्रो में विकसित सॉफ्टवेयर बैंकों को दिये जाते हैं । तथापि, इन बैंकों या इनकी शाखाओं को, जो अपने कंप्यूटरों से सीधे आँकड़ा प्राप्त कर सकती हैं, फाइल-स्ट्रक्चर दिया जाता है, ताकि वे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग किये बिना आँकड़े प्रस्तुत कर सकें। पुनः कतिपय कारणों से जो बैंक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते उन्हें अनुमति दी जाती है कि वे आँकड़ों को या तो किसी स्वीकार्य रूप में भेजें या केवल हार्ड कॉपी प्रस्तुत करें । इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में संसाधित किया जाता है, जिसके लिए वह अपने यहाँ विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है । आँकड़ों का संपादन परिशुद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से किया जाता है, ताकि उनकी संगति, वैधता और सत्यता की जाँच की जा सके ।

2.1.2.1.5. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी -7 :सकल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के संबंध में तिमाही विवरणी

भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की सकल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के संबंध में मासिक आधार पर मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) 7 के माध्यम से, जो अगस्त 1974 में आरंभ की गयी थी, जानकारी संगृहीत करता था । इस विवरणी की आवधिकता मार्च 1984 में समाप्त तिमाही से बदलकर तिमाही कर दी गयी । सकल बैंक जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के संबंध में इन आँकड़ों का प्रसार 1981 से ''बैंकिंग सांख्यिकी - सकल जमाराशियाँ और सकल बैंक ऋण के संबध में मासिक विवरणी'' शीर्षक प्रकाशन के माध्यम से किया जाता था । बाद में इन आँकड़ों को ''बैंकिंग सांख्यिकी -तिमाही हैंडआउट'' शीर्षक के अंतर्गत मार्च 1984 से प्रकाशित किया जाने लगा । इस प्रकाशन का नाम पुनः बदलकर सितंबर 2003 से ''अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमा और ऋण के संबंध में तिमाही सांख्यिकी'' कर दिया गया है । इन प्रकाशनों में जमा और ऋण के आँकड़े, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/जिलों/केंद्रों/आबादी समूहों/बैंक समूहों के अनुसार दिये जाते हैं ।

2.1.2.1.5.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

बीएसआर-7 विवरणी पर आधारित सकल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के भौगोलिक वितरण के संबंध में जानकारी मौद्रिक नीति और क्षेत्रीय विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में काम करती है । इसके अतिरिक्त, यह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/केंद्रों की बैंकिंग संभाव्यता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में काम करती है । रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक तथा अनुसंधानकर्ताओं द्वारा बीएसआर-7 आँकड़ों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है । ये आँकड़े संसद में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर तैयार करने के लिए भी महत्वपूर्ण निविष्टि का काम करते हैं और इनका उपयोग विविध आर्थिक मुद्दों के संबंध में सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित भिन्न-भिन्न समितियों द्वारा किया जाता है । इन आँकड़ों का प्रसार तिमाही प्रकाशन के माध्यम से किया जाता है, जिसे रिज़र्व बैंक के इंटरनेट साइट पर भी देखा जा सकता है।

2.1.2.1.5.2. अवधारणाएँ, परिभाषा और वर्गीकरण

बीएसआर-7 विवरणी एक सरल विवरणी होती है, जिसमें बैंकों के प्रधान/नियंत्रक कार्यालय सकल जमाराशियों एवं सकल बैंक ऋण के संबंध में शाखा/कार्यालयवार तिमाही आँकड़े संदर्भ तिथि की स्थिति के अनुसार , जो जून, सितंबर, दिसंबर तिमाहियों के मामले में अंतिम शुक्रवार और मार्च तिमाही के मामले में 31 मार्च होती है, देते हैं । सकल जमाराशियाँ किसी बैंक की मांग और मीयादी देयताओं (अंतर-बैंक जमाराशियों और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स को छोड़कर) का द्योतक होती हैं । सकल बैंक ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म ए विवरणी के अनुसार बैंक ऋण (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर) के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिलों की बकाया राशि का द्योतक होता है । एक केंद्र की परिभाषा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत और अंकित राजस्व इकाई, अर्थात् एक राजस्व ग्राम/शहर/नगर/नगरपालिका/नगर निगम, आदि, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में दी जाती है, जिसमें शाखा स्थित होती है। बैंक सुविधायुक्त केंद्रों का आबादी समूह वर्गीकरण 1991 की जनगणना पर आधारित है। आबादी समूहों की परिभाषा निम्नानुसार दी जाती है:

i) 'ग्रामीण' समूह में 10,000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल होते हैं ।

ii) 'अर्ध शहरी' समूह में 10,000 और उससे अधिक लेकिन 1 लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल होते हैं ।

iii) 'शहरी' समूह में 1 लाख और उससे अधिक लेकिन 10 लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल होते हैं तथा

iv) 'मेट्रोपॉलिटन' समूह में 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले सभी केंद्र शामिल होते हैं।

2.1.2.1.5.3. स्रोत और प्रणालियाँ

सर्वेक्षण के लिए मूलभूत आँकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त होते हैं। बैंकों के प्रधान/नियंत्रक कार्यालय अपनी शाखाओं/कार्यालयों से आँकड़े प्राप्त करने की व्यवस्था करते हैं और प्रारंभिक संवीक्षा के बाद उसे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं । डाटा एंट्री के प्रयोजनार्थ फॉक्सप्रो में विकसित सॉफ्टवेयर बैंकों को दिये जाते हैं । तथापि, कुछ बैंकों या इनकी शाखाओं को अपने कंप्यूटरों से आँकड़े निकालने की अनुमति दी जाती है और उन्हें फाइल-स्ट्रक्चर दिया जाता है, ताकि वे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग किये बिना आँकड़े प्रस्तुत कर सकें। पुनः यदि बैंक कतिपय कारणों से डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अनुमति दी जाती है कि वे आँकड़ों को या तो किसी स्वीकार्य रूप में भेजें या उनकी हार्ड कॉपी भेजें ।

इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में संसाधित किया जाता है, जिसके लिए वह अपने यहाँ विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। आँकड़ों का संपादन परिशुद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से किया जाता है, ताकि उनकी संगति, वैधता और सत्यता की जाँच की जा सके और जहाँ भी जरूरत होती है, बैंकों से पूछताछ की जाती है और उनके उत्तर प्राप्त होने पर आवश्यक सुधार किये जाते हैं।

2.1.2.1.6. बीएसआर आँकड़ों का गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

बीएसआर 1 और बीएसआर 2 विवरणियों के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये संसाधित आँकड़ों पर विविध प्रकार के कूट वैधीकरण और अंतर-संगति जाँच किये जाते हैं, यथा (i) शाखावार कुल जोड़ को बीएसआर-7 के आँकड़ों से मिलान किया जाता है, ताकि बड़ी आयामी भिन्नता की जाँच की जा सके ; (ii) पिछले वर्ष के आँकड़ों की तुलना में आँकड़ों में अधिक वृद्धि/ह्रास की जाँच करना; (iii) बाहरी (सीमा के बाहर) - बहुत अधिक/कम मूल्यों का परीक्षण करना; (iv) तार्किक असंगतियों का (कूटों/लक्षणों को एक साथ दिया जाना) का पता लगाना; और (v) बैंकवार कुल जोड़ का मिलान धारा 42(2) और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के आँकड़ों से करना । असंगति संबंधी रिपोर्ट बैंकों को वापस भेजी जाती है, ताकि उनका स्पष्टीकरण/प्रतिसूचना/सुधारे गये/संशोधित आँकड़े प्राप्त हो सकें। अंतिम परिणामों की जाँच भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित अन्य स्रोतों के आँकड़ों से की जाती है।

बीएसआर विवरणियों में प्राप्त आँकड़ों की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, पुरजोर अनुवर्ती कार्रवाई के अलावा , समय-समय पर कार्यशालाएँ एवं बैठकें आयोजित की जाती हैं , ताकि बैंक-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके और उन्हें समझाया जा सके कि पूर्ण, परिशुद्ध और समय पर आँकड़ों को प्रस्तुत किया जाना कितना आवश्यक है । कार्यशालाओं में पूर्व के सर्वेक्षणों में पायी गयी सामान्य भूलों/विसंगतियों पर भी विचार किया जाता है और डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन/हैंड्स ऑन सत्र भी आयोजित किये जाते हैं। सही-सही डाटा एंट्री सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार के वैधीकरण और संगति जाँच की व्यवस्था डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर में ही कर दी जाती है। आँकड़ों का परिमार्जन विभाग में ही किया जाता है और इसकी संगति का प्रति-परीक्षण विभिन्न स्तरों पर अन्य विवरणियों से

प्राप्त होने वाले आँकड़ों के समुच्चय के विभिन्न स्तरों के साथ किया जाता है। पुनः, प्रारंभिक सारणीकरण की जाँच अन्य समष्टि आर्थिक गतिविधियों के आलोक में की जाती है, ताकि सर्वेक्षण के परिणाम में संगति सुनिश्चित हो सके।

2.1.2.2. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी

वैश्विक वित्तीय प्रणाली के कारगर ढंग से कार्य करने के लिए बाह्य लेनदेनों के संबंध में आँकड़ों की गुणवत्ता और पर्याप्तता को बनाये रखने और समय पर उनका प्रसार करने के महत्व को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही प्रकार के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बहुत आवश्यक समझा गया है । इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अंतर्धाराओं की पहचान और विश्लेषण करने में मदद मिलती है। इस प्रकार, उच्च गुणवत्ता के युक्तियुक्त आँकड़ों का विकास और उनका प्रबंधन सभी केंद्रीय बैंक प्राधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है । खासकर, पूर्व एशिया के संकट ने बैंकों के अंतरराष्ट्रीय निवेशों और अंतरराष्ट्रीय ऋण संबंधी स्थिति के आकार और विन्यास के संबंध में समय पर व्यापक आँकड़ों के संग्रहण पर अधिक ध्यान दिलाया ।

भारत में, बाह्य क्षेत्र के बढ़ते उदारीकरण से सीमापार से निधियों के प्रवाह पर निरंतर निकट निगरानी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है । इससे बैंकिंग क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय दावों और देयताओं के संबंध में आँकड़ा संग्रहण करने के लिए एकजुट प्रयास करने की आवश्यकता है । वर्तमान में भारत में बैंक भारत और विदेश में अपने परिचालनों के ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक के भिन्न-भिन्न विभागों को देते हैं , जो संबंधित विभागों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । जबकि बहुत सी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के भिन्न-भिन्न विभागों में प्राप्त होती है, जो उनकी विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती हैं, यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा संगृहीत और प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) में सहभागिता के लिए पर्याप्त नहीं होती है। बीआईएस की आईबीएस प्रणाली की डिजाइन (क) किसी भी मुद्रा में अनिवासियों और (ख) विदेशी मुद्रा में निवासियों की तुलना में बैंक की बाह्य/अंतरराष्ट्रीय देयताओं और आस्तियों के संबंध में जानकारी संग्रह/संकलन/प्रदान करने के लिए बनायी जाती है । इस प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से भिन्न-भिन्न किस्म की मदों, यथा, ऋण, जमा, निवेश, उधार, अन्य आस्तियों और अन्य देयताओं के संबंध में मुद्रा के ब्यौरे के साथ (देशी एवं विदेशी मुद्रा), क्षेत्र (बैंक, बैंकेतर और सरकारी एवं गैर-बैंक निजी) तथा देश (अलग-अलग देश, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं मौद्रिक प्राधिकारी) के संबंध में जानकारी का तिमाही आधार पर संकलन किया जाता है ।

उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में एक कार्यकारी दल का गठन किया, ताकि वह , अन्य बातों के साथ-साथ, एक व्यापक रिपोर्टिंग तंत्र का सुझाव दे सके, जो बीआईएस की आईबीएस प्रणाली में भारत को सहभागिता के लिए समर्थ बना सके । कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और अंतरराष्ट्रीय देयताओं के संबंध में अपेक्षित विस्तृत आँकड़े दिसंबर 1999 से तिमाही आधार पर बैंकों से संगृहीत किये जा रहे हैं । एक स्थायी अनुश्रवण दल (एसएमजी), जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करता रहा है । एसएमजी एक निरंतर काम करने वाला दल है और इसका दो वर्षों में एक बार पुनर्गठन किया जाता है ।

मार्च 2001 तिमाही से भारत में बैंकों से 23 विवरणों (18 स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) और 4 (मार्च 2006 से 5) समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस), के रूप में समेकित आँकड़े नियमित रूप से बीआईएस को भेजे जा रहे हैं। बीआईएस ने दिसंबर 2001 तिमाही से भारत के आईबीएस आँकड़ों को समाविष्ट करना आरंभ किया और इसके परिणामस्वरूप भारत दुनिया के उन सभी विकासशील देशों में तीसरे स्थान पर आ गया, जो आईबीएस के संकलन के लिए बीआईएस की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । जबकि बीआईएस (www.bis.org) रिपोर्ट करने वाले सभी देशों के समेकित आँकड़ों का प्रकाशन करता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एक लेख के रूप में आईबीएस के आँकड़े समेकित रूप में आरबीआई बुलेटिन (www.rbi.org.in) में प्रकाशित करता है । बीआईएस रिपोर्ट करने वाले सभी देशों की समेकित सांख्यिकी का प्रकाशन नियमित रूप से ''बीआईएस क्वार्टरली रिव्यू- इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनैंशियल मार्केट डेवलपमेंट्स'' और ''दिबीआईएस कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स'' में करता है । बीआईएस के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संगठन और अन्य देशों के केंद्रीय बैंक आगे की जाँच के लिए देश-विशिष्ट विस्तृत आँकड़ों का प्रयोग करते रहे हैं ।

आँकड़ों की व्याप्ति को उन्नत करने की दृष्टि से, बीआईएस ने समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) के लिए अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित किया, जिसके लिए उत्पादनों/ लिखतों, यथा, डेरिवेटिव संविदाओं, गारंटियों, ऋण वायदों, आदि की व्याप्ति बढ़ायी गयी और इसके रिपोर्टिंग फार्मैट को संशोधित किया गया और सीबीएस विवरणों की संख्या बढ़ायी गयी (4 से 5 की गयी) । नवीन रूप में आरंभ किये गये सीबीएस विवरण में निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाता है - (i) अंतिम जोखिम वाले देश और क्षेत्र द्वारा समेकित अंतरराष्ट्रीय दावा, और (ii) अंतिम जोखिम वाले देश द्वारा लिखतवार (यथा, डेरिवेटिव संविदा, गारंटियाँ, ऋण वायदे) बकाया राशियाँ । भारत में केवल एक विवरणी , अर्थात् आईबीएस विवरणी, दोनों प्रकार की सांख्यिकी, यथा, एलबीएस और सीबीएस, को मिलाने के लिए होती है । बीआईएस के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों और रिकार्ड की गयी कुछ टिप्पणियों के आलोक में प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए भारत में बीआईस की आईबीएस प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान भारत में बैंकों और विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालयों के आईबीएस गाइड को संशोधित/ आशोधित किया गया । संशोधित प्रणाली का कार्यान्वयन मार्च 2005 की रिपोर्टिंग तिमाही से किया गया है। प्रमुख संशोधन/आशोधन निम्नलिखित हैं :

i) आस्ति/देयता कूट को आशोधित किया गया है, ताकि वित्तीय लिखतों, यथा, डेरिवेटिव, साख पत्र, गारंटियों, और ऋण वायदों के संबंध में आँकड़े प्राप्त किये जा सकें ।

ii) बैंक/शाखाएँ बकाया 'राशि/जमाशेष' तथा 'प्रोद्भूत ब्याज' की रुपये में रिपोर्ट करते रहे थे । अब बकाया राशि/जमाशेष तथा प्रोद्भूत ब्याज की रिपोर्ट खाते की मुद्रा में भी की जाती है ।

iii) क्षेत्रीय वर्गीकरण को भी आशोधित किया गया है, जिसके लिए कोटियों की संख्या घटाकर 8 [दो बैंकों के लिए, यथा, बैंक का अपना कार्यालय और बैंक का अन्य कार्यालय, एक आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारियों के लिए और एक सरकार, तीन बैंकेतर और एक नकद संपार्श्विक (केवल अंतिम जोखिम वाले क्षेत्र के लिए लागू)] कर दी गयी है, जबकि पहले क्षेत्र का वर्गीकरण 12 कोटियों में (8 कूट बैंकों के लिए, जो विविध मानदंडों, यथा, स्वामित्व, प्रधान कार्यालय की अवस्थिति और अपने/अन्य बैंक के कार्यालय

पर आधरित था, एक कूट आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारियों के लिए और तीन कूट गैर-बैंकों के लिए, यथा, बैंकेतर सरकारी क्षेत्र, बैंकेतर निजी क्षेत्र और बैंकेतर अन्य के लिए) किया जाता था ।

iv) वर्तमान समय में छह मुद्राओं, यथा, अमरीकी डालर, यूरो, जापानी येन, स्विस फ्रैंक, पाउंड स्टर्लिंग और देशी मुद्रा (भारतीय रुपया), तथा अन्य सभी मुद्राओं को अवशिष्ट कोटि 'ओटीएच' में जोड़कर जानकारी दिये जाने की तुलना में संशोधित प्रणाली में डेरिवेटिव से भिन्न मदों के लिए खाते/लेनदेन की मुद्रा की रिपोर्ट आइएसओ करेंसी कूट में करना आवश्यक होता है । इसमें भारतीय करेंसी सहित 25 करेंसियों तथा शेष विदेशी करेंसियों के लिए अवशिष्ट करेंसी कोटि 'ओटीएच' के अंतर्गत जानकारी देने के लिए कहा जाता है। तथापि, शाखाओं से उनके आरओ/जेडओ/एलएचओ/एचओ को डेरिवेटिव की रिपोर्ट करने के लिए डेरिवेटिव संविदाओं के निपटान की मुद्रा की रिपोर्ट आईएसओ करेंसी कोड के रूप में की जाती है। लगभग 161 करेंसियों और उनके आईएसओ कूटों की एक सूची अनुबंध 2.5 में दी गयी है । निपटान की मुद्रा के साथ काउंटर पार्टी के देश की रिपोर्ट प्रधान कार्यालय में निवल राशि प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, यदि लागू हो, की जाती है ।

2.1.2.2.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

आईबीएस बैंकिंग प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं के कुल परिमाण और मुख्यतः क्षेत्र (बैंक, बैंकेतर), अवशिष्ट परिपक्वता, मुद्रा और निवास के देश के संदर्भ में उनके संघटन के प्रति समझदारी मुहैया कराता है । अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं में रिपोर्ट करने वाले बैंक की अनिवासियों के लिए किसी भी मुद्रा में और निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा में दावों/देयताओं को शामिल किया जाता है ।

आईबीएस आँकड़ों का प्रमुख रूप से संकलन बीआईएस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है । बीआईएस (www.bis.org) सदस्य देशों के बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं और आस्तियों की स्थिति तिमाही आधार पर अपने प्रकाशन, यथा (i) कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, और (ii) बीआईएस क्वार्टरली रिव्यू : इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट्स में प्रकाशित करता है । बीआईएस द्वारा संकलित आईबीएस आँकड़े सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, यथा, आईएमएफ, आदि द्वारा उपयोग किये जाते हैं । एलबीएस/सीबीएस का संकलन करने की विधि और आईबीएस में प्रयुक्त विविध पदों के स्पष्टीकरण अनुबंध 2.6 में दिये गये हैं ।

2.1.2.2.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

आईबीएस में प्रयुक्त विविध मदों की परिभाषाएँ नीचे दी गयी हैं :

रिपोर्ट करने वाला देश : ''रिपोर्ट करने वाला देश'' पद उस देश को विनिर्दिष्ट करता है, जो बीआईएस के लिए आईबीएस आँकड़ों का संकलन करता है और प्रदान करता है । यहाँ, भारत रिपोर्ट करने वाला देश है और भारत से भिन्न कोई देश विदेश है ।

स्थानीय मुद्रा और गैर-स्थानीय मुद्रा : स्थानीय या घरेलू मुद्रा उस देश की मुद्रा होती है, जहाँ बैंकिंग कार्यालय स्थित होता है । घरेलू से भिन्न मुद्रा को गैर-स्थानीय या विदेशी मुद्रा कहा जाता है । यहाँ, भारत में, भारतीय रुपया (आईएनआर) स्थानीय या घरेलू मुद्रा है और अन्य सभी मुद्रा विदेशी मुद्रा है ।

अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ और अंतरराष्ट्रीय देयताएँ : शाखा में रखे गये बही खातों में शेष, जो

(i) अनिवासियों के लिए किसी मुद्रा में (अर्थात्, विदेशी मुद्रा और घरेलू मुद्रा में); और (ii) निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा में आस्तियों (अथवा दावों) और देयताओं के द्योतक होते हैं, क्रमशः अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और अंतरराष्ट्रीय देयताओं के रूप में माने जाते हैं ।

अनिवासी किसे माना जाता है : इस सांख्यिकी के प्रयोजनार्थ अनिवासी से अभिप्रेत होता है:

i) कोई व्यक्ति जो स्थायी रूप से भारत से बाहर रहता हो,

ii) कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर रहा है या फेरा के दिशानिर्देशों या फेमा के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों में अनुबद्ध अवधि के लिए भारत से बाहर रहना चाहता है,

iii) कोई व्यक्ति, जो सामान्यतः भारत से बाहर रहता है, लेकिन जो अस्थायी रूप से भारत में निवास करता है,

iv) छात्र या कोई व्यक्ति, जो इलाज करा रहा हो, जो विदेशी राष्ट्रिक हो, भले ही भारत में उसके ठहरने की अवधि कितनी भी हो,

v) कोई कंपनी/फर्म/संस्था, जो भारत से बाहर स्थित हो,

vi) राजनयिक मिशन और कार्मिक, भले ही भारत में उनके ठहरने की अवधि कितनी भी हो।

आईबीएस में प्राप्त जानकारी की मदें : भारत में बैंकों की शाखाएँ अपने मुख्य प्रधान/कार्यालयों को अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं के सबंध में निम्नलिखित मदों की रिपोर्ट करती हैं :

रिपोर्ट करने वाली शाखा का निवास देश (कूट) (भारत में स्थित शाखाओं के लिए 'आईएन')

आस्ति/देयता की व्यापक कोटि

कोटि के अंतर्गत आस्ति/देयता का प्रकार

आईएसओ करेंसी कूट के रूप में खाता/लेनदेन/निपटान की मुद्रा

आईएसओ देश कूट के रूप में उधारकर्ता/ग्राहक का देश

क्षेत्र कूट के रूप में उधारकर्ता/ग्राहक का क्षेत्र

परिपक्वता कूट के रूप में अवशिष्ट परिपक्वता

आईएसओ देश कूट के रूप में अंतिम जोखिम का देश

क्षेत्र कूट के रूप में अंतिम जोखिम का क्षेत्र

खाता/लेनदेन की मुद्रा में जमाशेष (डेरिवेटिवों का एमटीएम मूल्य अमरीकी डालर में, भले ही निपटान की मुद्रा कोई भी हो)

खाता/लेनदेन की मुद्रा में प्रोद्भूत ब्याज (यदि प्रोद्भूत ब्याज पहले ही जमाशेष की राशि में प्रदर्शित हो, तो यह शून्य होगा)

खातों में जमाशेष/समतुल्य भारतीय रुपये में डेरिवेटिवों का एमटीएम मूल्य, और

समतुल्य भारतीय रुपये में प्रोद्भूत ब्याज (यदि प्रोद्भूत ब्याज पहले ही जमाशेष की राशि में प्रदर्शित हो, तो यह शून्य होगा) ।

रिपोर्ट करने वाली शाखा का निवास का देश : रिपोर्ट करने वाली शाखा/कार्यालय के निवास के देश से अभिप्रेत है वह देश, जहाँ रिपोर्ट करने वाली शाखा स्थित है । विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित भारत में रिपोर्ट करने वाली सभी शाखाओं को चाहिए कि वे मूल्य ''आईएन'' के रूप में दें ('आईएन' भारत के लिए आईएसओ कूट है) । आईएसओ देश कूट अनुबंध 2.7 में दिये गये हैं ।

विभिन्न कोटियों और प्रकार के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं का वर्गीकरण

ए. अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ

आस्ति कोटि	कोटि कूट (एएलसीडी)	आस्ति प्रकार वर्णन	प्रकार कूट (टाइपसीडी)
अंतरराष्ट्रीय ऋण और जमाराशियाँ	11	अनिवासियों को ऋण	11
		निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण	12
		बकाया निर्यात बिल	21
		हाथ में विदेशी मुद्रा, यात्री चेक, आदि	41
		नोस्त्रो जमाशेष और विदेश में प्लेसमेंट	51
ऋण प्रतिभूतियों का अंतरराष्ट्रीय धारण	21	विदेशी सरकार प्रतिभूतियों में निवेश	11
		विदेश में अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	12
अंतरराष्ट्रीय अन्य आस्तियाँ	31	विदेश में इक्विटियों में निवेश	11
		अन्य अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ	21

बी. अंतरराष्ट्रीय देयताएँ

देयता कोटि	कोटि कूट (एएलसीडी)	देयता प्रकार वर्णन	प्रकार कूट (टाइपसीडी)
अंतरराष्ट्रीय जमाराशियाँ और ऋण	51	एफसीएनआर(बी)	11
		निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) जमाराशियाँ	12
		विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता	13
		अन्य एफसी जमाराशियाँ	14
		उधार	41
		वोस्त्रो खाते में जमाशेष	51
		अनिवासी बाह्य (एनआरई) रुपया खाता	52
		अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाता	55
		दूतावास खाता	57
		विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) खाता	58
		एस्क्रो खाता	59
अंतरराष्ट्रीय ऋण प्रतिभूतियों का अपना निर्गम	61	अंतरराष्ट्रीय बांड (एसबीआई का आइएमबी, आदि)	11
		एफआरएन (फ्लोटिंग रेट नोट्स)	12
		अंतरराष्ट्रीय ऋण लिखतों का अपना अन्य निर्गम, यदि हो	13
अंतरराष्ट्रीय अन्य देयताएँ	71	जीडीआर/एडीआर (रिपेर्टिंग बैंकों द्वारा जारी)	11
		एनआरआई/ओसीबी द्वारा धारित बैंकों की रुपया इक्विटियाँ	12
		अन्य अंतरराष्ट्रीय देयताएँ	13

सी. डेरिवेटिव, साखपत्र, गारंटियाँ और ऋण वायदे

डेरिवेटिव, साखपत्र, गारंटियाँ और ऋण वायदे	81		
		डेरिवेटिव	11
		साखपत्र	21
		गारंटियाँ	31
		ऋण वायदे	41

खाता/लेनदेन/निपटान की मुद्रा (सीयूआरसीडी) : बैंक/शाखाएँ डेरिवेटिवों से भिन्न मदों के लिए खाता/लेनदेन की मुद्रा की रिपोर्ट नीचे दिये गये आईएसओ मुद्रा कूट के रूप में करते हैं । शाखाओं से उनके आरओ/जेडओ/एलएचओ/एचओ को डेरिवेटिवों की रिपोर्ट किये जाने के लिए, डेरिवेटिव संविदाओं की निपटान मुद्रा की रिपोर्ट आईएसओ मुद्रा कूट के रूप में की जाती है, जैसाकि अनुबंध 2.5 में दिया गया है। यद्यपि डेरिवेटिव संविदाओं का एमटीएम मूल्य समतुल्य अमरीकी डालर और भारतीय रुपये में रिपोर्ट किया जाता है, फिर भी निपटान की मुद्रा, काउंटर पार्टी के देश के साथ, प्रधान कार्यालय में नेटिंग के प्रयोजनार्थ रिपोर्ट की जाती है ।

विदेशी मुद्रा खातों/लेनदेनों के लिए रुपये में समतुल्य राशि रिकार्ड करते समय, भारत के बैंक विविध मुद्राओं के लिए कल्पित विनिमय दरों का प्रयोग करते हैं। कल्पित विनिमय दर एक बैंक से दूसरे बैंक में बदलती रहती है और कुछ मुद्राओं के लिए बाजार दर और कल्पित दर में अंतर बहुत अधिक होता है । तदनुसार, खातों/लेनदेन की मुद्रा के साथ-साथ खाता/लेनदेन की मुद्रा में राशियों/जमाशेषों/ब्याजों (यदि खाता/लेनदेन की मुद्रा 'ओटीएच' हो, तो राशियों/जमाशेषों/ब्याजों की अमरीकी डालर में समतुल्य राशि) और कल्पित दरों पर परिगणित रुपया समतुल्य राशि/जमाशेष/ब्याज की रिपोर्ट आईबीएस में की जाती है । जबकि सांकेतिक दरों पर परिगणित रुपया समतुल्य राशि बैंकों को अपनी खाताबहियों का मिलान करने में मदद करेगी, बीआईएस में रिपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा राशि को बाजार दर पर अमरीकी डालर में बदल दिया जायेगा ।

उधारकर्ता/ग्राहक का निवास का देश (सीओसीयूएनसीडी): व्यक्ति/संस्था (बैंक, कंपनी, व्यक्ति, संस्था, आदि), जिसके पास बैंक की आस्तियाँ हैं या जिसके प्रति बैंक की देयताएँ हैं, के निवास के देश का देश कूट आईएसओ देश कूट के रूप में रिपोर्ट किया जाता है । दूसरे शब्दो में, उधारकर्ता/ग्राहक के देश से अभिप्रेत है उस व्यक्ति/संस्था का देश, जिसके नाम में बैंक/शाखा की बहियों में खाता रखा जाता है । उधारकर्ता/ग्राहक के निवासी देश को ''आसन्न जोखिम का देश'' भी कहा जाता है । देश संबंधी जानकारी अनुबंध 2.9 सूचीबद्ध आईएसओ देश कूट के अनुसार रिपोर्ट की जाती है ।

उधारकर्ता/ग्राहक का क्षेत्र (एसईसीटीसीडी) : उधारकर्ता/ग्राहक, जिसके पास/जिसके प्रति बैंक/शाखा की आस्ति/देयता है, के क्षेत्र की रिपोर्ट नीचे दिये गये क्षेत्र कूट के रूप में की जाती है। यह भी कि, कूटों का वही सेट ''गारंटीकर्ता (अंतिम जोखिम) के क्षेत्र'' (एस_यू_सी_डी) आबंटित किये जाने के लिए भी लागू होता है । इन कूटों के अतिरिक्त कूट ''35'' का प्रयोग ''नकदी संपार्श्विक'' के लिए अंतिम जोखिम के रूप में किया जाता है ।

क्षेत्र का वर्गीकरण	**क्षेत्र कूट (एसईसीटीसीडी)**
बैंक - अपनी शाखा कार्यालय (अर्थात् रिपोर्ट करने वाले बैंक की अपनी ही शाखा/कार्यालय के पास/के प्रति आस्ति/देयता)	11
बैंक - दूसरे बैंक की शाखा/कार्यालय (अर्थात् रिपोर्ट करने वाले बैंक की दूसरे बैंक की शाखा/कार्यालय के पास/के प्रति आस्ति/ देयता । इसमें कतिपय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पास/के प्रति आस्ति/देयता शामिल होती है) । अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए देश कूट जेडजेड के रूप में किया जाना चाहिए, न कि संगठन के देश के स्थान के अनुसार । अंतरराष्ट्रीय संगठनों की एक सूची अनुबंध 2.10 में दी गयी है ।	12
आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारी (अर्थात्, रिपोर्ट करने वाले बैंक की विविध देशों के केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, आदि के पास/के प्रति आस्ति/देयता) । आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारियों की एक सूची अनुबंध 2.9 में दी गयी है ।	21

क्षेत्र का वर्गीकरण	क्षेत्र कूट (एसईसी टीसीडी)
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) (अर्थात् रिपोर्ट करने वाले बैंकों की अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) आदि के पास आस्तियाँ/देयताएँ)	22
सरकारें (अर्थात्, रिपोर्ट करने वाले बैंकों की केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार, सरकारी विभागों के पास/के प्रति आस्ति/देयता)	25
गैर-बैंक - सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (अर्थात् , रिपोर्ट करने वाले बैंकों की बैंकों से भिन्न कंपनियों/संस्थाओं के पास/के प्रति आस्ति/ देयता, जिनमें राज्य/केंद्र सरकार की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता हो)। इसमें कतिपय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पास/के प्रति आस्ति/देयता शामिल है । अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए देश कूट जेडजेड के रूप में दिया जाना चाहिए, न कि संगठन के देश के स्थान के अनुसार ।	30
गैर-बैंक - निजी क्षेत्र (अर्थात्, रिपोर्ट करने वाले बैंकों की संयुक्त स्टॉक और प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पास/के प्रति आस्ति/देयता)	31
गैर-बैंक - अन्य (अर्थात्, रिपोर्ट करने वाले बैंकों की व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त परिवारों, आदि के पास/के प्रति आस्ति/देयता)	32
नकदी संपार्श्विक (इसे अंतिम जोखिम के क्षेत्र के रूप में दिया जा सकता है, यदि बैंकों का एक्सपोजर निवेश नकदी संपार्श्विक की जमानत पर हो)	35
अनाबंटित (अचल आस्तियों के मामले में, जहाँ क्षेत्र का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्षेत्र को इस अवशिष्ट कोटि को आबंटित किया जाना चाहिए)	40

अंतिम जोखिम का देश ((सी_यू_सीडी) : यह केवल आस्ति मदों, डेरिवेटिवों, साखपत्रों, गारंटियों और ऋण वायदों के लिए लागू होता है । अंतिम जोखिम का देश वह देश होता है, जिसमें किसी वित्तीय दावे का गारंटीकर्ता निवास करता है (व्यक्तियों के लिए) और/या वह देश होता है, जिसमें गारंटीकर्ता संस्था (बैंक, सरकारी/निजी संगठन आदि) का प्रधान कार्यालय स्थित होता है । आईएसओ देश कूट का वही सेट अंतिम जोखिम देश कूट का आबंटन करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए ।

अंतिम जोखिम कूट का क्षेत्र (एस_यू_सी_डी): अंतिम जोखिम क्षेत्र की परिभाषा वित्तीय दावे के गारंटीकर्ता के क्षेत्र के रूप में दी जाती है । यह केवल आस्ति मदों, डेरिवेटिवों, साखपत्रों, गारंटियों और ऋण वायदों के लिए लागू होता है । क्षेत्र कूट का वही सेट अंतिम जोखिम क्षेत्र कूट का आबंटन करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए ।

अवशिष्ट परिपक्वता कूट (एमएटीसीडी) : रिपोर्टिंग तिथि को अवशिष्ट परिपक्वता से अभिप्रेत है शेष बची परिपक्वता अवधि, जिसकी गणना अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं की परिपक्वता तिथि और आईबीएस आँकड़ों की रिपोर्टिंग तिथि के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए की जाती है । आस्ति/देयता की अवशिष्ट परिपक्वता की रिपोर्ट निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार की जाती है :

अवशिष्ट परिपक्वता का वर्गीकरण	अवशिष्ट परिपक्वता कूट (एमएटीसीडी)
छह महीनों तक और उसे शामिल करते हुए [इसमें खाता/लेनदेन (बचत, चालू जमा, आदि) शामिल हैं, जहाँ राशियाँ प्राप्त की जाती हैं/मांग पर भुगतान की जाती हैं]	1
छह माह से अधिक, लेकिन एक वर्ष तक और उसे शामिल करते हुए	2
एक वर्ष से अधिक, लेकिन दो वर्षों तक और उसे शामिल करते हुए	3
दो वर्षों से अधिक	4
अनाबंटित [कुछ मामलों, यथा, इक्विटी शेयरों में निवेश (एफसी/विदेश में), सहभागिता, विदेश में अचल आस्ति, आदि में अवशिष्ट परिपक्वता का निश्चय नहीं किया जा सकता और इनकी रिपोर्ट अनाबंटित के रूप में की जानी चाहिए]	5

खाते की मुद्रा में बकाया राशि (एफसी_बीएएल): खाते की मुद्रा में खाते की बकाया

राशि या अमरीकी डालर में डेरिवेटिव संविदाओं का मार्क्ड टू मार्केट (एमटीएम) मूल्य, जो रिपोर्ट की जानेवाली तिमाही के अंत में हो, इस मद के सामने रिपोर्ट किया जाता है ।

खाते की मुद्रा में प्रोद्भूत ब्याज (एफसी_आइएनटी) : यदि रिपोर्टिंग तिमाही के अंत तक प्रोद्भूत ब्याज खाते के बकाया शेष में पहले ही नामे/जमा किया जा चुका हो, तब '0' (शून्य), अन्यथा, प्रोद्भूत ब्याज की गणना खाते/लेनदेन की मुद्रा में की जाती है और इस मद के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट की जाती है ।

भारतीय रुपयों में बकाया राशि (आरएस_बीएएल) : खाते में बकाया शेष (जो कि खाता बही में भारतीय रुपये में उल्लिखित होता है) या भारतीय रुपयों (आईएनआर) में डेरिवेटिव संविदाओं का मार्क्ड टू मार्केट मूल्य (एमटीएम), जो रिपोर्ट की जाने वाली तिमाही के अंत में हो, रुपये में पूर्णांकित किये जाने के बाद इस मद के सामने रिपोर्ट किया जाता है ।

भारतीय रुपयों में प्रोद्भूत ब्याज (आरएस_आइएनटी) :यदि रिपोर्टिंग तिमाही के अंत तक प्रोद्भूत ब्याज खाते के बकाया शेष में पहले ही नामे/जमा किया जा चुका हो, तब '0' (शून्य), अन्यथा, प्रोद्भूत ब्याज की रुपये में पूर्णांकित किये जाने के बाद भारतीय रुपयों (आईएनआर) में रिपोर्ट की जाती है ।

रिपोर्टिंग परम्पराएँ :

तुलनपत्र की मदों में आने वाली और न आने वाली आस्तियों और देयताओं के अंतर्गत सभी राशियों की रिपोर्ट धनात्मक चिह्न के साथ की जाती है, सिवाय मिरर नोस्त्रो खातों में जमाशेष, वोस्त्रो खातों, ऋण/कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट खातों में नामे शेष के और डेरिवेटिव संविदाओं के ऋणात्मक एमटीएम मूल्यों के।

नोस्त्रो खातों में शेष राशि की रिपोर्टिंग : नोस्त्रो खातों में जमाशेष की रिपोर्ट स्थानीय बहियों के अनुसार, अर्थात्, नोस्त्रो खातों की मिरर बही के अनुसार की जाती है । जमाशेष की रिपोर्ट - (ऋणात्मक) चिह्न के साथ की जाती है, जिसे समुद्रपार उधारों (अर्थात्, देयताओं) के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है ।

वोस्त्रो खातों में शेष राशि की रिपोर्टिंग : वोस्त्रो खातों में नामे शेष की रिपोर्ट (-) (ऋणात्मक) चिह्न के साथ की जाती है, जिन्हें अनिवासियों को उधार देना (अर्थात्, आस्तियाँ) के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है । इस मामले में अंतिम जोखिम कूट (अर्थात्, (सी_यू_सीडी एवं एस_यू_सीडी) के देश और क्षेत्र बताये जाते हैं ।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) प्रणाली से यह उम्मीद की जाती है कि यह आँकड़ों की अपर्याप्तता और भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में आँकड़ा अंतर को घटायेगी । रिपोर्टिंग की आईबीएस प्रणाली में सारणीयन के दो सेट समाविष्ट होते हैं, यथा स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) और समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस)। एलबीएस और सीबीएस के लक्षणों को नीचे दिया गया है :

स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) : स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी में रिपोर्टिंग क्षेत्र के भीतर स्थित सभी बैंकिंग कार्यालयों की स्थिति के संबंध में आँकड़ों का संग्रहण करने की व्यवस्था की जाती है । 'रिपोर्टिंग क्षेत्र' का प्रयोग उन देशों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, जो बीआईएस को आईबीएस आँकड़े प्रस्तुत करते हैं । ऐसे कार्यालय केवल अपने (असमेकित) कारोबार की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें इस प्रकार से उनके अपने ही संबद्ध किसी कार्यालय (शाखाएँ, सहकारी संस्थाएँ, संयुक्त उपक्रम) के साथ , जो रिपोर्टिंग क्षेत्र के भीतर या बाहर स्थित हों,अंतरराष्ट्रीय लेनदेन शामिल होता है । रिपोर्टिंग प्रणाली में अंतर्निहित मूलभूत सांगठनिक सिद्धांत होता है बैंकिंग कार्यालय का निवास।

यह भुगतान संतुलन और बाह्य ऋण पद्धति के अनुरूप होता है । इसके अतिरिक्त, स्वामित्व या राष्ट्रीयता आधार पर भी आँकड़ों की गणना की जाती है, जिसके लिए उद्गम देश के अनुसार निवास आधारित आँकड़ों का पुनः समूहन किया जाता है ।

एलबीएस में 18 विवरण समाविष्ट होते हैं, जिनमें से 8 विवरण लिखतवार (यथा, अंतरराष्ट्रीय ऋण और जमाराशि, अंतरराष्ट्रीय धारिताएं/ऋण प्रतिभूतियों के अपने निर्गम और अंतरराष्ट्रीय अन्य आस्तियाँ/देयताएँ) बैंकिंग क्षेत्र की देश तथा उधारकर्ता के क्षेत्र एवं मुद्रा की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय आस्तियों एवं देयताओं के द्योतक होते हैं , तथा 10 विवरण निगमन देश और उधारकर्ता के क्षेत्र के अनुसार रिपोर्टिंग बैंकों की प्रमुख मुद्रावार अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों एवं देयताओं को दर्शाते हैं।

समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी की डिजाइन इस प्रकार बनायी गयी है कि यह बैंकों के अन्य देशों पर वित्तीय दावों, अर्थात्, तुलनपत्र का आस्ति-पक्ष, के दो आधारों पर व्यापक एवं सुसंगत तिमाही आँकड़े प्रदान करती है । जबकि सांख्यिकी का पहला सेट अंतिम जोखिम आधार पर आँकड़ों का संग्रहण करता है, अर्थात् देश-ऋण-जोखिम एक्सपोजर के आकलन के लिए उस देश को आबंटित आँकड़ों के आधार पर करता है, जहाँ अंतिम जोखिम होता है, सांख्यिकी का दूसरा सेट आसन्न उधारकर्ता के आधार पर आँकड़ा-संग्रहण देश अंतरण जोखिम के मापन के लिए करता है, अर्थात् उस देश को आबंटित आँकड़ों के आधार पर करता है, जहाँ प्रारंभिक जोखिम होता है । ये आँकड़े मुख्यतः घरेलू बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गयी तुलनपत्र में आने वाली और न आने वाली मदों पर दावों को शामिल करते हैं, जिसमें उनके विदेशी कार्यालयों (अर्थात्, उनके सहयोगी और शाखाएँ) के एक्सपोजर के आकलन शामिल होते हैं और ये वैश्विक रूप से समेकित आधार पर अंतर-कार्यालय स्थितियों की नेटिंग करते हुए संगृहीत किये जाते हैं।

सीबीएस में 5 विवरण समाविष्ट होते हैं, जिनमें से 4 विवरण उधारकर्ता के देश (आसन्न जोखिम आधार पर) और क्षेत्र तथा रिपोर्टिंग बैंकों (यथा, घरेलू बैंक, भीतरी क्षेत्र वाले बैंकों [(बीआईएस को आईबीएस प्रस्तुत करने वाले देशों में समाविष्ट निगमित विदेशी बैंक), बाहरी क्षेत्र वाले बैंक (बीआईएस को आईबीएस नहीं प्रस्तुत करने वाले देशों में निगमित बैंक)] के प्रकार के अनुसार अवशिष्ट परिपक्वतावार अंतरराष्ट्रीय/विदेशी दावों के द्योतक होते हैं, जबकि अंतिम विवरण देश (अंतिम जोखिम वाला देश) और क्षेत्रवार विदेशी दावों तथा डेरिवेटिवों, गारंटियों और ऋण वायदों से उत्पन्न दावों का द्योतक होता है।

आसन्न/अंतिम जोखिम का आबंटन और रिपोर्टिंग :रिपोर्टिंग घरेलू बैंक अपने सीमापार वित्तीय दावों के परिमाण और उनके विदेशी कार्यालयों के किसी भी मुद्रा में स्थानीय दावों के संबंध में जानकारी देते हैं, जो आसन्न उधारकर्ता के देश से अंतिम जोखिम वाले देश को गारंटियों, संपार्श्विक और उन ऋण डेरिवेटिवों के, जो बैंकिंग बहियों के भाग होते हैं, परिणामस्वरूप पुनः आबंटित किये गये हैं । जोखिम पुनः आबंटन में उसी देश में भिन्न-भिन्न आर्थिक क्षेत्रों (बैंकों, सरकारी क्षेत्र और बैंकेतर निजी क्षेत्र) के बीच किये गये आबंटन शामिल होते हैं । जोखिम के पुनः आबंटन में घरेलू उधारकर्ताओं को दिये गये ऋणों को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें विदेशी कंपनियों द्वारा गारंटीकृत किया गया होता है और इसलिए वे आभ्यंतर जोखिम अंतरण के द्योतक होते हैं, जो गारंटीकर्ता के देश के प्रति जोखिम को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार, विदेशी उधार, जिसकी गारंटी घरेलू कंपनियाँ (अर्थात्, घरेलू निर्यात ऋण एजेंसी) देती हैं, की रिपोर्ट बाह्य जोखिम अंतरण के रूप में की जाती है, जो विदेशी उधारकर्ता के देश के प्रति एक्सपोजर को घटा देता है।

यदि सभी बाहरी और भीतरी जोखिम अंतरणों की रिपोर्ट की जानी होती,तो वे उसी जोड़ में जोड़े जाते । तथापि, किसी बैंक के देश से या देश को जोखिम के पुनः आबंटन के मामले में चूँकि विदेशी काउंटर पार्टी देश से संबंधित भाग की ही रिपोर्ट की जाती है, इसलिए बाहरी और भीतरी जोखिम अंतरण आवश्यक रूप से उसी जोड़ में नहीं जोड़ा जाता। इसी प्रकार, ऋण सहबद्ध नोटों और अन्य संपार्श्विक ऋण वायदों एवं आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों का जारीकर्ता (या सुरक्षित क्रेता) केवल बाहरी जोखिम अंतरण की रिपोर्ट करता है, न कि भीतरी जोखिम अंतरण की, क्योंकि यह माना जाता है कि उसने नकदी संपार्श्विक प्राप्त कर लिया होगा, जो उसके मूल दावे के प्रति जोखिम को समाप्त कर देता है।

घरेलू बैंकों के विदेशी संबद्ध कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा में स्थानीय आस्तियाँ और देयताएँ : रिपोर्टिंग क्षेत्र में आने वाले बैंकों के प्रधान कार्यालय दूसरे देशों में अपने संबद्ध कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा में स्थानीय आस्तियों एवं देयताओं के संबंध में आँकड़े सकल आधार पर देते हैं । संशोधित प्रणाली में, जबकि स्थानीय मुद्रा में स्थानीय देयताओं के संबंध में आँकड़े सकल आधार पर (अर्थात् केवल एक रिकार्ड) रिपोर्ट किये जाते हैं स्थानीय मुद्रा में स्थानीय आस्तियों के संबंध में आँकडे उधारकर्ता के देश एवं क्षेत्र, मुद्रा, अवशिष्ट परिपक्वता, आदि के ब्यौरों के साथ दिये जाते हैं । समेकित बैंकिंग सांख्यिकी में, हालाँकि केवल दावा का मापन किया जाता है, उधारकर्ता देश की देयताओं का प्रतिरूप होती है और इस प्रकार उसे बैंकों के प्रति देय अंतरराष्ट्रीय ऋण का मापन निर्मित करने के लिए मिलाया जा सकता है ।

डेरिवेटिव संविदाएँ : रिपोर्ट करने वाले घरेलू बैंक उन सीमापार वित्तीय दावों (अर्थात्, धनात्मक बाजार मूल्य) के संबंध में समेकित आँकड़े देते हैं, जो दुनिया भर में उनके सभी कार्यालयों की डेरिवेटिव संविदाओं के परिणामस्वरूप और उन देशों के, जहाँ कार्यालय स्थित हों, निवासियों की तुलना में अपने विदेशी कार्यालयों की डेरिवेटिव संविदाओं से उत्पन्न वित्तीय दावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो इस बात से स्वतंत्र होते हैं कि डेरिवेटिव संविदाओं को तुलनपत्र या तुलनपत्र बाह्य मदों के रूप में बुक किया जाता है । ये आँकड़े समेकित अंतिम जोखिम आधार पर रिपोर्ट किये जाते हैं, अर्थात्, अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय स्थिति की नेटिंग की जाती है और इसका आबंटन उस देश को किया जाता है, जहाँ अंतिम जोखिम होता है।

इन आँकड़ों में सिद्धांत रूप से उन सभी डेरिवेटिव संविदाओं को शामिल किया जाता है, जो बीआईएस नियमित ओटीसी डेरिवेटिव सांख्यिकी के संदर्भ में रिपोर्ट किये जाते हैं । इस प्रकार इन आँकड़ों में मुख्यतः विदेशी मुद्रा से संबंधित वायदा, स्वैप और ऑप्शन्स, ब्याज दर, इक्विटी, वस्तु एवं ऋण डेरिवेटिव संविदाएँ समाविष्ट होती हैं । तथापि, ऋण डेरिवेटिव, यथा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और कुल रिटर्न स्वैप, को केवल ''डेरिवेटिव संविदाएँ'' मद के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाना है, यदि वे संरक्षित क्रय रिपोर्टिंग बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित हों। ऋण डेरिवेटिव, जो व्यापार के लिए धारित न हों, उनकी रिपोर्ट ''जोखिम अंतरण'' के रूप में संरक्षण क्रेता द्वारा की जाती है और सभी ऋण डेरिवेटिवों को संरक्षण विक्रेता द्वारा ''गारंटियों'' के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

गारंटियाँ और ऋण वायदे : रिपोर्ट करने वाले घरेलू बैंक दुनिया भर में अपने सभी कार्यालयों के अनिवासियों की तुलना में बकाया गारंटियों तथा उन देशों के निवासियों के, जहाँ ये कार्यालय स्थित होते हैं, क़ी तुलना में गारंटियों से अपने विदेशी कार्यालयों के एक्सपोजर आँकड़े देते हैं । इसी प्रकार के आँकड़े बकाया ऋण वायदों के लिए भी अलग से दिये जाने चाहिए। दोनों प्रकार के आँकड़ो की रिपोर्ट समेकित और अंतिम जोखिम आधार पर की जाती है, अर्थात्, अंतर-कार्यालय स्थिति की नेटिंग की जाती है और - सिवाय जब

एक्सपोजर का शमन नकदी संपार्श्विक द्वारा या किसी निवासी (अर्थात्, अपना देश) अन्य पक्ष को एक्सपोजर द्वारा कर दिया जाता है, जिस मामले में किसी विदेशी एक्सपोजर की रिपोर्ट नहीं की जाती है - विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय स्थिति का आबंटन उस देश को किया जाता है, जहाँ अंतिम जोखिम होता है।

गारंटियों और ऋण वायदों की रिपोर्ट उस सीमा तक की जाती है, जहाँ तक वे बंधनकारी संविदागत दायित्वों और किसी अन्य अप्रतिसंहरणीय वायदों, दोनों के उपयोग नहीं किये गये हिस्से के द्योतक होते हैं । इनमें केवल वे दायित्व सम्मिलित होते हैं, जो यदि उपयोग किये जाते, तो किसी भी मुद्रा में कुल सीमापार दावों और विदेशी कार्यालयों के स्थानीय दावों में रिपोर्ट किये जाते । निष्पादन बांडों और गारंटियों के अन्य रूपों की रिपोर्ट तभी की जाती है, जब कोई आकस्मिकता होती है और उसके परिणामी दावे का प्रभाव कुल सीमापार दावों पर और किसी मुद्रा में विदेशी कार्यालयों के स्थानीय दावों पर होता है । गारंटियों और ऋण वायदों की अधिक विस्तृत परिभाषा और उन विशिष्ट लिखतों की एक असंपूर्ण सूची, जो गारंटियों एवं ऋण वायदों के रूप में अर्ह होते हैं, नीचे दी गयी है ।

गारंटियाँ : गारंटियाँ आकस्मिक देयताएँ होती हैं, जो किसी अन्य पक्ष हिताधिकारी को भुगतान करने के लिए किसी अप्रतिसंहरणीय दायित्व से उत्पन्न होती हैं, जब कोई ग्राहक कुछ संविदागत दायित्व को पूरा नहीं करता है । इनमें जमानती, बोली एवं निष्पादन बांड, वारंट और क्षतिपूर्ति गारंटी , संपुष्ट दस्तावेजी ऋण, अप्रतिसंहरणीय एवं आपाती साखपत्र, स्वीकृत बिल और बेचान शामिल होते हैं । गारंटियों में ऋण डेरिवेटिव संविदाओं के संरक्षण विक्रेता की आकस्मिक देयताएँ शामिल होती हैं ।

ऋण वायदे : ऋण वायदे ऐसी व्यवस्था होती है, जिसमें किसी संस्था को किसी ग्राहक के अनुरोध पर अप्रतिसंहरणीय रूप से बाध्य किया जाता है कि वह ऋणों, सहभागिता ऋणों, प्राप्य पट्टा-वित्त, बंधकों, ओवरड्राफ्टों या अन्य ऋण प्रतिस्थानी के रूप में ऋण दे या ऋणों, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों यथा, नोट निर्गमन सुविधा (एनआइएफ) एवं परिक्रामी हामीदारी सुविधा (आरयूएफ), सहित सहायक सुविधाओं की खरीद के रूप में ऋण देने का वायदा करे ।

अन्य रिपोर्टिंग परिभाषाएँ

आस्तियों की नेटिंग : अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट सिद्धांत रूप में सकल आधार पर की जाती है, अर्थात् उसी काउंटर पार्टी की तुलना में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट अलग से की जाती है, एक के विरुद्ध दूसरे की नेटिंग नहीं की जाती है । तथापि, डेरिवेटिवों की रिपोर्ट करने के लिए, जबकि शाखाएँ अपने एचओ/पीओ को सकल आधार पर काउंटरपार्टी और संविदावार मार्क्ड टू मार्केट (एमटीएम) मूल्य प्रस्तुत करते हैं, बैंकों के एचओ/पीओ किसी काउंटर पार्टी के लिए नेटिंग करते हैं, जहाँ विनिर्दिष्ट विधिसम्मत प्रवर्तनीय द्विपक्षीय नेटिंग सुविधा, यथा, इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) मास्टर एग्रीमेंट आदि, डेरिवेटिवों के संबंध में आँकड़ों का सार प्रस्तुत करने के पहले से विद्यमान होती है ।

मूल्य निर्धारण : बैंक द्वारा प्रवर्तित ऋण और प्राप्य राशियों के रूप में, जो व्यापार के लिए और परिपक्वता निवेशों के लिए धारित नहीं होते हैं, अंतरराष्ट्रीय दावों का मूल्य निर्धारण सिद्धांत रूप में अंकित मूल्य पर या परिशोधित लागत मूल्य पर किया जायेगा । वित्तीय आस्तियाँ, जो विक्रय के लिए उपलब्ध हैं और व्यापार के लिए धारित हैं, उनका मूल्य निर्धारण बाजार या उचित मूल्यों पर किया जाता है । आकस्मिक देयताएँ, जो गारंटियों एवं ऋण वायदों के परिणामस्वरूप

होती हैं, उनका मूल्य निर्धारण अंकित मूल्य पर या अधिकतम संभव एक्सपोजर पर किया जाता है । डेरिवेटिवों के मूल्य निर्धारण और रिपोर्टिंग की क्रियाविधि अनुबंध 2.10 में दी गयी है ।

ब्याज और मूलधन का बकाया : जब तक इन्हें बट्टेखाते नहीं डाला जाता, अंतरराष्ट्रीय दावों पर ब्याज का बकाया और मूलधन का बकाया (पूँजीकृत ब्याज सहित) की रिपोर्ट की जाती है/अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/दावों के संबंध में आँकड़ों में शामिल किया जाता है ।

प्रावधान : वित्तीय दावे, जिनके लिए प्रावधान किये गये हैं, सामान्यतः सकल मूल्य पर विदेशी आस्तियों के रूप में रिपोर्ट किये जाते हैं । तथापि, लेखाकरण नियमों में कुछ उदाहरणों में यह अपेक्षित हो सकता है कि इन दावों की निवल आधार पर रिपोर्ट की जाये, यदि हानि का पता लगा हो ।

दावों को बट्टेखाते लिखना और ऋण माफी : यद्यपि कोई आस्ति, जिसे बट्टेखाते लिखा गया है, कानूनी रूप से प्रवर्तनीय दावा हो सकती है, इसे रिपोर्टिंग में शामिल नहीं किया जाता है।

मुद्रा रूपांतरण : बैंक/शाखाएँ डेरिवेटिवों से भिन्न मदों के लिए बकाया राशियों/ जमाशेषों और प्रोद्भूत ब्याज की रिपोर्ट खाते/लेनदेन की मुद्रा में और समतुल्य रुपये में करते हैं । बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गयी खाते/लेनदेन की मुद्रा में विदेशी मुद्रा की क्रय-विक्रय स्थिति का रूपांतरण बीआईएस को रिपोर्ट किये जाने के प्रयोजनार्थ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिपोर्टिंग तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अमरीकी डालर में किया जाता है । डेरिवेटिवों के लिए कोई रूपांतरण अपेक्षित नहीं होता है, क्योंकि बैंक/शाखाएँ डेरिवेटिव संविदाओं का एमटीएम मूल्य समतुल्य अमरीकी डालर और भारतीय रुपये में रिपोर्ट करते हैं, भले ही निपटान की मुद्रा कोई भी हो ।

2.1.2.2.3. स्रोत और प्रणालियाँ

आँकड़ों का स्रोत : अपेक्षित/संगत आँकड़ा मदें शाखा की खाता बही में आस्तियाँ और देयताएँ शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध होती हैं, जिन्हें पुनः भिन्न-भिन्न बही खातों में विभाजित किया जाता है । किसी खाते के पहले पन्ने में खाताधारक के संबंध में जानकारी, यथा, नाम, पता, परिपक्वता तिथि, आदि और खाते का स्वरूप अभिलिखित किया जाता है । इसके अतिरिक्त किसी दी हुई तिथि को खाते में जमाशेष भी शेष के स्तंभ में उपलब्ध होता है ।

रिपोर्टिंग प्रणाली : आईबीएस के अंतर्गत रिपोर्टिंग प्रणाली में बैंकों की शाखाएँ, मुख्य/प्रधान कार्यालय (एचओ/पीओ) और भारतीय रिज़र्व बैंक शामिल होते हैं । रिपोर्टिंग प्रणाली में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

बैंकों की शाखाएँ/कार्यालय : बैंकों की शाखाएँ/कार्यालय (भारतीय बैंक और विदेशी बैंक), जो भारत में उस स्रोत से परिचालन करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय आस्तियों, अंतरराष्ट्रीय देयताओं और डेरिवेटिवों, गारंटियों तथा ऋण वायदों से उत्पन्न दावों के संबंध में खातावार आँकड़ों की रिपोर्ट करते हैं; और एचओ/पीओ को आँकड़ों का सारांश देते हैं । रिपोर्टिंग शाखाएँ/कार्यालय अपने आरओ/जेडओ/एलएचओ को सारांश आँकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं या सीधे एचओ/पीओ को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो संबंधित बैंकों द्वारा की गयी व्यवस्था पर निर्भर करता है । यह भी कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएँ अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और डेरिवेटिवों, गारंटियों तथा ऋण वायदों से उत्पन्न दावों के संबंध में खातावार आँकड़े तैयार करती हैं और एचओ/पीओ को सारांश आँकड़े प्रस्तुत करती हैं।

बैंकों के मुख्य/प्रधान कार्यालय : एचओ/पीओ शाखाओं के आँकड़ों का संसाधन और समेकन करते हैं और बैंकस्तरीय सारांशीकृत आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक : बैंकों के एचओ/पीओ से प्राप्त आईबीएस आँकड़ों को संसाधित किया जाता है, ताकि भारत में सभी रिपोर्टिंग बैंकों के लिए समेकित स्थिति का पता लगे। भारत में सभी रिपोर्टिंग बैंकों के अंतिम समेकित आईबीएस आँकड़ों के आधार पर एलबीएस और सीबीएस के विवरण तैयार किये जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) को भेजे जाते हैं।

भारत में स्थित बैंकों से बैंकस्तरीय आईबीएस आँकड़े प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संबंधित बैंकों में से प्रत्येक बैंक से एक उच्च स्तर का अधिकारी, जिसे बैंकों द्वारा नामित किया जाता है, नोडल अधिकारी के रूप में काम करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग) बैंक स्तर पर नोडल अधिकारियों के लिए आइबीएस पर कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। बदले में बैंक अपने-अपने स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों में आईबीएस पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं । बैंकों/ शाखाओं द्वारा आँकड़ों की तैयारी/संकलन करने में सुविधा के लिए विंडोज पर आधारित सॉफ्टवेयर उन्हें दिये गये हैं । बैंक रिपोर्टिंग तिथि के एक महीने के भीतर बैंक स्तरीय समेकित आँकड़े एक विनिर्दिष्ट फार्मैट में (टेक्स्ट फाइल) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं । आँकड़ा संचरण केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाता है। बैंकों के एचओ/पीओ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आँकड़े ई-मेल/ फ्लापी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ।

आईबीएस विवरणी सांविधिक नहीं होती है, तथापि, यह अधिदेशात्मक होती है । यह विवरणी भारत में आईबीएस की बीआईएस प्रणाली के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार लागू की गयी थी । विवरणी के संकलन की कार्यपद्धति और और प्रगति पर आईबीएस से संबंधित स्थायी अनुश्रवण दल (एसएमजी) निगरानी रखता है । इस दल में चुने हुए बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं । सामान्यतः एसएमजी का पुनर्गठन दो वर्षों में एक बार किया जाता है ।

2.1.2.2.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

आईबीएस आँकड़े बीआईएस के दिशानिर्देशों/ सिफारिशों के अनुसार संगृहीत/ संकलित किये जाते हैं और इसलिए आँकड़ा संकलन अंतरराष्ट्रीय मानकों का होता है । भारत में आईबीएस की बीआईएस प्रणाली के कारगर ढंग से कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए और विदेशी मुद्रा नियंत्रण के और अधिक आसान बनाये जाने की दशा में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार करने के लिए एक स्थायी अनुश्रवण दल होता है ।

सॉफ्टवेयर में उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं, ताकि कुछ रिपोर्टें आँकड़ों की व्याप्ति और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा सकें । बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे इन रिपोर्टों का सत्यापन करें और अन्य विवरणियों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये गये आँकड़ों से मिलान करें । सॉफ्टवेयर में उपयुक्त जाँच की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो । पुनः, सॉफ्टवेयर में यह व्यवस्था की गयी है कि इसमें पिछली तिमाहियों में रिपोर्ट किये गये आँकड़ों से यदि वर्तमान आँकड़ों में भारी अंतर हो, तो उसके कारणों को रिकार्ड किया जाये। भारतीय रिज़र्व बैंक के स्तर पर, बैंकों से प्राप्त आँकड़ों का संसाधन करते समय आँकड़ों की शुद्धता/ व्याप्ति आईबीएस आँकड़ों का मिलान बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को भिन्न-भिन्न सेट वाली विवरणी के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये उसी प्रकार के समग्र स्तरीय आँकड़ों के साथ करके सुनिश्चित की जाती है ।

बैंक/शाखा के अधिकारियों को प्रशिक्षित/शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से संचालन किया जाता है । बैंक भी अपने अधिकारियों के लिए अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यशालाओं का संचालन करते हैं ।

2.1.3 शाखा बैंकिंग सांख्यिकी (मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम)

भारतीय रिज़र्व बैंक आवधिक विवरणियों/ विवरणों के माध्यम से बैंकों के भिन्न-भिन्न पहलुओं के

संबंध में आँकड़े/जानकारी का संग्रहण करता है । इन आँकड़ों का संसाधन करने के लिए यह आवश्यक है कि आँकड़ों के स्रोत की विशिष्ट पहचान रखी जाये । यह सभी बैंक कार्यालयों को उपयुक्त कूट संख्या आबंटित करके किया जाता है, जिसका नाम है एक समान कूट संख्या । कूट संख्यांकन प्रणाली, जिसे बैंक शाखाओं/ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सभी विवरणियों में एक समान रूप से प्रयोग किया जाता है, पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साठ के दशक के अंत में विचार किया गया और प्रारंभ में इसे वाणिज्यिक बैंकों के लिए 1972 में लागू किया गया । इसी प्रकार सभी सहकारी ऋण संस्थाओं और राज्य वित्तीय निगमों को, जो अग्रणी बैंक योजना में सहभागी होते थे, एक समान कूट संख्या के आबंटन का प्रयास 1982 में किया गया।

2.1.3.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

शाखाओं की व्यापक और अद्यतन सूची भारतीय रिज़र्व बैंक (सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग) द्वारा मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) में रखी जाती है, जो विविध मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) सर्वेक्षणों , बैंकों से संबंधित अन्य सर्वेक्षणों और विदेशी मुद्रा से संबंधित विभिन्न विवरणियों के लिए, जो सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग में प्राप्त होती हैं, बैंक शाखाओं की रूपरेखा बनाती है । यहाँ यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि एमओएफ ही भारत में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा बैंकिंग ब्यौरे के लिए आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोत होता है।

एमओएफ में अद्यतन शाखा रिकार्ड बनाये रखना शाखा बैंकिंग सांख्यिकी की निम्नलिखित बहुआयामी उपयोगिता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है:

i) संसद में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शाखा बैंकिंग के आँकड़े वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करना।

ii) केंद्र और राज्य सरकार के विविध विभागों को उनके प्रकाशनों के लिए, पेंशन वितरण के लिए, आयकर विभाग को आयकर भुगतान के ऑनलाइन आँकड़े ऑनलाइन टैक्स एकाउंटिंग सिस्टम (ओलटास), आदि के संबंध में देने के लिए शाखा संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत करना।

iii) विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाली शाखाओं के ब्यौरे एक समान कूट संख्या के साथ सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, नई दिल्ली को संबंधित सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यात परेषणों की मंजूरी के संबंध में प्रस्तुत करना ।

iv) वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के ब्यौरे और उनके संक्षिप्त आँकड़े बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (बै.प.वि.वि.) और ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (ग्राआऋवि) को शाखा लाइसेंसीकरण नीति के संबंध में प्रस्तुत करना।

ऊपर सूचीबद्ध कुछ अपेक्षाओं के अतिरिक्त बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा ग्रामीण आयोजन और ऋण विभाग से भिन्न भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य केंद्रीय कार्यालय विभाग एक समान कूट संख्याओं और एमओएफ के आधार पर संकलित आँकड़ों का उपयोग करते हैं । एमओएफ में उपलब्ध वाणिज्यिक बैंकों के शाखा संबंधी ब्यौरों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग नियमित रूप से दो प्रकाशनों, यथा, ''शाखा बैंकिंग सांख्यिकी'' (जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में शाखा बैंकिंग के संक्षिप्त आँकड़े दिये जाते हैं) और ''भारत में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की निर्देशिका'' (जिसमें शाखाओं/ कार्यालयों की सूची उनके स्थानीकृत और अन्य ब्यौरों के साथ दी जाती है) को सीडी रोम पर और आरबीआई वेबसाइट पर निकालता है । आशोधित रूप में ये आँकड़े रिज़र्व बैंक के अन्य प्रकाशनों में भी प्रकाशित किये जाते हैं ।

2.1.3.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

क. *मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ)*

विदेशी मुद्रा सँभालने वाले वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की प्रत्येक शाखा/कार्यालय और वित्तीय

संस्थाओं तथा अस्थायी कार्यालयों के एक समान कूट के साथ-साथ अन्य ब्यौरे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविकंसेवि) में मास्टर ऑफिस फाइल के रूप में इसकी कंप्यूटर प्रणाली में रखे जाते हैं ।

ख. *एक समान कूट संख्या (यूसीएन)*

बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के यूसीएन में दो भाग समाविष्ट होते हैं - भाग I कूट और भाग II कूट, जिनमें से प्रत्येक में 7 अंक होते हैं : अस्थायी कार्यालयों (जो प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते हैं - एनएआइओ) के भाग I कूट में दो अतिरिक्त अंक जोड़े जाते हैं।

भाग I कूट को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है:

- *वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की शाखाओं/कार्यालयों/एनएआइओ के लिए :*

  बायीं ओर से पहले तीन अंक बैंक कूट के लिए होते हैं।

  अगले चार अंक शाखा कूट के लिए होते हैं।

  एनएआइओ के मामले में अंतिम दो अंक एनएआइओ कूट के लिए होते हैं।

- *राज्य/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, राज्य/केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों/एनएआइओ के लिए :*

  बायीं ओर से पहले चार अंक बैंक कूट के लिए होते हैं ।

  अगले तीन अंक शाखा कूट के लिए होते हैं।

  अंतिम दो अंक एनएआइओ कूट के लिए होते हैं (एनएआइओ के मामले में)।

- *अन्य सहकारी बैंकों, वेतन अर्जकों के बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और पर्यटन, यात्रा, वित्त एवं पट्टादायी कंपनियों की शाखाओं/कार्यालयों/एनएआइओ के लिए :*

  बायीं ओर से पहले पाँच अंक बैंक कूट के लिए होते हैं;

  अगले दो अंक शाखा कूट के लिए होते हैं ;

  अंतिम दो अंक एनएआइओ कूट के लिए होते हैं।

भाग II कूट, भले ही बैंक किसी भी कोटि का हो, को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है:

बायीं ओर से पहले तीन अंक जिला कूट के लिए होते हैं;

अगले तीन अंक जिले के अंदर केंद्र कूट के लिए होते हैं;

अंतिम एक अंक आबादी सीमा कूट के लिए होते हैं;

आबादी सीमा कूट (भाग II कूट का अंतिम अंक) और आबादी समूह कूट के बीच संबंध नीचे दर्शाया गया है:

एक समान कूट संख्या के भाग II का अंतिम अंक (आबादी सीमा कूट)	आबादी सीमा	आबादी समूह	आबादी समूह कूट
1	4999 तक	*ग्रामीण*	*1*
2	5000 से 9999		
3	10,000 से 19,999	*अर्धशहरी*	*2*
4	20,000 से 49,999		
5	50,000 से 99,999		
6	1,00,000 से 1,99,999	*शहरी*	*3*
7	2,00,000 से 4,99,999		
8	5,00,000 से 9,99,999		
9	10 लाख और अधिक	*मेट्रोपालिटन*	*4*

ग. *एक समान कूट, बीएसआर कूट और एडी कूट संख्या*

एक समान कूट, बीएसआर कूट और एडी कूट संख्या के बीच कोई अंतर नहीं है । वे एक ही होते हैं।

घ. *प्रोफार्मा I और II*

बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में विस्तृत जानकारी नियमित रूप से निर्धारित प्रोफार्मा, यथा, प्रोफार्मा I और II, में संगृहीत की जाती है । बैंक सुविधायुक्त/ बैंक सुविधा रहित केंद्रों में खोली गयी नयी शाखाओं/ कार्यालयों के ब्यौरे, यथा, शाखा/कार्यालय खोले जाने की तिथि,शाखा/कार्यालय का नाम और पता, अन्य स्थानीकृत विवरण, केंद्र की आबादी, किये गये कारोबारी कार्यकलाप का स्वरूप और अनेक सहायक जानकारी, यथा, एडी कोटि, मुद्रा तिजोरी संबंधी ब्यौरे, कंप्यूटरीकरण की स्थिति, आदि की रिपोर्ट प्रोफार्मा I के माध्यम से दी जाती है । किसी बैंक शाखा के स्थान बदले जाने/बंद किये जाने/विलय/रूपांतरण किये जाने/शाखा का नाम/एडी कोटि बदले जाने/किसी सहायक जानकारी में परिवर्तन होने के संबंध में जानकारी प्रोफार्मा II के माध्यम से संगृहीत की जाती है । प्रोफार्मा I और II की नमूना प्रति और उस पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुबंध 2.11 के साथ संलग्न है ।

ङ. *किसी बैंक शाखा/कार्यालय के स्थान के विशेष संदर्भ में किसी केंद्र की परिभाषा*

एक केंद्र राजस्व इकाई के रूप में उल्लिखित किया जाता है, जिसकी निश्चित सर्वे-सीमा होती है, जिसे स्थानीय प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है और इसमें राजस्व ग्राम/नगर/शहर/नगरपालिका/नगर निगम/कैंटोनमेंट बोर्ड, किसी शहर/नगरपालिका/नगर निगम में अधिवृद्धि, आदि शामिल होते हैं । दशवार्षिक जनगणना में केंद्र की यही परिभाषा जनगणना अधिकारियों द्वारा उपयोग में लायी जाती है। बैंकों द्वारा प्रोफार्मा में रिपोर्ट किये गये केंद्र के नाम की जाँच जनगणना दस्तावेजों में उपलब्ध अभिलेखों से की जाती है।

च. *बैंक सुविधायुक्त केंद्र की परिभाषा*

कोई राजस्व केंद्र, जिसकी परिभाषा ऊपर दी गयी है, जिसमें किसी वाणिज्यिक या सहकारी बैंक की कम से कम एक शाखा/कार्यालय या अस्थायी कार्यालय, यथा एक विस्तार काउंटर या सैटलाइट कार्यालय या किसी वाणिज्यिक या सहकारी बैंक का परोक्ष एटीएम होता है, उसे बैंक सुविधायुक्त केंद्र कहा जाता है ।

छ. *बैंक सुविधायुक्त केंद्रों का आबादी समूह वर्गीकरण, जिसका उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक में किया जाता है*

बैंक सुविधायुक्त केंद्रों के आबादी समूहों की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी जाती है:

i) ग्रामीण समूह में वे केंद्र शामिल होते हैं, जिनकी आबादी 10000 से कम है ।

ii) अर्द्धशहरी समूह में वे केंद्र शामिल होते हैं, जिनकी आबादी 10000 और अधिक लेकिन 1 लाख से कम होती है ।

iii) शहरी समूह में वे केंद्र शामिल होते हैं, जिनकी आबादी 1 लाख और अधिक लेकिन 10 लाख से कम होती है ।

iv) मेट्रोपॉलिटन समूह में वे केंद्र शामिल होते हैं, जिनकी आबादी 10 लाख और अधिक होती है।

ज. *आबादी समूह वर्गीकरण, जिसका उपयोग जनगणना अधिकारियों द्वारा किया जाता है*

रिज़र्व बैंक में उपयोग किया गया आबादी समूह वर्गीकरण जनगणना अधिकारियों द्वारा उपयोग किये गये वर्गीकरण से भिन्न होता है । जनगणना अधिकारियों द्वारा 2001 की जनगणना में उपयोग किया गया आबादी समूह वर्गीकरण निम्नानुसार है :

निम्नलिखित स्थानों को शहरी माना जाता है :

1. सभी सांविधिक नगर, अर्थात् वे सभी स्थान, जहाँ नगरपालिका, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, आदि हो।
2. अन्य सभी स्थान, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं :

– 5000 की न्यूनतम आबादी;

– पुरुष कामकाजी आबादी का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा कृषीतर कार्य में लगा हो;

– आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 (प्रति वर्गमील 1000) हो;

अन्य सभी स्थानों (राजस्व ग्राम), जिनकी निश्चित सर्वे सीमा हो, को ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

झ. *विविध वाणिज्यिक बैंक समूह, जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है*

i) सरकारी क्षेत्र के बैंक : (क) भारतीय स्टेट बैंक और इसके 7 सहयोगी बैंक, (ख) 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, (ग) अन्य सरकारी क्षेत्र बैंक (आइडीबीआइ लि.)।

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

iii) विदेशी बैंक

iv) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक (निजी बैंक): (क) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक और (ख) निजी क्षेत्र के नये बैंक

v) गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक) ।

ञ. *सैटलाइट कार्यालय और विस्तार काउंटर के बीच अंतर*

सैटलाइट कार्यालय सामान्यतः दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित होते हैं और एक शाखा के सभी प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन सप्ताह में सीमित दिनों तक, जबकि विस्तार काउंटर सभी कार्य दिवसों को खुले रहते हैं, लेकिन एक शाखा के केवल सीमित कार्य करते हैं, यथा, बचत खाते खोलना, जमाराशि स्वीकार करना, आदि।

2.1.3.3. स्रोत और प्रणालियाँ

मूलभूत आँकड़ों के स्रोत होते हैं वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जो विदेशी मुद्रा कारोबार करती हैं, जहाँ से शाखा बैंकिंग के ब्यौरे प्रोफार्मा I और II में प्राप्त किये जाते हैं । केंद्रों/जिलों/राज्यों के विलय और पुनर्गठन से संबंधित जानकारी राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचनाओं से प्राप्त की जाती है । महानिबंधक का कार्यालय, भारत सरकार द्वारा जारी दशवार्षिक जनगणना के केंद्रों के आबादी संबंधी आँकड़ों के आधार पर, बैंक शाखाओं की तुलना में बैंक सुविधायुक्त केंद्रों के आबादी समूह वर्गीकरण को अद्यतन किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से भिन्न बैंकों के संबंध में प्रोफार्मा I और II उन बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा सीधे प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन्हें भाग I और II एक समान कूट दिया गया होता है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में द्वि-स्तरीय व्यवस्था होती है। आंचलिक/सर्कल/स्थानीय प्रधान कार्यालय प्रोफार्मा I और II में उन शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में रिपोर्ट अपने प्रधान कार्यालय को करते हैं, जो उनके अधिकार-क्षेत्र में आती हैं , बदले में प्रधान कार्यालय समेकित प्रोफार्मा नयी खोली गयी शाखाओं/कार्यालयों को भाग I का एक समान कूट आबंटित किये जाने के बाद हमारे पास प्रस्तुत करते हैं, और उनको भाग II का एक समान कूट सूचित किया जाता है।

बैंकों से शाखा बैंकिंग आँकड़ों का संग्रहण करने के लिए हाल ही में डाटा-एंट्री सॉफ्टवेयर (विजुअल बेसिक 6.0 सॉफ्टवेयर का प्रयोग फ्रंट एंड टूल के रूप में तथा एमएस ऐक्सेस का प्रयोग बैंक एंड टूल के रूप में किया गया है) विकसित किया गया है और बैंकों को भेजा गया है । मास्टर ऑफिस फाइल प्रणाली, जिसमें सभी शाखा/कार्यालय/एनएआइओ के ब्यौरे रखे जाते हैं, ओरैकल आरडीबीएमएस प्रणाली पर आधारित है (विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग फ्रंट एंड टूल के रूप में और ओरैकल

9i का प्रयोग बैक एंड टूल के रूप में किया गया है)। इस प्रणाली में, रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स 11.0 का प्रयोग किया गया है । इस प्रणाली की मुख्य विशेषता है शाखावार लेनदेन का रिकॉर्ड प्राप्त करना, ताकि भविष्य में किसी भी समय किसी शाखा/कार्यालय/एनएआइओ के अतीत से परिचित हुआ जा सके । यह भी कि बैंक स्तरीय सॉफ्टवेयर में आंचलिक/सर्कल/स्थानीय प्रधान कार्यालय के सभी रिकार्डों को संचित करने के लिए एक व्यवस्था की गयी है कि आंचलिक/सर्कल/स्थानीय प्रधान कार्यालयों के स्तर वाली फाइलों को एचओ के स्तर पर इंपोर्ट किया जाये और उन्हें सभी रिकार्डों के एकल/संचयी फार्मैट में एक्सपोर्ट कर दिया जाय, जिसे बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जा सकता है। बैंक स्तरीय डाटा-एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, बैंकों ने प्रोफार्मा I और II की सॉफ्ट कॉपी मैग्नेटिक माध्यम से/इंटरनेट सुविधा का उपयोग करते हुए भेजना आरंभ कर दिया है।

उन शाखाओं/कार्यालयों के लिए, जो विदेशी मुद्रा का कारोबार सँभालते हैं, प्रोफार्मा का प्रस्तुतीकरण निरंतर आधार पर किया जाता है। जबकि बैंक उन शाखाओं/कार्यालयों के बारे में, जो विदेशी मुद्रा का काराबार नहीं सँभालते हैं, तिमाही आधार पर प्रोफार्मा प्रस्तुत करते हैं।

2.1.3.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

बैंकों से उत्तम गुणवत्ता के आँकड़े प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए, प्रोफार्मा I और II में कुछ महत्वपूर्ण डाटा फील्डों को अधिदेशात्मक रूप में उद्दिष्ट किये जाने के अतिरिक्त डाटा-एंट्री सॉफ्टवेयर में अनेक संगति-जाँच को भी समाविष्ट किया गया है । समय-समय पर कार्यशालाओं का भी संचालन किया जाता है, ताकि बैंक-प्रतिनिधियों को समझाया जा सके कि वे समय पर अच्छी गुणवत्ता वाले आँकड़े प्रस्तुत करें । भारतीय रिज़र्व बैंक में विनियामक प्राधिकारी, यथा, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, आदि समय-समय पर बैंकों को दिशानिर्देश जारी करते हैं, जिसमें नियत समय के भीतर गुणवत्ता वाले आँकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है ।

2.1.4. अन्य बैंकिंग सांख्यिकी

सांविधिक और विशेष विवरणियों पर आधारित सांख्यिकी के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, पर्यवेक्षण और बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों के संबंध में विविध प्रकार की अन्य बैंकिंग सांख्यिकी का संग्रह और संकलन करता है । इन विषयों पर आधारित जानकारी का प्रसार नियमित रूप से विविध प्रकाशनों, यथा, स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, आदि के माध्यम से किया जाता है । इन सांख्यिकी की कुछ प्रमुख विशेषताओं को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

2.1.4.1. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र सांख्यिकी

जुलाई 1968 में आयोजित राष्ट्रीय ऋण परिषद की एक बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, यथा, कृषि और लघु उद्योग, का वित्तपोषण करने में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए । बाद में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का औपचारिक वर्णन 1972 में किया गया, जो मई 1971 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम देने से संबंधित सांख्यिकी के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अनौपचारिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित था । इस रिपोर्ट के आधार पर रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए एक संशोधित विवरणी निर्धारित की और इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किये गये, जिसमें बताया गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की विविध कोटियों के अंतर्गत शामिल की जाने वाली मदों का क्षेत्र-विस्तार कितना होगा । यद्यपि आरंभ में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए कोई विनिर्दिष्ट

लक्ष्य नियत नहीं किया गया था, नवंबर 1974 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने कुल अग्रिमों में इन क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ाकर मार्च 1979 तक 33 1/3 प्रतिशत करें ।

मार्च 1980 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ केंद्रीय वित्तमंत्री की बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अपने अग्रिमों का अनुपात बढ़ाकर मार्च 1985 तक 40 प्रतिशत कर देना चाहिए। बाद में, बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार और बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तौर-तरीके के संबंध में कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, यथा, कृषि, लघु उद्योग, लघु सड़क एवं जल परिवहन परिचालक, फुटकर व्यापार, छोटे कारोबार, आदि को उधार देने का लक्ष्य, जो कुल बैंक अग्रिमों का 40 प्रतिशत है, 1985 तक प्राप्त करें। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के भीतर कृषि और कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए उप-लक्ष्य भी विनिर्दिष्ट किये गये । बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि कृषि (और संबद्ध कार्यकलाप) को दिया गया प्रत्यक्ष वित्त मार्च 1985 तक कुल बैंक ऋण के कम से कम 15% तक और मार्च 1987 तक कम से कम 16% तक और मार्च 1989 तक कुल बैंक ऋण के कम से कम 17% तक के स्तर पर पहुँचे। इस लक्ष्य को बढ़ाकर मार्च 1990 तक 18% कर दिया गया। अक्तूबर 1993 में बैंकों को सूचित किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि-अग्रिमों की प्रत्यक्ष कोटि पर बैंकों का ध्यान कम न हो जाये, अप्रत्यक्ष कोटि के अंतर्गत कृषि उधार 18 प्रतिशत के उप-लक्ष्य से एक चौथाई अर्थात् निवल बैंक ऋण के 4.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समय, निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत के समग्र मुख्य उधार लक्ष्य के भीतर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निवल बैंक ऋण का 18% कृषि क्षेत्र को, निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को मिलता है। तथापि, देश में परिचालनरत विदेशी बैंकों पर यह लागू नहीं किया गया, क्योंकि ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में उनकी व्याप्ति कम थी। यह महसूस किया गया कि एसएसआई, छोटे परिवहन परिचालक, फुटकर व्यापार, आदि जैसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों का वित्तपोषण करने में उनकी हिस्सेदारी इस समय की अपेक्षा अधिक बढ़ायी जा सकती है । 1988 में भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों को सूचित किया गया कि मार्च 1992 तक उनके प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को क्रमिक रूप से बढ़ाकर उनके निवल बकाया अग्रिमों का 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी दायित्वों के संबंध में देशी बैंकों और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के बीच असमानता को घटाने की दृष्टि से अप्रैल 1993 में विदेशी बैंकों को सूचित किया गया कि विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के लिए उनकी न्यूनतम अपेक्षा को उनके निवल बैंक ऋण के 15 प्रतिशत से बढ़कार 32 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसे मार्च 1994 तक प्राप्त किया जाना है । इसी के साथ, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी बैंकों का कोई ग्रामीण नेटवर्क नहीं है, यह निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई 1993 से विदेशी बैंकों के मामले में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम के संघटन में उनके द्वारा दिये गये निर्यात ऋण शामिल होंगे और 32% का बढ़ा हुआ लक्ष्य निर्यात ऋण के साथ होगा। पुनः, 32% के समग्र लक्ष्य के भीतर एसएसआई और निर्यात क्षेत्र में से प्रत्येक को निवल बैंक ऋण का कम से कम 10% अग्रिम दिया जाना चाहिए । तथापि, निर्यातों के लिए उप-लक्ष्य बाद में 12% निर्धारित किया गया । नियत लक्ष्य और उप-लक्ष्य नहीं प्राप्त करने की दशा में विदेशी बैंकों को लक्ष्य/उप-लक्ष्य में कमी के बराबर राशि तीन वर्ष की अवधि के लिए लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास जमा करना है, जिस पर ब्याज दर बैंक दर और

बैंक दर घटाव 3 प्रतिशत अंक की सीमा में होगी और जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य/उप-लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के प्रतिशत पर निर्भर करेगी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये। देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जिनके द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र /कृषि को उधार देने में कमी आती है, उन्हें ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ), जो नाबार्ड में स्थापित की गयी है, में अंशदान के लिए राशि आबंटित की जाती है । आरआईडीएफ के परिचालन के संबंध में ब्यौरे, यथा, बैंकों द्वारा जमा की जाने वाली राशि , जमाराशियों पर ब्याज की दर, जमाराशि की अवधि, आदि के बारे में प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के बजट में आरआईडीएफ की स्थापना के बारे में घोषणा किये जाने के बाद निर्णय लिया जाता है । बैंकों द्वारा किये जाने वाले अंशदान के बारे में संबंधित बैंकों को अलग से सूचित किया जाता है । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र/कृषि को उधार में कमी पर बैंकों को आरआईडीएफ के अंतर्गत आबंटन करते समय ध्यान दिया जाता है कि कितनी राशि किस ब्याज दर पर नाबार्ड के पास जमा की जानी है ।

बैंक ऋण को समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के क्षेत्र-विस्तार और परिभाषा में दीर्घावधि में छोटे-मोटे समायोजन किये गये, जिसके लिए उसमें नयी मदें जोड़ी गयीं और घटक उप-क्षेत्रों की ऋण सीमा भी बढ़ायी गयी। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की व्याप्ति, आँकड़े, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने विविध प्रकाशनों में प्रकाशित किये जाते हैं, का वर्णन नीचे किया गया है ।

1. कृषि

1.1 किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष वित्त, यथा,

1.1.1. फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण, अर्थात् फसल ऋण । इसके अतिरिक्त, किसानों को कृषि उपज को (जिसमें भांडागार रसीद शामिल है) गिरवी/ दृष्टिबंधक रखने पर 10 लाख रुपये तक का अग्रिम, जो 12 महीनों से अनधिक अवधि के लिए होगा, जहाँ किसानों को उपज बढ़ाने के लिए फसल ऋण दिये गये थे, बशर्ते कि उधारकर्ता किसी एक बैंक से ऋण प्राप्त करता है ।

1.1.2 मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण, जो किसानों को उत्पादन का वित्तपोषण करने और विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए सीधे प्रदान किये जाते हैं ।

(i) कृषि औजार और मशीनों की खरीद -

(क) कृषि औजार (लोहे के हल, हैरो, होज, भूमि समतलक, बंडफार्मर, स्प्रेयर्स, डस्टर्स, हे-प्रेस, शुगरकेन क्रशर्स, थ्रेशर मशीन आदि) की खरीद ।

(ख) खेती के लिए मशीनों (यथा ट्रैक्टर, ट्रेलर, पावर टिलर, ट्रैक्टर ऐक्सेसरी, आदि) की खरीद।

(ग) ट्रक, जीप, पिक-अप वैन, बैलगाड़ी और अन्य परिवहन उपकरण की खरीद, जो कृषि निविष्टियों और कृषि उत्पादन के परिवहन में सहायक हैं ।

(घ) कृषि निविष्टियों और कृषि उत्पादनों का परिवहन ।

(ङ) खेत की जुताई के लिए पशुओं, की खरीद आदि।

(ii) निम्नलिखित के माध्यम से सिंचाई की संभावना को बढ़ाना -

(क) उथले और गहरे नलकूपों, तालाबों, आदि का निर्माण और ड्रिलिंग यूनिटों की खरीद ।

(ख) सतही कुँओं का निर्माण, उन्हें गहरा करना, सफाई करना, कुओं का परिवेधन (बोरिंग), कूपों में बिजली की सुविधा देना, ऑयल इंजिन की खरीद और बिजली के मोटर और पंप लगाना।

(ग) टर्बाइन पंपों की खरीद और संस्थापन, खेत में नालियों (खुली और भूमिगत) का निर्माण, आदि।

(घ) लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का निर्माण।

(ङ) स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का संस्थापन।

(च) कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले पंपसेटों को क्रियाशील करने के लिए जेनरेटर सेटों की खरीद ।

(iii) भूमि उद्धार और विकास योजनाएँ - खेती की भूमि में मेड़ बाँधना, टेरेसिंग, धान के शुष्क खेतों को धान के नये सिंचित खेतों में बदलना, बंजर भूमि का विकास, खेत की जल निकास व्यवस्था सुधारना, खेत की मिट्टी का उद्धार और उसकी लवणीयता को रोकना, खड्ड वाली भूमि का उद्धार, बुलडोजरों की खरीद, आदि ।

(iv) फार्म भवनों और इमारतों का निर्माण, आदि - बैलों के रहने के लिए शेड, औजार रखने के लिए शेड, ट्रैक्टर एवं ट्रक रखने के लिए शेड, फार्म स्टोर्स ।

(v) स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाना - भांडागारों, गोदामों, साइलो का निर्माण और उन्हें चलाना और किसानों को अपनी उपज को रखने हेतु उपयोग के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए दिये गये ऋण ।

(vi) सिंचाई शुल्क आदि का भुगतान - कुँओं और नलकूपों से भाड़े पर लिये गये जल के लिए प्रभार, नहर-जल का प्रभार, ऑयल इंजनों और बिजली के मोटर के रखररखाव और मरम्मत, मजदूरी का भुगतान, बिजली का प्रभार, विपणन प्रभार, भाड़े पर उपकरण देने वाली इकाइयों को सेवा प्रभार, विकास उपकर का भुगतान, आदि ।

(vii) किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त के अन्य प्रकार -

क. अल्पावधि ऋण

i. परंपरागत/गैर-परंपरागत बागान और उद्यान के लिए

ii. संबद्ध कार्यकलाप, यथा, डेरी, मत्स्यपालन, सुअर बाड़ा, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, आदि के लिए ।

ख. मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण

i. सभी बागानों और उद्यानों, वानिकी और बंजर भूमि के लिए विकास ऋण

ii. संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण

iii. डेरी और पशुपालन का सर्वांगीण विकास ।

iv. मत्स्य उद्योग का, मछली पकड़ने से उसके निर्यात के प्रक्रम तक, सर्वांगीण विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक उपकरण के लिए वित्तपोषण, तालाबों का पुनर्वास (मीठे जल में मछली पकड़ना), मत्स्य प्रजनन, आदि ।

v. मुर्गीपालन, सुअर बाड़ा, आदि का सर्वांगीण विकास, जिसमें मुर्गी घर, सुअर बाड़ा, आदि का निर्माण शामिल है, मधुमक्खी पालन, आदि।

vi. अश्व फार्मों का विकास और रखरखाव, रेशम उत्पादन, जिसमें तंतु रचना, आदि शामिल है । तथापि, यहाँ घुड़दौड़ के अश्वों के प्रजनन को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।

vii. बायो-गैस प्लांट ,

viii. लघु और सीमांत कृषकों को कृषि प्रयोजनों हेतु भूमि खरीदने के लिए वित्तपोषण।

ix. कृषि स्नातकों द्वारा एग्रिक्लिनिकों और एग्रिबिजनेस केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तपोषण ।

x. बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश, जो कृषि को प्रत्यक्ष अग्रिम का द्योतक होता है ।

1.2: कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त

1.2.1(i) उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों, आदि के वितरण के वित्तपोषण के लिए ऋण

(ii) संबद्ध कार्यकलापों, यथा, मवेशी चारा, मुर्गियों के लिए दाने, आदि के लिए निविष्टियों के वितरण के वित्तपोषण के लिए दिये गये 40 लाख रुपये तक के ऋण ।

1.2.2 (i) बिजली बोर्डों को अलग-अलग किसानों को उनके कूपों को क्रियाशील करने के लिए स्टेप-डाउन पाइंट से लो-टेंशन कनेक्शन देने पर पहले ही किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ऋण, बिजली वितरण निगमों/कंपनियों को, जो एसईबी के विभाजन/पुनर्विन्यास के फलस्वरूप बने हैं, को ऋण भी कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और (ii) एसईबी को स्पेशल एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट (एसआई-एसपीए) के अंतर्गत सिस्टम इंप्रूवमेंट स्कीम के लिए ऋण ।

1.2.3 पीएसीएस, एफएसएस और एलएएमपीएस के माध्यम से किसानों को ऋण ।

1.2.4 नाबार्ड के पास रखे ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) में बैंकों द्वारा धारित जमाराशि ।

1.2.5 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा जारी किये गये बांडों में अभिदान, जो केवल ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में पंपसेट क्रियाशीलता कार्यक्रम के वित्तपोषण और सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम (एसआई-एसपीए) के भी वित्तपोषण के लिए है । तथापि, बैंकों द्वारा जो निवेश आरईसी द्वारा जारी किये गये बांडों में 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद किये जायेंगे, वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे और ऐसे निवेश, जो 31 मार्च 2005 तक बैंकों द्वारा किये जा चुके हैं, 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र नहीं रहेंगे ।

1.2.6 नाबार्ड द्वारा केवल कृषि/संबद्ध कार्यकलाप के वित्तपोषण के उद्देश्य से जारी किये गये बांडों में अभिदान । तथापि, नाबार्ड द्वारा जारी ऐसे बांडों में बैंकों द्वारा किये गये ऐसे निवेश 1 अप्रैल 2007 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे ।

1.2.7 अन्य प्रकार के अप्रत्यक्ष वित्त, यथा (i) कृषि मशीनों और औजारों के वितरण के लिए किराया-खरीद योजनाओं के लिए वित्त, (ii) भंडारण सुविधा (भांडागार, विपणन यार्ड, गोदाम और साइलो), कोल्ड स्टोरेज यूनिटों कृषि उपज/उत्पादों को रखने के लिए डिजाइन किए गए हों, के निर्माण और उन्हें चलाने के लिए ऋण, भले ही वे किसी भी स्थान पर हों, (iii) भाड़े पर उपकरण देने वाली इकाइयों को अग्रिम, जिनका व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों द्वारा प्रबंध किया जाता हो, जिनके पास अनेक ट्रैक्टर, बुलडोजर, वेलबेरिंग के उपस्कर, थ्रेशर, कंबाइन्स, आदि हों और जो किसानों के काम ठेके पर करते हों (iv) व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को ऋण, जो छिड़काव का काम करते हों, (v) राज्य प्रायोजित निगमों को अग्रिम, जो आगे कमजोर वर्गों को उधार दें, (vi) कृषि को आगे उधार देने, बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किये जाने, जो कृषि आदि को प्रत्यक्ष अग्रिम के द्योतक होते हैं, के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण।

2. लघु उद्योग

2.1. लघु एवं सहायक उद्योग

लघु औद्योगिक इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं, जो वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या संरक्षण के काम में लगी होती हैं और जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश (मूल लागत) 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है । इनमें, अन्य

बातों के साथ-साथ, वे इकाइयाँ शामिल होंगी, जो खनन या उत्खनन, मशीनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत के काम में लगी होती हैं । सहायक इकाइयों के मामले में उन्हें लघु उद्योग के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए संयंत्र और मशीनों में उनका निवेश (मूल लागत) 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

लघु उद्योग के रूप में वर्गीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये की निवेश सीमा को होजरी, हाथ-औजार, ओषधियों एवं फार्मास्युटिकल तथा लेखन सामग्री के अंतर्गत कुछ विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गयी है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र के सभी खंडों को ऋण उपलब्ध होता है, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(1) लघु उद्योगों को दिये गये कुल ऋण का 40 प्रतिशत कुटीर उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, कारीगरों, और अत्यंत लघु उद्योगों को मिलता है, जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 लाख रुपये तक हो;

(2) लघु उद्योगों को दिये गये कुल ऋण का 20 प्रतिशत, उन लघु उद्योग इकाइयों को मिलता है, जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो; और

(3) शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु उद्योग इकाइयों को मिलता है, जिनका निवेश 25 लाख रुपये से अधिक हो ।

2.2 अत्यंत लघु उद्यम

'अत्यंत लघु उद्योग' की हैसियत उन सभी लघु उद्योग इकाइयों को दी जा सकती है , जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपये तक हो, भले ही वे इकाइयाँ किसी भी स्थान पर हों।

2.3. लघु उद्योग सेवा एवं कारोबार उद्यम (एसएसएसबीई)

उद्योग से संबंधित सेवा और कारोबारी उद्यम, जिनका अचल आस्तियों में, भूमि और भवन को छोड़कर, निवेश 10 लाख रुपये तक हो, को लघु उद्योग क्षेत्र का लाभ दिया जायेगा । अचल आस्तियों के मूल्य की गणना करने के लिए मूल स्वामी द्वारा भुगतान की गयी मूल कीमत पर विचार किया जायेगा , भले ही बाद के स्वामियों ने कोई भी कीमत अदा की हो ।

2.4 बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश, जो लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष उधार के द्योतक होते हैं, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को उनका प्रत्यक्ष उधार माना जायेगा, बशर्ते कि यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :

(1) समुच्चयित आस्तियाँ लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण का द्योतक होती हैं, जिन्हें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है , और

(2) प्रतिभूतिकृत ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया हो ।

2.5 लघु उद्योग क्षेत्र में अप्रत्यक्ष वित्त में निम्नलिखित ऋण शामिल होंगे :

(i) उन एजेंसियों को, जो कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति और उत्पादनों का वितरण करने में विकेंद्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने में शामिल हों ।

(ii) सरकार द्वारा प्रायोजित निगमों/संगठनों को, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधियाँ प्रदान करते हों ।

(iii) हथकरघा सहकारी संस्थाओं को अग्रिम।

(iv) लघु उद्योगों के वित्तपोषण के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम/राज्य वित्त निगम को उपलब्ध कराया गया मीयादी वित्त/ऋण सहायता।

(v) बैंकों के सहायता संघ द्वारा केवीआइसी को ऋण के प्रावधान की योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा केवीआइसी को दिया गया ऋण, जो आगे अर्थक्षम खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों, आदि को उधार दिया जाये ।

2.6 औद्योगिक इस्टेट - औद्योगिक इस्टेट की स्थापना के लिए ऋण ।

3. सड़क एवं जल परिवहन छोटे परिचालक (एसआरडब्लूटीओ)

सड़क एवं जल परिवहन छोटे परिचालकों को अग्रिम, जिनके पास दस से अनधिक वाहन-समूह हों, जिसमें वह वाहन शामिल है, जिसके लिए वित्तपोषण किया जाना प्रस्तावित है ।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अग्रिम, जो आगे उन ट्रक परिचालकों और ट्रक परिचालकों से भिन्न एसआरडब्लूटीओ को उधार दें, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों । एनबीएफसी से 31 जुलाई 1998 के बाद संविभाग खरीद (किराया खरीद प्राप्य वस्तुओं की खरीद) भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत शामिल किये जाने के योग्य होगी, बशर्ते कि संविभाग खरीद उन एसआरडब्लूटीओ से संबंधित हों, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मानदंडों को पूरा करते हैं ।

4. फुटकर व्यापार

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वाले फुटकर व्यापारियों (उचित मूल्य की दुकानें) और सहकारी उपभोक्ता भंडारों तथा (ख) 10 लाख रुपये की अनधिक ऋण सीमा रखने वाले निजी फुटकर व्यापारियों को दिये गये अग्रिम (उर्वरकों के फुटकर व्यापारियों को दिये गये अग्रिम कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त का भाग होंगे और खनिज तेलों के फुटकर व्यापारियों को दिये गये अग्रिम लघु कारोबार को अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत आयेंगे)।

5. लघु कारोबार

लघु कारोबार में वैसे व्यक्ति और फर्म आयेंगे, जो मुख्यतः व्यावसायिक सेवा से भिन्न कोई सेवा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ स्थापित किये गये किसी कारोबारी उद्यम का प्रबंध करते हों, जिसमें कारोबार के लिए उपयोग किये गये उपस्कर का मूल लागत मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है। बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि कार्यशील पूँजी के लिए अलग-अलग सीमाएँ निर्धारित करें, जो भिन्न-भिन्न कार्यकलापों की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा ।

हाउसबोटों के अधिग्रहण, निर्माण, नवीकरण तथा अन्य पर्यटन आवास के लिए अग्रिम यहाँ शामिल किये जायेंगे। खनिज तेलों के वितरण को 'लघु कारोबार' के अंतर्गत शामिल कया जायेगा। न्यायिक स्टाम्प विक्रेताओं और लॉटरी टिकट एजेंटों को अग्रिम भी इस कोटि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है ।

6. व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति

इस शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है :

क. व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों में वे ऋण शामिल होंगे, जो उपस्कर खरीदने, वर्तमान उपस्कर की मरम्मत या नवीकरण करने और/या कारोबार के परिसर का अधिग्रहण और मरम्मत करने या औजार खरीदने के लिए और/या डेंटिस्टों सहित चिकित्सकों, सनदी लेखाकारों, लागत लेखाकारों, प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिवों, वकीलों या

सालिसिटरों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, सर्वेक्षकों, निर्माण ठेकेदारों या प्रबंधन परामर्शियों या किसी व्यक्ति को, जो किसी अन्य कला या शिल्प में प्रशिक्षित हो और सरकार द्वारा स्थापित, सहायताप्राप्त या मान्यताप्राप्त किसी संस्था का डिग्री या डिप्लोमा धारक हो, को दिये गये ऋण या किसी ऐसे व्यक्ति को दिये गये ऋण, जिसे बैंक द्वारा उस क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य या कुशल माना जाये, जिसमें वह नियोजित है ।

ख. वैसे प्रत्यायित पत्रकारों और कैमरामैन को, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, अर्थात् किसी खास समाचारपत्र/पत्रिका द्वारा नियोजित नहीं हैं, उपस्कर जो ऐसे उधारकर्ता के व्यावसायिक उपयोग के लिए हों, के अधिग्रहण के लिए दिये गये अग्रिम।

ग. प्रैक्टिस करने वाले ऐसे कंपनी सचिवों को जो किसी नियोजक के नियमित नियोजन में नहीं हों, उपस्कर खरीदने, परिसरों का अधिग्रहण करने (केवल कारोबार के लिए) और साधनों के लिए ऋण।

घ. किसी व्यक्ति द्वारा, जो डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसने शारीरिक व्यायाम के विविध उपकरणों के प्रयोग के बारे में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हेल्थ सेंटर चलाने के लिए वित्तीय साहाय्य ।

ङ. ब्यूटी पार्लरों की स्थापना के लिए अग्रिम, जहाँ उधारकर्ता के पास किसी खास व्यवसाय में योग्यता हो और वह उस कार्यकलाप को जीवनयापन/जीविकोपार्जन के एकमात्र उपाय के रूप में करता हो।

च. इस कोटि के अंतर्गत केवल ऐसे व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति आयेंगे, जिनकी उधार सीमा 10 लाख रुपये से अधिक न हो, जिसमें से 2 लाख रुपये से अनधिक राशि कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए हों। तथापि व्यावसायिक रूप से योग्य चिकित्सकों के मामले में, जो अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं, उधार सीमा 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके साथ कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए 3 लाख रुपये की उप-सीमा होनी चाहिए। योग्याताप्राप्त चिकित्सकों से भिन्न व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को एक मोटर वाहन खरीदने के लिए दिये गये अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

छ. बैंकों द्वारा व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को उनके व्यावसायिक उपयोग के लिए पर्सनल कंप्यूटर अर्जित करने के लिए दिये गये अग्रिम को इस कोटि में वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा का पालन, जिसमें से कार्यशील पूँजी 2 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए दिये गये ऋण सहित समस्त ऋण के लिए प्रत्येक मामले में किया जाये । तथापि, होम कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटरों के समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार में उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

7. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को स्वीकृत अग्रिम, जो इन संगठनों के हिताधिकारियों की निविष्टियों को खरीदने और आपूर्ति करने और/या उनके उत्पादनों का विपणन करने के लिए दिये जाते हैं ।

8. शिक्षा

शिक्षा-ऋण में केवल व्यक्तियों को शिक्षा के प्रयोजनार्थ दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल किये जाने चाहिए, जो भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपये तक और विदेश में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपये तक

होंगे और इनमें संस्थाओं को दिये गये ऋण शामिल नहीं होंगे और इसमें बैंकों द्वारा दिये गये सभी अग्रिम शामिल होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए लागू की गयी विशेष योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान किये जायें।

9. आवास

प्रत्यक्ष वित्त

(i) ग्रामीण/अर्धशहरी, शहरी और मेट्रोपालिटन क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा मकानों का निर्माण करने के लिए 15 लाख रुपये तक के ऋण, जो बैंक के निदेशक मंडल की मंजूरी से दिये जायें, लेकिन इनमें बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये ऋण शामिल नहीं होंगे ।

(ii) व्यक्तियों को उनके क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत करने के लिए ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक दिये गये ऋण ।

(iii) बैंकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जो एनएचबी की विशेष ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये रिहाइशी आवास का अर्जन या निर्माण करने के इच्छुक हों, 5 लाख रुपये तक दिये गये ऋण और विद्यमान आवास के कोटि उन्नयन या बड़ी मरम्मत के लिए 50000 रुपये तक के ऋण ।

(iv) बैंकों द्वारा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश, बशर्ते कि यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो -

(क) समुच्चयित आस्तियाँ प्रत्यक्ष आवास ऋण के संबंध में हैं, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत समावेशन के लिए परिभाषा को पूरा करती हैं ।

(ख) प्रतिभूतिकृत ऋण का आरंभ आवास वित्त कंपनियों/बैंकों द्वारा किया जाता है ।

अप्रत्यक्ष वित्त

(i) किसी सरकारी एजेंसी को मकानों के निर्माण या गंदी बस्ती हटाने और गंदी बस्ती में रहने वालों के पुनर्वास के लिए दी गयी सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति आवास इकाई 5 लाख रुपये की ऋण राशि होगी ।

(ii) एनएचबी द्वारा अनुमोदित किसी गैर सरकारी एजेंसी को मकानों का पुनर्निर्माण करने या गंदी बस्ती हटाने और गंदी बस्ती में रहने वालों के पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त के प्रयोजनार्थ दी गयी सहायता, जिसका ऋण घटक प्रति आवास इकाई अधिक से अधिक 5 लाख रुपये हो ।

(iii) एनएचबी/हुडको द्वारा जारी किये गये बांडों में, जो आवास के वित्तपोषण के लिए जारी किये जाते हैं, भले ही प्रति आवास इकाई ऋण का आकार कुछ भी हो, सभी निवेशों को समावेशन के लिए गिना जायेगा। तथापि, बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद एनएचबी/हुडको द्वारा जारी किये गये बांडों में जो निवेश किये जायेंगे, वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के पात्र नहीं होंगे और ऐसे निवेश, जो बैंकों द्वारा 31 मार्च 2005 तक किये जा चुके हैं/किये जाने हैं, वे 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।

10. उपभोग ऋण

समुदाय के कमजोर वर्गों को उपभोग ऋण योजना के अंतर्गत दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण को इस मद में शामिल किया जाना चाहिए । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. एनजीओ/स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी)को ऋण/माइक्रो क्रेडिट।

ii. बैंकों द्वारा एनजीओ/एसएचजी को आगे एसएचजी/एसएचजी के सदस्यों/पृथक् व्यक्तियों

या छोटे समूहों को , जो एसएचजी बनाने की प्रक्रिया में हैं, उधार देने के लिए दिये गये ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में गिने जायेंगे।

iii. एसएचजी को बैंकों द्वारा दिया गया उधार कमजोर वर्गों को बैंक के उधार के भाग के रूप में शामिल किया जाना है ।

iv. बैंकों द्वारा दिये गये माइक्रो क्रेडिट, जो या तो सीधे या किसी मध्यवर्ती के माध्यम से दिये जायें, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत शामिल किये जाने चाहिए ।

11. खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र

खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मदें बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगी : (i) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, (ii) अनाज कुटाई उद्योग, (iii) डेरी उद्योग, (iv) मुर्गियों एवं अंडों का प्रसंस्करण, मांस उत्पाद, (v) मत्स्य प्रसंस्करण, (vi) ब्रेड, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ते का भोजन, बिस्कुट, मिष्टान्न (जिसमें कोको प्रसंस्करण और चाकलेट शामिल है), माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, उच्च प्रोटीन वाला भोजन, वीनिंग फूड और निःस्रावित/अन्य तैयार भोज्य पदार्थ, (vii) वातित जल/सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, (viii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेष पैकेजिंग और (ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता और सलाह ।

क्षेत्र के भीतर यूनिटों के आकार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि छोटे एवं मझोले आकार वाली खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटें, जिनका संयंत्र एवं मशीनों में निवेश 5 करोड़ रुपये तक हो, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत शामिल की जायेंगी । जबकि एसएसआई परिभाषा को पूरा करने वाली यूनिटों को ऋण एसएसआई को अग्रिम के अंतर्गत दर्शाये जा सकते हैं, अन्य यूनिटों को ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में छमाही विवरणों में अलग से दर्शाये जाने चाहिए ।

12. सॉफ्टवेयर उद्योग

1 करोड़ रुपये की ऋण-सीमा वाले सॉफ्टवेयर उद्योग को बैंकिंग उद्योग से दिये गये ऋणों को इस मद के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।

13. उद्यम पूँजी

उद्यम पूँजी में निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में समावेशन के लिए पात्र होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि वेंचर कैपिटल फंड/कंपनियाँ सेबी में पंजीकृत हों । तथापि, नये निवेश, जो बैंकों द्वारा 1 जुलाई 2005 को या उसके बाद किये जायें, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे और जो निवेश बैंकों द्वारा 30 जून 2005 तक किये जा चुके हैं, वे 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे ।

14. पट्टादायी और किराया खरीद

उप - बैंकिंग कार्यकलाप, यथा, पट्टादायी और किराया खरीद वित्तपोषण, जो बैंकों द्वारा विभागीय तौर पर किया जाता है, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप वर्गीकृत किया जायेगा, बशर्ते कि अंतिम हिताधिकारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में माने जाने के लिए अधिकथित मानदंडों को पूरा करता हो ।

15. शहरी निर्धनों को ऋण, जो गैर-संस्थागत उधारदाता के ऋणी हों

गैर-संस्थागत उधारदाताओं द्वारा दिए गए ऋण को पहले चुकाने के लिए समुचित संपार्श्विक या सामूहिक प्रतिभूति पर विपत्तिग्रस्त शहरी निर्धनों को दिया गया

ऋण जो उनके निदेशकमंडल द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले दिशानिर्देशों के अधीन हों, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे । इसके प्रयोजनार्थ शहरी निर्धनों में शहरी क्षेत्रों में उन परिवारों को शामिल किया जा सकता है, जो गरीबी रेखा के नीचे हों ।

16. कमजोर वर्ग

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में अधिकाधिक दलित वर्गों पर ऋण आबंटन के विषय में समुचित ध्यान दिया जाये, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कमजोर वर्गों को अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के 25 प्रतिशत के स्तर तक या निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत स्तर तक पहुँचे। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 5 एकड़ या कम की जोत है, और भूमिहीन श्रमिक, रैयती किसान और बँटाईदार ।

(ख) कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग, जहाँ अलग-अलग ऋण सीमा 50000 रुपये से अधिक नहीं हो।

(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के हिताधिकारी ।

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ।

(ङ) विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई) के हिताधिकारी ।

(च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत आने वाले हिताधिकारी ।

(छ) सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के अंतर्गत आने वाले हिताधिकारी ।

(ज) स्वयं सहायता समूहों को अग्रिम ।

(झ) गैर-संस्थागत उधारदाताओं द्वारा दिए गए ऋण विपत्तिग्रस्त शहरी निर्धनों को दिया गया ऋण को पहले चुकाने के लिए समुचित संपार्श्विक या सामूहिक प्रतिभूति पर, जो उनके निदेशकमंडल द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले दिशानिर्देशों के अधीन हों।

17. विभेदक ब्याज दर योजना

यह योजना 1972 में लागू की गयी और इसे सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । बैंकों को इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के अंत में अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 1% उधार देना होता है। कुल डीआरआई अग्रिमों का 2/3 हिस्सा बैंकों की ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाना चाहिए ।

i. उद्देश्य :समुदाय के कमजोर वर्गों को 4% प्रतिवर्ष की दर से रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त प्रदान करना, ताकि वे उत्पादक और लाभकारी कार्यकलापों में लगकर अपनी आर्थिक दशा सुधार सकें ।

ii. परिचालन क्षेत्र : यह योजना देश भर में कार्यान्वित की जा रही है ।

iii. लक्ष्य समूह/पात्रता मानदंड : आय मानदंड : पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा शहरी या अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 7200/- रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 6400/- रुपये है ।

iv. जोत संबंधी मानदंड : जोत का आकार सिंचित भूमि के लिए एक एकड़ और गैर-सिंचित भूमि के लिए 2.5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। जोत संबंधी मानदंड अ.जा./ अ.ज.जा. पर लागू नहीं होते हैं ।

इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं की महत्वपूर्ण कोटियाँ हैं अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य, जो बहुत कम पैमाने पर कृषि और/या संबद्ध कार्यकलाप में लगे हैं, वैसे लोग, जो स्वयं वनोत्पादों का संग्रह और उनका प्रारंभिक प्रसंस्करण करते हैं, वैसे लोग, जो बहुत कम पैमाने पर कुटीर एवं ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में और धन्दों में काम करते हों और व्यवसाय, गरीब प्रतिभाशाली छात्र, आदि।

v. ऋण की राशि : उत्पादक प्रयोजनों के लिए प्रति हिताधिकारी अधिकतम सहायता की राशि 6500/- रुपये निर्धारित है । इसके अतिरिक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति 5000/- रुपये (अधिकतम) तक प्रति हिताधिकारी की दर से सहायता का उपयोग अनुदान, यंत्र, उपकरण प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, बशर्ते कि वे योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हों। इसी प्रकार, अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्य, जो योजना के आय संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं, योजना के अंतर्गत 6500/- रुपये के ऋण के अतिरिक्त प्रति हिताधिकारी 5000/- रुपये की दर से आवास ऋण का भी उपयोग कर सकते हैं।

vi. मार्जिन राशि : इस योजना के अंतर्गत कोई मार्जिन राशि निर्धारित नहीं की गयी है ।

vii. पूँजी सहायता/ब्याज : कोई पूँजी सहायता उपलब्ध नहीं होती है । ऋण पर लगाये जाने वाले ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है । चालू देय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाता है।

viii. प्रतिभूति : कोई संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी अपेक्षित नहीं होती है । ऋण की राशि से सृजित आस्तियों को बैंकों के पास केवल दृष्टिबंधक रखा जायेगा ।

ix. अदायगी : अधिक से अधिक पाँच वर्ष, जिसमें दो वर्षों की अनुग्रह अवधि शामिल है ।

x. आरक्षण/अधिमान : बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके डीआरआई अग्रिमों का कम से कम 40% अ.जा./अ.ज.जा. को उपलब्ध होता हो।

2.1.4.2. पर्यवेक्षकीय सांख्यिकी

बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य संपादन के अनेक संकेतकों, यथा, ऋण की स्थिति, सुदृढ़ता, प्रबंधन, आदि के संबंध में बैंकों से विपुल आँकड़े संगृहीत करता है । ये आँकड़े बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 27(2) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँगे जाते हैं । इनमें से अधिकांश जानकारी गोपनीय स्वरूप की होती है । तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ जानकारी का प्रसार अपने वार्षिक प्रकाशनों, यथा, वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट तथा भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों में सारणियों के रूप में करता है, जो अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षकीय आँकड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली पर आधारित होता है। आँकड़ों के स्रोत और व्याप्ति के बारे में सामान्यतः संबंधित सारणियों की पाद-टिप्पणी में बताया जाता है । बैंकों से पर्यवेक्षकीय विवरणियाँ इनक्रिप्टेड ई-मेल एटैचमेंट के रूप में प्राप्त होती हैं । सारणियों में दिये गये आँकड़ों के संबंध में अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और अन्य जानकारी (अनुबंध 2.12) नीचे दी गयी हैं :

2.1.4.2.1. अनर्जक आस्तियाँ

1 अप्रैल 1992 से भारत के बैंक आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अशोध्य ऋणों के लिए विवेकपूर्ण आधार पर प्रावधानन की प्रणाली की ओर उन्मुख हुए, जो वस्तुनिष्ठ है और वसूली के रिकार्ड पर आधारित है तथा मानदंडों का एक समान

एवं संगत प्रयोग सुनिश्चित करती है । इसके पूर्व बैंकों द्वारा अग्रिमों का वर्गीकरण स्वास्थ्य कूट प्रणाली के अंतर्गत किया जाता था । वर्तमान आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन मानदंडों के अंतर्गत बैंकों की आस्तियाँ निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकृत की जाती हैं :

1. मानक आस्तियाँ
2. अवमानक आस्तियाँ
3. संदिग्ध आस्तियाँ, और
4. हानि आस्तियाँ

अनर्जक आस्तियाँ मानक आस्तियों से भिन्न आस्तियाँ होती हैं । कोई आस्ति, जिसमें पट्टे पर आस्ति शामिल है, उस समय अनर्जक आस्ति हो जाती है, जब यह बैंक के लिए आय कमाना बंद कर देती है ।

एक अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम होती है, जहाँ :

(i) ब्याज और/या मूलधन की किस्त मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय रहती है।

(ii) किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है ।

(iii) खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय रहता है।

(iv) छोटी अवधि वाली फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए के रूप में माना जाता है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है ।

(v) लंबी अवधि वाली फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए के रूप में माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त या उस पर देय ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है ।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे किसी खाते को तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत करें, जब किसी तिमाही में प्रभारित ब्याज उस तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह नहीं चुकाया जाता । अधिक जानकारी के लिए अग्रिमों के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर मास्टर परिपत्र डीबाओडी.सं.बीपी.बीसी.11/21.04.048/2005-06 दिनांक 1 जुलाई 2005 देखा जा सकता है , जो आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है । बैंकों की ऋण आस्तियों को मोटे तौर पर अर्जक (मानक) और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनर्जक आस्तियों को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो उस अवधि पर, जिसमें आस्ति अनर्जक रहती है, और बकायों की वसूलनीयता पर निर्भर करता है ।

2.1.4.2.1.1. अवमानक आस्तियाँ

अवमानक आस्ति वह आस्ति होती है, जिसे अधिक से अधिक दो वर्षों की अवधि के लिए एनपीए के रूप में माना जाता है । 31 मार्च 2001 से अवमानक आस्ति वह होती है, जो 18 महीनों से कम या उसके बराबर अवधि तक एनपीए रहती है । ऐसे मामलों में उधारकर्ता/गारंटीकर्ता का चालू निवल मालियत या प्रभारित प्रतिभूति का चालू बाजार मूल्य इतना पर्याप्त नहीं होता कि बैंकों की पूरी बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित हो सके। दूसरे शब्दों में, ऐसी आस्ति की सुपरिभाषित ऋण-दुर्बलता होगी, जो ऋण के समापन को जोखिम में डाल देती है और उसका लक्षण यह संभावना होती है कि बैंकों को कुछ हानि उठानी पड़ेगी, यदि कमियों को दूर नहीं किया जाता । 31 मार्च 2005 से अवमानक आस्ति वह

आस्ति होती है, जो 12 महीनों से कम या उसके बराबर अवधि तक एनपीए रहती है ।

2.1.4.2.1.2. संदिग्ध आस्तियाँ

संदिग्ध आस्ति वह आस्ति होती है, जो दो वर्ष से अधिक अवधि तक एनपीए रहती है । 31 मार्च 2001 से किसी आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है, जब वह 18 महीनों से अधिक अवधि तक एनपीए रहती है । संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण में अवमानक के रूप में वर्गीकृत आस्तियों में अंतर्निहित सभी दुर्बलताएँ होती हैं और उसका एक और लक्षण यह होता है कि ये दुर्बलताएँ ऋण की वसूली या पूरे समापन को वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, हालातों और मूल्यों के आधार पर अत्यंत संदेहास्पद और असंभव बना देती हैं। 31 मार्च 2005 से किसी आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब वह 12 महीनों के लिए अवमानक कोटि में रहती है ।

2.1.4.2.1.3. हानि आस्तियाँ

हानि आस्ति वह होती है, जहाँ बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण दल द्वारा हानि की पहचान की जाती है, लेकिन पूरी राशि को बट्टे खाते नहीं लिखा गया होता है । दूसरे शब्दों में, ऐसी आस्ति को वसूली न किए जाने योग्य और इतने अल्प मूल्य का माना जाता है कि इसका बैंकयोग्य आस्ति के रूप में बना रहना वांछनीय नहीं होता, हालाँकि इसका कुछ अवशिष्ट या वसूली मूल्य हो सकता है ।

2.1.4.2.2. प्रावधानन मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहली बार 1993 में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन की प्रणाली लागू की थी । वर्तमान मानदंड, जो मार्च 2005 से लागू हैं, नीचे प्रस्तुत किये गये हैं :

आस्ति	प्रावधानन
1. अवमानक	
(क) प्रतिभूत	बकाया देय राशि का 10%
(ख) अप्रतिभूत	बकाया देय राशि का 20%
2. संदिग्ध	
(क) संदिग्ध I (संदिग्ध कोटि में पहले 12 महीने)	प्रतिभूति के लिए वसूलीयोग्य मूल्य का 20%+प्रतिभूति की कमी का 100%
(ख) संदिग्ध II (संदिग्ध कोटि में बाद के 24 महीने)	प्रतिभूति के लिए वसूलीयोग्य मूल्य का 30%+प्रतिभूति की कमी का 100%
(ग) संदिग्ध III (संदिग्ध कोटि में 48 महीनों से अधिक)	100% प्रावधानन
3. हानि आस्तियाँ	100% प्रावधानन

2.1.4.2.3. निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक के 12 जून 1997 के अनुदेशों के अनुसार निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए अधिक प्रावधान को लाभ-हानि खाता में विनियोजन के जरिये आरक्षित पूँजी लेखा में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए अधिक प्रावधान को आरक्षित पूँजी खाता के बदले ''निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाता'' में विनियोजित किया जाये और अनुसूची 2 ''राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ'' शीर्ष के अंतर्गत ''आरक्षित निधियों और अधिशेषं'' में अलग मद के रूप में दर्शाया जाये और वह स्तर II पूँजी में समावेशन के लिए पात्र होगा। निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किये गये अधिक प्रावधान की वर्तमान राशि, जो आरक्षित पूँजी खाता के अंतर्गत रखी जाती है, उसे ''निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाता'' में अंतरित कर दिया जायेगा। 'निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाता' में धारित राशि का उपयोग भविष्य में प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में मूल्यह्रास

को पूरा करने के लिए किया जा सकता है । बाद में दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुदेशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया कि वे निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए अधिक प्रावधान को आरक्षित पूँजी खाता के बदले निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाता (आईएफआर) में विनियोजित करें। बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे आईएफआर में धारित राशि का उपयोग भविष्य में प्रतिभूति में निवेश पर मूल्यह्रास संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में करें । प्रतिभूतियों में आय पर काफी गिरावट आने के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के परामर्श से निम्नानुसार की गयी:

i. बैंकों को चाहिए कि वे प्रतिभूतियों में निवेश के विक्रय से प्राप्त लाभ की अधिकतम राशि आईएफआर में अंतरित करें ।

ii. उद्देश्य यह होना चाहिए कि निवेश के विक्रय से प्राप्त लाभ को अंतरित करते हुए संविभाग के कम से कम 5% का आईएफआर 5 वर्षों की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाये । तथापि, बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि अपने निदेशक मंडल की सहमति से वे संविभाग के 10% तक आईएफआर का उच्चतर प्रतिशत निर्मित करें, जो उनके संविभाग के आकार और संयोजन पर निर्भर करेगा।

iii. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश संविभाग के मूल्य-निर्धारण के वसूले नहीं गये लाभ को आय खाता या आईएफआर में नहीं ले जाया जाता है ।

iv. दिनांक 16 अक्तूबर 2000 के पूर्व के अनुदेशों में आशोधन करते हुए अलग-अलग प्रतिभूति पत्रों को, जो 'विक्रय के लिए उपलब्ध' कोटि में रखे गये हैं, कम से कम तिमाही अंतराल पर मार्क्ड टू मार्केट किया जाना चाहिए ।

v. निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि, जो निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ से बनती है, अब तक की तरह स्तर 2 पूँजी में समावेशन के लिए पात्र होगी ।

vi. बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने निवेश संविभाग पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करें । इसके अतिरिक्त, बैंकों को सूचित किया गया कि वे ब्याज दर जोखिम के मापन के लिए वीएआर और ड्यूरेशन विधि की ओर उन्मुख होने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें और इस दिशा में युक्तियुक्त कदम उठायें ।

vii. बैंकों को यह अनुमति भी दी गयी कि वे आईएफआर से जमाशेषों को लाभ हानि खाता में अंतरित कर सकते हैं, ताकि निवेश पर मूल्यह्रास संबंधी अपेक्षा पूरी हो सके, क्योंकि 'लाभ निकालने के बाद' वाली मद अब तक की तरह जारी रहेगी ।

पुनः बासल II मानदंडों की ओर निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकों को 24 जून 2004 को सूचित किया गया कि वे चरणबद्ध रूप में बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार दो वर्षों की अवधि तक निम्नानुसार बनाये रखें :

i) उन प्रतिभूतियों के संबंध में, जो व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)* कोटि में शामिल हैं, ओपन गोल्ड पोजीशन लिमिट, ओपन फारेन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट, डेरिवेटिवों के व्यापार की स्थिति और हेजिंग ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर्स के लिए किये गये डेरिवेटिव 31 मार्च 2005 तक, और

ii) उन प्रतिभूतियों के संबंध में, जो विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)* कोटि में शामिल हैं, 31 मार्च 2006 तक ।

बाजार जोखिमों के लिए पूँजी प्रभार बनाये रखने के लिए दिशानिर्देशों के शीघ्र अनुपालन हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि जिन बैंकों ने एचएफटी (ऊपर (i) में इंगित मदें) और एएफएस कोटि, दोनों के लिए ऋण जोखिम और बाजार जोखिम, दोनों के लिए जोखिम भारित आस्तियों की कम-से-कम 9 प्रतिशत पूँजी रखी हैं, वे आईएफआर में प्रतिभूतियों के 5 प्रतिशत से अधिक शेष को , जिन्हें एचएफटी* और एएफएस* कोटि के अंतर्गत शामिल किया गया है, स्तर 1 पूँजी के रूप में मान सकते हैं । जो बैंक उपर्युक्त मानदंड को पूरा करते हैं, वे आईएफआर में उक्त 5 प्रतिशत से अधिक राशि को सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित कर सकते हैं । यह अंतरण लाभ हानि विनियोग खाता में ''लाभ निकालने के बाद'' मद के रूप में किया जायेगा । दिनांक 10 अक्तूबर 2005 की अन्य सूचना में पुनः यह निर्णय लिया गया कि जिन बैंकों ने 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार एचएफटी (ऊपर (i) में इंगित मदें) और एएफएस कोटि, दोनों के लिए ऋण जोखिम और बाजार जोखिम, दोनों के लिए जोखिम भारित आस्तियों की कम-से-कम 9 प्रतिशत पूँजीं रखी हैं, उन्हें आईएफआर में समस्त जमाशेष को स्तर I पूँजी के रूप में मानने की अनुमति दी जाये। इसके प्रयोजनार्थ, बैंक लाभ हानि विनियोग खाता में 'लाभ निकालने के बाद' में निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि जमाशेष को सांविधिक आरक्षित निधि, सामान्य आरक्षित निधि या लाभ हानि खाता के शेष में अंतरित करें ।

यदि एएफएस या एचएफटी कोटियों में मूल्यह्रास के कारण किये गये प्रावधान किसी वर्ष अपेक्षित राशि से अधिक पाये गये, तो अधिक राशि को लाभ हानि खाता में जमा किया जाना चाहिए और उसके समतुल्य राशि (करों को घटाकर, यदि हों, और सांविधिक आरक्षित निधियों से अंतरित राशि को घटाकर, जैसाकि ऐसे अधिक प्रावधान के लिए लागू हो), अनुसूची 2 ''आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष'' में ''राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ'' शीर्ष के अंतर्गत निवेश आरक्षित निधि खाता में विनियोजित की जानी चाहिए और यह राशि सामान्य प्रावधान/हानि आरक्षित निधि के लिए निर्धारित कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र उच्चतर सीमा के भीतर स्तर II में समावेशन की पात्र होगी।

2.1.4.2.4. पूँजी पर्याप्तता अनुपात

बैंककारी विनियमन और पर्यवेक्षकीय व्यवहार (बासल समिति) से संबंधित समिति ने जुलाई 1988 में पूँजी मापन और पूँजी मानकों की अंतरराष्ट्रीय अभिमुखता के संबंध में एक सहमत ढाँचा जारी किया था । समिति ने पूँजी पर्याप्तता का मापन करने की विधि के रूप में भारित जोखिम आस्तियों का दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें किसी बैंक के तुलनपत्र में आनेवाले और तुलनपत्र में नहीं आनेवाले, दोनों प्रकार के एक्सपोजरों पर भारांक दिया जाता है, जो उनके अनुभूत

* लेखाकरण मानकों में किसी कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऋण (बांड) और इक्विटी (शेयर) प्रतिभूतियों में अपने निवेश को तीन में से एक कोटि में वर्गीकृत करे, जब वे खरीदी जाती हैं (1) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) (2) व्यापर (एचएफटी), या विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)। यह वर्गीकरण कंपनी द्वारा उस प्रतिभूति के आशयित उपयोग पर आधारित है और वर्गीकरण लेखाकरण अभिक्रिया का निर्देश देता है ।

परिपक्वता तक धारित - ऋण प्रतिभूतियाँ, जिन्हें कंपनी उनकी परिपक्वता तक धारित रखना चाहती है, और वे उसके योग्य हैं, परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं और उनकी रिपोर्ट परिशोधित लागत पर की जाती है । ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्य में अस्थायी उतार चढ़ाव का प्रभाव कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित नहीं होता है । चूँकि इक्विटी प्रतिभूतियों में परिपक्वता तिथि नहीं होती है, इसलिए उन्हें परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।

- व्यापार - ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियाँ, जिन्हें मुख्य रूप से निकट भविष्य में बिक्री के प्रयोजनार्थ खरीदा और बेचा जाता है, व्यापार प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं और वित्तीय विवरणों में उनकी रिपोर्ट उचित मूल्य पर की जाती है । समय-समय पर उचित मूल्य में परिवर्तन की रिपोर्ट निवल आय घटक के रूप में की जाती है।
- विक्रय के लिए उपलब्ध - वैसी ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियाँ, जिन्हें परिपक्वता तक धारित या व्यापार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, उन्हें विक्रय के उपलब्ध माना जाता है और उनकी रिपोर्ट उचित मूल्य पर की जाती है । समय-समय पर उचित मूल्य में परिवर्तन की रिपोर्ट निवल आय के घटक के रूप में नहीं की जाती है, लेकिन वे सीधे इक्विटी में प्रभारित या जमा किये जाते हैं।

जोखिम के अनुसार होता है, और न्यूनतम मानक 8 प्रतिशत (जोखिम भारित आस्तियों का) निर्धारित किया था, जिसे 1992 के अंत तक प्राप्त किया जाना था (7.25 प्रतिशत 1990 के अंत तक) । समिति इस बात के लिए उत्सुक थी कि पूँजी पर्याप्तता की माप संबंधी यह समझौता (इसके बाद बासेल I मानक कहा गया है) वैश्विक मानक के लिए आधार बनना चाहिए।

भारत में, बैंकों के विविध समूहों के लिए भिन्न-भिन्न न्यूनतम पूँजी अपेक्षाएँ रखी गयी थीं, जो उनके परिनियमों में निर्धारित की गयी थीं, जिनके अधीन उन्हें स्थापित किया गया था और वे परिचालन करते थे । विदेशी बैंकों के लिए, जो भारत में परिचालनरत थे, यह निर्धारित किया गया था कि वे प्रत्येक वर्ष के अंत में अपनी जमाराशि के 3.5 प्रतिशत के बराबर विदेशी निधि, जो भारतीय कारोबार में अभिनियोजित हो, रखें । पुनः सांविधिक आरक्षित निधियाँ बनाये रखने के संबंध में निर्धारण विद्यमान हैं । परिवर्ती न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं के संदर्भ में और बासल समिति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि पूँजी पर्याप्तता के लिए एक समान निर्धारण अप्रैल 1992 में लागू किया जाये ।

बासेल I पूँजी पर्याप्तता ढाँचा कई चरणों में कार्यान्वित किया गया, जिसमें बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे निम्नलिखित समय सारणी का पालन करें :

	न्यूनतम पूँजी अपेक्षा
भारत में परिचालनरत विदेशी बैंक	आरडब्लूए का 8% 31 मार्च 1993 तक
विदेशी शाखाओं वाले भारतीय बैंक	आरडब्लूए का 8% 31 मार्च 1993 तक
अन्य सभी बैंके	आरडब्लूए का 4% 31 मार्च 1993 तक आरडब्लूए का 8% 31 मार्च 1996 तक

2.1.4.2.5. कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

पूँजीगत निधियाँ : बासेल समिति ने दो स्तरों में पूँजी को परिभाषित किया है - स्तर I और स्तर II। स्तर I पूँजी, जिसे अन्यथा स्थायी पूँजी के रूप में जाना जाता है, किसी बैंक को अप्रत्याशित हानियों के विरुद्ध सर्वाधिक स्थायी और सुलभ समर्थन प्रदान करती है । स्तर II पूँजी में ऐसे तत्व होते हैं, जो कम स्थायी स्वरूप के होते हैं या कम सुलभ होते हैं । स्तर I पूँजी और स्तर II पूँजी के तत्व भारतीय बैंकों और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के संबंध में भिन्न-भिन्न होते हैं ।

जोखिम समायोजित आस्तियाँ और तुलनपत्र बाह्य मदें* : जोखिम भारित आस्तियों से अभिप्रेत होगा निधिक और गैर निधिक मदों का भारित जोड़। इसे तुलनपत्र आस्तियों और तुलनपत्र बाह्य मदों के रूपांतरण कारक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अलग-अलग ऋण जोखिम* के भारित प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है । प्रत्येक आस्ति/मद के मूल्य में संबंधित भारांक से गुणा किया जायेगा, ताकि आस्तियों

* ऋण जोखिम वह जोखिम होती है, जो अपने दायित्वों को पूरा करने में काउंटरपार्टी की अनिश्चितता के कारण होती है । चूँकि काउंटरपार्टियाँ व्यक्तियों से लेकर संप्रभु सरकारों तक अनेक प्रकार की होती हैं और आटो ऋण से लेकर डेरिवेटिव लेनदेनों तक भिन्न-भिन्न प्रकार के दायित्व होते हैं, अतः ऋण जोखिम के अनेक रूप हो जाते हैं । संस्थाएँ इनका प्रबंधन विभिन्न प्रकार से करती हैं । किसी एकल काउंटरपार्टी से ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने में किसी संस्था को तीन मुद्दों पर विचार करना चाहिए : चूक की संभावना, जिसमें यह संभव है कि काउंटरपार्टी अपने दायित्वों को पूरा करने में दायित्व के बने रहने की अवधि के दौरान या किसी विनिर्दिष्ट अवधि, यथा, एक वर्ष में चूक करेगी। ऋण एक्सपोजर, जो चूक किये जाने की स्थिति में होता है, में यह देखना होता है कि जब चूक की जाती है उस समय बकाया दायित्व कितना बड़ा होगा और चूक की स्थिति में वसूली की दर क्या होगी, एक्सपोजर का कौन-भाग दिवाला कार्यवाहियों के माध्यम से या समझौते के कुछ अन्य रूपों से वसूला जा सकेगा ।

प्रत्येक जोखिम में दो तत्व समाविष्ट होते हैं : एक्सपोजर और अनिश्चितता। ऋण जोखिम के लिए ऋण एक्सपोजर पहले वाले का द्योतक होता है और ऋण गुणवत्ता बाद वाले का द्योतक होता है ।

ऋण देने के पूर्व कोई बैंक या अन्य उधारदाता ऋण के लिए अनुरोध करने वाली पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा । क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले किसी बैंक के मामले में, इस जानकारी में पार्टी की वार्षिक आमदनी, विद्यमान ऋण, क्या वह भाड़े के मकान में रहता है या उसका अपना मकान है, आदि शामिल होंगे । जानकारी के लिए एक मानक फार्मूला प्रयोग किया जाता है, जिससे एक संख्या मिलती है, जिसे क्रेडिट स्कोर कहा जाता है । क्रेडिट स्कोर के आधार पर उधार देने वाली संस्था यह निर्णय करेगी कि ऋण दिया जाये या नहीं दिया जाये ।

और तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम समायोजित मूल्य प्राप्त हों । कुल जोड़ को न्यूनतम पूँजी अनुपात की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जायेगा ।

बाजार जोखिमों के लिए पूँजीगत अपेक्षाएँ* : बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने ''बाजार जोखिमों का समावेश करने के लिए पूँजीगत समझौता में संशोधन'' से जारी किया था, जिसमें बाजार जोखिमों के लिए सुस्पष्ट पूँजी प्रभार प्रदान करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश दिये गये थे । बाजार जोखिम की परिभाषा बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण तुलनपत्र में आने वाली और न आने वाली मदों में हानि की जोखिम होने के रूप में दी जाती है । पूँजी प्रभार अपेक्षाओं के अधीन बाजार जोखिम स्थितियाँ निम्नानुसार हैं

* व्यापार बही में ब्याज दर संबद्ध लिखतों और इक्विटियों के संबंध में जोखिम; और
* विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें बहुमूल्य धातुओं की आरंभिक क्रय-विक्रय स्थिति शामिल है) पूरे बैंक में (बैंकिंग और व्यापार बही, दोनों में)।

बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षा निर्धारित करने की दृष्टि से आरंभिक कदम के रूप में बैंकों को सूचित किया गया कि वे :

i) समस्त निवेश संविभाग पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार समनुदेशित करें;

ii) विदेशी मुद्रा और स्वर्ण की आरंभिक क्रय-विक्रय स्थिति पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार समनुदेशित करें; और

iii) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि निर्मित करें, जो उनके निवेश संविभाग में व्यापार के लिए धारित और विक्रय के लिए उपलब्ध कोटियों में धारित निवेश के कम से कम 5 प्रतिशत की हो ।

भारत में अपनाये गये अंतरिम उपाय स्थूल ब्रश और एकतरफा दृष्टिकोण के द्योतक हैं । इसके अतिरिक्त दीर्घ कालावधि में बाजार जोखिम की पहचान और मापन करने की बैंकों की योग्यता में सुधार हुआ है । बाजार जोखिम को पहचानने और उसका मापन करने की बैंकों की योग्यता को ध्याप में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बाजार जोखिमों के लिए सुस्पष्ट पूँजी प्रभार समनुदेशित किया जाये । बैंकों से अपेक्षित है कि वे दो वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार बनाये रखें, जैसाकि नीचे बताया गया है:

(क) बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे व्यापार के लिए धारित कोटि में शामिल प्रतिभूतियों, आरंभिक स्वर्ण क्रय-विक्रय स्थिति, आरंभिक विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय स्थिति, डेरिवेटिवों के लेनदेन की स्थिति और व्यापार बही जोखिमों से रक्षा के लिए किये गये डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में बाजार जोखिमों के लिए 31 मार्च 2005 तक पूँजी रखें। इसके परिणामस्वरूप व्यापार के लिए धारित कोटि के अंतर्गत शामिल निवेशों के संबंध में बाजार जोखिम के लिए 2.5% के अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं है।

(ख) बैंकों को चाहिए कि वे विक्रय के लिए उपलब्ध कोटि में शामिल प्रतिभूतियों के संबंध में भी बाजार जोखिमों के लिए 31 मार्च 2006 तक पूँजी रखें । इसके परिणामस्वरूप विक्रय के लिए उपलब्ध और परिपक्वता तक धारित कोटियों के अंतर्गत शामिल किये गये निवेशों के संबंध में बाजार जोखिमों के लिए इस समय बनाये

* बाजार जोखिम : बाजार जोखिम वह जोखिम होती है, जो आस्तियों या देयताओं की एक संपूर्ण श्रेणी के लिए आम होती है । निवेशों के मूल्य में किसी दिये हुए समय में गिरावट आ सकती है, जो इसलिए होता है कि आर्थिक परिवर्तन या अन्य घटनाएँ बाजार के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं । आस्ति आबंटन और विविधीकरण से बाजार जोखिम के विरुद्ध रक्षा हो सकती है, क्योंकि बाजार के भिन्न-भिन्न हिस्से भिन्न-भिन्न समयों में न्यून निष्पादन करते हैं । बाजार जोखिम को प्रणालीगत जोखिम के रूप में भी जाना जाता है ।

रखे जाने वाला 2.5% का अतिरिक्त जोखिम भार उक्त तिथि से या उससे पूर्व किसी तिथि से, जब बैंक विक्रय के लिए उपलब्ध कोटि में धारित प्रतिभूतियों के संबंध में बाजार जोखिम के लिए पूँजी का प्रावधान करता है, अपेक्षित नहीं होगा।

कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ : कर पश्चात् लाभ ÷ कुल आस्तियाँ X 100

इक्विटी पर प्रतिलाभ : कर पश्चात् लाभ÷कुल पूँजी और आरक्षित निधियाँ X 100

लागत/आय अनुपात : परिचालन व्यय÷(कुल आय - ब्याज व्यय) X 100

परिचालन व्यय : कुल व्यय - ब्याज व्यय

निवल ब्याज आय : ब्याज कर से घटाकर ब्याज आय - ब्याज व्यय

बैंक समूह : बैंकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित कोटियों में बाँटा जा सकता है :

i. सरकारी क्षेत्र के बैंक, जिनमें निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

क. राष्ट्रीयकृत बैंक : 14 बैंकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया था । पुनः, 1980 में छह तदनुकूल नये बैंकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया। राष्ट्रीयकरण के पूर्व ये बैंक निजी क्षेत्र में थे । इन बैंकों में भारत सरकार का न्यूनतम शेयरधारण 51 प्रतिशत है। आइडीबीआइ ने अक्तूबर 2004 से स्वयं को बैंक में परिवर्तित कर लिया । इसे 'अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक' के रूप में शामिल किया गया ।

ख. भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक (एसबीआई ग्रुप): भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन की गयी थी और इसने 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के उपक्रम का अधिग्रहण किया। एसबीआई के 7 सहयोगी बैंक हैं, जिनकी स्थापना भारत में पहले के कुछ रजवाड़ों के बैंकिंग उपक्रमों का अधिग्रहण करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अधीन की गयी थी।

ii. निजी क्षेत्र के बैंक, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. *निजी क्षेत्र के पुराने बैंक* : ये वे बैंक हैं, जो 1993 में निजी बैंकों के प्रवेश के लिए जारी किये गये नये दिशानिर्देशों के पहले निजी क्षेत्र में मौजूद थे । ये बैंक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं

ख. *निजी क्षेत्र के नये बैंक :* ये वे बैंक हैं, जो 1993 में नये दिशानिर्देशों के अंतर्गत, जिसमें अपेक्षाकृत कठोर प्रवेश विन्दु मानदंडों को लागू किया गया था, स्थापित किये गये थे ।

iii. विदेशी बैंक : ये बैंक केवल शाखाओं के माध्यम से परिचालन करते हैं । भारतीय बैंकों के लिए जो ''टेस्ट्स ऑफ एंट्री'' लागू हैं, वही विदेशी बैंकों की शाखाओं पर लागू होते हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात पर जोर देता है कि उनके देश के विनियामक की पूर्व सहमति प्राप्त की जाये और यह सुनिश्चित करता है कि उनके देश का कानून भारत में निगमित बैंकों के संबंध में कोई भेद-भाव नहीं करता है ।

iv. स्थानीय क्षेत्र बैंक : स्थानीय क्षेत्र बैंकों को स्थानीय लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके परिचालन क्षेत्र में कुशल एवं

प्रतियोगी वित्तीय मध्यस्थता प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत लाइसेंस दिया जाता है और वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किये जाने के लिए पात्र होंगे। ऐसे बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूँजी 5 करोड़ रुपये होगी। ऐसे बैंक के लिए प्रवर्तक का अंशदान कम से कम 2 करोड़ रुपये होगा। प्रस्तावित बैंक का परिचालन क्षेत्र भौगोलिक रूप से आपस में सटे हुए अधिकतम तीन जिले होंगे।

2.1.4.3 ब्याज दरों और ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन के संबंध में सांख्यिकी

2.1.4.3.1. ब्याज दरों के संबंध में आँकड़े

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमाराशियों पर दिये गये / ऋण पर प्रभारित ब्याज दरों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग द्वारा नियमित आधार पर संगृहीत किये जाते हैं । अनेक कारणों से ब्याज दरों के संबंध में आँकड़े रिज़र्व बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं । उदाहरण के लिए ब्याज दरों का बड़ा प्रभाव बैंक जमा और ऋण की मांग और पूर्ति पर, बचत/ निवेश की प्रवृत्ति पर होता है, जो आउटपुट, कीमतों, आदि से निकट संबंध रखते हैं।

2.1.4.3.1.2. मापन संबंधी आवश्यकताएँ, अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

2.1.4.3.1.2.1. ऋण

ब्याज दरों के अविनियमन और बैंकों को अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने की ओर उठाये गये कदम के रूप में 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले अग्रिमों पर अक्तूबर 1994 में मूल उधार दर (पीएलआर) लागू की गयी । तब से बैंकों द्वारा पीएलआर के परिचालन से संबंधित मानदंडों को युक्तियुक्त बनाया गया गया था। बैंकों को अप्रैल 1999 में यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे अधिकतम फैलाव के साथ अपनी स्वयं की पीएलआर घोषित करें, बैंकों को स्वतंत्रता दी गयी कि वे अवधि से संबद्ध पीएलआर प्रदान करें। अप्रैल 2001 में मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा किये जाने तक पीएलआर ने 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमा (उपभोक्ता ऋण से भिन्न) के लिए अधिकतम दर के रूप में कार्य किया और 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए न्यूनतम ऋण सीमा के रूप में कार्य किया । अप्रैल 2001 की मौद्रिक और ऋण नीति में पीएलआर को बैंकों के लिए संदर्भ या बेंचमार्क दर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे बैंकों को अनुमति मिली कि वे निर्यातकों या अन्य उधार-पात्र उधारकर्ताओं, जिनमें सार्वजनिक उद्यम शामिल थे, को उप-पीएलआर दरों पर ऋण प्रदान करें, जो उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नीति के अनुरूप हो । फिर भी, 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पीएलआर के अधिकतम सीमा के रूप में माने जाने की प्रथा जारी रही, जो भारत में ऋण बाजार की प्रचलित स्थिति और लघु उधारकर्ताओं के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराते रहने की आवश्यकता के अनुरूप थी ।

पीएलआर मानदंडों में परिवर्तन के साथ रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के पीएलआर की प्रवृत्ति पर और उधार दरों की वास्तविक प्रवृत्ति पर भी निगरानी रखता है। इसके प्रयोजनार्थ पीएलआर के संबंध में सूचना प्रणाली को आशोधित किया गया, ताकि पीएलआर और न्यूनतम एवं अधिकतम उधार दर से संबंधित जानकारी संगृहीत की जा सके तथा पीएलआर पर, उसके नीचे और उसके ऊपर बकाया ऋण के अंश का भी पता लग सके, ताकि पीएलआर की तुलना में भारत में उधार दरों की वास्तविक प्रवृत्ति पर निगरानी रखने में सुविधा हो ।

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2002 में वर्ष 2002-03 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति में बैंकों द्वारा अग्रिमों पर प्रभारित अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दरों का संग्रह करने और उसे सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करने का अपना आशय प्रकट किया, ताकि उसके संबंध में पारदर्शिता बढ़े । तदनुसार, रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से वास्तविक उधार दरों की जानकारी प्राप्त करता है ।

2.1.4.3.1.2.2 जमाराशियाँ

बैंकों को 1 अक्तूबर 1995 से 2 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी । 2 जुलाई 1996 से 1 वर्ष से अधिक की जमाराशियों के लिए ब्याज दरें मुक्त कर दी गयीं और न्यूनतम परिपक्वता अवधि 46 दिनों से घटाकर 30 दिनों की कर दी गयी । 22 अक्तूबर 1997 से बैंकों को 30 दिनों और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी । रिज़र्व बैंक ने अपने मौद्रिक एवं ऋण नीति वक्तव्य, 2002-03 में बैंकों को इसके लिए भी प्रोत्साहित किया कि वे जमाराशियों के लिए लचीली ब्याज दर प्रणाली लागू करें, जिसमें ब्याज दरें छह महीने के अंतराल पर पुनर्निर्धारित की जायें और उसके साथ-साथ जमाकर्ताओं को नियत दर का विकल्प भी प्राप्त हो । बैंकों को 1 नवंबर 2004 से अनुमति दी गयी कि वे फुटकर घरेलू मीयादी जमाराशियों (15 लाख रुपये के भीतर) की न्यूनतम अवधि को 15 दिनों से घटाकर 7 दिनों की कर सकते हैं ।

2.1.4.3.1.3. स्रोत और प्रणालियाँ

भिन्न-भिन्न प्रकार की जमाराशियों और ऋण के संबंध में ब्याज दरों के आँकड़े एससीबी से पूर्व परिभाषित फार्मैट में पाक्षिक/मासिक/तिमाही आधार पर संगृहीत किये जाते हैं। जमाराशियों के लिए वर्गीकरण घरेलू जमाराशियों, एनआरई और एनआरएनआर जमाराशियों पर आधारित होता है और परिपक्वता अवधिवार होता है। ऋण के संबंध में तिमाही आँकड़ों के मामले में प्रमुख खाता प्रकार होते हैं कैश क्रेडिट, मांग ऋण और परिपक्वता अवधिवार विवरण वाले मीयादी ऋण खाते । इनमें से प्रत्येक कोटि के लिए आंकड़ों में पीएलआर, प्रभारित न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दरें (चरम मूल्य को छोड़कर), ब्याज दर की वह सीमा, जिस पर 60 प्रतिशत या अधिक के कारोबार के लिए संविदा की जाती है और पीएलआर से कम, पीएलआर पर और पीएलआर* से अधिक पर बकाया राशि शामिल होते हैं । निर्यात ऋण (रुपये में) के संबंध में आँकड़े पोतलदानपूर्ण और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के लिए संगृहीत किये जाते हैं, जिन्हें पुनः निर्यात ऋण मानदंडों के अनुसार अवधि के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है ।

विविध अवधियों वाली मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें जानी जा सकती हैं, जिनसे बैंकों के समूह के अनुसार ब्याज दर सीमा का पता किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा विविध परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी गयी जमा ब्याज दरों के संबंध में मासिक आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के विविध प्रकाशनों में प्रकाशित

* बीपीएलआर : बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) निर्धारित करें । बीपीएलआर की घोषणा की जानी होती है और इसे सभी शाखाओं पर एक समान रूप से लागू किया जाना होता है । बैंक अपनी आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को प्राधिकृत कर सकते हैं कि वह जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरें नियत करे, लेकिन शर्त यह है कि उसके ठीक बाद उसे निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना है । बैंकों को एएलसीओ/निदेशक मंडल के अनुमोदन से अग्रिमों के लिए बीपीएलआर पर अधिकतम फैलाव की भी घोषणा करनी चाहिए।

उप-बीपीएलआर :पीएलआर का अधोमुखी लचीलापन हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण नीति संबंधी मुद्दे के रूप में उभरा है, खासकर छोटे एवं मझोले उधारकर्ताओं को उचित लागत पर ऋण वितरण के संबंध में । उप-पीएलआर उधार ने कंपनियों को स्टाम्प शुल्क, अभौतिकीकरण लागत या जारीकर्ता/अदाकर्ता एजेंटों को फीस भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त खर्च किये बिना बैंकों से प्रतियोगी दरों पर निधियाँ जुटाने में समर्थ बनाया है। बीपीएलआर बैंक ऋण के कीमत निर्धारण में अधिक पारदर्शिता दिखाने के लिए लागू किया गया था । तथापि, उप पीएलआर उधार के साथ न्यूनतम और अधिकतम उधार दरों के बीच फैलाव महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ा है ।

किये जाते हैं, यथा वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति के संबंध में रिपोर्ट, समष्टि आर्थिक एवं मौद्रिक गतिविधियाँ, आदि ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तिमाही उधार दरों के आँकड़े जून 2002 में समाप्त तिमाही से भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । निर्यात ऋण से भिन्न 2 लाख रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमा वाले ऋण की वास्तविक उधार दरों की सीमा के संबंध में बैंक समूहवार समेकित स्थिति; निर्यात ऋण से भिन्न 1 लाख रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमा वाली ऋणों पर मध्य ब्याज दरों की बैंक समूहवार सीमा; बैंक समूहवार वास्तविक उधार दरों की सीमा; निर्यात ऋण पर बैंक समूहवार मध्य ब्याज दरों; अलग-अलग बैंकों की निर्यात ऋण और मांग और मीयादी ऋणों के अंतर्गत 2 लाख रुपये और अधिक की ऋण सीमा वाले अन्य ऋण पर उधार दरों के संबंध में भी आँकड़े उपलब्ध हैं ।

2.1.4.3.1.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

उत्तम गुणवत्ता वाले आँकड़े किसी सूचित निर्णयन प्रक्रिया के लिए एक पूर्वापेक्षा होते हैं। आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त प्रणाली लागू है ।

2.1.4.3.2. ऋण का क्षेत्रीय अभिनियोजन

अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, यथा, कृषि, उद्योग, आदि को सकल बैंक ऋण की उपलब्धता के संबंध में सांख्यिकी का संग्रह और संकलन बीएसआर1 विवरणी के माध्यम से वार्षिक आधार पर किया जाता है। नीति निर्माण के संदर्भ में ऐसी जानकारी और कम अंतरालों पर न्यूनतम समयांतर के साथ उपलब्ध होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति विभाग चुनिंदा बैंकों से बीएसआर प्रणाली के माध्यम से संगृहीत वार्षिक आँकड़ों के अतिरिक्त मासिक आधार पर अनंतिम जानकारी संगृहीत करता है । ऐसी जानकारी से विविध क्षेत्रों और उद्योगों को बैंक ऋण की उपलब्धता में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है और यह विश्लेषण के लिए निविष्टियाँ प्रदान करती है । आँकड़े पर आधारित समेकित जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के विविध प्रकाशनों में प्रकाशित की जाती है ।

2.1.4.3.2.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को बैंक ऋण की उपलब्धता के संबंध में आँकड़े ऋण प्रवाह की दिशा, संविभाग परिवर्तन, अन्य स्थूल आर्थिक चर वस्तुओं से सहबद्धता और नीति निर्माण के लिए निविष्टियाँ प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं । ये आँकड़े अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं ।

2.1.4.3.2.2.अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

सकल बैंक ऋण की व्यापक अवधारणा वही है, जैसाकि बीएसआर में है। अवधारणाएँ और वर्गीकरण मोटे तौर पर बीएसआर/एनआईसी की अवधारणा और वर्गीकरण के संरेखण में होती हैं, सिवाय निर्माण क्षेत्र को दिये गये ऋणों के। इसके अतिरिक्त, ये आँकड़े वैयक्तिक ऋणों के और ब्यौरे देते हैं ।ये आँकड़े कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण के लिए संगृहीत किये जाते हैं, जो चार प्रमुख क्षेत्रों, यथा, कृषि, उद्योग, सेवाएँ और वैयक्तिक ऋण, में विभाजित किये जाते हैं और इनका पुनः वर्गीकरण चुनिंदा उप क्षेत्रों और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण के संबंध में किया जाता है। औद्योगिक वर्गीकरण में मूलभूत सुविधा क्षेत्र सहित प्रमुख उद्योगों के संबंध में आँकड़े शामिल किये जाते हैं। ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन के संबंध में आँकड़ों का वर्गीकरण समय-समय पर बदलता रहा है, जिसके साथ ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन में संरचनात्मक बदलाव आया है । इस वर्गीकरण के कुछ लक्षण नीचे दिये गये हैं :

क. *कृषि* : इसमें कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण शामिल होता है ।

ख. *उद्योग* : विनिर्माण क्षेत्र को दिया गया ऋण । इसमें खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, पेट्रोलियम, रसायन, सीमेंट, धातु, इंजीनियरी, वाहन, रत्न एवं आभूषण, निर्माण और मूलभूत सुविधा उद्योगों को दिये गये ऋण शामिल होते हैं ।

ग. *सेवाएँ* : इसमें परिवहन परिचालकों (जल परिवहन को छोड़कर), कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पर्यटन, होटल और रेस्तराँ, नौवहन (जल परिवहन), व्यावसायिक और अन्य सेवाओं, आदि को दिया गया ऋण शामिल है । स्थावर संपदा के लिए ऋण में उन व्यक्तियों/फर्मों को दिये गये ऋण शामिल हैं, जो स्थावर संपदा कार्यकलापों के विकास में लगे हों (जैसेकि स्थावर संपदा की खरीद/बिक्री/पट्टा, आदि के प्रयोजनार्थ रिहाइशी/वाणिज्यिक भवनों/कंप्लेक्सों को तैयार करना, भूमि विकास, आदि) ।

घ. *वैयक्तिक ऋण* : इसमें व्यक्तियों को अपने उपभोग के प्रयोजन के लिए दिया गया ऋण; व्यक्तियों को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, रिहाइशी मकान खरीदने के लिए, शिक्षा के लिए ऋण, सावधि जमा या शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर दिया गया वैयक्तिक ऋण; क्रेडिट कार्ड बकाया, आदि शामिल होते हैं । व्यक्तियों को कारोबारी ऋण के रूप में दिया गया ऋण वैयक्तिक ऋण में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उसे संबंधित कारोबारी कार्यकलाप (उद्योग/सेवा) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

ङ. *प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र* : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दिये गये ऋणों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई वर्तमान परिभाषा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मानदंडों के अंतर्गत कृषि, लघु उद्योग, आवास, परिवहन परिचालकों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए ऋण के ब्यौरे अलग से दर्शाये जाने होते हैं ।

सभी रिपोर्टिंग बैंकों के लिए कुल आँकड़े क्षेत्रीय वर्गीकरण के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

2.1.4.3.2.3. स्रोत और प्रणालियाँ

चुनिंदा बैंकों से माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण के संबंध में आँकड़े पूर्व-परिभाषित विनिर्दिष्ट फार्मैट में मासिक आधार संगृहीत किये जाते हैं । बैंकों का चयन उनके कारोबार के आकार के आधार पर किया जाता है और इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंक, चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल किये जाते हैं । बड़े कारोबार वाले बैंकों को नमूने में शामिल किया जाता है, ताकि सभी चुनिंदा बैंकों के कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण का 90 प्रतिशत से अधिक समाविष्ट हो । विवरणियाँ मुद्रित रूप में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं । ऐसी योजना है कि ये आँकड़े बैंकों से ऑनलाइन प्राप्त किये जायें ।

2.1.4.3.2.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

उत्तम गुणवत्ता वाले आँकड़े किसी प्रामाणिक निर्णयन प्रक्रिया के लिए एक पूर्वापेक्षा होते हैं। आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त प्रणाली अपने स्थान पर है । आँकड़ों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, इसकी व्याप्ति भी समय-समय पर विस्तारित की जाती है। आँकड़ों के वर्गीकरण और बैंकों को उनमें शामिल करने के संबंध में ऐसा अंतिम संशोधन सितंबर 2005 से प्रभावी है ।

2.2 सहकारी बैंकों के संबंध में सांख्यिकी

भारत में सहकारिता आंदोलन किसानों की चिरकालिक ऋणग्रस्तता और साहूकारों की सूदखोरी

से बदहाल हो गयी ग्रामीण निर्धनता के विरुद्ध उपाय के रूप में आरंभ किया गया । 1875 में दक्कन में साहूकारों के विरुद्ध भूमि संबंधी उपद्रवों के चलते सरकार द्वारा तकावी कानून बनाये जाने की आवश्यकता हुई और इसने सहकारिता दृष्टिकोण की अवधारणा की भी अगुआई की । उत्तर भारत तकावी ऋण अधिनियम, 1875, भूमि सुधार ऋण अधिनियम, 1883, कृषक ऋण अधिनियम, 1884, आदि का अधिनियमन किसानों को ऋण उपलब्धता में सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया । 1892 में सर फ्रेडरिक निकोलसन ने जर्मन पैटर्न पर ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों की स्थापना की सिफारिश की । दुर्भिक्ष आयोग (1901) ने देश में सहकारी संस्थाओं को प्रवेश कराने की सिफारिश की । 1904 में सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम इंपीरियल गवर्नमेंट द्वारा अधिनियमित किया गया, ताकि क्रेडिट को-ऑपरेटिवों के संगठन में सुविधा हो और उन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की जायें । इसका क्षेत्र विस्तार बाद में 1912 के और अधिक व्यापक सहकारी समिति अधिनियम द्वारा और बढ़ाया गया । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1919 के अंतर्गत सहकारिता का विषय तत्कालीन प्रांतों को अंतरित कर दिया गया और उन्हें प्राधिकृत किया गया कि वे अपना सहकारिता कानून स्वयं बनायें । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अंतर्गत सहकारिता प्रांतीय विषय बनी रही। उन सहकारी समितियों के परिचालन का नियंत्रण करने के लिए, जिनके सदस्य एक से अधिक राज्यों में थे, भारत सरकार ने मल्टीयूनिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1942 को अधिनियमित किया, जिसे बाद में संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

समितियाँ इस स्थिति में नहीं थीं कि किसानों को ऋण दे सकें, ताकि किसान अपने पिछले कर्ज को चुका सकें, अपनी जमीन और अन्य आस्तियाँ सूदखोर साहूकारों से छुड़ा सकें। सहकारी समितियों के ऋण इतने काफी नहीं थे कि किसान अपनी भूमि को सुधार सकें और आमदनी बढ़ा सकें। यह महसूस किया गया कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घावधि (एलटी) ऋण अलग संस्थाओं के सेट द्वारा दिलाया जा सकता है। इस आवश्यकता को महसूस किये जाने के बाद सहकारी भूमि बंधक बैंकों (एलएमबी) की स्थापना 1920 के दशक के आरंभ में की गयी। पहला सहकारी एलएमबी पंजाब में 1920 में स्थापित किया गया और उसके बाद दो और एलएमबी मद्रास प्रेसिडेंसी में 1925 में स्थापित किये गये ।

बाद में, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (एआइआरसीएससी) ने सिफारिश की कि एक अलग संस्था स्थापित की जाये, जो एलएमबी को ऐसा साधन स्रोत उपलब्ध करा सके, जिससे वह किसानों को कृषि के विकास के लिए दीर्घावधि उधार दे सकें । इस सिफारिश के आधार पर 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गयी और एलटी के ढाँचे में तेजी से विस्तार हुआ और वह भूमि 'बंधक' बैंक से बदल कर भूमि 'विकास' बैंक (एलडीबी) कर दिया गया ।

2.2.1. सहकारी बैंकों की संरचना

सहकारी बैंकों की संरचना दो अलग-अलग रूपों, यथा, अल्पावधि संस्थाओं (उत्पादन ऋण प्रदान करने के लिए) और दीर्घावधि संस्थाओं (निवेश ऋण प्रदान करने के लिए) में की जाती है । अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के मूल में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) होती हैं । दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना में प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक समाविष्ट होते हैं । अधार स्तर वाली ये संस्थाएँ उच्चतर वित्तपोषण संस्थाओं से प्राप्त निधियों का

उपयोग करते हुए गाँवों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में 31 राज्य सहकारी बैंक (एससीबी), 367 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और 1,05,735 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ 31 मार्च 2005 को थीं । दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना में 20 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) (8 यूनिटरी और 12 फेडरल/मिश्रित संरचना) और 727 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) 31 मार्च 2005 को थे।

2.2.2. आँकड़ों का प्रसार

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत[1] में सहकारी संस्थाओं के संबंध में आँकड़ों का प्रमुख स्रोत होता है । सहकारिता आंदोलन के संबंध में आँकड़ों के अतिरिक्त नाबार्ड चार नियमित प्रकाशन निकालता है । इन प्रकाशनों की शीर्षकवार विषय सूची पर नीचे चर्चा की गयी है :

डॉसियर ऑन को-ऑपरेटिव्स : इस प्रकाशन में सहकारी ऋण संरचना, यथा, अल्पावधि और दीर्घावधि, के संबंध में आँकड़े वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं। एससीबी, डीसीसीबी और एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी के बारे में समेकित जानकारी विविध पैरामीटरों, यथा, संसाधन, निवेश, कल्याण कार्यों में सहभागिता, वसूली, प्रबंधन, लाभप्रदता, आस्तियों के वर्गीकरण, आस्तियों में क्षय, लाभांश देने वाले बैंकों और कारोबार के बाजार अंश के संबंध में भी प्रस्तुत की जाती है ।

ओवरव्यू ऑफ को-ऑपरेटिव्स : यह प्रकाशन नाबार्ड (संस्थागत विकास विभाग (आईडीडी), द्वारा वार्षिक रूप से निकाला जाता है, जो देश में सहकारी ऋण संरचना के कार्य - निष्पादन से संबंधित होता है। कार्य - निष्पादन की समीक्षा पिछले वर्ष के संदर्भ में विविध पैरामीटरों के संबंध में की जाती है ।

फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड फाइनेंशियल रेशियो एनैलिसिस : यह प्रकाशन सहकारी संस्थाओं के कार्य - निष्पादन का विश्लेषणात्मक विहगावलोकन वार्षिक तुलनपत्र जानकारी के आधार पर प्रस्तुत करता है। वित्तीय पैरामीटरों, यथा, वित्तीय प्रतिलाभ, वित्तीय लागत, वित्तीय मार्जिन, प्रबंधन खर्च, परिचालन मार्जिन, जोखिम लागत, विविध आय, और निवल मार्जिन, आदि के संबंध में विविध महत्वपूर्ण अनुपातों का विश्लेषण किया जाता है । इसके अतिरिक्त, ऋण-जमा अनुपात, वसूली और बकाया ऋणों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अनुपात भी प्रस्तुत किया जाता है ।

ऊपर उल्लिखित प्रकाशनों के लिए जानकारी का प्रमुख स्रोत तुलनपत्र (वित्तीय वर्ष के अंत में, अर्थात् 31 मार्च को) होता है। कभी-कभी लेखापरीक्षा नहीं किये गये आँकड़ों पर भी विचार किया जाता है । जानकारी/ब्यौरे नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित फर्मैट में एससीबी/एससीएआरडीबी से प्राप्त किये जाते हैं । क्षेत्रीय कार्यालय जानकारी का समेकन अलग से एसटी/एलटी संरचना के हिसाब से करते हैं और उसके बाद प्रधान कार्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर समेकन के लिए भेज देते हैं । ऋण की मांग, वसूली और जमाशेष (डीसीबी) के ब्यौरे देते हुए वसूली स्थिति प्रत्येक वर्ष 30 जून के अंत में एकत्र की जाती है । डीसीबी की गणना प्रत्येक संस्था के लिए और किसी राज्य के लिए विशिष्ट संरचना में संस्थाओं की समेकित स्थिति की भी गणना की जाती है । क्षेत्रीय कार्यालय इन ब्यौरों का संकलन लेखापरीक्षित आँकड़ों के आधार पर करते हैं और यदि ब्यौरों की लेखापरीक्षा नहीं हुई हो तो

[1] तथापि, शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रमुख प्रकाशनों में प्रसारित किये जाते हैं ।

इसके बारे में विशेष रूप से बता दिया जाता है, ताकि ऐसे ब्यौरों की जाँच लेखापरीक्षित आँकड़ों से की जा सके और बाद में वैधीकरण के समय उसमें सुधार किया जा सके। ग्राहक संस्थाएँ, यथा, एससीबी, डीसीसीबी, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी को सूचित किया जाता है कि वे आँकड़ा संकलन का विषय अपने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल करें ।

स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया : यह प्रकाशन दो भागों में निकाला जाता है । - भाग I का संबंध ऋण समितियों (एससीबी,सीसीबी, आईसीबी, पीएसीएस, जीबी, पीसीबी, पीएनएसीएस, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी) से होता है और भाग II का संबंध ऋणेतर समितियों, सभी विपणन समितियों, सभी प्रसंस्करण समितियों, खेती, मत्स्यपालन, बुनकर, आवास, उपभोक्ता सहकारी भंडार, वन-श्रमिक, अन्य औद्योगिक समितियों, आदि से होता है । प्रकाशन की विषय सूची में सांख्यिकीय आँकड़े, यथा, संख्या, सदस्य संख्या, देयता, आस्तियाँ, परिचालन, आदि शामिल होते हैं, जो ऋण और ऋणेतर संस्थाओं, दोनों के संबंध में किसी खास वर्ष के लिए संबंधित सहकारी समितियों के लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा पर आधारित होते हैं। प्रकाशन के लिए आँकड़ों के स्रोत एससीबी,सीसीबी, आईसीबी, एससीएआरडीबी, आरसीएस, आदि ऋण सहकारी समितियों के लिए और आरसीएस और कार्यकारी निबंधक ऋणेतर सहकारी संस्थाओं के लिए होते हैं ।

विवरणों के संकलन से संबंधित कार्य प्रारंभ में वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 1932 से किया जाता था और उसे प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया जाता था । बाद में उन्होंने यह कार्य मार्च 1942 में भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंप दिया, जो 1940-41 के अंक से लागू हुआ, क्योंकि उनका विचार था कि रिज़र्व बैंक का कृषि ऋण विभाग देश में सहकारी आंदोलन के निकट संपर्क में रहने के कारण यह कार्य करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था, खासकर इसलिए कि अपने सामान्य कार्य के क्रम में यह पहले से ही विविध श्रेणी की सहकारी समितियों की कार्यपद्धति से संबंधित आँकड़े सांख्यिकीय या अन्य दृष्टि से संगृहीत कर रहा था और उसे यह कार्य सौंपे जाने से काफी दोहरा कार्य करने से बचा जा सकता था। सहकारी ऋण संरचना के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का विनियामक कार्य नाबार्ड को अंतरित कर दिये जाने के फलस्वरूप यह कार्य तब 1982 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड को अंतरित कर दिया गया ।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कृषि और सहकारिता विभाग सहकारी संस्थाओं के विकास और देश में सहकारिता आंदोलन का एक समान फैलाव सुनिश्चित करने से संबंध रखता है । सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में समझदारी रखना और विविध सहकारी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को एक ही स्थान पर संकलित किये जाने की बात कही गयी । ये विवरण भारत सरकार के लिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए नीति-निर्माण में डाटाबेस के रूप में और आंतरिक उपयोग एवं अन्य प्रकाशनों के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कार्य करते हैं । प्रकाशन का क्षेत्र-विस्तार दीर्घ कालावधि में देश में सहकारिता आंदोलन के अंतर्गत कार्यकलापों के विविधीकरण के साथ बढ़ा है ।

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्थायी समिति, जिसे ''रिव्यू कमिटी ऑन को-ऑपरेटिव स्टैटिस्टिक्स - को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया'' के रूप में जाना जाता है, को सांख्यिकीय आँकड़ों के संग्रहण की प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने और उनके शीघ्र संग्रहण और प्रकाशन के लिए अर्थोपाय का सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया।

1942-43 की अवधि तक प्रकाशन में ब्रिटिश भारत में सहकारिता आंदोलन से संबंधित सांख्यिकी शामिल की जाती थी और केवल नौ भारतीय राज्यों को प्रकाशन में शामिल किया जाता था । बाद में, 1943-44 की अवधि में उन सभी राज्यों को , जहाँ कम से कम एक सौ और उससे अधिक सहकारी सहकारी संगठन विद्यमान थे, भी प्रकाशन में शामिल किया गया । भारत सरकार ने सांख्यिकी को और अधिक व्यापक बनाने के लिए फार्मों का एक नया सेट अनुमोदित किया और संशोधित फार्म 1949-50 के लिए अपनाये गये । 1949-50 से लागू किये गये कुछ आशोधन निम्नानुसार थे :

क. ऋण और ऋणेतर समितियों - कृषि और कृषीतर, से संबंधित आँकड़े अलग से प्रस्तुत किये जाते थे ।

ख. एक नयी सारणी, जिसमें प्रान्तीय और केंद्रीय ऋणेतर समितियों के परिचालनों को अलग से दर्शाया जाता था, शामिल की गयी ।

ग. अनेक चित्रमय और आलेखीय दृष्टांत तथा एक नजर में दिखने वाले आँकड़े आरंभ किये गये ।

वर्ष 1950-51 और उसके बाद के प्रकाशन से भारत संघ के सभी घटक राज्यों के लिए सांख्यिकीय आँकड़े उपलब्ध होते थे और जिस अवधि से आँकड़े संबंधित होते थे, उसमें एकरूपता होती थी, अर्थात् जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के संबंध में सांख्यिकीय विवरण एक समान अवधि, यथा 30 जून को समाप्त वर्ष, से संबंध रखते थे ।

1955-56 और उसके बाद प्रकाशन में कुछ अतिरिक्त लक्षण, यथा, विपणन समितियों से संबंधित आँकड़े, अलग से जोड़े गये और और तीन नयी सारांश सारणियाँ, जो 1951-56 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान पीएसीएस, डीसीसीबी और एससीबी की प्रगति दिखाती थीं, दी गयीं ।

वर्ष 1995 में सांख्यिकीय विवरणों की संरचना और अंतर्वस्तुओं की समीक्षा भारत सरकार द्वारा गठित सहकारिता सांख्यिकी के संबंध में समीक्षा समिति द्वारा की गयी और उनकी दुबारा रूपरेखा बनायी गयी । ऋण और ऋणेतर सहकारी संस्थाओं के आँकड़ों के संग्रहण के लिए निविष्टि फार्मैटों की संख्या पूर्व में एक सौ (100) थी, जिसमें संशोधन करते हुए अनुलिपि फार्मैटों को तत्समान फार्मैटों में मिलाया गया, व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं आने वाले फार्मैटों को हटाया गया और फालतू मदों को छोड़ते हुए फार्मैटों की संख्या इक्यावन कर दी गयी । निम्नलिखित नयी मदें फार्मैट में जोड़ी गयीं, ताकि वे सहकारी संस्थाओं की वर्तमान संरचना में अपेक्षाओं को पूरा कर सकें ।

क. अचल आस्तियों, मूल्यह्रास और अन्य संबंधित जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए भूमि, भवन और मशीनों के संबंध में निविष्टि मदें जोड़ी गयीं।

ख. सदस्यता के विश्लेषित विवरण, जैसेकि अ.जा., अ.ज.जा. और महिलाएँ, के संबंध में मदें जोड़ी गयीं ।

ग. ऋण समितियों के फार्मैटों में, डिबेंचरों के संबंध में मदें जोड़ी गयीं ।

घ. ऋणेतर क्षेत्र के फार्मैटों में औद्योगिक को-ऑपरेटिव, प्रसंस्करण समितियाँ, बुनकर समितियाँ, फिशरीज को-ऑपरेटिव, आदि के अंतर्गत अनेक नयी श्रेणी की समितियाँ जोड़ी गयीं ।

ङ. रिपोर्टिंग की अवधि जून-अंत से बदल कर मार्च-अंत (अर्थात् वित्तीय) वर्ष कर दी गयी है ।

प्रकाशन के भाग I और भाग II की व्यापक विषय-सूची अनुबंध 2.13 में दी गयी है । प्रकाशन में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है और इसके प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:

i. राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित आँकड़ों के आधार पर आँकड़ों का संकलन ।

ii. सांख्यिकीय विवरणों के संकलन के लिए आँकड़ा देने वाले कार्यालयों/एजेंसियों के अधिकारियों को आंचलिक कार्यशालाओं का आयोजन कर सुग्राही बनाना, ताकि आँकड़ों का परिशुद्ध, पूर्ण और तत्पर प्रस्तुतीकरण हो सके ।

iii. आउटपुट सारणियों की तुलना पिछले वर्ष की सारणियों से करते हुए वैधीकरण । विसंगतियों के मामले में संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण माँगा जाता है ।

iv. एजेंसियों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट और तुलनपत्र की तुलना में महत्वपूर्ण आँकड़ों की दुबारा जाँच करते हुए प्रविष्टियों का वैधीकरण ।

2.3. नाबार्ड द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में सांख्यिकी

1972 में बैंकिंग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की कि वाणिज्यिक बैंकों के नेटवर्क में काफी अधिक विस्तार होने के बावजूद इस बात की अभी भी आवश्यकता एवं संभावना होगी कि ग्रामीण निर्धनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक शाखाओं का विशेषीकृत नेटवर्क हो । इसने 1975 तक ''ग्रामीण बैंक'' की अवधारणा की अगुआई की, जब सरकार के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का उन्मूलन करने के सरकारी प्रयासों के अंतर्गत ग्रामीण साहूकारों के विन्यास को विनियमित किया गया, और ग्रामीण निर्धनों, खास कर लघु और सीमांत किसानों, कारीगरों और कृषि श्रमिकों तक पहुँचने के लिए एक वैकल्पिक संस्थागत तंत्र की अविलंब आवश्यकता महसूस की गयी । परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने दिनांक 1 जुलाई 1975 की अपनी अधिसूचना द्वारा ग्रामीण बैंकों के संबंध में एक कार्यकारी दल का गठन श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में किया ।

कार्यकारी दल ने 31 जुलाई 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य प्रायोजित, क्षेत्र-आधारित, ग्रामोन्मुख वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना किये जाने की सिफारिश की, जिसमें ग्रामीण स्पर्श, स्थानीय अनुभूति, ग्रामीण समस्याओं से परिचय और व्यावसायिक अनुशासन के साथ कम लागत वाली प्रोफाइल होती, जमाराशियों के संग्रहण की योग्यता होती और केंद्रीय मुद्रा बाजारों तक पहुँच होती तथा ग्रामीण वाणिज्यिक बैंकों का आधुनिक दृष्टिकोण होता । इस नयी संस्था के लिए देखी गयी भूमिका ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान वित्तीय संस्थाओं के पूरक के रूप में काम करने की थी, न कि उन्हें उखाड़ पेंकने के लिए । पुनः यह परिकल्पना की गयी कि यह संस्था एक ही क्षेत्र में संसाधनों को जुटाने और साथ-साथ उनका अभिनियोजन करते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को घटाने में मददगार होगी । यह दावा किया गया कि ये बैंक मुख्यतः लघु और सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों की उत्पादक ऋण आवश्यकताओं और कुछ हद तक उपभोग ऋण आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे ।

ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के अध्यादेश के अधीन पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्तूबर 1975 को स्थापित किये गये, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की उद्घोषणा अप्रैल 1976 में की गयी । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से खासकर यह अपेक्षा की गयी कि वे ग्रामीण समाज के निर्धनतर वर्गों को, जिसे सामान्यतः 'लक्ष्य समूह' के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, ऋण सुविधा प्रदान करने के कार्य को अपने हाथ में लेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मूल उद्देश्य उन ग्रामीण निर्धनों को फसल उत्पादन एवं संबद्ध प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधा की व्यवस्था करना था, जिनकी

बहुत सीमित पहुँच उस औपचारिक ऋण प्रणाली तक थी, जो सत्तर के दशक के प्रारंभ में मौजूद थी । इसलिए 1980 तक 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये और 31 मार्च 2005 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी।

2.3.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए नाबार्ड विकास कार्य योजना की तैयारी में सहायक रहा है और संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इसके निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध रहा है । नाबार्ड ने 1 अप्रैल 1995 से सांविधिक विवरणों के माध्यम से अपेक्षित आँकड़े और जानकारी संगृहीत करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टों के फार्मैटों में उपयुक्त आशोधन करते हुए एक व्यापक अनुश्रवण एवं समीक्षा तंत्र भी लागू किया ।

2.3.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

उपर्युक्त विवरणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर आधारित निम्नलिखित प्रकाशन नाबार्ड द्वारा परिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, स्वामियों के उपयोग के लिए और ग्राहकों तथा सभी शेयरधारकों के उपयोग के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

रिव्यू ऑफ परफारमेंस ऑफ आरआरबी : इस प्रकाशन में धारणीय व्यवहार्यता, वर्तमान व्यवहार्यता और हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन समाविष्ट होते हैं । यह जानकारी दो वर्षों के लिए राज्यवार और प्रायोजक बैंकवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आँकड़ों के रूप में होती है। इसमें विविध महत्वपूर्ण पैरामीटरों, यथा, जमाराशियाँ, उधार, निवेश, ऋण और अग्रिम और दो वर्षों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभ और हानि की स्थिति पर आलेख भी समाविष्ट होते हैं । ये आँकड़े भारत सरकार द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए उपयोग किये जाते हैं।

की-स्टैटिस्टिक्स ऑफ आरआरबी : इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष के लिए विविध महत्वपूर्ण व्यापक पैरामीटर और वित्तीय अनुपात विश्लेषण होते हैं। यह जानकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उनकी लेखापरीक्षा का विचार किये बिना प्राप्त किये गये क्विक रिव्यू रिपोर्ट (क्यूआरआर) विवरण से संकलित की जाती है और उसे अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। ये आँकड़े राज्यवार, प्रायोजक बैंकवार और अलग-अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में दिये जाते हैं। प्रगति का मूल्यांकन किये जाने के लिए बैंकों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ 5 वर्षीय अवधि के लिए दी जाती हैं।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आरआरबी : सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उनकी वार्षिक रिपोर्टों और लेखापरीक्षित तुलनपत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आस्ति एवं देयता की स्थिति राज्यवार, प्रायोजक बैंकवार और अलग-अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में 2 वर्षों (वर्तमान और पिछला) की अवधि के लिए प्रकाशित की जाती हैं। इसमें विविध वित्तीय अनुपात और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, यथा, एनपीए, सकल एनपीए, निवल एनपीए, ऋण-जमा अनुपात, वसूली प्रतिशत, आदि उसी अवधि के लिए समाविष्ट होती हैं।

स्टैटिस्टिक्स ऑन आरआरबी : इस प्रकाशन में 22 विवरण समाविष्ट होते हैं, जो वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य - निष्पादन की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं । विवरणों के ब्यौरे अनुबंध 2.14 में दिये गये हैं।

2.3.3. स्रोत और प्रणालियाँ

जानकारी के स्रोत हैं - क्विक रिव्यू रिपोर्ट (क्यूआरआर), अनुश्रवण एवं समीक्षा तंत्र (एमआरएम) विवरण, मांग वसूली और संतुलन (डीसीबी) विवरण, वित्तीय वर्ष के अंत में, अर्थात् 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंकों का लेखापरीक्षित तुलनपत्र और/या वार्षिक रिपोर्ट। आँकड़े लेखापरीक्षित हो सकते हैं या नहीं हो

सकते हैं । जानकारी/ब्यौरे प्रायोजक बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संपर्क में रहते हैं, ताकि आँकड़े निर्धारित फर्मैट में प्राप्त हों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त जानकारी प्रधान कार्यालय स्तर पर संकलित और समेकित की जाती है ।

2.3.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

सभी आँकड़ों की जॉच संगति, बड़ी घट-बढ़ के लिए की जाती है ओर उन्हें पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ ही स्वीकार किया जाता है । ये सभी प्रकाशन मार्च 2003 तक मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं और मार्च 2004 और उसके बाद के प्रकाशन सीडी में उपलब्ध हैं ।

2.4. शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में जानकारी

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), जिन्हें प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में भी उल्लिखित किया जाता है, देश के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । वे मध्य और निम्न आय वर्ग से बचत का संग्रहण करते हैं और समाज के कमजोर वर्गों सहित लघु उधारकर्ताओं को ऋण दिये जाने का प्रबंध करते हैं, और इस प्रकार वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए इस तंत्र में महत्वपूर्ण खाई को पाटते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग (यूबीडी) में यूसीबी से प्रत्यक्ष निरीक्षण और परोक्ष निगरानी के माध्यम से संगृहीत आँकड़ों का अधिकतर प्रयोग पर्यवेक्षण कार्य में किया जाता है । जबकि प्रत्यक्ष निरीक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख तरीका होता है, परोक्ष निगरानी (ओएसएस) अप्रैल 2001 में 55 अनुसूचित बैंकों के लिए आरंभ की गयी थी । अनुसूचित बैंकों को 10 ओएसएस विवरणियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत करनी होती थीं। बाद में यूसीबी से प्राप्त की जा रही जानकारी के विस्तार और गहनता को बढ़ाने और उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित आँकड़ों के परिमाण को घटाने के उद्देश्य से इन विवरणियों को युक्तियुक्त बनाया गया। इस प्रकार मार्च 2005 से ओएसएस विवरणियों की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी गयी (7 तिमाही और 1 वार्षिक) । यूसीबी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की संख्या उनके आकार और अनुसूचित हैसियत की दृष्टि से घटती-बढ़ती है , जो निम्नानुसार है :

अनुसूचित यूसीबी	32
गैर-अनुसूचित यूसीबी, जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है	26
स्तर II गैर-अनुसूचित यूसीबी, जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपये से अधिक है	26
स्तर I और स्तर II बैंक, जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपये से कम है	18

2.4.1 क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकता

यूसीबी बैंकिंग प्रणाली की लगभग 5 प्रतिशत जमाराशियों और लगभग उतने अग्रिमों के लिए जिम्मेवार हैं । कारोबार में उनका हिस्सा कम रहने के बावजूद यूसीबी वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अंशदान करते हैं । इस समय अनेक यूसीबी की वित्तीय स्थिति चिंता का विषय है । भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एक प्रणाली है, जिसके द्वारा वह यूसीबी को चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, जो उनके कार्य - निष्पादन और सुदृढ़ता पर आधारित होता है । जबकि श्रेणी I के बैंकों को सुदृढ़ माना जाता है, श्रेणी II के यूसीबी में थोड़ी दुर्बलता होती है, जहाँ अपेक्षित प्रत्युत्तर छोटे-मोटे समायोजनों तक सीमित होते हैं और श्रेणी III तथा IV के बैंक दुर्बलता/रुग्णता दिखाते हैं (देखें बॉक्स 2.1)।

मार्च 2006 में 1853 यूसीबी में से 677 यूसीबी (37%) श्रेणी III और IV में थे, जो दुर्बल और रुग्ण बैंक के सूचक थे । यह भी कि, हालाँकि यूसीबी बैंकिंग प्रणाली के कुल अग्रिमों के 5% के लिए जबाबदेह

बॉक्स : 2.1 शहरी सहकारी बैंकों के श्रेणी निर्धारण के लिए मानदंड

शहरी सहकारी बैंकों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा, श्रेणी I,II,III और IV, जो कुछ व्यापक विवेकपूर्ण संकेतकों पर आधारित होता है और निम्नलिखित ढंग से किया जाता है :

(क) श्रेणी I : सुदृढ़ बैंक, जिनके लिए कोई पर्यवेक्षकीय चिंता नहीं होती है ।

(ख) श्रेणी II : निम्नलिखित में से किसी एक पैरामीटर को पूरा करने वाले बैंक :

- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) : निर्धारित मानदंड से एक प्रतिशत कम; या
- अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) 10 प्रतिशत या अधिक, लेकिन 15 प्रतिशत से कम;
- पिछले वित्तीय वर्ष में निवल हानि उठायी; या
- पिछले वित्तीय वर्ष में आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में चूक की और/या चालू वर्ष के दौरान सीआरआर/ एसएलआर बनाये रखने में न्यूनाधिक लगातार चूक होती रही है ।

(ग) श्रेणी III : ऐसे बैंक, जो निम्नलिखित में से किसी दो पैरामीटर को पूरा करते हैं :

- सीआरआर न्यूनतम निर्धारित से 75 प्रतिशत कम लेकिन अपेक्षित स्तर का 50 प्रतिशत या अधिक;
- निवल एनपीए 10 प्रतिशत या अधिक, लेकिन 15 प्रतिशत से कम;
- पिछले तीन वर्षों में से दो वर्षों तक निवल हानि उठायी ।

(घ) श्रेणी IV : ऐसे बैंक, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

- सीआरआर निर्धारित सीमा के 50 प्रतिशत से कम; और
- निवल एनपीए पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 15 प्रतिशत या उससे अधिक।

हैं, उनमें कुल एनपीए के लगभग 20% समाविष्ट हैं । इस प्रकार यूसीबी समाज के मध्य और निम्न तथा सीमांत वर्ग के लोगों की सेवा करने की उनकी योग्यता और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाये रखने में उनके महत्व, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं । इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यूसीबी पर 'निरंतर पर्यवेक्षण' करते रहने की एक प्रणाली बनायी रखी जाये और एक आरंभिक-चेतावनी प्रणाली भी स्थापित की जाये, ताकि इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में ह्रास आने की आरंभिक अवस्था में ही तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जा सके ।

2.4.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

क. स्तर I और स्तर II यूसीबी - ऐसे यूसीबी, जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये तक है ओर जो एक ही जिले तक सीमित हैं, उन्हें स्तर I बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अन्य बैंकों को स्तर II बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

ख. श्रेणियाँ - यूसीबी को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो उनके कार्य - निष्पादन और सुदृढ़ता पर आधारित होता है, जैसाकि पहले बताया गया है (देखें बॉक्स 2.1)।

ग. एनपीए - कोई आस्ति तब अनर्जक बन जाती है, जब वह बैंक के लिए आय का अर्जन नहीं करती है । इसके पहले किसी आस्ति को 'पास्ट ड्यू' की अवधारणा के आधार पर एनपीए के रूप में माना जाता था । 31 मार्च 2001 से 'पास्ट ड्यू' की अवधारणा को छोड़ दिया गया है और 31 मार्च 2004 से ऐसी कोई राशि, जो

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को प्राप्य हो, बैंक द्वारा नियत तिथि को अदा नहीं किये जाने पर 'अतिदेय' मानी जाती है। एनपीए का निर्धारण 90 दिनों के अतिदेय मानदंड के आधार पर किया जाता है ।

घ. अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में स्तर I बैंकों के लिए एनपीए की परिभाषा भिन्न होती है- जिन बैंकों का परिचालन एक ही जिले तक सीमित रहता है और जिनके पास जमाराशि 100 करोड़ रुपये से कम होती है (स्तर I बैंक), उन्हें आस्तियों को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 180 दिनों के बकाये का मानदंड अपनाने की अनुमति दी जाती है, जबकि बड़ी सहकारी संस्था और सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए 90 दिनों का मानदंड निर्धारित है ।

ङ. निवल मालियत - चुकता पूँजी +आरक्षित निधियाँ (सांविधिक और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ)+अविनियोजित लाभ (या घटाव संचित हानि) - अमूर्त आस्तियाँ - अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में कमी - सहायक संस्थाओं में निवेश।

च. कुल आस्तियों में एक प्रतिपक्षी मद, यथा, अतिदेय ब्याज आरक्षित निधि (ओआइआर) शामिल होता है ।

2.4.3. स्रोत और प्रणालियाँ

यूसीबी से संबंधित आँकड़े विविध विवरणियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं । आँकड़ा संग्रहण में शामिल यूसीबी और एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों को अनुबंध 2.15 में प्रस्तुत किया गया है। बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम द्वारा निर्धारित रूप में होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ आँकड़े बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 27(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त करता है ।

2.4.4. गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना

आँकड़ों की सत्यता बनाये रखने के लिए जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है वह विवरणियों के भीतर और बाहर आँकड़ा संगति के लिए जाँच की सुविधा प्रदान करता है । आँकड़ों की गुणवत्ता की जाँच भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसी अवधि के प्रत्यक्ष आँकड़ों की तुलना परोक्ष आँकड़ों से करके की जा सकती है । क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिये गये आँकड़ों की गुणवत्ता भी समय-समय पर संकलित अंतर संबंधी रिपोर्टों के रूप में की जाती है। एक ही आकार वाले सभी बैंकों के लिए संगति जाँच भी मानक रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है ।

3. निधि प्रवाह खातों का संकलन

3.1. परिचय

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में निधि प्रवाह खाते का स्थान राष्ट्रीय आर्थिक लेखाकरण की चार अनुपूरक प्रणालियों में से एक है; अन्य तीन हैं : राष्ट्रीय आय खाता, राष्ट्रीय तुलनपत्र और इनपुट-आउटपुट विश्लेषण । भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निधि प्रवाह खाते के संकलन का काम 1959 में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) और भारतीय रिज़र्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में आरंभ किया गया । बाद में, 1959 में खातों का एक मॉडल सेट, जिसका अनुसरण किया जा सकता था, का सुझाव इस प्रयोजन के लिए गठित कार्यकारी दल द्वारा दिया गया । इस दल ने उस समय उपलब्ध सांख्यिकी को ध्यान में रखा और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो.एच.डब्लू.आंट द्वारा 1959 में इस दिशा में किये गये महत्वपूण कार्य को ध्यान में रखा । बाद में इस कार्य को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित किया गया और नियमित रूप से वित्तीय प्रवाह खातों का प्रकाशन किया जाने लगा । निधि प्रवाह खाते में निवेश के वित्तपोषण के मार्ग को स्पष्ट किया जाता है और आर्थिक कार्यकलाप एवं वित्तीय कार्यकलाप के बीच अनुक्रिया को भी स्पष्ट किया जाता है और साथ-साथ भिन्न-भिन्न आर्थिक इकाइयों के बीच निधियों के लेनदेन को भी दिखाया जाता है । इस प्रकार निधि प्रवाह खाता एक ऐसे सेट वाले खातों का द्योतक होता है, जिसको भिन्न-भिन्न आर्थिक इकाइयों के बीच धन और ऋण के माध्यम से किये गये लेनदेन को दिखाने के लिए डिजाइन किया जाता है । इन लेनदेनों में वस्तु-विनिमय प्रणाली, किसी खास इकाई से संबंधित आंतरिक स्वरूप के बही अंतरणों, आंतर-इकाई लेनदेनों और सन्निविष्ट लेनदेनों को छोड़ दिया जाता है ।

निधि प्रवाह खातों को वित्तीय प्रवाह और वित्तेतर प्रवाह में विभाजित किया जा सकता है । वित्तेतर कोटि

में चालू प्राप्तियों, चालू भुगतानों से संबंधित लेनदेन शामिल होते हैं, जिनमें मुद्रा या मुद्रावत् धारणों, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय या एकपक्षीय अंतरण और वास्तविक आस्तियों का निर्माण, यथा, अचल आस्ति निर्माण या वस्तु-सूची में बढ़ोतरी अंतर्भूत होती है । चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान चालू खाते में प्रकट होते हैं, जबकि वास्तविक आस्ति-निर्माण एवं इसका वित्तपोषण पूँजीगत खाते में प्रकट होते हैं । उधार और कर्ज देने संबंधी परिचालनों के संबंध में लेनदेन, जिसका परिणाम उधार या ऋण की अदायगी और वित्तीय आस्तियों में वृद्धि/कमी में दिखता है, को वित्तीय प्रवाह का नाम दिया जाता है ।

अपने स्वरूप से ही 'निधि प्रवाह' किसी आर्थिक इकाई के किसी अवधि के दौरान लेनदेन को इंगित करता है । निधियों के स्रोत देयताओं (उधार) में वृद्धि और आस्तियों में गिरावट (मुद्रा शेष और आस्तियों में कमी) का कारण बनते हैं । निधियों के उपयोग में समाविष्ट होते हैं :देयताओं में गिरावट (ऋण अदायगी) और आस्तियों में वृद्धि (आस्तियों का अर्जन) । जब खातों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, तब कहा जाता है कि वे 'सकल आधार' पर हैं । लेकिन व्यवहार में ऐसे आँकड़े सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं कि वे खातों को सकल आधार पर प्रस्तुत कर सकें और इसीलिए उन्हें निवल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है । दूसरे शब्दों में, केवल देयताओं में निवल वृद्धि और और आस्तियों में निवल वृद्धि को दिखाया जाता है ।

अगले कुछ खंड आँकड़ों के विभिन्न स्रोत प्रस्तुत करते हैं और बहुत हद तक वित्तीय निधि प्रवाह खातों (जिन्हें वित्तीय प्रवाह खाते भी कहा जाता है) की संकलन क्रियाविधि प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार, इस खंड में उल्लिखित 'निधि प्रवाह' को इसके बाद सामान्यतः वित्तीय प्रवाह खातों से संबंधित माना जायेगा ।

3.2. भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय वर्गीकरण

निधि प्रवाह खातों (एफओएफ) के प्रयोजनार्थ भारतीय अर्थव्यवस्था को छह क्षेत्रों में बाँटा गया है, जिसके वर्गीकरण के लिए मानदंड संस्थागत विन्यास और कार्यकलाप की स्थिति होता है ।

छह क्षेत्र हैं (i) बैंकिंग, (ii) अन्य वित्तीय संस्थाएँ, (iii) निजी कंपनी कारोबार, (iv) सरकार, (v) शेष विश्व और (vi) घरेलू । यह निधि प्रवाह के संबंध में गठित कार्यकारी दल, 1963 की सिफारिशों के अनुरूप है । प्रत्येक क्षेत्र की व्याप्ति नीचे दर्शायी गयी है :

(i) बैंकिंग क्षेत्र : इसमें वे संस्थाएँ शामिल होती हैं, जिनकी देयता मुद्रा और जमाराशियों से बनती है। इसमें विनिर्दिष्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक, जो करेंसी जारी करने वाला प्राधिकरण है, और जमाराशि ग्रहण करने वाले बैंक, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ समाविष्ट होती हैं, को शामिल किया जाता है । वाणिज्यिक बैंकों में समाविष्ट हैं भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षे.गा.बैंक), अन्य भारतीय अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक, और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंक । 'सहकारी बैंक और ऋण समितियों' में शामिल होते हैं राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, कृषि एवं कृषीतर ऋण समितियाँ, केंद्रीय और प्राथमिक भूमि विकास बैंक और औद्योगिक (राज्य एवं केंद्रीय) सहकारी बैंक ।

(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएँ : इस क्षेत्र में शामिल संस्थाएँ अनुबंध 3.1 में सूचीबद्ध की गयी हैं । इस क्षेत्र में शामिल हैं i) वित्तीय निगम और

कंपनियाँ, ii) बीमा और iii) भविष्य एवं पेंशन निधियाँ, वित्तीय निगम, जिनमें अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर विकास वित्तीय संस्थाएँ शामिल होती हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई), म्युचुअल फंड और गैर बैंकिंग वित्तीय एवं निवेश कंपनियाँ । बीमा उपक्षेत्र में समाविष्ट होते हैं जीवन और सामान्य बीमा निगम और कंपनियाँ। गैर सरकारी भविष्य निधि में शामिल होती हैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना, समुद्री नाविक पी.एफ. स्कीम, भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, आदि की कर्मचारी भविष्य निधि, (ब्यौरे के लिए देखें अनुबंध 3.1) ।

(iii) निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र : सहकारी ऋणेतर समितियाँ और गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियाँ इस क्षेत्र के दो उपक्षेत्र हैं । सहकारी ऋणेतर समितियों में समाविष्ट होते हैं विपणन समितियाँ, सहकारी चीनी कारखाना, कपास ओटनी एवं संपीडन समितियाँ, दुग्ध आपूर्ति संघ एवं समितियाँ, मत्स्यपालन समितियाँ, कृषि समितियाँ,सिंचाई समितियाँ, उपभोक्ता सहकारी भंडार, गृह-निर्माण समितियाँ, बुनकर समितियाँ, कताई मिल, आदि, जिनका ब्यौरा अनुबंध 3.1 में दिया गया है । गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों में समाविष्ट होते हैं पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ (जिनमें विदेश नियंत्रित रुपया कंपनियाँ शामिल हैं), जो भारत में भारतीय संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और भारत में परिचालनरत विदेशी कंपनियों की शाखाएँ । परिचालनरत कंपनियों की परिभाषा वैसी कंपनियों के रूप में दी जाती है, जिन्होंने नियमित वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है और अपने मुख्य कार्यकलाप से आय का अर्जन करने लगी हैं । तथापि, इनमें निम्नलिखित कंपनियों को शामिल नहीं किया जाता है : (i) निर्माणाधीन कंपनियाँ, (ii) संवर्धक एवं विकासात्मक संगठन / लाभ के लिए कार्य न करनेवाले संघ (iii) ऐसी कंपनियाँ, जो किसी कारोबार/कार्यकलाप की रिपोर्ट नहीं करती हैं, (iv) ऐसी कंपनियाँ, जिनका परिसमापन होने ही वाला है, (v) ऐसी कंपनियाँ, जिन्होंने अपनी आस्तियाँ बेच दी हैं, (vi) ऐसी कंपनियाँ, जिनके परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है, और (vii) ऐसी कंपनियाँ, जिन्होंने पहले ही किसी खास तिथि को ऐच्छिक परिसमापन किये जाने के लिए आवेदन दिया है ।

(iv) सरकार : इस क्षेत्र के घटक हैं : (क) केंद्र सरकार और इसके विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम, (ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें उनके विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम शामिल हैं, (ग) स्थानीय प्राधिकरण (जिनमें नगर निगम, नगरपालिकाएँ, पंचायतें और पत्तन न्यास आते हैं) और (घ) सरकारी गैर विभागीय गैर वित्तीय वाणिज्यिक उपक्रम, जिनमें राज्य बिजली बोर्ड शामिल हैं । डाकघर बचत बैंकों को भी शामिल किया जाता है ।

(v) शेष विश्व : इस क्षेत्र के अंतर्गत निवासी इकाइयों की सभी अनिवासी इकाइयों, जिनमें विदेश में भारतीय राष्ट्रिक, विदेशी राष्ट्रिक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ शामिल हैं, के साथ किये गये लेनदेन आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की एक सूची अनुबंध 3.3 में दी गयी है।

(vi) घरेलू क्षेत्र : यह अवशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति, घरेलू उद्योग, कृषि/फर्म कारोबार और कृषीतर/फर्म कारोबार वाले गैर सरकारी गैर कंपनी उद्यम (जैसेकि एकल स्वामित्व और सहभागिता वाले उद्यम), न्यास और निर्लाभ संस्थाएँ समाविष्ट होती हैं ।

3.3 लिखत

उपलब्ध वित्तीय लिखतों को एफओएफ खातों में निम्नलिखित ग्यारह कोटियों में समूहित किया जाता है :

(i) मुद्रा : इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये संचलन में नोट और भारत सरकार द्वारा जारी एक रुपये के नोट और सिक्के शामिल होते हैं ।

(ii) जमाराशियाँ : इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी ऋण और ऋणेतर संस्थाओं के पास जमाराशियों के साथ-साथ वित्तीय निगमों, सरकार और शेष विश्व द्वारा प्राप्त जमाराशियाँ भी शामिल की जाती हैं । यहाँ गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमाराशियाँ भी शामिल होती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनिवार्य जमा, जिन्हें अलग से दिखाया जाता है, को छोड़ दिया जाता है।

(iii) निवेश : इस कोटि के अंतर्गत निम्नलिखित लिखत आते हैं :

सरकारी प्रतिभूतियाँ : इसमें शामिल होते हैं बाजार ऋण, खजाना बिल, विशेष बांड (वाहक बांड सहित) और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये क्षतिपूर्ति बांड और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य जमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक से लिया गया उधार।

सरकार की अन्य प्रतिभूतियाँ (लघु बचत से भिन्न): इसमें शामिल होते हैं बांड, शेयर और डिबेंचर, जो पत्तन न्यास, नगर निगम, आवास बोर्ड, राज्य बिजली बोर्ड और गैर विभागीय गैर वित्तीय उपक्रमों द्वारा जारी किये जाते हैं ।

बैंकों की प्रतिभूतियाँ : यह भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की चुकता पूँजी, सहकारी बैंकों एवं ऋण समितियों द्वारा जारी किये गये शेयरों और डिबेंचरों को विनिर्दिष्ट करता है ।

अन्य वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियाँ : वित्तीय निगमों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बीमा कंपनियों द्वारा जारी किये गये शेयर, यूनिट, बांड और डिबेंचर यहाँ शामिल किये जाते हैं ।

निजी कंपनियों की प्रतिभूतियाँ : गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों और सहकारी ऋणेतर समितियों द्वारा जारी किये गये शेयरों और डिबेंचरों को यहाँ शामिल किया जाता है ।

विदेशी प्रतिभूतियाँ : विदेशी संस्थाओं द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों, शेष विश्व के निधियों के स्रोत के अंतर्गत निवेशों के सामने उल्लिखित विदेशी मुद्रा आस्तियों को यहाँ शामिल कया जाता है ।

अन्य प्रतिभूतियाँ : जब किसी क्षेत्र के लिए प्रतिभूतियों के ब्यौरों को नहीं पहचाना जाता, तब उन्हें इस कोटि के अंतर्गत दर्शाया जाता है ।

(iv) ऋण एवं अग्रिम : इस शीर्ष में शामिल मदों में सभी क्षेत्रों के उधार होते हैं ।

(v) लघु बचत : राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाकघर जमाराशियां, आदि जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, इस लिखत में शामिल की जाती हैं ।

(vi) भविष्य निधि:गैर सरकारी भविष्य निधियाँ और सरकारी भविष्य निधियाँ यहाँ शामिल की जाती हैं। पेंशन निधियां भी यहाँ शामिल की जाती है।

(vii) आजीवन निधि : इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल मदें हैं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की जीवन बीमा निधि, केंद्र सरकार की डाक बीमा निधि और राज्य सरकार की बीमा निधि ।

(viii) अनिवार्य जमा : यह विधायी अपेक्षाओं, यथा, अनिवार्य जमा योजना, 1974 के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक में रखी गयी जमाराशियों को

निर्दिष्ट करता है । अब यह योजना वापस ले ली गयी है ।

(ix) व्यापार ऋण/कर्ज : इस शीर्ष के अंतर्गत गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों, सरकारी गैर विभागीय उपक्रमों और पत्तन न्यासों द्वारा व्यापार ऋण/ कर्ज की रिपोर्ट की जाती है ।

(x) विदेशी दावे, जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया: कुछ विदेशी दावे, जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध किसी भी लिखत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सका, यहाँ दर्शाए जाते हैं। ऐसी मदें हैं (i) वाणिज्यिक बैंकों का शाखा समायोजन - भारत के बाहर, (ii) फार्म 'एक्स' ' ' के अनुसार देयताओं से अधिक आस्तियाँ और (iii) ऐसी मदें, जो निधियों के स्रोत/उपयोग के अंतर्गत उल्लिखित की जा सकती हैं।

(xi) अन्य मदें, जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया: उन मदों को, जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध किसी भी लिखत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सका, यहाँ दर्शाया जाता है । ये मदें निधियों के स्रोत और उपयोग से भिन्न हो सकती हैं । सामान्यतः देय/प्राप्य बिल, भारत में शाखा समायोजन, अन्य वित्तीय देयताएँ, अन्य वित्तीय आस्तियाँ यहाँ रिपोर्ट की जाती हैं । केंद्र सरकार के लिए, घरेलू स्वर्ण और रजत की निवल खरीद (निधियों का उपयोग) को इस कोटि के सामने दर्शाया जाता है।

3.4. आँकड़ों का स्रोत

व्यापक व्याप्ति और असमुच्चयित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भिन्न-भिन्न स्रोतों से अपरिमित आँकड़ों की जरूरत होती है, ताकि एफओएफ खाता तैयार किया जा सके । भारत में, अपेक्षित आँकड़े प्रकाशित तुलनपत्रों, संबंधित संस्थाओं के निधियों के स्रोत एवं उपयोग से संबंधित विवरणों, सर्वेक्षणों में उपलब्ध आँकड़ों और केवल एफओएफ खातों के निर्माण के लिए डिजाइन की गयी विशेष विवरणियों से लिये जाते हैं । तथापि, घरेलू क्षेत्र के लिए कोई स्वतंत्र खाता उपलब्ध नहीं है । घरेलू क्षेत्र के लिए खातों को अवशिष्ट के रूप में पूर्व में उल्लिखित अन्य पाँच संगठित क्षेत्रों के खातों के आधार पर तैयार किया जाता है । सारणी 3.1 में क्षेत्रवार आँकड़ा स्रोत के ब्यौरे दिये गये हैं ।

सारणी 3.1 : एफओएफ खातों के संकलन के लिए आँकड़ों का स्रोत

क्षेत्र	स्रोत
1. बैंकिंग	
1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	1. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य-विवरण *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 2. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 'संचलन में नोट' और 'रुपया सिक्के और छोटे सिक्के का संचलन' के संबंध में आँकड़े *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 3. निम्नलिखित के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और सरकारी और बैंक लेखा विभाग से विशेष विवरणियाँ : (i) देय बिल; (ii) अन्य जमाराशियाँ; (iii) अन्य आस्तियाँ; (iv) अन्य देयताएँ; और (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग द्वारा निवेशों का विश्लेषित विवरण
1.2 वाणिज्यिक बैंक	1. अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों के संबंध में आँकड़े *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)*

सारणी 3.1 : एफओएफ खातों के संकलन के लिए आँकड़ों का स्रोत *(जारी)*

क्षेत्र	स्रोत
	2. मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास जमाराशियों के स्वामित्व का सर्वेक्षण *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 3. मार्च के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश का सर्वेक्षण *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋणों के संबंध में सर्वेक्षण (संगठन और व्यवसाय के अनुसार) *(मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी, भारतीय रिज़र्व बैंक)* 5. अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन *(भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट)* 6. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों और देयताओं की विविध मदों के संबंध में फार्म एक्स
1.3 सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ	1. स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया-भागI- ऋण समितियाँ, नाबार्ड में प्रकाशित सहकारी बैंकों और ऋण समितियों की आस्तियाँ और देयताएँ 2. राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं के संबंध में विशेष जानकारी
2. अन्य वित्तीय संस्थाएँ	
2.1 विकास वित्तीय संस्थाएँ	1. विकास वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र (जैसाकि उनकी आपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों में दिये जाते हैं) 2. राज्य औद्योगिक विकास निगमों की आस्तियों और देयताओं से संबंधित विशेष जानकारी
2.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट	1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट का तुलनपत्र *(वार्षिक रिपोर्ट, यूटीआइ)* 2. विशेष जानकारी, जिसमें यूटीआइ के तुलनपत्र के स्कीमवार ब्यौरे दिये गये हों
2.3 बीमा	एलआइसी, जीआइसी, डीआइसीजीसी, ईसीजीसी और जीआइसी के चार सहयोगियों के तुलनपत्र और प्राइवेट बीमा कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें 1990 से और उसके बाद की । बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व के वर्षों के लिए इंडियन इंश्युरेंस ईयर बुक ।
2.4 म्युचुअल फंड	1. विविध म्युचुअल फंडों के तुलनपत्र 2. म्युचुअल फंडों से आस्तियों और देयताओं की विविध मदों के संबंध में विशेष जानकारी
2.5 गैर सरकारी भविष्य निधि	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) संगठन, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, सीमेन्स प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और असम टी प्लांटेशन प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, एलआइसी, डॉक लेबर बोर्ड्स, सभी पत्तन न्यास, राज्य वित्तीय निगमों, औद्योगिक वित्त निगमों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स, आदि की भविष्य निधियों के तुलनपत्र
2.6 वित्तीय और निवेश कंपनियाँ	1. वित्तीय और निवेश कंपनियों के वित्त के संबंध में अध्ययन *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 2. गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमाराशियों की वृद्धि के संबंध में लेख *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)*
3. निजी कंपनी कारोबार	
3.1 गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियाँ	1. मझोली और बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, मझोली और बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की आस्तियों और देयताओं से संबंधित प्रकाशित लेख *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 2. कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार से वैश्विक चुकता पूँजी के संबंध में आँकड़े

सारणी 3.1 : एफओएफ खातों के संकलन के लिए आँकड़ों का स्रोत *(समाप्त)*

3.2 सहकारी ऋणेतर समितियाँ	सहकारी ऋणेतर समितियों की आस्तियाँ और देयताएँ; स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया-भाग II: को-ऑपरेटिव नन-क्रेडिट सोसाइटीज, नाबार्ड, में प्रकाशित
4. सरकार	
4.1 केंद्र सरकार	1. केंद्र सरकार के बजट का आर्थिक और प्रयोजनमूलक वर्गीकरण 2. संघ सरकार का वित्त लेखा. 3. केंद्र सरकार का बजट दस्तावेज 4. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का स्वामित्व पैटर्न (मुद्रा और वित्त के संबंध में रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक) 5. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के खजाना बिलों के स्वामित्व के संबंध में विशेष जानकारी
4.2 राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र	1. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित वित्त (भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन) 2. प्रत्येक राज्य सरकार का वित्त लेखा/भारत में संघ और राज्य सरकारों का संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा 3. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का स्वामित्व पैटर्न (मुद्रा और वित्त के संबंध में रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक)
4.3 स्थानीय प्राधिकरण	पत्तन न्यासों की आस्तियाँ और देयताएँ (विविध पत्तन न्यासों की वार्षिक रिपोर्टें)
4.4 सरकारी गैर विभागीय गैर वित्तीय उद्यम	1. सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की आस्तियाँ और देयताएँ (सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण, लोक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार) 2. राज्य बिजली बोर्डों और दामोदर घाटी निगम की आस्तियाँ और देयताएँ (जैसाकि उनकी अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित है) 3. गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमाराशियों में वृद्धि के संबंध में लेख (भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)
5. शेष विश्व	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित भुगतान संतुलन लेखा से (i) निजी पूँजी, (ii) सरकारी विविध पूँजी और (iii) बैंकिंग पूँजी के अंतर्गत भुगतानों और प्राप्तियों के संबंध में विशेष जानकारी
6. घरेलू	इस क्षेत्र के लेखे मूलतः ऊपर वर्णित सभी पाँच क्षेत्रों के लेखों से लिये गये हैं। घरेलू क्षेत्र के सामने इन क्षेत्रों में प्रतिबिंबित आस्तियों या निधियों के उपयोग घरेलू क्षेत्र की देयताओं या निधियों के स्रोत के द्योतक हैं । इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र से देयताएँ या निधियों के स्रोत घरेलू क्षेत्र की आस्तियों या निधियों के उपयोग के द्योतक हैं । इस प्रकार घरेलू क्षेत्र के आंकडे देते हुए कोई अलग प्रकाशित स्रोत नहीं है।

3.5 संकलन की कार्यप्रणाली

एफओएफ खातों को एक क्रमबद्ध क्रियाविधि के आधार पर संकलित किया जाता है, जिसके लिए अनेक कदम उठाये जाते हैं । प्रारंभ में, वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों को गैर वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों से पृथक् किया जाना चाहिए। तथापि, गैर वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों का खंड 4.1 'परिचय' में मोटे तौर पर वर्णन किया गया है । इनके आधार पर वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेनों को पृथक् किया गया है । उदाहरण के लिए, किसी संस्था की अचल आस्तियों में परिवर्तन को इसके गैर वित्तीय प्रवाह में प्रतिबिंबित किया जाता है, जबकि प्रणाली के अंतर्गत नकदी के धारण को वित्तीय प्रवाह के अंतर्गत समूहित किया जाता है । इसलिए, वित्तीय स्वरूप वाले सभी लेनदेनों को पहचाना जाना चाहिए और वित्तीय प्रवाह निधियों में सम्मिलित किया

जाना चाहिए । दूसरे प्रक्रम में वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों को विभिन्न क्षेत्रों को समनुदेशित किया जाता है, जो उस क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिससे या जिसको निधियाँ उधार ली जानी हैं या उधार दी जानी हैं । पुनः अंतःक्षेत्रीय लेनेदनों की निवल राशि निकाली जाती, जबकि अंतर-क्षेत्रीय लेनदेनों को दो स्थानों पर दर्ज किया जायेगा - वह क्षेत्र, जहाँ से निधियाँ आयी हैं और प्राप्तकर्ता क्षेत्र । तीसरे प्रक्रम में, वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों की कोटि का निर्धारण स्रोत या उपयोग के रूप में किया जाता है, जो पूर्व में वर्णित प्राप्ति एवं भुगतान मानदंड पर निर्भर करता है । निम्नलिखित खंड में निधियों के स्रोत/उपयोग का संकलन लिखतवार और क्षेत्रवार वर्गीकरण के अनुसार करने की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है ।

3.5.1 बैंकिंग क्षेत्र

इस क्षेत्र के अंतर्गत तीन उपक्षेत्रों के खाते स्वतंत्र रूप से उनके तुलनपत्रों के आधार पर तैयार किये जाते हैं। तुलनपत्र के आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए 31 मार्च, सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के लिए 30 जून और वाणिज्यिक बैंकों के लिए मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित होते हैं । 31 मार्च की जगह अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को वाणिज्यिक बैंकों को तरजीह इसलिए दी जाती है, क्योंकि इसके कारण वर्ष के अंत में आस्तियों और देयताओं की मदों में भरी-भरकम वृद्धि की रिपोर्टिंग से बचा जा सकता है । खातों के संकलन और विभिन्न लिखतों के संबंध में क्षेत्रीय विवरण के अनुमान की प्रक्रिया प्रत्येक उपक्षेत्र के लिए नीचे प्रस्तुत की गई है ।

क) भारतीय रिज़र्व बैंक

संचलन में नोट

'संचलन में नोट' में समाविष्ट होते हैं बैंक नोट, जो (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग में धारित होते हैं और (ii) संचलन में (अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के बाहर) होते हैं । बैंक नोट और रुपया सिक्के भिन्न-भिन्न संस्थाओं/उपक्षेत्रों द्वारा उनके बचत के भाग के रूप में और प्रतिदिन के लेनदेन के लिए भी रखे जाते हैं । चूँकि विभिन्न संस्थाओं/उपक्षेत्रों द्वारा धारित नकदी में बैंक नोट और सरकारी नोट दोनों शामिल होते हैं, इसलिए प्रत्येक उपक्षेत्र के लिए अलग-अलग विवरण यह मान कर तैयार किया जाता है कि उनका एक दूसरे का अनुपात वही है, जो संबंधित वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कुल 'संचलन में नोट' और कुल 'संचलन में रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों' से संबंधित आँकड़ों में इंगित किया गया है । बैंक नोटों के क्षेत्रीय वितरण का तरीका इस प्रकार निकाला गया है, जो विभिन्न संगठित क्षेत्रों द्वारा धारित नकदी के आधार पर है, जिसकी रिपोर्ट वे अपने लेखों में करते हैं और घरेलू क्षेत्र का भाग अवशिष्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है ।

चुकता पूँजी

भारतीय रिज़र्व बैंक की चुकता पूँजी 1948 से ही 5 करोड़ रुपये रही है । चूँकि अब तक इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस मद में प्रवाह शून्य है ।

जमाराशियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा कंपनियों/निगमों, वित्तीय निगमों, और भविष्य निधियों, सरकार, शेष विश्व, अनिवार्य जमा, और अन्य (ऐसी मदें, जैसे, वसूली के लिए चेक खाता, क्रेडिट खाते की असमाशोधित मदें, फुटकर जमाराशियाँ, आदि, जिन्हें किसी क्षेत्र को आबंटित नहीं किया जा सका) की जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । 'अन्य' जमाराशियों को इन संस्थागत/उपक्षेत्रीय ब्यौरों से अलग करने के लिए 31 मार्च की स्थिति के अनुसार विशेष जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से माँगी जाती है । अनिवार्य जमा को निकाल कर भारतीय रिज़र्व बैंक की 'अन्य जमाराशियों' को समानुपाती ढंग से

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को आबंटित किया जाता है, जो विशेष जानकारी में बताये गये 'अन्य जमाराशियों' के क्षेत्रीय पैटर्न पर आधारित होता है । क्षेत्रीय आँकड़ों का अनुमान लगाने के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के खाता सं.1 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जमाराशियों को शेष विश्व क्षेत्र के सामने अनुमानित जमाराशियों में से घटा दिया जाता है और अलग से आईएमएफ से ऋण के रूप में दर्शाया जाता है , यह आशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक उपक्षेत्र के खातों में इसलिए किया जाता है, क्योंकि शेष विश्व क्षेत्र में उपर्युक्त लेनदेनों को आधिकारिक क्षेत्र (आरबीआई) को ऋण के रूप में दर्शाया जाता है ।

देय बिल

'देय बिल' में शामिल होते हैं (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के बीच जारी किये गये बकाया ड्राफ्ट, (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थानीय भुगतान के लिए जारी किये गये बकाया भुगतान आदेश, और (ग) विप्रेषण समाशोधन खाते में बकाया शेष । 1975-76 से 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक विशेष विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जाती है । देय बिलों की राशि, जो स्थिति विवरण में दी गयी होती है, विभिन्न क्षेत्रों को विशेष विवरणी से निकाले गये क्षेत्रीय पैटर्न के आधार पर आबंटित की जाती है ।

अन्य देयताएँ

गैर वित्तीय लिखतों में लेनदेन की पहचान करते हुए उन्हें 'अन्य देयताओं' में शामिल नहीं किया जाता है । इसके प्रयोजनार्थ एक विशेष विवरणी का उपयोग किया जाता है।

रुपया और छोटे सिक्के

इस मद में समाविष्ट होते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम और बैंकिंग विभागों में धारित केंद्र सरकार के विभिन्न मूल्यवर्गों के रुपया नोट/सिक्के और अन्य स्मारक सिक्के भी (भले ही वे उच्च मूल्यवर्ग के हों), जो भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं । रुपया नोटों और सिक्कों को सरकारी क्षेत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दावे के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि, रुपया नोटों/सिक्कों को सरकार की मुद्रा देयता के रूप में दर्शाया जाता है ।

सोने के सिक्के और बुलियन

भारतीय रिज़र्व बैंक के वॉल्टों में रखे हुए सोने के स्टॉक को इस शीर्ष के सामने दर्शाया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने लेनदेन के भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से खरीदा गया सोना भी यहाँ शामिल किया जात है । पुनर्मूल्यन के कारण स्वर्ण-धारण के मूल्य में हुई वृद्धि को वित्तीय प्रवाह खाता के अंतर्गत नहीं दर्शाया जाता है । पुनर्मूल्यन के कारण इस खास राशि को पुनर्मूल्यन खाते के सामने दर्शाया जाता है और इसलिए, सोने के वास्तविक स्टॉक में बढ़ोतरी होने के कारण उसके मूल्य में हुई वृद्धि को वित्तीय प्रवाह के अंतर्गत दिखाया जाता है । इसे विदेशी आस्ति के रूप में माना जाता है और क्षेत्रीय वर्गीकरण के लिए 'शेष विश्व' क्षेत्र के सामने दर्शाया जाता है ।

विदेशी आस्तियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी आस्तियों में समाविष्ट हैं निर्गम विभाग में धारित 'विदेशी प्रतिभूतियाँ' और बैंकिंग विभाग में धारित 'विदेश में रखी जमाराशियाँ' । इनमें विदेशी केंद्रीय बैंकों एवं अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य बैंकों के पास अल्पावधि प्रतिभूतियाँ, नकद जमाशेष और सावधि जमाराशियाँ शामिल हैं । चूँकि ये विदेशी सरकारों/केंद्रीय बैंकों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के लेनदेन से संबंध रखती हैं, इन्हें क्षेत्रीय प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत 'शेष विश्व' क्षेत्र के सामने और लिखतवार वर्गीकरण में 'निवेश - विदेशी प्रतिभूतियाँ' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण में केवल सकल निवेश के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं । इसलिए, हम ऐसे निवेशों के विन्यास के ब्यौरे के लिए एक विशेष विवरणी का आश्रय लेते हैं ।

ऋण एवं अग्रिम

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण और अग्रिम तथा अन्य निधियों से ऋण के आंकड़े अलग से उपलब्ध होते हैं । ऋण के प्राप्तकर्ताओं को स्थिति विवरण में अलग से (क) केंद्र सरकार, (ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र, (ग) वाणिज्यिक बैंक, (घ) सहकारी बैंक और (ङ) वित्तीय निगमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । 'आंतरिक खरीदे और भुनाये गये बिलों' को भी ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि ये वाणिज्यिक बैंकों के बिल होते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुनाये जाते हैं। कर्मचारियों को कार, आदि खरीदने के लिए दिये गये ऋण को घरेलू क्षेत्र के ऋण के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि आवास ऋणों को सहकारी ऋणेतर समितियों को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ऐसे ऋणों का अधिकांश भाग सहकारी गृह-निर्माण समितियों को दिया जाता है ।

अन्य आस्तियाँ

चूँकि 'अन्य आस्तियों' के ब्यौरे स्थिति विवरण में रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं, इसलिए इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त एक विशेष विवरणी का उपयोग किया जाता है । वित्तेतर स्वरूप की मदें, यथा, जड़ वस्तु खाते को 'अन्य आस्तियाँ' में शामिल नहीं किया जाता है ।

ख) वाणिज्यिक बैंक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की आस्तियों एवं देयताओं के संबंध में आँकड़े मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत प्राप्त की गयी विवरणी (इसके बाद धारा 42 विवरणी के रूप में निर्दिष्ट) से लिये जाते हैं । फार्म एक्स, जो भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत प्राप्त एक मासिक विवरणी होती है, आस्तियों और देयताओं की सभी मदों के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत करता है, जिसमें धारा 42 विवरणी में उपलब्ध सभी वाणिज्यिक बैंकों के आँकड़े शामिल होते हैं और 31 मार्च के आँकड़ों पर इस उपक्षेत्र के खातों को संकलित करने के लिए विचार किया जाता है । धारा 42 विवरणी से जो ब्यौरे प्राप्त नहीं होते हैं, उनकी पूर्ति फार्म एक्स विवरणी से उपलब्ध आँकड़ों द्वारा की जाती है । इन लिखतों के अंतर्गत क्षेत्रीय ब्यौरों का अनुमान लगाने के लिए बैंक ऋण, जमा और निवेश के संबंध में भिन्न-भिन्न सर्वेक्षण परिणामों [यथा, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ (बीएसआर) 1,4 एवं 5] का उपयोग किया जाता है । लिखतवार संकलन का संक्षिप्त लेखा-जोखा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

चुकता पूँजी

चुकता पूँजी के संबंध में आँकड़े फार्म एक्स विवरणी से प्राप्त किये जाते हैं, जो बैंकों के पाँच समूहों के लिए उपलब्ध होती है, यथा, (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक, (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक, (ग) अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), (घ) अनुसूचित विदेशी बैंक और (ङ) कार्यरत गैर अनुसूचित बैंक । इन बैंकों को पुनः (i) सरकारी क्षेत्र के बैंक, (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और (iii) अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक एवं (iv) गैर अनुसूचित बैंक (अवशिष्ट) में समूहित किया जाता है, ताकि उनकी चुकता पूँजी के स्वामित्व संबंधी ब्यौरे प्राप्त हो सकें ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की चुकता पूँजी भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार रखते हैं । तथापि, यह देखा जाता

है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के खाते अभी भी कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरों में निवेश दर्शाते हैं, जो शायद क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त होने के कारण है। इसलिए केंद्र सरकार के हिस्से के संबंध में आँकड़े प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल चुकता पूँजी में से भारतीय रिज़र्व बैंक के अंशदान के साथ-साथ एलआईसी का अंशदान घटा दिया जाता है । हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए प्राथमिक बाजार में पहुँचते रहे हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की चुकता पूँजी का स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वाणिज्यिक बैंकों के बीच 50:15:35 के अनुपात में विभाजित किया जाता है । इस प्रकार सभी वाणिज्यिक बैंकों की चुकता पूँजी (क) भारतीय रिज़र्व बैंक, (ख) वाणिज्यिक बैंक, (ग) एलआईसी, (घ) केंद्र सरकार, (ङ) राज्य सरकारों और (च) घरेलू क्षेत्र के बीच आबंटित की जाती है।

जमाराशियाँ

जमाराशियों के संबंध में आँकड़े धारा 42 विवरणी से प्राप्त किये जाते हैं, जो मांग और मीयादी देयताओं का कुल जोड़ बताती है , इन जमाराशियों के स्वामित्व के विवरण मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 4 के माध्यम से उपलब्ध मार्च के अंतिम शुक्रवार को 'अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों के स्वामित्व' के सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित किये जाते हैं । स्वामित्व संबंधी ब्यौरे जमाराशियों के प्रकार द्वारा उपलब्ध होते हैं, यथा, चालू बचत, सावधि और अन्य जमा । चालू, बचत और सावधि जमा का संबंध, जो फार्म एक्स में उपलब्ध होता है, उसे धारा 42 विवरणी से प्राप्त 'अन्य' से कुल जमाराशियों पर अलग से लागू किया जाता है, ताकि कुल जमाराशियों को चालू, बचत और सावधि (नकद प्रमाणपत्र सहित) जमाराशियों में विभक्त किया जा सके। इस प्रकार अनुमानित जमाराशियों को विविध क्षेत्रों के बीच स्वामित्व सर्वेक्षण के आधार पर चालू, बचत और सावधि जमा के लिए आबंटित किया जाता है । बैंकों से प्राप्त स्वामित्व संबंधी ब्यौरे वाणिज्यिक बैंकों के सामने दिखाये जाते हैं, जिनमें शामिल होते हैं भारतीय वाणिज्यिक बैंक (सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के बैंक), विदेशी रेजिडेंट बैंक (भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के कार्यालय) और सहकारी बैंक । अन्य से जमाराशियों को वित्तीय निगमों, बीमा कंपनियों/निगमों, गैर सरकारी भविष्य निधियों, सहकारी ऋणेतर समितियों, गैर सरकारी वित्तेतर कंपनियों, सरकार (जिसमें सरकारी गैर विभागीय उपक्रम शामिल हैं), शेष विश्व और घरेलू क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है ।

देय बिल

इस मद के ब्यौरे भारत में देय बिलों और भारत से बाहर देय बिलों के अंतर्गत दिये जाते हैं । बाद वाले भाग को शेष विश्व क्षेत्र के सामने दर्शाया जाता है। पहले वाली कोटि के संबंध में अधिक ब्यौरों के अभाव में, कुल राशि को 'क्षेत्र, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है। लिखतवार वर्गीकरण में, इसे 'मद अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है।

शाखा समायोजन

इस शीर्ष के अंतर्गत आँकड़े (क) भारत में कार्यालयों और (ख) भारत से बाहर के कार्यालयों के साथ शाखा समायोजनों के लिए उपलब्ध होते हैं । जबकि दूसरी कोटि शेष विश्व क्षेत्र के साथ लेनदेन का द्योतक होती है, पहली कोटि अंतःवाणिज्यिक बैंक लेनदेनों का द्योतक होती है । आस्ति पक्ष में एक मद 'भारत में कार्यालयों के बीच शाखा समायोजन' भी दिखायी जाती है ।

विविध देयताएँ

इस मद के संबंध में आँकड़े फार्म एक्स विवरणी से प्राप्त किये जाते हैं । इसमें विविध वित्तीय और वित्तेतर स्वरूप की मदें, यथा दावा नहीं किये गये लाभांश, स्टाफ उपदान खाता, निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि, कर

देयता के लिए प्रावधान, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधियाँ, गुप्त आरक्षित निधियाँ और बकाया जमाराशियों पर प्रोद्भूत ब्याज समाविष्ट होती हैं । इसी प्रकार की एक मद, यथा, 'अन्य अमूर्त आस्तियाँ' आस्ति पक्ष में दिखायी जाती है। इसमें निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज; अदा किया गया अग्रिम कर घटाव प्रावधान और स्रोत पर कटौती किया गया कर, फुटकर, यथा, उचंत, अस्थायी अग्रिम, प्रतिभूति जमा, समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते सम्मिलित होते हैं। 'अन्य अमूर्त आस्तियों (जिनमें अंतर-वाणिज्यिक बैंक लेनदेन शामिल नहीं हैं)' को घटाकर विविध देयताओं को एफओएफ खाते के लिए वित्तीय भाग का द्योतक मान लिया जाता है ।

हाथ में नकदी

हाथ में नकदी के ब्यौरे धारा 42 विवरणी से लिये जाते हैं । इस मद को बैंक नोटों और सरकार के नोटों में विभक्त किया जाता है, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों में वर्णन होता है । बैंक नोटों को बैंकिंग क्षेत्र (भारतीय रिज़र्व बैंक) के सामने वर्गीकृत किया जाता है, जबकि सरकार के नोट को सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया जाता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों के पास जमाराशियाँ, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

इन मदों के संबंध में ब्यौरे धारा 42 विवरणी से (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष, (ख) अन्य बैंकों के पास - (i) चालू खाता और (ii) अन्य खाते में जमाशेष और (ग) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि उपशीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किये जाते हैं । 'अन्य बैंकों के पास चालू खाते में जमाशेष' मद में वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के पास जमाशेष शामिल होते हैं । बैंकों की इन दो कोटियों में इसका आबंटन फार्म एक्स विवरणी के आधार पर किया जाता है । वाणिज्यिक बैंकों के पास अन्य खातों में जमाशेष को वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में माना जाता है ।

निवेश

अनुसूचित बैंकों के मामले में धारा 42 विवरणी और गैर अनुसूचित बैंकों के मामले में फार्म एक्स विवरणी निवेशों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत होते हैं । धारा 42 विवरणी (क) सरकारी प्रतिभूतियों, और (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में अलग-अलग आँकड़े प्रस्तुत करती है । सरकारी प्रतिभूतियों का (i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, (ii) सरकारी खजाना बिल और (iii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विश्लेषित विवरण फार्म एक्स विवरणी में दिये गये ब्यौरों के आधार पर प्राप्त किया जाता है । अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(क) के अंतर्गत अनुमोदित प्रतिभूतियाँ समाविष्ट होती हैं । इनके क्षेत्रीय आबंटन अनुसूचित और गैर अनुसूचित, दोनों ही प्रकार के बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये 'मार्च 31 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों का सर्वेक्षण' (मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 5) के आधार पर किये जाते हैं ।

बैंक ऋण

कुल बैंक ऋण 'ऋणों, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट', 'देशी बिल खरीदे और भुनाये गये', और 'विदेशी बिल खरीदे और भुनाये गये' से बनता है । पहली कोटि सभी प्रकार की ऋण सुविधाओं (बिलों से भिन्न), यथा, मांग ऋण, मीयादी ऋण, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, पैकिंग ऋण, का द्योतक होती है । देशी बिल भारत में आहरित और देय बिलों के द्योतक होते हैं, जिनमें मांग ड्राफ्ट और खरीदे और भुनाये गये चेक (भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिलों को छोड़कर) शामिल होते हैं । विदेशी बिलों में सभी प्रकार के आयात और निर्यात बिल शामिल होते हैं, जिनमें विदेशी मुद्रा में

आहरित मांग ड्राफ्ट, जो भारत में देय हों, शामिल हैं । धारा 42 विवरणी से संगृहीत कुल बैंक ऋण के संबंध में आँकड़े बैंकों और अन्य को अग्रिमों के संबंध में अलग से उपलब्ध होते हैं । चूँकि 'बैंकों को अग्रिम' में सहकारी बैंकों, भारत में वाणिज्यिक बैंकों और भारत के बाहर बैंकों को अग्रिम शामिल होते हैं, इसलिए इन ब्यौरों को फार्म एक्स विवरणी के आधार पर तैयार किया जाता है । 'अन्य' को अग्रिम का संबंध अन्य सहकारी समितियों, अन्य वित्तीय संस्थाओं गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों, सरकार (सरकारी कंपनियों सहित) और घरेलू क्षेत्र को दिये गये अग्रिम से होता है । संगठन ओर पेशे (औद्योगिक कार्यकलाप) के अनुसार बैंक ऋण के संबंध में विस्तृत जानकारी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण के संबंध में सर्वेक्षण (मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1) से उपलब्ध होती है । इस प्रयोजन के लिए वर्गीकृत व्यावसायिक समूह हैं : (i) कृषि, (ii) मझोले एवं बड़े उद्योग, (iii) लघु उद्योग, (iv) थोक व्यापार - खाद्यान्न खरीद और अन्य, (v) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, यथा, खुदरा व्यापार, वैयक्तिक एवं व्यावसायिक सेवाएँ एवं परिवहन परिचालक और (vi) अन्य सभी (वैयक्तिक ऋणों सहित) । इन व्यावसायिक समूहों के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र में शामिल हैं भागीदारी, स्वामित्व प्रतिष्ठान, संयुक्त परिवार और व्यक्ति जैसी संस्थाएँ । इसके अतिरिक्त, 25,000 रुपये और कम की ऋण सीमा के अंतर्गत दर्शायी गयी राशि घरेलू क्षेत्र को ऋण के रूप में भी दर्शायी जाती है । केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को खाद्यान्न की सरकारी खरीद के लिए दिये गये ऋण के ब्यौरे सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण के अनुसार होते हैं, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाता है । व्यावसायिक समूह 'अन्य' में शामिल होते हैं वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं और अन्य को दिये गये ऋण। चूँकि धारा 42 विवरणी में दिये गये बैंक ऋण में अंतर-बैंक ऋण को छोड़ दिया जाता है, इसलिए 'अन्य' के अंतर्गत ऐसे ऋण पर बैंक ऋण के क्षेत्रीय वर्गीकरण के समय विचार नहीं किया जाता ।

ग) सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, इन सभी सहकारी संस्थाओं की आस्तियों और देयताओं के संबंध में प्राथमिक आँकड़े राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रकाशित भारत में सहकारिता आंदोलन से संबंधित सांख्यिकीय विवरण - भाग-I - ऋण समितियाँ, (इसके बाद सांख्यिकीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट) से प्राप्त होते हैं । चूँकि सांख्यिकी विवरण में सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं में अनेक मदों के क्षेत्रीय ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, अतः एक विशेष विवरणी विभिन्न राज्य एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी संस्थाओं से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार प्राप्त क्षेत्रीय अनुपात का प्रयोग सहकारी बैंकों और समितियों की विभिन्न तुलनपत्र मदों पर समुच्चय स्तर पर लागू किया जाता है ।

3.5.2 अन्य वित्तीय संस्थाएँ (ओएफआई)

ओएफआई क्षेत्र की विस्तृत व्याप्ति अनुबंध 3.2 में प्रस्तुत की गयी है । तथापि, इस खंड में व्याख्या करने की सुविधा के लिए और तुलनपत्रों में समानताओं के चलते विकास वित्तीय संस्थाओं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और वित्तीय एवं निवेश कंपनियों को वित्तीय निगमों और कंपनियों के अंतर्गत एक साथ मिला दिया जाता है । अतः हम ओएफआई क्षेत्र के लिए : (क) वित्तीय निगमों एवं कंपनियों, (ख) बीमा कंपनियों/निगमों, (ग) म्युचुअल फंडों (यूटीआई से भिन्न) और (घ) गैर सरकारी भविष्य निधि शीर्षों के अंतर्गत संकलन किये जाने पर चर्चा करेंगे।

क) वित्तीय निगम और कंपनियाँ

निगमों की वार्षिक रिपोर्ट और खाते अधिकांश वित्तीय निगमों के संबंध में मूलभूत स्रोत होते हैं । तथापि, 26 राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एसआइडीसी) के लिए आइडीबीआइ से एक विशेष विवरणी प्राप्त होती है । दूसरी

ओर, वित्तीय कंपनियों के लिए 'वित्तीय एवं निवेश कंपनियों के वित्त' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का अध्ययन मूल स्रोत होता है । चूँकि इस अध्ययन में केवल नमूना गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, वैश्विक आँकड़ों का अनुमान इन अध्ययनों में शामिल चुकता पूँजी के हिस्से के आधार पर लगाया जाता है ।

चुकता पूँजी

वित्तीय संस्थाओं की चुकता पूँजी के लिए अभिदान भिन्न-भिन्न कंपनियों की आर्थिक इकाइयों द्वारा किया जाता है । मोटे तौर पर, इन कोटियों को (i) भारतीय रिज़र्व बैंक, (ii) वाणिज्यिक बैंकों, (iii) सहकारी बैंकों, (iv) वित्तीय निगमों, (v) बीमा कंपनियों/निगमों (vi) केंद्र सरकार, (vii) राज्य सरकारों, (viii) शेष विश्व और (ix) घरेलू क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है । ये ब्यौरे या तो वार्षिक रिपोर्टों से चुनकर निकाले जाते हैं या संबंधित संस्थाओं की विशेष विवरणी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं । वित्तीय और निवेश कंपनियों के मामले में कुल चुकता पूँजी उपलब्ध होती है । इसके स्वामित्व का विश्लेषित विवरण वित्तीय और निवेश कंपनियों द्वारा अंतर-क्षेत्रीय निवेश को घटाकर और अवशिष्ट को घरेलू क्षेत्र में देकर निकाला जाता है ।

बांड/डिबेंचर

इस उपक्षेत्र में शामिल वित्तीय संस्थाएँ बांड और डिबेंचर जारी करती हैं । आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइसीआइसीआइ, आइआइबीआइ (पहले का आइआरबीआइ), हुडको और नाबार्ड के संबंध में बांडों में अभिदान करने वालों के ब्यौरे अलग-अलग संस्थाओं से प्राप्त किये जाते हैं । एसएफसी के विवरण आइडीबीआइ से प्राप्त किये जाते हैं । प्रत्येक संस्था के लिए क्षेत्रों का विश्लेषित विवरण इस धारणा पर निकाला जाता है कि प्रतिदत्त प्रतिभूतियों का क्षेत्रीय पैटर्न वही है, जो वर्ष के दौरान जारी की गयी प्रतिभूतियों का है ।

प्रारंभिक पूँजी और यूनिट पूँजी

प्रारंभिक पूँजी और यूनिट पूँजी केवल भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती हैं । आरंभिक पूँजी में निवेश करने वालों के ब्यौरे यूटीआई से एक विशेष विवरणी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं ।

उधार

प्रत्येक वित्तीय निगम अपने उधार के स्रोतों की रिपोर्ट करता है, जिन्हें (क) भारतीय रिज़र्व बैंक, (ख) वाणिज्यिक बैंकों, (ग) वित्तीय निगमों, (घ) बीमा, (ङ) केंद्र सरकार, (च) राज्य सरकारों, (छ) शेष विश्व, और (ज) अन्य में वर्गीकृत किया जाता है ।

जमाराशियाँ

एसएफसी, आइसीआइसीआइ, एसआइडीसी और आइडीबीआइ जैसी संस्थाओं के लिए निधियों का अन्य स्रोत होता है जमाराशियों का स्वीकरण । आइडीबीआइ के पास जमाराशियाँ वे होती हैं, जो कंपनी जमा (आयकर पर अधिभार) योजना, 1976 के अंतर्गत प्राप्त की जाती हैं । गैर बैंकिंग वित्तीय (सरकारी और गैर सरकारी) कंपनियों के पास घरेलू क्षेत्र की जमाराशियों के संबंध में आँकड़े 'गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमाराशियों में वृद्धि' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण से लिये जाते हैं ।

अन्य देयताएँ

विविध लेनदेनों की मदें, जो इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, एक से दूसरी संस्था में भिन्न-भिन्न होती हैं । उदाहरण के लिए, उनमें शेयरों/बांडों/डिबेंचरों के लिए आवेदन राशि, फुटकर लेनदारों, प्रोद्भूत और देय ब्याज, प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं ब्याज, दावा नहीं किये गये लाभांश, विविध देयताएँ और ऐसी अन्य मदें शामिल होती हैं, जो अन्य आर्थिक यूनिट के दावे होती हैं । आइएफसीआइ और एसएफसी अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि को अन्य देयताओं के अंतर्गत दर्शाते हैं । यह मद गैर सरकारी

भविष्य निधि उपक्षेत्र के दावे के रूप में जमाराशियों के रूप में दर्शायी जाती हैं , क्योंकि सभी गैर सरकारी भविष्य निधियाँ एक उपक्षेत्र के अंतर्गत दर्शायी जाती हैं, जिसमें घरेलू क्षेत्र निधि का दावेदार होता है।

नकदी और बैंक जमाशेष

सभी निगमों द्वारा हाथ में नकदी और वाणिज्यिक बैंकों के पास चालू और सावधि जमा के अंतर्गत बैंक में जमाशेष के बारे में अलग-अलग आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं । भारत से बाहर बैंकों के पास जमाराशियों को शेष विश्व क्षेत्र के पास जमाराशियों के रूप में दर्शाया जाता है ।

ऋण और अग्रिम

ऋण और अग्रिम, विनिमय बिल खरीदे और भुनाये गये, और सहभागिता प्रमाणपत्रों को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है । ऋणों के क्षेत्रीय विवरण या तो वार्षिक रिपोर्टों/विशेष विवरणियों से प्राप्त किये जाते हैं, या दोनों स्रोतों के आधार पर अनुमानित होते हैं । वित्तीय और निवेश कंपनियों पर सर्वेक्षण से (i) अनुषंगी कंपनियों, (ii) नियंत्रक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों, (iii) किराया खरीद और (iv) अन्य के संबंध में ऋणों के ब्यौरे प्राप्त होते हैं ।

निवेश

निवेश के विवरण एक संस्था से दूसरी संस्था में अलग-अलग होते हैं । वित्तीय निगम सहकारी बैंकों के डिबेंचरों, केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों, वित्तीय निगमों (अंत:उपक्षेत्र) के शेयरों/डिबेंचरों, बिजली बोर्डों के बांडों, और अन्य (अवर्गीकृत) में निवेश करते हैं ।

अन्य आस्तियाँ

इस मद में विविध आस्तियाँ शामिल होती हैं, यथा, मार्गस्थ नकदी, निवेशों पर आवेदन राशि, वसूली के लिए भेजे गये चेक और हाथ में चेक, फुटकर देनदार, शेयरों की खरीद के लिए जमा धन, फुटकर अग्रिम, बही ऋण, और निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज । इन कोटियों के अंतर्गत क्षेत्रीय विवरण उपलब्ध नहीं होते, सिवाय कुछ मदों के । इन मदों को लिखतवार वर्गीकरण में 'अन्य मदें, जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया' के रूप में दर्शाया जाता है और क्षेत्रीय प्रस्तुतीकरण के लिए 'क्षेत्र, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है ।

ख) बीमा

चुकता पूँजी

एलआइसी और जीआइसी की चुकता पूँजी केंद्र सरकार द्वारा धारित होती है, जबकि जीआइसी की सहयोगी संस्थाओं की चुकता पूँजी जीआइसी द्वारा धारित होती है । डीआइसीजीसी की पूँजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित होती है, जबकि ईसीजीसी की चुकता पूँजी पर स्वामित्व केंद्र सरकार का होता है ।

जीवन बीमा निधि

एलआइसी जीवन बीमा प्रीमियम (आजीवन निधि के रूप में दर्शाया गया) व्यक्तियों(घरेलू क्षेत्र), और अनिवासियों (शेष विश्व क्षेत्र) से प्राप्त करता है, जिसके ब्यौरे एलआइसी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किये जाते हैं ।

उधार

साधारण बीमा कंपनियाँ भिन्न-भिन्न स्कीमों के अंतर्गत अपनी बीमा निधि के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में निधियाँ प्राप्त करती हैं ।

अन्य देयताएँ

फुटकर लेनदार, पूर्व शेयरधारकों को देय राशि, विदेश में बंद हो गयी शाखाओं के संबंध में निवल देयता, दावा नहीं किया गया लाभांश जैसी मदें और कुछ अन्य

मदें, जिन्हें 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, अन्य वित्तीय लिखतों के रूप में मानी जाती हैं और 'अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' मद में शामिल की जाती हैं ।

नकदी और बैंक जमाशेष

'हाथ में नकदी' और 'चालू खाता जमाशेष' में मद का विभाजन बीमा कंपनियों से भारत में और भारत के बाहर धारित नकदी जमाशेष के विश्लेषित विवरण के साथ प्राप्त किया जाता है । 'भारत के बाहर धारित नकदी' को शेष विश्व क्षेत्र के पास जमा के रूप में दर्शाया जाता है । हाथ में नकदी को पुनः 'आरबीआई नोट' और 'एक रुपया नोट एवं सिक्कों' में विभाजित किया जाता है ।

ऋण एवं अग्रिम

ऋणों और अग्रिमों के क्षेत्रीय विवरण उनकी वार्षिक रिपोर्टों से चुनकर निकाले जाते हैं । आस्ति मद 'बकाया प्रीमियम, जिसे उत्तम और संदिग्ध माना गया' जीवन बीमा कारोबार के मामले में दो घटकों, यथा, भारत में और भारत के बाहर कारोबार से संबंधित, में विभाजित किया जाता है । इस मद का 'भारत में' घटक घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया जाता है, जबकि दूसरा घटक 'भारत के बाहर' शेष विश्व क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है ।

ग) म्युचुअल फंड

प्रारंभ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र द्वारा म्युचुअल फंडों (यूटीआई से भिन्न) की स्थापना किये जाने से अन्य वित्तीय संस्था क्षेत्र की व्याप्ति बढ़ गयी है । तदनुसार, एफओएफ खातों ने 1987-88 और उसके बाद से म्युचुअल फंडों को अलग से प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है । पूर्व के लेखों में, क्षेत्रीय ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण म्युचुअल फंडों के लिए आने वाले अभिदानों को पूरा का पूरा घरेलू क्षेत्र से आया हुआ माना जाता था । बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राप्त किये गये आँकड़ों से निकाले गये अनुपात के आधार पर म्युचुअल फंडों का क्षेत्रवार आबंटन किया गया । इस समय, विशेष रूप से डिजाइन किये गये फार्मैट के अनुसार उनके निधियों के स्रोतों और उपयोग के बारे में आँकड़े प्राप्त कर म्युचुअल फंडों से प्राप्त जानकारी को नियमित किया गया है ।

घ) गैर सरकारी भविष्य निधि

कर्मचारियों का और नियोजकों का भविष्य निधि अंशदान, अंशदायी पेंशन निधि और जमा सहबद्ध बीमा निधि इस उपक्षेत्र के लिए निधियों के स्रोत होते हैं । घरेलू क्षेत्र न केवल पहली दो कोटियों की निधियों के लिए दावेदार होता है, वरन् वह जमा सहबद्ध बीमा निधि के लिए भी दावेदार होता है, जो बीमाकृत कर्मचारी की मृत्यु होने पर भुगतान की जाती है ।

भविष्य निधि

ईपीएफ और भविष्य निधियों की वार्षिक रिपोर्टें, जिनमें कोयला खानों के कर्मचारी, असम चाय बागान और समुद्री नाविकों को शामिल किया जाता है, उन निवेशों के संबंध में आँकड़े उपलब्ध कराती हैं, जो (i) प्राप्त अंशदानों, (ii) जमा किये गये ब्याज, (iii) पहले के निवेश पर प्राप्त ब्याज आय और (iv) छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों से पुनर्निवेश, में से किये जाते हैं । तथापि, इन कोटियों के सामने निवेश-ब्यौरे उपलब्ध नहीं होते, सिवाय छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों की राशि के । छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों में से किये गये निवेशों को कुल निवेशों में से घटाया जाता है, ताकि निवल भविष्य निधि अंशदान का कुल जोड़ प्राप्त हो । इस प्रकार प्राप्त किये गये अंशदानों का निवेश केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशि के रूप में बनाये रखा जाता है ।

परिवार पेंशन निधि

कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 में प्रवृत्त हुई और इसे ईपीएफ स्कीम के संगठनों, कोयला खानों और असम चाय बागानों द्वारा अपनाया गया । इस निधि में कर्मचारियों, नियोजकों और केंद्र सरकार द्वारा बराबर-बराबर का अंशदान किया जाता है और इसे घरेलू क्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है । इस निधि की समस्त राशि केंद्र सरकार के पास जमा की जाती है ।

जमा सहबद्ध बीमा निधि

कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा स्कीम 1 अगस्त 1976 से प्रवृत्त हुई । इस स्कीम के अंतर्गत नियोजकों और केंद्र सरकार द्वारा अंशदान किये जाते हैं । कर्मचारियों को बीमा निधि में अंशदान नहीं करना होता है । इस स्कीम का लाभ किसी कर्मचारी को, जो उसका सदस्य होता है, उसकी सदस्यता अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर दिया जाता है और इसीलिए इस निधि में अंशदान को घरेलू क्षेत्र के प्रत्यक्ष दावे के रूप में नहीं माना जाता है । निधि में प्राप्त अंशदानों को सामान्यतः (क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, (घ) लघु बचतों, और (ग) केंद्र सरकार के पास विशेष जमा में निवेश किया जाता है ।

3.5.3. निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र

क) सहकारी ऋणेतर समितियाँ

इन समितियों के बारे में 30 जून से संबंधित ब्यौरे प्रत्येक वर्ष नाबार्ड द्वारा 'स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया-भाग II: को-ऑपरेटिव नन-क्रेडिट सोसाइटीज' में प्रकाशित किये जाते हैं । चूँकि स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स में दिये गये ब्यौरे एफओएफ खातों की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए कुछ लिखतों का क्षेत्रीय वर्गीकरण कतिपय अनुमानों के आधार पर किया जाता है । अधिकांश समितियाँ राष्ट्रीय, राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक स्तर पर कार्य करती हैं । समितियों के पहले तीन स्तरों को शीर्ष समितियों का प्रतिनिधित्व करता माना जाता है और उनके बीच बहुत हद तक स्वयं लेनदेन किया जाता है । प्राथमिक समितियों का लेनदेन शीर्ष समितियों के साथ होने के अतिरिक्त वे सीधे घरेलू क्षेत्र के साथ भी कारोबार करती हैं ।

ख) गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियाँ

इस उपक्षेत्र के एफओएफ खातों के संकलन के लिए पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के वित्त के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराये गये अध्ययन मूलभूत स्रोत होते हैं । चूँकि अध्ययनों में केवल सीमित संख्या में कंपनियों को शामिल किया जाता है, अतः उसमें प्रस्तुत किये गये आँकड़ों को पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की वैश्विक चुकता पूँजी के आधार पर, जो डीसीए द्वारा जारी किया जाता है, समायोजित किया जाता है ।

चुकता पूँजी

कंपनी वित्त के संबंध में किये गये अध्ययन कुल शेयर पूँजी को इसकी चुकता पूँजी और जब्त पूँजी में विश्लेषित विवरण के साथ प्रस्तुत करते हैं । चूँकि जब्त शेयर कंपनी के लिए कोई देयता नहीं बनते हैं, उन्हें वित्तीय एफओएफ खाते के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें आरक्षित निधियों और अधिशेष के साथ दर्शाया जाता है । चुकता पूँजी के साधारण, अधिमानी और बोनस शेयर में विभाजन के ब्यौरे भी उपलब्ध होते हैं । बोनस शेयर वैसे शेयर होते हैं, जो कंपनी की आरक्षित निधियों के पूँजीकरण द्वारा जारी किये जाते हैं, जबकि साधारण और अधिमानी शेयर विविध क्षेत्रों द्वारा अभिदत्त होते हैं । तथापि, एफओएफ खातों में साधारण शेयर और अधिमानी शेयरों को साथ-साथ दर्शाया जाता है । साधारण और अधिमानी शेयरों के सामने दर्शायी गयी राशि में नये शेयरों के संबंध में शेयर आवेदन राशि और आबंटन राशि शामिल नहीं होती, जिन्हें चालू देयताओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है । बोनस शेयर सहित कुल चुकता पूँजी को पुनः

उसके स्वामित्व के अनुसार क्षेत्रीय खातों के आधार पर पृथक् किया जाता है, जो गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों के शेयरों में अपने निवेश की रिपोर्ट करते हैं ।

उधार

कंपनी वित्त के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराये गये अध्ययन : (i) बैंक, (ii) आइएफसीआइ एवं एसएफसी, (iii) अन्य संस्थागत एजेंसियों (अर्थात् आइडीबीआइ, आइसीआइसीआइ, एसआइडीसी, एलआइसी और यूटीआइ जैसी भारतीय वित्तीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं), (iv) सरकारी और अर्ध सरकारी एजेंसियों और (v) अन्य के बारे में उधार के ब्यौरे देते हैं । अंतिम मद 'अन्य' में शामिल होती हैं कंपनियों द्वारा जनता से स्वीकार की गयी जमाराशियाँ । कंपनियों द्वारा अपने खातों में जमानती/बेजमानती ऋणों के अंतर्गत दर्शायी गयी सभी जमाराशियाँ ही 'जमाराशियाँ' शीर्ष के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, जिसमें कंपनियों की चालू देयताओं के अंतर्गत उल्लिखित जमाराशियों को छोड़ दिया जाता है।

व्यापारिक बकाये और अन्य चालू देयताएँ

इस शीर्ष के अंतर्गत, कंपनी वित्त के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन में (i) फुटकर लेनदारों, (ii) सहयोगी एवं नियंत्रक कंपनियों के प्रति देयताओं, (iii) ऋणों पर ब्याज और दावा नहीं किए गए लाभांश, (iv) ग्राहकों, एजेंटों, आदि से जमाराशियों और (v) अन्य के संबंध में ब्यौरे प्रकाशित किये जाते हैं। पहली कोटि में आपूर्ति की गयी वस्तुओं के लिए देयताएँ, व्यय और अन्य वित्त के लिए देयताएँ शामिल की जाती हैं । इसी के समान एक मद 'फुटकर देनदार' आस्तियाँ पक्ष के अंतर्गत उल्लिखित होती है ।

इसमें आस्थगित भुगतान के आधार पर वस्तुओं की बिक्री विभिन्न पार्टियों, यथा, अन्य गैर सरकारी कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, भागीदारी एवं स्वामित्व प्रतिष्ठान को किया जाना शामिल किया जाता है, लेकिन जिनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं होते हैं । स्वामित्व संबंधी विवरण के अभाव में यह मान लिया जाता है कि फुटकर देनदारों को घटाकर फुटकर लेनदारों की संख्या प्राप्त करते हुए अंत:कंपनी लेनदेनों को छोड़ दिया गया है और जो अंतर सामने आता है, उसे घरेलू क्षेत्र से प्राप्त/को भुगतान की गयी राशि के रूप में माना जाता है । इस उपशीर्ष के शेष घटकों को 'अन्य चालू देयताओं' के रूप में दर्शाया जाता है और लिखत के अंतर्गत 'मद अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में और क्षेत्रवार आबंटन के लिए 'क्षेत्र अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रुप में दर्शाया जाता है ।

नकदी और बैंक जमाशेष

हाथ में नकदी, वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा और डाकघर बचत बैंकों में जमा को इस उपशीर्ष के सामने दर्शाया जाता है । जैसाकि पहले अन्य क्षेत्रों के लिए बताया गया है, हाथ में नकदी को बैंक नोट और सरकार के नोटों में विभक्त किया जाता है । वाणिज्यिक बैंकों में जमा में सावधि, चालू और अन्य जमा खाते शामिल होते हैं । डाकघर बचत बैंकों में जमा को 'लघु बचत' के अंतर्गत दर्शाया जाता है ।

निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों में कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों को विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश और भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । पहले वाले में विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश को, जिसमें भारतीय कंपनियों के विदेशी सहयोगियों के निवेश समाविष्ट होते हैं, शामिल किया जाता है । भारतीय प्रतिभूतियों में सभी उद्धृत प्रतिभूतियाँ, यथा, सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, औद्योगिक प्रतिभूतियाँ, सहयोगी कंपनियों या उसी समूह की या नियंत्रक कंपनियों की प्रतिभूतियाँ तथा

अन्य निवेश होते हैं । औद्योगिक प्रतिभूतियों, जिनमें संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहयोगी/नियंत्रक/उसी समूह की कंपनियों के शेयर और डिबेंचर शामिल होते हैं, को अंतःकंपनी निवेशों के रूप में लिया जाता है ।

ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य नामे शेष

इस शीर्ष के अंतर्गत ऋणों एवं अग्रिमों में सहयोगी कंपनियों, उसी समूह की कंपनियों और नियंत्रक कंपनियों और अन्य को दिये गये ऋण शामिल होते हैं । 'अन्य' को दिये गये ऋणों से भिन्न सभी ऋण अंतःकंपनी ऋण और अग्रिम होते हैं, जबकि 'अन्य' को दिये गये ऋण 'क्षेत्र अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाये जाते हैं, क्योंकि ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता है ।

3.5.4. सरकारी क्षेत्र

प्रत्येक उपक्षेत्र के खातों के संकलन के लिए अपनायी गयी क्रियाविधि का वर्णन नीचे किया गया है :

क) केंद्र सरकार

'इकॉनामिक एंड फंक्शनल क्लैसिफिकेशन ऑफ दि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट' (इसके बाद इकॉनामिक क्लैसिफिकेशन के रूप में निर्दिष्ट) दस्तावेज, जो आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इस उपक्षेत्र के खातों का संकलन करने के लिए आँकड़ों का मूल स्रोत होता है । वित्तीय संस्थाओं और कंपनी क्षेत्र के मामले के विपरीत, जिसके लिए तुलनपत्र आँकड़े उपलब्ध होते हैं, 'इकॉनामिक क्लैसिफिकेशन' छह खातों का एक सेट प्रस्तुत करता हैं, जिसमें केंद्र सरकार के बजट में दिये गये आँकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया जाता है। खाता 4 और 5 केंद्र सरकार प्रशासन और इसके विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों, यथा, रेलवे, डाक एवं तार, और प्रतिरक्षा, की वित्तीय देयताओं और आस्तियों में परिवर्तन के संबंध में आँकड़े देते हैं । तथापि, आर्थिक वर्गीकरण बाजार ऋणों, खजाना बिलों, लघु बचत, अन्य प्रकार के उधार, निवेशों के माध्यम से निधियों के संवितरण और ऋणों एवं अग्रिमों का विश्लेषित विवरण प्रस्तुत नहीं करता है । सरकार के निधियों के कुछ स्रोतों तथा उनके उपयोग के क्षेत्रीय विश्लेषित विवरण प्राप्त करने के लिए अन्य विविध स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग किया जाता है । इन विविध मदों का क्षेत्रीय विवरण नीचे दिया गया है :

बाजार ऋण

बाजार ऋण ब्याज सहित ऋणों, ब्याज रहित ऋणों, क्षतिपूरक बांडों, अन्य बांडों और अन्य ऋणों से बनते हैं। 'इकॉनामिक क्लासिफिकेशन' में प्रकाशित बाजार ऋण की राशि में उन खजाना बिलों को शामिल नहीं किया जाता, जिनका निधीकरण दीर्घावधि प्रतिभूतियों में किया जाता है। इसलिए निवल बाजार ऋण की राशि (सकल प्राप्तियाँ घटाव अदायगी) को निधिक खजाना बिलों को शामिल करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिसके संबंध में आँकड़े 'एक्सप्लनेटरी मेमोरैंडम टू सेंट्रल गवर्नमेंट बजट' में उपलब्ध होते हैं । सरकार के ऋण के स्वामित्व के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के आधार पर बाजार ऋण के स्वामित्व की कोटियों को निम्नानुसार निकाला जाता है : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (अपना खाता), (ii) वाणिज्यिक बैंक, (iii) सहकारी बैंक, (iv) वित्तीय निगम, (v) बीमा, (vi) भविष्य निधि, (vii) संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ, (viii) केंद्र और राज्य सरकारें, (ix) पत्तन न्यास सहित स्थानीय प्राधिकरण, (x) राज्य बिजली बोर्ड और राज्य पथ परिवहन निगम, (xi) अनिवासी, (xii) घरेलू क्षेत्र, जिसमें व्यक्ति समाविष्ट हैं, न्यास और भारतीय रिज़र्व बैंक (दूसरों की ओर से) और (xiii) अन्य ।

खजाना बिल

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में उपलब्ध खजाना बिलों (निवल) के संबंध में आँकड़ों में दीर्घावधि प्रतिभूतियों में निधीकृत खजाना बिलों की राशि शामिल होती है । जैसाकि

बाजार ऋण के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, 'एक्सप्लानेटरी मेमोरैंडम टू सेंट्रल गवर्नमेंट बजट' से लिये गये निधिक बिलों के संबंध में आँकड़े कुल खजाना बिलों (निवल) से घटाये जाते हैं, ताकि खजाना बिलों को निधिक बिलों की राशि छोड़कर दर्शाया जा सके । इन बिलों के स्वामित्व संबंधी विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) से प्राप्त विवरणी में उपलब्ध होते हैं ।

बाह्य ऋण

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में केंद्र सरकार के शेष विश्व से उधार और उसकी अदायगी को प्रस्तुत किया जाता है । इसमें विविध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों/एजेंसियों, विदेशी सरकारों से सरकारी उधार और तेल निर्यातक देशों से भी विशेष ऋण, और आईएमएफ ट्रस्ट फंड ऋणों के संबंध में आँकड़े शामिल किये जाते हैं । सकल उधार घटाव अदायगी को शेष विश्व क्षेत्र से केंद्र सरकार के निवल उधार के रूप में दर्शाया जाता है ।

लघु बचत

लघु बचत में समाविष्ट होते हैं डाकघरों में बचत जमा और बचत प्रमाणपत्र । इनमें शामिल होते हैं डाकघर बचत बैंक जमा, संचयी मीयादी जमा, मीयादी जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय विकास बांड, आदि । उनके स्वामित्व के संबंध में ब्यौरे निवेश क्षेत्र के खातों के आधार पर निकाले जाते हैं । खातों से यह देखा जाता है कि गैर सरकारी भविष्य निधि, स्थानीय प्राधिकरण और गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियाँ लघु बचत में निवेश करती हैं । उक्त क्षेत्रों द्वारा लघु बचत में निवेश को घटाकर जो शेष बचता है उसे घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया निवेश मान लिया जाता है ।

भविष्य निधि

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि और सरकार द्वारा लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अंतर्गत जनता से संगृहीत राशि इस शीर्ष में शामिल की जाती है । इसे घरेलू क्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है ।

गैर सरकारी भविष्य निधि की जमाराशियाँ

केंद्र सरकार ने जुलाई 1975 में एक विशेष जमा योजना का आरंभ की, ताकि गैर सरकारी भविष्य, अधिवर्षिता एवं उपदान निधियों को बेहतर प्रतिलाभ दिया जा सके । ये ब्यौरे इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में दिये जाते हैं और इन्हें 'जमाराशियाँ - अन्य जमाराशियाँ' लिखत के अंतर्गत गैर सरकारी भविष्य निधि उपक्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है ।

विशेष वाहक बांड

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत जारी किये गये बांडों और केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जारी किये गये विशेष वाहक बांडों के भी ब्यौरे दिये जाते हैं। इन्हें सरकार पर घरेलू क्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है।

अन्य कर्ज

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में प्रस्तुत विविध पूँजीगत प्राप्तियों में विविध मदें शामिल होती हैं, जिन्हें एफओएफ खातों में अलग दिखाया जाता है । उदाहरण के लिए, 'डाक बीमा और आजीवन वार्षिकी निधि' को घरेलू क्षेत्र द्वारा धारित जीवन बीमा निधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । एक रुपया नोट और सिक्के मुद्रा के रूप में केंद्र सरकार की देयताओं के द्योतक होते हैं । एक रुपया नोटों और सिक्कों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित 'मुद्रा स्टॉक माप' से संबंधित सारणियों से संगृहीत किये जाते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गये एक रुपया नोटों और सिक्कों को इस राशि में जोड़ दिया जाता है, ताकि इस शीर्ष के अंतर्गत केंद्र सरकार की कुल देयताओं का पता चले । एक रुपया नोटों और सिक्कों को विविध क्षेत्रों के दावों में

विभक्त किया जाता है, जिसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के खाते में प्रस्तुत रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों के अनुमानित धारण का उपयोग किया जाता है । अनुमान लगाये जाने की विस्तृत क्रियाविधि भारतीय रिज़र्व बैंक उपक्षेत्र खाते में वर्णित है । एफओएफ खातों में अलग से दर्शायी गयी मदों को घटाने के बाद अवशिष्ट विविध पूँजीगत प्राप्तियों को अन्य कर्ज के भाग के रूप में माना जाता है ।

निवेश

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन का खाता सं.4 केंद्र सरकार की वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत करता है । यह खाता सरकारी कंपनियों - वित्तीय एवं अन्य - और अन्य कंपनियों के शेयरों में निवेश के ब्यौरे देता है । वित्तीय कंपनियाँ सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग संस्थाओं, वित्तीय निगमों और बीमा निगमों से बनती हैं । सरकार की अन्य कंपनियाँ गैर वित्तीय गैर विभागीय उपक्रमों से संबंध रखती हैं । उक्त तीन कोटियों में विभाजित वित्तीय कंपनियों के विवरण उनके वार्षिक लेखे तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के लोक उद्यम ब्यूरो के प्रकाशन 'लोक उद्यम सर्वेक्षण' से लिये जाते हैं। अन्य कंपनियाँ गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों को निर्दिष्ट करती हैं, जो निजी और सहकारी क्षेत्रों की हो सकती हैं और संयुक्त क्षेत्र की भी हो सकती हैं, जिसमें केंद्र सरकार की पूँजी 50 प्रतिशत से कम लगी हो । अन्य कंपनियों के ब्यौरों के अभाव में इन्हें 'क्षेत्र, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के सामने दर्शाया जाता है ।

ऋण एवं अग्रिम

ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण के विवरण (i) पूँजी निर्माण के लिए ऋण और (ii) अन्य ऋण के सामने दिये जाते हैं । तथापि, केंद्र सरकार के ऋण की अदायगी को केवल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य के सामने दर्शाया जाता है । पूँजी निर्माण के लिए ऋण और अन्य ऋणों के संवितरण के संस्थागत ब्यौरे (i) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, (ii) स्थानीय प्राधिकरणों, (iii) गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम - वित्तीय एवं अन्य, (iv) विदेशी सरकारों और (v) अन्य के सामने उपलब्ध होते हैं ।

नकदी शेष

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन अपने खाता सं.6 में केंद्र सरकार के कुल नकदी शेष को प्रस्तुत करता है, जिसे नकदी शेष में वृद्धि/कमी के रूप में दिखाया जाता है । इस शीर्ष मे कोषागारों में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ शामिल होती हैं । तथापि, विभागीय कार्यालयों (जिसमें डाक, दूर संचार, प्रतिरक्षा और रेलवे शामिल हैं) के पास नकदी को इस शीर्ष में शामिल नहीं किया जाता है । ये ब्यौरे केंद्र सरकार के 'वित्त लेखा' से प्राप्त किये जाते हैं । पुनः, कोषागारों और विभागीय कार्यालयों में कुल नकदी को विभक्त कर दिया जाता है, ताकि बैंक नोटों और सरकारी नोटों एवं सिक्कों को दर्शाया जा सके ।

अन्य मदें

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान तथा घरेलू सोने और चाँदी की निवल खरीद के संबंध में आँकड़े इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में दिये जाते हैं । इसमें से पहले को 'शेष विश्व' क्षेत्र पर दावे के रूप में और बाद वाले को 'क्षेत्र/मद, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है । इंडिया सप्लाइ मिशन के पास नकदी, आइएमएफ में एसडीआर और उचंत खाता तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विप्रेषण को क्रमशः शेष विश्व के पास जमाराशियों, विदेशी प्रतिभूतियों (विदेशी मुद्रा आस्तियाँ) में निवेश और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखा (सीएफआरए) में

सभी राज्य सरकारों के संबंध में आँकड़े दिये जाते हैं । तथापि, यह प्रकाशन काफी समयांतर पर उपलब्ध होता है । सीएफआरए का प्राथमिक आँकड़ा स्रोत प्रत्येक राज्य के महालेखापरीक्षक द्वारा प्रकाशित राज्य सरकारों का वित्त लेखा होता है । यह प्रकाशन भी काफी अंतराल के बाद उपलब्ध होता है । इसलिए इस उपक्षेत्र के एफओएफ खाते के लिए मूल स्रोत राज्य सरकारों के बजट के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के वित्त के संबंध में किया गया अध्ययन होता है । इस उपक्षेत्र की लिखतवार चर्चा नीचे प्रस्तुत की गयी है :

बाजार ऋण

बाजार ऋण और बांड (जिसमें चालू और अवधि समाप्त ऋण शामिल हैं), जो बाजार में राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाते हैं, विविध प्रकार के क्षतिपूरक बांड, आवास बांड, आदि इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं । राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज या 'वित्त लेखा' बाजार ऋणों और बांडों की सकल प्राप्ति और अदायगी को प्रस्तुत करते हैं । इस अध्ययन की अवधि के लिए स्वामित्व संबंधी विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट में प्रकाशित ''केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का स्वामित्व'' के संबंध मे विवरण से निकाले जाते हैं । राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में (i) नकदी शेष निवेश खाता, (ii) ऋण शोधन निधि निवेश खाता, (iii) जमींदारी उन्मूलन निधि खाता, और (iv) राज्य सरकारों के अन्य खातों से निवेश को अंतःसरकार निवेशों के रूप में माना जाता है ।

उधार

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों, (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट और (iii) बैंकों, अन्य संस्थाओं तथा केंद्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों के रूप मे लिये गये उधार को इस शीर्ष में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधियाँ और अन्य

यह लिखत, जिसे अनिधिक कर्ज के रूप में माना जाता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधियों (जिसका शीर्षक राज्य भविष्य निधि है), राज्य बीमा निधि और अन्य को शामिल करता है । राज्य भविष्य निधि और बीमा निधि को घरेलू क्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है और अलग दिखाया जाता है । भुगतानों से भिन्न प्राप्तियों की रिपोर्ट यहाँ की जाती है । अनिधिक कर्ज की अवशिष्ट राशि को क्षेत्रीय/लिखतवार वर्गीकरण के अंतर्गत 'क्षेत्र/मद, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के अंतर्गत दिखाया जाता है ।

नकदी शेष

कोषागारों पास नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाशेष के संबंध में आँकड़े या तो सीएफआरए या प्रत्येक राज्य सरकार के वित्त लेखा से प्राप्त किये जाते हैं । (i) विभागीय कार्यालयों के पास नकदी और (ii) स्थायी नकदी अग्रदाय के सामने दर्शायी गयी राशियों को भी राज्य सरकार प्रशासन द्वारा धारित नकदी शेष में शामिल किया जाता है ।

ऋण एवं अग्रिम

'राज्य सरकारों के वित्त' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन में सभी राज्य सरकारों के कुल ऋण और अग्रिमों के संबंध में ब्यौरे दिये जाते हैं ; लेकिन ये एफओएफ खातों के प्रयोजनार्थ पर्याप्त नहीं होते हैं । इसलिए ऋणों के संवितरण और प्राप्ति के संबंध में ब्यौरे राज्य बजट दस्तावेजों में से निम्नलिखित उपक्षेत्रों के लिए निकाले जाते हैं : (i) सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ, (ii) वित्तीय निगम, (iii) सहकारी ऋणेतर समितियाँ, (iv) गैर सरकारें, (v) आवास बोर्ड, (vi) स्थानीय प्राधिकरण, (vii) राज्य बिजली बोर्ड, (viii) सरकार के अन्य गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम, (ix) घरेलू क्षेत्र और (x) अन्य (अवर्गीकृत) ।

ग) स्थानीय प्राधिकरण

सिद्धांत रूप में इस उपक्षेत्र में पत्तन न्यासों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए । स्थानीय स्वायत्त शासन के संबंध में आँकड़े अनुपलब्ध होने के कारण इस उपक्षेत्र के खाते तैयार करने में केवल प्रमुख पत्तन न्यासों को (जिनकी संख्या 11 है) उनकी वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर शामिल किया जाता है।

घ) गैर विभागीय गैर वित्तीय उपक्रम

इस उपक्षेत्र में उन सभी सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों को शामिल किया जाता है, जो या तो अकेले या संयुक्त रूप में केंद्र, राज्य या स्थानीय शासन, और राज्य बिजली बोर्डों के स्वामित्व में होती हैं । केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के मामले में, उनकी आस्तियों और देयताओं के संबंध में आँकड़े 'लोक उद्यम सर्वेक्षण' में उपलब्ध होते हैं । इस प्रकाशन में उन निर्माणाधीन कंपनियों और परिचालनरत उद्यमों को शामिल किया जाता है, जो अपने कार्यकलाप से संवर्धक, वित्तीय और गैर वित्तीय होते हैं। तथापि, वित्तीय कंपनियों को इस उपक्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें अन्य क्षेत्र, यथा, 'अन्य वित्तीय संस्थाएँ' में शामिल किया जाता है । राज्य बिजली बोर्डों (दामोदर घाटी निगम सहित) के मामले में आवश्यक आँकड़े उनकी वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त किये जाते हैं । केंद्र और राज्य सरकार की कंपनियों के लिए पद्धति नीचे प्रस्तुत की गयी है :

चुकता पूँजी

लोक उद्यम सर्वेक्षण (पीईएस) केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे उद्यमों और निर्माणाधीन कंपनियों के लिए तुलनपत्र के आँकड़े देता है । चुकता पूँजी के स्वामित्व संबंधी ब्यौरे निम्नलिखित शीर्ष के सामने उपलब्ध होते हैं : (i) केंद्र सरकार, (ii) राज्य सरकारें, (iii) नियंत्रक कंपनियाँ, (iv) वित्तीय संस्थाएँ (भारतीय), (v) विदेशी पार्टियाँ और (vi) अन्य । राज्य सरकार की कंपनियों के लिए तत्समान विश्लेषित विवरण पिछले आँकड़ों के आधार पर अनुमानित होता है ।

उधार

जैसाकि चुकता पूँजी के मामले में होता है, केंद्र सरकार की कंपनियों के संबंध में क्षेत्रीय उधार के बारे में जानकारी 'ऋण के ब्यौरे' पर अनुषंगी विवरण से प्राप्त की जाती है, जो निम्नलिखित के संबंध में होती है : (i) केंद्र सरकार से कार्यशील पूँजी ऋण और (ii) अन्य उधार, जो (क) केंद्र सरकार, (ख) राज्य सरकारों, (ग) नियंत्रक कंपनियों, (घ) विदेशी पार्टियों, जिनमें आस्थगित ऋण शामिल है, (ङ) वित्तीय संस्थाओं और (च) अन्य से लिये जाते हैं ।

चालू देयताएँ और प्रावधान

चालू देयताओं को निम्नलिखित में विभाजित किया जाता है : (i) फुटकर लेनदार, (ii) सहयोगी और नियंत्रक कंपनियों के प्रति देयताएँ, (iii) ग्राहकों, एजेंटों, आदि से प्राप्त जमाराशियाँ और (iv) अन्य चालू देयताएँ । फुटकर लेनदारों को व्यापार ऋण के रूप में माना जाता है, जबकि दूसरी मद एक अंत:सरकार कंपनी लेनदेन होती है । ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियों और अन्य चालू देयताओं को, उन्हें किसी निर्दिष्ट क्षेत्र को आबंटित किये बिना, अन्य देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है । विविध गैर-चालू देयताओं को भी अन्य देयताओं के साथ ''अवर्गीकृत'' क्षेत्र में दर्शाया जाता है।

निवेश

लोक उद्यम सर्वेक्षण कुल निवेशों के संबंध में आँकड़े देता है, लेकिन केंद्र सरकार की कंपनियों के मामले में अनुषंगी कंपनियों में निवेश को इसमें शामिल नहीं किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक अध्ययन के आधार पर निवेशों का विश्लेषित विवरण निम्नलिखित में प्राप्त किया जाता है: (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, (iii) औद्योगिक प्रतिभूतियाँ, (iv) विदेशी प्रतिभूतियाँ, और (v) अन्य ।

ऋण एवं अग्रिम तथा फुटकर देनदार

केंद्र और राज्य सरकार की कंपनियों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिमों के ब्यौरे, सिवाय उनके, जो उनके सहयोगियों और नियंत्रक कंपनियों को दिये जाते हैं, उपलब्ध नहीं हैं । तदनुसार, इस शीर्ष के अंतर्गत सहयोगियों और नियंत्रक कंपनियों को दिए गए ऋणों से भिन्न कुल राशि को 'अवर्गीकृत क्षेत्र' के अंतर्गत दिखाया जाता है । फुटकर देनदार शीर्षों के अंतर्गत राशि को व्यापार कर्ज के रूप में दर्शाया जाता है और ब्योरों के अभाव में किसी अभिज्ञेय क्षेत्र को आबंटित नहीं किया जाता।

3.5.5 शेष विश्व

विदेशी इकाइयों के साथ घरेलू क्षेत्र का लेनदेन, जो मुद्रा और ऋण के माध्यम से किया जाता है, शेष विश्व के खाते में रिकार्ड किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के समग्र भुगतान संतुलन (बीओपी), जिसे चालू और पूँजीगत लेखा में वर्गीकृत किया जाता है, के संबंध में सांख्यिकी प्रकाशित करता है । बीओपी खाता लेनदेनों को जमा या नामे के रूप में रिकार्ड करता है । जबकि पहला देयताओं में वृद्धि और आस्तियों में कमी को शामिल करता है, बाद वाला देयताओं में कमी और आस्तियों में वृद्धि को शामिल करता है । दूसरा यह कि, आँकड़ों को 'नकदी आधार' पर रिकार्ड किया जाता है, जो 'उपचय आधार' से भिन्न होता है, अर्थात् जब सीमापार मुद्रा का अंतर्वाह और बहिर्वाह वस्तुतः होता है । इसलिए, खाता देय और प्राप्य राशियों की प्रविष्टियों को नहीं दर्शाता है । बीओपी खातों के विपरीत एफओएफ खाते शेष विश्व क्षेत्र के दृष्टिकोण से निर्मित किये जाते हैं । इसलिए, बीओपी सांख्यिकी में रिकार्ड किया गया जमा और नामे शेष विश्व के लिए क्रमशः नामे और जमा हो जायेगा । पूँजीगत लेखा लेनदेनों को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है, यथा, (i) निजी, (ii) बैंकिंग, और (iii) शासकीय । पूँजीगत लेखा लेनदेनों के ब्यौरों पर, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, नीचे चर्चा की गयी है :

निजी पूँजी

इस कोटि के अंतर्गत रिकार्ड किये गये लेनदेनों को 'दीर्घावधि' और 'अल्पावधि' पूँजी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है । ऋणों, शेयरों और अन्य आस्तियों में निवेश से संबंधित प्रवाह का कोटिकरण दीर्घावधि के रूप में किया जाता है , जबकि अल्पावधि पूँजी में मुख्यतः अल्पावधि उधार और उनके प्रत्यावर्तन को शामिल किया जाता है । एफओएफ खातों में इन प्रवाहों को जमा, ऋणों, निवेशों और अन्य विविध लेनदेनों में वर्गीकृत किया जाता है । बीओपी सांख्यिकी में, निजी पूँजी में आइसीआइसीआइ और बीमा कंपनियों के भी लेनदेन शामिल किये जाते हैं, जो एफओएफ खातों के प्रयोजनार्थ 'अन्य वित्तीय संस्थाएँ' क्षेत्र में वर्गीकृत की जाती हैं । इसके अतिरिक्त, अनिवासी बाह्य रुपया खाता और विविध विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में लेनदेनों को निजी पूँजी की विविध प्राप्तियों और भुगतानों के अंतर्गत रिकार्ड किया जाता है इन्हें वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । पुनः, निजी पूँजी खाते में तेल कंपनियों द्वारा सीधे या बिना नकद भुगतान के पूँजीगत उपकरणों के आयात के माध्यम से किये गये निवेश शामिल होते हैं । तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन कंपनियों के लेनदेनों को शासकीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है । इस प्रकार, एफओएफ खातों के प्रयोजनार्थ, निजी पूँजी का वर्गीकरण (क) बैंकिंग क्षेत्र, (ख) निजी कंपनी क्षेत्र, (ग) अन्य वित्तीय संस्थाएँ, और (घ) अनभिज्ञेय, में प्रत्येक प्रकार की लिखतों, यथा, जमाराशियों, ऋणों, निवेशों एवं अन्य के सामने किया जाता है।

बैंकिंग पूँजी

बीओपी खातों में 'बैंकिंग पूँजी' में भारतीय रिज़र्व बैंक के लेनदेनों को शामिल नहीं किया जाता है और यह बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की, जो विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत होते हैं [प्राधिकृत व्यापारी (एडी) के रूप में जाने जाते हैं] , विदेशी आस्तियों एवं देयताओं

में परिवर्तन के अनुकूल होता है । एडी की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (क) विदेशी मुद्रा धारणों, (ख) अनिवासी बैंकों को रुपया ओवरड्राफ्ट से बनती हैं । उनकी विदेशी देयताओं में समाविष्ट होती हैं (क) विदेशी मुद्रा देयताएँ तथा (ख) अनिवासी बैंकों और शासकीय तथा अर्ध शासकीय संस्थाओं के प्रति रुपया देयताएँ । शेष विश्व क्षेत्र की दृष्टि से एडी की विदेशी आस्तियाँ इसकी देयताएँ बनती हैं और एडी की विदेशी मुद्रा देयताएँ इसकी आस्तियाँ बनती हैं । 'बैंकिंग पूँजी' को एफओएफ खातों में वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

शासकीय पूँजी

भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र तथा राज्य सरकारों का पूँजीगत लेखा लेनदेन यहाँ शामिल किया जाता है । ये आँकड़े (i) ऋण, (ii) परिशोधन, (iii) आरक्षित निधियाँ, और (iv) विविध के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। इन मदों की व्याप्ति और वर्गीकरण को नीचे स्पष्ट किया गया है :

ऋण

बीओपी सांख्यिकी में, 'ऋणों' के सामने रिपोर्ट किये गये जमा में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विदेशी सरकारों/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण, आईएमएफ से ट्रस्ट फंड ऋण और आईएमएफ से अन्य क्रय (आहरण) समाविष्ट होते हैं । शासकीय ऋणों के संवितरण और विदेशी सरकारों को दिये गये ऋण तथा आईएमएफ से पुनर्क्रय को 'नामे' के अंतर्गत दर्शाया जाता है । इस प्रकार, भारत द्वारा ऋणों की प्राप्ति शेष विश्व के लिए आस्तियों में वृद्धि के रूप में प्रकट होती है, और विदेशी सरकारों को भारत द्वारा ऋणों का संवितरण शेष विश्व के लिए देयताओं में वृद्धि के रूप में प्रकट होता है । आईएमएफ के साथ लेनदेन, यथा, आहरण और पुनर्क्रय, जिन्हें शासकीय ऋण की प्राप्ति और भुगतान के रूप में दर्शाया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आईएमएफ खाता सं.1 के अंतर्गत बनाये रखा जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता को इंगित करता है । लेकिन फंड खाता सं.1 को सरकार की देयता माना जाता है और एफओएफ खाता में सरकार को ऋण के रूप में दर्शाया जाता है । ऐसी किसी समस्या का सामना आईएमएफ से ट्रस्ट फंड ऋण के साथ नहीं किया जाता, जिसे सत्तर के दशक में प्राप्त किया गया था, क्योंकि यह क्रय नहीं होता है और इसीलिए सरकार को ऋण के रूप में दिखाया जाता है ।

परिशोधन

सरकार द्वारा ऋणों की अदायगी को नामे के रूप में और विदेशी सरकारों से ऋणों की वसूली को जमा के रूप में 'परिशोधन' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है । शेष विश्व क्षेत्र की दृष्टि से जमा को देयताओं में कमी (ऋण) के रूप में और नामे को आस्तियों में वृद्धि (ऋण) के रूप में दर्शाया जाता है । ये लेनदेन क्षेत्रीय वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार के सामने दर्शाये जाते हैं ।

आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियों में उतार-चढ़ाव में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में शासकीय आरक्षित निधि धारण में परिवर्तन समाविष्ट होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों में रिकार्ड किये जाते हैं; एसडीआर सरकार द्वारा धारित होते हैं ।

विविध

इस मद के अंतर्गत सरकारी लेखा में किये गये अन्य सभी पूँजीगत लेनदेन आते हैं, जो या तो अल्पावधि हों या दीर्घावधि हों, जिनमें अनिवासी सरकारों, अर्ध सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धारित रुपया शेषों में उतार-चढ़ाव शामिल हैं ।

3.5.6 घरेलू क्षेत्र

जैसाकि पहले बताया गया है, उन सभी संस्थाओं को, जिन्हें ऊपर वर्णित अन्य पाँच क्षेत्रों में वर्गीकृत नहीं किया जा सका था, इस क्षेत्र में रखा जाता है । घरेलू क्षेत्र के लिए कोई स्वतंत्र तुलनपत्र या आस्ति एवं देयता खाता नहीं होता है । तथापि, इस क्षेत्र के लिए निधियों के स्रोत एवं उपयोग का खाता अप्रत्यक्ष रूप से तैयार किया जाता है, जिसके लिए अन्य 5 क्षेत्रों में घरेलू क्षेत्र के सामने निर्धारित लेनदेनों को इस क्षेत्र के खाते में अंतरित किया जाता है । इस प्रक्रिया में, अन्य क्षेत्रों में रिपोर्ट किये गये निधियों के स्रोत/उपयोग घरेलू क्षेत्र के उपयोग/स्रोत हो जाते हैं । जैसाकि पहले बताया जा चुका है, घरेलू क्षेत्र की विभिन्न लिखतों का धारण या उनकी देयताओं का अनुमान सर्वेक्षणों के द्वारा या अन्य संगठित क्षेत्र के खातों की नेटिंग करके अवशिष्ट के रूप में लगाया जाता है । वास्तव में घरेलू क्षेत्र की निधियों के निवल उपयोग घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत बनते हैं । घरेलू क्षेत्र के लिए लिखतवार पद्धति का संक्षिप्त वर्णन नीचे प्रस्तुत किया गया है ।

क. निधि उपयोग खाता

i) मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के स्रोतों से लिया जाता है । घरेलू और गैर-घरेलू क्षेत्रों के मुद्रा धारण की विगत प्रवृत्तियों के आधार पर किसी वित्तीय वर्ष में जारी की गयी 'जनता के पास मुद्रा' का 93 प्रतिशत भाग घरेलू क्षेत्र के अंशदान के रूप में माना जाता है।

ii) वाणिज्यिक बैंक जमाराशियाँ

वाणिज्यिक बैंकों के निधियों के स्रोत जमाराशियों की रिपोर्ट करते हैं और घरेलू क्षेत्र के सामने अनुमानित जमाराशियों को इस मद के सामने दर्शाया जाता है । अनुमान लगाये जाने की क्रियाविधि का वर्णन 'वाणिज्यिक बैंक खातों' के अंतर्गत किया जाता है ।

iii) सहकारी ऋण और ऋणेतर समितियों के पास जमाराशियाँ

i) इन सहकारी संस्थाओं के खातों से आँकड़े लिये जाते हैं, जैसाकि पहले बताया गया है। प्राथमिक समितियों के पास जमाराशियों को घरेलू जमाराशियों के रूप में माना जाता है ।

ii) अन्य ऋण समितियों और सहकारी बैंकों के लिए घरेलू जमाराशियों का अनुमान जमाराशियों के स्वामित्व पैटर्न के आधार पर लगाया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अतिरिक्त विवरणियों में प्राप्त होता है ।

iii) नाबार्ड का प्रकाशन उपलब्ध होने तक सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के पास जमाराशियों के बारे में अनुमान सहकारी बैंकों की जमाराशियों के आधार पर, जो भारतीय रिज़र्व बैंक धारा 42 विवरणी में उपलब्ध होता है, लगाया जाता है ।

iv) ऋणेतर समितियों के पास घरेलू जमाराशियों का अनुमान इसी प्रकार लगाया जाता है।

iv) गैर बैंकिंग कंपनियों (एनबीसी) के पास जमाराशियाँ

1) बिजली बोर्डों को छोड़कर एनबीसी के पास घरेलू जमाराशियों को भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित लेखों से सीधे प्राप्त किया जाता है ।

2) राज्य बिजली बोर्डों के पास प्रतिभूति जमा में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा बिजली की घरेलू खपत के आधार पर तय किया जाता है ।

v) व्यापार ऋण (निवल)

यह मद निजी कंपनी क्षेत्र के स्रोतों से निकाली जाती है । इसे फुटकर लेनदारों के संबंध में व्यापार बकाया परिवर्तन घटाव फुटकर देनदारों में परिवर्तन के रूप में अनुमानित किया जाता है ।

vi) गैर सरकारी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर

1) इस लिखत में घरेलू निवेश की जानकारी गैर सरकारी निजी गैर वित्तीय कंपनियों के स्रोतों से ली जाती है । अनुमान लगाने की क्रियाविधि उसके अंतर्गत पैरा 4.4.3 में बतायी गयी है ।

2) वित्तीय कंपनियों/सहकारी संस्थाओं के शेयरों और डिबेंचरों में घरेलू क्षेत्र निवेश का पता भी इसी प्रकार के तरीके से अन्य वित्तीय संस्था उपक्षेत्र के खातों से लगाया जाता है ।

vii) सहकारी बैंकों और समितियों के शेयर और डिबेंचर

सहकारी बैंकों, ऋण एवं ऋणेतर समितियों की शेयर पूँजी, जो व्यक्तियों और अन्य द्वारा दी जाती है, जैसाकि नाबार्ड के प्रकाशन से प्राप्त किया जाता है, को घरेलू निवेश के रूप में माना जाता है ।

viii) यूटीआई और अन्य म्युचुअल फंडों की यूनिटें

यह मद वित्तीय निगमों और कंपनियों के स्रोतों के अंतर्गत उल्लिखित होती है। घरेलू क्षेत्र के सामने रिपोर्ट किये गये आँकड़े यहाँ दर्शाये जाते हैं।

i) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) की यूनिटों में घरेलू क्षेत्र के निवेश के आँकड़े वर्ष के दौरान यूनिट पूँजी में वृद्धि के प्रति घरेलू क्षेत्र (अर्थात्, वयस्क/व्यक्ति, अवयस्क, हिन्दू अविभक्त परिवार और न्यास/ समिति) का कुल बिक्री में, पुनर्क्रय को घटाने के बाद, अनुपात का प्रयोग कर प्राप्त किये जाते हैं ।

ii) अन्य म्युचुअल फंडों में घरेलू क्षेत्र के निवेश के आँकड़े सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेष विवरणी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं । यदि जरूरत पड़े, तो सरकारी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों और यूटीआई के लिए निकाला गया घरेलू क्षेत्र का अनुपात निजी म्युचुअल फंडों में घरेलू क्षेत्र के निवेश का पता लगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ix) सरकार पर दावे

सरकार पर घरेलू क्षेत्र के दावे में उनके लघु बचतों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल होते हैं । घरेलू निवेशों का अनुमान लगाने की पद्धति केंद्र सरकार उपक्षेत्र में वर्णित है ।

x) जीवन बीमा निधियाँ

इस घटक में बीमा उपक्षेत्र के अंतर्गत रिपोर्ट की गयी जीवन बीमा निधि और सरकारी क्षेत्र में रिपोर्ट की गयी डाक/राज्य बीमा निधि को शामिल किया जाता है ।

xi) भविष्य और पेंशन निधियाँ

भविष्य निधि (पीएफ) में घरेलू क्षेत्र की बचतों के आँकड़े भविष्य निधि उपक्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के खातों (स्रोतों) से निकाले जाते हैं ।

इसकी व्याप्ति और अनुमान लगाने की क्रियाविधि उस खंड में विस्तृत रूप से बतायी गयी है ।

ख) निधि स्रोत खाता

निधियों के स्रोतों मुख्यतः वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, सहकारी बैंकों और ऋण समितियों, सहकारी ऋणेतर समितियों, अन्य वित्तीय निगमों और कंपनियों, सरकार से घरेलू क्षेत्र के उधार समाविष्ट होते हैं । ये आँकड़े, जो उनके निधियों के उपयोग शीर्ष में 'ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाते हैं, घरेलू क्षेत्र के लिए निधियों के 'स्रोतों' के रूप में अंतरित किये जाते हैं । इनसे घरेलू क्षेत्र के उधार का अनुमान लगाने की क्रियाविधि उपखंडों में बतायी गयी है ।

अनुबंध 3.1 : सहकारी ऋणेतर समितियों की सूची

1. विपणन समितियाँ
   - 1.1 राष्ट्रीय
   - 1.2 राज्य
   - 1.3 मध्यवर्ती
   - 1.4 प्राथमिक
2. कपास विपणन समितियाँ
   - 2.1 राज्य
   - 2.2 मध्यवर्ती
   - 2.3 प्राथमिक
3. फल एवं सब्जी विपणन समितियाँ
   - 3.1 राज्य
   - 3.2 मध्यवर्ती
   - 3.3 प्राथमिक
4. सुपारी विपणन समितियाँ
5. तंबाकू विपणन समितियाँ
   - 5.1 राज्य
   - 5.2 मध्यवर्ती
   - 5.3 प्राथमिक
6. नारियल विपणन समितियाँ
7. गन्ना आपूर्ति विपणन समितियाँ
   - 7.1 राज्य
   - 7.2 मध्यवर्ती
   - 7.3 प्राथमिक
8. अन्य विशेषीकृत कृषि पण्य विपणन समितियाँ
   - 8.1 राज्य
   - 8.2 मध्यवर्ती
   - 8.3 प्राथमिक
9. सामान्य प्रयोजन विपणन समितियाँ
   - 9.1 राष्ट्रीय
   - 9.2 राज्य
   - 9.3 मध्यवर्ती
10. विपणन समितियाँ
    - 10.1 राज्य
    - 10.2 मध्यवर्ती
    - 10.3 प्राथमिक
11. चीनी कारखाना समितियाँ
12. कपास ओटाई और संपीडन समितियाँ(पी)
13. अन्य कृषि प्रसंस्करण समितियाँ
    - 13.1 राज्य
    - 13.2 मध्यवर्ती
    - 13.3 प्राथमिक
14. सहकारी कोल्ड स्टोरेज(पी)
15. दुग्ध आपूर्ति संघ और समितियाँ
    - 15.1 राज्य
    - 15.2 संघ
    - 15.3 समितियाँ
16. घी संघ और समितियाँ(पी)
    - 16.1 संघ
    - 16.2 समितियाँ
17. पोल्ट्री संघ और समितियाँ(पी)
    - 17.1 संघ
    - 17.2 समितियाँ
18. अन्य पशुधन संघ और समितियाँ(पी)
    - 18.1 संघ
    - 18.2 समितियाँ
19. अन्य पशुधन समितियाँ(पी)
20. मत्स्यपालन समितियाँ
    - 20.1 राज्य
    - 20.2 मध्यवर्ती
    - 20.3 प्राथमिक
21. सिंचाई समितियाँ
22. फार्मिंग समितियाँ
23. उपभोक्ता सहकारी भंडार
    - 23.1 राज्य फेडरेशन
    - 23.2 थोक/जिला भंडार
    - 23.3 प्राथमिक
24. विभागीय भंडारों का कार्य-चालन
    - 24.1 राज्य फेडरेशनों द्वारा चलायी जा रही
    - 24.2 थोक/जिला भंडारों द्वारा चलायी जा रही
    - 24.3 प्राथमिक
25. गृह-निर्माण समितियाँ
    - 25.1 राज्य
    - 25.2 प्राथमिक
26. बुनकर समितियाँ
    - 26.1 राष्ट्रीय
    - 26.2 राज्य
    - 26.3 मध्यवर्ती
    - 26.4 प्राथमिक
27. अन्य औद्योगिक समितियाँ
    - 27.1 राष्ट्रीय
    - 27.2 राज्य
    - 27.3 मध्यवर्ती
    - 27.4 प्राथमिक
28. कताई मिल (सभी प्रकार के)
29. सहकारी औद्योगिक प्रांगण
30. श्रमिक ठेका और निर्माण समितियाँ
    - 30.1 राज्य
    - 30.2 जिला (संघ)
    - 30.3 प्राथमिक (जनजातीय)
    - 30.4 प्राथमिक (गैर जनजातीय)
31. वन श्रमिकों की समितियाँ
    - 31.1 राज्य
    - 31.2 प्राथमिक
32. परिवहन समितियाँ(पी)
    - 32.1 भूतपूर्व सैनिक
    - 32.2 अन्य
33. विद्युत सहकारी समितियाँ(पी)
34. अन्य ऋणेतर समितियाँ(पी)
    - 34.1 कृषि
    - 34.2 कृषीतर
35. महिलाओं की सहकारी समितियाँ
36. छात्रों की सहकारी समितियाँ
37. मल्टी यूनिट सहकारी समितियाँ (पी)

अनुबंध 3.2 : ओएफआई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल संस्थाओं की सूची

1. केंद्र स्तरीय गैर बैंक वित्तीय संस्थाएँ (अर्थात्, विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट, मीयादी ऋणदात्री संस्थाएँ और ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियाँ):

- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
- भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
- भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट
- आवास विकास वित्त निगम
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक
- आवास और शहरी विकास निगम
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
- जोखिम पूँजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि.
- इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड पाइनैंशियल सर्विसेज लि.
- भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक
- राष्ट्रीय आवास बैंक
- भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी
- भारतीय स्टाक धारिता निगम लि.
- क्रेडिट रेटिंग इंफार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लि.
- भारतीय पर्यटन वित्त लिगम लि.
- भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.
- एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स लि.

2. राज्य स्तरीय ऋणदात्री संस्थाएँ

- राज्य वित्तीय निगम
- राज्य औद्योगिक विकास/निवेश निगम (26 अदद)

3. बीमा क्षेत्र

- भारतीय जीवन बीमा निगम
- साधारण बीमा निगम और इसके चार सहयोगी
- भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम
- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

4. म्युचुअल फंड

- टाटा एसेट मैनेजमेंट लि.
- श्रीराम एसेट मैनेजमेंट लि.
- आइडीबीआइ म्युचुअल फंड
- टौरस म्युचुअल फंड
- बीओबी म्युचुअ फंड
- बिड़ला म्युचुअल फंड
- एपल एसेट मैनेजमेंट लि.
- पीएनबी म्युचुअल फंड
- एलाइंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट
- इंडियन बैंक म्युचुअल फंड
- बीओआइ म्युचुअल फंड
- आइसीआइसीआइ म्युचुअल फंड
- केनरा बैंक म्युचुअल फंड
- कोठारी पायनियर म्युचुअल फंड
- मौर्गन स्टैनले म्युचुअल फंड
- रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लि.
- एचबी एसेट मैनेजमेंट कं. लि.
- एसबीआइ म्युचुअल फंड
- एलआइसी म्युचुअल फंड

5. वित्तीय और निवेश कंपनियाँ

6. गैर सरकारी भविष्य निधि संस्थाएँ

- आरबीआइ कर्मचारी
- वाणिज्यिक बैंक कर्मचारी
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना
- असम टी प्लांटेशन
- सीमेन्स प्रॉविडेंट फंड
- भारतीय जीवन बीमा निगम
- कोयला खान कर्मचारी भविष्य निधि
- पत्तन न्यास
- आइएफसीआइ और एसएफसी
- डॉक लेबर बोर्ड्स
- इंडियन एयरलाइन्स
- एयर इंडिया
- परिवार पेंशन निधि
- अन्य सांविधिक संस्थाएँ/निगम

अनुबंध 3.3 : अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सूची

1. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
2. अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
3. अंतरराष्ट्रीय विकास संघ
4. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम
5. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
6. अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
7. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन
8. अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन
9. इंटर-गवर्नमेंट मेरिटाइम कंसल्टिंग ऑर्गनाइजेशन
10. संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन
11. विश्व स्वास्थ्य संगठन
12. विश्व मौसम विज्ञान संगठन
13. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
14. संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, समाज और सांस्कृतिक संगठन
15. संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि
16. संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि
17. फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी
18. एशियाई समाशोधन यूनियन
19. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि
20. अफ्रीकी विकास बैंक
21. एशियाई विकास बैंक
22. अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ

भाग II - वित्तेतर सांख्यिकी

4. कंपनी वित्त सांख्यिकी

4.1 परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक पिछले पाँच दशकों से निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र के वित्तीय कार्य निष्पादन के संबंध में नियमित रूप से अपने अध्ययानों को प्रकाशित करता आ रहा है । कंपनियों के वित्तीय कार्य निष्पादन को मापने का स्रोत कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते होते हैं । कंपनियों के तुलनपत्र के विश्लेषण से संबंधित कार्य 1949 में आरंभ किया गया था । पहला अध्ययन लगभग 2500 उन गैर वित्तीय कंपनियों से संबंधित था, जिनके खाते 1947 के दौरान बंद हो गये थे । इस अध्ययन में 20 चुनिंदा मदों के संबंध में आँकड़े प्राप्त किये गये । 1952 में किये गये अगले अध्ययन में शामिल मदों की संख्या बढ़ाकर 51 कर दी गयी, जो उन 1000 गैर वित्तीय कंपनियों से संबंधित थी, जिनके खाते 1948 और 1949 के दौरान बंद हो गये थे । ये दोनों अध्ययन अन्वेषणात्मक स्वरूप के थे, जिनका उद्देश्य कंपनी सांख्यिकी के प्रस्तुतीकरण को और कंपनियों द्वारा अपनायी गयी अवधारणाओं और परिभाषाओं में सूक्ष्म अंतर को, यदि हो, समझना था । इन अध्ययनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर चुनिंदा कंपनियों के वार्षिक लेखे से वित्तीय सांख्यिकी के विश्लेषण और संसाधन के लिए एक प्रणाली विकसित की गयी और उस पर आधारित अध्ययन 1953 और उसके बाद से नियमित रूप से किये जाने लगे । वर्ष 1950 और 1951 के लिए पहला नियमित अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में अगस्त 1954 में प्रकाशित किया गया ।

4.2 क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है व्यापक कंपनी वित्त सांख्यिकी को निर्मित करना, ताकि आमदनी की प्रवृत्ति, उत्पादन के मूल्य, बिक्री, लाभप्रदता, बचत, निवेश, उधार, आदि का पता चल सके, जो निजी कंपनी क्षेत्र के व्यापक संरचनात्मक लक्षणों को समझने के लिए आवश्यक होता है ।

कंपनी वित्त (सीएफ) अध्ययन का एक लक्षण होता है निधियों के स्रोत और उपयोग का विश्लेषण करना । ये आँकड़े निजी कंपनी क्षेत्र की निधियों के आंतरिक और बाह्य स्रोतों; वित्तीय मध्यस्थों से मदद की पर्याप्तता और वित्तीय मध्यस्थों को दरकिनार करते हुए कंपनियाँ किस हद तक संसाधन जुटाती हैं; इसके बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। लाभ-हानि खाते के विश्लेषण से ब्याज का बोझ, कंपनियों की लाभप्रदता का पता चलता है और देश में कारोबार के वातावरण का बोध होता है । इसलिए ये आँकड़े नीति-निर्माण के लिए गुणात्मक और परिमाणात्मक, दोनों ही प्रकार की निविष्टियाँ प्रदान करते हैं ।

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गयी स्थायी व्यवस्था के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक का सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग सीएफ अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र के बचत और पूँजी निर्माण के बारे में अनुमानों का संकलन करता है और सीएसओ को ये आँकड़े राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में शामिल करने के लिए आपूर्ति करता है। भारत में बचत और पूँजी निर्माण के अनुमानों के संकलन की पद्धति की जाँच दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गयी है: के.एन.राज कमिटी : ''भारत में पूँजी निर्माण और बचत 1950-51 से 1979-80'' (रिपोर्ट फरवरी 1982 में प्रकाशित) और राजा जी.चेलैया कमिटी : ''बचत एवं पूँजी निर्माण पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट'', दिसंबर 1996। बचत और निवेश के अनुमान की विधि के संबंध में राज कमिटी (1981 में गठित) ने बचत और निवेश के संबंध में अनुमान लगाये जाने में भारतीय रिज़र्व बैंक और सीएसओ की भूमिका को विनिर्दिष्ट किया। इसने सिफारिश की कि भारतीय रिज़र्व बैंक को निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत (जीवन बीमा, भविष्य निधि और पेंशन निधियों को छोड़कर) के लिए अनुमान तैयार करने चाहिए ।

बचत और पूँजी निर्माण पर विशेषज्ञ दल (चेलैया कमिटी, 1955 में गठित) ने निजी कंपनी क्षेत्र के बचत और पूँजी निर्माण का अनुमान लगाने के लिए आँकड़ों के विविध वैकल्पिक स्रोतों पर विचार किया, यथा, एएसआई आँकड़े और अन्य निजी निकायों द्वारा संकलित किये गये आँकड़े । तथापि, यह नोट किया गया कि आँकड़ों के ये स्रोत निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र के अपेक्षित बचत एवं पूँजी निर्माण के संबंध में पूरी या संतोषजनक जानकारी नहीं देते हैं । इसलिए इसने सिफारिश की कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाना जारी रखा जाये ।

समुच्चयित स्तर पर कंपनी बचत और निवेश संबंधी अनुमानों के अतिरिक्त उद्योगवार बचत एवं पूँजी निर्माण आँकड़े, चुनिंदा उद्योगों के लिए मूल्य वर्धित और इसके विस्तृत घटकों तथा इनपुट-आउटपुट लेनदेन सारणी (आइओटीटी) तैयार करने के लिए उद्योगवार वस्तु-सूची आँकड़े भी सीएसओ को भेजे जाते हैं । सीएसओ वित्तीय एवं निवेश कंपनियों के संबंध में सीएफ अध्ययनों के आँकड़ों का उपयोग अप्रत्यक्षतः मापी गयी वित्तीय मध्यस्थता सेवा (एफआइएसआइएम) का अनुमान लगाने के लिए करता है ।

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नियमित वार्षिक अध्ययन कर रहा है ।

क) बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त

ख) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त

ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के वित्त

घ) वित्तीय एवं निवेश कंपनियों का कार्य निष्पादन

ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों के वित्त

अन्य तदर्थ प्रकाशनों की एक सूची अनुबंध 4.1 में प्रस्तुत की गयी है ।

4.3 अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन विस्तृत आँकड़े प्रदान करते हैं, जिनमें 'संयुक्त तुलनपत्र' और 'संयुक्त आय, उत्पादन का मूल्य और विनियोग खातों' से सभी वित्तीय परिवर्ती शामिल किए जाते हैं । आस्तियों/देयताओं, आय, व्यय और विनियोग खातों से संबंधित आँकड़े वार्षिक लेखों से चुनकर निकाले जाते हैं तथा स्व-संतुलन कार्यपत्रक में दर्ज किये जाते हैं । इन अध्ययनों में निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र से संबंधित चुनिंदा गैर वित्तीय और वित्तीय कंपनियाँ शामिल की जाती हैं । कंपनियों को चुनने के लिए अपनाया गया मानदंड उनकी चुकता पूँजी का आकार होता है, जिसका उद्देश्य होता है चुकता पूँजी और उद्योगवार कंपनियों के संदर्भ में अधिकतम व्याप्ति देना । निर्माण के चरण में जो कंपनियाँ होती हैं और जो कंपनियाँ निष्क्रिय हो गयी होती हैं, उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों में शामिल नहीं किया जाता है । इन अध्ययनों में उन कंपनियों को भी शामिल नहीं किया जाता है, जो अभी बनने की प्रक्रिया में होती हैं और जो वर्ष के दौरान छह महीनों से अधिक समय तक परिचालन में नहीं रहती हैं । इसके अतिरिक्त, जो कंपनियाँ निर्लाभ उद्देश्यों से परिचालन करती हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियाँ और संवर्धक विकासात्मक संगठनों को शामिल नहीं किया जाता है । चुनिंदा कंपनियों की सूची को निरंतर संशोधित किया जाता है, ताकि चुकता पूँजी की व्याप्ति में और चुनिंदा कंपनियों के प्रतिनिधिक स्वरूप में सुधार किया जाये। इन अध्ययनों में विविध कंपनियों से यथासंभव अधिक से अधिक कंपनियों को चुना जाता है । उद्योगवार परिणाम प्रस्तुत करते समय कंपनियों का वर्गीकरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी), 1998 के अनुसार किया जाता है । चूँकि एनआइसी-1998 के अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण कार्यकलापों को निर्दिष्ट करता है, जबकि कंपनी वित्त अध्ययन उत्पादों पर आधारित होते हैं; अतः विभाग ने 3-अंकीय स्तर पर कुछ आशोधनों को अपनाया, जो इसकी अपेक्षाओं के उपयुक्त हों । भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्गीकरण में, जबकि पहले दो अंक एनआइसी कूट से लिये जाते हैं, तीसरे अंक का उपयुक्त रूप से समायोजन मुख्य उत्पाद के आधार पर विनिर्दिष्ट उद्योग/उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। जिस कंपनी का एक से अधिक कारोबारी कार्यकलाप हो, उसे उस उद्योग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिससे इसने अपनी बिक्री का आधा से अधिक भाग प्राप्त किया हो ।

खातों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में आस्तियों/देयताओं, आय, व्यय और विनियोग लेखों के संबंध में आँकड़े वार्षिक लेखे से चुनकर निकाले जाते हैं और स्व-संतुलन कार्यपत्रकों में दर्ज किये जाते हैं । इनमें निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-टिप्पणी, सांविधिक प्रकटीकरण, आदि में उपलब्ध जानकारी जोड़ी जाती है । कार्य पत्रक तैयार करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग ने उपयुक्त पद्धति विकसित की है, ताकि कंपनियों के बीच तुलना के लिए और समयोपरि अवधि के लिए खातों का मानकीकरण किया जा सके । सभी कंपनी वित्त अध्ययनों में तीन क्रमिक वर्षों के लिए आँकड़े शामिल किये जाते हैं, जिनमें वर्तमान अध्ययन वर्ष के साथ-साथ उसके ठीक पूर्व के दो वर्ष शामिल होते हैं; ताकि तुलनीय वृद्धि दरों और निधियों के स्रोत एवं उपयोग के आँकडे प्राप्त किये जा सकें । आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय खातों की विविध मदों की परिभाषाएँ अनुबंध 4.2 में दी गयी हैं ।

4.4 स्रोत और प्रणालियाँ

सीएफ अध्ययन के लिए आँकड़ों का स्रोत होता है कंपनियों का लेखापरीक्षित वार्षिक खाता । किसी कंपनी को अपनी लेखाबंदी के छह महीनों के भीतर अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता शेयरधारक सदस्यों की वार्षिक आम सभा की बैठक (एजीएम) में प्रस्तुत करना होता है । कंपनियाँ अपने शेयरधारकों के लिए वार्षिक

लेखे उस ढंग से तैयार करती हैं, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित है ।

सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग कंपनियों का एक डाटाबेस रखता है, जिसमें लगभग 32000 कंपनियों की जानकारी दी गयी होती है और उनसे तुलनपत्र प्राप्त करने के लिए पत्राचार करता है । कंपनियों के साथ सीधे पत्राचार करने के अतिरिक्त सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग कंपनी निबंधकों (आरओसी) से भी तुलनपत्र प्राप्त करता है। कंपनियाँ अपने वार्षिक लेखे की तीन प्रतियाँ उस कंपनी निबंधक के पास प्रस्तुत करती हैं, जिसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर वे आती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक (सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग) की कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ की गयी व्यवस्था द्वारा कंपनी निबंधक तुलनपत्र की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुसार देते हैं ।

राष्ट्रीय संख्यिकी आयोग (एनएससी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों के महत्व को पहचाना और बैंक द्वारा आँकड़ा संग्रहण प्रयासों को मजबूत करने के लिए विविध उपायों की सिफारिश की । आयोग ने सिफारिश की कि कंपनी कार्य विभाग (अब कंपनी कार्य मंत्रालय) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपेक्षित कंपनी की वार्षिक रिपोर्टें, चाहे वे कंपनियाँ सूचीबद्ध हों, डीम्ड हों या प्राइवेट लिमिटेड हों - आरबीआई को उपलब्ध करायी जाती हैं , ताकि उनका आगे विस्तृत विश्लेषण किया जा सके ।

कुछ कंपनियों के वार्षिक लेखे/रिपोर्टें इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं । विभाग ऐसी रिपोर्टों का उपयोग करता है जब कभी नियमित स्रोतों से मुद्रित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं ।

4.5 गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

कंपनी वित्त अध्ययनों में एक ही सेट वाली कंपनियों के लिए सकल/उद्योग स्तर पर तीन वर्षीय आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं । उन कंपनियों के मामले में, जिन्होंने या तो अपने लेखा वर्ष को विस्तारित किया या कम किया हो, उनके आय, व्यय और विनियोग लेखा के आँकड़ों को वार्षिक बनाया जाता है । तथापि, तुलनपत्र आँकड़े वही रखे जाते हैं, जो कंपनियों के वार्षिक लेखे में प्रस्तुत किये गये होते हैं । कंपनी स्तरीय आँकड़ों के मानकीकरण और समुच्चयन की पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि चुनी गयी कंपनियों के संघटन में परिवर्तन इन अध्ययनों के परिणामों को प्रभावित नहीं करते हैं । जबकि निकाले गये वित्तीय अनुपात वर्षों तक तुलनीय होते हैं, जो अनुपातों की काल श्रेणी बनाते हैं, निरपेक्ष संख्या क्रमिक अध्ययनों में नमूनों में परिवर्तन होने के कारण ठीक-ठीक तुलनीय नहीं होती । तथापि, यदि विश्लेषण आम कंपनियों पर आधारित हो, तो निरपेक्ष आँकड़े भी तुलनीय बन जाते हैं।

अनुबंध 4.1

वार्षिक अध्ययन और तदर्थ प्रकाशन

वार्षिक अध्ययन

1. बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त
2. पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त
3. वित्तीय और निवेश कंपनियों के वित्त
4. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के वित्त
5. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों के वित्त

तदर्थ प्रकाशन (आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित से भिन्न)

प्रकाशन का नाम		प्रकाशन का माह/वर्ष
I.	**कंपेंडियम**	
(1)	फाइनैंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन इंडिया 1950-51 से 1962-63	फरवरी 1967
(2)	फाइनैंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन इंडिया 1960-61 से 1970-71	अगस्त 1975
(3)	फाइनैंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन इंडिया 1970-71 से 1974-75	अगस्त 1977
(4)	प्राइवेट कारपोरेट बिजनेस सेक्टर इन इंडिया - चुनिंदा वित्तीय सांख्यिकी 1950-51 से 1997-98 तक (सभी उद्योग) (सीडी रोम पर भी उपलब्ध)	नवंबर 2000
(5)	चुनिंदा वित्तीय सांख्यिकी - पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ 1974-75 से 1999-2000 (चुने हुए उद्योग)(सीडी रोम पर भी उपलब्ध)	सितंबर 2001
II.	**गणना अध्ययन**	
(1)	सेंसस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया 1971-72	जनवरी 1980
(2)	सेंसस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया 1976-77	अक्तूबर 1983
(3)	पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया 1980-82 - ए प्रोफाइल	दिसंबर 1986
III.	**वित्तीय अनुपात**	
(1)	सेलेक्टेड फाइनैंशियल एंड अदर रेशियोज प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर 1970-71 से 1975-76	अक्तूबर 1978
(2)	सेलेक्टेड फाइनैंशियल एंड अदर रेशियोज प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर 1975-76 से 1978-79	नवंबर 1982
(3)	(क) सेलेक्टेड फाइनैंशियल एंड अदर रेशियोज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज 1980-81 से 1987-88 सभी उद्योग (खंड I)	दिसंबर 1990
	(ख) सेलेक्टेड फाइनैंशियल एंड अदर रेशियोज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज 1980-81 से 1987-88 चुनिंदा उद्योग (खंड II)	दिसंबर 1990
(4)	सेलेक्टेड फाइनैंशियल एंड अदर रेशियोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज 1980-81 से 1987-88	मई 1992
(5)	(क) सेलेक्टेड फाइनैंशियल एंड अदर रेशियोज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज	अक्तूबर 1994 1988-89 से 1990-91 (भाग I)
	(ख)सेलेक्टेड फाइनैंशियल एंड अदर रेशियोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज	अक्तूबर 1994 1988-89 से 1990-91 (भाग II)

अनुबंध 4.2

- सभी मदों की वृद्धि दरें और निधियों के स्रोतों और उपयोग के संबंध में आँकड़े कंपनियों के समामेलन के कारण परिवर्तनों के लिए समायोजित किये जाते हैं। इन्हें पुनर्मूल्यन, आदि के लिए भी समायोजित किया जाता है, जहाँ आवश्यक हो ।
- आँकड़ों को पूर्णांकित किये जाने के कारण संघटक मद कुल जोड़ से मेल नहीं खाएंगे।
- बिक्रियों के आँकड़े 'छूट और बट्टा' और 'उत्पाद शुल्क' एवं 'उपकर' को घटाकर प्राप्त किये जाते हैं।
- विनिर्माण खर्च में समाविष्ट होते हैं (क) खपत हुआ कच्चा माल, घटक, आदि, (ख) खपत हुए सामान और अतिरिक्त पुर्जे , (ग) बिजली और ईंधन और (घ) अन्य विनिर्माण खर्च ।
- खपत हुआ कच्चा माल, घटक, आदि में व्यापारिक कंपनियों के मामले में व्यापारिक माल की खरीद और सामानों की खपत तथा होटलों, रेस्तराँ एवं भोजनालयों के लिए खाद्य सामग्री की खपत शामिल है ।
- अन्य विनिर्माण खर्च में निर्माण कंपनियों के निर्माण संबंधी खर्च, नौवहन कंपनियों के परिचालन खर्च, आदि जैसे खर्च शामिल होते हैं ।
- कर्मचारियों को पारिश्रमिक में समाविष्ट होते हैं (क) वेतन, मजदूरी और बोनस, (ख) भविष्य निधि और (ग) कर्मचारियों के कल्याण संबंधी खर्च ।
- गैर-परिचालन अधिशेष/घाटा में समाविष्ट होते हैं (क) लाभ/हानि, जो (i) अचल आस्तियों की बिक्री, निवेश, आदि (ii) विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यन/अवमूल्यन के चलते हो, (ख) जिन प्रावधानों की जरूरत न रहे, उनका पुरांकन, (ग) वसूले गये बीमा दावे और (घ) पिछले वर्ष से संबंधित आमदनी और खर्च और ऐसी अन्य मदें, जो अप्रचलित स्वरूप की हों ।
- सकल लाभ मूल्यह्रास प्रावधानों को घटाकर लेकिन ब्याज का भुगतान किये जाने के पहले होते हैं ।
- सकल बचत का मापन प्रतिधारित लाभ और मूल्यह्रास प्रावधान के जोड़ के रूप में किया जाता है ।
- सकल मूल्यवर्धित में समाविष्ट होते हैं (क) निवल मूल्य वर्धित और (ख) मूल्यह्रास प्रावधान ।
- निवल मूल्यवर्धित में समाविष्ट होते हैं (क) वेतन, मजदूरी और बोनस, (ख) भविष्य निधि, (ग) कर्मचारियों के कल्याण संबंधी खर्च, (घ) प्रबंधकीय पारिश्रमिक, (ङ) प्राप्त किराये को घटाकर अदा किया गया किराया, (च) प्राप्त ब्याज को घटाकर अदा किया गया ब्याज, (छ) कर प्रावधान, (ज) प्राप्त लाभांश को घटाकर अदा किया गया लाभांश और (झ) गैर परिचालन अधिशेष/घाटे को घटाकर प्रतिधारित लाभ।
- कर्ज में समाविष्ट होते हैं (क) सरकारी और गैर सरकारी निकायों, बैंकों से भिन्न वित्तीय संस्थाओं और विदेशी संस्थागत एजेंसियों से लिये गये सभी उधार, (ख) बंधक और अन्य दीर्घावधि प्रतिभूतियों पर बैंकों से लिये गये उधार, (ग) बंधक और अन्य दीर्घावधि प्रतिभूतियों पर कंपनियों और अन्य से लिये गये उधार, और (घ) डिबेंचर, आस्थगित भुगतान संबंधी देयताएँ और जनता से जमाराशियाँ ।
- इक्विटी या निवल संपत्ति में समाविष्ट होते हैं (क) चुकता पूँजी, (ख) जब्त शेयर और (ग) सभी प्रकार की आरक्षित निधियाँ और अधिशेष ।
- चालू आस्तियों में समाविष्ट होते हैं (क) वस्तु-सूची, (ख) ऋण एवं अग्रिम और अन्य देनदार शेष, (ग) उद्धृत निवेशों का बही मूल्य, (घ) नकदी और बैंक जमाशेष और (ङ) कर प्रावधान से अधिक आयकर का अग्रिम ।
- चालू देयताओं में समाविष्ट होते हैं (क) बैंकों से लिये गये अल्पावधि उधार, (ख) कंपनियों और अन्य से बेजमानती ऋण और अन्य अल्पावधि उधार, (ग) व्यापारिक बकाये और अन्य चालू देयताएँ और (घ) आयकर के अग्रिम से अधिक कर प्रावधान तथा अन्य चालू प्रावधान।
- त्वरित सुलभ आस्तियों में समाविष्ट होते हैं (क) फुटकर देनदार, (ख) उद्धृत निवेशों का बही मूल्य, और (ग) नकदी और बैंक जमाशेष ।
- पूँजीगत आरक्षित निधियों में शामिल हैं - निवेशों और अचल आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ ।
- अन्य आरक्षित निधियों में शामिल हैं - विविध विनिर्दिष्ट आरक्षित निधियों के रूप में प्रतिधारित लाभ और तुलनपत्र में ले जाया गया लाभ/हानि ।
- डिबेंचरों में शामिल हैं - वित्तीय संस्थाओं को निजी तौर पर डिबेंचरों की संस्थागत बिक्री ।

5. बाह्य क्षेत्र सांख्यिकी

इस अध्याय में भुगतान संतुलन, बाह्य कर्ज, विदेशी निवेश अंतर्वाह, एनआरआई जमाराशियाँ, अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ, आदि के संबंध में भारत की बाह्य क्षेत्र सांख्यिकी से संबंधित अवधारणाएँ और परिभाषाएँ शामिल की गयी हैं । इनमें से प्रत्येक घटक के संबंध मे आँकड़े अंतरराष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों का अनुसरण करते हुए संकलित किये जाते हैं । प्रत्येक घटक के विस्तृत पहलुओं की रूपरेखा नीचे बतायी गयी है ।

5.1. भुगतान संतुलन

भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) में, लेनदेनों को आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल (1993) के पंचम संस्करण में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार छोटे-मोटे आशोधनों के साथ रिकार्ड किया जाता है, ताकि उसे भारतीय स्थिति के ब्यौरों के साथ अनुकूलित किया जा सके । मैनुअल में भुगतान संतुलन की परिभाषा ऐसे सांख्यिकी विवरण के रूप में दी गयी है, जो किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए क्रमबद्ध रूप से किसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ आर्थिक लेनदेन का सारांश प्रस्तुत करता है । निवासियों और अनिवासियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और आमदनी संबंधी लेनदेन; शेष विश्व पर वित्तीय दावे और शेष विश्व के प्रति देयताएँ; और वे शामिल होते हैं, जिन्हें अंतरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एकतरफा लेनदेनों को संतुलित करने के लिए प्रविष्टियों का प्रतितुलन किया जाता है । ये आँकड़े बैंकिंग प्रणाली से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के भाग के रूप में प्राप्त होते हैं । ये आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली (प्राधिकृत व्यापारियों) से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के भाग के रूप में प्राप्त होते हैं ।

भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) की मूलभूत संरचना निम्नलिखित से बनती है :

(i) चालू खाता : वस्तुओं, सेवाओं का निर्यात और आयात, आमदनी (निवेश आमदनी और

कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, दोनों) और चालू अंतरण;

(ii) पूँजीगत खाता : आस्तियाँ और देयताएँ, जिनमें प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, ऋण, बैंकिंग पूँजी और अन्य पूँजी शामिल हैं;

(iii) सांख्यिकीय विसंगतियाँ;

(iv) अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियाँ और आईएमएफ लेनदेन ।

5.1.1. चालू खाता

5.1.1.1. वणिक व्यापार

व्यापारिक जमा का संबंध वस्तुओं के निर्यात से होता है, जबकि व्यापारिक नामे वस्तुओं के आयात का द्योतक होता है । ये मुख्यतः प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित होते हैं, जिसमें अन्य स्रोतों, यथा डीजीसीआइएंडएस, यूएसएआइडी, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी जोड़ी जाती है । 'गैर मौद्रिक स्वर्ण आवाजाही' मद को बीओपी पर आईएमएफ मैनुअल (4 था संस्करण) के अनुरूप मई 1993 और उसके बाद से अदृश्य मदों में शामिल नहीं किया गया है; ये प्रविष्टियाँ व्यापारिक माल में शामिल की गयी हैं । विदेश से लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोने और चांदी संबंधी आंकड़ों को 1992-93 से निजी अंतरण प्राप्तियों के अंतर्गत प्रति प्रविष्टि के साथ आयात भुगतानों के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

5.1.1.2. *सेवाएँ*

सेवाओं के संबंध में प्राप्तियों और भुगतानों का संकलन एडी से प्राप्त जानकारी, जिसमें अन्य स्रोतों, यथा एयर इंडिया, दूतावासों, नैसकॉम, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों, भारत सरकार, से प्राप्त जानकारी जोड़ी जाती है, के आधार पर किया जाता है ।

5.1.1.2.1. यात्रा

'यात्रा' द्योतक होता है प्राप्तियाँ पक्ष में विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किये गये सभी व्ययों और भुगतान पक्ष में भारतीय पर्यटकों द्वारा विदेश में किये गये सभी व्ययों का। यात्रा प्राप्तियाँ मुख्यतः किसी दिये हुए समय में विदेशी पर्यटकों के भारत आने पर निर्भर करती हैं।

5.1.1.2.2. परिवहन

'परिवहन' में वस्तुओं और नैसर्गिक व्यक्तियों के सामानों की ढुलाई के कारण और वणिक व्यापार से जुड़ी अन्य वितरक सेवाओं (यथा, पत्तन प्रभार, बंकर ईंधन, स्टीवडोरिंग, कैबोटाज, वेयरहाउसिंग, आदि) के कारण प्राप्तियों और भुगतानों को रिकार्ड किया जाता है ।

5.1.1.2.3. बीमा

'बीमा प्राप्तियों' में शामिल होते हैं निर्यातों का बीमा, जीवन और गैर जीवन पालिसियों पर प्रीमियम तथा विदेशी बीमा कंपनियों से पुनर्बीमा प्रीमियम। निर्यातों पर बीमा भारत से किये गये कुल निर्यातों से सीधे संबंधित होता है ।

5.1.1.2.4. सरकार, जिसे अन्यत्र शामिल नहीं किया गया (जीएनआईई)

'सरकार, जिसे अन्यत्र शामिल नहीं किया गया' के अंतर्गत प्राप्तियाँ द्योतक होती हैं विदेशी दूतावासों, राजनयिक मिशनों और भारत में अंतरराष्ट्रीय/क्षेत्रीय संस्थाओं के कार्यालयों के रखरखाव के लिए आवक विप्रेषणों का, जबकि जीएनआईई भुगतानों में विदेश में भारतीय दूतावासों और राजनयिक मिशनों के रखरखाव के चलते किये गये विप्रेषणों और विदेशी दूतावासों द्वारा अपनी ओर से किये गये विप्रेषणों को रिकार्ड किया जाता है ।

5.1.1.2.5. विविध

'विविध सेवाओं' में समाविष्ट होता है कारोबारी सेवाओं का समूह, यथा, संचार, निर्माण, वित्तीय, सॉफ्टवेयर और न्यूज एजेंसी सेवाएँ, रॉयल्टी, कॉपीराइट

और लाइसेंस फीस, प्रबंधन सेवाएँ और अन्य । हाल में, सॉफ्टवेयर सेवाओं के संबंध में आँकड़े - प्राप्तियों और भुगतानों के लिए अलग से प्रस्तुत किये जाने लगे हैं ।

5.1.1.3. अंतरण (सरकारी, निजी)

अंतरण द्योतक होते हैं एकतरफा लेनदेनों के, अर्थात्, ऐसे अंतरण, जिनका कोई प्रतिकर नहीं होता, यथा, अनुदान, उपहार और प्रवासियों के अंतरण, जो परिवार के भरण पोषण के लिए विप्रेषणों के जरिए किये जाते हैं, बचत के प्रत्यावर्तन और प्रवासियों की निवासी हैसियत में परिवर्तन से जुड़े वित्तीय एवं वास्तविक संसाधनों के अंतरण । सरकारी अंतरण प्राप्तियों में शामिल होते हैं अनुदान, दान और अन्य साहाय्य, जो सरकार को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार के अंतरण, जो भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को किये जाते हैं, सरकारी अंतरण भुगतानों के अंतर्गत रिकार्ड किये जाते हैं ।

5.1.1.4. आमदनी

पूँजीगत लेनदेनों का शोधन करने के लिए किये गये लेनदेन ब्याज, लाभांश, लाभ और अन्य के रूप में होते हैं। निवेश आय प्राप्तियों में समाविष्ट होते हैं अनिवासियों को दिये गये ऋणों पर प्राप्त ब्याज, भारतीयों द्वारा विदेश में किये गये निवेश पर प्राप्त लाभांश/लाभ, विदेश में भारतीय एफडीआई कंपनियों की पुनर्निवेशित आय, डिबेंचरों पर प्राप्त ब्याज, फ्लोटिंग रेट नोट्स (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), सावधि जमा और एडी द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण/निर्यात प्राप्तियों में से विदेश में धारित निधियाँ, अनिवासियों द्वारा करों का भुगतान/विदेशी सरकारों द्वारा करों की वापसी, आरबीआई निवेश पर ब्याज/बट्टा से प्राप्त आमदनी, आदि । निवेश आय भुगतानों में समाविष्ट होते हैं अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान, अनिवासियों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज का भुगतान, अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश/लाभ का भुगतान, एफडीआई कंपनियों की पुनर्निवेशित आय, डिबेंचरों, एफआरएन, सीपी, सावधि जमा, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान, विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) पर प्रभार, आदि ।

आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल (पाँचवाँ संस्करण) के अनुसार 'कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति' को 1997-98 से 'आय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है; इसके पहले 'कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति' को 'सेवाएँ - विविध' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता था।

5.1.2. पूँजीगत लेखा

पूँजीगत लेखा के संबंध में आँकड़े पूँजीगत लेनदेनों में लगी संस्थाओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास या भारत सरकार के पास फाइल की गयी विविध विवरणियों के आधार पर संकलित किये जाते हैं। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश/एडीआर/जीडीआर, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), व्यापार ऋण, एनआरआई जमाराशि और अन्य बैंकिंग देयताओं/आस्तियों के संबंध में रिपोर्टिंग शामिल होती है । बाह्य साहाय्य से संबंधित आँकड़े भारत सरकार से प्राप्त किये जाते हैं ।

5.1.2.1. विदेशी निवेश

विदेशी निवेश के दो घटक होते हैं, यथा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश । 1999-2000 तक भारत को और भारत द्वारा किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में मुख्यतः इक्विटी पूँजी समाविष्ट है । अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहार के अनुरूप एफडीआई की व्याप्ति 2000-01 से बढ़ा दी गयी है, जिससे कि इसमें इक्विटी पूँजी के अतिरिक्त पुनर्निवेशित आमदनी (एफडीआई कंपनियों की प्रतिधारित आमदनी) और 'अन्य प्रत्यक्ष पूँजी' (संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-कंपनी लेनदेन) को शामिल किया जा सके। इक्विटी पूँजी से संबंधित आँकड़ों में निगमित निकायों की इक्विटी के अतिरिक्त अनिगमित संस्थाओं (मुख्यतः भारत

में विदेशी बैंक शाखाओं और विदेशों में परिचालनरत भारतीय बैंक शाखाओं) की इक्विटी शामिल होती है । नवीनतम वर्ष (2002-03) के लिए पुनर्निवेशत अर्जन के संबंध में आँकड़ों का अनुमान पिछले दो वर्षों के औसत के रूप में लगाया जाता है, क्योंकि ये आँकड़े एक वर्ष के समय-अंतराल पर उपलब्ध होते हैं । उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए एफडीआई आँकड़े पिछले वर्ष के तत्समान आँकड़ों से तुलनीय नहीं होते हैं । बीओपी संकलन की मानक प्रथा के अनुसार, एफडीआई आँकड़ों में उपर्युक्त संशोधन का प्रभाव भारत की समग्र भुगतान संतुलन स्थिति पर नहीं होगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में अनुवृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होगा । तथापि, बीओपी के संघटन में परिवर्तन होगा । ये परिवर्तन निवेश आय, बाह्य वाणिज्यिक उधार और भूल-चूक से संबंधित हैं । पुनर्निवेशित अर्जन के मामले में चालू खाता में निवेश आय के अंतर्गत समान परिमाण की प्रति प्रविष्टि (नामे) होगी। 'अन्य पूँजी', जो एफडीआई अंतर्वाह के रूप में रिपोर्ट की गयी है, उतनी ही राशि के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये आँकड़ों से निकाली गयी है । भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में 'अन्य पूंजी' और अनिगमित कंपनियों की इक्विटी पूंजी को वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए भूल-चूक के विरुद्ध समायोजित किया गया है ।

5.1.2.2. संविभाग निवेश

संविभाग निवेश में मुख्यतः एफआईआई के निवेश, भारतीय कंपनियों द्वारा जीडीआर/एडीआर के माध्यम से जुटायी गयी निधियाँ और अपतटीय निधियों के माध्यम से जुटायी गयी निधियाँ शामिल होती हैं । विदेश में निवेश के संबंध में आँकड़े, जो अब तक रिपोर्ट किये जाते थे, को 2000-01 से इक्विटी पूँजी और संविभाग निवेश में विभक्त कर दिया गया है ।

5.1.2.3. बाह्य साहाय्य

भारत द्वारा बाह्य साहाय्य का अर्थ होता है भारत द्वारा विदेशी सरकारों को विविध करारों के अंतर्गत दिया गया अनुदान और ऐसे ऋणों की अदायगी । भारत को बाह्य साहाय्य का अर्थ होता है भारत सरकार और अन्य सरकारों/अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच हुए करार के अंतर्गत प्राप्त बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण और भारत द्वारा ऐसे ऋणों की अदायगी, सिवाय पहले के 'रुपया क्षेत्र' वाले देशों को ऋण चुकौती के, जिसे रूपी डेट सर्विस के अंतर्गत शामिल किया जाता है ।

5.1.2.4. वाणिज्यिक उधार

वाणिज्यिक उधार में सभी प्रकार के मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण शामिल होते हैं । भारत द्वारा वाणिज्यिक उधार का अर्थ होता है भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) द्वारा विभिन्न देशों को दिये गये ऋण और ऐसे ऋणों की चुकौती। भारत को वाणिज्यिक उधार का अर्थ होता है ऋणों का आहरण/चुकौती, जिसमें क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, फ्लोटिंग रेट नोट्स (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), बांड, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), जो भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में जारी किया जाये, आदि शामिल होते हैं। इसमें भारत विकास बांड (आईडीबी), रिसर्जेंट इंडिया बांड (आरआईबी), इंडिया मिलेनियम डिपोजिट्स (आईएमडी), आदि भी शामिल होते हैं ।

5.1.2.5. भारत को अल्पावधि ऋण

इसे ऋण के संबंध में आहरणों, उपयोग और चुकौतियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक वर्ष से कम परिपक्वता वाले होते हैं ।

5.1.2.6. बैंकिंग पूँजी

इसमें तीन घटक समाविष्ट होते हैं : क) वाणिज्यिक बैंकों (एडी) की विदेशी आस्तियाँ, ख) वाणिज्यिक बैंकों (एडी) की विदेशी देयताएँ, और ग) अन्य । वाणिज्यिक बैंकों की 'विदेशी आस्तियाँ' (i) विदेशी मुद्रा धारणों, और (ii) अनिवासी बैंकों को रुपया ओवरड्राफ्टों से बनती हैं । वाणिज्यिक बैंकों की 'विदेशी देयताएँ' (i)

अनिवासी जमाराशियों, जिसमें समाविष्ट होते हैं विविध अनिवासी जमा योजनाओं की प्राप्ति और प्रतिदान, और (ii) अनिवासी जमाराशियों से भिन्न देयताएँ, जिनमें अनिवासी बैंकों और सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रति रुपया एवं विदेशी मुद्रा देयताएँ समाविष्ट होती हैं, से बनती हैं। बैंकिंग पूँजी के अंतर्गत 'अन्य' में शामिल होती हैं विदेशी केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, यथा, आइबीआरडी, आइडीए, एडीबी, आईएफसी, आईएफएडी, आदि के जमाशेषों में, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होती हैं, उतार-चढ़ाव और विदेश में लंदन तथा टोक्यो में भारतीय दूतावासों द्वारा धारित जमाशेष में उतार-चढ़ाव।

5.1.2.7. रुपया कर्ज शोधन

रुपया कर्ज शोधन में शामिल होते हैं रुपया भुगतान क्षेत्र (आरपीए) के संबंध में सिविलियन और गैर सिविलियन कर्ज के मूलधन की चुकौती और उसके ब्याज का भुगतान ।

5.1.2.8. अन्य पूँजी

अन्य पूँजी में मुख्यतः समाविष्ट होती है निर्यात प्राप्तियों में अग्रता और पश्चता । इसके अतिरिक्त इसमें शामिल अन्य मदें होती हैं विदेश में धारित निधियाँ, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत का अभिदान, आईएमएफ को कोटा भुगतान, शाखाओं/सहयोगियों को हानि की पूर्ति के लिए विप्रेषण और अन्य पूँजीगत लेनदेन की अवशिष्ट मद, जिसे अन्यत्र शामिल नहीं किया गया।

5.1.3. आरक्षित निधियों में उतार चढ़ाव

आरक्षित निधियों में उतार चढ़ाव में समाविष्ट होते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों में और भारत सरकार द्वारा धारित एसडीआर जमाशेषों में परिवर्तन । इन्हें मूल्यन के चलते हुए परिवर्तनों को छोड़ देने के बाद रिकार्ड किया जाता है। मूल्यन में परिवर्तन इसलिए होते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा आस्तियों को अमरीकी डालर में अभिव्यक्त किया जाता है और उनमें गैर अमरीकी मुद्राओं (यथा, यूरो, स्टर्लिंग, येन) में, जो आरक्षित निधियों में धारित होती हैं, मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के प्रभाव शामिल होते हैं ।

आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल (5वाँ संस्करण) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खरीदे गये स्वर्ण को बीओपी सांख्यिकी में शामिल नहीं किया गया है । इसलिए पूर्व के वर्षों के आँकड़ों को 'अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ' और 'विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ' में उपयुक्त समायोजन करते हुए संशोधित कर दिया गया है । इसी प्रकार सारणी में से 'एसडीआर आबंटन' मद को हटा दिया गया है ।

5.1.4. विनिमय दरें

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को जून 1972 तक सममूल्य पर/मध्यवर्ती दरों पर और उसके बाद स्टर्लिंग के लिए बैंक की हाजिर खरीद और बिक्री के औसत के आधार पर और गैर स्टर्लिंग मुद्राओं की लंदन बाजार पर आधारित प्रति दरों के मासिक औसत के आधार पर रुपयों में परिवर्तित किया गया है । मार्च 1993 से ऐसा परिवर्तन विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डालर की हाजिर खरीद एवं बिक्री दरों के औसत को पार करते हुए और लंदन बाजार पर आधारित गैर डालर मुद्राओं की मासिक औसत प्रति दरों के आधार पर किया जाता है ।

5.1.5. आँकड़ों के स्रोत

भुगतान संतुलन के संबंध में आँकड़े मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (आईटीआरएस) के आधार पर, जो विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले एडी/बैंकों द्वारा फाइल की गयी पाक्षिक आर विवरणियों के रूप में होते हैं, संकलित किये जाते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के

अनुसार सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किये जाने चाहिए और जो बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन करते हैं, उन्हें फेमा के अंतर्गत निर्धारित विविध आवधिक विवरणियाँ और समर्थक दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए।

उपर्युक्त जानकारी में वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), विविध दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास शामिल हैं, विविध मंत्रालयों/सरकारी एजेंसियों/विभागीय उपक्रमों, यूएसएआइडी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज (नैसकॉम), एयर इंडिया, वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों (आईटीआरएस के अंतर्गत रिपोर्टिंग से अलग), कंपनी क्षेत्र और भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने रिकार्डों से उपलब्ध जानकारी जोड़ी जाती है ।

5.1.6. आँकड़ा प्रसार

इस समय बीओपी सांख्यिकी दो फार्मैटों में प्रकाशित की जाती है, यथा, स्थूल शीर्षकों में मानक प्रस्तुतीकरण और स्थूल शीर्षकों के अलग-अलग विवरण के साथ विस्तृत प्रस्तुतीकरण। स्थूल शीर्षकों के साथ मानक प्रस्तुतीकरण को आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल, 5वाँ संस्करण (बीपीएम5) में वर्णित पद्धति के अनुसार संकलित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही में आईएमएफ के विशेष आँकड़ा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) की अपेक्षाओं के अनुसार तीन महीने के समयांतर के साथ प्रकाशित किया जाता है ।अदृश्य मदों के संबंध में असमुच्चयित आँकड़ों को अंतिम रूप दिया जाता है और एक बार घटकों के बारे में पक्के आँकड़े उपलब्ध होने पर उन्हें प्रकाशित किया जाता है । अदृश्य मदों को मोटे तौर पर तीन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा, सेवाएँ, अंतरण और आमदनी । जबकि सेवाओं में यात्रा, परिवहन, बीमा, सरकार, अन्यत्र शामिल नहीं (जीएनआईई) और विविध (अर्थात् अन्य सेवाएँ) समाविष्ट होती हैं, अंतरणों में निजी अंतरण और सरकारी अंतरण शामिल होते हैं तथा आमदनी में निवेश आमदनी और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति शामिल होती है ।

5.1.7. भारत के भुगतान संतुलन सांख्यिकी के लिए संशोधन नीति

भारत की भुगतान संतुलन सांख्यिकी 'प्रारंभिक', 'अंशतः संशोधित' और 'संशोधित' आँकड़ों के रूप में प्रकाशित की जाती है । प्रारंभिक आँकड़े तिमाही आधार पर होते हैं और संदर्भ तिथि से तीन महीनों के समयांतर पर जारी किये जाते हैं (अर्थात् मार्च 2004 में समाप्त तिमाही के लिए आँकड़े जून 2004 के अंत में उपलब्ध होते हैं) । प्रारंभिक आँकड़ों में वर्ष के दौरान कुछ संशोधन किये जाते हैं और अंशतः संशोधित आँकड़ों को संदर्भ तिथि से छह महीने, नौ महीने और बारह महीने के समयांतर पर संबंधित तिमाही(यों) के लिए प्रारंभिक आँकड़ों के साथ जारी किया जाता है । वार्षिक आँकड़ों में आंशिक संशोधन संदर्भ तिथि से अट्ठारह महीने के समयांतर पर किये जाते हैं । उसके बाद आँकड़ों को 'निश्चल' कर दिया जाता है और अंतिम संशोधनों को संशोधित आँकड़ों में समाविष्ट किया जाता है, जिन्हें संदर्भ तिथि से चौबीस महीने के समयांतर पर जारी किया जाता है । इस चक्र के भीतर असाधारण संशोधन किये जा सकते हैं, यदि आँकड़ा संग्रहण और संकलन क्रियाविधि में पद्धतिमूलक परिवर्तन किये जायें और/या आँकड़ों के स्रोतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन इंगित किये जायें, जिनके चलते आँकड़ा शृंखला में संरचनात्मक बदलाव आता है । इन असाधारण संशोधनों का प्रलेखन आँकड़ों को जारी करते समय किया जाता है । प्रारंभिक, अंशतः संशोधित और संशोधित आँकड़ों को पाठ और सारणियों में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया जाता है ।

5.2. बाह्य कर्ज

भारत द्वारा अंगीकृत सकल बाह्य ऋण की परिभाषा इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स (आइडब्लूजीईडीएस), जो अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ),

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से गठित किया गया था, द्वारा 1988 में दी गयी परिभाषा पर आधारित है । आइडब्लूजीईडीएस द्वारा दी गयी बाह्य कर्ज की मूल परिभाषा है ''सकल बाह्य कर्ज किसी दिये हुए समय में किसी देश के निवासियों की अनिवासियों के प्रति ब्याज सहित या ब्याजरहित मूलधन चुकाने या मूलधन सहित या मूलधन रहित ब्याज चुकाने की संवितरित एवं बकाया संविदागत देयता की राशि होती है ।''

आँकड़ों की व्याप्ति मोटे तौर पर आईएमएफ के 'एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स - गाइड फॉर कंपाइलर्स एंड यूजर्स', 1993 में की गयी सिफारिशों से संगति रखती है । बाह्य कर्ज वर्गीकरण देनदार/लेनदार के प्रकार के बीच, परिपक्वता के अनुसार अर्थात् दीर्घावधि और अल्पावधि के अनुसार, लेनदेन के प्रकार के अनुसार, अर्थात् जमा या व्यापार से संबंधित और रियायतों के तत्व के अनुसार भेद करता है ।

5.2.1. आँकड़ों का क्षेत्र विस्तार

देश का सकल बाह्य कर्ज आठ कोटियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है : (i) बहुपक्षीय, (ii) द्विपक्षीय, (iii) आईएमएफ, (iv) व्यापार ऋण, (v) वाणिज्यिक उधार, (vi) एनआरआई जमाराशियाँ, (vii) रुपया कर्ज और (viii) एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले अल्पावधि कर्ज । अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आइआइपी) के देयता पक्ष के विपरीत, बाह्य कर्ज आँकड़ों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (सिवाय भारत में एफडीआई उद्यमों द्वारा विदेश स्थित अपनी मूल कंपनी से प्राप्त ऋणों के) और विदेशी संविभाग निवेश के इक्विटी घटक से उत्पन्न किसी वित्तीय देयता को शामिल नहीं किया जाता।

5.2.2. लेखांकन परंपरा

बाह्य कर्ज आँकड़ों का संकलन और प्रसार मूल परिपक्वता के आधार पर किया जाता है । बाह्य कर्ज आँकड़ों का संकलन और प्रस्तुतीकरण अमरीकी डालर में और रुपयों में, दोनों ही तरह से किया जाता है । बाह्य कर्ज संबंधी आँकड़ों को पहले भारतीय रुपये के अनुसार तैयार किया जाता है और तब संदर्भ तिथि को हाजिर विनिमय दर पर अमरीकी डालर में परिवर्तित कर दिया जाता है ।

5.2.3. मूलभूत आँकड़ा स्रोतों का स्वरूप

इस समय बाह्य कर्ज के विविध घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध स्रोतों का उपयोग किया जाता है। सहायता नियंत्रक कार्यालय, लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआइ) (i) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय कर्ज, जिसमें गैर सरकारी कंपनियों को बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गैर रियायती कर्ज को शामिल नहीं किया जाता, जिसके लिए ईसीबी मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है; (ii) व्यापार ऋण के द्विपक्षीय घटक के संबंध में जानकारी संगृहीत करता है ।

बाह्य कर्ज प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू), आर्थिक कार्य विभाग, एमओएफ, जीओआइ, प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए रुपया कर्ज और निर्यात ऋण घटक के संबंध में आँकड़े संगृहीत करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ऋण लिखतों में एफआइआइ निवेश के संबंध में आँकड़ों का स्रोत होता है । कर्ज के अन्य सभी घटकों, यथा, वाणिज्यिक उधार, एनआरआई जमाराशियाँ और व्यापार ऋण (दीर्घावधि और अल्पावधि, दोनों) के संबंध में जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संगृहीत की जाती है ।

5.2.4. संकलन की प्रथाएँ

भारत के बाह्य कर्ज आँकड़ों को दो स्थूल शीर्षकों, यथा, दीर्घावधि और अल्पावधि, के अंतर्गत प्रसारित किया जाता है । दीर्घावधि कर्ज को बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, आईएमएफ, निर्यात ऋण, वाणिज्यिक उधार, रुपया कर्ज और एनआरआई जमाराशियाँ, में वर्गीकृत किया जाता

है। अल्पावधि कर्ज में एनआरआई जमाराशियाँ और व्यापार से संबंधित ऋण समाविष्ट होते हैं । दीर्घावधि और अल्पावधि कर्ज का पुनः असमुच्चयन किया जाना लेनदार स्रोत और उधारकर्ता की स्थिति पर आधारित होता है।

- भारत द्वारा बाह्य सहायता कार्यक्रम या ऑफिशियल डेवलपमेंट एसिस्टैंस (ओडीए) के अंतर्गत जुटाये गये ऋण अपने अधिकांश भाग के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं । बहुपक्षीय के अंतर्गत निम्नलिखित लेनदार स्रोतों की पहचान की गयी है : आईडीए, आईबीआरडी, एडीबी, ईईसी (एसएसी), ओपेक, आइएसओ, एनआइबी, आईएफसी (डब्लू) । उपर्युक्त सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुटाये गये ऋण, सिवाय आईएफसी (डब्लू) से लिये गये ऋण के, बहुपक्षीय के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं । बाद वाले को वाणिज्यिक उधार के भाग के रूप में माना जाता है । बहुपक्षीय समूह में समाविष्ट होते हैं उक्त अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सरकार को ओडीए के अंतर्गत दिये गये ऋण और गैर सरकारी कंपनियों को दिये गये ऋण, जिनमें बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर वाणिज्यिक उधार शामिल होते हैं ।
- द्विपक्षीय समूह द्योतक होता है द्विपक्षीय स्रोतों से प्राप्त किये गये ऋणों का । भारत सरकार के कतिपय द्विपक्षीय ऋणों में एक निर्यात ऋण घटक होता है, उदाहरणार्थ फ्रेंच और जर्मन ऋण तथा स्विस मिश्रित ऋण, जिसे द्विपक्षीय नहीं माना जाता, लेकिन निर्यात ऋण का एक भाग माना जाता है । गैर सरकारी कंपनियों द्वारा द्विपक्षीय स्रोतों से जुटाये गये ऋण, जिनमें बाजार से जुड़ी ब्याज दरों पर लिये गये ऋण (वाणिज्यिक उधार) शामिल होते हैं, उदाहरण के लिए एक्जिम जापान, एक्जिम यूएसए और केएफडब्लू जर्मनी से लिये गये ऋणों को द्विपक्षीय कोटि में शामिल किया जाता है ।
- बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों को सरकारी और गैर सरकारी उधार में वर्गीकृत किया जाता है । सरकारी उधार वे होते हैं, जो केंद्र सरकार के बजट में उल्लिखित होते हैं । गैर सरकारी ऋण वे सभी ऋण होते हैं, जो गैर सरकारी निकायों द्वारा सरकार की गारंटी के साथ या गारंटी के बिना जुटाये जाते जाते हैं । सरकार के और गैर-सरकारी ऋण को पुनः रियायती और गैर रियायती ऋणों में तोड़ा जाता है । रियायती ऋण ओडीए के अंतर्गत वे ऋण होते हैं, जिनमें अनुदान का तत्व 25 प्रतिशत से अधिक का होता है । बाकी सभी ऋण गैर रियायती होते हैं ।
- 'आईएमएफ' वर्गीकरण निधि ऋणों के उपयोग का द्योतक होता है । 'निर्यात ऋणों' में अनिवार्य रूप से दीर्घावधि व्यापार ऋण शामिल होते हैं । 'क्रेता का ऋण' ऐसे निर्यात ऋण होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दाता देश की निर्यात ऋण एजेंसी से बीमा रक्षा के साथ जुटाये जाते हैं । 'आपूर्तिकर्ता का ऋण' वे ऋण होते हैं, जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्यात ऋण एजेंसियों की बीमा रक्षा के साथ या उसके बिना दिये जाते हैं । 'द्विपक्षीय ऋणों का निर्यात ऋण घटक' वैसे निर्यात ऋण होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं द्विपक्षीय साहाय्य के पैकेज का भाग होते हैं ।
- 'वाणिज्यिक उधार' में समाविष्ट होते हैं अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों से वाणिज्यिक शर्तों पर लिये गये उधार । 'वाणिज्यिक बैंक ऋण' भारतीय कंपनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकों से लिये गये उधार को और भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की समुद्रपार शाखाओं द्वारा भारतीय निवासियों को दिये गये अन्य वित्तीय

लीजिंग एवं लेंडिंग को निर्दिष्ट करते हैं । 'प्रतिभूतिकृत उधार' में वे निधियाँ शामिल होती हैं, जो प्रतिभूतिकृत लिखतों, यथा, बांडों (जिसमें उदाहरण के लिए भारत विकास बांड और रिसर्जेंट इंडिया बांड शामिल हैं), फ्लोटिंग रेट नोट्स, यूरो कमर्शियल पेपर, नोट इश्युएंस फैसिलिटी, आदि और अपरिवर्तनीय/परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके जुटायी जाती हैं । इसमें इंडिया मिलेनियम डिपोजिट्स (आईएमडी) भी शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियों में एफआइआइ निवेश को प्रतिभूतिकृत उधार के भाग के रूप में माना जाता है । 'बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय गारंटी के साथ ऋण/ प्रतिभूतिकृत उधार और आईएफसी (डब्लू)' में भारतीय निवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजार से बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय गारंटी के साथ लिये गये उधार शामिल हैं।

- अनिवासी जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर) (बी) और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआर(ई)आरए) के अंतर्गत जमाराशियों से बनती हैं । पिछले आँकड़ों में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआरए) शामिल है, जिसे अगस्त 1994 में वापस ले लिया गया ।

- रुपया कर्ज में सिविलियन और गैर सिविलियन (प्रतिरक्षा) रुपया कर्ज शामिल है, जो रूस को दिया जाना है, जिसे निर्यात के माध्यम से चुकाया जाना है ।

- अल्पावधि कर्ज द्योतक होता है सभी प्रकार के उधारों का, जिनमें छह महीने से एक वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशियाँ शामिल हैं ।

5.2.5. अन्य पहलू

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाह्य कर्ज के संबंध में तिमाही आँकड़े मार्च और जून में अंत होने वाली तिमाहियों के लिए संकलित और प्रकाशित करता है और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सितंबर और दिसंबर में समाप्त तिमाहियों के लिए बाह्य कर्ज के आँकड़े जारी करता है। इन आँकड़ों को आवधिक तौर पर समायोजित नहीं किया जाता है । ये आँकड़े जब पहली बार जारी किये जाते हैं उस समय ये प्रारंभिक आँकड़े रहते हैं और लगभग एक वर्ष में उनका संशोधन किया जाता है, जिस समय तक वे अंतिम आँकड़े हो जाते हैं।

5.3. विदेशी निवेश अंतर्वाह

विदेशी निवेश अंतर्वाह का मोटे तौर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) के रूप में कोटिकरण किया जा सकता है । एफडीआई वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक देश का निवासी (अपना देश) किसी दूसरे देश (मेजबान देश) में किसी फर्म के उत्पादन, संवितरण और अन्य कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने के प्रयोजनार्थ उसके स्वामित्व का अर्जन करता है । भुगतान संतुलन मैनुअल, पाँचवाँ संस्करण (बीपीएम-5) में अंतर्विष्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की परिभाषा के अनुसार एफडीआई के तीन घटक होते हैं, यथा, इक्विटी पूँजी, पुनर्निवेशित आमदनी और अन्य प्रत्यक्ष पूँजी । भारत एफडीआई अंतर्वाह की रिपोर्ट आईएमएफ परिभाषा के अनुसार करता है, जिसमें इक्विटी पूँजी के अतिरिक्त पुनर्निवेशित आमदनी और अन्य प्रत्यक्ष पूँजी अंतर्वाह शामिल होता है । संविभाग निवेश में बांडों और नोटों के रूप में इक्विटी प्रतिभूतियों और ऋण प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखत और अन्य लिखत, यथा, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स (एडीआर)/ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स (जीडीआर), जो सामान्यतः इक्विटी के स्वामित्व को निर्दिष्ट करते हैं, में किये गये निवेश शामिल होते हैं।

5.3.1. आँकड़ों का क्षेत्र विस्तार

आईएमएफ की प्रथा का अनुसरण करते हुए और अन्य देशों की प्रथाओं के अनुरूप विदेशी निवेश के

आँकड़े दो स्थूल शीर्षकों में प्रकाशित किये जाते हैं : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई)। भारत के लिए एफडीआई आँकड़े निम्नलिखित तीन स्थूल शीर्षकों, यथा, इक्विटी पूँजी, पुनर्निवेशित अर्जन और अंतःकंपनी ऋण, के अंतर्गत प्रकाशित किये जाते हैं । एफपीआई में अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स (एडीआर)/ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) जारी करने के माध्यम से किये गये संविभाग अंतर्वाह और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा निवेश शामिल होता है।

5.3.2. लेखांकन परंपरा

विदेशी निवेश के आँकड़े संकलित किये जाते हैं और अमरीकी डालर में प्रस्तुत किये जाते हैं।

5.3.3. मूलभूत आँकड़ा स्रोतों का स्वरूप

विदेशी निवेश के विविध घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मूलभूत स्रोत भारतीय रिज़र्व बैंक होता है ।

5.3.4. संकलन की प्रथाएँ

भारत में एफडीआई और एफपीआई सहित विदेशी निवेश के आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर संकलित किये जाते हैं, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (आइटीआरएस) का प्रयोग जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में किया जाता है। बीपीएम-5 में निर्धारित पद्धति का अनुसरण करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नये अंतर्वाह के संबंध में आँकड़े उन कंपनियों द्वारा, जो ये निधियाँ प्राप्त करती हैं, इन लेनदेनों की रिपोर्टिंग के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं । जो कंपनियाँ विदेशी निवेश रिपोर्ट प्राप्त करती हैं, वे इन प्राप्ति-आँकड़ों को पूरे ब्यौरे के साथ रिज़र्व बैंक को भेजती हैं, जो तब समेकित किये जाते हैं और प्रत्यक्ष निवेश आँकड़ों के संकलन के लिए उपयोग किये जाते हैं । कंपनियों द्वारा एडीआर/जीडीआर निर्गमों के माध्यम से जुटायी गयी राशि की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को की जाती है ।

रिज़र्व बैंक भी अलग से साप्ताहिक आधार पर अभिरक्षकों से एफआइआइ के खातों में वास्तविक अंतर्वाह और बहिर्वाह के ब्यौरे प्राप्त करता है। पुनर्निवेशित अर्जन और अन्य पूँजी के संबंध में आँकड़े एफडीआई कंपनियों के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं । ये भिन्न-भिन्न घटक तब अंतिम रूप से संकलित और समेकित किये जाते हैं, ताकि भारत में सकल विदेशी निवेश के संबंध में आँकड़े प्राप्त हो सकें।

5.3.5. अन्य पहलू

आरबीआई विदेशी निवेश के आँकड़े मासिक आधार पर आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश का घटकवार ब्यौरा दिया जाता है । प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होते हैं निम्नलिखित के माध्यम से अंतर्वाह (i) सरकारी मार्ग (एसआइए/एफआइपीबी), आरबीआई स्वचालित मार्ग,एनआरआई, शेयरों के अभिग्रहण और अनिगमित निकायों की इक्विटी पूँजी के माध्यम से इक्विटी, (ii) पुनर्निवेशित अर्जन और (iii) अन्य पूँजी । संविभाग निवेश में शामिल होते हैं : (i) जीडीआर/एडीआर, (ii) एफआइआइ और (iii) अपतटीय निधियाँ और अन्य ।

5.4. अनिवासी जमाराशियाँ

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को विशेष जमा योजनाओं - रुपया मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित, दोनों के अंतर्गत भारत में बैंक खाता खोलने और रखने की अनुमति दी जाती है। ऐसी जमाराशियों को एनआरआई जमाराशियाँ कहा जाता है । एनआरआई जमा खाता खोलने और रखने के प्रयोजनार्थ अनिवासी भारतीय और समुद्रपारीय कंपनी निकायों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :

- भारत के बाहर रोजगार/कारोबार या व्यवसाय या पेशा करने या परिस्थितियों के चलते विदेश में अनिश्चित अवधि तक ठहरने के लिए बाध्य कोई भारतीय नागरिक, जो भारत के बाहर रहता है और भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, जो भारत के बाहर रहता है, उसे अनिवासी भारतीय के रूप में परिभाषित किया जाता है ।संयुक्त राष्ट्र संगठनों में नियोजित व्यक्ति और केंद्र/राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेश में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त अधिकारियों को भी अनिवासी के रूप में माना जाता है ।

- भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में बैंक जमा और निवेश के अंतर्गत कुछ सुविधाओं के लिए एनआरआई के समकक्ष माना जाता है । 'भारतीय मूल का व्यक्ति' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका का नागरिक नहीं हो), जिसने किसी समय भारतीय पासपोर्ट रखा हो; या वह या उसके माता-पिता या पितामह भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57वाँ) के आधार पर भारत के नागरिक थे।

5.4.1. आँकड़ों का क्षेत्र विस्तार

एनआरआई जमाराशियों में शामिल होती हैं विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर(बी) और विदेशी मुद्रा (बाह्य) रुपया खाता (एनआर(ई)आरए) खाता के अंतर्गत जमाराशियाँ । पिछले आँकड़ों में एनआर(एनआर)आरडी शामिल था, जिसे 2002 में वापस ले लिया गया ।

एफसीएनआर (बी) विदेशी मुद्रा में नामित होते हैं । ये जमाराशियाँ एनआरआई द्वारा जमा की जा सकती हैं , इन्हें पाउंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, यूरो, जापानी येन, आस्ट्रेलियन डालर और कैनेडियन डालर में स्वीकार किया जाता है । एफसीएनआर (बी) जमाराशियाँ एक वर्ष और अधिक लेकिन दो वर्ष से कम अवधि के लिए, दो वर्ष और अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम और केवल तीन वर्ष के लिए स्वीकार की जाती हैं ।

दूसरी ओर (एनआर(ई)आरए) और एनआर(एनआर)आरडी रुपया मूल्यवर्गित जमा योजनाएँ हैं, जहाँ एनआरआई अपनी निधियों को मीयादी जमा और बचत खातों, दोनों में रख सकते हैं ।

5.4.2. लेखांकन परंपराएँ

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों का संकलन और प्रसार अमरीकी डालर में किया जाता है। एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए लेनदेन की इकाई (अमरीकी डालर) में परिवर्तन औसत मासिक विनिमय दर के आधार पर किया जाता है । एनआरई और एनआरएनआर जमाराशियों के आँकड़े पहले भारतीय रुपयों में संकलित किये जाते हैं और तब अमरीकी डालर में बदले जाते हैं । प्रत्येक महीने के अंत में स्टॉक आँकड़े की गणना संबंधित महीने के लिए अंत-अवधि विनिमय दर के आधार पर की जाती है । मासिक निवल प्रवाह आँकड़ों के संकलन के लिए उस माह के लिए औसत रुपया-डालर विनिमय दर का उपयोग संपरिवर्तन के लिए किया जाता है ।

5.4.3. मूलभूत आँकड़ा स्रोतों का स्वरूप

एनआरआई जमाराशियों के विविध घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मूलभूत स्रोत भारतीय रिज़र्व बैंक होता है ।

5.4.4. संकलन की प्रथाएँ

इस समय विद्यमान अनिवासी जमा योजनाओं के अंतर्गत मासिक बकाया जमाशेषों का संकलन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में प्राप्त बाह्य देयताओं के संबंध में पाक्षिक विवरण के आधार पर किया जाता

है। इन आँकड़ों में एडी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे गये मासिक विवरणों में प्राप्त जानकारी जोड़ी जाती है, ताकि परिपक्वता विन्यास को हिसाब लगाया जा सके और विविध जमाराशियों के शेषों की तुलना की जा सके ।

5.4.5. अन्य पहलू

एनआरआई जमाराशियों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में मासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं । इसे प्रत्येक तिमाही में बुलेटिन की भुगतान संतुलन सारणी में भी प्रकाशित किया जाता है।

5.5. भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश-स्थिति

किसी विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में, जैसेकि तिमाही के अंत या वर्ष के अंत में संकलित की गयी अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आइएनआइपी) किसी देश की बाह्य वित्तीय आस्तियों और देयताओं के स्टॉक का तुलनपत्र होती है । निवल आइएनआइपी (बाह्य आस्तियों का स्टॉक घटाव बाह्य देयताओं का स्टॉक) किसी अर्थव्यवस्था की देनदारी की तुलना में उसकी संपत्ति के बीच अंतर को दर्शाता है । विदेशी निवेश के स्तर में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी को प्रतिबिंबित करते हुए आइएनआइपी को आईएमएफ के विशेष आँकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) में शामिल किया गया है, ताकि शेष विश्व के साथ देश के आर्थिक संबंध का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख जानकारी दी जा सके । आइएनआइपी का संकल्पनात्मक ढाँचा आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल के पाँचवें संस्करण (बीपीएम5) में वर्ष 1993 में आरंभ किया गया । विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में मौजूद स्थिति वित्तीय लेनदेनों, मूल्यन परिवर्तन, और अन्य समायोजनों को प्रतिबिंबित करती है, जो उस अवधि में घटित हुई और जिसने आस्तियों और/या देयताओं के स्तर को प्रभावित किया ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक आधार पर आइएनआइपी आँकड़ों का प्रसार एसडीडीएस के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा निर्धारित फार्मैट के अनुसार किया जाता है। यह मैनुअल भारत के आइएनआइपी का संकलन करने के लिए अपनायी गयी विस्तृत संकलन क्रियाविधि प्रस्तुत करता है ।

5.5.1. अवधारणा

भुगतान संतुलन (बीओपी) और आइएनआइपी की अंतर्निहित अवधारणा एक ही है [संदर्भ बीपीएम5 (1993), बीओपी संकलन निर्देशिका (1995), बीओपी टेक्स्ट बुक (1996)] । किसी अर्थव्यवस्था में निवासियों और अनिवासियों के बीच लेनदेनों को बीओपी में तीन खातों में दिखाया जाता है, यथा, चालू खाता, पूँजीगत खाता और वित्तीय खाता । अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति अर्थव्यवस्था की बाह्य वित्तीय आस्तियों और देयताओं के स्टॉक का मापन करती है, बीओपी वित्तीय लेखा इस अवधि के दौरान इन आस्तियों और देयताओं में लेनदेनों का मापन करता है ।

5.5.2. आइएनआइपी के घटक : परिभाषा और वर्गीकरण

विदेशी आस्तियाँ और विदेशी देयताएँ

किसी देश द्वारा अनिवासी कंपनियों में किया गया अंतरराष्ट्रीय निवेश विदेशी आस्तियाँ बनाता है, जबकि अनिवासी कंपनियों से किसी देश द्वारा प्राप्त अंतरराष्ट्रीय निवेश इसकी विदेशी देयताएँ बनाता है। ये आस्तियाँ/देयताएँ मुख्यतः वित्तीय आस्तियाँ और वित्तीय देयताएँ होती हैं। आस्तियों को प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, वित्तीय डेरिवेटिव, अन्य निवेश और आरक्षित आस्तियों में विभाजित किया जाता है । देयताओं का विभाजन भी इसी प्रकार किया जाता है, सिवाय आरक्षित आस्तियों के, अर्थात्, प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, वित्तीय डेरिवेटिव और अन्य निवेश।

प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश

आईएमएफ मैनुअल के अनुसार अंतरराष्ट्रीय निवेशों को मोटे तौर पर पाँच कोटियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा, प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, वित्तीय डेरिवेटिव, अन्य निवेश और आरक्षित आस्तियाँ। प्रत्यक्ष निवेश अंतरराष्ट्रीय निवेश की वह कोटि होती है, जो एक अर्थव्यवस्था की निवासी कंपनी की दूसरी अर्थव्यवस्था के निवासी उद्यम में स्थायी हित प्राप्त करने के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है । प्रत्यक्ष निवेश में इक्विटी पूँजी, पुनर्निवेशित अर्जन, और अन्य पूँजी (अंतर-कंपनी ऋण) शामिल होती है । संबद्ध उद्यमों पर दावों और उनके प्रति देयताओं को अलग दर्शाया जाता है । 'स्थायी हित' पहलू का रूपांतर साधारण शेयर के धारण या मतदान के अधिकार में किया जाता है, जो आईएमएफ के निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक दस प्रतिशत होता है । अन्यथा निवेश को इक्विटी संविभाग निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

मैनुअल यह बताता है कि संविभाग निवेश में बांडों और नोटों के रूप में इक्विटी प्रतिभूतियाँ और ऋण प्रतिभूतियाँ, और मुद्रा बाजार लिखत शामिल होते हैं। ऊपर उल्लिखित जो लिखत प्रत्यक्ष निवेश और आरक्षित आस्तियों की कोटियों में शामिल किये जाते हैं, उन्हें संविभाग निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक लिखत के अंतर्गत संविभाग निवेश को संस्थागत निवासी क्षेत्रों द्वारा उप वर्गीकृत किया जाता है, यथा, मौद्रिक प्राधिकारी, सामान्य सरकार, बैंक और अन्य क्षेत्र ।

वित्तीय डेरिवेटिव

वित्तीय डेरिवेटिव वैसे वित्तीय लिखत होते हैं, जो दूसरे विशिष्ट वित्तीय लिखत, संकेतक या पण्य से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से विशिष्ट वित्तीय जोखिमों का लेनदेन वित्तीय बाजारों में उनके अपने ही अधिकार से किया जा सकता है । डेरिवेटिव चार संस्थागत निवासी क्षेत्रों, यथा, मौद्रिक प्राधिकारी, सामान्य सरकार, बैंक और अन्य क्षेत्र द्वारा वर्गीकृत किये जाते हैं। यहाँ सभी वित्तीय डेरिवेटिवों को शामिल किया जाता है, सिवाय आरक्षित आस्तियों के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये डेरिवेटिवों के।

अन्य निवेश

निवेशों की चौथी कोटि, यथा, 'अन्य निवेश' में इक्विटियों में निवेश से भिन्न निवेश और प्रतिभूतियाँ, यथा, व्यापार ऋण, ऋण, मुद्रा और जमाराशियाँ और अन्य आस्तियाँ/देयताएँ (यथा, अंतरराष्ट्रीय, गैर मौद्रिक संगठनों में पूँजीगत अभिदान और प्राप्य एवं प्रतिदेय विविध खाते) शामिल होते हैं । अन्य निवेश का क्षेत्र के अनुसार और अंततः मूल परिपक्वता (दीर्घावधि एवं अल्पावधि) के अनुसार भी वर्गीकरण किया जाता है।

उक्त मदों के लिए आँकड़ा स्रोतों पर विस्तृत चर्चा आईएमएफ द्वारा प्रकाशित आइएनआइपी निर्देशिका (2002) में उपलब्ध है ।

आरक्षित आस्तियाँ

आरक्षित आस्तियाँ वैसी विदेशी वित्तीय आस्तियाँ होती हैं, जो मौद्रिक प्राधिकारियों को भुगतान असंतुलन का वित्तपोषण करने या उसे नियमित करने के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध होती हैं और उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं ।

5.5.3. भारत के आइएनआइपी आँकड़ों का प्रसार

भारत आइएनआइपी से संबंधित आँकड़ों का प्रसार 1951 से ही करता रहा है । भारत के आइएनआइपी के संबंध में पहला अध्ययन, जिसका शीर्षक था ''सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स (30 जून 1948 को)'' भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1951 में प्रकाशित किया गया [आरबीआई (1951)] । तथापि, एसडीडीएस में भारत के अभिदान के साथ भारत आईएमएफ द्वारा

निर्धारित एसडीडीएस फार्मैट में आइएनआइपी आँकड़ों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हुआ। वर्तमान में, मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक आँकड़े उसी कैलेंडर वर्ष के सितंबर तक भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जाते हैं । आँकड़े एसडीडीएस के अंतर्गत निर्धारित फार्मैट के अनुसार जारी किये जाते हैं और अंत-मार्च 1997 से उपलब्ध हैं ।

5.5.4. संकलन की पद्धति/क्रियाविधि

आइएनआइपी का फार्मैट, जो आईएमएफ द्वारा निर्धारित होता है, अनुबंध 5.1 में प्रस्तुत किया गया है। इस समय आँकड़ों का संकलन करने के लिए दो विधियों का अनुसरण किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं :

- प्रत्यक्ष निवेश (डीआइ) आँकड़ों के मामले में बीओपी के आँकड़े पिछले वर्ष के स्टॉक मूल्य में जोड़े जाते हैं । अंतिम संकलन में आवश्यक विनिमय दर परिवर्तनों को हिसाब में लिया जाता है। डीआइ आस्ति के मामले में आँकड़ों को पहले अमरीकी डालर (यूएसडी) मूल्यों के आधार पर संकलित किया जाता है और तब उन्हें भारतीय रुपया मूल्यों में बदला जाता है । डीआइ देयताओं के मामले में आँकड़ों को पहले भारतीय रुपयों में संकलित किया जाता है और तब यूएसडी में बदला जाता है। आइएनआर की तुलना में यूएसडी की विनिमय दर, जो संदर्भ वर्ष के अंत-मार्च में होती है, का प्रयोग संपरिवर्तन के लिए किया जाता है। अंत-मार्च 1997 के संबंध में आँकड़े, जो एक सेंसस के माध्यम से संकलित किये गये थे, और 2000 में प्रकाशित किये गये थे, आधार मूल्य प्रदान करते हैं [आरबीआई(2000)]।
- बैंकों, सरकार और मौद्रिक प्राधिकारी से संबंधित आँकड़ों का संकलन प्रकाशित स्रोतों के आधार पर किया जाता है या तदनुकूल एजेंसियों से संगृहीत किया जाता है। यदि स्टॉक मूल्य के प्रकाशित आँकड़े यूएसडी और आइएनआर में उपलब्ध होते हैं (उदाहरणार्थ, आरक्षित निधियाँ, बाह्य ऋण, आदि), तो प्रकाशित जानकारी का उपयोग आइएनआइपी के लिए किया जाता है। यदि आंकड़े किसी एक मुद्रा में ही उपलब्ध हों तो आवश्यक संपरिवर्तन के लिए संदर्भ दर के आइएनआर की तुलना में मार्च के अंत के अमरीकी डॉलर की विनिमय दर का उपयोग किया जाता है।
- कंपनी क्षेत्र से संबंधित आँकड़े (प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश से भिन्न) सर्वेक्षण, अर्थात गैर वित्तीय कंपनियों, म्युचुअल फंडों, बीमा कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों के संबंध में सर्वेक्षण के आधार पर संकलित किये जाते हैं।

5.5.5. वर्तमान कार्यप्रणाली की सीमा

आइएनआइपी में दीर्घावधि में परिवर्तन चार कारणों से होते हैं, यथा, वित्तीय लेनदेन, कीमत और विनिमय दर परिवर्तन और अन्य समायोजन जैसाकि सारणी 5.1 में दर्शाया गया है।

इस समय कुछ मदें, यथा, आरक्षित निधियाँ, अनिवासी जमाराशियाँ, ऊपर उल्लिखित सभी परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए संकलित की जाती हैं। तथापि, अन्य सभी मदों के मामले में वित्तीय लेनदेनों और विनिमय दरों के कारण

सारणी 5.1 : आइएनआइपी में परिवर्तन

	परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में स्थिति	वित्तीय लेनदेन	कीमत परिवर्तन	विनिमय दर	अन्य समायोजनमूलक परिवर्तन	अवधि के अंत में स्थिति

होने वाले परिवर्तनों को ही हिसाब में लिया जाता है, क्योंकि कीमत परिवर्तन और अन्य समायोजनों के संबंध में जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं होती ।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए विविध घटकों के आँकड़ा स्रोत और संकलन क्रियाविधि सारणी 5.2 में दी गयी है ।

5.6. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में सांख्यिकी

भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सदस्य के रूप में सांविधिक और अंतरराष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए विदेशी

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
ए. आस्तियाँ			
1. विदेश में प्रत्यक्ष निवेश			
1.1 इक्विटी पूँजी और पुनर्निवेशित अर्जन	बीओपी सारणी : 43 (यूएसडी में) - नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	स्टॉक के संबंध में आधार आँकड़ों में, जो 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997; आरबीआई बुलेटिन अक्तूबर 2000' शीर्षक लेख में उपलब्ध हैं, निवल प्रवाह जोड़ा जाता है,	आरबीआई बुलेटिन प्रवाह संबंधी आँकड़ों के लिए (बीओपी आँकड़ों के संबंध में विवरण)
1.1.1 संबद्ध उद्यमों पर दावे		अनुपलब्ध	
1.1.2 संबद्ध उद्यमों के प्रति देयताएँ (-)		अनुपलब्ध	
1.2 अन्य पूँजी	बीओपी सारणी : 43 (यूएसडी में) - नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	स्टॉक के संबंध में आधार आँकड़ों में, जो 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997; आरबीआई बुलेटिन अक्तूबर 2000' शीर्षक लेख में उपलब्ध हैं, निवल प्रवाह जोड़ा जाता है	आरबीआई बुलेटिन प्रवाह संबंधी आँकड़ों के लिए
1.2.1 संबद्ध उद्यमों पर दावे		अनुपलब्ध	
1.2.2 संबद्ध उद्यमों के प्रति देयताएँ (-)		अनुपलब्ध	
2. संविभाग निवेश			
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियाँ	बीओपी सारणी : 43 (यूएसडी में) - नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	जैसाकि मद 1.1 और 1.2 के लिए उल्लिखित है	आरबीआई बुलेटिन प्रवाह संबंधी आँकड़ों के लिए
2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी		लागू नहीं	
2.1.2 सामान्य सरकार		लागू नहीं	
2.1.3 बैंक		अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विवरण (आइबीएस) (विवरण-II) मद 3.1 : अन्य आस्तियाँ:विदेश में इक्विटी में निवेश:स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी	आरबीआई बुलेटिन-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी पर लेख
2.1.4 अन्य क्षेत्र		2.1-2.1.3	

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन *(जारी)*

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
2.2 ऋण प्रतिभूतियाँ	–		
2.2.1 बांड और नोट			
2.2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी		लागू नहीं	
2.2.1.2 सामान्य सरकार		लागू नहीं	
2.2.1.3 बैंक	–	आईबीएस (विवरण II) मद 2.2. अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	आरबीआई बुलेटिन- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी पर लेख
2.2.1.4 अन्य क्षेत्र	.. पर लेख	सर्वेक्षण आँकड़े	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस)सांविकंसेवि (बीपीएसडी) द्वारा संचालित
2.2.2 मुद्रा बाजार लिखत			
2.2.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी		लागू नहीं	
2.2.2.2 सामान्य सरकार		लागू नहीं	
2.2.2.3 बैंक	–	आईबीएस (विवरण II) मद 2.1 ® विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	आरबीआई बुलेटिन- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी पर लेख
2.2.2.4 अन्य क्षेत्र	–	सर्वेक्षण आँकड़े	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) सांविकंसेवि (बीपीएसडी) द्वारा संचालित
3. वित्तीय डेरिवेटिव	–	अनुपलब्ध	
3.1 मौद्रिक प्राधिकारी			
3.2 सामान्य सरकार			
3.3 बैंक			
3.4 अन्य क्षेत्र			
4. अन्य निवेश	–	मद 4.1.2 के अनुसार	
4.1 व्यापार ऋण			
4.1.1 सामान्य सरकार		लागू नहीं	
4.1.1.1 दीर्घावधि			
4.1.1.2 अल्पावधि	–		
4.1.2 अन्य क्षेत्र			
4.1.2.1 दीर्घावधि		सर्वेक्षण के अनुसार	विदेशी देयताएं और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) सांविकंसेवि (बीपीएसडी) द्वारा संचालित

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन *(जारी)*

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
4.1.2.2 अल्पावधि	–		आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग) से संगृहीत: आँकड़े उन निर्यात प्राप्तियों के संबंध में हैं, जो कंपनी क्षेत्र द्वारा वसूले नहीं गये
4.2 ऋण			
4.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी		लागू नहीं	
4.2.1.1 दीर्घावधि			
4.2.1.2 अल्पावधि			
4.2.2 सामान्य सरकार			
4.2.2.1 दीर्घावधि		(1) विदेशी सरकारों को अग्रिम और (2) पाकिस्तान द्वारा देय विभाजन ऋण	मद (1) के संबंध में आँकड़े आरबीआई (आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग) द्वारा संकलित किये जाते हैं। मद (2) के संबंध में आँकड़े आरबीआई द्वारा प्रकाशित किये गये (सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997; आरबीआई बुलेटिन, अक्तूबर 2000)
4.2.2.2 अल्पावधि		अनुपलब्ध	
4.2.3 बैंक		बैंकों की आस्तियाँ और देयताएँ (बीएएल)(मद-5)	आरबीआई (सांविकंसेवि) द्वारा संकलित
4.2.3.1 दीर्घावधि		बैंकों की आस्तियाँ और देयताएँ (बीएएल)(मद-5)	आरबीआई (सांविकंसेवि) द्वारा संकलित
4.2.3.2 अल्पावधि		अनुपलब्ध	
4.2.4 अन्य क्षेत्र		सर्वेक्षण आँकड़े	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) आरबीआई (सांविकंसेवि) द्वारा संचालित
4.2.4.1 दीर्घावधि		लागू नहीं	
4.2.4.2 अल्पावधि		लागू नहीं	
4.3 करेंसी और जमाराशियाँ			

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन *(जारी)*

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
4.3.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
4.3.2 सामान्य सरकार		विदेश में भारतीय दूतावासों द्वारा धारित जमाशेष	आरबीआई (आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग)
4.3.3 बैंक		बीएएल-करेंसी (मद-1) + जमाराशियाँ (मद-2)	आरबीआई (सांविकंसेवि) द्वारा संकलित
4.3.4 अन्य क्षेत्र		सर्वेक्षण	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) आरबीआई (सांविकंसेवि) द्वारा संचालित
4.4 अन्य आस्तियाँ			
4.4.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
4.4.1.1 दीर्घावधि			
4.4.1.2 अल्पावधि			
4.4.2 सामान्य सरकार			
4.4.2.1 दीर्घावधि		संपरिवर्तन के बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अभिदानः वार्षिक रिपोर्ट	इसमें शामिल हैं एएफडी, आइएफसी, आइडीए,आइबी-आरडी, एमआइजीए,एडीबी। आँकड़े संबंधित वेबसाइटों से संगृहीत किये जाते हैं
4.4.2.2 अल्पावधि		लागू नहीं	
4.4.3 बैंक			
4.4.3.1 दीर्घावधि		(1) भारतीय बैंकों की समुद्रपार शाखाओं के समेकित तुलनपत्र (देयताएँःप्रधान कार्यालय, अर्थात् एचओ फंड) और (2) बीएएल [वोस्त्रो(नामे)]	मद (1) आरबीआई (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) से मद (2) आरबीआई (सांविकंसेवि) द्वारा संकलित
4.4.3.2 अल्पावधि		अनुपलब्ध	
4.4.4 अन्य क्षेत्र		सर्वेक्षण : एलआइसी, बीमा, म्युचुअल फंड, कंपनी	विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) आरबीआई(सांविकंसेवि) द्वारा संचालित
4.4.4.1 दीर्घावधि		तदैव	तदैव
4.4.4.2 अल्पावधि		तदैव	तदैव
5. आरक्षित आस्तियाँ			
5.1 मौद्रिक स्वर्ण		आँकड़े आरबीआई द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं	आरबीआई, आरबीआई बुलेटिन (सारणी 4.4)
5.2 विशेष आहरण अधिकार		तदैव	तदैव

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन *(जारी)*

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
5.3 कोष में आरक्षित निधि की स्थिति		तदैव	तदैव
5.4 विदेशी मुद्रा		तदैव	तदैव
5.4.1 करेंसी और जमाराशियाँ		अंतरराष्ट्रीय रिज़र्व्ज पर डाटा टेम्प्लेट	आइएमएफ का एसडीडीएस साइट (भारत से संबंधित पृष्ठ)
5.4.1.1 मौद्रिक प्राधिकारियों के पास		तदैव	तदैव
5.4.1.2 बैंकों के पास		तदैव	तदैव
5.4.2 प्रतिभूतियाँ		तदैव	तदैव
5.4.2.1 इक्विटी			
5.4.2.2 बांड और नोट			
5.4.2.3 मुद्रा बाजार लिखत			
5.4.3 वित्तीय डेरिवेटिव (निवल)			
5.5 अन्य दावे			
बी. देयताएँ			
1. रिपोर्ट की जानेवाली अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष निवेश			
1.1 इक्विटी पूँजी और पुनर्निवेशित अर्जन	बीओपी सारणी 42 (भारतीय रुपयों में)- नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	निवल प्रवाह को स्टॉक में जोड़ा जाना है; आधार आँकड़े 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997, में उपलब्ध हैं	आरबीआई बुलेटिन, अक्तूबर 2000
1.1.1 प्रत्यक्ष निवेशकों पर दावे (-)		अनुपलब्ध	
1.1.2 प्रत्यक्ष निवेशकों के प्रति देयताएँ		अनुपलब्ध	
1.2 अन्य पूँजी	बीओपी सारणी 42 (भारतीय रुपयों में)- नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	निवल प्रवाह को स्टॉक में जोड़ा जाना है; आधार आँकड़े 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997, में उपलब्ध हैं	आरबीआई बुलेटिन, अक्तूबर 2000
1.2.1 प्रत्यक्ष निवेशकों पर दावे (-)		अनुपलब्ध	
1.2.2 प्रत्यक्ष निवेशकों के प्रति देयताएँ $$$		अनुपलब्ध	
2. संविभाग निवेश			
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियाँ			
2.1.1 बैंक @@			
2.1.2 अन्य क्षेत्र $$	बीओपी सारणी 42 (भारतीय रुपयों में)- नवीनतम (यथाप्रासंगिक)	निवल प्रवाह को स्टॉक में जोड़ा जाना है; आधार आँकड़े 'सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997, में उपलब्ध हैं	आरबीआई बुलेटिन, अक्तूबर 2000

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन *(जारी)*

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
2.2 ऋण प्रतिभूतियाँ			
2.2.1 बांड और नोट			
2.2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
2.2.1.2 सामान्य सरकार		अनिवासी सरकार (एनआरजी) (प्रयोजन कूट'02')	आरबीआई (सांविकंसेवि)
2.2.1.3 बैंक		बाह्य ऋण- Vख) प्रतिभूतिकृत उधार (केवल एफसीसीबी)	बाह्य ऋण सांख्यिकी
2.2.1.4 अन्य क्षेत्र ##		भारत का बाह्य ऋण- Vख) प्रतिभूतिकृत उधार (केवल एफसीसीबी)	बाह्य ऋण सांख्यिकी; आरबीआई
2.2.2 मुद्रा बाजार लिखत			
2.2.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
2.2.2.2 सामान्य सरकार (डिसैक्स)		एनआरजी (खजाना बिल)	आरबीआई द्वारा संकलित
2.2.2.3 बैंक		शून्य	
2.2.2.4 अन्य क्षेत्र		शून्य	
3. वित्तीय डेरिवेटिव		शून्य	
3.1 मौद्रिक प्राधिकारी			
3.2 सामान्य सरकार			
3.3. बैंक			
3.4 अन्य क्षेत्र			
4. अन्य निवेश			
4.1 व्यापार ऋण			
4.1.1 सामान्य सरकार			
4.1.1.1 दीर्घावधि		द्विपक्षीय ऋणों का निर्यात ऋण घटक - भारत का बाह्य ऋण	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ
4.1.1.2 अल्पावधि		अनुपलब्ध	
4.1.2 अन्य क्षेत्र			
4.1.2.1 दीर्घावधि		भारत का बाह्य ऋण - आपूर्तिकर्ता का ऋण +प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए निर्यात ऋण	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ
4.1.2.2 अल्पावधि		भारत का बाह्य ऋण:अन्य:व्यापार संबद्ध (छह महीनों से अधिक का अल्पावधि ऋण)	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन *(जारी)*

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
4.2 ऋण			
4.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी			
4.2.1.1 निधि का ऋण एवं कोष से प्राप्त ऋण का उपयोग		अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आइएफएस): पृष्ठ 534: भारत: एसडीआर को छोड़कर कुल कोष ऋण और बकाया ऋण	आईएमएफ
4.2.1.2 अन्य दीर्घावधि		शून्य	
4.2.1.3 अल्पावधि		शून्य	
4.2.2 सामान्य सरकार			
4.2.2.1 दीर्घावधि		भारत का बाह्य ऋण - बहुपक्षीय (ए)+ द्विपक्षीय (ए)+रुपया कर्ज	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ
4.2.2.2 अल्पावधि		शून्य	
4.2.3 बैंक		शून्य	
4.2.3.1 दीर्घावधि		भारत का बाह्य ऋण [बहुपक्षीय ® गैर सरकारी - ® गैर रियायती ® वित्तीय संस्थाएँ + द्विपक्षीय ® गैर सरकारी (रियायती ® वित्तीय संस्थाएँ + गैर रियायती ® वित्तीय संस्थाएँ)]	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ
4.2.3.2 अल्पावधि		शून्य	
4.2.4 अन्य क्षेत्र			
4.2.4.1 दीर्घावधि **		भारत का बाह्य ऋण-[बहुपक्षीय ® गैर सरकारी ® गैर रियायती ® क) सार्वजनिक क्षेत्र + ख) निजी क्षेत्र)] + [द्विपक्षीय ® गैर सरकारी ® रियायती ® (निजी+सार्वजनिक क्षेत्र)+द्विपक्षीय-> गैर सरकारी ® गैर रियायती ® (निजी+ सार्वजनिक क्षेत्र)] + क्रेता का ऋण+वाणिज्यिक बैंकिंग ऋण + ऋण/प्रतिभूतिकृत उधार, आदि बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारंटी और आइएफसी(डब्लू) के साथ - ईसीबी (एफडीआई घटक ईसीबी अनुभाग से संगृहीत)	बाह्य ऋण सांख्यिकी, एमओएफ, जीओआइ। आरबीआई (सांविकंसेवि)
4.2.4.2 अल्पावधि		शून्य	
4.3 मुद्रा और जमाराशियाँ			
4.3.1 मौद्रिक प्राधिकारी		एनआरजी (प्रयोजन '01')	आरबीआई (सांविकंसेवि) द्वारा संकलित
4.3.2 सामान्य सरकार		शून्य	

सारणी 5.2 : अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए दिशानिर्देशों का संकलन *(समाप्त)*

	प्रवाह	स्टॉक्स	स्रोत
4.3.3 बैंक @		भारत का बाह्य ऋण-एनआरआइ एवं एफसी जमाराशियाँ + एनआरआइ जमाराशियाँ 1 वर्ष तक	बाह्य ऋण सांख्यिकी
4.3.4 अन्य क्षेत्र		शून्य	
4.4 अन्य देयताएँ			
4.4.1 मौद्रिक प्राधिकारी		शून्य	
4.4.1.1 दीर्घावधि			
4.4.1.2 अल्पावधि			
4.4.2 सामान्य सरकार		शून्य	
4.4.2.1 दीर्घावधि			
4.4.2.2 अल्पावधि			
4.4.3 बैंक			
4.4.3.1 दीर्घावधि		शून्य	
4.4.3.2 अल्पावधि		बीएएल नोस्त्रो (नामेः कोड (भारतीय रुपये में बदलें और तब यूएसडी में संदर्भ वर्ष के अंत-मार्च विनिमय दर के साथ)	आरबीआई (सांविकंसेवि) द्वारा संकलित
4.4.4 अन्य क्षेत्र	सर्वेक्षण		विदेशी देयताएँ और आस्ति सर्वेक्षण (एफएलएएस) आरबीआई(सांविकंसेवि) द्वारा संचालित
4.4.4.1 दीर्घावधि			
4.4.4.2 अल्पावधि			

$$: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और संविभाग निवेश को कीमत परिवर्तन के लिए समायोजित नहीं किया जाता

$$$: प्रत्यक्ष निवेशकर्ता और प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के बीच सभी देयताओं (इक्विटी से भिन्न) को अन्य पूँजी के रूप में माना जाता है।

@ : प्रोद्भूत ब्याज शामिल है । 1997-2001 से अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय जमाराशियाँ शामिल नहीं हैं ।

** : क्रेता का ऋण शामिल है । प्रत्यक्ष निवेशकर्ता और प्रत्यक्ष निवेश उद्यम के बीच ऋण-लेनेदन को अन्य पूँजी के रूप में माना जाता है ।

@@ : अनिवासियों द्वारा बैंकों में इक्विटी निवेश एफडीआई के अंतर्गत शामिल ।

संदर्भ : आरबीआई सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाएबिलिटीज एंड एसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997; आरबीआई बुलेटिन (अक्तूबर 2000), (2000)

मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में आँकड़ों का प्रकाशन करता रहा है । विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में आँकड़े इसके विविध प्रकाशनों में निर्धारित अंतरालों पर और/या इसके आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर देशी तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों तथा अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

5.6.1. भारत की अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों की अवधारणाएँ

भारत की अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों की अवधारणा आईएमएफ के भुगतान संतुलन मैनुअल, पाँचवाँ संस्करण,अध्याय XXI के अनुरूप है । ये आरक्षित निधियाँ घरेलू विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप के प्रयोजनार्थ सरकार को विदेशी मुद्रा चलनिधि प्रदान करने और घरेलू मुद्रा के समर्थन के लिए रखी जाती हैं ।

आँकड़ों का वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण इन शीर्षों में किया जाता है ।

5.6.2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की अवधारणा और परिभाषा

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ निम्नलिखित घटकों से बनती हैं :

i. विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एफसीए)

ii. स्वर्ण

iii. विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)

iv. आईएमएफ में आरक्षित अंश स्थिति (आरटीपी)

भारतीय रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जो इसके तुलनपत्र में प्रतिबिंबित होता है, जबकि विशेष आहरण अधिकार और आईएमएफ में आरक्षित अंश स्थिति भारत सरकार की बहियों में प्रतिबिंबित होते हैं । एसडीआर और आरटीपी, जो सरकार की बहियों में तो उल्लिखित होते हैं, लेकिन रिज़र्व बैंक (मौद्रिक अधिकारी) को उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में शामिल किये जाते हैं।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का अभिनियोजन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है । मोटे तौर पर एफसीए में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

i. विविध केंद्रीय बैंकों के पास रखे नोस्त्रो खातों में नकदी शेष

ii. निम्नलिखित के पास जमाराशियाँ

   क. केंद्रीय बैंक

   ख. विदेशी वाणिज्य बैंक

   ग. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

   घ. अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक

iii. खजाना बिल - सरकार

iv. प्रतिभूतियाँ और बांड (विदेशी प्रतिभूतियाँ) - सरकार और अधिराष्ट्र

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र में निम्नलिखित रूप में प्रतिबिंबित होती हैं :

i. विदेशी प्रतिभूतियाँ (निर्गम विभाग का तुलनपत्र)

ii. विदेश में धारित जमाशेष

iii. निवेश

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों या आरक्षित आस्तियों की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ये उन बाह्य आस्तियों से बनती हैं, जो मौद्रिक प्राधिकारी को भुगतान असंतुलनों का प्रत्यक्ष वित्तपोषण करने, मुद्रा विनिमय दर को प्रभावित कर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के जरिये ऐसे असंतुलनों को अप्रत्यक्ष रूप से नियमित करने के लिए और/या अन्य प्रयोजनों

के लिए आसानी से उपलब्ध होती हैं और उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं । आरक्षित आस्तियों की कोटि, जैसाकि मैनुअल में परिभाषित है, में समाविष्ट होते हैं मौद्रिक स्वर्ण, आईएमएफ का विशेष आहरण अधिकार, आईएमएफ के पास आरटीपी, विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (जो मुद्रा एवं जमाराशियों और प्रतिभूतियों से बनती हैं), और अन्य दावे । जो प्रतिभूतियाँ आरक्षित आस्तियों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश में शामिल किया जाता है ।

विदेशी मुद्रा या मुद्रा आस्तियों में शामिल होते हैं मौद्रिक अधिकारियों के अनिवासियों पर दावे, जो ईसीयू, करेंसी बैंक जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य बांडों एवं नोटों, मुद्रा बाजार लिखतों, वित्तीय डेरिवेटिवों, इक्विटी प्रतिभूतियों के रूप में होते हैं और गैर विपणनयोग्य दावे, जो केंद्रीय बैंकों या सरकारों के बीच की गयी व्यवस्था के कारण बनते हैं । (विदेशी मुद्रा में वे दावे शामिल होते हैं, जिन्हें आईएमएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय चलनिधि शृंखला के लिए विदेशी मुद्रा घटक के रूप में दर्शाया जाता है)।

मौद्रिक स्वर्ण वह स्वर्ण होता है, जो प्राधिकारियों द्वारा (या उनके द्वारा, जिन पर प्राधिकारियों का कारगर नियंत्रण होता है) स्वाधिकृत होता है और आरक्षित आस्ति के रूप में धारित होता है । अन्य स्वर्ण (गैर मौद्रिक स्वर्ण, संभवतः उन प्राधिकारियों द्वारा, जो मौद्रिक स्वर्ण पर स्वामित्व रखते हैं, व्यापारिक प्रयोजनों के लिए धारित वाणिज्यिक स्टॉक सहित), जिस पर किसी कंपनी का स्वामित्व होता है, को इस मैनुअल में किसी अन्य वस्तु के रूप में माना गया है। मौद्रिक स्वर्ण का लेनदेन केवल मौद्रिक प्राधिकारियों और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में उनके प्रतिरूप के बीच या मौद्रिक प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठनों के बीच किया जाता है । एसडीआर की तरह मौद्रिक स्वर्ण आरक्षित आस्ति होता है, जिसके लिए कोई बकाया वित्तीय देयता नहीं होती है ।

आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्तियाँ होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अन्य आरक्षित आस्तियों के अनुपूरक के रूप में सृजित किये जाते हैं और जिन्हें आवधिक आधार पर आईएमएफ के सदस्यों को उनके अपने-अपने कोटा के अनुपात में आबंटित किया जाता है । एसडीआर को कोष की देयता नहीं माना जाता है, और आइएमएफ के जिन सदस्यों को एसडीआर आबंटित किये जाते हैं, उनका एसडीआर आबंटन की चुकौती करने की वास्तविक (शर्तरहित) देयता नहीं होती है । कोष प्रतिदिन एसडीआर के मूल्य को निर्धारित करता है, जिसके लिए मुद्राओं के भारित समूह के मूल्यों को - जो बाजार विनिमय दरों पर आधारित होते हैं - अमरीकी डालर में जोड़ा जाता है । मुद्रा समूह और भारांक में समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं । एसडीआर का उपयोग अन्य सदस्यों की मुद्राओं (विदेशी मुद्रा) को अर्जित करने के लिए किया जा सकता है, ताकि वित्तीय दायित्वों का निपटान किया जा सके और ऋण दिये जा सकें । मौद्रिक प्राधिकारियों के एसडीआर धारण में परिवर्तन निम्नलिखित के माध्यम से हो सकते हैं : (i) कोष या कोष के एसडीआर विभाग के अन्य प्रतिभागियों या अन्य धारकों को एसडीआर के भुगतान या एसडीआर की प्राप्ति में शामिल लेनदेन, अथवा (ii) आबंटन या निरसन । जिन लेनदेनों को (i) में गिनाया गया है, उन्हें भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है; आबंटन या निरसन को भुगतान संतुलन में दर्ज नहीं किया जाता है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति में प्रतिबिंबित होते हैं ।

आईएमएफ सदस्य की आरक्षित अंश स्थिति की परिभाषा सदस्य की आईएमएफ के सामान्य संसाधन लेखा में स्थिति के रूप में दी जाती है, जिसे आरक्षित आस्तियों की कोटि के अंतर्गत रिकार्ड किया जाता

है। सदस्य की आरक्षित स्थिति उन आरक्षित अंश क्रयों की रकम होती है, जिसे सदस्य आहरित कर सकता है और कोष की कोई ऋणग्रस्तता (किसी ऋण करार के अंतर्गत) होती है, जो सदस्य को आसानी से प्रतिदेय हो । आरक्षित अंश क्रय कोष से अन्य मुद्राओं के किये गये क्रय होते हैं, जो किसी सदस्य की मुद्रा के कोष धारणों को उनके कोटा से अधिक होने का (घटाव वे धारण, जो सदस्य के निधि ऋण उपयोग को प्रतिबिंबित करते हैं) कारण नहीं बनते । कोष से किये गये किसी क्रय को विदेशी मुद्रा धारणों में वृद्धि और कोष में सदस्य की आरक्षित स्थिति में ह्रास के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है; पुनर्क्रय को क्रमशः ह्रास और वृद्धि के रूप में रिकार्ड किया जाता है। आरक्षित अंश में क्रयों को कोष ऋण के उपयोग के रूप में नहीं माना जाता, वे किसी प्रभार के अधीन नहीं होते हैं और उनके लिए पुनर्क्रय की जरूरत नहीं होती है। आरटीपी, जिसे 23 मई 2003 से ज्ञापन मद के रूप में दिखाया जाता है, को आरक्षित निधियों में 2 अप्रैल 2004 के सप्ताहांत से शामिल किया जाता है ।

5.6.3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का विशेष आँकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) - अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियाँ और विदेशी मुद्रा चलनिधि आँकड़ा टेम्प्लेट

एसडीडीएस की स्थापना 1996 में उन देशों का मार्गदर्शन करने के लिए की गयी थी, जो जनता[1] में आर्थिक एवं वित्तीय आँकड़ों का प्रसार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजार में पहुँच रखते हैं या पहुँचना चाहते हैं । यह साइट उन सदस्य देशों द्वारा, जो एसडीडीएस में अभिदान करते हैं, प्रसारित आर्थिक एवं वित्तीय आँकड़ों के बारे में जानकारी देता है।[1]

रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 1996 से एसडीडीएस में अभिदान करना आरंभ किया । डीएसबीबी - डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स बुलेटिन बोर्ड - पर मेटाडाटा 30 अक्तूबर 1997 को दर्ज किया गया । रिज़र्व बैंक ने मेटाडाटा में पूरी तरह 14 दिसंबर 2001 को अभिदान किया गया । आईएमएफ की अपेक्षा है कि पब्लिक डोमेन में डाटा नियमित अंतरालों पर उपलब्ध होना चाहिए। रिज़र्व बैंक इस डाटा का प्रकाशन अपने प्रकाशनों में करता है। रिज़र्व बैंक अपने वेबसाइट पर भी एसडीडीएस अपेक्षाओं के अनुसार इन डाटा कोटियों के लिए रिलीज कैलेंडरों का अग्रिम डिसेमिनेशन प्रकाशित करता है ।

5.6.3.1. व्याप्ति लक्षण

आरक्षित निधियों से संबंधित दो प्रकाशन हैं, अर्थात्, डब्लूएसएस के तहत फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व और दि डाटा टेम्प्लेट ऑन इंटरनेशनल रिज़र्व्स एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी एसडीडीएस के तहत । डब्लूएसएस के अंतर्गत विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (जिनमें आरबीआई द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियाँ और स्वर्ण तथा आईएमएफ के पास एसडीआर और आरटीपी समाविष्ट हैं) के संबंध में आँकड़ों का प्रसार अमरीकी डालर (मिलियन) में और भारतीय रुपयों (करोड़, जहाँ एक करोड़ = 10 मिलियन) में किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों और विदेशी मुद्रा चलनिधि के संबंध में डाटा टेम्प्लेट के अंतर्गत केवल अमरीकी डालर (मिलियन) में किया जाता है ।

5.6.3.2. आवधिकता

आँकड़े विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के लिए साप्ताहिक आधार पर जारी किये जाते हैं (सप्ताहांत में) तथा अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों तथा विदेशी मुद्रा चलनिधि के संबंध में डाटा टेम्प्लेट के लिए मासिक आधार पर (मास के अंत में) जारी किये जाते हैं ।

5.6.3.3. समयनिष्ठता

आँकड़े विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के लिए संदर्भ सप्ताहांत के एक सप्ताह के बाद और अंतरराष्ट्रीय

[1] http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddshome

आरक्षित निधियों एवं विदेशी मुद्रा चलनिधि के संबंध में डाटा टेम्प्लेट के लिए संदर्भ मासान्त के एक महीने बाद जारी किये जाते हैं ।

5.6.4. आँकड़ों की अखंडता और गुणवत्ता

आधिकारिक सांख्यिकी के प्रसार की शर्तों में वे शर्तें शामिल हैं, जो अलग-अलग अभिज्ञेय जानकारी की गोपनीयता से संबंध रखती हैं । आँकड़ों का संकलन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(1) के अनुसार किया जाता है, जिसमें यह अपेक्षा की गयी है कि आरबीआई निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग का साप्ताहिक लेखा विवरण केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत करे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है और सरकारी प्रकाशन बेचने वाले पुस्तक भंडारों, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइंस, दिल्ली - 110006, भारत से मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है । अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनता की सेवा के रूप में प्रसारित किये जाते हैं।

आँकड़ों का संकलन आईएमएफ के 'भुगतान संतुलन मैनुअल' के 5वें संस्करण के अनुसार किया जाता है । संकलन के लिए प्रयोग की गयी पद्धति मासिक 'भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन' की पादटिप्पणियों में बतायी गयी है और इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी के डाटा टेम्प्लेट में बतायी गयी है।

5.6.5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों या आस्तियों का प्रसार

देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों से संबंधित सांख्यिकी का प्रसार रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रकाशनों और आवृत्ति में किया जाता है ।

- साप्ताहिक अंतरालों पर (सारणी 2 में) वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट (डब्लूएसएस) में एक सप्ताह के समयांतर पर प्रत्येक सप्ताहांत में । आँकड़े भारतीय रुपयों में और अमरीकी डालर में प्रस्तुत किये जाते हैं । आँकड़ों में पिछले सप्ताह, पिछले दिसंबर और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत की तुलना में आरक्षित आस्तियों (घटकवार) में घट-बढ़ शामिल की जाती है ।
- मासिक अंतरालों पर (सारणी सं.44 में) भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में; आँकड़ों में आरक्षित आस्तियों (घटकवार) के वर्तमान और ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों के लिए माहवार स्थिति को शामिल किया जाता है । कार्य-टिप्पणियाँ बुलेटिन के 'सारणियों के संबंध में टिप्पणियाँ' के अंतर्गत इंगित होती हैं ।
- विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में साप्ताहिक, मासिक, तिमाही और वार्षिक आँकड़े भी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनामी (सारणी 154; सारणी 197 और सारणी 201) में प्रकाशित किये जाते हैं । पहले इन आँकड़ों को मुद्रा और वित्त के संबंध में रिपोर्ट, खंड II में चालू और पिछले वर्षों के लिए प्रकाशन के संदर्भाधीन शामिल किया जाता था ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की 'वार्षिक रिपोर्ट' में पिछले तीन वर्षों के लिए समय शृंखला आँकड़े:विदेशी मुद्रा आस्तियों, स्वर्ण, एसडीआर तथा आईएमएफ के पास आरटीपी के संबंध में प्रकाशित किए जाते हैं।

5.7. भारतीय रुपये की नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (नीर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर)

नीर और रीर के सूचकांकों को अक्सर बाह्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संकेतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन सूचकांकों को क्रयशक्ति समता सिद्धांत से निकाला जाता है। नीर अपने देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा में द्विपक्षीय नाममात्र विनिमय दरों का भारित औसत

होता है। रीर भारत और उसके व्यापारिक भागीदार के बीच स्फीतिकारी विभेद के लिए समायोजित नीर का भारित औसत होता है। सामान्यतः किसी देश को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की तुलना में घरेलू अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों, जैसेकि स्फीतिकारी विभेद और अन्य विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के प्रति अपनी विनिमय दर (नियत विनिमय दर के मामले में) समायोजित करना पड़ता है या विनिमय दर स्वयं अपना समायोजन कर लेती है (नमनीय विनिमय दर के मामले में)।

भारतीय रुपये की नाममात्र और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (नीर और रीर) में उतार-चढ़ाव के संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है । हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर भारतीय रिज़र्व बैंक का यह स्वीकृत रुख रहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक विनिमय दर में अल्पावधि उतार-चढ़ाव के प्रबंधन में रीर को एक कारगर साधन नहीं मानता है । चूँकि आधार वर्ष, भारांक और कीमतों को चुनने के संबंध में कुछ मनमानापन है, अतः रीर का प्रयोग किसी खास समय में विनिमय दरों के स्तरों की तुलना में किसी अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव का पता करने के लिए किया जा सकता है ।

रीर में उतार-चढ़ाव कई प्रकार से प्रभावित होते हैं, जिनमें पूँजी प्रवाह शामिल हैं, और रीर का अनुमान लगाया जाना अनेक पद्धतिमूलक मुद्दे उठाता है, उदाहरणार्थ, मुद्रा समूह का चयन, आधार वर्ष का चयन, भारांक और मूल्य सूचकांक का चयन । फिर भी, अंततोगत्वा यह सूचकांक विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और स्फीतिकारक विभेदकों की तुलना में रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी हो सकता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी संचार नीति के भाग के रूप में और अनुसंधानकर्ताओं एवं विश्लेषकों की सहायता के लिए नीर और रीर का पाँच देशीय और छत्तीस देशीय सूचकांक निर्मित करता रहा है । पाँच देशीय (अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यू.के.) नीर और रीर, जो त्वरित सूचकांक होता है, भारतीय रिज़र्व बैंक (बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआइओ) द्वारा जुलाई 1998 में जारी किया गया था और प्रत्येक माह भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता था । इसके अतिरिक्त 5-देशीय नीर और रीर रुपये की विनिमय दर में नाममात्र और वास्तविक उतार-चढ़ाव पर निकट निगरानी रखने के लिए दैनिक आधार पर निर्मित किये जाते थे । भारत के परिवर्तनशील व्यापार पैटर्न, जिसने 5-देशीय नीर/रीर के मामले में नियत व्यापार भारांक को कालदोषी बना दिया और समस्त यूरो क्षेत्र के लिए 1 जनवरी 2002 से एकल यूरो नोट और सिक्कों को लागू किये जाने से मौजूदा राष्ट्रीय मुद्राओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिनमें से कुछ भारतीय रिज़र्व बैंक के नीर/रीर के मौजूदा सूचकांक के भाग होते थे, के लिए यह आवश्यक हो गया कि मुद्राओं के संशोधित सेट और नये भारांकों के साथ नीर/रीर की नयी श्रृंखला की गणना की संभावना का पता लगाया जाये। दिसंबर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीर/रीर के अपने मौजूदा 5-देशीय सूचकांकों को नए छह मुद्रा सूचकांकों से प्रतिस्थापित किया। इसने नीर/रीर के अपने छत्तीस देशीय सूचकांकों को भी संशोधित किया और उनके स्थान पर नये छत्तीस मुद्रा सूचकांकों को आरंभ किया ।

नये छह मुद्रा सूचकांकों में यूएसए, यूरो क्षेत्र, यूके, जापान, चीन और हांगकांग एसएआर शामिल हैं। नये सूचकांकों में दो नयी मुद्राएँ हैं - दोनों ही एशियाई - चीनी रेन्मिन्बी और हांगकांग डालर। वर्तमान 5-देशीय श्रृंखला में दो मुद्राएँ, यथा, फ्रेंच फ्रैंक और ड्यूश मार्क को नये सूचकांकों में यूरो से प्रतिस्थापित किया गया है। चीन और हांगकांग एसएआर भारत के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार बन गये हैं और ये दोनों मिलकर 2004-05 में भारत के विदेश व्यापार के लगभग 9 प्रतिशत के लिए जवाबदेह थे। छह देश/क्षेत्र, जिनका प्रतिनिधित्व छह मुद्राएँ करती हैं, एक साथ मिलकर 2004-05 में

भारत के कुल विदेश व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत के लिए जवाबदेह थे, जबकि मौजूदा 5-देशीय सूचकांक के मामले में वे भारत के कुल विदेश व्यापार के लगभग 22 प्रतिशत हिस्से के लिए जवाबदेह थे। भारत के विदेश व्यापार में चीन का हिस्सा, जो 1991-92 में नगण्य 0.19 प्रतिशत था, वह 2004-05 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि विशेषतः पिछले 4 वर्षों के दौरान हुई है। आने वाले वर्षों में चीन भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरकर आने वाला है और वह भारत का बड़ा प्रतिद्वन्द्वी भी बनेगा। इस प्रकार चीन को सम्मिलित किया जाना सीमित रूप में तीसरें पक्ष देश की प्रतिद्वन्द्विता का ध्यान रखता है। चीनी रेन्मिन्बी (आरएमबी) भविष्य में महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि चीन ने अपने विनिमय दरों को लचीला बनाने के लिए पहले ही 21 जुलाई 2005 को कुछ कदम उठाये हैं। इस प्रकार चीन को नीर/रीर के नये 6-मुद्रा सूचकांकों में शामिल किया जाना सार्थक लगता है। नये सूचकांकों में हांगकांग को शामिल किया जाना मुख्य भूमि चीन से व्यापार पर ध्यान रखता है, जो हांगकांग होकर किया जाता है। चीन और हांगकांग एसएआर के समावेशन से मौजूदा 5-देशीय सूचकांकों में शामिल देशों के साथ भारत के कुल व्यापार के ह्रासमान हिस्से की समस्या का भी ध्यान रखा जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से शेष एशिया के साथ बढ़ते एकीकरण को भी प्रतिबिंबित किया जाता है।

5.7.1. कार्यप्रणाली संबंधी टिप्पणी

5.7.1.1. परिभाषा

छह मुद्रा व्यापार आधारित नीर और रीर दैनिक और मासिक आधार पर निर्मित किये जाते हैं । चुनी गयी मुद्राएँ हैं अमरीकी डालर,यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, चीनी रेन्मिन्बी और हांगकांग डालर ।

नीर : नीर अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में द्विपक्षीय नाममात्र विनिमय दर का भारित ज्यामितिक औसत होता है । सूत्र के रूप में,

$$NEER = \prod_{i=1}^{6} (e/e_i)^{w_i}$$

रीर : रीर नीर का भारित औसत होता है, जो विदेशी मुद्रा स्फीति दर में घरेलू मुद्रा स्फीति दर के अनुपात द्वारा समायोजित होता है । सूत्र के रूप में

$$REER = \prod_{i=1}^{6} [(e/e_i)\ (P/P_i)\ ]^{w_i}$$

जहाँ
- e : एक मूल्यमान (एसडीआर) पर रुपये की विनिमय दर (अर्थात्, एसडीआर प्रति रुपया)
  (सूचकांक रूप में)
- e_i : करेंसी i की विनिमय दर मूल्यमान (एसडीआर) पर (अर्थात् एसडीआर प्रति करेंसी i)
  (i = अमरीकी डालर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, चीनी रेन्मिन्बी और हांगकांग डालर)
- w_i : सूचकांक में मुद्रा/देश i से संबद्ध भारांक
- P : भारत का थोक मूल्य सूचकांक (सूचकांक रूप में)
- P_i : देश i का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सूचकांक रूप में)

5.7.1.2. भारांक योजना

मौजूदा पाँच देशीय सूचकांकों में नियत व्यापार भारांकों का प्रयोग किया जाता है, जो 1992-93 से 1996-97 तक की 5 वर्षों की अवधि के दौरान सूचकांक में शामिल देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के औसत पर आधारित हैं । नये सूचकांकों में वर्तमान नियत व्यापार भारांकों के स्थान

पर 3-वर्षीय सचल औसत व्यापार भारांकों का प्रयोग किया जायेगा, ताकि भारत के अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ विदेश व्यापार का परिवर्तनशील पैटर्न प्रतिबिंबित हो सके ।

भारांकों का निर्माण उन देशों/क्षेत्रों के साथ, जिनका प्रतिनिधित्व छह मुद्राएँ करती हैं, भारत के तीन वर्षों के दौरान किये गये द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के ज्यामितिक औसत के आधार पर निर्मित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष उन्हें अद्यतन किया जाता है । इस प्रकार पूर्व में नियत भारांक रखे जाने की प्रभा के विपरीत, नये भारांकों का सेट प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होगा । तीन वर्षों, उदाहरणार्थ, 2002-03 से 2004-05 तक, के लिए औसत कुल व्यापार में प्रत्येक देश का औसत हिस्सा सामान्यीकृत किया जाता है ताकि अपेक्षित भारांक (डब्लूआइ) का पता चले । नये छह मुद्रा श्रृंखला की गणना में प्रयुक्त भारांक निम्नानुसार हैं (सारणी 5.3) :

सारणी 5.3 : छह मुद्रा श्रृंखला के लिए भारांक पैटर्न

(प्रतिशत में)

वर्ष	यूरो	जापान	यूके	यूएसए	हांगकांग	चीन
1993-94	42.06	14.01	12.04	26.33	4.55	1.01
1994-95	40.25	13.50	11.73	26.95	5.40	2.17
1995-96	39.22	13.44	11.33	26.95	6.07	2.98
1996-97	38.95	12.87	11.25	27.29	6.15	3.49
1997-98	39.28	11.76	11.55	27.46	6.03	4.20
1998-99	38.71	11.03	11.82	28.21	6.03	4.20
1999-00	37.79	10.64	11.86	28.59	6.68	4.44
2000-01	36.67	9.92	12.15	29.12	7.48	4.65
2001-02	35.88	9.30	12.06	29.08	8.02	5.67
2002-03	35.55	8.31	11.67	29.51	7.67	7.29
2003-04	35.52	7.85	10.84	28.90	7.55	9.34
2004-05	35.12	7.15	10.13	28.19	7.45	11.96

5.7.2. स्रोत और क्रियाविधि

विनिमय दर के संबंध में आँकड़ों के लिए पाँच मुद्राओं, यथा, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, हांगकांग डालर और चीनी रेन्मिन्बी, की दैनिक प्रातःकालीन पूर्वी बाजार विनिमय दरों को एसडीआर-यूएसडी दर से प्रतिरेखांकित किया जाता है। अमरीकी डालर के लिए एसडीआर-यूएसडी दर पर विचार किया जाता है । भारतीय रुपये के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक की अमरीकी डालर की संदर्भ दर, जो 12.00 बजे दोपहर को घोषित की जाती है, उसे एसडीआर-यूएसडी दर के साथ प्रतिरेखांकित किया जाता है, ताकि एसडीआर-रुपया दर का पता चले। साप्ताहिक सभी पण्य थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) का उपयोग भारत के लिए रीर में मुद्रास्फीति के सूचकांक के रूप में किया जाता है। डब्लूपीआइ आँकड़ों को प्रत्येक सप्ताह अद्यतन किया जाता है। ये आँकड़े 2 सप्ताह के समयांतर के साथ उपलब्ध होते हैं। उन 6 देशों/क्षेत्रों के लिए, जिनका प्रतिनिधित्व 6 करेंसियाँ करती हैं, मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) का प्रयोग इन देशों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। यूरो के मामले में, उपभोक्ता मूल्य सामंजस्य सूचकांक (एचआइसीपी) का प्रयोग किया गया। चीन मुद्रास्फीति सूचकांक मुहैया नहीं कराता, लेकिन वर्ष-दर-वर्ष मासिक वृद्धि दर उपलब्ध कराता है, जिन्हें 1993-94 को आधार वर्ष मानते हुए सूचकांकों में बदल दिया गया है। इन देशों/क्षेत्रों के सीपीआइ आँकड़े ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रणाली से, यथा ब्लूमबर्ग से, लिये जाते हैं, जैसे ही उनके द्वारा इनकी घोषणा की जाती है। बाद में, इन सीपीआइ आँकड़ों को, जहाँ भी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आइएफएस) में उपलब्ध मूल्य सूचकांकों द्वारा, जो एक समयांतर पर प्राप्त होता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।

विनिमय दरों को अप्रत्यक्ष भावों में परिभाषित किया गया है, ताकि रुपये की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास सूचकांक मूल्य वृद्धि/ह्रास द्वारा सीधे प्रतिबिंबित हो सके।

इस प्रकार, सूचकांक में वृद्धि छह मुद्राओं के सापेक्ष रुपये की मूल्यवृद्धि का द्योतक होती है और सूचकांक में गिरावट इन मुद्राओं के सापेक्ष रुपये के मूल्य में ह्रास का द्योतक होती है । पाँच देशीय सूचकांकों के मामले में तीन आधार वर्षों को रखे जाने, यथा, 1991-92, 1993-94 तथा 2003-04 (वित्तीय वर्ष, जो मासिक औसत पर आधारित हैं), जिसमें से अंतिम एक सचल आधार होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है, ताकि और अधिक हाल की अवधि के साथ उसकी तुलना में सुविधा हो, की प्रथा की तुलना में नये छह मुद्रा सूचकांकों के लिए 1993-94 नियत आधार के रूप में होगा और 2003-04 सचल आधार के रूप में होगा, जो प्रत्येक वर्ष बदलेगा, जैसाकि इस समय होता है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि सूचकांक ज्यामितिक श्रेणी में होते हैं, किसी दो अवधि के बीच प्रतिशत अंतर ऐसी श्रेणी में एक समान होगा, भले ही आधार वर्ष कोई भी हो ।

आधार वर्ष 1993-94 अनेक वर्षों तक अचल रहेगा, जबकि आधार वर्ष 2003-04 सचल होगा (अर्थात् 1 अप्रैल 2006 से 2003-04 का आधार 2004-05 में और इसी प्रकार बदल जायेगा) । सूचकांक 1993-94 से वित्तीय वर्ष के आधार पर (औसत) दिये जाते हैं ।

अधिकांश देशों के प्राधिकारियों द्वारा और अनेक वैश्विक वित्तीय संस्थाओं/निवेश बैंकों/बहुपक्षीय संस्थाओं, यथा आईएमएफ, द्वारा भी अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के रीर और नीर की गणना विविध मुद्राओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मापने के लिए और भविष्य में उनके संभावित उतार-चढ़ाव के लिए की जा रही है । अनेक देश आईएमएफ को नीर और रीर की रिपोर्ट करते हैं। ये आँकड़े अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आइएफएस) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो एक मासिक प्रकाशन है । आँकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आईएमएफ कुछ उन्नत देशों के लिए भी रीर का प्रकाशन करता है, जो उपभोक्ता मूल्य पर आधारित रीर के अलावा अन्य लागत संकेतकों, यथा, इकाई श्रमिक लागत और सापेक्ष मूल्यवर्धित अपस्फीतिकारकों, विनिर्माण में सापेक्ष निर्यात इकाई मूल्य और सापेक्ष थोक कीमतों पर आधारित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 6-मुद्रा रीर और नीर की गणना किये जाने की पद्धति शीर्ष बहुपक्षीय संस्थाओं, यथा, आईएमएफ और अन्य देशों/संस्थाओं द्वारा इस संबंध में अपनाये गये सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप है ।

भारतीय रुपये का छह-मुद्रा नीर और रीर सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में सारणी 51 के अंतर्गत प्रकाशित किये जाते हैं ।

5.8. *विदेशी मुद्रा बाजार में कुल कारोबार के संबंध में सांख्यिकी*

5.8.1. आँकड़ों का स्रोत

विदेशी मुद्रा कुल कारोबार के आँकड़े बाजार कार्यकलाप का माप होते हैं और ये बाजार में चलनिधि के बारे में स्थूल चित्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं । विदेशी मुद्रा बाजार के आकार को मापने के लिए विदेशी मुद्रा कुल कारोबार के आँकड़े भारत में प्राधिकृत व्यापारियों से संगृहीत किये जाते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग एक वाइड एरिया नेटवर्क 'फेमिस' के माध्यम से प्रतिदिन विदेशी मुद्रा लेनदेनों के संबंध में आँकड़ों का संग्रहण करता है । सभी प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित होता हे कि वे एक फाइल भेजें, जिसमें वणिक (हाजिर, वायदा और वायदा निरसन) तथा अंतर-बैंक (हाजिर, स्वैप एवं वायदा) क्रय-विक्रय के आँकड़े दिये गये हों । इस प्रकार संगृहीत आँकड़ों को तब प्रेस संपर्क प्रभाग को भेजा जाता है, ताकि वह वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर इनका प्रसार करे।

5.8.2. *विदेशी मुद्रा लेनदेनों से संबंधित पदों की परिभाषा*

वणिक :जहाँ संविदा में शामिल एक पार्टी कोई बैंक (एडी) नहीं होती।

अंतर-बैंक : जहाँ संविदा में शामिल दोनों पार्टियाँ बैंक होती हैं (इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन शामिल है)।

हाजिर लेनदेन : एकल एकमुश्त लेनदेन, जिसमें दो मुद्राओं का विनिमय संविदा की तिथि को सहमत दर पर दो कारोबारी दिवस के भीतर मूल्य या सुपुर्दगी के लिए किया जाना शामिल हो, और इसमें कैश (उसी दिन सुपुर्दगी) और टॉम (अगले दिन सुपुर्दगी) लेनदेन शामिल होता है ।

एकमुश्त वायदा : ऐसा लेनदेन, जिसमें दो मुद्राओं का विनिमय संविदा की तिथि को सहमत दर पर भविष्य में किसी समय (दो कारोबार दिवस से अधिक के बाद) मूल्य या सुपुर्दगी के लिए किया जाना शामिल होता है।

वायदा निरसन : क्रय पक्ष में वायदा वणिक विक्रय संविदाएँ निरस्त की जाती हैं और विक्रय पक्ष में निरस्त वायदा क्रय संविदाओं को इंगित किया जाता है ।

स्वैप : ऐसा लेनदेन होता है, जिसमें दो मुद्राओं (केवल मूलधन) का वास्तविक विनिमय किसी विनिर्दिष्ट तिथि को संविदा की समाप्ति के समय सहमत दर पर और उन्हीं दोनों मुद्राओं का विलोम विनिमय भविष्य में किसी आगे की तिथि को संविदा के समय सहमत दर पर किया जाना शामिल होता है । केवल एडी के बीच विदेशी मुद्रा स्वैप की रिपोर्ट की जाती है । दोहरी गिनती का विलोपन नहीं होता।

एडी द्वारा डॉयल-अप मोड के माध्यम से भेजे गये आँकड़ों को फेमिस प्रणाली में मिला दिया जाता है और रिपोर्टें ऑनलाइन तैयार की जाती हैं ।

हाजिर दर : लेनदेन के लिए उद्धृत विनिमय दर, जिसमें तुरंत निपटान शामिल होता है। यह सामान्यतः मुद्रा के लिए वर्तमान बाजार दर को विनिर्दिष्ट करता है। इस दर पर ब्याज को या तो जोड़ा जाता है (प्रीमियम) या घटाया जाता है (बट्टा), ताकि गैर-हाजिर लेनदेनों के लिए मूल्य निर्धारण किया जा सके, जिन्हें विदेशी मुद्रा बाजार में वायदा के रूप में उल्लिखित किया जाता है ।

वायदा प्रीमियम : वायदा प्रीमियम संबंधित वायदा दर (अर्थात् वह दर, जिस पर विदेशी मुद्रा संविदा भविष्य में किसी विनिर्दिष्ट तारीख को निपटान करने के लिए आज तय की जाती है) और हाजिर दर के बीच का अंतर होता है । यह इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा की आपूर्ति और मांग को इंगित करता है । यह ''ब्याज विभेदकों की प्रत्याशा'' को भी इंगित करता है।

वायदा दर करार (एफआरए): ऐसी संविदा, जो किसी बतायी हुई ब्याज दर पर बतायी गयी अवधि में, जो भविष्य में कभी आरंभ होगी, उधार लेने या उधार देने के लिए की जाती है । जो पार्टियाँ भविष्य में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से अपनी रक्षा करना चाहती हैं, वे एफआरए का प्रयोग करती हैं ।

5.9. *भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री के संबंध में सांख्यिकी*

वर्षों से रुपये की विनिमय दर का विकास नियत दर से उस दर की ओर होता रहा है, जो मांग और पूर्ति के लिए बाजार द्वारा निश्चित की जाती हैं । 1975-92 की अवधि के दौरान रुपये की विनिमय दर आधिकारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों के भारित मुद्रा समूह के अनुसार निश्चित की जाती थी और विनिमय दर प्रणाली का लक्षण यह रहता था कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी क्रय और विक्रय दरों की घोषणा प्रतिदिन प्राधिकृत

व्यापारियों के लिए की जाती थी । भुगतान संतुलन के संबंध में रंगराजन समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली (लर्म्स), जिसमें रुपये के लिए द्वैध विनिमय दर शामिल थी, मार्च 2002 में संस्थित की गयी । लर्म्स के अंतर्गत चालू खाता लेनदेन से प्राप्त विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत आधिकारिक रूप से पूर्वघोषित विनिमय दर पर एडी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किया जाना था। शेष 60 प्रतिशत के विक्रय के लिए विनिमय दर बाजार द्वारा निश्चित किया जा सकता था । लर्म्स का उपयोग संक्रमणकालीन तंत्र के रूप में किया जाना था, ताकि एक नियंत्रित प्रणाली से बाजार आधारित प्रणाली की ओर जाया जा सके। बाजार नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली मार्च 1993 में आरंभ हुई, जिसमें रुपये की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति के संबंध में बाजार की ताकतों द्वारा निश्चित की जाती थी ।

5.9.1. विनिमय दर प्रबंधन के उद्देश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक की विनिमय दर नीति को समय-समय पर मौद्रिक नीति वक्तव्यों, वार्षिक प्रकाशनों और विषय पर बैंक के शीर्ष प्रबंधन के विविध भाषणों में भी स्पष्ट किया जाता रहा है । इसका उद्देश्य रहा है बाजार में सुव्यवस्था बनाये रखना, प्रणाली में किसी अस्थायी असंतुलन को ठीक करना और अत्यधिक अस्थिरता या सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना । अस्थिरता के समय भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस प्रकाशनी जारी करते हुए बाजार के उतार-चढ़ाव का अपना मूल्यांकन लोगों के सामने रखता है, बाजार में व्यवस्था बनाये रखने की अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है और नीति संबंधी उपायों, यदि हों, की घोषणा बाजार में स्थिरता लाने के लिए करता है । क्रय/विक्रय संबंधी परिचालनों के आँकड़े पब्लिक डोमेन में एक महीने के समयांतर पर रखे जाते हैं (सारणी सं.48 - भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)।

5.9.2. भारतीय रिज़र्व बैंक का मध्यवर्ती परिचालन

विदेशी मुद्रा मध्यवर्ती परिचालन की परिभाषा ऐसे लेनदेन के रूप में दी जा सकती है, जो सरकार के आधिकारिक एजेंट द्वारा विनिमय दर के मूल्य को प्रभावित करने के लिए किया जाता है । सरल रूप में कहा जाये, तो इसे विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू आस्तियों पर विदेशी आस्तियों की आधिकारिक खरीद या बिक्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के अनुसार रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा खरीद सकता है या किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति को बेच सकता है । अमरीकी डालर के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक के पास मध्यवर्ती मुद्रा के रूप में यूरो का प्रयोग करने का विकल्प होता है । सामान्यतः मध्यवर्ती परिचालन को रुपये के बाह्य मूल्य को विनियमित करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है । तथापि, मध्यवर्ती परिचालन का उपयोग चलनिधि पर इसके प्रभाव के चलते मौद्रिक नीति के साधन के रूप में भी किया जा सकता है। जब केंद्रीय बैंक बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदता है, तब यह प्रणाली में रुपया निधियों की समतुल्य राशि डालता है (चलनिधि का अंतःक्षेप); इसके विपरीत स्थिति तब होती है, जब यह घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है । वर्षों से भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाजिर, वायदा और स्वैप बाजारों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मध्यवर्ती परिचालन किया है।

- प्रत्यक्ष मध्यवर्ती परिचालन - बैंकों से सीधे संपर्क किया जाता है और उन्हें दुतरफा कीमत उद्धृत करने के लिए कहा जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक उद्धृत दरों पर खरीद या बिक्री करता है । 1995-96 में अधिकांश लेनदेन प्राधिकृत व्यापारियों के साथ सीधे किये गये थे ।

- परोक्ष मध्यवर्ती परिचालन - भारतीय रिज़र्व बैंक परोक्ष रूप से चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के माध्यम

से मध्यवर्ती परिचालन करता है। बदले में ये बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से बाजार में खरीद या बिक्री करते हैं । 1997-98 से परोक्ष मध्यवर्ती परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने का मुख्य तरीका हो गया है।

मध्यवर्ती परिचालन सामान्यतः हाजिर बाजार में किये जाते हैं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक वायदा और स्वैप बाजारों में वायदा प्रीमियम में विकृति को सुधारने, बाजार में नकद डालर की कमी को दूर करने, वायदा विदेशी मुद्रा आस्तियों का सृजन करने (बड़े एकबारगी शोधन, यथा आरआईबी को पूरा करने के लिए), आदि जैसे प्रयोजनों के लिए भी परिचालन करता है।

5.9.3. दैनिक विदेशी मुद्रा संदर्भ दरों के संबंध में सांख्यिकी

1 मार्च 1993 से विनिमय दरों के एकीकरण के बाद रुपये की बाजार निर्धारित मुक्त अस्थायी विनिमय दर प्रणाली, जो मांग और पूर्ति पर आधारित थी, आरंभ हुई । तदनुसार, रिज़र्व बैंक अमरीकी डालर और यूरो के लिए प्रतिदिन 12.00 बजे दोपहर को रुपया संदर्भ दर की घोषणा करता है । यह एक संकेतात्मक दर होती है, जो मुम्बई में कुछ चुनिंदा बैंकों से प्राप्त 12.00 बजे दोपहर को उद्धृत दरों की मध्य दरों का औसत होती है। संदर्भ दर प्रतिदिन एक प्रेस प्रकाशनी में जारी की जाती है और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी जाती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन (सारणी सं.47) में भी प्रकाशित की जाती है ।

संदर्भ :

1. बीपीएम5 (1993) : भुगतान संतुलन मैनुअल (पाँचवाँ संस्करण), 1993, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ।
2. भुगतान संतुलन संकलन निर्देशिका, 1996, आईएमएफ ।
3. भुगतान संतुलन पाठ्य पुस्तक, 1996, आईएमएफ।
4. अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति, ए गाइड टू डाटा सोर्सेज, 2002।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक (1951) : रिपोर्ट ऑन दि सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाइएबिलिटीज एंड ऐसेट्स ऐज ऑन 30 जून 1948; भारतीय रिज़र्व बैंक, 1951।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक (2000) : सेंसस ऑफ इंडियाज फॉरेन लाइएबिलिटीज एंड ऐसेट्स ऐज ऑन मार्च 1997, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर।

अनुबंध 5.1: अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति : आइएमएफ द्वारा एसडीडीएस के अंतर्गत यथानिर्धारित फार्मैट

ए. आस्तियाँ

1. विदेश में प्रत्यक्ष निवेश
   - 1.1 इक्विटी पूँजी और पुनर्निवेशित आय
     - 1.1.1 संबद्ध उद्यमों पर दावे
     - 1.1.2 संबद्ध उद्यमों के प्रति देयताएँ (-)
   - 1.2 अन्य पूँजी
     - 1.2.1 संबद्ध उद्यमों पर दावे
     - 1.2.2 संबद्ध उद्यमों के प्रति देयताएँ (-)
2. संविभाग निवेश
   - 2.1 इक्विटी प्रतिभूतियाँ
     - 1.1.1 संबद्ध उद्यमों पर दावे
     - 2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी
     - 2.1.2 सामान्य सरकार
     - 2.1.3 बैंक
     - 2.1.4 अन्य क्षेत्र
   - 2.2 ऋण प्रतिभूतियाँ
     - 2.2.1 बांड और नोट
       - 2.2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी
       - 2.2.1.2 सामान्य सरकार
       - 2.2.1.3 बैंक
       - 2.2.1.4 अन्य क्षेत्र
     - 2.2.2 मुद्रा बाजार लिखतें
       - 2.2.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी
       - 2.2.2.2 सामान्य सरकार
       - 2.2.2.3 बैंक
       - 2.2.2.4 अन्य क्षेत्र
3. वित्तीय डेरिवेटिव
   - 3.1 मौद्रिक प्राधिकारी
   - 3.2 सामान्य सरकार
   - 3.3 बैंक
   - 3.4 अन्य क्षेत्र
4. अन्य निवेश
   - 4.1 व्यापार ऋण
     - 4.1.1 सामान्य सरकार
       - 4.1.1.1 दीर्घावधि
       - 4.1.1.2 अल्पावधि
     - 4.1.2 अन्य क्षेत्र
       - 4.1.2.1 दीर्घावधि
       - 4.1.2.2 अल्पावधि
   - 4.2 ऋण
     - 4.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी
       - 4.2.1.1 दीर्घावधि
       - 4.2.1.2 अल्पावधि
     - 4.2.2 सामान्य सरकार
       - 4.2.2.1 दीर्घावधि
       - 4.2.2.2 अल्पावधि
     - 4.2.3 बैंक
       - 4.2.3.1 दीर्घावधि
       - 4.2.3.2 अल्पावधि
     - 4.2.4 अन्य क्षेत्र
       - 4.2.4.1 दीर्घावधि
       - 4.2.4.2 अल्पावधि
   - 4.3 मुद्रा और जमाराशियाँ
     - 4.3.1 मौद्रिक प्राधिकारी
     - 4.3.2 सामान्य सरकार
     - 4.3.3 बैंक
     - 4.3.4 अन्य क्षेत्र
   - 4.4 अन्य आस्तियाँ
     - 4.4.1 मौद्रिक प्राधिकारी

अनुबंध 5.1: अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति : आइएमएफ द्वारा एसडीडीएस के अंतर्गत यथानिर्धारित फार्मैट *(जारी)*

4.4.1.1 दीर्घावधि
4.4.1.2 अल्पावधि
4.4.2 सामान्य सरकार
4.4.2.1 दीर्घावधि
4.4.2.2 अल्पावधि
4.4.3 बैंक
4.4.3.1 दीर्घावधि
4.4.3.2 अल्पावधि
4.4.4 अन्य क्षेत्र
4.4.4.1 दीर्घावधि
4.4.4.2 अल्पावधि

5. आरक्षित आस्तियाँ
5.1 मौद्रिक स्वर्ण
5.2 विशेष आहरण अधिकार
5.3 निधि में आरक्षित निधि की स्थिति
5.4 विदेशी मुद्रा
5.4.1 मुद्रा और जमाराशियाँ
5.4.1.1 मौद्रिक प्राधिकारियों के पास
5.4.1.2 बैंकों के पास
5.4.2 प्रतिभूतियाँ
5.4.2.1 इक्विटी
5.4.2.2 बांड और नोट
5.4.2.3 मुद्रा बाजार लिखतें
5.4.3 वित्तीय डेरिवेटिव (निवल)
5.5 अन्य दावे

बी. देयताएँ

1. रिपोर्टिंग अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष निवेश
1.1 इक्विटी पूँजी और पुनर्निवेशित आय
1.1.1 प्रत्यक्ष निवेशकर्ताओं पर दावे (-)
1.1.2 प्रत्यक्ष निवेशकर्ताओं के प्रति देयताएँ
1.2 अन्य पूँजी
1.2.1 प्रत्यक्ष निवेशकर्ताओं पर दावे (-)
1.2.2 प्रत्यक्ष निवेशकर्ताओं के प्रति देयताएँ

2. संविभाग निवेश
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियां
2.1.1 बैंक
2.1.2 अन्य क्षेत्र
2.2 ऋण प्रतिभूतियाँ
2.2.1 बांड और नोट
2.2.1.1 मौद्रिक प्राधिकारी
2.2.1.2 सामान्य सरकार
2.2.1.3 बैंक
2.2.1.4 अन्य क्षेत्र
2.2.2 मुद्रा बाजार लिखतें
2.2.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी
2.2.2.2 सामान्य सरकार
2.2.2.3 बैंक
2.2.2.4 अन्य क्षेत्र

3. वित्तीय डेरिवेटिव
3.1 मौद्रिक प्राधिकारी
3.2 सामान्य सरकार
3.3 बैंक
3.4 अन्य क्षेत्र

अनुबंध 5.1: अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति : आइएमएफ द्वारा एसडीडीएस के अंतर्गत यथानिर्धारित फार्मैट *(समाप्त)*

4. अन्य निवेश
   - 4.1 व्यापार ऋण
     - 4.1.1 सामान्य सरकार
       - 4.1.1.1 दीर्घावधि
       - 4.1.1.2 अल्पावधि
     - 4.1.2 अन्य क्षेत्र
       - 4.1.2.1 दीर्घावधि
       - 4.1.2.2 अल्पावधि
   - 4.2 ऋण
     - 4.2.1 मौद्रिक प्राधिकारी
       - 4.2.1.1 निधि ऋण का उपयोग और निधि से दिये गये ऋण
       - 4.2.1.2 अन्य दीर्घावधि
       - 4.2.1.3 अल्पावधि
     - 4.2.2 सामान्य सरकार
       - 4.2.2.1 दीर्घावधि
       - 4.2.2.2 अल्पावधि
     - 4.2.3 बैंक
       - 4.2.3.1 दीर्घावधि
       - 4.2.3.2 अल्पावधि
     - 4.2.4 अन्य क्षेत्र
       - 4.2.4.1 दीर्घावधि
       - 4.2.4.2 अल्पावधि
   - 4.3 मुद्रा और जमाराशियाँ
     - 4.3.1 मौद्रिक प्राधिकारी
     - 4.3.2 सामान्य सरकार
     - 4.3.3 बैंक
     - 4.3.4 अन्य क्षेत्र
   - 4.4 अन्य देयताएँ
     - 4.4.1 मौद्रिक प्राधिकारी
       - 4.4.1.1 दीर्घावधि
       - 4.4.1.2 अल्पावधि
     - 4.4.2 सामान्य सरकार
       - 4.4.2.1 दीर्घावधि
       - 4.4.2.2 अल्पावधि
     - 4.4.3 बैंक
       - 4.4.3.1 दीर्घावधि
       - 4.4.3.2 अल्पावधि
     - 4.4.4 अन्य क्षेत्र
       - 4.4.4.1 दीर्घावधि
       - 4.4.4.2 अल्पावधि

6. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कार्यकलापों में वर्षों से प्रयोजनमूलक विशेषज्ञता के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन हुआ है । कारगर वित्तीय मध्यस्थों के रूप में एनबीएफसी की भूमिका को भली-भाँति पहचाना गया है, क्योंकि उनमें त्वरित निर्णय लेने, बड़ी जोखिम उठाने और अपनी सेवाओं एवं प्रभारों को अधिक से अधिक ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की अंतर्निहित क्षमता होती है । जबकि बैंकों की तुलना में इन लक्षणों ने एनबीएफसी के बहुत अधिक संख्या में खुलने में योगदान किया है, उनकी लचीली संरचना बैंकों द्वारा दी गयी सेवाओं को अलग-अलग करने और उनके घटकों का विपणन प्रतिस्पर्द्धी आधार पर करने की अनुमति देती है । बैंकों और गैर-बैंकों में भेद धीरे-धीरे अस्पष्ट होता गया है, क्योंकि वित्तीय प्रणाली के ये दोनों खंड स्वयं को एकसमान कार्यकलापों में लगाये रहते हैं । इस समय भारत में एनबीएफसी व्यापक श्रेणी के कार्यकलापों, यथा, किराया खरीद वित्त, उपकरण पट्टा वित्त, ऋण, निवेश, आदि के लिए विशिष्ट बन चुके हैं । नवोन्मेष विपणन नीतियों का प्रयोग करके और आवश्यकता आधारित उत्पादों की अभिकल्पना करके एनबीएफसी जमाकर्ताओं के बीच ग्राहक आधार बनाने, जनता से प्राप्त बचतों का लाभ आत्मसात करने और बड़े संसाधनों पर अधिकार करने में समर्थ हुई हैं, जैसाकि जनता, शेयधारकों, निदेशकों और अन्य कंपनियों से प्राप्त जमाराशियों में वृद्धि तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, आदि को जारी करके लिये गये उधार से परिलक्षित होता है । परिणामस्वरूप, वित्तीय आस्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचतों में गैर-बैंक जमाराशियों का हिस्सा, जो 1980-81 में 3.1 प्रतिशत था, वह 1995-96 में बढ़कर 10.6 प्रशित हो गया । 1998 में पहली बार जनता-जमाराशियों की परिभाषा विनियमित जमाराशियों से अलग की गयी और इसलिए उसके बाद के आँकड़े पहले के आँकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।

असंगठित क्षेत्र और लघु उधारकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण प्रदान करने में एनबीएफसी के महत्व को भली-भाँति पहचाना गया है । इस खंड के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए इस पर और अधिक विनियामक ध्यान दिया जाये, और ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षकीय छानबीन की जाये (बॉक्स 6.1)

बॉक्स 6.1 : एनबीएफसी के विनियमों का विहगावलोकन

(1) मिशन	(3) विनियामक और पर्यवेक्षकीय ढाँचे की मूलभूत संरचना
यह सुनिश्चित करना कि • वित्तीय कंपनियाँ अच्छी तरह कार्य करती हैं • ये कंपनियाँ मौद्रिक नीति के अनुरूप कार्य करती हैं, ताकि उनके कार्य से प्रणालीगत विपथन नहीं हो • एनबीएफसी पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी निगरानी और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता इस क्षेत्र की गतिविधियों के अनुरूप होती है • एनबीएफसी के लिए व्यापक विनियमन और आस्ति-देयता एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पर्यवेक्षण	विवेकपूर्ण मानदंडों का निर्धारण, जो बैंकों पर लागू मानदंडों के अनरूप हों परोक्ष निगरानी के लिए आवधिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण पर्यवेक्षकीय ढाँचा, जिसमें समाविष्ट हैं (क) प्रत्यक्ष निरीक्षण (कैमेल्स पैटर्न), (ख) विवरणियों के माध्यम से परोक्ष निगरानी, (ग) बाजार आसूचना, और (घ) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आपत्ति रिपोर्ट दंडात्मक कार्रवाई, यथा, पंजीयन प्रमाणपत्र (सीओआर) का निरसन, जमाराशियों के स्वीकरण और आस्तियों के हस्तांतरण का निषेध, आपराधिक शिकायतें और आत्यंतिक मामलों में समापन याचिका फाइल करना, कुछ मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेक्षकों को नियुक्त करना, आदि अनधिकृत और कपटपूर्ण कार्यकलापों को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय रखना, एनबीएफसी, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)अधिनियम, 1934 में संशोधन	(4) जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए अन्य उपाय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का संशोधन जनवरी 1997 में किया गया , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान किये गये • एनबीएफसी के लिए प्रवेश मानदंड और वित्तीय कारोबार में लगे अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशि संग्रहण का निषेध (अधिनियम के अंतर्गत अनुमत सीमा को छोड़कर) • अनिवार्य पंजीकरण, अर्थसुलभ आस्तियाँ रखना, और आरक्षित निधि का सृजन करना • किसी एनबीएफसी को या सभी एनबीएफसी को या एनबीएफसी की किसी खास श्रेणी को निदेश जारी करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति • जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी का व्यापक विनियमन और पर्यवेक्षण तथा जनता जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी पर सीमित पर्यवेक्षण	जमाकर्ताओं के शिक्षण के लिए और उन्हें सजग करने के लिए प्रचार, व्यापार एवं उद्योग संगठनों, जमाकर्ताओं के एसोसिएशनों और सनदी लेखाकारों, आदि के लिए कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करना

एनबीएफसी क्षेत्र के बेहतर विनियमन की अनुभूत आवश्यकता के प्रत्युत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 को 1997 में संशोधित किया गया, जिसमें एनबीएफसी के लिए व्यापक विनियामक ढाँचे का प्रावधान किया गया । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 ने भारतीय रिज़र्व बैंक को शक्ति प्रदान की कि वह कंपनियों और इसके लेखापरीक्षकों को निदेश जारी कर सकता है, कंपनियों द्वारा जमाराशि स्वीकार करने और आस्तियों के स्वत्वाधिकार-अंतरण करने का निषेध कर सकता है और कंपनियों के समापन के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है । संशोधित अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सभी एनबीएफसी का, भले ही उनके पास जनता जमाराशि कितनी भी हो, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरंभ करने और उसे चलाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराया जाये; उनके लिए न्यूनतम प्रवेश बिन्दु मानदंड हो; जमाराशियों का एक हिस्सा अर्थसुलभ आस्तियों के रूप में रखा जाये; और एक आरक्षित निधि का सृजन किया जाये कर-पश्चात्, लेकिन लाभांश के पूर्व लाभ का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष निधि में अंतरित किया जाये । तदनुसार एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति और उसके विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने पर निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित के संबंध में कंपनियों को निदेश जारी किये : जनता जमाराशियों का स्वीकरण; विवेकपूर्ण मानदंड, यथा, पूँजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधानन, एक्सपोजर मानदंड और अन्य उपाय । सांविधिक लेखापरीक्षकों को भी निदेश जारी किये गये कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और विनियमों का पालन नहीं किये जाने की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक और एनबीएफसी के निदेशक मंडल और शेयरधारकों को करें।

6.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

एनबीएफसी क्षेत्र में नीतियों के अनुसार गतिविधियों और 2001-02 के दौरान तथा बाद की अवधियों में उनके कार्यसंपादन (जिस सीमा तक जानकारी उपलब्ध है) पर परवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गयी है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशतः या पूर्णतः नियंत्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में शामिल हैं : (क) एनबीएफसी, जिनमें समाविष्ट हैं उपकरण पट्टा (ईएल), किराया खरीद वित्त (एचपी), ऋण (एलसी), निवेश (आइसी) (प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) सहित) और शेष गैर बैंकिंग (आरएनबीसी) कंपनियाँ; (ख) पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी (एमबीएफसी), अर्थात् निधि कंपनी; (ग) पारस्परिक लाभ कंपनी (एमबीसी), अर्थात् भावी निधि कंपनी; (घ) विविध गैर बैंकिंग (एमएनबीसी) अर्थात् चिट फंड कंपनी (सारणी 6.1)।

6.2. पंजीयन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक में एनबीएफसी का पंजीयन अधिदेशात्मक है, भले ही वे जनता-जमाराशियाँ रखती हों या नहीं । संशोधित अधिनियम (1997, में, न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के रूप में 25 लाख रुपये के प्रवेश बिन्दु मानदंड का प्रावधान है, जिसे 21 अप्रैल 1999 को या उसके बाद सीओआर के लिए आवेदन करने वाली नयी एनबीएफसी के लिए आशोधित कर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है , तथापि, कुछ प्रकार की वित्तीय कंपनियाँ, यथा, बीमा कंपनियाँ, आवास वित्त कंपनियाँ, शेयर दलाली करने वाली कंपनियाँ, चिट फंड कंपनियाँ, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 ए के अंतर्गत 'निधि' के रूप में अधिसूचित किया गया है, और वणिक बैंकिंग कारोबार करने वाली कंपनियाँ

सारणी 6.1 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रकार (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	प्रधान कारोबार
1. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1997 में यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइ(सी) के साथ पठित धारा 45 एल(एफ) के अनुसार उनका प्रधान कारोबार जमाराशियाँ प्राप्त करना या किसी वित्तीय संस्था का कार्य, यथा, उधार देना, प्रतिभूतियों में निवेश, किराया खरीद वित्त या उपकरण पट्टा पर देना है।
(क) उपकरण पट्टादायी कंपनी (ईएल)	उपकरण पट्टे पर देना या ऐसे कार्यकलाप का वित्तपोषण करना
(ख) किराया खरीद वित्त कंपनी (एचपी)	किराया खरीद लेनदेन या ऐसे लेनदेनों का वित्तपोषण करना
(ग) निवेश कंपनी (आइसी)	प्रतिभूतियों का अभिग्रहण । इनमें शामिल हैं प्राथमिक व्यापारी (पीडी), जो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी और बाजार निर्माण का काम करते हैं।
(घ) ऋण कंपनी (एलसी)	अपने कार्यकलाप से भिन्न किसी कार्यकलाप के लिए ऋण या अग्रिम देकर या अन्य प्रकार से वित्त प्रदान करना, इसमें ईएल/ एचपी/आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी) शामिल नहीं हैं।
(ङ) अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी)	वह कंपनी, जो किसी स्कीम या व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाये, एकमुश्त या किस्तों में जमाराशियाँ अंशदानों या अभिदानों से या यूनिटों या प्रमाणपत्रों या अन्य लिखतों की बिक्री से या अन्य तरीके से प्राप्त करती है । ये कंपनियाँ ऊपर बतायी गयी किसी कोटि की कंपनी नहीं होती है।
II. पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी (एमबीएफसी) अर्थात्, निधि कंपनी	कोई कंपनी, जो केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620ए के अंतर्गत निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित की गयी है।
III. पारस्परिक लाभ कंपनी (एमबीसी), अर्थात् भावी निधि कंपनी	कोई कंपनी, जो निधि कंपनी की तरह काम कर रही है लेकिन उसे केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में घोषित नहीं किया गया है, जिसके पास 10 लाख रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) है और जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सीओआर के लिए आवेदन किया है और कंपनी कार्य विभाग (डीसीए) के पास भी आवेदन किया है कि उसे निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित किया जाये, और जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक/डीसीए के निदेशों/ विनियमों का उल्लंघन नहीं किया है।
IV. विविध गैर बैंकिंग कंपनी (एमएनबीसी), अर्थात्, चिट फंड कंपनी	किसी लेनदेन या व्यवस्था का प्रबंध, संचालन या पर्यवेक्षण प्रवर्तक, फोरमैन या एजेंट के रूप में करके, जिसके द्वारा प्रवर्तक, फोरमैन के रूप में पर्यवेक्षण करने वाली कंपनी विनिर्दिष्ट संख्या के अभिदाताओं से करार करती है कि उनमें से प्रत्येक अभिदाता किसी निश्चित अवधि तक कोई रकम किस्त के रूप में अभिदान करेगा और बदले में प्रत्येक अभिदाता निविदा में निर्धारित ऐसे ढंग से, जो उस व्यवस्था में प्रावधान किया गया हो, इनाम की राशि का हकदार होगा ।

(कुछ शर्तों के अधीन), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन की शर्त से मुक्त हैं, क्योंकि वे अन्य एजेंसियों द्वारा नियंत्रित होती हैं । तदनुसार, मार्च 2006 की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक को 38214 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 13873 को अनुमोदित किया गया और 24134 को अस्वीकृत कर दिया गया।

शेष आवेदन पत्र संसाधन के विभिन्न प्रक्रमों पर लंबित हैं । कुल अनुमोदनों में से केवल 434 कंपनियों को जनता जमाराशि स्वीकार करने/रखने की अनुमति दी गयी है । इसके अतिरिक्त जनता-जमाराशियाँ रखने वाली उन सभी कंपनियों को, जिनके पंजीयन प्रमाणपत्र (सीओआर) के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये हैं, जमाराशियों की चुकौती नियत तिथियों को करनी है और अपनी वित्तीय आस्तियों का निपटान आवेदन अस्वीकार किये जाने/निरस्त किये जाने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर करना है या उसी अवधि के भीतर स्वयं को गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कंपनियों के रूप में परिवर्तित कर लेना है।

6.3. पर्यवेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए एक ताकतवर और व्यापक पर्यवेक्षकीय तंत्र स्थापित किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक का ध्यान विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण पर है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि एनबीएफसी सुदृढ़ और लाभप्रद स्थिति में कार्य करें और अत्यधिक जोखिम लेने से बचें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार भुजाओं वाला पर्यवेक्षकीय ढाँचा बनाया है, जो निम्नलिखित है:

i. प्रत्यक्ष निरीक्षण

ii. परोक्ष निगरानी, जिसकी मदद अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी करती है

iii. बाजार आसूचना

iv. एनबीएफसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की आपत्ति रिपोर्टें

पर्यवेक्षण का जोर एनबीएफसी के आस्ति आकार और इसके जनता से जमाराशि स्वीकार करने/जनता जमाराशि रखने के आधार पर दिया जाता है । प्रत्यक्ष निरीक्षण की प्रणाली 1997 के दौरान आरंभ की गयी और इसका विन्यास कैमेल्स (पूँजी, आस्तियाँ, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली एवं क्रियाविधि) दृष्टिकोण के आकलन और मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली के लिए अंगीकृत पर्यवेक्षकीय मॉडल के सदृश है । बाजार आसूचना प्रणाली को भी पर्यवेक्षण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है । पर्यवेक्षण की निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक को चेतावनी संकेत देने में सुविधापूर्ण हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यह तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षकीय कार्रवाई कर सकता है । एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इन पर दुबारा नजर डाली जाती है, ताकि जानकारी के क्षेत्र-विस्तार को और व्याप्त करते हुए या तो पर्यवेक्षकीय उद्देश्यों की या विविध हितबद्ध ग्रुपों को इन कंपनियों की कार्यपद्धति के महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराने की अपेक्षाएं पूरी की जा सकें। जो कंपनियाँ जनता जमाराशियाँ नहीं रखती हैं, उनका पर्यवेक्षण सीमित ढंग से किया जाता है, 100 करोड़ रुपये और अधिक की आस्ति रखने वाली कंपनियों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है और अन्य गैर जनता जमाराशि वाली कंपनियों का बारी-बारी से 5 वर्षों में एक बार निरीक्षण किया जाता है । ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों से प्राप्त आपत्ति रिपोर्ट, यदि हो, और उसके साथ प्रतिकूल बाजार सूचना तथा आवधिक अंतरालों पर नमूना जाँच भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमों की तुलना में इन कंपनियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखने के लिए मुख्य साधन होते हैं ।

6.4. नीति संबंधी गतिविधियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र के विनियामक और पर्यवेक्षकीय मानकों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय आरंभ किये, ताकि उन्हें दीर्घावधि में वाणिज्यिक बैंकों

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं

क्रम सं.	विषय	विवरण
1.	पंजीयन प्रमाणपत्र	कोई भी कंपनी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से छूट-प्राप्त कंपनियों से भिन्न है, बिना भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त किये हुए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरंभ नहीं कर सकती है । ऐसे पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए पात्रता की पहली आवश्यकता यह है कि एनबीएफसी के पास न्यूनतम 25 लाख रुपये का एनओएफ हो (अब इसे किसी नये आवेदक एनबीएफसी के लिए 21 अप्रैल 1999 से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है) । कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की धारा 45-1ए में गिनायी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने से संतुष्ट होने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक पंजीयन प्रमाणपत्र दिये जाने पर विचार करता है ।
2.	अर्थसुलभ आस्तियाँ बनाये रखना	एनबीएफसी को भार-रहित अनुमोदित प्रतभूतियों में, जिनका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अनधिक हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई राशि, जो किसी दिन कारोबार की समाप्ति पर, दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के कार्यदिवस को कारोबार की समाप्ति पर बकाया जमाराशियों का कम से कम 5.0 प्रतिशत और अधिक से अधिक 25.0 प्रतिशत हो, निवेश करना होता है ।
3.	आरक्षित निधि का सृजन	प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक आराक्षित निधि का सृजन करेगी और उसमें प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि लेखा में अपने निवल लाभ की कम से कम 20.0 प्रतिशत रकम, लाभांश की घोषणा किये जाने के पहले, अंतरित करेगी। प्रत्येक एनबीएफसी द्वारा ऐसी निधि सृजित की जायेगी, भले ही वह जमाराशियाँ स्वीकार करती हो या नहीं करती हो । पुनः इस निधि से किसी प्रयोजन के लिए विनियोजन भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा ।
(1)	**जमा स्वीकरण से संबंधित विनियम**	
1	जनता की जमाराशियों की प्रमात्रा की अधिकतम सीमा	ऋण और निवेश कंपनियाँ - एनओएफ का 1.5 गुना, यदि कंपनी का एनओएफ 25 लाख रुपये है, न्यूनतम निवेश ग्रेड (एमआइजी) साख-श्रेणी निर्धारण, सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है और उसका सीआरएआर 15 प्रतिशत है । उपकरण पट्टादायी और किराया खरीद वित्त कंपनियाँ - यदि कंपनी के पास 25 लाख रुपये का एनओएफ हो और वह सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती हो । i. एमआइजी साख-श्रेणी निर्धारण और 12 प्रतिशत सीआरएआर के साथ - एनओएफ का 4 गुना ii. एमआइजी साख-श्रेणी निर्धारण के बिना लेकिन 15 प्रतिशत या अधिक सीआरएआर के साथ - एनओएफ का 1.5 गुना या 10 करोड़ रुपये, जो भी कम हो ।
2	अर्थसुलभ आस्तियों में निवेश	एनबीएफसी - दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को कारोबार समाप्त होने के बाद बकाया जनता जमा देयताओं का 15 प्रतिशत, जिसमें से i. कम से कम 10 प्रतिशत अनुमोदित प्रतिभूतियों में और ii. अधिक से अधिक 5 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमा में

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(जारी)*

		आरएनबीसी द्वारा किये जानेवाले निवेशों के संबंध में निदेशों को जून 2004 में युक्तियुक्त बनाया गया, ताकि वित्तीय क्षेत्र में समग्र प्रणालीगत जोखिम को घटाया जा सके और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सके । इस संबंध में निम्नलिखित रूपरेखा निर्धारित की गयी : क) जून 2005 में समाप्त तिमाही से और उसके बाद आरएनबीसी को अनुमति दी गयी कि वे दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही में एग्रिगेटेड लाइएबिलिटीज टू डिपोजिटर्स (एएलडी) के केवल 10 प्रतिशत तक या उनकी निवल स्वाधिकृत निधि का एक गुना, जो भी कम हो, का निवेश अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उस ढंग से करें, जो कंपनी की राय में सुरक्षित हो । ख) जून 2006 में समाप्त तिमाही से और उसके बाद यह सीमा समाप्त हो जायेगी और आरएनबीसी को अपने विवेक पर एएलडी में से कोई राशि निवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । तथापि, कंपनियों द्वारा 100% निदेशित निवेश का अनुपालन करने पर होने वाले तनाव से बचने के लिए उसे संशोधित कर 31 मार्च 2007 तक एएलडी का 95% और उसके बाद 100% कर दिया गया । इन अर्थसुलभ आस्ति प्रतिभूतियों को किसी एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक में या स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में या किसी निक्षेपागार में या इसके प्रतिभागियों के पास (सेबी में पंजीकृत) जमा किया जाना होगा । 1 अक्तूबर 2002 से सरकारी प्रतिभूतियों को एनबीएफसी द्वारा आवश्यक रूप से या तो किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास कंस्टीट्युएंट्स सब्सिडियरी लेजर एकाउंट में या सेबी में पंजीकृत किसी निक्षेपागार प्रतिभागी के पास डिमैट खाते में रखा जाना है । इन प्रतिभूतियों को जनता जमाराशि की चुकौती से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए आहरित नहीं किया जाना है या अन्य प्रकार से लेनदेन नहीं किया जाना है ।
3	जमाराशियों की अवधि	कोई मांग जमा नहीं एनबीएफसी - 12 से 60 महीने आरएनबीसी - 12 से 84 महीने एमएनबीसी (चिट फंड) - 6 से 36 महीने
4	जमा ब्याज दर की अधिकतम सीमा	एनबीएफसी, एमएनबीसी और निधि - 11.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष (4 मार्च 2003 से)। आरएनबीसी - दैनिक जमाराशियों पर न्यूनतम ब्याज 4.0 प्रतिशत और दैनिक से भिन्न जमाराशियों पर 6.0 प्रतिशत । ब्याज का भुगतान या उसकी चक्रवृद्धि कम से कम मासिक अंतराल पर किया जा सकता है ।
5	जमाराशियों/जनता जमाराशियों के स्वीकरण के लिए विज्ञापन प्रणाली	प्रत्येक कंपनी, जो विज्ञापन द्वारा जमाराशि स्वीकार करती है, को इस संबंध में निर्धारित विज्ञापन संबंधी नियमों का अनुपालन करना है, जमाराशि स्वीकरण प्रपत्र में कतिपय निर्धारित सूचना अंतर्विष्ट करनी है, जमाराशियों के लिए निर्गत रसीद और जमा रजिस्टर, आदि रखना है ।

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(जारी)*

6	विवरणियों का प्रस्तुतीकरण	सभी एनबीएफसी को, जो जनता जमाराशियाँ रखती हैं या स्वीकार करती हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास तिमाही, छमाही और वार्षिक अंतरालों पर आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करनी हैं ।
(2)	**केवल उन एनबीएफसी पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो जनता जमाराशियाँ स्वीकार करती हैं/ रखती हैं**	
1	जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात	जनता जमाराशियाँ रखने/स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को निम्नानुसार न्यूनतम सीआरएआर बनाये रखना है : i. उपकरण पट्टादायी कंपनियाँ/किराया खरीद वित्त कंपनियाँ (एमआइजी साख-श्रेणी निर्धारण के साथ) 12 प्रतिशत ii. उपकरण पट्टादायी कंपनियाँ/किराया खरीद वित्त कंपनियाँ (एमआइजी साख-श्रेणी निर्धारण के बिना) 15 प्रतिशत iii. ऋण/निवेश कंपनियां 15 प्रतिशत iv. आरएनबीसी 12 प्रतिशत सीआरएआर में समाविष्ट होती है - स्तर -I और स्तर -II पूँजी । इसे दैनिक आधार पर बनाये रखना है, न कि केवल रिपोर्टिंग तिथियों को। स्तर - I पूँजी - मूल पूँजी या एनओएफ में शामिल है सीआरएआर प्रयोजनों के लिए विशेष मामले के रूप में अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर (सीसीपीएस)। स्तर - II पूँजी - सभी अर्ध पूँजी जैसे अधिमानी शेयर (सीसीपीएस से भिन्न), गौण ऋण, परिवर्तनीय डिबेंचर, आदि । स्तर - III पूँजी - स्तर - I पूँजी से अधिक नहीं होनी चाहिए । सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियाँ जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । गौण ऋण 60 महीने या अधिक मूल अवधि के साथ जारी।
2	प्रतिबंधात्मक मानदंड	जनता जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यदि विवेकपूर्ण मानदंडों का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया जाये । कोई एनबीएफसी, जो परिपक्व जमाराशियों की चुकौती में चूक करती है, उसे आगे और आस्तियों का सृजन करने से मना किया जायेगा, जब तक कि चूक को सुधार नहीं दिया जाये । भू-संपदा में निवेश, सिवाय अपने उपयोग के, स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत तक ही किया जायेगा। गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश पर निम्नानुसार प्रतिबंध होगा : ईएल/एचपी कंपनियाँ - स्वाधिकृत निधि का 10 प्रतिशत ऋण/निवेश कंपनियाँ - स्वाधिकृत निधि का 20 प्रतिशत भू-संपदा या गैर-उद्धृत शेयरों में आगे कोई निवेश नहीं, जब तक कि धारित अतिरिक्त स्थिति को नियमित नहीं कर दिया जाता । पर्याप्त समायोजन अवधि की अनुमति - प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर और समय-विस्तार ।

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(जारी)*

3	ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंड	एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा - स्वाधिकृत निधि का 15 प्रतिशत निवेश - स्वाधिकृत निधि का 15 प्रतिशत एकल उधारकर्ता समूह एक्सपोजर - स्वाधिकृत निधि का 25 प्रतिशत ऋण सीमाएँ - संमिश्र (ऋण और निवेश) एक्सपोजर सीमा एकल उधारकर्ता - स्वाधिकृत निधि का 25 प्रतिशत एकल उधारकर्ता समूह - स्वाधिकृत निधि का 40 प्रतिशत
		• एक्सपोजर मानदंड अपने ही समूह की कंपनियों और सहयोगियों पर भी लागू • ऋण के सभी रूप और ऋण से संबंधित कुछ अन्य प्राप्य राशियाँ तथा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर शामिल है • डिबेंचरों/बांडों को विवेकपूर्ण मानदंडों के प्रयोजनार्थ ऋण के रूप में लेकिन तुलनपत्र के प्रयोजनार्थ निवेश के रूप में माना जाना है और निवेश दायित्वों का अनुपालन किया जाना है
4	रिपोर्टिंग प्रणाली: छमाही विवरणी	छमाही विवरणियाँ प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर के अंत में प्रस्तुत की जानी हैं । • प्रस्तुतीकरण के लिए अनुमत समय - नियत तिथि से तीन महीने • विवरणियों को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना है । तथापि, इसे लेखापरीक्षा के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, और उसमें दिये गये आँकड़े बिना लेखापरीक्षा वाले हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लेखापरीक्षकों द्वारा अवश्य प्रमाणित किया जाना है ।
(3)	**सभी एनबीएफसी पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड, भले ही वे जनता जमाराशियाँ स्वीकार करती हैं/रखती हैं या नहीं**	
1	आय-निर्धारण मानदंड	एनपीए के संबंध में आय-निर्धारण केवल नकद आधार पर अनुमत है । वसूली नहीं गयी आय, जिसका पहले निर्धारण किया गया था, उसे प्रत्यावर्तित किया जाना है ।
2	एनपीए मानदंड	इसके पहले कि आस्ति एनपीए बन जाये, उपचय के आधार पर आय-निर्धारण निम्नानुसार : ऋण और अग्रिम : 6 महीने और 30 दिनों की पास्ट ड्यू अवधि तक (पास्ट ड्यू अवधि को 31 मार्च 2003 से समाप्त कर दिया गया) । पट्टा और किराया खरीद वित्त - 12 महीने
3	प्रतिबंधात्मक मानदंड	अपने ही शेयरों पर ऋण की अनुमति नहीं

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(जारी)*		
4	मांग/शीघ्रावधि मांग ऋण के संबंध में नीति	कंपनियों को मांग और शीघ्रावधि मांग ऋण के लिए वापस माँगे गये ऋणों के संबंध में निर्दिष्ट तिथि, ब्याज-दर,ऐसे ब्याज की आवधिकता, ऐसे कार्यसंपादन की आवधिक समीक्षा, आदि के लिए नीति बनानी चाहिए ।
5	लेखा मानक	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी किये गये सभी लेखा मानक और मार्गदर्शी टिप्पणियाँ सभी एनबीएफसी पर लागू हैं , जहाँ तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से असंगत नहीं हों ।
6	निवेशों के लिए लेखांकन	सभी एनबीएफसी के पास एक सुपरिभाषित निवेश नीति होनी चाहिए। निवेशों को दो कोटियों में वर्गीकृत किया गया है - (i) दीर्घावधि और (ii) चालू निवेश । दीर्घावधि निवेशों का मूल्यन आसीएआइ द्वारा जारी किये गये लेखा मानक के अनुसार किया जाना है । चालू निवेश का वर्गीकरण -(क) उद्धृत और (ख) अनुद्धृत के रूप में किया जाना है । चालू-उद्धृत निवेशों का मूल्यन लागत या बाजार मूल्य में से न्यूनतर पर किया जाता है। संपूर्ण मूल्यांकन की अनुमति -ब्लॉक के भीतर कल्पित लाभ या हानि की नेटिंग करने की अनुमति - लेकिन अंतर-ब्लॉक को अनुमति नहीं, निवल कल्पित लाभ की अनदेखी की जानी है, लेकिन कल्पित हानियों के लिए प्रावधान किया जाना है। चालू अनुद्धृत निवेशों के लिए मूल्यांकन मानदंड निम्नानुसार हैं : i. इक्विटी शेयर (लागत या विश्लेषित मूल्य या उचित मूल्य में से कम पर) ii. धारिता के समस्त ब्लॉक के लिए 1/- रुपया, यदि निवेशिती कंपनी का पिछले दो वर्षों का तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है । iii. अधिमानी शेयर लागत या अंकित मूल्य में से कम मूल्य पर । iv. सरकारी प्रतिभूतियाँ रखाव लागत पर । v. म्युचुअल फंड यूनिटें निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर प्रत्येक स्कीम के लिए, और vi. वाणिज्यिक पत्र (सीपी) इसकी रखाव लागत पर ।
7	आस्ति वर्गीकरण	सभी प्रकार के ऋण (प्राप्य राशियों सहित) को निम्नलिखित चार कोटियों में वर्गीकृत किया जाना है : · मानक आस्ति · अवमानक आस्ति · संदिग्ध आस्ति · हानि आस्ति
8	अनर्जक आस्तियों - ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधानन	मानक आस्तियाँ - कोई प्रावधान नहीं अवमानक आस्तियाँ - बकाया शेष का 10 प्रतिशत संदिग्ध आस्तियाँ - अप्रतिभूत हिस्से के लिए 100 प्रतिशत और प्रतिभूत हिस्से के लिए संदिग्ध आस्तियों की अवधि के आधार पर 20, 30 और 50 प्रतिशत । हानि आस्तियाँ - बकाये का 100 प्रतिशत

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(समाप्त)*

9	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानन - उपकरण पट्टा एवं किराया खरीद लेखा	· अप्रतिभूत हिस्से के लिए पूरा प्रावधान किया जाना है । · ईएल/एचपी आस्तियों के निवल बही मूल्य (एनबीवी) के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान । · एनपीए पर त्वरित अतिरिक्त प्रावधान एनपीए 12 महीनों या अधिक लेकिन 24 महीनों से कम के लिए : एनबीवी का 10 प्रतिशत एनपीए 24 महीनों या अधिक लेकिन 36 महीनों से कम के लिए : एनबीवी का 40 प्रतिशत एनपीए 36 महीनों या अधिक लेकिन 48 महीनों से कम के लिए : एनबीवी का 70 प्रतिशत एनपीए 48 महीनों या अधिक के लिए : एनबीवी का 100 प्रतिशत किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य का विचार केवल अतिरिक्त प्रावधान के लिए किया जायेगा । ऋण की अवधि का किसी भी ढंग से पुनर्निर्धारण किये जाने से आस्ति का नयी शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक कार्यसंपादन के 12 महीनों तक कोटि उन्नयन नहीं किया जायेगा । पुनः कब्जा की गयी आस्तियों को एनपीए की उसी कोटि में या अपनी आस्तियों में माना जायेगा - यह विकल्प कंपनी के पास होगा ।
10	जोखिम-भारांक और ऋण संपरिवर्तन कारक	· जोखिम-भारांक का प्रयोग सभी आस्तियों के लिए किया जायेगा, सिवाय अमूर्त आस्तियों के । · जोखिम-भारांक का प्रयोग संबंधित आस्तियों के विरुद्ध रखे गये प्रावधान की नेटिंग करने के बाद किया जायेगा । · जोखिम-भारांक हैं 0, 20 और 100 · स्वाधिकृत निधियों से कटौती की गयी आस्तियों , यथा, सहयोगियों या एक ही ग्रुप वाली कंपनियों या अमूर्त आस्तियों के प्रति एक्सपोजर के लिए 0 प्रतिशत जोखिम भारांक दिया जाना चाहिए । · अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) के प्रति एक्सपोजर के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भारांक और अन्य सभी आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भारांक । · तुलनपत्र बाह्य मदों को 50 या 100 पर गुणनखंड किया जाना है और तब जोखिम भारांक में बदलना है ।
11	प्रकटीकरण अपेक्षाएँ	1. प्रत्येक एनबीएफसी से यह अपेक्षित है कि वह अपने तुलनपत्र में ऊपर बताये गये प्रावधानों को बिना आय से या आस्तियों के मूल्य से घटाये अलग से प्रकट करे । 2. प्रावधानों को अलग-अलग लेखा शीर्षों में स्पष्ट रूप से निम्नानुसार इंगित किया जायेगा : i. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, और ii. निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान 3. ऐसे प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानि आरक्षित निधियों, यदि हो, से विनियोजित नहीं किया जाना चाहिए । 4. प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे प्रावधान लाभ-हानि लेखा में नामे लिखे जायेंगे। अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, जो सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियों के अंतर्गत धारित हों, उनके प्रति समायोजन किये बिना पुनरांकित किया जा सकता है । 5. निधि और चिट फंड कंपनियों को छूट-प्राप्त है ।

के समकक्ष लाया जा सके । विनियामक मानदंड, जो एनबीएफसी पर लागू हैं, बॉक्स 6.2 में दिये गये हैं । वर्ष के दौरान अंगीकृत विनियामक उपाय इस क्षेत्र की ब्याज दरों को शेष अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों के साथ संरेखित किये जाने, विवेकपूर्ण मानदंडों को कठोर करने, परिचालन क्रियाविधि को मानकीकृत किये जाने और भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमों को संशोधित कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं के साथ संरेखित किये जाने का लक्ष्य रखते हैं ।

नबीएफसी पर लागू होने वाले निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए निम्नानुसार व्यापक जमा-स्वीकरण और आस्ति-पक्ष विनियमों को जारी किया है ।

जबकि सभी विवेकपूर्ण मानदंड केवल जनता जमाराशि स्वीकार करने वाली/रखने वाली एनबीएफसी पर ही लागू होते हैं, कुछ विनियम जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनियों पर लागू होते हैं।

6.5 ब्याज दरें

वित्तीय क्षेत्र में प्रचलित ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए चिट फंड कंपनियों और निधि कंपनियों सहित एनबीएफसी द्वारा जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2001 से 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गयी और पुनः 1 नवंबर 2001 से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा मार्च 2003 से 11 प्रतिशत की गयी ।

6.6. *एनबीएफसी का उपकरण पट्टादायी और किराया खरीद वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकरण*

एनबीएफसी से प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में यह निर्णय लिया गया कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के पास पंजीकृत ऑटोमोबाइलों, एयरक्राफ्टों और जहाजों के दृष्टिबंधक पर दिये गये ऋणों और अग्रिमों को भी एनबीएफसी के उपकरण पट्टादायी और किराया खरीद वित्त कंपनी में वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ उपकरण पट्टा तथा किराया खरीद आस्तियों के सकल जोड़ में शामिल किया जाये ।

6.7. भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के साथ संरेखण

एनबीएफसी को दिये गये भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में परिवर्तन किये गये, ताकि उन्हें कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 में अंतर्विष्ट निदेशों के साथ संरेखित किया जा सके । तदनुसार सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे छोटे जमाकर्ताओं को परिपक्व जमाराशियों की चुकौती या ब्याज के भुगतान में चूक, यदि हों, की रिपोर्ट ऐसी चूक के 60 दिनों के भीतर कंपनी विधि बोर्ड को करें । 50 करोड़ रुपये और अधिक की आस्ति रखने वाली एनबीएफसी के अतिरिक्त कम से कम 5 करोड़ रुपये की चुकता पूँजी वाली एनबीएफसी को लेखापरीक्षा समितियाँ गठित करनी हैं । ऐसी समितियों की वे ही शक्तियाँ, कार्य और कर्त्तव्य होंगे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 में अधिकथित की गयी हैं । इसके अतिरिक्त कुछ एनबीएफसी, जो इसके पहले जनता जमाराशियाँ रखने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ थीं, अब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ बन गयी हैं। ऐसी एनबीएफसी को कंपनी निबंधक से नया निगमन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद पंजीयन प्रमाणपत्र में नाम बदले जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करना है, ताकि उनकी हैसियत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में प्रतिबिंबित हो ।

6.8. एनबीएफसी की अर्थसुलभ आस्ति प्रतिभूतियाँ

1 अक्तूबर 2002 से सभी एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से अपने निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में या तो किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास या स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआइएल) के पास कंस्टीट्युएंट्स सब्सिडियरी जेनरल लेजर एकाउंट (सीएसजीएल) में या निक्षेपागारों [नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)] के पास अभौतिक रूप में सेबी में पंजीकृत निक्षेपागार प्रतिभागी के माध्यम से रखना चाहिए । अतः भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को रखने की सुविधा वापस ले ली गयी है । सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड, जिन्हें अभौतिक नहीं बनाया गया है, भौतिक रूप में उस समय तक रखे जा सकते हैं, जब तक कि उन्हें अभौतिक नहीं बना दिया जाता । किसी एनबीएफसी द्वारा केवल एक सीएसजीएल या अभौतिक खाता खोला जा सकता है। यदि किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में सीएसजीएल खोला जाता है, खाताधारक को एक नामित निधि खाता (सीएसजीएल से संबंधित सभी लेनदेनों के लिए) उसी बैंक में खोलना है । यदि सीएसजीएल खाता ऊपर बतायी गयी किसी गैर बैंकिंग संस्था में खोला जाता है, तो नामित निधि खाता (किसी बैंक में) के विवरण उस संस्था को बताये जाने चाहिए। सीएसजीएल/नामित निधि खाता रखने वाली एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेनदेन पूरा किये जाने के पूर्व नामित निधि खाता में पर्याप्त निधि खरीद के लिए रहती है और बिक्री के लिए सीएसजीएल खाता में पर्याप्त प्रतिभूतियाँ उपलब्ध रहती हैं । सरकारी प्रतिभूतियों में आगे कोई लेनदेन एनबीएफसी द्वारा किसी दलाल के साथ तत्काल प्रभाव से भौतिक रूप में नहीं किया जाना चाहिए । सरकारी प्रतिभूतियों की भविष्य में खरीद-बिक्री से संबंधित लेनदेन अनिवार्य रूप से सीएसजीएल/डिमैट खाते के माध्यम से किया जाना है। भौतिक रूप से धारित सरकारी प्रतिभूतियों को 31 अक्तूबर 2002 तक अभौतिक बना दिया जाना था ।

6.9. लेखांकन मानक

लेखांकन मानक (एएस) 19 (पट्टों के लिए लेखांकन), जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी किया गया था, में यह स्पष्ट किया गया कि (i) किराया खरीद आस्तियों पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंड आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1अप्रैल 2001 को या उसके बाद लिखित वित्तीय पट्टों पर लागू होंगे और (ii) 31 मार्च 2001 तक लिखित पट्टे अब तक पट्टाकृत आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

6.10. सांविधिक लेखापरीक्षक

एनबीएफसी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र में यह बात दुहरानी होगी कि लेखापरीक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत जारी किये गये निदेशों के उल्लंघन, यदि हों, की रिपोर्ट सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक को करेंगे।

6.11. विवेकपूर्ण विनियम

कुछ एनबीएफसी मांग/शीघ्रावधि मांग ऋण असीमित अवधि के लिए या ब्याज दरों और चुकौती के संबंध में कोई शर्त बताये बिना दे रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ऋणों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन में समस्याएँ आती थीं । तदनुसार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी ऋण युक्तियुक्त रूप से वर्गीकृत किये जाते हैं और

एनपीए की स्थिति एनबीएफसी के वित्तीय विवरणों में सही रुप में प्रतिबिंबित होती है, दिशानिर्देश जारी किये गये । 31 मार्च 2003 से एनबीएफसी के लिए एनपीए की परिभाषा के संबंध में 'पास्ट ड्यू' की अवधारणा को समाप्त कर दिया जायेगा, जो विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में छमाही विवरणी में और 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में प्रतिबिंबित होगा । एनबीएफसी के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में निदेश के अनुसार जो एनबीएफसी जनता जमाराशि स्वीकार करती है/रखती है, उन्हें न्यूनतम निर्धारित जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) हर समय रखना सुनिश्चित करना होगा। तदनुसार, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए फार्मैट में संशोधन किया गया है । ऋणों की वसूली नहीं होने के भावी खतरे की पहचान के लिए भिन्न-भिन्न मानदंडों का प्रयोग करने की संभावना को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्तियों के हानि आस्तियों में वर्गीकरण के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किये हैं।

6.12. एनबीएफसी द्वारा विवरणियों का प्रस्तुतीकरण

कई एनबीएफसी समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणियाँ प्रस्तुत करने में शिथिलता बरतती रही हैं । ऐसी एनबीएफसी के विरुद्ध - प्रारंभ में उन एनबीएफसी के लिए, जिनके पास 50 करोड़ रुपये और अधिक की जनता जमाराशि है- विवरणियों का प्रस्तुतीकरण नहीं करने पर कार्रवाई करने पर विचार किया गया है। इस कार्रवाई में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा उपबंधित दंड लगाने के साथ-साथ चूक्कर्ता कंपनियों के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाहियाँ चलाना और इसके अतिरिक्त सीओआर के अस्वीकरण/निरसन पर विचार किया जाना शामिल है । एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की एक सूची अनुबंध 6.1 में दी गयी है ।

6.13. जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा

जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि उन मामलों में, जहाँ न्यायालय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फाइल की गयी समापन याचिकाएँ विचार के लिए स्वीकृत कर ली गयी हैं और अनंतिम परिसमापकों को नियुक्त कर दिया गया है या जहाँ जहाँ आपराधिक शिकायतें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फाइल की गयी हैं और न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर दिये गये हैं, वहाँ प्रेस विज्ञापन जारी किये जायें ।

6.14. आस्ति-देयता प्रबंधन

जुलाई 2001 में जारी किये गये दिशानिर्देशों के आधार पर, जो 31 मार्च 2002 से प्रभावी हुए, उन सभी एनबीएफसी में, जिनके पास 20 करोड़ रुपये और अधिक की जनता जमाराशि हो, और 100 करोड़ तथा अधिक रुपये की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी पर भी आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली परिचालनीय बना दी गयी है । इस आशय के अनुदेश भी जारी कर दिये गये हैं कि 30 सितंबर 2002 की स्थिति के अनुसार पहली विवरणी एनबीएफसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 31 अक्तूबर 2002 तक प्रस्तुत की जाये ।

अनुबंध 6.1 : 31 जनवरी 2007 की स्थिति के अनुसार डीएनबीएस द्वारा प्राप्त की गयी विवरणियों के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरणी का नाम	लघु नाम	आवृत्ति	संदर्भ तथि	प्रयोजन	किन्हें विवरणी फाइल करनी है
1	एनबीएफसी/एमएनबीसी द्वारा वार्षिक विवरणी	एनबीएस1	वार्षिक	31 मार्च	आस्ति एवं देयताओं के ब्यौरे	एनबीएफसी-डी/ एमएनबीसी
1	आरएनबीसी द्वारा वार्षिक विवरणी	एनबीएस 1ए	वार्षिक	31 मार्च	आस्ति एवं देयताओं के ब्यौरे	आरएनबीसी
2	एनबीएफसी और आरएनबीसी द्वारा छमाही विवरणी	एनबीएस2	छमाही	31 मार्च 30 सितंबर	पूँजीगत निधियाँ, जोखिम आस्तियाँ, आस्ति वर्गीकरण आदि	एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी
3	एनबीएफसी की सांविधिक अर्थसुलभ आस्तियों के संबंध में तिमाही विवरणी	एनबीएस3	तिमाही	31मार्च 30 जून 30 सितंबर 31 दिसंबर	सांविधिक अर्थसुलभ आस्तियाँ	एनबीएफसी-डी
3	आरएनबीसी की सांविधिक अर्थसुलभ आस्तियों के संबंध में तिमाही विवरणी	एनबीएस 3ए	तिमाही	31मार्च 30 जून 30 सितंबर 31 दिसंबर	सांविधिक अर्थसुलभ आस्तियाँ	आरएनबीसी
4	जमाराशियों की चुकौती के संबंध में मासिक विवरणी	एनबीएस4	मासिक	मास-अंत	जनता जमाराशियों, अन्य देयताओं, अर्थसुलभ आस्तियों, अन्य आस्तियों के ब्यौरे	जनता की जमाराशियाँ रखने वाली ऐसी एनबीएफसी जिनके पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिये गये हैं
5	मौद्रिक एवं पर्यवेक्षकीय विवरणी	एनबीएस5	तिमाही	31मार्च 30 जून 30 सितंबर 31 दिसंबर	आस्तियों के घटक, देयताएँ, ब्याज दरें, नकदी आगमन/ बहिर्गमन आदि	एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी, जो पिछले तुलनपत्र के अनुसार 20 करोड़ रुपये और अधिक की जनता जमाराशियाँ रखती हैं
6	पूँजी बाजार एक्सपोजर के संबंध में मासिक विवरणी	एनबीएस6	मसिक	मास-अंत	पूंजी बाजार एक्सपोजर के ब्यौरे	एनबीएफसी-डी, जो 50 करोड़ रुपये या अधिक की जनता जमाराशियाँ रखती हैं और आरएनबीसी, जिनकी जमाकर्ताओं के प्रति देयताएँ 50 करोड़ रुपये और अधिक हैं
7	उन एनबीएफसी की महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों के संबंध में मासिक विवरणी, जो जनता जमाराशियाँ नहीं स्वीकार करती हैं/ रखती हैं और जिनका आस्ति आकार 100 करोड़ रु. और अधिक है		मासिक	मास-अंत	निधियों का स्रोत और प्रयोग, लाभ-हानि लेखा, आस्ति वर्गीकरण, बैंक/ एफआइ का कंपनी पर एक्सपोजर, पूँजी बाजार के प्रति एक्सपोजरों के ब्यौरे	एनबीएफसी-एनडी, जिनका आस्ति आकार 100 करोड़ रुपये और अधिक है
8	आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) विवरणी		छमाही	31 मार्च 30 सितंबर	संरचनात्मक चलनिधि, अल्पावधि गत्यात्मक चलनिधि, ब्याज दर संवेदनशीलता, आदि	सभी एनबीएफसी, जिनका आस्ति आकार 100 करोड़ रुपये और अधिक और/या जनता जमाराशि 20 करोड़ रुपये और अधिक है

टिप्पणी : एनबीएफसी-डी -> जमाराशि ग्रहण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी); एमएनबीसी -> विविध गैर बैंकिंग कंपनी; आरएनबीसी - > अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी; एनबीएफसी-एनडी -> जमाराशि नहीं ग्रहण करने वाली एनबीएफसी

7. सरकारी प्रतिभूति बाजार के संबंध में सांख्यिकी

7.1. परिचय

सरकारी प्रतिभूति बाजार सबसे पुराना और बाजार पूँजीकरण, बकाया प्रतिभूतियों, लेनेदेन के परिमाण और प्रतिभागियों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावशाली है । यह न केवल सरकार को इसकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन-स्रोत प्रदान करता है, वरन् भिन्न-भिन्न परिपक्वता वाले कंपनी पत्रों के मूल्य-निर्धारण के लिए बेंचमार्क भी निर्धारित करता है तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की लिखत के रूप में प्रयोग किया जाता है । इस खंड में लिखतें होती हैं नियत कूपन बांड,जिन्हें आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है, खजाना बिल, अस्थिर दर वाले बांड, शून्य कूपन बांड, और इन्फ्लेशन इंडेक्स बांड । केंद्र और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ, दोनों ही ऋण बाजार के इस खंड को समाविष्ट करती हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैंक) देश के लोक ऋण परिचालनों का नियंत्रण और प्रबंधन करता है तथा केंद्र और राज्य सरकारों के नये ऋणों, मुख्यतया दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम और चुकौती अपने लोक ऋण कार्यालयों के माध्यम से करता है । आंतरिक कर्ज के नियंत्रण और प्रबंधन के कार्य को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 14 केंद्रों में स्थापित 15 लोक ऋण कार्यालयों के माध्यम से एक विकेंद्रीकृत प्रणाली थी । लोक ऋण कार्यालय-व-तयशुदा लेनदेन प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस) का कंप्यूटरीकरण हो जाने से लोक ऋण कार्यालय प्रणाली अब एक एकीकृत सत्याभासी केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में परिचालित होती है ।

सरकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित प्रमुख आँकड़े विविध आँकड़ा प्रणाली से एकत्र किये जाते हैं और उन्हें संकलित कर मानक परिभाषाओं, वर्गीकरणों, समयनिष्ठता और संबंधित दिशानिर्देशों के साथ, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, यथा आईएमएफ के आँकड़ा प्रसार मानक, बैंक के प्रकाशनों में प्रकाशित किया जाता है।

7.1.1. प्रयोजन

इस दस्तावेज का प्रयोजन सरकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित आँकड़ों के बारे में प्रमुख विवरण के संबंध में एक पुस्तिका के रूप में जानकारी देना है, जिसे नियमित रूप से बैंक के प्रकाशनों में प्रकाशित किया जाता है । दस्तावेज का लक्ष्य है पद्धतिमूलक ढाँचे के संबंध में मूलभूत जानकारी देना, जिसमें मूलभूत सूचना प्रणाली, परिभाषा एवं मापन, कार्य-प्रक्रिया, यथा, आँकड़ा संग्रह, संकलन और प्रसार शामिल हैं ।

7.1.2. क्षेत्र-विस्तार

यह दस्तावेज उपयोगकर्ता को बैंक के प्रकाशनों में प्रकाशित आँकड़ों से संबंधित दिशानिर्देश उपलब्ध कराता है । यह बेहतर समझदारी, प्रलेखन, कार्य निरंतरता, मानकीकरण और ऐतिहासिक परिदृश्य को जानने में सुविधापूर्ण होगा।

इस दस्तावेज को निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित किया गया है : खंड 7.2 में एक विश्लेषणात्मक परिदृश्य अंतर्विष्ट है, जिसमें क्षेत्र के महत्व, मापन संबंधी आवश्यकता और आँकड़ा प्रणाली की परिरेखा को निर्धारित करने वाले प्रमुख पैरामीटरों या संकेतकों की रूपरेखा बतायी गयी है । खंड 7.3 में अवधारणाओं, परिभाषाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित विविध सांख्यिकी में दिये गये भिन्न-भिन्न प्रकार के आँकड़ों के वर्गीकरण की पद्धति का वर्णन किया गया है । खंड 7.4 में संबंधित आँकड़ों को एकत्र करने के लिए उपयोग किये गये स्रोतों और प्रणालियों का वर्णन किया गया है । खंड 7.5 में बैंक के उन प्रकाशनों की सूची अंतर्विष्ट है, जिनमें इसी प्रकार के आँकड़ा सेट दिये गये हैं । विविध सांख्यिकी सारणियों में प्रयुक्त पदों की विस्तृत शब्दावली और प्रत्येक सारणी के रूप और विषय-वस्तु को भी रेडी रेकॉनर के रूप में संलग्न किया गया है ।

7.2. विश्लेषणात्मक परिदृश्य

सरकारी प्रतिभूति (जी-सिक) बाजार भारतीय ऋण बाजार का बाजार पूँजीकरण, बकाया प्रतिभूतियों ओर लेनदेन के परिमाण की दृष्टि से सबसे पुराना और सबसे बड़ा घटक है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम से प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक लोक ऋण का प्रबंध करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से भारतीय मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋण जारी करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के लिए ऋण प्रबंधक होता है । यह सरकारी प्रतिभूति बाजार का विनियामक भी होता है । लोक ऋण अधिनियम, 1944 वह ढाँचा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं और उनका शोधन किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक परिनियम द्वारा केंद्र सरकार के ऋण का प्रबंधक है। भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के ऋणों का प्रबंध अलग करारनामे के आधार पर करता है । सरकार के बाह्य ऋण का प्रबंध वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है । केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के ऋण प्रबंधक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार के परामर्श से परिपक्वता प्रोफाइल, निर्गम का समय, ऋण का संघटन और जारी की गयी लिखतों के प्रकार का प्रबंध करता है । परिचालन की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी ऋण के निर्गम, शोधन और चुकौती संबंधी कार्य करता है ।

लोक ऋण प्रबंधन वह प्रक्रिया है, जिसमें लागत/जोखिम उद्देश्यों की सीमा के भीतर निधीयन के लिए अपेक्षित धनराशि जुटाने के लिए सरकार के ऋण का प्रबंध करने हेतु नीति बनायी जाती है और उसका निष्पादन किया जाता है । लोक ऋण प्रबंधन में अन्य कार्य भी सम्मिलित हैं, यथा, केंद्र और राज्य सरकारों की नकदी तथा चलनिधि का प्रबंधन तथा सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अर्थसुलभ और गंभीर बाजार का विकास करना, जो लोक ऋण की लागत को कम करने में मददगार हो।

सरकारी प्रतिभूति बाजार का ढाँचा केंद्रीय बैंक को खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) का संचालन करने के लिए एक उपयोगी साधन मुहैया कराता है और नोट निर्गमन प्राधिकारी के रूप में इसकी भूमिका को समर्थन

प्रदान करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये सरकारी प्रतिभूति आधारित कार्यकलापों में सम्मिलित हैं (क) समय-समय पर सरकारी ऋण की नीलामी करना, (ख) नयी लिखतें आरंभ करना, ऋण की परिपक्वता संरचना को सरल बनाना, ऋण को बाजार से संबंधित दर पर रखना और सरकारी प्रतिभूति बाजार की गहनता एवं चलनिधि में सुधार लाने के लिए एक सक्रिय द्वितीयक बाजार विकसित करना, (ग) विविध लिखतों, यथा, खुला बाजार परिचालन, रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से चलनिधि परिचालन, जैसे और जब अपेक्षित हो, तथा एमएसएस बांड जारी करना।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत सरकार रुपया प्रतिभूतियों में समाविष्ट होती थीं (i) केंद्र सरकार द्वारा लोक ऋणों के संबंध में जारी की गयी विभिन्न परिपक्वता अवधियों वाली दिनांकित प्रतिभूतियाँ, (ii) खजाना बिल और (iii) तदर्थ खजाना बिल ।भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33(1) के अंतर्गत भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ बैंक के निर्गम विभाग की मुख्य आस्तियों में से एक होती हैं।

सरकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित आँकड़ा प्रणाली का विश्लेषणात्मक परिदृश्य, जो बैंक के लिए प्रासंगिक है, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट (डब्लूएसएस) के आँकड़ा ढाँचे पर आधारित है । यह उल्लेखनीय है कि डब्लूएसस में प्रकाशित विविध सारणियों की उत्पत्ति का आधार भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम और बैंकिंग विभागों के साप्ताहिक कार्य विवरण होते हैं । विविध सारणियों के विनिर्दिष्ट फर्मैट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (1) के अनुसार होते हैं और इनमें कोई बड़ा परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार की सहमति से किया जाता है, जैसे और जब आवश्यक हो।

7.2.1. गतिविधियाँ और क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकता

नब्बे के दशक से पहले सरकारी प्रतिभूति बाजार वस्तुतः दृश्यमान नहीं था, क्योंकि यह आस्तियों के मूल्य निर्धारण पर कठोर नियंत्रण, बाजारों के खंडीकरण तथा उसमें प्रवेश में अवरोधों, चलनिधि के न्यून स्तर, बाजार के खिलाड़ियों की सीमित संख्या, पारदर्शिता का लगभग अभाव, उच्च लेनदेन की लागत के अंतर्गत परिचालन करता था । वित्तीय सुधारों ने भारतीय ऋण बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाकर उसे और बेहतर बना दिया है । अधिकांश ऋण लिखतों का अब बाजार में मुक्त रूप से मूल्य निर्धारण किया जाता है; लेनदेन के तंत्र को बदला गया है, ताकि उसमें उच्चतर स्तर की पारदर्शिता परिलक्षित हो, उच्चतर चलनिधि, और न्यून लेनदेन लागत हो; बाजारों में नये प्रतिभागियों ने प्रवेश किया है, जिन्होंने बाजारों में खिलाड़ियों के प्रकार का व्यापक आधार बनाया है; प्रतिभूति के निर्गम की पद्धति और लिखतों के विन्यास में नवोन्मेष हुआ है; और बाजार सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ।

नब्बे के दशक में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सिक) के बाजार में महत्वपूर्ण नीति संबंधी सुधार परिलक्षित हुआ । नब्बे के दशक के प्रारंभ में सरकारी उधार के लिए नीलामी आधारित कीमत निर्धारण प्रणाली आरंभ की गयी; उधार कार्यक्रम के लिए युक्तियुक्त लिखतों और तंत्र का विकास किया गया; बाजार उधारों और द्वितीयक बाजार लेनदेनों के संबंध में सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई; और बैंकों के जी-सिक संविभागों के बाजार मूल्य को बही में अंकित करने से भारतीय रिज़र्व बैंक के आय-वक्र में विकास देखा गया । नब्बे के दशक के मध्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों की प्रणाली को आरंभ किया; नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सृजन जी-सिक के लेनदेन के लिए पहले औपचारिक तंत्र के रूप में किया गया; प्रतिभूतियों के निपटान में सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) प्रणाली जारी की गयी; जी-सिक बाजारों में खिलाड़ियों की संख्या नीलामियों में गैर प्रतियोगी बोली लगाने, संघटक एसजीएल (सहायक सामान्य खाता-बही) खाते और श्रेष्ठ प्रतिभूति निधियों की स्थापना संबंधी सुविधा देते हुए बढ़ायी गयी; और

रेपो का पुनः उद्भव अल्पावधि चलनिधि प्रबंधन की महत्वपूर्ण लिखत के रूप में हुआ।

नब्बे के दशक के अंत ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के माध्यम से बाजार आधारित चलनिधि व्यवस्था का उद्भव; रेपो बाजार का विस्तार; जी-सिक में द्वितीयक बाजार लेनदेनों की संख्या और परिमाण में वृद्धि; बाजार आय-वक्र का सृजन; घाटों के स्वयमेव मुद्रीकरण का पूरी तरह रुकना; निरंतर समीक्षा तंत्र का सृजन, यथा, भारत सरकार के नकदी एवं कर्ज प्रबंधन के संबंध में अनुश्रवण ग्रुप; और स्वनियामक उद्योग निकायों का उद्भव, यथा, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआइ) तथा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआइएमएमडीए), देखा।

बैंक द्वारा आंतरिक कर्ज प्रबंधन पर अप्रैल 1992 से ध्यान दिया गया । केंद्र सरकार के लोक ऋण का प्रबंधन करना बैंक के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 20 के अंतर्गत सौंपा गया दायित्व है । केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के लिए नीति, आयोजना और निष्पादन, भिन्न-भिन्न परिपक्वता वाले भारत सरकार खजाना बिलों के निर्गम से संबंधित कार्य पर ध्यान दिया गया और उन्हें पारदर्शी बनाया गया । राज्य वित्त संबंधी कार्यकलाप पर भी स्पष्ट ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम की आयोजना और निष्पादन से संबंधित कार्य समय पर और व्यवस्थित ढंग से किया जा सके । इसमें वित्त मंत्रालय से ब्यौरे प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकारों को बाजार उधार कार्यक्रम की सूचना देना, राज्य के वित्त सचिव की बैठक के आयोजन सहित निर्गम पूर्व व्यवस्था पर ध्यान देना शामिल है । बैंक के कर्ज प्रबंधन परिचालनों के वर्तमान उद्देश्य नीचे संक्षेप में बताये गये हैं :

- केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कर्ज और नकदी प्रबंधन परिचालनों को इस उद्देश्य से अपने हाथ में लेना कि सरकारी उधार की लागत को लंबे समय में कम किया जा सके, जो मौद्रिक नीति के उद्देश्य से संगति रखता है ।
- एक गंभीर और अर्थसुलभ सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास करना ।
- सरकारी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना।
- मौद्रिक नीति के लिए संप्रेषण तंत्र का सुधार करना और मौद्रिक नीति की अप्रत्यक्ष लिखतों के उपयोग को सुसाध्य बनाना ।
- सभी परिपक्वता के लिए आय-वक्र का विकास करना, ताकि ऋण बाजार के विकास के लिए बेंचमार्क दिये जा सकें ।
- चलनिधि और बाजार जोखिम का प्रबंध करने के लिए हेजिंग उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान करना ।

7.3. अवधारणा, परिभाषा और वर्गीकरण

7.3.1. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) - रेपो और रिवर्स रेपो

एलएएफ का आशय है प्रणाली में मुख्यतः दिन-प्रतिदिन के चलनिधि असंतुलनों को दूर करना और इसका आशय पात्र संस्थाओं की वित्तीय जरूरतें पूरा करना नहीं है । चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की योजना 5 जून 2000 से आरंभ की गयी । इस योजना के अंतर्गत रेपो नीलामी (चलनिधि के अवशोषण के लिए) और रिवर्स रेपो नीलामी (चलनिधि के अंतःक्षेप के लिए) दैनिक आधार पर आरंभ की गयी (शनिवार को छोड़कर) । लेकिन बीच में पड़ने वाले अवकाश के दिनों और शुक्रवार के लिए रेपो की अवधि एक दिन थी । शुक्रवारों को नीलामी तीन दिनों के लिए की जाती थी । रेपो नीलामी प्रारंभ में 'एक समान कीमत' आधार पर की जाती थी और उसके बाद यह 'बहुविध कीमत' आधार पर की जाती थी । रेपो और रिवर्स रेपो, दोनों के संबंध में ब्याज दर प्रतिभागियों द्वारा लगायी गयी बोलियों पर आधारित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुम्बई में निश्चित की गयी कट-ऑफ दरों के अधीन होती थी । एक दिवसीय रेपो के

अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक पर 14 दिनों तक रेपो का संचालन करता था । दिवसीय रेपो के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक पर 14 दिनों तक रेपो का संचालन कर सकता था । सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी, जिनके चालू और एसजीएल खाते भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में हैं, एलएएफ के अंतर्गत रेपो और रिवस रेपो नीलामियों में भाग लेने के पात्र होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा - आशोधित योजना चलनिधि समायोजन सुविधा के संबंध में इंटर्नल ग्रुप की सिफारिशों तथा बाजार प्रतिभागियों एवं विशेषज्ञों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 29 मार्च 2004 से आरंभ की । आशोधित योजना की विशेषताएँ निम्नानुसार थीं (सारणी 7.1)

भारतीय रिज़र्व बैंक एलएएफ के लिए सुबह में बोलियाँ प्राप्त करता है। वित्तीय बाजार समिति प्रतिदिन 12.00 बजे दोपहर में बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए बैठक करती है। प्रणाली में से चलनिधि निकाले जाने या उसमें चलनिधि डाले जाने की वास्तविक राशि का निश्चय इस बात को ध्यान में रख कर किया जाता है कि बाजार में चलनिधि की स्थिति, ब्याज दर की स्थिति और नीति का स्वरूप क्या है । ब्याज की दर बोलियों में प्राप्त भाव पर निर्भर करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ अवसरों पर रेपो नीलामियों में सभी बोलियों को अस्वीकृत भी किया है।

सारणी 7.1 : आशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा योजना की विशेषताएँ

1	अवधि-रेपो अवधि - रिवर्स रेपो	7-दिवसीय नियत दर रेपो प्रतिदिन संचालित (1-दिवसीय रेपो 1 नवंबर 2004 से) 1-दिवसीय रात भर का नियत दर रिवर्स रेपो केवल सप्ताह के दिनों में
2	विकल्प	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह विकल्प है कि वह एक दिवसीय रेपो या लंबे समय का रेपो नियत दर पर या भिन्न-भिन्न दरों पर संचालित करे, जो बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक पर रेपो और रिवर्स रेपो के बीच फैलाव में परिवर्तन कर सकता है ।
3	प्रतिभागी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी, जिनके चालू खाते और एसजीएल खाते भारतीय रिज़र्व बैंक में हों।
4	रेपो दर	4.50% (मौद्रिक नीति समीक्षा -अक्तूबर 2004 ने रेपो दर को बढ़ाकर 4.75% कर दिया) @
5	रिवस रेपो दर	रेपो दर से ऊपर 150 आधार अंक (मौद्रिक नीति समीक्षा -अक्तूबर 2004 फैलाव को कम करके 125 आधार अंक कर दिया) @ इसलिए रिवर्स रेपो दर है 4.75%+1.25%=6.00%
6	बोली लगाना	बोलियाँ इलेक्ट्रानिक माध्यम से एनडीएस के जरिए प्रस्तुत की जायेंगी । बोलियों के प्रस्तुतीकरण का कट-ऑफ समय है 10.30 बजे प्रातःकाल - नीलामी का परिणाम 12.00 दोपहर तक घोषित होगा।
7	बोली-आकार	न्यूनतम 5 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये के गुणज
8	पात्र प्रतिभूतियाँ	सभी एसएलआर पात्र अंतरणीय भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ/ खजाना बिल
9	प्रकार	रेपो 'होल्ड-इन-कस्टडी' के रूप में संचालित किया जायेगा, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक प्रतिभागियों के लिए अभिरक्षक के रूप में कार्य करेगा और उनकी ओर से प्रतिभूतियों को रेपो/रिवर्स रेपो कंस्टीट्युएंट्स खाते में रखेगा ।

@ रेपो और रिवर्स रेपो दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर आशोधित की जाती हैं ।

मौद्रिक नीति समीक्षा, अक्तूबर 2004 में, रेपो दर को 4.50% से बढ़कर 4.75% कर दिया गया है और रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर के बीच फैलाव को 150 आधार अंक से घटाकर 125 आधार अंक कर दिया गया है । तदनुसार, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः 4.75% और 6.00% थी ।

1 नवंबर 2004 से चलनिधि समायोजन सुविधा योजना ओवरनाइट नियत दर वाले रेपो और रिवर्स रेपो के साथ परिचालित की जा रही है । तदनुसार, 7-दिवसीय और 14-दिवसीय रेपो की नीलामी 1 नवंबर 2004 से बंद कर दी गयी। रिज़र्व बैंक के पास यह विकल्प अभी भी है कि वह ओवरनाइट/ दीर्घावधि रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी नियत दर या भिन्न-भिन्न दरों पर करे, जो बाजार की स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करता हो ।

हाल में हुए कुछ नीति संबंधी परिवर्तन, जो आँकड़ा परिभाषा को प्रभावित करते हैं, निम्नानुसार हैं :

- नीति संबंधी एक निर्णय लिया गया कि एलएएफ परिचालनों के अंतर्गत 'रेपो' और 'रिवर्स रेपो' पदों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसा प्रयोग होता है, उसे अंगीकृत किया जाये ।29 अक्तूबर 2004 से 'रेपो' पद का प्रयोग उन एलएएफ परिचालनों के लिए किया जा रहा है, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि का अंतःक्षेप करता है (पहले इसे रिवर्स रेपो कहते थे) ।
- चलनिधि के प्रबंधन में छोटे-मोटे समायोजन करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि 28 नवंबर 2005 से द्वितीय एलएएफ (एसएलएएफ) आरंभ किया जाये। एसएलएएफ 3.00 बजे अपराह्न से 3.45 बजे अपराह्न तक संचालित किया जायेगा । रिवर्स रेपो दर और रेपो दर के बीच फैलाव 100 आधार अंक है ।

एलएएफ परिचालन के संबंध में दैनिक आँकड़े विनिर्दिष्ट फार्मैट में प्रकाशित किये जाते हैं । आँकड़ों का फार्मैट और उसके साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अनुबंध 7.1 में दी गयी हैं।

7.3.2. खजाना बिल

खजाना बिल अल्पावधि कर्ज लिखत होते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं । खजाना बिल सरकार के नकदी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । जोखिम मुक्त होने के कारण विभिन्न परिपक्वताओं पर उनकी आय अल्पावधि बेंचमार्क के रूप में काम करती है और बाजार में विभिन्न प्रकार के अस्थिर दर वाले उत्पादों के मूल्य निर्धारण में मददगार होती हैं।

1988 तक केवल एक प्रकार का जो खजाना बिल उपलब्ध होता था, वह 91-दिवसीय खजाना बिल होता था, जो मांग के अनुसार प्राप्य होता था; जिसकी नियत दर 4.5% होती थी (इन बिलों पर 4.5% की दर 1974 से अपरिवर्तित रही थी) । 182-दिवसीय खजाना बिल 1987 से आरंभ किये गये, और खजाना बिलों के लिए नीलामी प्रक्रिया आरंभ की गयी, 364-दिवसीय खजाना बिल अप्रैल 1992 में आरंभ किये गये, और जुलाई 1997 में 14-दिवसीय खजाना बिल भी आरंभ किये गये । भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1992 से 182-दिवसीय खजाना बिलों को जारी करना निलंबित कर दिया, और मई 1999 से उन्हें फिर से जारी करना आरंभ किया । सभी खजाना बिल अब एक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से नियत नीलामी कैलेंडर के अनुसार, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित किये जाते हैं, बेचे जाते हैं। तदर्थ खजाना बिलों को, जो केंद्र सरकार के बजट घाटों का स्वयमेव मुद्रीकरण कर देते थे, 1997 में बंद कर दिया गया। सभी खजाना बिलों के निर्गम अब केंद्र सरकार के बाजार उधारों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

मांग के अनुसार प्राप्य 91-दिवसीय खजाना बिलः साठ के दशक के पहले 91-दिवसीय खजाना बिल नीलामी आधार पर बेचे जाते थे । बाद में, साठ के दशक के मध्य से इन खजाना बिलों के स्थान पर निरंतर

बिक्री वाले खजाना बिलों को आरंभ किया गया । टैप बिलों की दरें 1974 तक बैंक दर में परिवर्तन के साथ सुसंगत रूप से परिवर्तित होती रहीं और उसके बाद टैप बिलों पर बट्टा दर 4.6% पर नियत कर दी गयी ।

खजाना बिलों की अन्य परिपक्वताएँ : 182-दिवसीय खजाना बिलों को नीलामी आधार पर नवंबर 1986 में आरंभ किया गया । अप्रैल 1992 से 182-दिवसीय खजाना बिलों के स्थान पर 364-दिवसीय खजाना बिल पाक्षिक नीलामी के आधार पर आरंभ किये गये । बाद में, 91-दिवसीय खजाना बिलों को नीलामी आधार पर जनवरी 1993 में आरंभ किया गया । जब तदर्थ खजाना बिल अप्रैल 1997 में बंद किये गये, ताकि सरकार बेहतर नकदी प्रबंधन कर सके और राज्य सरकारों तथा कुछ विदेशी केंद्रीय बैंकों को अधिशेष निधियाँ निवेश करने का अवसर मिले, 14-दिवसीय खजाना बिल अप्रैल 1997 में आरंभ किये गये । बाद में, 14-दिवसीय खजाना बिलों और 182-दिवसीय खजाना बिलों को बंद कर दिया गया । वर्तमान में, 91-दिवसीय खजाना बिल, 182-दिवसीय खजाना बिल और 364-दिवसीय खजाना बिल नीलामी आधार पर बेचे जाते हैं । सारणी 7.2 में विभिन्न परिपक्वता वाले खजाना बिलों के आरंभ और बंद किये जाने का कालानुक्रम दिया गया है।

जैसाकि ऊपर की सारणी से देखा जा सकता है, इस समय 91-दिवसीय खजाना बिल साप्ताहिक आधार पर और 182-दिवसीय तथा 364-दिवसीय खजाना बिल पाक्षिक आधार पर बेचे जाते हैं । 91-दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी प्रत्येक बुधवार को 500 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के साथ की जाती है और 182-दिवसीय खजाना बिलों तथा 364-दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी प्रत्येक दूसरे बुधवार को क्रमशः 500 करोड़ रुपये और 1000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के साथ की जाती है । खजाना बिलों में निवेश करने वाले होते हैं बैंक, प्राथमिक व्यापारी, राज्य सरकारें, भविष्य निधियाँ, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ,

सारणी 7.2 : खजाना बिल - विकास का कालानुक्रम

खजाना बिल का प्रकार	आरंभ किये गये	बंद किये गये
91-दिवसीय खजाना बिल साप्ताहिक नीलामी पर	पचास के दशक के पूर्व	पचास के दशक के मध्य में
91-दिवसीय तदर्थ खजाना बिल	पचास के दशक के मध्य में	अप्रैल 1997
91-दिवसीय खजाना बिल मांग के अनुसार प्राप्य	पचास के दशक के मध्य में	मार्च 1997
182-दिवसीय खजाना बिल साप्ताहिक नीलामी पर	नवंबर 1986	अप्रैल 1992
14-दिवसीय खजाना बिल साप्ताहिक नीलामी पर	अप्रैल 1997	मई 2001
364-दिवसीय खजाना बिल पाक्षिक नीलामी पर	अप्रैल 1992	
91-दिवसीय खजाना बिल साप्ताहिक नीलामी पर	जनवरी 1993	
182-दिवसीय खजाना बिल साप्ताहिक नीलामी पर	जून 1999 में पुनः आरंभ किये गये	मई 2001
182-दिवसीय खजाना बिल साप्ताहिक नीलामी पर	अप्रैल 2005 में पुनः आरंभ किये गये	

एनबीएफसी, विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीय ।

खजाना बिल नीलामी के सारांश से संबंधित साप्ताहिक आँकड़े एक विनिर्दिष्ट फार्मैट में प्रकाशित किये जाते हैं । आँकड़ों का फार्मैट और उसके साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अनुबंध 7.2 में दी गयी हैं।

7.3.3 सरकारी प्रतिभूति

''सरकारी प्रतिभूति'' से अभिप्रेत है लोक ऋण जुटाने या किसी अन्य प्रयोजन से, जो सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाये और लोक ऋण अधिनियम, 1944 में उल्लिखित किसी एक प्ररूप में हो, सरकार द्वारा सृजित और जारी की गयी कोई प्रतिभूति ।

कोई सरकारी प्रतिभूति यथाविनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अधीन उन प्ररूपों में होगी, जो निर्धारित की जायें या निम्नलिखित में से किसी एक प्ररूप में होगी :

(i) सरकारी वचनपत्र, जो किन्हीं व्यक्तियों को या उनके आदेश पर देय हो; या (ii) वाहक बांड, जो वाहक को देय हो; या (iii) स्टॉक; या (iv) बांड लेजर खाते में धारित बांड ।

केंद्र सरकार ऋण बाजारों में बाजार उधारों के माध्यम से संसाधन जुटाती है, जो प्रमुखतया राजकोषीय घाटे का निधीयन करने के लिए होते हैं। बाजार उधार, जिसने 1990-91 में लगभग 18% के सकल राजकोषीय घाटे का निधीयन किया, ने 2000-01 में 68.64% सकल राजकोषीय घाटे का निधीयन प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है । 1997 में घाटे के स्वयमेव मुद्रीकरण की प्रथा समाप्त कर दिये जाने के बाद से सरकार के बाजार उधार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । राज्य सरकार के बांड निर्गम के कार्य का प्रबंध इस समय केंद्र के उधारों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है । राज्य-घाटे के एक हिस्से का निधीयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार उधारों के माध्यम से किया जाता है ।

जी-सिक के निर्गम की प्रक्रिया में नब्बे के दशक में नीलामी तंत्र आरंभ किये जाने, और प्राथमिक व्यापारियों की प्रणाली का सृजन करके नीलामियों में सहभागिता का व्यापक आधार बनाये जाने से और गैर प्रतियोगी बोली आरंभ किये जाने से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक एक प्रेस अधिसूचना के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की घोषणा करता है, और बोलियाँ आमंत्रित करता है । मुहरबंद बोलियाँ (बोलियाँ, जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से और भौतिक रूप से प्राप्त होती हैं) एक नियत समय में खोली जाती हैं और आबंटन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कट-ऑफ कीमत के आधार पर किया जाता है । सफल बोली लगाने वाले वे होते हैं, जो उच्चतर कीमत पर बोली लगाते हैं और कट-ऑफ कीमत पर स्वीकृत राशि निःशेष कर देते हैं ।

खजाना बिल की नीलामी की डिजाइन सरकारी उधार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है ।

नीलामी डिजाइन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- उच्चतर परिमाण में नीलामी करना, जो हामीदारी और/या न्यागमन का आश्रय लिये बिना लक्ष्यित उधार अपेक्षाओं को पूरा करे ;
- सहभागिता को व्यापक बनाना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोलियाँ संकेंद्रित या विषम नहीं होतीं; और
- सरकार के लिए उधार की इष्टतम (न्यूनतम संभव) लागत का लक्ष्य प्राप्त करके दक्षता को सुनिश्चित करना।

खजाना बिलों की नीलामियों में दो पसंद, जिहें व्यापक रूप से जाना जाता है और प्रयोग किया जाता है, (क) विभेदक कीमत नीलामी (फ्रेंच ऑक्शन) और (ख) एक समान कीमत नीलामी (डच ऑक्शन) हैं । इन दोनों प्रकार की नीलामियों में विजेता बोलियाँ वे होती हैं, जो प्रस्ताव देने पर ही उच्चतम उद्धृत कीमत (या न्यूनतम उद्धृत आय) पर राशि को निःशेष कर देती हैं । तथापि, किसी एकसमान कीमत नीलामी में सभी सफल बोली लगाने वाले एक समान कीमत का भुगतान करते हैं, जो सामान्यत: कट-ऑफ कीमत (आय) होती है । विभेदक कीमत नीलामी के मामले में, सभी सफल बोली लगाने वाले वास्तविक कीमत (आय) का भुगतान करते हैं, जिसके लिए वे बोली लगाते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक पर बोलियों को अस्वीकृत कर सकता है, जब बोलियाँ उन दरों पर प्राप्त होती हैं, जो उन दरों से अधिक होती हैं, जिन पर भारतीय रिज़र्व बैंक कर्ज लेना चाहता है । जिस कीमत-निर्धारण का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक प्राप्त करना चाहता है और प्रतिभागियों के बोली पैटर्न पर बोली की सफलता और न्यागमन आश्रित होते हैं ।

खजाना बिलों की नीलामी में गैर प्रतियोगी बोलियाँ भी विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं । इन बोलियों पर आबंटन पहले अधिसूचित राशि में से किया जायेगा, जो सभी सफल बोलियों की भारित औसत कीमत पर होगा।

दिनांकित प्रतिभूति के प्राथमिक निर्गम में प्रयुक्त कुद प्रमुख पद निम्नानुसार हैं (तुलनीय: अनुबंध 7.5 में अन्य पदों के लिए शब्दावली)।

किसी प्रतिभूति में प्रत्येक लेनदेन की तदनुरूपी आय की गणना निम्नलिखित परिपक्वता आय और कीमत संबंध से की जाती है :

$$P + bpi = \sum_{i=1}^{n} \frac{c/v}{(1 + {}^{y}/_{v})^{vt_i}} + \frac{F}{(1 + {}^{y}/_{v})^{vt_n}}$$

जहाँ,

P = बांड की कीमत

bpi = खंडित अवधि ब्याज

c = वार्षिक कूपन भुगतान

y = परिपक्वता आय

v = एक वर्ष में कूपन भुगतानों की संख्या

n = परिपक्वता तक कूपन भुगतानों की संख्या

F = बांड का शोधन भुगतान

t_i = जब तक iवाँ कूपन का भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक वर्ष में समय-अवधि

दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में तिमाही आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में पूर्व-डिजाइन वाले फार्मैट में प्रकाशित किये जाते हैं । आँकड़ों का फार्मैट और साथ में व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुबंध 7.3 में दी गयी है ।

7.3.4. सरकारी प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार

द्वितीयक बाजार में बकाया प्रतिभूतियों का लेनदेन किया जाता है । यह पद प्राथमिक या प्रारंभिक बाजार से भिन्न होता है, जब प्रतिभूतियाँ पहली बार बेची जाती हैं । द्वितीयक बाजार प्रतिभूति की प्रारंभिक सार्वजनिक बिक्री के बाद किये जाने वाले क्रय और विक्रय को निर्दिष्ट करता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ ज्योंही जारी की जाती हैं, त्योंही उन्हें सूचीबद्ध हुआ मान लिया जाता है । सरकारी प्रतिभूति बाजार मुख्यतः थोक बाजार होते हैं, जहाँ लेनदेन एनडीएस और एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म पर भी किये जाते हैं । चूँकि अधिकांश संस्थागत प्रतिभागियों को अपने लेनदेन की रिपोर्ट पीडीओ को करनी होती है, और एसजीएल के माध्यम से भुगतान करना होता है, इसलिए एसजीएल लेनदेनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेनों के संबंध में सारांश आँकड़े प्रदान करती है । एनडीएस के आरंभ किये जाने से बाजार प्रतिभागियों को निपटान के दिन ही प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए निपटान निधियों की मांग के संबंध में निश्चितता प्रदान की गयी है, जिसके फलस्वरूप बाजार प्रतिभागियों के बीच उन्नत नकदी और चलनिधि प्रबंध हो सका है ।

बैंकों के अतिरिक्त भविष्य निधियाँ और बीमा कंपनियाँ सरकारी बांडों के बड़े धारक होते हैं, जो अपने संविभागों को नियंत्रित करने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने के लिए उन्हें खरीदते हैं । ये संस्थाएँ लगभग 20% बकाया जी-सिक का धारण करती हैं । तथापि, यह तथ्य कि भविष्य निधियाँ सक्रिय प्रबंधन वाले संविभाग नहीं होते और वे अपने संविभाग को मार्क टू मार्केट नहीं बनाते, उन्हें सरकारी बांडों का बड़ा निष्क्रिय धारक बनाता है ।

प्राथमिक व्यापारी सरकारी बांडों का धारण या तो न्यागमन या हामीदारी प्रतिबद्धताओं के कारण या रेपो लेनदेन करने या बाजार निर्माण करने के लिए करते हैं। ये ऐसे बाजार प्रतिभागी होते हैं, जो तेजी से अपने संविभाग बदलते रहते हैं और बहुत हद तक द्वितीयक बाजार में चलनिधि उपलब्ध कराते हैं । जी-सिक में अन्य निवेशकों में शामिल हैं, म्युचुअल फंड, प्राथमिक और अनुषंगी व्यापारी, और बैंकों में कंस्टीट्युएंट एसजीएल एकाउंट और पीडी।

जी-सिक में द्वितीयक बाजार लेनदेनों के संबंध में आँकड़े, एकमुश्त और रेपो, दोनों, वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन और बैंक के अन्य नियमित प्रकाशनों में निर्धारित फार्मैट में प्रकाशित किये जाते हैं । आँकड़ों का फार्मैट और साथ में व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुबंध 7.4 में दी गयी है ।

अनुबंध 7.1
चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी

(करोड़ रु.)

एलएएफ तिथि		रेपो अवधि (दिन)	रेपो (अंत:क्षेप)				
			प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कट-ऑफ दर
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
माह दिन,	वर्ष	डी1	एक्स1	वाई1	एक्स11	वाई11	आर
	$	डी2	एक्स2	वाई2	एक्स12	वाई12	आर
माह दिन	वर्ष	डी3	एक्स3	वाई3	एक्स13	वाई13	आर
	$	डी4	एक्स4	वाई4	एक्स14	वाई14	आर
माह दिन	वर्ष	डी5	एक्स5	वाई5	एक्स15	वाई15	आर
	$	डी6	एक्स6	वाई6	एक्स16	वाई16	आर
माह दिन	वर्ष	डी7	एक्स7	वाई7	एक्स17	वाई17	आर
	$	डी8	एक्स8	वाई8	एक्स18	वाई18	आर
माह दिन	वर्ष	डी9	एक्स9	वाई9	एक्स19	वाई19	आर
	$	डी10	एक्स10	वाई10	एक्स20	वाई20	आर

@ एक दिवसीय रेपो को घटाकर '' -'' नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई

29 अक्तूबर 2004 से रेपो और रिवर्स रेपो के नाम अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार आपस में बदल दिये गये।

टिप्पणी : ($) दूसरी एलएएफ नीलामी 28 नवंबर 2005 से आरंभ की गयी।

अनुबंध 7.1
चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी *(समाप्त)*

(करोड़ रु.)

एलएएफ तिथि		रिवर्स रेपो (अवशोषण)					चलनिधि का निवल अंत:क्षेप (+) अवशोषण (-)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
(1)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
माह दिन	वर्ष	डब्लू1	जेड1	डब्लू1	जेड1	आरआर	वाइजेड1	
	$	डब्लू2	जेड2	डब्लू2	जेड2	आरआर	वाइजेड2	एए
माह दिन	वर्ष	डब्लू3	जेड3	डब्लू3	जेड3	आरआर	वाइजेड3	
	$	डब्लू4	जेड4	डब्लू4	जेड4	आरआर	वाइजेड4	बीबी
माह दिन	वर्ष	डब्लू5	जेड5	डब्लू5	जेड5	आरआर	वाइजेड5	
	$	डब्लू6	जेड6	डब्लू6	जेड6	आरआर	वाइजेड6	सीसी
माह दिन	वर्ष	डब्लू7	जेड7	डब्लू7	जेड7	आरआर	वाइजेड7	
	$	डब्लू8	जेड8	डब्लू8	जेड8	आरआर	वाइजेड8	डीडी
माह दिन	वर्ष	डब्लू9	जेड9	डब्लू9	जेड9	आरआर	वाइजेड9	
	$	डब्लू10	जेड10	डब्लू10	जेड10	आरआर	वाइजेड10	ईई

अनुबंध 7.2
भारत सरकार खजाना बिलों (टीबीएस) की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तिथि	जारी किये जाने की तिथि	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियाँ		
			संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य	
				प्रतियोगी	गैर प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91-दिवसीय खजाना बिल								
2005-2006								
माह दिन वर्ष	माह 1 दिन वर्ष	एक्स1	वाइ1	जेड1	एनसी1	वाइ11	जेड11	एनसी1
माह दिन वर्ष	माह 2 दिन वर्ष	एक्स2	वाइ2	जेड2	एनसी2	वाइ12	जेड12	एनसी2
182-दिवसीय खजाना बिल								
2005-2006								
माह दिन वर्ष	माह 1 दिन वर्ष	एक्स1	वाइ1	जेड1	एनसी1	वाइ11	जेड11	एनसी1
माह दिन वर्ष	माह 2 दिन वर्ष	एक्स2	वाइ2	जेड2	एनसी2	वाइ12	जेड12	एनसी2
364-दिवसीय खजाना बिल								
2005-2006								
माह दिन वर्ष	माह 1 दिन वर्ष	एक्स1	वाइ1	जेड1	एनसी1	वाइ11	जेड11	एनसी1
माह दिन वर्ष	माह 2 दिन वर्ष	एक्स2	वाइ2	जेड2	एनसी2	वाइ12	जेड12	एनसी2

टिप्पणी : 1. 91-दिवसीय खजाना बिलों के लिए एक समान कीमत नीलामी 06 नवंबर 1998 से आरंभ की गयी । नीलामी का फार्मेट 11 दिसंबर 2002 से बहुविध कीमत नीलामी में बदल दिया गया है ।

2. 91-दिवसीय खजाना बिलों के लिए 2000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये की राशि शामिल है । 182-दिवसीय खजाना बिलों के लिए 1500 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की राशि शामिल है ।

   364-दिवसीय खजाना बिलों के लिए 2000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

3. दिनांक 2 जून 1999 की नीलामी से 364-दिवसीय खजाना बिलों के मामले में गैर प्रतियोगी बोली को अनुमति दी गयी है।

4. कट-ऑफ मूल्य पर अव्यक्त आय का प्रस्तुतीकरण वास्तविक/364 दिन की परंपरागत गिनती से बदलकर दिनांक 27 अक्तूबर 2004 से वास्तविक/365 दिन की परंपरागत गिनती कर दिया गया है ।

अनुबंध 7.2
भारत सरकार खजाना बिलों (टीबीएस) की नीलामी *(समाप्त)*

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तिथि	जारी किये जाने की तिथि	..को न्यागमन		कुल निर्गम (8+9+10+11)	भारित औसत कीमत	कट-ऑफ कीमत पर अव्यक्त आय (प्रतिशत)	निर्गम तिथि को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
		पीडी/ एसडी*	आरबी आई				
1	2	10	11	12	13	14	15
2005-2006		91-दिवसीय खजाना बिल					
माह दिन वर्ष	माह 1 दिन वर्ष	डी1	डी11	टी1	पी1	वाई1	o1
माह दिन वर्ष	माह 2 दिन वर्ष	डी2	डी12	टी2	पी2	वाई2	o2
2005-2006		182-दिवसीय खजाना बिल					
माह दिन वर्ष	माह 1 दिन वर्ष	डी1	डी11	टी1	पी1	वाई1	o1
माह दिन वर्ष	माह 2 दिन वर्ष	डी2	डी12	टी2	पी2	वाई2	o2
2005-2006		364-दिवसीय खजाना बिल					
माह दिन वर्ष	माह 1 दिन वर्ष	डी1	डी11	टी1	पी1	वाई1	o1
माह दिन वर्ष	माह 2 दिन वर्ष	डी2	डी12	टी2	पी2	वाई2	o2

अनुबंध 7.3
केंद्र सरकार के बाजार उधार के ब्यौरे

नीलामी की तिथि	जारी किये जाने की तिथि	अधिसूचित राशि	परिपक्वता अवधि/ शेष अवधि	वर्ष	प्राप्त बोलियाँ			
					(प्रतियोगी)		(गैर प्रतियोगी)	
					संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष दिन माह- वर्ष	दिन माह- वर्ष	एन1	एम1	वर्ष	एक्स1	वी1	एनएक्स1	एनवी1
दिन माह- वर्ष	दिन माह- वर्ष	एन2	एम2	वर्ष	एक्स2	वी2	एनएक्स2	एनवी2
दिन माह- वर्ष	दिन माह- वर्ष	एन3	एम3	वर्ष	एक्स3	वी3	एनएक्स3	एनवी3
दिन माह- वर्ष	दिन माह- वर्ष	एन4	एम4	वर्ष	एक्स4	वी4	एनएक्स4	एनवी4

@ पुनर्निर्गम

यू एकसान कीमत नीलामी

आय आधारित नीलामी

पीपी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्राइवेट प्लेसमेंट

** गैर प्रतियोगी बोली लगाने वालों को प्रतियोगी बोलियों के डब्लूआरटी.औसत आय/कीमत पर आबंटन

& आधार दर के ऊपर मार्क अप (स्प्रेड)

(*) सभी बोलियां अस्वीकृत की गई

अनुबंध 7.3
केंद्र सरकार के बाजार उधार के ब्यौरे *(समाप्त)*

नीलामी की तिथि	निर्गम की तिथि	स्वीकृत बोलियाँ				प्राथमिक व्यापारी पर न्यागमन	आरबीआई पर न्यागमन/ प्राइवेट प्लेसमेंट	कट-ऑफ कीमत पुनर्निर्गम कीमत कूपन दर पर सांकेतिक वाइटीएम	ऋण का नाम
		(प्रतियोगी)		(गैर प्रतियोगी)					
		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य				
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
वर्ष दिन-	दिन-	एक्स11	वी11	एनएक्स1	एनवी1	डी1	डीआर1	पीआर1/	x.xx प्रतिशत
माह- वर्ष	माह- वर्ष							वाइआइ1	प्रतिशत सरकारी स्टॉक वर्ष @ **
दिन- माह- वर्ष	दिन- माह- वर्ष	एक्स12	वी12	एनएक्स2	एनवी2	डी2	डीआर2	पीआर1/ वाइआइ2	x.xx प्रतिशत सरकारी स्टॉक वर्ष @ **
दिन- माह- वर्ष	दिन- माह- वर्ष	एक्स13	वी13	एनएक्स3	एनवी3	डी3	डीआर3	पीआर1/ वाइआइ3	x.xx प्रतिशत सरकारी स्टॉक वर्ष @ **
दिन- माह- वर्ष	दिन- माह- वर्ष	एक्स14	वी14	एनएक्स4	एनवी4	डी4	डीआर4	पीआर1/ वाइआइ4	x.xx प्रतिशत सरकारी स्टॉक वर्ष @ **

अनुबंध 7.4
सरकारी प्रतिभूति बाजार में कुल कारोबार (अंकित मूल्य)@

(करोड़ रुपये)

मदें /सप्ताहांत	वर्ष- वर्ष					
	माह दिन वर्ष	माह दिन वर्ष	माह दिन वर्ष	माह दिन वर्ष	माह दिन वर्ष	माह दिन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
I. एकमुश्त लेनदेन						
1. भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूति	ए1	बी1	सी1	डी1	ई1	एफ1
2. राज्य सरकार प्रतिभूति	ए2	बी2	सी2	डी2	ई2	एफ2
3. 91-दिवसीय खजाना बिल	ए3	बी3	सी3	डी3	ई3	एफ3
4. 182-दिवसीय खजाना बिल	ए4	बी4	सी4	डी4	ई4	एफ4
5. 364-दिवसीय खजाना बिल	ए5	बी5	सी5	डी5	ई5	एफ5
II. भारतीय रिज़र्व बैंक *	ए6	बी6	सी6	डी6	ई6	एफ6

@ : रेपो लेनदेनों को छोड़कर

* भारतीय रिज़र्व बैंक की बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

अनुबंध 7.4
भारत सरकार - बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य) *(जारी)*

(करोड़ रुपये)

धारक	माह दिन वर्ष				कुल खजाना बिल (2+3+4+5)	जोड़ में घट-बढ़	
	भिन्न-भिन्न परिपक्वता वाले खजाना बिल					सप्ताह में	अंत-मार्च में
	14 दिन (मध्यवर्ती)	91 दिन (नीलामी)	182 दिन (नीलामी)	364 दिन (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिज़र्व बैंक	ए1	ए2	ए3	ए4	ए5	डब्लू 1	एक्स1
बैंक	बी1	बी2	बी3	बी4	बी5	डब्लू 2	एक्स2
राज्य सरकारें	सी1	सी2	सी3	सी4	सी5	डब्लू 3	एक्स3
अन्य	डी1	डी2	डी3	डी4	डी5	डब्लू 4	एक्स4

अनुबंध 7.4
सरकारी प्रतिभूति में द्वितीयक बाजार के लेनदेन (अंकित मूल्य) *(समाप्त)*

(करोड़ रुपये)

मदें	..को समाप्त सप्ताह के लिए माह दिन वर्ष			..को समाप्त सप्ताह के लिए माह दिन वर्ष		
	राशि	वाइटीएम(%पीए) सांकेतिक **		राशि	वाइटीएम(%पीए) सांकेतिक	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. एकमुश्त लेनदेन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ, जो निम्नलिखित वर्ष में परिपक्व होंगी						
2006-07	एक्स1	एमवाइ1	एमएक्सवाइ1	जेड1	एमजेड1	एमएक्सजेड1
2007-08	एक्स2	एमवाइ2	एमएक्सवाइ2	जेड2	एमजेड2	एमएक्सजेड2
2008-09	एक्स3	एमवाइ3	एमएक्सवाइ3	जेड3	एमजेड3	एमएक्सजेड3
2009-10	एक्स4	एमवाइ4	एमएक्सवाइ4	जेड4	एमजेड4	एमएक्सजेड4
2010-11	एक्स5	एमवाइ5	एमएक्सवाइ5	जेड5	एमजेड5	एमएक्सजेड5
2011-12	एक्स6	एमवाइ6	एमएक्सवाइ6	जेड6	एमजेड6	एमएक्सजेड6
2012-15	एक्स7	एमवाइ7	एमएक्सवाइ7	जेड7	एमजेड7	एमएक्सजेड7
2015-16	एक्स8	एमवाइ8	एमएक्सवाइ8	जेड8	एमजेड8	एमएक्सजेड8
2016 से आगे	एक्स9	एमवाइ9	एमएक्सवाइ9	जेड9	एमजेड9	एमएक्सजेड9
2. राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	एक्स10	एमवाइ10	एमएक्सवाइ10	जेड10	एमजेड10	एमएक्सजेड10
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता दिनों में)						
ए. 14 दिनों तक	एक्स11	एमवाइ11	एमएक्सवाइ11	जेड11	एमजेड11	एमएक्सजेड11
बी. 15-91 दिन	एक्स12	एमवाइ12	एमएक्सवाइ12	जेड12	एमजेड12	एमएक्सजेड12
सी. 92-182 दिन	एक्स13	एमवाइ13	एमएक्सवाइ13	जेड13	एमजेड13	एमएक्सजेड13
डी. 183-364 दिन	एक्स14	एमवाइ14	एमएक्सवाइ14	जेड14	एमजेड14	एमएक्सजेड14
II. भारतीय रिज़र्व बैंक * : बिक्री	एक्स15			जेड15		
: खरीद	एक्स16			जेड16		
III. रेपो लेनदेन # (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किये गये लेनदेन से भिन्न)						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ	एक्स17	एमवाइ17 (डी1)	एमएक्सवाइ17 (डीएम1)	जेड17	एमजेड17 (डी11)	एमएक्सजेड17 (डीएम11)
2. राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	एक्स18	एमवाइ18 (डी2)	एमएक्सवाइ18 (डीएम2)	जेड18	एमजेड18 (डी12)	एमएक्सजेड18 (डीएम12)
3. 91-दिवसीय खजाना बिल	एक्स19	एमवाइ19 (डी3)	एमएक्सवाइ19 (डीएम3)	जेड19	एमजेड19 (डी13)	एमएक्सजेड19 (डीएम13)
4. 182-दिवसीय खजाना बिल	एक्स20	एमवाइ20 (डी4)	एमएक्सवाइ20 (डीएम4)	जेड20	एमजेड20 (डी14)	एमएक्सजेड20 (डीएम14)
5. 364-दिवसीय खजाना बिल	एक्स21	एमवाइ21 (डी5)	एमएक्सवाइ21 (डीएम5)	जेड21	एमजेड21 (डी15)	एमएक्सजेड21 (डीएम15)
IV. भारतीय रिज़र्व बैंक : रेपो # ^	एक्स22	आर1	आर2	जेड22	आर1	आर2
: रिवर्स रेपो !	एक्स23	आरआर1	आरआर2	जेड23	आरआर1	आरआर2

@ जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई के सहायक सामान्य खाता बही में रिपोर्ट की गयी है, इस समय उसमें देश भर के कुल लेनदेनों का लगभग 98 प्रतिशत लेनदेन का हिसाब रखा जाता है।

* भारतीय रिज़र्व बैंक की बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में किये गये लेनदेन भी शामिल हैं।

\# लेनदेन के पहले चरण का द्योतक है।

^ आँकड़े 05 जून 2000 से चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत की गयी रेपो नीलामी से संबंधित हैं।

! इसमें चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** न्यूनतम और अधिकतम वाइटीएमएस (%पीए) सांकेतिक गैर मानक लॉट आकार वाले लेनदेनों (5 करोड़ रुपये से कम)को छोड़कर दिये गये हैं।

अनुबंध 7.5
शब्दावली

उपचित ब्याज

किसी बांड पर उपचित ब्याज बांड पर ब्याज की वह राशि होती है, जो पिछले कूपन भुगतानों के बाद से संचित हुई हो। ब्याज का अर्जन किया गया है, लेकिन चूँकि कूपनों का भुगतान नियत अंतरालों पर किया जाता है, इसलिए निवेशक को यह राशि अभी भी उपलब्ध नहीं हुई है । भारत में जी-सिक के लिए दिन गिनने की परंपरा है 30/360।

बोली कीमत/आय

वह कीमत/आय, जो किसी प्रतिभूति के लिए भावी क्रेता द्वारा प्रस्तावित की जा रही है ।

प्रतियोगी बोली

प्रतियोगी बोली स्टॉक के लिए ऐसी कीमत पर लगायी गयी बोली को निर्दिष्ट करती है, जो बोली लगाने वाले द्वारा किसी नीलामी में बतायी गयी हो ।

कूपन

किसी ऋण प्रतिभूति पर भुगतान की गयी ब्याज दर, जिसकी गणना प्रतिभूति के अंकित मूल्य के आधार पर की जाती है।

कूपन आवृत्ति

कूपन भुगतान नियमित अंतरालों पर ऋण प्रतिभूति के अस्तित्व में बने रहने के दौरान किये जाते हैं और वे तिमाही, छमाही (वर्ष में दो बार) या वार्षिक भुगतान हो सकते हैं ।

अंकित मूल्य

अंकित मूल्य वह राशि है, जो किसी निवेशक को प्रतिभूति की परिपक्वता तिथि को भुगतान की जाती है । ऋण प्रतिभूतियाँ भिन्न-भिन्न अंकित मूल्यों पर जारी की जा सकती हैं, तथापि, भारत में उनका विशिष्ट रूप से अंकित मूल्य 100 रुपये होता है। अंकित मूल्य को सममूल्य पर चुकौती राशि के रूप में भी जाना जाता है । इस राशि को शोधन मूल्य, मूलधन मूल्य (या केवल मूलधन), परिपक्वता मूल्य या सममूल्य के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है ।

अस्थिर दर वाले बांड

ऐसे बांड, जिनकी ब्याज दर पूर्व-निर्दिष्ट बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के साथ बदलती है ।

श्रेष्ठ/सरकारी प्रतिभूतियाँ

सरकारी प्रतिभूतियों को श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के रूप में भी जाना जाता है । ''सरकारी प्रतिभूति'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा सृजित और जारी की गयी कोई प्रतिभूति, जो लोक ऋण जुटाने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचित किया जाये और लोक ऋण अधिनियम, 1944 में उल्लिखित किसी एक प्ररूप में हो ।

एलएएफ

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) एक ऐसी सुविधा है, जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक घरेलू बाजार (भारत) में दैनिक चलनिधि का समायोजन या तो रकम का अंतःक्षेप करके या रकम को निकालकर करता है ।

परिपक्वता तिथि

वह तिथि, जब मूलधन (अंकित मूल्य) वापस अदा किया जाता है । अंतिम कूपन और ऋण प्रतिभूति का अंकित मूल्य निवेशक को परिपक्वता तिथि को चुकाया जाता है । परिपक्वता का समय भिन्न-भिन्न हो सकता है, जो अल्पावधि से लेकर दीर्घावधि (30 वर्ष) तक का हो सकता है ।

गैर प्रतियोगी बोली

गैर प्रतियोगी बोली का अर्थ यह है कि बोली लगाने वाला दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में बोली में कोई आय या कीमत को उद्धृत किये बिना भाग ले सकेगा । गैर प्रतियोगी खंड को आबंटन उस भारित औसत दर पर होगा,

अनुबंध 7.5
शब्दावली *(जारी)*

जो प्रतियोगी बोली के आधार पर नीलामी में उभर कर आयेगी। यह एक आबंटनकारी सुविधा है, जिसमें कुल प्रतिभूतियों का एक हिस्सा सफल प्रतियोगी बोली की भारित औसत दर पर बोली लगाने वालों को आबंटित किया जाता है।

खुला बाजार परिचालन

केंद्रीय बैंक धन के विनिमय में बांडों की खरीद करते हैं, इस प्रकार धन का स्टॉक बढ़ाते हैं या बांड की बिक्री करते हैं; इस प्रकार धन का स्टॉक घटाते हैं । इस परिचालन को खुला बाजार परिचालन कहा जाता है ।

कीमत

उद्धृत कीमत प्रति 100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए होती है । किसी वित्तीय लिखत की कीमत प्रत्याशित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बराबर होती है । किसी ऋण प्रतिभूति के लिए जो कीमत कोई अदा करता है, वह अनेक कारकों पर आधारित होती है । नयी जारी की गयी ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री या समाप्ति अंकित मूल्य पर की जाती है । द्वितीयक बाजार में, जहाँ पहले जारी की गयी ऋण प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री निवेशकों के बीच की जाती है, बांड की जो कीमत कोई अदा करता है, वह अनेक चर वस्तुओं पर आधारित होती है, जिसमें बाजार ब्याज दर, उपचित ब्याज, मांग और पूर्ति, साख गुणवत्ता, परिपक्वता तिथि, निर्गम का स्वरूप, बाजार की घटनाएँ और लेनदेन का आकार शामिल होते हैं ।

प्राथमिक व्यापारी

सरकारी उधार को यथासंभव सस्ता और दक्षतापूर्वक जुटाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उच्च अर्हताप्राप्त वित्तीय फर्म/बैंकों के एक ग्रुप को नियुक्त किया जाता है कि वह सरकारी प्रतिभूति बाजार में एक ओर जारीकर्ता और दूसरी ओर बाजार के बीच विशेषज्ञ मध्यस्थ की भूमिका निभाये । इन्हें सामान्यतः प्राथमिक व्यापारी या बाजार निर्माता कहा जाता है। दायित्वों के एक सेट, यथा, विपणनयोग्य सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निरंतर बोली लगाने तथा कीमत का प्रस्ताव देने या नीलामियों में समुचित बोली प्रस्तुत करने, के बदले में ये फर्में प्राथमिक/द्वितीयक बाजार में विशेषाधिकार का एक सेट प्राप्त करती हैं ।

प्राइवेट प्लेसमेंट

प्राइवेट प्लेसमेंट किसी कंपनी द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति में अभिदान करने के लिए दिया गया सीधा प्रस्ताव होता है, जो उस व्यक्ति, जिसे प्रस्ताव दिया जाता है, से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 67(3) में यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि किससे सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं बनता, दो शर्तें निर्धारित की गयी हैं, यथा, (क) शेयर और डिबेंचर उन व्यक्तियों को अभिदान के लिए उपलब्ध नहीं हों, जो प्रस्ताव प्राप्त करने वाले व्यक्ति से भिन्न हों, और (ख) प्रस्ताव 50 से कम व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए ।

रेपो दर

रेपो दर किसी रेपो लेनदेन के संबंध में, जो एक वार्षिक ब्याज दर के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, अर्जित प्रतिलाभ होती है ।

रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो से अभिप्रेत है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या किसी स्थानीय प्राधिकरण की ऐसी प्रतिभूतियों को, जो इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें या विदेशी प्रतिभूतियों को इस करार के साथ बेचना कि उक्त प्रतिभूतियों को परस्पर सहमत भविष्य की तिथि में किसी सहमत कीमत पर, जिसमें उधार ली गयी निधि के लिए ब्याज शामिल है, पुनः खरीदा जायेगा ।

रिवर्स रेपो से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या किसी स्थानीय प्राधिकरण की प्रतिभूतियों को, जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें या विदेशी प्रतिभूतियों को इस करार के साथ खरीदते हुए निधियां उधार देने की लिखत अभिप्रेत है उक्त प्रतिभूतियों को

अनुबंध 7.5
शब्दावली *(समाप्त)*

परस्पर सहमत भविष्य की तिथि में किसी सहमत कीमत पर पुनः बेचा जायेगा, जिसमें उधार दी गयी निधि के लिए ब्याज शामिल है ।

द्वितीयक बाजार

वह बाजार, जिसमें बकाया प्रतिभूतियों का लेनदेन किया जाता है । जब प्रतिभूतियाँ पहली बार बेची जाती हैं, तब यह पद प्राथमिक या प्रारंभिक बाजार से भिन्न होता है । द्वितीयक बाजार उस क्रय-विक्रय को निर्दिष्ट करता है, जो प्रतिभूति की प्रारंभिक सार्वजनिक बिक्री के बाद किया जाता है ।

टैप सेल

टैप सेल के अंतर्गत प्रतिभूतियों की कुछ मात्रा सृजित की जाती है और बिक्री के लिए उपलब्ध करायी जाती है, जो सामान्यतः एक न्यूनतम मूल्य के साथ होती है और बाजार में जैसे ही बोली लगायी जाती है, वैसे ही उन्हें बेच दिया जाता है । ये प्रतिभूतियाँ दिन में किसी भी समय या सप्ताहों में बेची जा सकती हैं; और प्राधिकारियों के पास यह लोच उपलब्ध होता है कि वे (न्यूनतम) मूल्य बढ़ा दें, यदि मांग जोरदार हो या उसे घटा दें, यदि मांग कमजोर हो । टैप सेल और निरंतर बिक्री बहुत हद तक समान पद हैं, सिवाय इसके कि टैप सेल में ऋण प्रबंधक अधिक सक्रिय रूप से टैप सेल की उपलब्धता और सांकेतिक कीमत निश्चित कर सकता है। निरंतर बिक्री अनिवार्य रूप से बाजार की पहल पर की जाती है।

खजाना बिल

सरकार के ऋण दायित्व, जिनकी परिपक्वता एक वर्ष या कम की होती है, उन्हें सामान्यतःखजाना बिल या टी-बिल कहा जाता है । खजाना बिल कोषागार/सरकार के अल्पावधि दायित्व होते हैं । वे अंकित मूल्य से एक बट्टे पर जारी की गयी लिखतें होते हैं और मुद्रा बाजार का अभिन्न हिस्सा होते हैं ।

हामीदारी

वह व्यवस्था, जिसके द्वारा निवेश बैंकर किसी प्रतिभूति के प्राथमिक निर्गम के अनभिदत्त हिस्से का अर्जन करने का वचन देते हैं ।

भारित औसत कीमत/आय

यह कीमत/आय का भारित औसत माध्य होता है जहाँ भार वह राशि होती है, जिसका प्रयोग उस कीमत/आय पर किया जाता है । गैर प्रतियोगी खंड को आबंटन उस भारित औसत कीमत/आय पर होगा, जो नीलामी में प्रतियोगी बोली के आधार पर उभर कर आयेगा ।

आय

किसी प्रतिभूति पर अर्जित प्रतिलाभ की वार्षिक प्रतिशत दर। आय प्रतिभूति की खरीद कीमत और कूपन ब्याज दर का फलन होती है । आय में अनेक कारकों के अनुसार घट-बढ़ होती है , जिनमें विश्व बाजार और अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

परिपक्वता आय (वाईटीएम)

परिपक्वता आय वह कुल प्रतिलाभ होता है, जो कोई व्यक्ति प्राप्त करने की उम्मीद रखता है, यदि प्रतिभूति को परिपक्व होने तक धारित रखा जाये । परिपक्वता आय अनिवार्य रूप से वह बट्टा दर होती है,जिस पर भविष्य के भुगतानों (निवेश आय और मूलधन की वापसी) का वर्तमान मूल्य प्रतिभूति की कीमत के बराबर होता है ।

आय वक्र

विभिन्न परिपक्वता वाले और एक ही ऋण गुणवत्ता वाले बांडों में आय और परिपक्वता के बीच आलेखी संबंध । यह रेखा ब्याज दरों की मीयादी संरचना को दर्शाती है । यह निवेशकों को भिन्न-भिन्न परिपक्वता वाली ऋण प्रतिभूतियों और कूपनों में तुलना करने में समर्थ बनाता है।

8. राजकोषीय क्षेत्र सांख्यिकी

8.1. परिचय

'बजट' पद व्यापक रूप से उन वित्तीय प्रस्तावों को निर्दिष्ट करता है, जो वित्त मंत्री संसद के सदनों में या राज्य विधान मंडलों में, जैसी भी स्थिति हो, रखते हैं । भारत के संविधान में 'संसद के सदनों या राज्यों के विधान मंडलों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखे जाने' का हवाला दिया गया है । यह दस्तावेज आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है और सामान्यतः 'बजट' के रूप में जाना जाता है । इसमें पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आँकड़े होते हैं और चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान दिये गये होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के बजट, केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और लोक ऋण संबंधी आँकड़ों का संकलन और प्रसार करता है । इन आँकड़ों पर आधारित अध्ययन नियमित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं ।

8.2. घाटा संकेतक

सामान्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक विविध घाटों/राजकोषीय संकेतकों के संबंध में संकलन के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण/पद्धति का अनुसरण करता है । वर्ष 2006-07 के बजट में अनुसरण की गयी पद्धति के ब्यौरे अनुबंध 8.1 में दिये गये हैं । राजकोषीय सांख्यिकी के संकलन में प्रयुक्त विविध घाटा संकेतकों की परिभाषा निम्नानुसार है : *राजस्व घाटा* का अर्थ होता है राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच का अंतर । परंपरागत घाटा (बजट घाटा) सभी आय और व्यय, राजस्व और पूँजीगत, दोनों, के बीच का अंतर होता है । सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) राजस्व प्राप्तियों (बाह्य अनुदानों सहित) और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों

की तुलना में कुल व्यय, जिसमें वसूली को घटाकर ऋण शामिल होते हैं, का अधिक होना होता है । 1999-2000 से जीएफडी में नयी लेखांकन प्रणाली के अनुसार लघु बचतों में राज्यों के हिस्से को शामिल नहीं किया जाता है । निवल राजकोषीय घाटा होता है केंद्र सरकार द्वारा दिये गये निवल ऋण को घटाते हुए सकल राजकोषीय घाटा । निवल प्राथमिक घाटा का अर्थ होता है निवल राजकोषीय घाटा घटाव निवल ब्याज भुगतान । प्राथमिक राजस्व शेष का अर्थ होता है राजस्व घाटा घटाव ब्याज का भुगतान । केंद्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण का द्योतक होता है (i) केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, (ii) खजाना बिलों, (iii) रुपया सिक्कों और (iv) 1 अप्रैल 1997 से केंद्र को आरबीआई के ऋण और अग्रिम में आरबीआई के धारणों में घट-बढ़ की रकम का, जिसका समायोजन केंद्र के मामले में आरबीआई के पास रखे केंद्र के नकदी शेष में परिवर्तनों के लिए किया जाना है । राज्य सरकारों के संबंध में निवल आरबीआई ऋण आरबीआई राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों में से आरबीआई के पास उनकी वृद्धिशील जमाराशियों को घटाते हुए, जो उन राज्य सरकारों के मामले में होता है, जिनके खाते आरबीआई में हैं, होने वाली घट-बढ़ को निर्दिष्ट करता है ।

8.3. संयुक्त वित्त

संयुक्त घाटा/राजकोषीय संकेतकों की परिभाषा देते समय भारतीय रिज़र्व बैंक मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अपने सरकारी वित्त सांख्यिकी (जीएफएस) मैनुअल में अंगीकृत दृष्टिकोण/पद्धति का अनुसरण करता है । राजकोषीय चर वस्तुओं की गणना केंद्र और राज्यों के लेनदेन के जोड़ में से अंतर-सरकार लेनदेनों को घटाते हुए की जाती है । अंतर-सरकार लेनदेन, यथा, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, राज्यों को अनुदान तथा राजस्व लेखा में राज्यों से ब्याज प्राप्तियाँ; राज्यों को ऋण एवं अग्रिम तथा पूँजीगत लेखा में राज्यों से ऋणों की वसूली, के संबंध में आँकड़े केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज से लिये जाते हैं । संयुक्त जीएफडी केंद्र सरकार का जीएफडी और राज्य सरकारों का जीएफडी घटाव केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को दिया गया निवल ऋण (राज्यों से ऋण एवं अग्रिम घटाव राज्यों से ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली) होता है । राजस्व घाटा केंद्र और राज्य सरकारों की राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच का अंतर होता है, जो राजस्व लेखा में अंतर-सरकार लेनदेनों के लिए समायोजित किया जाता है । सकल प्राथमिक घाटे की परिभाषा संयुक्त जीएफडी घटाव संयुक्त ब्याज भुगतान के रूप में दी जाती है । संयुक्त ब्याज भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों के ब्याज भुगतानों का जोड़ होता है, जिसमें से राज्य सरकारों द्वारा केंद्र को किया गया ब्याज भुगतान घटा दिया जाता है।

8.4. राज्य सरकार वित्त

वे सभी धन, जो राज्य के सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्य करने के दौरान उनके कब्जे में आते हैं और उनके द्वारा संवितरित किये जाते हैं, उनके द्वारा रखे गये प्राथमिक खातों में समुचित रूप में हिसाब में लिये जाने हैं और खाते किस प्ररूप में रखे जाने हैं, यह भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा निर्धारित किया गया है । वित्त विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष के दौरान वसूली जाने वाली अनुमानित आय और किये जाने वाले अनुमानित व्यय का एक विवरण तैयार करना होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) या बजट कहा जाता है, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 202 में अधिकथित है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत राज्यों के लेखे उस प्ररूप में रखे जाने हैं, जो सीएजी राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित करे । इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीएजी ने मुख्य

और लघु लेखा शीर्षों की एक सूची निर्धारित की है, जिसमें राज्य सरकार के लेखों को रखा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 के प्रावधानों के अनुसार सरकार के लेखे तीन मुख्य भागों में रखे जाने हैं - भाग I: राज्य की समेकित निधि, भाग II: राज्य की आकस्मिकता निधि और भाग III : राज्य का लोक लेखा। ये लेखे भी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में दर्शाये जाते हैं।

सभी बजट मदों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यथा, राजस्व लेखा (राजस्व आय और राजस्व व्यय) और पूँजीगत लेखा (पूँजीगत प्राप्तियाँ और पूँजीगत संवितरण), जैसाकि अनुबंध 8.2 में दिया गया है । भारतीय रिज़र्व बैंक का आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (राज्य एवं स्थानीय वित्त प्रभाग) एक वार्षिक अध्ययन 'राज्य वित्त - बजटों का एक अध्ययन' प्रकाशित करता है, जो राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित होता है । बजट मदों के और ब्यौरेवार वर्गीकरण के लिए इस अध्ययन को देखा जा सकता है।

दृष्टांत के रूप में अनुबंध 8.3 में उन व्याख्यात्मक टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जो महाराष्ट्र सरकार के बजट दस्तावेजों में दी गयी हैं ।

8.5. संसाधन अंतराल का मापन : अवधारणा और परिभाषा

सरकार के वित्त में संसाधन अंतराल को मापने के लिए कोई एक मानदंड नहीं है । इसलिए, किसी खास मापन के लिए पसंद प्रयोजन विशिष्ट होती है। भारतीय लोकवित्त के संदर्भ में संसाधन अंतराल का मापन करते समय परंपरागत दृष्टिकोण राजस्व लेखा अंतराल, पूँजीगत लेखा अंतराल और समग्र अंतराल पर विचार करता है। हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने राज्य सरकारों के वित्त का विश्लेषण करते समय अक्सर सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का उल्लेख किया है; जीएफडी का एक परिवर्ती, यथा, प्राथमिक घाटा, जो सरकार के वित्त के चालू परिचालनों की जाँच करने के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टि से उपयोगी होता है, को भारतीय लोक वित्त में आरंभ किया गया है। घाटे (संसाधन अंतराल) के भिन्न-भिन्न मापनों का वर्णन नीचे किया गया है ।

(क) राजस्व घाटा (आरडी) का अर्थ होता है राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच का अंतर।

राजस्व लेखा अंतराल = राजस्व घाटा(आरडी) = राजस्व आय (आरआर) - राजस्व व्यय (आरई)

(ख) पूँजीगत घाटा का अर्थ होता है पूँजीगत प्राप्तियों और पूँजीगत संवितरण के बीच का अंतर।

पूँजीगत लेखा अंतराल = पूँजीगत लेखा घाटा(सीएडी) = पूँजीगत प्राप्ति (सीआर) - पूँजीगत संवितरण (सीडी)

(ग) परंपरागत घाटा (बजट घाटा या समग्र घाटा) सभी प्राप्तियों और सभी व्यय, राजस्व और पूँजीगत, दोनों, के बीच का अंतर होता है।

समग्र अंतराल = आरडी+सीएडी = (आरआर - आरई) + (सीआर - सीडी) = [(आरआर + सीआर) - (आरई+सीडी)]

(घ) सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) कर्ज चुकौती को घटाकर कुल संवितरण और ऋणों की वसूली तथा राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।

सकल राजकोषीय घाटा(जीएफडी)

= आरई + [सीडी - (आंतरिक कर्ज का भुगतान (डीआइडी) + केंद्र को ऋण की चुकौती (आरएलसी) + ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली (आरएलए) - आरआर

= आरई + [पूँजीगत परिव्यय (सीओ) + राज्यों द्वारा ऋण एवं अग्रिम (एलएएस) + डीआइडी + आरएलसी - (डीआइडी + आरएलसी + आरएलए)] - आरआर

= (आरई - आरआर) + [सीओ + (एलएएस - आरएलए) + (डीआइडी - डीआइडी) + (आरएलसी- आरएलसी)]

= आरडी + सीओ + निवल उधार दी गयी राशि (एनएल)

(ङ) निवल राजकोषीय घाटा (एनएफडी) सकल राजकोषीय घाटा घटाव राज्य सरकारों द्वारा दिया गया निवल उधार होता है ।

निवल राजकोषीय घाटा (एनएफडी) = जीएफडी - (एलएएस - आरएलए)

(च) सकल प्राथमिक घाटा(जीपीडी) को जीएफडी घटाव ब्याज भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है।

प्राथमिक घाटा (पीडी) = जीएफडी - ब्याज भुगतान (आइपी)

(छ) निवल प्राथमिक घाटा (एनपीडी) का अर्थ होता है निवल राजकोषीय घाटा (एनएफडी) घटाव निवल ब्याज भुगतान ।

निवल प्राथमिक घाटा (एनपीडी) = एनएफडी - [(आइपी - ब्याज प्राप्तियाँ (आइआर)]

(ज) प्राथमिक राजस्व शेष का अर्थ होता है राजस्व घाटा घटाव ब्याज भुगतान ।

प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) = आरडी - आइपी

(झ) निवल प्राथमिक राजस्व शेष का अर्थ होता है राजस्व घाटा घटाव निवल ब्याज भुगतान

निवल प्राथमिक राजस्व शेष (एनपीआरबी) = आरडी - (आइपी - आइआर)

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07*

वार्षिक वित्तीय विवरण

संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, भारत सरकार के अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण संसद में प्रस्तुत करना होता है । यह विवरण, जिसका शीर्षक 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है, मुख्य बजट दस्तावेज होता है । वार्षिक वित्तीय विवरण भारत सरकार के आय-व्यय को तीन भागों में दर्शाता है, जिनमें सरकारी खाते : (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता, रखे जाते हैं।

2. सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सभी राजस्व, जुटाये गये ऋण और इसके द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली से प्राप्त राशि से समेकित निधि बनती है । सरकार के सभी व्यय समेकित निधि में से किये जाते हैं और बिना संसद द्वारा प्राधिकरण के कोई राशि समेकित निधि से निकाली नहीं जा सकती है।

3. ऐसे अवसर हो सकते हैं, जब सरकार को संसद से प्राधिकरण प्राप्त होने तक तत्काल कोई अदृष्ट व्यय करना पड़े । आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय होती है, जो ऐसा व्यय करने के लिए राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन होती है । ऐसे व्यय के लिए और तत्समान राशि समेकित निधि से निकाले जाने के लिए संसद का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तथा आकस्मिकता निधि से खर्च की गयी राशि को निधि में डाल दिया जाता है । इस समय निधि की संसद द्वारा प्राधिकृत मूल निधि 500 करोड़ रुपये है।

4. सरकार के सामान्य आय-व्यय, जो समेकित निधि से संबंध रखते हैं, के अतिरिक्त कुछ अन्य लेनदेन सरकारी खातों में किये जाते हैं, जिनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, उदाहरण के लिए भविष्य निधियों से संबंधित लेनदेन, लघु बचत संग्रह, अन्य जमाराशियाँ, आदि । इस प्रकार प्राप्त धन को लोक लेखा में रखा जाता है और उससे जुड़े हुए संवितरण भी किये जाते हैं । सामान्य रूप से कहा जाये, तो लोक लेखा निधियाँ सरकार की नहीं होतीं और उन्हें किसी समय उन व्यक्तियों और प्राधिकारियों को लौटाया जाना होता है, जिन्होंने उसे जमा किया था । इसलिए लोक लेखा से किये जाने वाले भुगतानों के लिए संसद का प्राधिकरण आवश्यक नहीं होता । कुछ मामलों में सरकार के राजस्व का एक हिस्सा विशिष्ट उद्देश्यों यथा, सड़कों का विकास, प्राथमिक शिक्षा, जिसमें मध्याह्न भोजन शामिल है, आदि के लिए खर्च किये जाने हेतु, अलग निधियों में रखा जाता है । इन राशियों को संसद के अनुमोदन से समेकित निधि में से निकाला जाता है और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए खर्च किये जाने हेतु लोक लेखा में रखा जाता है । तथापि, विशिष्ट उद्देश्यों पर खर्च की गयी वास्तविक राशि के लिए संसद में मतदान कराया जाता है, भले ही संसद ने इस धन को निधियों में अंतरण के लिए पहले ही उद्दिष्ट कर दिया हो ।

5. संविधान के अंतर्गत बजट में राजस्व लेखा के संबंध में व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाया जाना होता है । इसलिए सरकार के बजट में समाविष्ट होते हैं (i) राजस्व बजट; और (ii) पूँजीगत बजट ।

6. राजस्व बजट सरकार की राजस्व आय (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इस राजस्व में से किये गये खर्च को मिला कर बनता है । कर राजस्व में समाविष्ट होते हैं करों से प्राप्त आय और अन्य शुल्क, जो संघ सरकार द्वारा लगाये जाते हैं । वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाये गये राजस्व आय के अनुमानों में वित्त विधेयक में किये गये कर-प्रस्तावों के प्रभाव को हिसाब में लिया जाता है । सरकार की अन्य आय में मुख्यतः सरकार द्वारा किये गये निवेश पर ब्याज और लाभांश, फीस और सरकार द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए शुल्क अन्य प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकार के विभागों के सामान्य

* केंद्रीय बजट 2006-07 से पुन:प्रस्तुत

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

संचालन और विविध सेवाओं के लिए, सरकार द्वारा लिये गये कर्ज पर ब्याज प्रभार, आर्थिक सहायता, आदि के लिए होता है । मोटे तौर पर कहा जाये, तो जो व्यय आस्तियों का सृजन नहीं करता, उसे राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है । राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिये गये सभी अनुदानों को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदान आस्तियों के सृजन के लिए हो सकते हैं ।

7. पूँजीगत बजट पूँजीगत प्राप्तियों और भुगतानों से बनता है । पूँजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता से जुटाये गये ऋण, जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, खजाना बिलों की बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक से और अन्य पार्टियों से लिये गये उधार, विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य पार्टियों को दिये गये ऋणों की वसूली होती हैं । पूँजीगत भुगतान में भूमि, भवन, मशीन, उपकरण जैसी आस्तियों का अभिग्रहण, और शेयरों, आदि में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, सरकारी कंपनियों, निगमों तथा अन्य पार्टियों को दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं । पूँजीगत बजट में लोक लेखा में किये गये लेनदेन भी समाविष्ट होते हैं ।

लेखांकन वर्गीकरण

8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरण के अनुमानों और अनुदान मांगों में व्यय को संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाया जाता है । इस वर्गीकरण का अभिप्राय संसद को और जनता को संसाधनों के आबंटन तथा सरकार के व्यय के प्रयोजनों का सार्थक मूल्यांकन करने की अनुमति देना होता है।

9. संविधान के अंतर्गत खर्च की कुछ मदें, यथा राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ, राज्य सभा के सभापति और उप सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते, एवं पेंशन सरकार द्वारा जुटाये गये ऋणों पर ब्याज एवं उनकी चुकौती और न्यायालयों की डिक्री को पूरा करने के लिए किये गये भुगतान, आदि समेकित निधि पर प्रभारित किये जाते हैं और इनके लिए लोकसभा में मतदान की जरूरत नहीं होती है । वार्षिक वित्तीय विवरण अलग से समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को दर्शाता है।

अनुदानों के लिए मांग

10. समेकित निधि से किये जाने वाले अनुमानित व्यय, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किये जाते हैं और जिन पर लोकसभा में मतदान अपेक्षित होता है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में अनुदान मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में एक अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है । तथापि, बड़े मंत्रालय या विभागों के संबंध में एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है । प्रत्येक मांग में सामान्यतः किसी सेवा के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान शामिल होते हैं, अर्थात् राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान और सेवा से संबंधित ऋण और अग्रिमों के लिए भी प्रावधान । विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है । जहाँ किसी सेवा के लिए प्रावधान पूरी तरह समेकित निधि पर प्रभारित व्यय के लिए होता है, उदाहरणार्थ, ब्याज भुगतान, वहाँ एक अलग विनियोजन, जो मांग से भिन्न होता है, उस व्यय के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए संसद द्वारा मतदान जरूरी नहीं होता है । तथापि, जहाँ किसी सेवा पर 'दत्तमत' और 'प्रभारित', दोनों ही व्यय मदें शामिल होती हैं, वहाँ 'प्रभारित' को उस सेवा के लिए प्रस्तुत मांग में भी शामिल किया जाता है, लेकिन उस मांग में 'दत्तमत' एवं 'प्रभारित' प्रावधानों को अलग-अलग दिखाया जाता है ।

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

11. अनुदानों के लिए मांग लोक सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत की जाती है । प्रत्येक मांग में पहले 'दत्तमत' और 'प्रभारित' व्यय के साथ-साथ मांग में अलग से शामिल 'राजस्व' और 'पूँजीगत' व्यय के कुल जोड़ दिये जाते हैं और जिस व्यय के लिए मांग प्रस्तुत की जाती है उसका सकल जोड़ भी दिया जाता है ।इसके बाद भिन्न-भिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत व्यय का अनुमान दिया जाता है । 'योजना' और 'योजनेतर' के बीच प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विश्लेषित विवरण भी दिया जाता है । वसूली की राशि, जिसे लेखा में व्यय में से घटाया जाता है, उसे भी दिखाया जाता है । अनुदान के लिए मांग का सारांश इस दस्तावेज के आरंभ में दिया जाता है, जबकि 'नयी सेवा' या 'सेवा की नयी लिखत' के ब्यौरे, यथा, नयी कंपनी, उपक्रम का गठन या नयी स्कीम आरंभ करना, आदि, को दस्तावेज के अंत में इंगित किया जाता है ।

वित्त विधेयक

12. संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाते समय संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित करों को लागू करने, समाप्त करने, माफी देने, बदले जाने, या विनियमित किये जाने के ब्यौरे दिये जाते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। इसके साथ एक ज्ञापन होता है, जिसमें विधेयक में शामिल प्रावधानों की व्याख्या की गयी होती है।

वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

13. वित्त विधेयक में अंतर्विष्ट कराधान प्रस्तावों को आसानी से समझे जाने के लिए प्रावधानों और उनके निहितार्थों की व्याख्या दस्तावेज में 'वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन' में की जाती है ।

14. संविधान के अनुसार प्रस्तुत किये गये बजट दस्तावेजों को कुछ विधिक एवं क्रियाविधि संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना होता है और इसीलिए वे स्वयं बजट के प्रमुख लक्षणों का स्पष्ट संकेत नहीं दे सकते हैं । बजट को आसानी से समझने के लिए बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं ।

बजट एक नजर में

15. 'बजट एक नजर में' दस्तावेज संक्षेप में प्राप्तियों और संवितरण के साथ कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे प्रस्तुत करता है । यह दस्तावेज योजना और योजनेतर व्यय का, क्षेत्र और मंत्रालय/विभागों के हिसाब से योजना परिव्यय के आबंटन का व्यापक विश्लेषित विवरण तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को किये गये संसाधन अंतरणों का ब्यौरा भी प्रदर्शित करता है । यह दस्तावेज केंद्र सरकार का राजस्व घाटा, सकल प्राथमिक घाटा और सकल राजकोषीय घाटा भी दर्शाता है । सरकार की राजस्व प्राप्तियों से हुए अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा बनते हैं। सरकार मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करके उधार, अर्थात् बाजार उधार, लेती है । इसके अतिरिक्त सरकार अनेक स्कीमों के अंतर्गत भी निधियाँ उधार लेती है, जो पूँजीगत प्राप्तियों का भाग बनते हैं । एक ओर राजस्व, पूँजी और चुकौती को घटाकर ऋण के जरिए सरकार का कुल व्यय और दूसरी ओर सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ, जो उधार के स्वरूप की नहीं होतीं, लेकिन अंततः सरकार पर उपचित होती हैं, के बीच का अंतर सकल राजकोषीय घाटा बनता है । सकल प्राथमिक घाटा का मापन सकल राजकोषीय घाटा में से सकल ब्याज

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

भुगतान को घटाकर किया जाता है । बजट में 'सकल राजकोषीय घाटा' और 'सकल प्राथमिक घाटा' को संक्षेप में क्रमशः 'राजकोषीय घाटा' और 'प्राथमिक घाटा' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

व्यय बजट खंड 1

16. व्यय बजट खंड 1 विविध मंत्रालयों/विभागों के राजस्व और पूँजीगत संवितरण से संबंध रखता है और प्रत्येक के लिए 'योजना' और 'योजनेतर' के अंतर्गत अनुमान के ब्यौरे देता है। यह विविध प्रकार के व्यय का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है और अनुमानों के घट-बढ़ के व्यापक कारणों को भी प्रस्तुत करता है।

17. वर्तमान लेखांकन और बजट-क्रियाविधियों के अंतर्गत प्राप्तियों की कुछ श्रेणियाँ, यथा, एक विभाग से दूसरे विभाग को किये गये भुगतान और पूँजीगत परियोजनाओं या स्कीमों की प्राप्तियों को प्राप्तकर्ता विभाग के व्यय में से घटाया जाता है । अनुदान मांग में शामिल व्यय के अनुमान सकल राशि के लिए होते हैं, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल व्यय के अनुमान निवल व्यय के लिए होते हैं, जो लेखा में प्रतिबिंबित होंगे, अर्थात् वसूलियों को हिसाब में लिये जाने के बाद । व्यय बजट दस्तावेज में कुछ अन्य परिष्कार किये जाते हैं, यथा, संबंधित प्राप्तियों के व्यय की नेटिंग करना, ताकि प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों में स्फीति से बचा जा सके और विविध व्यय के परिमाण का बेहतर मूल्यांकन किया जा सके । केंद्र सरकार द्वारा दी गयी और अंत-मार्च 2005 में बकाया गारंटियों को दर्शाने वाला अनुबंध प्राप्ति बजट में शामिल किया गया है । अंतरराष्ट्रीय निकायों को अंशदान अलग अनुबंध में दर्शाया गया है । एक विवरण, जिसमें (i) विविध सरकारी विभागों में कर्मचारियों की अनुमानित संख्या, और उनके लिए किया जाने वाला प्रावधान; और (ii) मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे राज्य और जिला स्तर के स्वायत्त निकायों को विविध केंद्रीय एवं केंद्र-प्रायोजित आयोजना स्कीमों के अंतर्गत जारी किये गये योजना अनुदान और ऋणों को दर्शाया गया है, भी इस दस्तावेज में शामिल किया जाता है ।

व्यय बजट खंड 2

18. किसी स्कीम या किसी कार्यक्रम के लिए किये गये प्रावधान अनुदान मांग के राजस्व एवं पूँजीगत खंडों में अनेक मुख्य शीर्षों में विस्तारित हो सकते हैं । व्यय बजट खंड 2 में किसी स्कीम/कार्यक्रम के लिए किये गये अनुमान एक साथ लाये जाते हैं और एक ही स्थान पर निवल आधार पर मुख्य शीर्षों द्वारा दर्शाये जाते हैं। अनुदान मांगों में विविध स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित व्यय में अंतर्निहित उद्देश्य को समझने के लिए, इस खंड में उपयुक्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ शामिल की गयी हैं, जिसमें जहाँ भी आवश्यक हुआ है, चालू वर्ष के लिए बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच घट-बढ़ के कारण तथा बजट वर्ष की अपेक्षाएं भी संक्षेप में दी गई हैं ।

प्राप्ति बजट

19. वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किये गये प्राप्ति अनुमानों का पुनः विश्लेषण 'प्राप्ति बजट' में किया जाता है । यह दस्तावेज कर और करेतर राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत प्राप्तियों के ब्यौरे देता है और अनुमानों की व्याख्या करता है । यह दस्तावेज कर राजस्व और करेतर राजस्व के बकाये भी देता है, जैसाकि राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध नियमावली, 2004 के अंतर्गत अधिदिष्ट है । प्राप्ति बजट में आय-व्यय की प्रवृत्ति के साथ-साथ घाटा-संकेतकों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से संबंधित विवरण, पूर्वानुमित राजस्व का विवरण, देयताओं का विवरण, आकस्मिक देयताओं का विवरण, आस्तियों का विवरण और बाह्य साहाय्य के ब्यौरे भी शामिल किये जाते हैं ।

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

अनुदान के लिए विस्तृत मांग

20. अनुदान मांग के पश्चात् बजट प्रस्तुत किये जाने के कुछ समय बाद, लेकिन अनुदान मांग पर चर्चा आरंभ किये जाने के पहले, लोक सभा के पटल पर अनुदान के लिए विस्तृत मांग रखी जाती है । अनुदान के लिए इन विस्तृत मांगों में अनुदान मांग में शामिल किये गये प्रावधानों का ब्यौरा और पिछले वर्ष के दौरान वस्तुतः किये गये व्यय का और ब्यौरा दिया जाता है । प्रत्येक कार्यक्रम/संगठन से संबंधित अनुमानों का एक विश्लेषित विवरण, जहाँ कहीं अनुमान में शामिल राशि 10 लाख रुपये और अधिक होती है, अनेक उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत दिया जाता है, जो उस कार्यक्रम पर किये गये व्यय की कोटि और स्वरूप को इंगित करता है, यथा, वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, सामग्री और उपकरण, सहायता अनुदान, आदि । इन विस्तृत मांगों के अंत में उन वसूलियों के ब्यौरे दर्शाये जाते हैं, जो लेखे में व्यय में से घटाये जाते हैं ।

राज्यों को अंतरित संसाधन

21. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित कुल संसाधनों को 'बजट एक नजर में' दस्तावेज में समाविष्ट एक विवरण में इंगित किया जाता है । करों के हिस्से, सहायता अनुदान और ऋण के जरिए किये गये इन अंतरणों के और ब्यौरों को व्यय बजट खंड 1 में दिया जाता है । अनुदानों और ऋणों की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा संवितरित की जाती है और 'राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण' के लिए मांग में शामिल की जाती है, जो इसकी ओर से प्रस्तुत की जाती है । अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किये गये अनुदानों और ऋणों के लिए प्रावधान उनकी अपनी-अपनी मांगों में किये जाते हैं।

योजना परिव्यय

22. योजना व्यय केंद्र सरकार के कुल व्यय का काफी बड़ा अनुपात होता है । विविध मंत्रालयों की अनुदान मांगें प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय से अलग योजना व्यय को दर्शाती हैं। व्यय बजट खंड 1 में प्रत्येक मंत्रालय के लिए कुल योजना प्रावधानों को, जिन्हें विकास के विविध शीर्षों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और अधिक महत्वपूर्ण योजना-कार्यक्रमों एवं स्कीमों के लिए बजट प्रावधानों का खुलास किया जाता है । योजना में शामिल की गयी महत्वपूर्ण स्कीमों का वर्णन उनके उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ, संबंधित मंत्रालयों के निष्पादन बजट में किया जाता है । योजना व्यय के अनुमानों में घट-बढ़ को भी इस दस्तावेज में स्पष्ट किया जाता है ।

निष्पादन बजट

23. मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से संसद में प्रस्तुत निष्पादन बजट में प्रमुख कार्यक्रमों और स्कीमों के भौतिक और वित्तीय पहलुओं को शामिल किया जाता है । निष्पादन बजट विकास संबंधी कार्यकलाप करने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किये जाते हैं और संसद सदस्यों के बीच वितरित किये जाते हैं । निष्पादन बजट में मंत्रालयों/विभागों के कार्यों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के अनुसार बजट प्रस्तुत किया जाता है और केंद्रीय क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की, जिनकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये या अधिक होती है, मूल्यंकन रिपोर्ट अलग से दी जाती है । इसमें मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत विविध सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कार्यक्रमों और निष्पादनों के संबंध में विवरण शामिल किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संस्थापित और उपयोग की गयी क्षमता, वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियाँ, परिचालन परिणाम, पूँजी पर प्रतिलाभ, आदि बताये जाते हैं । निष्पादन बजट प्रबंधन के लिए विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के एक साधन के रूप में काम करता है।

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

24. केंद्र सरकार द्वारा किये गये योजना व्यय का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के माध्यम से व्यय किया जाता है । इन उद्यमों के परिव्यय के वित्तपोषण के लिए बजट समर्थन सरकार द्वारा या तो शेयर पूँजी में निवेश द्वारा या ऋणों के माध्यम से किया जाता है। व्यय बजट खंड 1 वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को पूँजी और ऋण संवितरण के अनुमानों को योजना और योजनेतर प्रयोजनों के लिए दर्शाता है और उनकी योजना का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त बजट संसाधन भी दर्शाता है । लोक उद्यम विभाग द्वारा अलग से प्रकाशित 'सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण' शीर्षक दस्तावेज में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कार्यपद्धति के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दी गयी है । विविध प्रशासनिक मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन उद्यमों की कार्यपद्धति के संबंध में एक रिपोर्ट भी विविध मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में दी जाती है, जो संसद सदस्यों को अलग से दिये जाते हैं । प्रत्येक सरकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित लेखे भी अलग से संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त, विविध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यपद्धति के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

वाणिज्यिक विभाग

25. रेलवे सरकार का प्रधान विभाग-चालित वाणिज्यिक उपक्रम है । रेलवे-बजट और रेलवे के व्यय से संबंधित अनुदान मांग संसद में अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं । रेलवे की कुल आमदनी और खर्च को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में समाविष्ट किया जाता है । तथापि, वास्तविक कार्यपद्धति का चित्रण करने और आमदनी और खर्च को बढ़ाकर नहीं दिखाने के लिए प्राप्ति बजट और व्यय बजट खंड 1 और 2 में यथा प्रतिबिंबित व्यय को प्राप्तियों में से घटाते हुए लिया गया है । दूर संचार विभाग की अनुदान मांगों को केंद्र सरकार की अन्य मांगों के साथ प्रस्तुत किया जाता है ।

26. वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाये गये रक्षा विभाग की आमदनी और खर्च को और अधिक ब्यौरे के साथ 'रक्षा सेवाओं के लिए अनुमान' नामक दस्तावेज में, जो रक्षा मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है ।

27. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से भिन्न निकायों को दिये गये अनुदानों के ब्यौरे विविध मंत्रालयों के लिए विस्तृत अनुदान मांगों से संलग्न गैर सरकारी निकायों को भुगतान किये गये सहायता अनुदान विवरण में दिये जाते हैं । व्यय बजट खंड 1 के अनुबंध 6 में निजी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2004-2005 के दौरान स्वीकृत 5 लाख रुपये से अधिक (आवर्ती) या 10 लाख रुपये से अधिक (अनावर्ती) के सहायता अनुदानों के ब्यौरे दर्शाये जाते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

28. वर्ष 2005-2006 के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कार्यकलापों का वर्णनात्मक लेखा-जोखा 'वार्षिक रिपोर्ट' नामक दसतावेज में दिया जाता है, जिसे अलग से प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है और अनुदान मांगों पर चर्चा के समय संसद सदस्यों को वितरित किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण

29. केंद्र सरकार का बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं होता है । स्वतंत्रता के बाद से पंचवर्षीय योजनाएँ आरंभ किये जाने के साथ, यह सरकारी नीति

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

का भी महत्वपूर्ण विवरण हो गया है । बजट में देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित किया जाता है और उसे आकार दिया जाता है और बदले में अर्थव्यवस्था बजट को आकार प्रदान करती है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जो संसाधनों के संग्रहण के बेहतर मूल्यांकन को और बजट में उनके आबंटन को सुसाध्य बनाता है । सर्वेक्षण कृषि और औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति, आधारभूत संरचना, रोजगार, मुद्रा आपूर्ति, कीमतों, आयातों, निर्यातों, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों और अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों का, जिनका संबंध बजट से होता है, विश्लेषण करता है और आगामी वर्ष के लिए बजट के पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है ।

30. सरकार के बजट का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर होता है । सरकार के आय-व्यय के अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका आर्थिक परिमाण के अनुसार समूहन किया जाये, उदाहरण के लिए, पूँजी निर्माण के लिए कितनी राशि अलग रखी जाती है, सरकार द्वारा सीधे कितनी राशि खर्च की जाती है और सरकार द्वारा कितनी राशि अनुदानों, ऋणों, आदि के जरिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को अंतरित की जाती है । यह विश्लेषण 'केंद्र सरकार बजट का आर्थिक एवं प्रयोजनमूलक वर्गीकरण' नामक दस्तावेज में अंतर्विष्ट होता है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से प्रकाशित किया जाता है ।

विनियोग विधेयक

31. अनुदान मांगों पर लोक सभा में मतदान हो जाने के बाद, दत्तमत राशि समेकित निधि से निकाले जाने और समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि के लिए संसद का अनुमोदन विनियोग विधेयक के माध्यम से माँगा जाता है । संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अंतर्गत संसद द्वारा ऐसी विधि को अधिनियमित किये बिना समेकित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है ।

32. बजट प्रस्तुत किये जाने से लेकर उस पर चर्चा किये जाने तथा अनुदान माँगों पर मतदान किये जाने के लिए काफी लंबा समय अपेक्षित होता है । इसलिए संविधान द्वारा लोक सभा को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह मांगों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक वित्तीय वर्ष के किसी हिस्से के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम रूप में कोई अनुदान दे । 'लेखा अनुदान' का प्रयोजन 'अंतिम आपूर्ति' पर मतदान होने तक सरकार के कार्य को चलते रहने देना है । संसद से लेखा अनुदान एक विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ।

बजट घोषणाओं के संबंध में की गयी कार्रवाई का विवरण

33. इसमें वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषित उपक्रमणों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति अंतर्विष्ट होती है ।

मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण

34. जैसाकि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम ऐक्ट) में व्यादिष्ट है, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, विनिर्दिष्ट राजकोषीय संकेतकों के साथ-साथ अंतर्निहित धारणाओं के लिए तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य की घोषणा करता है। इस विवरण में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित धारणीयता का मूल्यांकन और बाजार उधार सहित पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए करने को शामिल किया गया है ।

राजकोषीय नीति अनुकूलता विवरण

35. जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में व्यादिष्ट है, राजकोषीय नीति अनुकूलता विवरण में आगामी वित्त

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(समाप्त)*

वर्ष के लिए केंद्र सरकार की कराधान, व्यय, उधार देने और निवेश करने, नियंत्रित कीमत-निर्धारण, उधार लेने और गारंटियाँ देने से संबंधित नीतियाँ अंतर्विष्ट होती हैं । यह राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा, किस प्रकार वर्तमान नीतियाँ सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और प्रमुख राजकोषीय उपायों में किसी बड़े विपथन के बारे में बताता है ।

समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण

36. जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में व्यादिष्ट है, समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण में अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना का मूल्यांकन विनिर्दिष्ट अंतर्निहित धारणा के साथ किया जाना अंतर्विष्ट होता है। इसमें जीडीपी वृद्धि दर, केन्द्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र संतुलन के संबंध में मूल्यांकन अतर्विष्ट होता है।

अनुबंध 8.2
राज्य सरकारों के बजट परिचालन -मुख्य शीर्ष

राजस्व लेखा (ए और बी)

(ए) राजस्व प्राप्तियाँ (i+ii)

(i) कर राजस्व (क+ख)

(क) राज्यों का अपना कर राजस्व

(ख) केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा

(ii) करेतर राजस्व

(क) राज्यों का अपना करेतर राजस्व

जिसमें से

ब्याज प्राप्तियाँ

(ख) केंद्र सरकार से अनुदान (i+ii)

(i) सांविधिक अनुदान

(ii) गैर सांविधिक अनुदान

(बी) राजस्व व्यय

I. विकासात्मक व्यय

(क) आर्थिक सेवाएँ

(ख) सामाजिक सेवाएँ

II. गैर विकासात्मक सेवाएँ (सामान्य सेवाएँ)

(क) राज्य के अंग

(ख) राजकोषीय सेवाएँ

(ग) ब्याज भुगतान

जिसमें से

केंद्र से ऋण

बाजार उधार

(घ) प्रशासनिक सेवाएँ

(ङ) पेंशन

(च) विविध सामान्य सेवाएँ

(III) सहायता अनुदान और अंशदान

(IV) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन

(V) वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि

पूँजीगत लेखा (I और II)

I. पूँजीगत प्राप्तियाँ (क से ठ)

(क) आंतरिक कर्ज

जिसमें से

बाजार ऋण

(ख) केंद्र से ऋण एवं अग्रिम

(ग) ऋण एवं अग्रिमों की वसूली

(घ) अंतर-राज्य निपटान

(ङ) आकस्मिकता निधि

(च) लघु बचत, भविष्य निधि, आदि

(छ) आरक्षित निधियाँ

(ज) जमाराशियाँ और अग्रिम

(झ) उचंत और विविध

(ञ) आकस्मिकता निधि में विनियोजन

(ट) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

जिनमें से

विनिवेश

(ठ) विप्रेषण

II. पूँजीगत संवितरण

(क) पूँजीगत परिव्यय

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम

(ग) आंतरिक कर्ज का उन्मोचन

जिसमें से

बाजार ऋण का उन्मोचन

(घ) केंद्र को ऋणों की चुकौती

(ङ) अंतर-राज्य निपटान

(च) आकस्मिकता निधि

(छ) लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आदि

(ज) आरक्षित निधियाँ

(झ) जमाराशियाँ और अग्रिम

(ञ) उचंत और विविध

(ट) आकस्मिकता निधि में विनियोजन

(ठ) विप्रेषण

अनुबंध 8.3
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. राज्य सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :-

   भाग I ... ...
   समेकित निधि

   भाग II ... ...
   आकस्मिकता निधि

   भाग III ... ...
   लोक लेखा

2. समेकित निधि :- भाग I में (समेकित निधि, जिसका विषय-क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 266(1) में परिभाषित किया गया है) तीन मुख्य प्रभाग होते हैं, यथा :-

   i. राजस्व

   ii. पूँजी, और

   iii. कर्ज (जिसमें लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम और अंतर-राज्य निपटान समाविष्ट होते हैं)

3. पहला प्रभाग, जिसे 'राजस्व लेखा' के रूप में जाना जाता है, कराधान से प्राप्तियों और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों से तथा उसमें से किये गये व्यय से संबंध रखता है, जिसका निवल परिणाम या तो वर्ष के लिए अधिशेष या घाटा होता है।

4. दूसरा प्रभाग, जिसे 'राजस्व लेखा के बाहर पूँजीगत व्यय' के रूप में जाना जाता है, उस व्यय से संबंध रखता है, जो सामान्यतः उधार ली गयी निधियों से सारभूत लक्षणों वाली आस्तियों का सृजन किये जाने के मुख्य उद्देश्य के साथ किया जाता है । इसमें पूँजीगत स्वरूप की वे प्राप्तियाँ भी शामिल होती हैं, जो पूँजीगत व्यय के समायोजन के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए अभिप्रेत होती हैं ।

5. तीसरे प्रभाग में समाविष्ट होते हैं केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा जुटाये गये ऋण, जिन्हें राज्य सरकार के आंतरिक कर्ज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (यथा, बाजार ऋण, अर्थोपाय अग्रिम और अन्य ऋण) और सरकार द्वारा किये गये ऋण एवं अग्रिम, पहले की चुकौती और बाद वाले की वसूली के साथ । राज्यों के पुनर्गठन के बाद से होने वाले अंतर-राज्य निपटान लेनदेनों को भी इस प्रभाग में शामिल किया जाता है।

6. आकस्मिकता निधि :- लेखा के भाग II में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत गठित आकस्मिकता निधि से सुड़े लेनदेनों को रिकार्ड किया जाता है । यह निधि अग्रदाय के स्वरूप की होती है और कार्यपालक सरकार को अदृष्ट और अत्यावश्यक खर्च, उनके विधानमंडल द्वारा कानूनी रूप से अधिकृत किये जाने तक, को पूरा करने में सक्षम बनाती है । इस निधि से निकाली गयी राशि को विधानमंडल से अनुपूरक अनुदान प्राप्त कर पूरा किया जाता है ।

7. लोक लेखा :- लेखा के भाग III में (लोक लेखा, जिसका विषय-क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित किया गया है) दो मुख्य प्रभाग होते हैं, यथा,

   (1) भविष्य निधि, आरक्षित निधि से संबंधित कर्ज संबंधी लेनदेन, जो भाग I में शामिल किये गये लेनदेनों से भिन्न होते हैं, और जमाराशियाँ तथा अग्रिम, और

अनुबंध 8.3
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ *(जारी)*

(2) विप्रेषण

8. पहले प्रभाग में समाविष्ट होते हैं प्राप्तियाँ और भुगतान, जो भाग I से संबंधित ऋण शीर्षों के अंतर्गत आते हैं, जिनके संबंध में सरकार की देयता होती है कि वह प्राप्त धन की चुकौती करे या उसका दावा होता है कि दी गयी राशि को वसूल करे, जिसके साथ पहले की चुकौती और बाद वाले की वसूली की जानी होती है । दूसरे प्रभाग में केवल समायोजन शीर्ष होते हैं, जिनके अंतर्गत कोषागारों के बीच नकदी का विप्रेषण और विभिन्न लेखा सर्कलों के बीच अंतरण का उल्लेख किया जाता है । इस प्रभाग में लेखा शीर्षों में प्रारंभिक जमा या नामे को अंततः तदनुकूल प्राप्तियों या भुगतानों से, जो या तो उसी लेखा सर्कल के भीतर होते हैं या किसी दूसरे लेखा सर्कल में होते हैं, समाशोधित कर दिया जाता है।

9. बजट साहित्य में और इस प्रकाशन में भी प्रयुक्त विभिन्न पदों को संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में परिभाषित किया गया है।

10. राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज :- इसमें समाविष्ट होते हैं बाजार ऋण, अर्थोपाय अग्रिम और अन्य ऋण ।

11. बाजार ऋण :- इसमें सामान्यतः वे ऋण शामिल होते हैं, जो खुले बाजार से जुटाये जाते हैं और जिनकी वैधता अवधि बारह महीनों से अधिक होती है ।

12. अर्थोपाय अग्रिम :- इस मद में शामिल होते हैं नितांत अस्थायी स्वरूप के उधार, जो बारह महीनों के भीतर चुकौती योग्य होते हैं, यथा, भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम ।

13. अन्य ऋण :- यह (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि, (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (ग) भारतीय डेरी विकास निगम, (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदि से ऋणों को विनिर्दिष्ट करता है।

14. भविष्य निधि और अन्य लेखा :- इस शीर्ष में सरकार के पास जमा की गयी निधियों के संबंध में सरकार का ब्याज संबंधी दायित्व शामिल होता है (उदाहरणार्थ, राज्य भविष्य निधि, अन्य भविष्य निधियाँ, बीमा निधि, आदि)।

15. नकदी शेष निवेश लेखा :- इस शीर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने नकदी शेष का निवेश अल्पावधि या दीर्घावधि प्रतिभूतियों और ऋणों में, अर्थात् भारत सरकार के खजाना बिलों और भारत सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य राज्य सरकारों के ऋणों में, किये जाने से संबंधित लेनदेनों को रिकार्ड किया जाता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व खंड में लेखाशीर्ष '0049, ब्याज प्राप्तियाँ' में जमा किया जाता है। इस शीर्ष के संवितरण पक्ष में वर्ष के दौरान अल्प या दीर्घ अवधि के लिए निवेश की गयी कुल राशि और प्राप्ति पक्ष में परिपक्व होने पर वसूली गयी कुल राशि (घटाव उस पर अर्जित बट्टा या प्राप्त ब्याज) उल्लिखित होती है।

16. निधियों का अंतरण :- इसके अंतर्गत निधियों में अंतरित की गयी राशि और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में मानी गयी राशि को शामिल किया जाता है । इस प्रकार शामिल की गयी कुछ निधियाँ हैं (1) शिक्षा उपकर निधि, (2) राज्य विद्युत निधि, (3) राज्य

अनुबंध 8.3
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ *(जारी)*

सड़क निधि, (4) रोजगार गारंटी निधि, (5) राज्य स्वास्थ्य एवं पोषण निधि, आदि ।

17. कर राजस्व* :- कर राजस्व को कर के स्वरूप के अनुसार निम्नलिखित तीन समूहों में विभाजित किया जाता है :

(क) आय और व्यय पर करों में शामिल होते हैं निगम कर से भिन्न आय (0021), कृषि आय पर कर (0022) और आय एवं व्यय पर अन्य कर (0028)।

(ख) संपत्ति और पूँजीगत लेनदेनों पर करों में शामिल होते हैं भू-राजस्व (0029), स्टाम्प और पंजीयन फीस (0030), संपदा शुल्क (0031) और कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर (0035)।

(ग) वस्तुओं और सेवाओं पर करों में शामिल होते हैं राज्य उत्पाद शुल्क (0039), बिक्री कर (0040), वाहनों पर कर (0041), सामान और यात्री पर कर (0042), बिजली पर कर और शुल्क (0043) तथा अन्य कर : और वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क (0045)। संघ के उत्पाद शुल्क में राज्य के हिस्से को (1603) कर राजस्व के रूप में माना जाता है ।

18. करेतर राजस्व :- इस समूह में शामिल हैं ब्याज प्राप्तियाँ (0049), लाभांश और लाभ (0050) और सामान्य सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के संबंध में विविध प्राप्तियाँ और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान (1601)।

19. विकास और विकासेतर व्यय :- सरकारी व्यय को प्रस्तुत किये जाने की एक सामान्य पद्धति होती है इसे दो कोटियों में वर्गीकृत करना, यथा विकास व्यय और विकासेतर व्यय । ऋण की चुकौती के संबंध में किये गये व्यय को अलग से दर्शाया जाता है और इसे विकास या विकासेतर व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

20. विकास व्यय को मोटे तौर पर परिभाषित करते हुए इसमें व्यय की उन सभी मदों को शामिल करना होता है, जिनकी डिजाइन सीधे आर्थिक विकास और समाज कल्याण का संवर्धन करने के लिए बनायी जाती है । इस प्रकाशन में, राजस्व लेखा के संबंध में विकास व्यय का अनुमान लगाते समय सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं, जिसमें सेक्रेटरियट सामाजिक सेवा (2251) और सेक्रेटरियट आर्थिक सेवाओं (3451) को शामिल नहीं किया गया है, के समूह के अंतर्गत बजट शीर्षों पर व्यय को विकास व्यय के रूप में माना गया है । राजकोषीय सेवाओं के अंतर्गत बजट शीर्ष के माध्यम से प्रावधान किये गये विकास-कार्यकलापों पर खर्च की गयी विकास निधि में अंतरण को विकास व्यय के रूप में माना जाता है और यहाँ उन्हें युक्तियुक्त समूह शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत शामिल किये गये बजट शीर्ष नीचे दिये गये हैं ।

21. सामाजिक सेवाएं : इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित उप-क्षेत्रों के अंतर्गत किये गये व्यय शामिल किये जाते हैं । ये हैं (i) लोक निर्माण (2059), (ii) शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति (2202 से 2205), (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (2210 और 2211), (iv) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (2215 से 2217), (v) सूचना एवं प्रसार (2220 से 2221), (vi) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों

अनुबंध 8.3
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ *(जारी)*

का कल्याण (2225), (vii) श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण (2230), (viii) समाज कल्याण एवं पोषण (2235, 2236 और 2245) और (ix) अन्य सामाजिक सेवाएँ (2252)।

22. आर्थिक सेवाएँ :- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कार्यकलाप और सेवाएँ शामिल की जाती हैं। इन्हें निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है (i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (2401 से 2435), (ii) ग्रामीण विकास (2501,2505,2506 और 2515), (iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (2575), (iv) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (2701, 2702, 2705 और 2711), (v) ऊर्जा (2801 और 2810), (vi) उद्योग और खनिज (2851 से 2853, 2875 और 2885), (vii) परिवहन (3001, 3051 से 3056 और 3075), (viii) संचार (3275), (ix) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण (3402 से 3435) और (x) सामान्य आर्थिक सेवाएँ, जिनमें सेक्रेटरियट आर्थिक सेवाएँ शामिल नहीं हैं (3452, 3454, 3456 और 3475) ।

23. विकासेतर व्यय :- इसमें शामिल हैं सामान्य सेवाओं के अंतर्गत उल्लिखित व्यय, सिवाय लोक निर्माण व्यय (2059) के । इसमें सरकार द्वारा दी गयी सामान्य सेवाओं, यथा, कानून और व्यवस्था बनाये रखने, देश की रक्षा और सरकार के सामान्य अंगों को बनाये रखने से संबंधित व्यय शामिल हैं । इसमें निम्नलिखित उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है ।

24. राज्य के अंग :- इसमें निम्नलिखित बजट शीर्ष शामिल हैं : राज्य विधान मंडल (2011), राज्यपाल (2012), मंत्रि परिषद (2013), न्याय का प्रशासन (2014) और निर्वाचन (2015) ।

25. राजकोषीय सेवाएँ :- इसमें कर-वसूली से संबंधित व्यय शामिल हैं, जिसे कर के स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, यथा, (i) आय और व्यय पर करों की वसूली (2020), (ii) संपत्ति और पूँजीगत लेनदेनों पर करों की वसूली, उदाहरणार्थ, भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीयन और संपत्ति एवं पूँजीगत लेनदेनों पर अन्य करों की वसूली (बजट शीर्ष क्रमश: 2029, 2030 और 2035) और (iii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों की वसूली, उदाहरणार्थ, राज्य उत्पाद शुल्क (2039), बिक्री कर (2040), वाहनों पर कर (2041) तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (2045)। विकास निधि में अंतरण को छोड़ दिया जाता है और अन्य राजकोषीय सेवाओं (2047) के अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है ।

26. प्रशासनिक सेवाएँ :- इसमें बजट शीर्ष 2051 से 2058 और 2070 शामिल किये जाते हैं, जो सरकार द्वारा दी गयी कानून और अन्य सामान्य सेवाओं से संबंधित होते हैं और इसमें लोक सेवा आयोग, सचिवालय सामान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन, कोषागार एवं लेखा प्रशासन, पुलिस, जेल, पूर्ति एवं निपटान, लेखनसामग्री एवं मुद्रण और अन्य प्रशासनिक सेवाएँ शामिल की जाती हैं ।

27. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ :- इसमें पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (2071) और विविध सामान्य सेवाएँ (2075) शामिल की जाती हैं ।

28. अन्य विकासेतर व्यय :- इसमें सेक्रेटरियट सामाजिक सेवाएँ (2251), सेक्रेटरियट आर्थिक सेवाएँ (3451), स्थानीय निकायों और पंचायती संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन (3604) और सामग्री एवं उपकरण (3606) शामिल हैं।

अनुबंध 8.3
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ *(समाप्त)*

29. कर्ज चुकौती :- इस मद के अंतर्गत विभिन्न ऋणों पर ब्याज प्रभारों के खर्च और ऋण प्रबंध से जुड़े हुए अन्य विविध प्रभारों, ऋण शोधन निधियों में अंशदान और 'अन्य विनियोजनों', आदि को शामिल किया जाता है। बजट शीर्ष 2048 और 2049 के अंतर्गत व्यय को यहाँ शामिल किया जाता है । इस व्यय को विकास या विकासेतर व्यय के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन उसे अलग से दर्शाया जाता है ।

30. राजस्व लेखा के बाहर पूँजीगत व्यय के लिए, सभी मदों के संबंध में व्यय, सिवाय निम्नलिखित मदों के संबंध में, को विकास व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । जिन शीर्षों को शामिल नहीं किया जाता है, वे हैं: आकस्मिकता निधि में विनियोजन (7999) और मुद्रण एवं लेखन सामग्री पर पूँजीगत परिव्यय (4058) और अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (4070)

9. मौसमी कारकों का अनुमान लगाना

9.1. परिचय

आर्थिक कालश्रेणी को सामान्यतः नियमित, अंतर्वर्षीय मौसमी उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन अपने वार्षिक प्रवृत्ति पथ पर करते पाया जाता है । ऐसी आवृत्तिमूलक मौसमी घट-बढ़ जलवायु संबंधी स्थिति, उत्पादन चक्र लक्षणों, आर्थिक कार्यकलाप के मौसमी स्वरूप, उत्सवों, अवकाश, प्रथाओं, आदि के परिणास्वरूप हो सकती हैं । जबकि मौसमी घट-बढ़ नियमित रूप से घटित होती है, फिर भी वर्ष-दर-वर्ष उनके परिमाण में अंतर हो सकता है । नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य में किसी आर्थिक चर वस्तु के मौसमी कारक संबंधी जानकारी उपयोगी होती है, क्योंकि यह नीति-निर्माता को चर वस्तु में मौसमी परिवर्तन और दीर्घकालीन परिवर्तनों के बीच भेद करने में सक्षम बनाता है और उसके द्वारा वह युक्तियुक्त नीतिगत अनुक्रिया की अभिकल्पना कर सकता है । भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनिंदा आर्थिक एवं वित्तीय कालश्रेणी के लिए मासिक मौसमी कारकों के संबंध में एक लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में 1980 और उसके बाद नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । यह लेख चुनिंदा आर्थिक/वित्तीय कालश्रेणी के मासिक मौसमी कारकों को प्रस्तुत करता है, जिन्हें पाँच प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है, यथा,

ए. मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक

बी. थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ)

सी. औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ-आइडब्लू)

डी. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी)

ई. बाह्य व्यापार

मौसमी कारकों का अनुमान लगाने के लिए एक्स-12 ऑटो रिग्रेसिव इंटिग्रेटेड मूविंग एवरेज (अरीमा) पद्धति का उपयोग किया जाता है । एक्स-12 अरीमा मौसमी समायोजन के लिए सॉफ्टवेयर होता है, जिसे यू.एस. सेंसस ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है । यह सेंसस मेथड-II

सीजनल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के एक्स-11 वैरिएंट का विस्तारित रूपांतर है । इस क्रियाविधि में किसी काल श्रेणी का गुणात्मक/योगात्मक समायोजन किया जाता है और एक आउटपुट डाटा सेट तैयार किया जाता है, जिसमें समायोजित काल श्रेणी और मध्यवर्ती परिकलन अंतर्विष्ट होते हैं ।

इन नये साधनों का मूल स्रोत होता है रेग अरीमा मॉडलों को फिट करने के लिए प्रोग्राम में निर्मित कालश्रेणी मॉडल निर्माण सुविधाओं का व्यापक सेट । ये अरीमा (ऑटो रिग्रेसिव इंटिग्रेटेड मूविंग एवरेज) भ्रांतियों के साथ रिग्रेसन मॉडल होते हैं । ठीक-ठीक कहा जाये, तो वे ऐसे मॉडल होते हैं, जिनमें कालश्रेणी के माध्य फलन (या अंतराल) का वर्णन रिग्रेसरों के रेखीय संयोजन द्वारा किया जाता है और श्रेणी की कोवैरिएंस संरचना एक अरीमा प्रक्रिया की होती है । यदि किसी रिग्रेसर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि माध्य को शून्य मान लिया गया है, तो रेगअरीमा मॉडल घटकर अरीमा मॉडल रह जाता है । श्रेणी में कतिपय प्रकार के विघटन या स्तर में अचानक परिवर्तन का मॉडल बनाने के लिए रिग्रेसर होते हैं, जिनके प्रभाव को डाटा से इस पद्धति में मौसमी समायोजनों का पर्याप्त रूप से अनुमान लगाने के पहले हटाना होता है । एक्स-12 अरीमा का रेगअरीमा मॉडलिंग मॉड्यूल सेंसस ब्यूरो के सांख्यिकीय अनुसंधान प्रभाग के टाइम सिरीज स्टाफ द्वारा विकसित रेगअरीमा प्रोग्राम से अपनाया गया था ।

9.2. पद्धति

एक्स-12 अरीमा को चित्र 9.1 में दर्शाये गये ऑपरेशन फ्लो डायग्राम का अनुसरण करते हुए विकसित किया जाता है । यह एक रेगअरीमा (अरीमा कालश्रेणी भ्रांतियों सहित रेखीय रिग्रेसन मॉडल) मॉडलिंग सब प्रोग्राम को रख देता है, जो मध्यवर्ती बॉक्स में मौसमी समायोजन सब प्रोग्राम को लागू किये जाने के पहले विविध प्रभावों के बारे में पूर्वानुमान, पिछला अनुमान, और पूर्व समायोजन प्रदान कर सकता है । चित्र 9.1 में अंतिम बॉक्स समायोजन पश्चात् नैदानिक रुटीन का द्योतक होता है, जिसका उपयोग चुने गये मॉडलिंग और मौसमी समायोजन विकल्पों दोनों की प्रभावपूर्णता के संकेतकों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है । एक्स-12 अरीमा का मॉडलिंग मॉड्यूल मौसमी आर्थिक कालश्रेणी के साथ रेगअरिमा मॉडल निर्मित करने के लिए डिजाइन किया गया है । इस उद्देश्य से एक्स-12 अरीमा में पूर्व परिभाषित रिग्रेसन वैरिएबल्स की अनेक

चित्र 9.1 : एक्स-12 अरीमा के साथ मौसमी समायोजन के लिए फ्लो डायग्राम

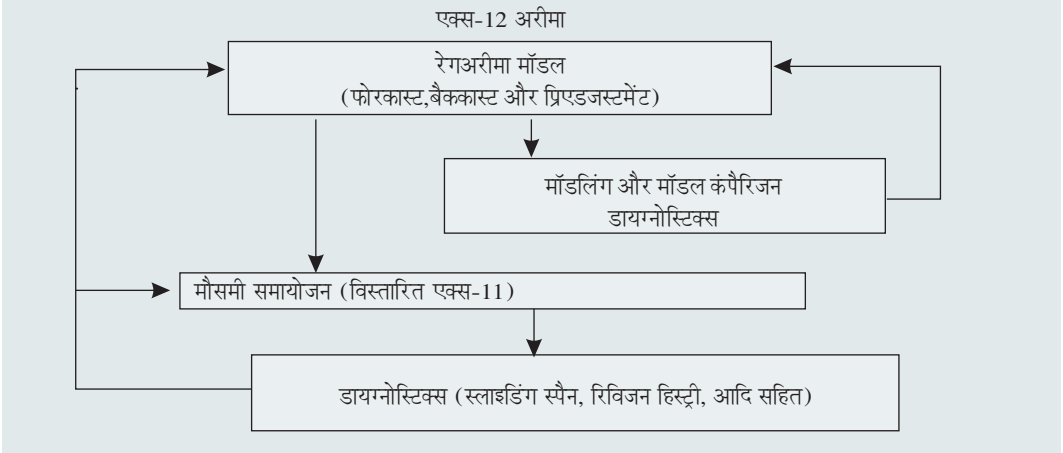

कोटियाँ उपलब्ध होती हैं (और ब्यौरे के लिए उपयोगकर्ता ''http:www.census.gov/srd/www/x12a/'' में उपलब्ध मैनुअल देख सकते हैं)। यूजर डिफाइंड रिग्रेसन वैरिएबल्स को भी आसानी से पढ़ा जा सकता है और मॉडलों में शामिल किया जा सकता है। एक गुणात्मक मॉडल के लिए चित्र 9.2 मौसमी कारकों की गणना करने के लिए एक्स-12 प्रक्रिया का वर्णन करता है ।

एक्स-12 अरीमा मौसमी अरीमा मॉडलों के लिए मानक (p d q) (P D Q)$_s$ अंकन चिह्न का उपयोग करता है । (p d q) क्रमशः गैर मौसमी ऑटो रिग्रेसिव (एआर), डिफरेंसिंग और मूविंग एवरेज (एमए) ऑपरेटर्स के क्रम को निर्दिष्ट करता है । (P D Q)$_s$ मौसमी ऑटो रिग्रेसिव, डिफरेंसिंग ओर मूविंग एवरेज क्रम को निर्दिष्ट करता है । एस सब्सक्रिप्ट मौसमी अवधि

चित्र 9.2 : मौसमी समायोजन के लिए गुणात्मक मॉडलों में एक्स-12 प्रक्रिया का फ्लो डायग्राम

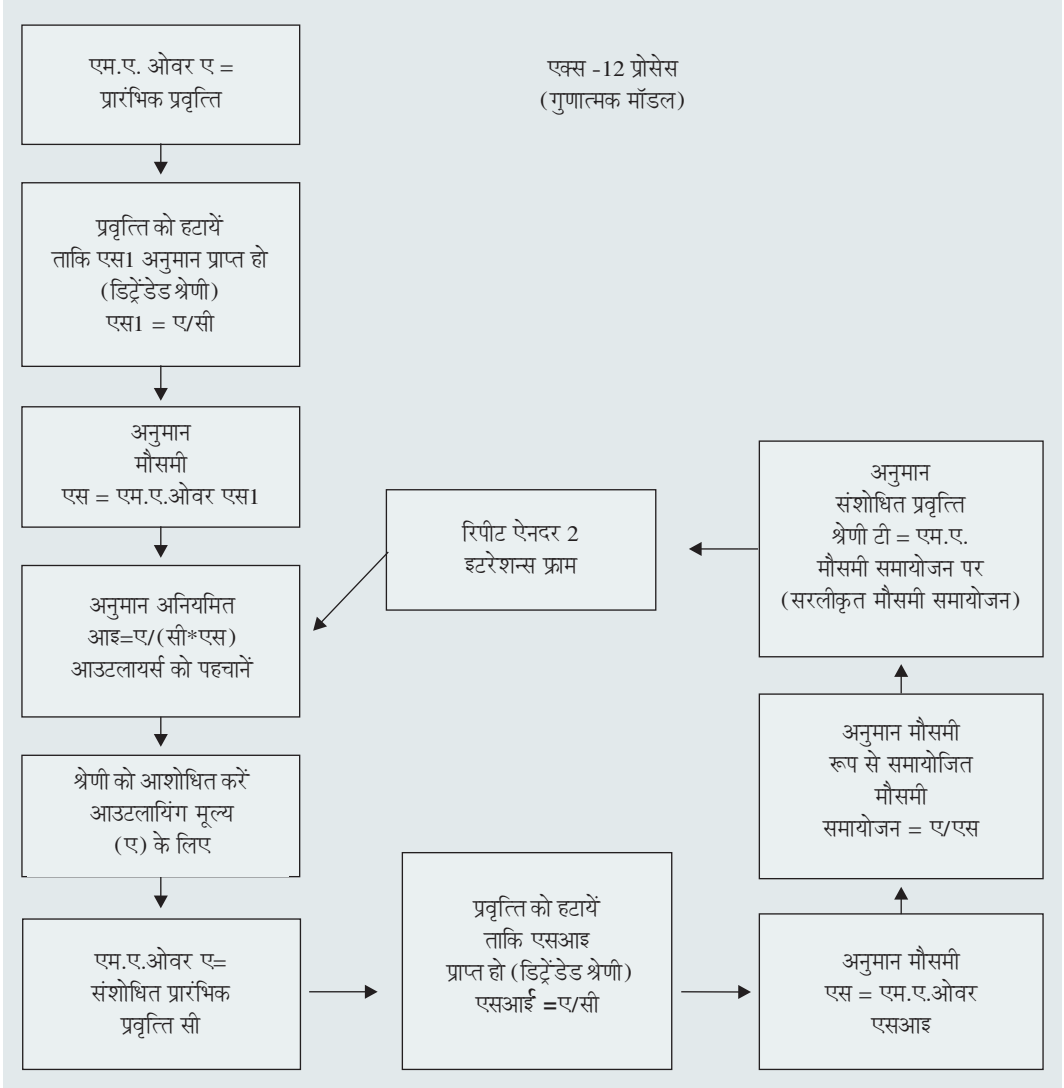

बताता है, उदाहरणार्थ एस=12 मासिक डाटा के लिए या 4 तिमाही डाटा के लिए । अरीमा संरचना के विनिर्देश में बहुत लचीलापन रखने की अनुमति होती है ; कितनी भी संख्या में एआर, एमए, और डिफरेंसिंग ऑपरेटरों का उपयोग किया जा सकता है; एआर और एमए ऑपरेटरों में मिसिंग लैग्स की अनुमति दी जाती है; एआर और एमए पैरामीटरों को यूजर विनिर्दिष्ट मूल्यों पर नियत किया जा सकता है । किसी रेग अरीमा मॉडल के विनिर्देश के लिए मॉडल में शामिल किए जाने हेतु रिग्रेसन वैरिएबल्स और रिग्रेसन भ्रांतियों के लिए अरीमा मॉडल के प्रकार दोनों का विनिर्देश अपेक्षित है (अर्थात् क्रम होगा (p d q) $(P D Q)_s$) । रिग्रेसन वैरिएबल्स का विनिर्देश मॉडल की जाने वाली श्रेणी के बारे में उपयोगकर्ता के ज्ञान पर निर्भर करता है ।

उस उपयोगकर्ता के लिए, जो अपने अनुकूल कालश्रेणी मॉडलों को बिठाना चाहता है, एक्स-12 अरीमा अभिज्ञान, अनुमान और नैदानिक जाँच के तीन मॉडलिंग प्रक्रमों के लिए सक्षमता प्रदान करता है । रिग्रेसन भ्रांतियों के लिए अरीमा मॉडल का अभिज्ञान सुस्थापित क्रियाविधियों का अनुसरण करता है, जो विविध नमूना ऑटो कॉरिलेशन एवं पार्शियल ऑटो कॉरिलेशन फलन की जांच पर आधारित होते हैं, जिन्हें एक्स-12 अरीमा उत्पन्न करता है । एक बार किसी रेग अरीमा मॉडल को विनिर्दिष्ट कर दिये जाने पर एक्स-12 अरीमा अधिकतम समानता द्वारा पैरामीटरों का अनुमान लगा लेगा, जिसके लिए वह इटरेटिव जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वेयर्स (आइजीएलएस) अलगोरिथ्म का प्रयोग करेगा । नैदानिक जाँच में मॉडल अपर्याप्तता के चिह्न के लिए बिठाये गये मॉडल से अवशिष्ट का अनुमान लगाना शामिल होता है ।

एक्स-12 अरीमा में मुख्य सुधार हैं नयी मॉडलिंग क्षमता के लिए रेग अरीमा मॉडलों, स्लाइडिंग स्पैन्स डायग्नोस्टिक क्रियाविधि, किसी दिये हुए मौसमी समायोजन के इतिहास में संशोधन करने की योग्यता, मौसमी समायोजन के अनियमित अवयव के लिए अनेक नये आउटलायर डिटेक्शन ऑप्शन, आदि का उपयोग करना । रेग अरीमा अरीमा के साथ एक रेखीय रिग्रेसन मॉडल होता है, जो विविध प्रभावों के लिए पूर्वानुमान और पूर्व समायोजन प्रदान कर सकता है । एक्स-12 अरीमा रेग अरीमा मॉडलों का उपयोग मौसमी समायोजन प्रोग्राम को लागू करने के पहले आउटलायर्स, आदि, जैसे प्रभावों को हटाते हुए किसी श्रेणी को पूर्व समायोजित करने के लिए करता है ।

9.3. रेग अरीमा

मान लिया कि बी बैकशिफ्ट ऑपरेटर को सूचित करता है ,

$By_t = y_{t-1}$.

एक्स -12 अरीमा रेग अरीमा मॉडलरों का अनुमान y_t के लिए (p d q) $(P D Q)_s$ के क्रम में लगा सकता है । ये निम्नलिखित रूप के मॉडल हो सकते हैं

$$\phi_p(B)\Phi_P(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D(y_t-\sum_{i=1}^{r}\beta_i x_{it})=\theta_q(B)\Theta_Q(B^s)a_t \quad (1)$$

जहाँ 'एस' मौसमी अवधि की लंबाई होता है, एस = 4 या 12 । पोलिनोमियल्स $f_p(z)$, $F_p(z)$, $q(z)$, $Q_Q(z)$ क्रमशः p; P; q और Q डिग्री के साथ स्थिर पद रखते हैं, जो एक के बराबर होता है । ये पोलिनोमियल्स नियंत्रित होते हैं, ताकि $q_Q(z)$, और $Q(z)$ के शून्य का परिणाम एक से बडा या उसके बराबर हो, ताकि $f_p(z)$, और $F_p(z)$ के शून्य का परिणाम एक से बड़ा हो। यूँकि a_t को स्वतंत्र वैरिएबल्स का क्रम मान लिया जाता है, जिसका माध्य '0' और स्थिर वैरिएबल s^2_a होता है, इन नियंत्रणों से पता चलता है कि

$$w_t = (1-B)^d(1-B^s)^D(y_t-\sum_{i=1}^{r}\beta_i x_{it}) \quad (2)$$

एक कोवैरिएंस अचल कालश्रेणी है, जो निम्न डिफरेंस समीकरण को संतुष्ट करता है

$$\varphi_p(B)\Phi_P(B^s)w_t=\theta_q(B)\Theta_Q(B^s)a_t. \quad (3)$$

परिणामस्वरूप हम y_t के लिए मॉडल (3) को निम्न रूप में पुनः व्यक्त कर सकते हैं

$$(1-B)^d(1-B^s)^D y_t = \sum_{i=1}^{r} \beta_i\{(1-B)^d(1-B^s)^D x_{it}\} + w_t \quad (4)$$

यह अचल w_t अरमा भ्रांतियों के साथ एक रिग्रेसन मॉडल है, उपयुक्त रूप से विशिष्ट y_t के लिए । इसके रिग्रेसर x_{it} में उसी विशिष्ट ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए प्राप्त होते हैं । मॉडल (6) इस अनुमान के साथ कि w_t के लिए मॉडल में नवोन्मेष i.i.d N $(0, s^2)$ हैं, इस संभावित फलन को निर्धारित करते हैं, जो रिग्रेसन गुणांक b_i, s^2 और $f_p(B)$, $F_p(B^s)$, $q_q(B)$ और $Q_Q(B^s)$ के सह गुणांकों का अनुमान लगाने के लिए विस्तारित किया जाता है । एक्स-12 अरीमा में डिफॉल्ट संभावना पूर्णतया सही गॉशियन संभावना होती है ।

मॉडल अनुमान लगाने में किसी अरमा गुणांक को नियत मूल्य पर रखा जा सकता है, जैसेकि शून्य । यह प्रोग्राम एसिम्प्टोटिक मानक भ्रांतियों, कॉरिलेशन्स, और टी-स्टैटिस्टिक्स अनुमानित गुणांकों और पूर्वानुमानों के लिए कंफिडेंस अंतरालन उत्पन्न करता है ।

रेग अरीमा में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के रिग्रेसर निम्नलिखित हैं :

1) अचर पद (अचल वैरिएबल के लिए, अर्थात् यदि अरीमा मॉडल डिफरेंसिंग का प्रयोग नहीं करता) द्योतक होता है (अचल) श्रेणी के माध्य का, बशर्ते कि मॉडल में कोई अन्य रिग्रेसन वैरिएबल नहीं हो ।

2) ट्रेंड पद डाटा में मौजूद निर्धारित प्रवृत्ति का अभिग्रहण करता है । पोलिनोमियल ट्रेंड पद डिफरेंसिंग के बाद घटकर अचल पद बन जाता है ।

3) नियत मौसमी रिग्रेसर निम्नलिखित किसी एक कोटि में हो सकते हैं :

क) 12 संकेतक वैरिएबल्स में 11 कंट्रास्ट

ख) किसी नियत मासिक पैटर्न के फोरियर सिरीज रिप्रेंजेंटेशन से लिये गये 11 वैरिएबल्स

4) एक्स-12 अरीमा चार अन्य प्रकार के रिग्रेशन वैरिएबल्स देता है, जो किसी अस्थायी या स्थायी स्वरूप की शृंखला के स्तर में अचानक हुए परिवर्तन के समय कार्य कर सकें : एडिटिव आउटलायर्स (एओ), लेवल शिफ्ट (एलएस), अस्थायी परिवर्तन (टीसी) ओर रैम्प्स । एओ पूरी सिरीज में केवल एक प्रेक्षण को प्रभावित करता है और इसीलिए इस प्रभाव को एक डमी वैरिएबल द्वारा हटाया जाता है, जो ब्रेक अवधि में '0' और अन्य अवधि में '1' मूल्य लेता है। एलएस किसी निश्चित समय-बिन्दु से कुछ निश्चित राशि द्वारा सभी प्रेक्षणों को बढ़ाता है या घटाता है, इस एलएस प्रभाव को एक डमी वैरिएबल को लागू करके हटा दिया जाता है, जो ब्रेक पाइंट तक सभी समय-बिन्दु के लिए '1' मूल्य लेता है और उसके बाद के सभी समय-बिन्दु के लिए '0' मूल्य लेता है । टीसी सिरीज के स्तर में अचानक वृद्धि या ह्रास होने देता है, जो अपने पूर्व स्तर पर चर घातांकी रूप में आ जाता है, यह प्रभाव एक वैरिएबल द्वारा अभिग्रहण किया जाता है, जो परिवर्तन बिन्दु से पहले सभी प्रेक्षणों के लिए '0' मूल्य लेता है और उसके बाद a_t $(0<a<1)$ मूल्य लेता है । रैम्प्स किसी विनिर्दिष्ट समय अंतराल में सिरीज के स्तर में रेखीय वृद्धि या ह्रास होने देता है (जैसेकि $t_0 - t_1$) । रैम्प्स को एक वैरिएबल आरंभ करके हटा दिया जाता है, जो तीन मूल्य लेता है - टाइम $t < t_0$ के लिए '-1', $t_0 < t < t_1$ के लिए $(t- t_0)/(t_1- t_0)-1)$ और समय-बिन्दु $t > t_1$ के बाद '0' । डिफॉल्ट क्रियाविधि में युक्तियुक्त एओ और एलएस रिग्रेसर सिरीज के या किसी चुने हुए सबस्पैन के सभी (लगभग) समय-बिन्दु पर उपयुक्त होते हैं, और उनकी तदनुकूल टी-सांख्यिकी की तुलना विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ की जाती है । इस प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण मूल्य बड़ी संख्या में रिग्रेसरों के कारण युक्तियुक्त होते हैं, जिसके लिए अलग-अलग महत्व-परीक्षण लागू किये जाते हैं ।

9.4. नैदानिक जाँच

किसी रेग अरीमा मॉडल की नैदानिक जाँच मॉडल एस्टिमेशन के अवशिष्ट का विविध प्रकार से विश्लेषण करते हुए की जाती है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि क्या सही अवशेष ह्वाइट नॉयज - i.i.d.N(0,s^2) प्रतीत होते हैं । (टिप्पणी : लार्ज सैम्पल एस्टिमेशन इन्फरेंस परिणामों के लिए a_t की प्रसामान्यता आवश्यक नहीं हेती; यह प्रिडिक्शन अंतरालों की वैधता के लिए, जो पूर्वानुमान में उपलब्ध होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है) । फिट किये गये मॉडल से अवशिष्ट का प्रयोग करते हुए विविध नैदानिक सांख्यिकी तैयार करने के लिए चेक स्पेक का उपयोग किया जाता है । ऑटो कॉरिलेशन की जाँच के लिए एक्स-12 अरीमा अवशेष के एसीएफ और पीएसीएफ उत्पन्न कर सकता है (मानक भ्रांतियों के साथ) और उसके साथ एलजुंग तथा बॉक्स (1978) समरी क्यू-स्टैटिस्टिक्स होता है । एक्स-12 अरीमा अवशेषों की मूलभूत वर्णनात्मक सांख्यिकी और मानकीकृत अवशेषों का हिस्टोग्राम तैयार कर सकता है।

काल-श्रेणी मॉडलों की नैदानिक जाँच का एक महत्वपूर्ण पहलू आउटलायर का पता लगाना होता है । एक्स-12 अरीमा का आउटलायर स्पेक एडिटिव आउटलायर्स (एओ), अस्थायी परिवर्तनशील आउटलायर (टीसी) तथा लेवेल शिफ्ट (एलएस) का स्वयमेव पता लगाने की सुविधा देता है । आउटलायर की खोज के एक्स-12 अरीमा दृष्टिकोण में प्रत्येक समय-बिन्दु पर प्रत्येक आउटलायर के महत्व के लिए टी-स्टैटिस्टिक्स की गणना, महत्वपूर्ण आउटलायर्स के लिए टी-स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से खोज, और तदनुकूल एओ, एलएस या टीसी रिग्रेसन वैरिएबल को मॉडल में जोड़ना शामिल होता है ।

एक मौसमी समायोजन, जो समायोजित सिरीज में खोजपरक अवशिष्ट मौसमी और कैलेंडर प्रभाव छोड़ता है, को सामान्यतः असंतोषजनक माना जाता है । यदि किसी अवशिष्ट प्रभाव का पता नहीं लगता है, तो भी समायोजन असंतोषजनक होगा, यदि भावी काल-श्रेणी मूल्य उपलब्ध होने पर समायोजित मूल्य (या महत्वपूर्ण डेरिवेटिव सांख्यिकी, यथा, एक महीने से दूसरे महीने तक प्रतिशत परिवर्तन) की पुनर्गणना करते समय उसमें बड़े संशोधन किये जायें । अक्सर और पर्याप्त संशोधन होने से डाटा का उपयोग करने वालों को समायोजित डाटा की उपयोगिता पर संदेह होने लगता है । वास्तव में, समायोजनों में इस प्रकार की अस्थिरता से समायोजन करने वालों से उनके अभिप्रायों के संबंध में प्रश्न किये जा सकते हैं । अस्थिर समायोजन समायोजित की जा रही सिरीज में अत्यंत परिवर्तनशील मौसमी या ट्रेंड उतार-चढ़ाव की मौजूदगी का अपरिहार्य परिणाम हो सकता है । एक्स-12 अरीमा में दो प्रकार के स्थिरता डायग्नोस्टिक्स शामिल होते हैं, स्लाइडिंग स्पैन और रिविजन हिस्ट्रीज ।

स्लाइडिंक स्पैन्स डायग्नोस्टिक्स सिरीज के चार ओवरलैपिंग सबस्पैन तक प्रोग्राम को चलाने से प्राप्त विभिन्न निष्कर्षों का प्रदर्शन करते हैं और सारांश सांख्यिकी देते हैं। प्रत्येक महीने के लिए, जो कम-से-कम दो सबस्पैन के लिए साझा होता है, में डायग्नोस्टिक्स विभिन्न स्पैन से प्राप्त माह के आँकड़े के सबसे बड़े और सबसे छोटे समायोजन के बीच अंतर का विश्लेषण करते हैं । ये सबसे बड़े और सबसे छोटे अनुमानों के माह-दर-माह के परिवर्तनों का और अन्य रोचक सांख्यिकी का भी विश्लेषण करते हैं। ये पूर्ववर्ती डायग्नोस्टिक्स में सुधार करते हैं या उन्हें महत्वपर्ण रूप में पूरा करते हैं (i) यह निश्चित करने के लिए कि क्या सिरीज का पर्याप्त समायोजन किया जा रहा है, (ii) यह निर्णय लेने के लिए कि किसी समुच्चय सिरीज के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समायोजन के बीच क्या अंतर है और (iii) विकल्प पसंद की पुष्टि के लिए, यथा, मौसमी फिल्टर के लिए चुनी गयी लंबाई या यह दिखाना कि अन्य विकल्प पसंद का भी परीक्षण किया जाये ।

एक्स-12 अरीमा में दूसरे प्रकार की स्थिरता डायग्नोस्टिक्स वर्षों से किये जा रहे निरंतर मौसमी समायोजन से सहबद्ध संशोधनों पर विचार करता है । प्रोग्राम द्वारा परिकल्पित मूलभूत संशोधन किसी महीने के आँकड़े का सबसे जल्द समायोजन, जो उस समय प्राप्त होता है जब वह माह सिरीज का अंतिम माह होता है और नैदानिक विश्लेषण के समय उपलब्ध सभी भावी डाटा पर आधारित बाद के समायोजन के बीच का अंतर होता है । इसी प्रकार के संशोधन माह-दर-माह परिवर्तनों, ट्रेंड अनुमानों, और ट्रेंड परिवर्तनों के लिए प्राप्त किये जाते हैं। इन संशोधनों का सेट, जिसका परिकलन सिरीज में समय-बिन्दुओं के क्रमिक सेट पर किया जाता है, रिविजन हिस्ट्रीज कहलाता है ।

9.5. पूर्वानुमान

किसी दिये हुए रेग अरीमा मॉडल के लिए, जिसमें एक्स-12 अरीमा प्रोग्राम द्वारा अनुमानित पैरामीटर होते हैं, फोरकास्ट स्पेक उस मॉडल का उपयोग पाइंट फोरकास्ट, और सहबद्ध फोरकास्ट स्टैंडर्ड एरर्स तथा प्रिडिक्शन अंतरालों की गणना करने के लिए करेगा । पाइंट फोरकास्ट हैं वर्तमान और विगत y_t पर आधारित भविष्य के y_t के मिनिमम मीन स्क्वेयर्ड एरर्स (एमएमएसई) लिनियर प्रिडिक्शन, यह मानते हुए कि,

i) रेग अरीमा फार्म सही है
ii) सही रिग्रेसन वैरिएबल्स को शामिल किया गया है
iii) फोरकास्ट अवधि में कोई योगात्मक आउटलायर या लेवल शिफ्ट घटित नहीं होगा
iv) विनिर्दिष्ट अरीमा क्रम सही हैं, और
v) प्रयुक्त पैरामीटर मूल्य (विशिष्ट रूप से अनुमानित पैरामीटर) सही मूल्य के बराबर हैं ।

ये मानकीकृत मान्यताएँ होती हैं, हालाँकि व्यावहारिक एप्लीकेशन में ये स्पष्टतः अयथार्थ होती हैं । यथार्थवादी रूप से जो उम्मीद की जाती है, वह यह है कि रेग अरीमा मॉडल एक सत्य, अज्ञात मॉडल के काफी निकट होगा, ताकि परिणाम लगभग वैध हो । पूर्वानुमान भ्रांतियों के दो सेट उत्पन्न होते हैं । एक में यह कल्पना की जा सकती है कि सभी पैरामीटर ज्ञात होते हैं । दूसरे सेट में अतिरिक्त पूर्वानुमान भ्रांति लगाने की अनुमति होती है, जो रिग्रेसन पैरामीटरों का अनुमान लगाने के लिए होता है, जबकि अभी भी यह माना जाता है कि एआर और एमए पैरामीटर ज्ञात हैं ।

यदि श्रेणी का रूपांतरण होता है, तो पूर्वानुमान के परिणाम पहले रूपांतरित पैमाने पर प्राप्त किये जाते हैं और तब उन्हें मूल पैमाने पर बदल दिया जाता है । उदाहरण के लिए यदि एक सेट $y_t=\log(Y_t)$ के लिए फार्म (1) का एक मॉडल विनिर्दिष्ट करता है, जहाँ Y_t मूल कालश्रेणी हो, तब y_t का पूर्वानुमान पहले लगाया जाता है, और परिणामी पाइंट फोरकास्ट और प्रिडिक्शन अंतराल सीमा का घातांक मूल (Y_t) पैमाने में पाइंट और अंतराल पूर्वानुमान उत्पन्न करता है। परिणामी पाइंट पूर्वानुमान होते हैं एमएमएसई वास्ते $y_t=\log(Y_t)$, लेकिन Y_t के लिए नहीं, जो कि ऊपर उल्लिखित मानक मान्यता के अंतर्गत होता है ।यदि पहले ही कोई समायोजन किया जाता है, तो इनका व्युत्क्रमण पाइंट पूर्वानुमानों और प्रिडिक्शन अंतराल सीमाओं को मूल पैमाने में वापस रुपांतरित करने की प्रक्रिया में हो जायेगा।

यदि मॉडल में कोई यूजर डिफाइंड रिग्रेसन वैरिएबल हो, तब एक्स-12 अरीमा यह अपेक्षा करता है कि उपयोगकर्ता पूर्वानुमान अवधि के लिए इन वैरिएबल्स के लिए डाटा की आपूर्ति करे । एक्स-12 अरीमा में पूर्व परिभाषित रिग्रेसन वैरिएबल्स के लिए, प्रोग्राम में भविष्य में अपेक्षित मूल्य तैयार होंगे । यदि यूजर डिफाइंड पूर्व समायोजन कारकों को विनिर्दिष्ट किया जाता है, तो इनके लिए मूल्य भी पूर्वानुमान अवधि के लिए दिये जायेंगे ।

9.6. सीमाएँ

एक्स-12 अरीमा क्रियाविधि की कुछ सीमाएँ नीचे सूचीबद्ध की गयी हैं :

1. काल श्रेणी से प्रेक्षण (डाटा) का मॉडल बनाया जाये और/या मौसमी रूप से समायोजित किया जाये, जिसके लिए एक्स-12 अरीमा का उपयोग परिमाणात्मक है, जो बाइनरी या कैटेगोरिकल के उलटा होता है ।
2. प्रेक्षणों को समय में बराबर-बराबर स्थान दिया जाये और गुम हो गये मूल्यों की अनुमति नहीं दी जाये ।
3. एक्स-12 अरीमा केवल युनिवैरिएट कालश्रेणी को सँभालता है, अर्थात्, यह भिन्न-भिन्न कालश्रेणियों के बीच संबंध का अनुमान नहीं लगाता है ।
4. स्वतः अभिज्ञात आउटलासर्य का सेट बदल सकता है, यदि रिग्रेसर सेट या अरीमा मॉडल टाइप परिवर्तित होता है ।
5. टी-स्टैटिस्टिक्स मूल्य वाले रिग्रेसर, जो क्रिटिकल मूल्य के ठीक नीचे होते हैं, अपना टी-स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल मूल्य के ऊपर बढ़ा सकते हैं, जैसे ही दीर्घकाल में श्रेणी में नये डाटा जोड़े जायें । विलोमतः, रिग्रेसर अभिज्ञात आउटलायर्स के सेट से बाहर हो सकते हैं, जैसे ही नये डाटा जोड़े जाते हैं । एक्स-12 अरीमा के ऑटोमैटिक आउटलायर आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन का मुद्रित आउटपुट उन महीनों की सूची देता है, जिनके एओ या एलएस रिग्रेसर क्रिटिकल मूल्य के निकट हों । ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि उपयोगकर्ता पहले ही सोच ले कि प्रोग्राम को बाद में चलाते समय इस प्रकार के रिग्रेसर को शामिल किया जायेगा या नहीं ।